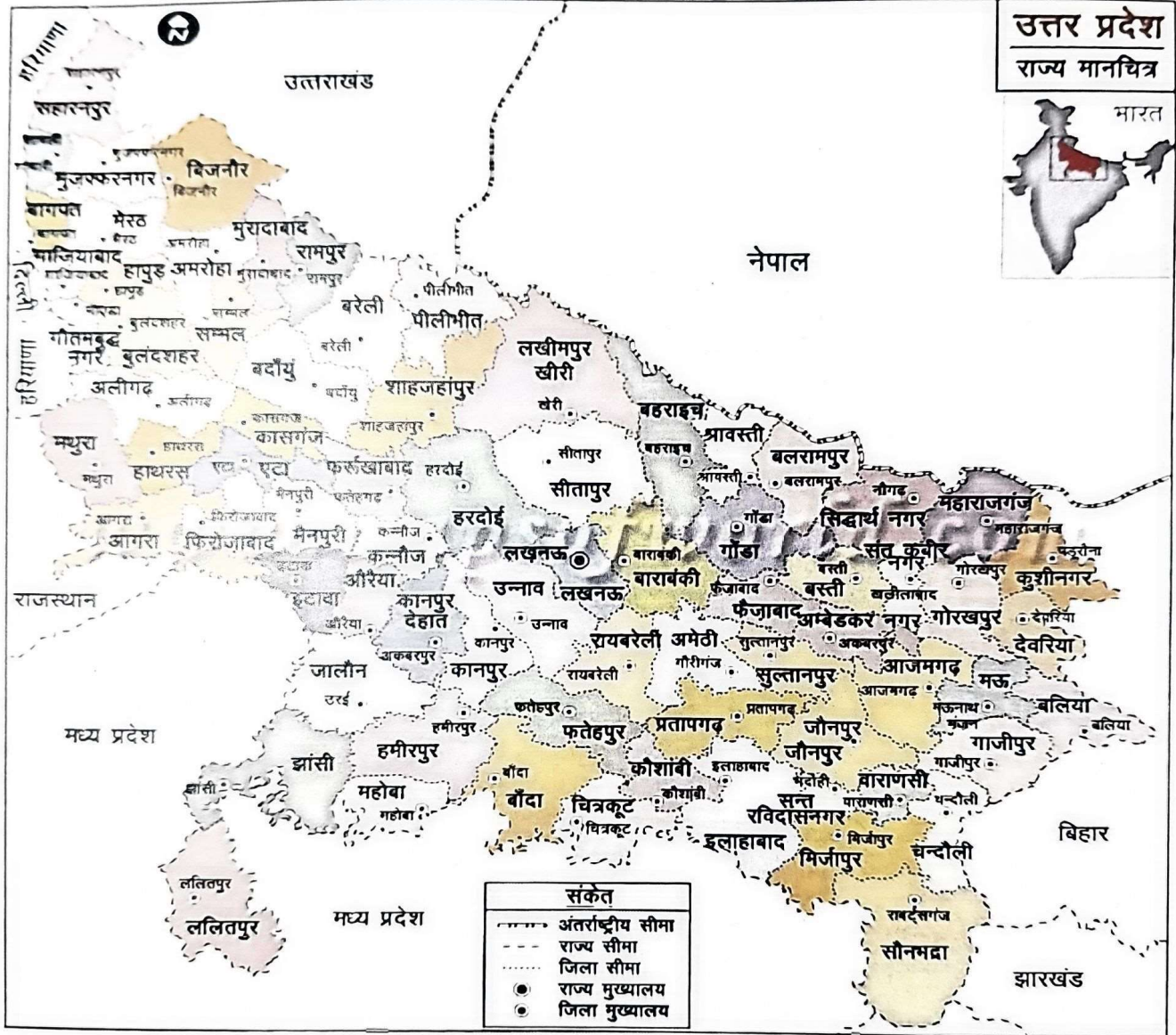


निदेशक सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा निदेशालय उ०प्र० लखनऊ।



**त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का
वार्षिक प्रतिवेदन
वर्ष 2020-2021
भाग-1**

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित प्रस्तर

ग्राम पंचायत- कटियार वर्ष 2020-21 विकास खण्ड - भरावन धनराशि - ₹07,55,597.20

प्रस्तर -01 लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा कैशबुक के अनुसार की गयी है जिसके अनुसार कुल आहरित धनराशि ₹0 7,55,597.20 रही। जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु अनुपलब्ध रहे, उक्त धनराशि का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री देवी प्रसाद, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संजीव त्रिपाठी व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा अवधि में कार्यरत् रहे हो द्वारा किया गया है जिस हेतु उक्त कर्मचारी संयुक्त रूप से जिम्मेदार है तथा उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में आहरित धनराशि से सम्बन्धित कैश बुक के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि निम्न अभिलेखराजकीय ऋण पंजिका, कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र, सार्वजनिक निर्माण कार्यों की पंजिका, भण्डार सूची पंजिका, ऐजेन्डा रजिस्टर, एम.बी.बुक, स्टॉक पंजिका, आंतरिक सम्पेक्षण रिपोर्ट, समेकित सार रजिस्टर, समाशोधन विवरण पत्र, चल-अंचल सम्पत्ति पंजिका, माँग समाहरण व अवशेष पंजिका, मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र- 22) आदिप्रस्तुत करना आवश्यक था:-

अतः ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा परीक्षा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल 1990 के अध्याय 8 के अन्तर्गत क्रमांक 8(क) के अनुसार अप्राप्त प्रमाणको को गबन मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत/ ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से समान रूप से की जाये तथा वसूली के साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

ग्राम पंचायत-कनौराआँट वर्ष 2020-21 विकास खण्ड - भरावन धनराशि-₹0 15,63,528.00

प्रस्तर -02 लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रियासाफ्ट के अनुसार की गयी है जिसके अनुसार कुल आहरित धनराशि ₹0 15,63,528.00 रही। जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं कैश-बुक आदि अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु अनुपलब्ध रहे, उक्त धनराशि का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अशोक कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राज नारायन सिंह व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा अवधि में कार्यरत् रहे हो द्वारा किया गया है जिस हेतु उक्त कर्मचारी संयुक्त रूप से जिम्मेदार है तथा उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में आहरित धनराशि से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि निम्न अभिलेख कैश बुक, राजकीय ऋण पंजिका, कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र, सार्वजनिक निर्माण कार्यों की पंजिका, भण्डार सूची पंजिका, ऐजेन्डा रजिस्टर, एम.बी.बुक, स्टॉक पंजिका, आंतरिक सम्पेक्षण रिपोर्ट, समेकित सार रजिस्टर, समाशोधन विवरण पत्र, चल-अंचल सम्पत्ति पंजिका, माँग समाहरण व अवशेष पंजिका, मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र- 22) आदि प्रस्तुत करना आवश्यक था:-

अतः ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा परीक्षा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल 1990 के अध्याय 8 के अन्तर्गत क्रमांक 8(क) के अनुसार अप्राप्त प्रमाणको को गबन मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत/ ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से समान रूप से की जाये तथा वसूली के साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

ग्राम पंचायत- खसरौल वर्ष 2020-21 विकास खण्ड - भरावन धनराशि-₹0 26,12,899.00

प्रस्तर -03 लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रियासाफ्ट के अनुसार की गयी है जिसके अनुसार कुल आहरित धनराशि ₹0 26,12,899.00 रही। जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं कैश-बुक आदि अभिलेख लेखा परीक्षा

हेतु अनुपलब्ध रहे, उक्त धनराशि का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती राम दुलारी, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा अवधि में कार्यरत रहे हो द्वारा किया गया है जिस हेतु उक्त कर्मचारी संयुक्त रूप से जिम्मेदार है तथा उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में आहरित धनराशि से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि निम्न अभिलेख कैश बुक, राजकीय ऋण पंजिका, कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र, सार्वजनिक निर्माण कार्यों की पंजिका, भण्डार सूची पंजिका, ऐजेन्डा रजिस्टर, एम.बी.बुक, स्टॉक पंजिका, आंतरिक सम्पेक्षण रिपोर्ट, समेकित सार रजिस्टर, समाशोधन विवरण पत्र, चल-अंचल सम्पत्ति पंजिका, माँग समाहरण व अवशेष पंजिका, मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र- 22) आदि प्रस्तुत करना आवश्यक था:-

अतः ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा परीक्षा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल 1990 के अध्याय 8 के अन्तर्गत क्रमांक 8(क) के अनुसार अप्राप्त प्रमाणको को गबन मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत/ ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से समान रूप से की जाये तथा वसूली के साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

ग्राम पंचायत- गोनी वर्ष 2020-21 विकास खण्ड - भरावन धनराशि-रु0 19,63,033.00

प्रस्तर -04 लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रियासाफ्ट के अनुसार की गयी है जिसके अनुसार कुल आहरित धनराशि रु0 19,63,033.00 रही। जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं कैश-बुक आदि अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु अनुपलब्ध रहे, उक्त धनराशि का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रघुवीर, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा अवधि में कार्यरत रहे हो द्वारा किया गया है जिस हेतु उक्त कर्मचारी संयुक्त रूप से जिम्मेदार है तथा उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है। ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में आहरित धनराशि से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि निम्न अभिलेख कैश बुक, राजकीय ऋण पंजिका, कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र, सार्वजनिक निर्माण कार्यों की पंजिका, भण्डार सूची पंजिका, ऐजेन्डा रजिस्टर, एम.बी.बुक, स्टॉक पंजिका, आंतरिक सम्पेक्षण रिपोर्ट, समेकित सार रजिस्टर, समाशोधन विवरण पत्र, चल-अंचल सम्पत्ति पंजिका, माँग समाहरण व अवशेष पंजिका, मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र- 22) आदि प्रस्तुत करना आवश्यक था:-

अतः ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा परीक्षा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल 1990 के अध्याय 8 के अन्तर्गत क्रमांक 8(क) के अनुसार अप्राप्त प्रमाणको को गबन मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत/ ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से समान रूप से की जाये तथा वसूली के साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

ग्राम पंचायत- टिकराकला वर्ष 2020-21 विकास खण्ड-सण्डीला धनराशि-रु0 23,80,682.00

प्रस्तर -05 लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रियासाफ्ट के अनुसार की गयी है जिसके अनुसार कुल आहरित धनराशि रु0 23,80,682.00 रही। जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं कैश-बुक आदि अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु अनुपलब्ध रहे, उक्त धनराशि का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री वीर बहादुर सिंह, ग्राम विकास अधिकारी श्री रत्नेश कुमार वर्मा व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा अवधि में कार्यरत रहे हो द्वारा किया गया है जिस हेतु उक्त कर्मचारी संयुक्त रूप से जिम्मेदार है तथा उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में आहरित धनराशि से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि निम्न अभिलेख कैश बुक, राजकीय ऋण पंजिका, कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र, सार्वजनिक निर्माण कार्यों की पंजिका, भण्डार सूची पंजिका, ऐजेन्डा रजिस्टर, एम.बी.बुक,

स्टाक पंजिका, आंतरिक सम्पेक्षण रिपोर्ट, समेकित सार रजिस्टर, समाशोधन विवरण पत्र, चल-अंचल सम्पत्ति पंजिका, माँग समाहरण व अवशेष पंजिका, मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र- 22) आदि प्रस्तुत करना आवश्यक था:-

अतः ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा परीक्षा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल 1990 के अध्याय 8 के अन्तर्गत क्रमांक 8(क) के अनुसार अप्राप्त प्रमाणको को गबन मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से समान रूप से की जाये तथा वसूली के साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

ग्राम पंचायत- दिक्कूनीवर्ष 2020-21 विकास खण्ड -भरावन धनराशि - ₹0 21,79,890.00

प्रस्तर- 06लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रियासाफ्ट के अनुसार की गयी है जिसके अनुसार कुल आहरित धनराशि ₹0 21,79,890.00 रही। जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं कैश-बुक आदि अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु अनुपलब्ध रहे, उक्त धनराशि का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राम कुमार मौर्य, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राज नरायन व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा अवधि में कार्यरत् रहे हो द्वारा किया गया है जिस हेतु उक्त कर्मचारी संयुक्त रूप से जिम्मेदार है तथा उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में आहरित धनराशि से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि निम्न अभिलेख कैश बुक, राजकीय ऋण पंजिका, कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र, सार्वजनिक निर्माण कार्यों की पंजिका, भण्डार सूची पंजिका, ऐजेन्डा रजिस्टर, एम.बी.बुक, स्टॉक पंजिका, आंतरिक सम्पेक्षण रिपोर्ट, समेकित सार रजिस्टर, समाशोधन विवरण पत्र, चल-अंचल सम्पत्ति पंजिका, माँग समाहरण व अवशेष पंजिका, मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र- 22) आदि प्रस्तुत करना आवश्यक था:-

अतः ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा परीक्षा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल 1990 के अध्याय 8 के अन्तर्गत क्रमांक 8(क) के अनुसार अप्राप्त प्रमाणको को गबन मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से समान रूप से की जाये तथा वसूली के साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

ग्राम पंचायत- तलौली वर्ष 2020-21 विकास खण्ड - सण्डीला धनराशि -₹0 29,23,583.00

प्रस्तर- 07लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा कैशबुक के अनुसार की गयी है जिसके अनुसार कुलआहरित धनराशि ₹0 29,23,583.00 रही। जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु अनुपलब्ध रहे, उक्त धनराशि का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामेश्वर, ग्राम विकास अधिकारी श्री रत्नेश कुमार वर्मा व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा अवधि में कार्यरत् रहे हो द्वारा किया गया है जिस हेतु उक्त कर्मचारी संयुक्त रूप से जिम्मेदार है तथा उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में आहरित धनराशि से सम्बन्धित कैश बुक के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि निम्न अभिलेख राजकीय ऋण पंजिका, कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र, सार्वजनिक निर्माण कार्यों की पंजिका, भण्डार सूची पंजिका, ऐजेन्डा रजिस्टर, एम.बी.बुक, स्टॉक पंजिका, आंतरिक सम्पेक्षण रिपोर्ट, समेकित सार रजिस्टर, समाशोधन विवरण पत्र, चल-अंचल सम्पत्ति पंजिका, माँग समाहरण व अवशेष पंजिका, मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र- 22) आदि प्रस्तुत करना आवश्यक था:-

अतः ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा परीक्षा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल 1990 के अध्याय 8 के अन्तर्गत क्रमांक 8(क) के अनुसार अप्राप्त प्रमाणको को गबन मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से समान रूप से की जाये तथा वसूली के साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

ग्राम पंचा0- परसा मोहम्मदीनपुर वर्ष 2020-21विकास खण्ड-भरावनधनराशि -रु0 24,19,221.00

प्रस्तर- 08 लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा कैशबुक के अनुसार की गयी है जिसके अनुसार कुल आहरित धनराशि रु0 2419221.00 रही। जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु अनुपलब्ध रहे, उक्त धनराशि का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती शकुन्तला, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मुकेश यादव व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा अवधि में कार्यरत् रहे हो द्वारा किया गया है जिस हेतु उक्त कर्मचारी संयुक्त रूप से जिम्मेदार है तथा उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में आहरित धनराशि से सम्बन्धित कैश बुक के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि निम्न अभिलेखराजकीय ऋण पंजिका, कार्यपूति व उपभोग प्रमाण पत्र, सार्वजनिक निर्माण कार्यों की पंजिका, भण्डार सूची पंजिका, ऐजेन्डा रजिस्टर, एम.बी.बुक, स्टॉक पंजिका, आंतरिक सम्पेक्षण रिपोर्ट, समेकित सार रजिस्टर, समाशोधन विवरण पत्र, चल-अंचल सम्पति पंजिका, माँग समाहरण व अवशेष पंजिका, मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र- 22) आदिप्रस्तुत करना आवश्यक था:-

अतः ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा परीक्षा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल 1990 के अध्याय 8 के अन्तर्गत क्रमांक 8(क) के अनुसार अप्राप्त प्रमाणको को गबन मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत/ ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से समान रूप से की जाये तथा वसूली के साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

ग्राम पंचायत- पहाड़पुरवर्ष 2020-21 विकास खण्ड-भरावनधनराशि -रु0 11,21,689.20

प्रस्तर- 09लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा कैशबुक के अनुसार की गयी है जिसके अनुसार कुल आहरित धनराशि रु0 11,21,689.20 रही। जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु अनुपलब्ध रहे, उक्त धनराशि का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री फूलचन्द्र, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आन्नद प्रकाश गौतम व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा अवधि में कार्यरत् रहे हो द्वारा किया गया है जिस हेतु उक्त कर्मचारी संयुक्त रूप से जिम्मेदार है तथा उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में आहरित धनराशि से सम्बन्धित कैश बुक के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि निम्न अभिलेखराजकीय ऋण पंजिका, कार्यपूति व उपभोग प्रमाण पत्र, सार्वजनिक निर्माण कार्यों की पंजिका, भण्डार सूची पंजिका, ऐजेन्डा रजिस्टर, एम.बी.बुक, स्टॉक पंजिका, आंतरिक सम्पेक्षण रिपोर्ट, समेकित सार रजिस्टर, समाशोधन विवरण पत्र, चल-अंचल सम्पति पंजिका, माँग समाहरण व अवशेष पंजिका, मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र- 22) आदिप्रस्तुत करना आवश्यक था:-

अतः ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा परीक्षा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल 1990 के अध्याय 8 के अन्तर्गत क्रमांक 8(क) के अनुसार अप्राप्त प्रमाणको को गबन मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत/ ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से समान रूप से की जाये तथा वसूली के साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

ग्राम पंचायत- पिपरीनारायनपुर वर्ष 2020-21विकास खण्ड-भरावन धनराशि -रु0 29,23,855.00

प्रस्तर- 10लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रियासाफ्ट के अनुसार की गयी है जिसके अनुसार कुल आहरित धनराशि रु0 29,23,855.00 रही। जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं कैश-बुक आदि अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु अनुपलब्ध रहे, उक्त धनराशि का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अरुण व्दिवेदी, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संजीव त्रिपाठी व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा अवधि में कार्यरत् रहे हो द्वारा किया गया है जिस हेतु उक्त कर्मचारी संयुक्त रूप से जिम्मेदार है तथा उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में आहरित धनराशि से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि निम्न अभिलेख कैश बुक, राजकीय ऋण पंजिका, कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र, सार्वजनिक निर्माण कार्यों की पंजिका, भण्डार सूची पंजिका, ऐजेन्डा रजिस्टर, एम.बी.बुक, स्टॉक पंजिका, आंतरिक सम्पेक्षण रिपोर्ट, समेकित सार रजिस्टर, समाशोधन विवरण पत्र, चल-अंचल सम्पत्ति पंजिका, माँग समाहरण व अवशेष पंजिका, मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र- 22) आदि प्रस्तुत करना आवश्यक था:-

अतः ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा परीक्षा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल 1990 के अध्याय 8 के अन्तर्गत क्रमांक 8(क) के अनुसार अप्राप्त प्रमाणको को गबन मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत/ ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से समान रूप से की जाये तथा वसूली के साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

ग्राम पंचायत- बम्हनीआपेंग वर्ष 2020-21 विकास खण्ड-भरावनधनराशि -रु0 8,65,729.00

प्रस्तर- 11लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा कैशबुक के अनुसार की गयी है जिसके अनुसार कुल आहरित धनराशि रु0 8,65,729.00 रही। जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु अनुपलब्ध रहे, उक्त धनराशि का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राम सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मुकेश यादव व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा अवधि में कार्यरत् रहे हो द्वारा किया गया है जिस हेतु उक्त कर्मचारी संयुक्त रूप से जिम्मेदार है तथा उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में आहरित धनराशि से सम्बन्धित कैश बुक के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि निम्न अभिलेखराजकीय ऋण पंजिका, कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र, सार्वजनिक निर्माण कार्यों की पंजिका, भण्डार सूची पंजिका, ऐजेन्डा रजिस्टर, एम.बी.बुक, स्टॉक पंजिका, आंतरिक सम्पेक्षण रिपोर्ट, समेकित सार रजिस्टर, समाशोधन विवरण पत्र, चल-अंचल सम्पत्ति पंजिका, माँग समाहरण व अवशेष पंजिका, मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र- 22) आदिप्रस्तुत करना आवश्यक था:-

अतः ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा परीक्षा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल 1990 के अध्याय 8 के अन्तर्गत क्रमांक 8(क) के अनुसार अप्राप्त प्रमाणको को गबन मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत/ ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से समान रूप से की जाये तथा वसूली के साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

ग्राम पंचायत- बहुती वर्ष 2020-21 विकास खण्ड-भरावन धनराशि -रु0 64,25,180.00

प्रस्तर- 12लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रियासाफ्ट के अनुसार की गयी है जिसके अनुसार कुल आहरित धनराशि रु0 64,25,180.00 रही। जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं कैश-बुक आदि अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु अनुपलब्ध रहे, उक्त धनराशि का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राम कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा अवधि में कार्यरत् रहे हो द्वारा किया गया है जिस हेतु उक्त कर्मचारी संयुक्त रूप से जिम्मेदार है तथा उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में आहरित धनराशि से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि निम्न अभिलेख कैश बुक, राजकीय ऋण पंजिका, कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र, सार्वजनिक निर्माण कार्यों की पंजिका, भण्डार सूची पंजिका, ऐजेन्डा रजिस्टर, एम.बी.बुक, स्टॉक पंजिका, आंतरिक सम्पेक्षण रिपोर्ट, समेकित सार रजिस्टर, समाशोधन विवरण पत्र, चल-अंचल सम्पत्ति पंजिका, माँग समाहरण व अवशेष पंजिका, मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र- 22) आदि प्रस्तुत करना आवश्यक था:-

अतः ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा परीक्षा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल 1990 के अध्याय 8 के अन्तर्गत क्रमांक 8(क) के अनुसार अप्राप्त प्रमाणको को गबन मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत/ ग्राम

विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से समान रूप से की जाये तथा वसूली के साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

ग्राम पंचायत- भरावन वर्ष 2020-21 विकास खण्ड-भरावन धनराशि -रु0 1,07,28,760.00

प्रस्तर- 13लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रियासाफ्ट के अनुसार की गयी है जिसके अनुसार कुल आहरित धनराशि रु0 1,07,28,760.00 रही। जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं कैश-बुक आदि अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु अनुपलब्ध रहे, उक्त धनराशि का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुषमा, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा अवधि में कार्यरत् रहे हो द्वारा किया गया है जिस हेतु उक्त कर्मचारी संयुक्त रूप से जिम्मेदार है तथा उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में आहरित धनराशि से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि निम्न अभिलेख कैश बुक, राजकीय ऋण पंजिका, कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र, सार्वजनिक निर्माण कार्यों की पंजिका, भण्डार सूची पंजिका, ऐजेन्डा रजिस्टर, एम.बी.बुक, स्टॉक पंजिका, आंतरिक सम्पेक्षण रिपोर्ट, समेकित सार रजिस्टर, समाशोधन विवरण पत्र, चल-अंचल सम्पत्ति पंजिका, माँग समाहरण व अवशेष पंजिका, मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र- 22) आदि प्रस्तुत करना आवश्यक था:-

अतः ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा परीक्षा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल 1990 के अध्याय 8 के अन्तर्गत क्रमांक 8(क) के अनुसार अप्राप्त प्रमाणको को गबन मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत/ ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से समान रूप से की जाये तथा वसूली के साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

ग्राम पंचायत- मण्डौली वर्ष 2020-21 विकास खण्ड- सण्डीला धनराशि -रु0 32,45,018.00

प्रस्तर- 14लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा कैशबुक के अनुसार की गयी है जिसके अनुसार कुल आहरित धनराशि रु0 32,45,018.00 रही। जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु अनुपलब्ध रहे, उक्त धनराशि का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अतीकुर्रहमान, ग्राम विकास अधिकारी श्री रत्नेशकुमार वर्मा व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा अवधि में कार्यरत् रहे हो द्वारा किया गया है जिस हेतु उक्त कर्मचारी संयुक्त रूप से जिम्मेदार है तथा उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में आहरित धनराशि से सम्बन्धित कैश बुक के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि निम्न अभिलेख राजकीय ऋण पंजिका, कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र, सार्वजनिक निर्माण कार्यों की पंजिका, भण्डार सूची पंजिका, ऐजेन्डा रजिस्टर, एम.बी.बुक, स्टॉक पंजिका, आंतरिक सम्पेक्षण रिपोर्ट, समेकित सार रजिस्टर, समाशोधन विवरण पत्र, चल-अंचल सम्पत्ति पंजिका, माँग समाहरण व अवशेष पंजिका, मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र- 22) आदि प्रस्तुत करना आवश्यक था:-

अतः ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा परीक्षा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल 1990 के अध्याय 8 के अन्तर्गत क्रमांक 8(क) के अनुसार अप्राप्त प्रमाणको को गबन मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत/ ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से समान रूप से की जाये तथा वसूली के साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

ग्राम पंचायत- महुवाडां वर्ष 2020-21 विकास खण्ड-भरावन धनराशि -रु0 8,08,647.10

प्रस्तर- 15 लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा कैशबुक के अनुसार की गयी है जिसके अनुसार कुल आहरित धनराशि रु0 8,08,647.10 रही। जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु अनुपलब्ध रहे, उक्त धनराशि का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती उमा कुमारी, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री

धीरेन्द्र प्रताप सिंह व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा अवधि में कार्यरत रहे हो द्वारा किया गया है जिस हेतु उक्त कर्मचारी संयुक्त रूप से जिम्मेदार है तथा उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में आहरित धनराशि से सम्बन्धित कैश बुक के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि निम्न अभिलेखराजकीय ऋण पंजिका, कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र, सार्वजनिक निर्माण कार्यों की पंजिका, भण्डार सूची पंजिका, ऐजेन्डा रजिस्टर, एम.बी.बुक, स्टॉक पंजिका, आंतरिक सम्पेक्षण रिपोर्ट, समेकित सार रजिस्टर, समाशोधन विवरण पत्र, चल-अंचल सम्पत्ति पंजिका, माँग समाहरण व अवशेष पंजिका, मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र- 22) आदिप्रस्तुत करना आवश्यक था:-

अतः ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा परीक्षा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल 1990 के अध्याय 8 के अन्तर्गत क्रमांक 8(क) के अनुसार अप्राप्त प्रमाणको को गबन मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत/ ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से समान रूप से की जाये तथा वसूली के साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

ग्राम पंचायत- राममदारपुर वर्ष 2020-21 विकास खण्ड-भरावन धनराशि -रु0 9,47,719.00

प्रस्तर- 16 लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा प्रियासाफ्ट के अनुसार की गयी है जिसके अनुसार कुल आहरित धनराशि रु0 9,47,719.00 रही। जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं कैश-बुक आदि अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु अनुपलब्ध रहे, उक्त धनराशि का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती लक्ष्मी, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा अवधि में कार्यरत रहे हो द्वारा किया गया है जिस हेतु उक्त कर्मचारी संयुक्त रूप से जिम्मेदार है तथा उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में आहरित धनराशि से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि निम्न अभिलेख कैश बुक, राजकीय ऋण पंजिका, कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र, सार्वजनिक निर्माण कार्यों की पंजिका, भण्डार सूची पंजिका, ऐजेन्डा रजिस्टर, एम.बी.बुक, स्टॉक पंजिका, आंतरिक सम्पेक्षण रिपोर्ट, समेकित सार रजिस्टर, समाशोधन विवरण पत्र, चल-अंचल सम्पत्ति पंजिका, माँग समाहरण व अवशेष पंजिका, मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र- 22) आदि प्रस्तुत करना आवश्यक था:-

अतः ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा परीक्षा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल 1990 के अध्याय 8 के अन्तर्गत क्रमांक 8(क) के अनुसार अप्राप्त प्रमाणको को गबन मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत/ ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से समान रूप से की जाये तथा वसूली के साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

ग्राम पंचायत- लौली वर्ष 2020-21 विकास खण्ड-भरावन धनराशि -रु0 12,74,456.80

प्रस्तर- 17 लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा कैशबुक के अनुसार की गयी है जिसके अनुसार कुल आहरित धनराशि रु0 12,74,456.80 रही। जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु अनुपलब्ध रहे, उक्त धनराशि का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अरविन्द, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मुकेश यादव व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा अवधि में कार्यरत रहे हो द्वारा किया गया है जिस हेतु उक्त कर्मचारी संयुक्त रूप से जिम्मेदार है तथा उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में आहरित धनराशि से सम्बन्धित कैश बुक के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि निम्न अभिलेखराजकीय ऋण पंजिका, कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र, सार्वजनिक निर्माण कार्यों की पंजिका, भण्डार सूची पंजिका, ऐजेन्डा रजिस्टर, एम.बी.बुक, स्टॉक पंजिका, आंतरिक सम्पेक्षण रिपोर्ट, समेकित सार रजिस्टर, समाशोधन विवरण पत्र, चल-अंचल

सम्पत्ति पंजिका, माँग समाहरण व अवशेष पंजिका, मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र- 22) आदिप्रस्तुत करना आवश्यक था:-

अतः ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा परीक्षा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल 1990 के अध्याय 8 के अन्तर्गत क्रमांक 8(क) के अनुसार अप्राप्त प्रमाणको को गबन मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत/ ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से समान रूप से की जाये तथा वसूली के साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

ग्राम पंचायत - सहगवां वर्ष - 2020-21 विकास खण्ड - भरावन धनराशि - ₹0 12,15,517.80

प्रस्तर 18 लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा कैशबुक के अनुसार की गयी है जिसके अनुसार कुल आहरित धनराशि ₹0 1215517.80 रही। जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु अनुपलब्ध रहे, उक्त धनराशि का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री गया प्रसाद, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मुकेश यादव व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा अवधि में कार्यरत् रहे हो द्वारा किया गया है जिस हेतु उक्त कर्मचारी संयुक्त रूप से जिम्मेदार है तथा उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में आहरित धनराशि से सम्बन्धित कैश बुक के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि निम्न अभिलेखराजकीय ऋण पंजिका, कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र, सार्वजनिक निर्माण कार्यों की पंजिका, भण्डार सूची पंजिका, ऐजेन्डा रजिस्टर, एम.बी.बुक, स्टॉक पंजिका, आंतरिक सम्पेक्षण रिपोर्ट, समेकित सार रजिस्टर, समाशोधन विवरण पत्र, चल-अंचल सम्पत्ति पंजिका, माँग समाहरण व अवशेष पंजिका, मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र- 22) आदिप्रस्तुत करना आवश्यक था:-

अतः ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा परीक्षा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल 1990 के अध्याय 8 के अन्तर्गत क्रमांक 8(क) के अनुसार अप्राप्त प्रमाणको को गबन मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत/ ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से समान रूप से की जाये तथा वसूली के साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

ग्राम पंचायत - श्यामदासपुर वर्ष -2020-21 विकास खण्ड - भरावन धनराशि - ₹0 11,12,420.00

प्रस्तर 19 लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा कैशबुक के अनुसार की गयी है जिसके अनुसार कुल आहरित धनराशि ₹0 11,12,420.00 रही। जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु अनुपलब्ध रहे, उक्त धनराशि का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राम किशुन, ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती सुचेता यादव व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा अवधि में कार्यरत् रहे हो द्वारा किया गया है जिस हेतु उक्त कर्मचारी संयुक्त रूप से जिम्मेदार है तथा उक्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में आहरित धनराशि से सम्बन्धित कैश बुक के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि निम्न अभिलेखराजकीय ऋण पंजिका, कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र, सार्वजनिक निर्माण कार्यों की पंजिका, भण्डार सूची पंजिका, ऐजेन्डा रजिस्टर, एम.बी.बुक, स्टॉक पंजिका, आंतरिक सम्पेक्षण रिपोर्ट, समेकित सार रजिस्टर, समाशोधन विवरण पत्र, चल-अंचल सम्पत्ति पंजिका, माँग समाहरण व अवशेष पंजिका, मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र- 22) आदिप्रस्तुत करना आवश्यक था:-

अतः ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा परीक्षा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल 1990 के अध्याय 8 के अन्तर्गत क्रमांक 8(क) के अनुसार अप्राप्त प्रमाणको को गबन मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत/ ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से समान रूप से की जाये तथा वसूली के साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

ग्राम पंचायत-काईमऊ, विकास खण्ड-अहिरोरी, वर्ष-2020-21,धनराशि-रु0 25,87,039.00

प्रस्तर -2020-21 के बैंक विवरण एवं कैश बुक में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार रु0 2587039.00/- विभिन्न तिथियों में आहरित किए गए हैं, परंतु लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय रु0 2587039.00/- धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गये। ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख भी प्रस्तुत नहीं किए गये जो कि महत्वपूर्ण थे। (1) राजकीय ऋण पंजिका (2) कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र (3) आय व्यय अभिलेख (4) सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका (5) भंडार सूची पंजिका (6) एजेंडा रजिस्टर (7) एम0 बी0 बुक (8) स्टॉक रजिस्टर (9) सामकेतिक सार रजिस्टर (10) समाशोधन विवरण पत्र (11) शासन से प्राप्त धनराशि एवं देय पंजिका (12) चल-अचल संपत्ति पंजिका (13) माँग समाहरण पंजिका (14) मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र, 22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मनुअल अध्याय - 8 के खंड - 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं, तथा अध्याय - 8 के खंड -8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए समस्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

वर्ष 2020-21 के बैंक विवरण एवं कैश बुक में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार रु0 2587039.00/- विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किए गए हैं, परंतु लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय रु0 2587039.00/- धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गये। अतः दर्शित व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए समस्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सतीश कुमार तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री रजनीश त्रिपाठी एवं समस्त संबन्धित कार्मिकों से संयुक्त रूप से की जायेगी।

ग्राम पंचायत-करीमनगर सैदपुर,विकास खण्ड -अहिरोरी,वर्ष-2020-21,धनराशि- रु0 92,29,581.00

प्रस्तर -21 वर्ष 2020-21 के बैंक विवरण एवं कैश बुक में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार रु0 92,29,581.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किए गए हैं, परंतु लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय रु0 92,29,581.00 धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गये। ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख भी प्रस्तुत नहीं किए गये जो कि महत्वपूर्ण थे। (1) राजकीय ऋण पंजिका (2) कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र (3) आय व्यय अभिलेख (4) सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका (5) भंडार सूची पंजिका (6) एजेंडा रजिस्टर (7) एम0 बी0 बुक (8) स्टॉक रजिस्टर (9) सामकेतिक सार रजिस्टर (10) समाशोधन विवरण पत्र (11) शासन से प्राप्त धनराशि एवं देय पंजिका (12) चल-अचल संपत्ति पंजिका (13) माँग समाहरण पंजिका (14) मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र, 22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मनुअल अध्याय - 8 के खंड - 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं, तथा अध्याय - 8 के खंड -8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए समस्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

वर्ष 2020-21 के बैंक विवरण एवं कैश बुक में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार रु0 92,29,581.00/- विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किए गए हैं, परंतु लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय रु0 92,29,581.00 धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गये। अतः दर्शित व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए समस्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रेहाना बानो तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री कौशलेन्द्र कुमार एवं श्री सुधीर कुमार सिंह तथा समस्त संबन्धित कार्मिकों से संयुक्त रूप से की जायेगी।

ग्राम पंचायत-अटवा कटैया ,विकास खण्ड-अहिरोरी,वर्ष-2020-21,धनराशि- रु0 73,91,708.00

प्रस्तर-22 वर्ष 2020-21 में व्यय की कुल धनराशि रु0 73,91,708.00 विभिन्न तिथियों में आहरित की गयी हैं, परंतु लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित कुल व्यय की धनराशि रु0 73,91,708.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक

प्रस्तुत नहीं किए गये। ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख भी प्रस्तुत नहीं किए गये जो कि महत्वपूर्ण थे। (1) राजकीय ऋण पंजिका (2) कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र (3) आय व्यय अभिलेख (4) सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका (5) भंडार सूची पंजिका (6) एजेंडा रजिस्टर (7) एम0 बी0 बुक (8) स्टॉक रजिस्टर (9) सामकेतिक सार रजिस्टर (10) समाशोधन विवरण पत्र (11) शासन से प्राप्त धनराशि एवं देय पंजिका (12) चल-अचल संपत्ति पंजिका (13) माँग समाहरण पंजिका (14) मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र, 22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मनुअल अध्याय - 8 के खंड - 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं, तथा अध्याय - 8 के खंड -8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए समस्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

इस प्रकार वर्ष 2020-21 में व्यय की गयी कुल धनराशि रु0 73,91,708.00/- विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, अतः दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए समस्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कनक वर्मा तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री राजीव कुमार वर्मा से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-खाड़ा खेड़ा, विकास खण्ड-अहिरोरी, वर्ष-2020-21, धनराशि-रु0 53,18,003.00

प्रस्तर-23 वर्ष 2020-21 के बैंक विवरण एवं कैश बुक में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार रु0 53,18,003.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किए गए हैं, परंतु लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय रु0 53,18,003.00 धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गये। ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख भी प्रस्तुत नहीं किए गये जो कि महत्वपूर्ण थे। (1) राजकीय ऋण पंजिका (2) कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र (3) आय व्यय अभिलेख (4) सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका (5) भंडार सूची पंजिका (6) एजेंडा रजिस्टर (7) एम0 बी0 बुक (8) स्टॉक रजिस्टर (9) सामकेतिक सार रजिस्टर (10) समाशोधन विवरण पत्र (11) शासन से प्राप्त धनराशि एवं देय पंजिका (12) चल-अचल संपत्ति पंजिका (13) माँग समाहरण पंजिका (14) मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र, 22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मनुअल अध्याय - 8 के खंड - 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं, तथा अध्याय - 8 के खंड -8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए समस्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

वर्ष 2020-21 के बैंक विवरण एवं कैश बुक में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार रु0 53,18,003.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किए गए हैं, परंतु लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय रु0 53,18,003.00 धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गये। अतः दर्शित व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए समस्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मंजु गुप्ता तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री राजीव कुमार एवं समस्त संबन्धित कार्मिकों से संयुक्त रूप से की जायेगी।

ग्रामपंचायत - करलावा वर्ष 2020-21 विकास खण्ड - बेंहदर धनराशि रु0- 10,48,552-00

प्रस्तर-24 वर्ष 2020-21 की प्रिया साफ्ट के अनुसार रु0 10,48,552-00 विभिन्न माहों के विभिन्न तिथियों में अहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्रामविकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जो कि महत्वपूर्ण था।

(1) राजकीय ऋण पंजिका (2) कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र (3) आय व्यय अभिलेख (4) सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका (5) भंडार सूची पंजिका (6) एजेंडा रजिस्टर (7) एम0 बी0 बुक (8) स्टॉक रजिस्टर (9) सामकेतिक सार रजिस्टर (10) समाशोधन विवरण पत्र (11) शासन से प्राप्त धनराशि एवं देय पंजिका (12) चल-अचल संपत्ति पंजिका (13) माँग समाहरण पंजिका (14) मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र, 22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मनुअल अध्याय - 8 के खंड - 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं, तथा अध्याय - 8 के खंड -8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए समस्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

वर्ष 2020-21 की प्रिया साफ्ट के अनुसार ₹0 10,48,552-00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती तारावती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा के कार्य अवधि में रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है

ग्रामपंचायत - बेंहदर कला वर्ष 2020-21 विकास खण्ड - बेंहदर धनराशि ₹0- 51,42,076-00

प्रस्तर-25 वर्ष 2020-21 की कैश बुक व बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ₹0 51,42,076-00 विभिन्न माहों के विभिन्न तिथियों में अहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जो कि महत्वपूर्ण था।

(1) राजकीय ऋण पंजिका (2) कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र (3) आय व्यय अभिलेख (4) सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका (5) भंडार सूची पंजिका (6) एजेंडा रजिस्टर (7) एम0 बी0 बुक (8) स्टॉक रजिस्टर (9) सामकेतिक सार रजिस्टर (10) समाशोधन विवरण पत्र (11) शासन से प्राप्त धनराशि एवं देय पंजिका (12) चल-अचल संपत्ति पंजिका (13) माँग समाहरण पंजिका (14) मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र, 22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मनुअल अध्याय - 8 के खंड - 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं, तथा अध्याय - 8 के खंड -8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए समस्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

वर्ष 2020-21 की कैश बुक व बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ₹0 51,42,076-00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राज कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार वर्मा -2 व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा के कार्य अवधि में रहे हो संयुक्तरूप से जिम्मेदार हैं। जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है

ग्रामपंचायत - गौरी सैयद तालिब वर्ष 2020-21 विकास खण्ड - बेंहदर धनराशि ₹0- 10,68,691-00

प्रस्तर-26 वर्ष 2020-21 की कैश बुक व बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ₹0 10,68,691-00 विभिन्न माहों के विभिन्न तिथियों में अहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जो कि महत्वपूर्ण था।

(1) राजकीय ऋण पंजिका (2) कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र (3) आय व्यय अभिलेख (4) सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका (5) भंडार सूची पंजिका (6) एजेंडा रजिस्टर (7) एम0 बी0 बुक (8) स्टॉक रजिस्टर (9) सामकेतिक सार रजिस्टर (10) समाशोधन विवरण पत्र (11) शासन से प्राप्त धनराशि एवं देय पंजिका (12) चल-अचल संपत्ति पंजिका (13) माँग समाहरण पंजिका (14) मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र, 22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मनुअल अध्याय - 8 के खंड - 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं, तथा अध्याय - 8 के खंड -8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए समस्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

वर्ष 2020-21 की कैश बुक व बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ₹0 10,68,691-00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती जमुना देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार गुप्ता व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा के कार्य अवधि में रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है

ग्रामपंचायत - सुखनखेडा वर्ष 2020-21 विकास खण्ड - बेंहदर धनराशि ₹0- 6,84,546-00

प्रस्तर-27 वर्ष 2020-21 की कैश बुक व बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ₹0 6,84,546-00 विभिन्न माहों के विभिन्न तिथियों में अहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जो कि महत्वपूर्ण था।

(1) राजकीय ऋण पंजिका (2) कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र (3) आय व्यय अभिलेख (4) सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका (5) भंडार सूची पंजिका (6) एजेंडा रजिस्टर (7) एम० बी० बुक (8) स्टॉक रजिस्टर (9) सामकेतिक सार रजिस्टर (10) समाशोधन विवरण पत्र (11) शासन से प्राप्त धनराशि एवं देय पंजिका (12) चल-अचल संपत्ति पंजिका (13) माँग समाहरण पंजिका (14) मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र, 22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मनुअल अध्याय - 8 के खंड - 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं, तथा अध्याय - 8 के खंड -8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए समस्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

वर्ष 2020-21 की कैश बुक व बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ₹0 6,84,546-00 -00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान सुनील कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार गुप्ता व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा के कार्य अवधि में रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है

ग्रामपंचायत - पुरवा हफीजुद्दीन पुर वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- हरियावां धनराशि ₹0 8,18,776-00

प्रस्तर-28 वर्ष 2020-21 की प्रिया साफ्ट के अनुसार ₹0 8,18,776-00 विभिन्न माहों के विभिन्न तिथियों में अहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जो कि महत्वपूर्ण था।

(1) राजकीय ऋण पंजिका (2) कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र (3) आय व्यय अभिलेख (4) सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका (5) भंडार सूची पंजिका (6) एजेंडा रजिस्टर (7) एम० बी० बुक (8) स्टॉक रजिस्टर (9) सामकेतिक सार रजिस्टर (10) समाशोधन विवरण पत्र (11) शासन से प्राप्त धनराशि एवं देय पंजिका (12) चल-अचल संपत्ति पंजिका (13) माँग समाहरण पंजिका (14) मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र, 22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मनुअल अध्याय - 8 के खंड - 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं, तथा अध्याय - 8 के खंड -8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए समस्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

वर्ष 2020-21 की कैश बुक व बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ₹0 8,18,776-00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कमला एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री कमलेश कुशवाहा व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा के कार्य अवधि में रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है

ग्रामपंचायत - रहीमपुर वर्ष 2020-21 विकास खण्ड- हरियावां धनराशि ₹0 12,75,818-00

प्रस्तर-29 वर्ष 2020-21 की प्रिया साफ्ट के अनुसार ₹0 12,75,818-00 विभिन्न माहों के विभिन्न तिथियों में अहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जो कि महत्वपूर्ण था।

(1) राजकीय ऋण पंजिका (2) कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र (3) आय व्यय अभिलेख (4) सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका (5) भंडार सूची पंजिका (6) एजेंडा रजिस्टर (7) एम0 बी0 बुक (8) स्टॉक रजिस्टर (9) सामकेतिक सार रजिस्टर (10) समाशोधन विवरण पत्र (11) शासन से प्राप्त धनराशि एवं देय पंजिका (12) चल-अचल संपत्ति पंजिका (13) माँग समाहरण पंजिका (14) मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र, 22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मनुअल अध्याय - 8 के खंड - 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं, तथा अध्याय - 8 के खंड -8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए समस्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

वर्ष 2020-21 की कैश बुक व बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ₹0 12,75,818-00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राकेश कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री आकाश पाल व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा के कार्य अवधि में रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है

ग्रामपंचायत - सरैया वर्ष 2020-21 विकास खण्ड- हरियावां धनराशि ₹0 10,06,770-00

प्रस्तर-30 वर्ष 2020-21 की प्रिया साफ्ट के अनुसार ₹0 10,06,770-00 विभिन्न माहों के विभिन्न तिथियों में अहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जो कि महत्वपूर्ण था।

(1) राजकीय ऋण पंजिका (2) कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र (3) आय व्यय अभिलेख (4) सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका (5) भंडार सूची पंजिका (6) एजेंडा रजिस्टर (7) एम0 बी0 बुक (8) स्टॉक रजिस्टर (9) सामकेतिक सार रजिस्टर (10) समाशोधन विवरण पत्र (11) शासन से प्राप्त धनराशि एवं देय पंजिका (12) चल-अचल संपत्ति पंजिका (13) माँग समाहरण पंजिका (14) मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र, 22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मनुअल अध्याय - 8 के खंड - 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं, तथा अध्याय - 8 के खंड -8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए समस्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

वर्ष 2020-21 की कैश बुक व बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ₹0 10,06,770-00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अरूण कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री आकाश पाल व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा के कार्य अवधि में रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है

ग्रामपंचायत - भदेउरा वर्ष 2020-21 विकास खण्ड- हरियावां धनराशि ₹0 24,76,630-70

प्रस्तर-31 वर्ष 2020-21 की बैंक पासबुक/रोकडबही के अनुसार ₹0 24,76,630-70 जिसमें से ₹0 17-70 बैंक चार्ज को घटाते हुए कुल ₹0 24,76,613-00 विभिन्न तिथियों में अहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जो कि महत्वपूर्ण था।

(1) राजकीय ऋण पंजिका (2) कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र (3) आय व्यय अभिलेख (4) सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका (5) भंडार सूची पंजिका (6) एजेंडा रजिस्टर (7) एम0 बी0 बुक (8) स्टॉक रजिस्टर (9) सामकेतिक सार रजिस्टर (10) समाशोधन विवरण पत्र (11) शासन से प्राप्त धनराशि एवं देय पंजिका (12) चल-अचल संपत्ति पंजिका (13) माँग समाहरण पंजिका (14) मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र, 22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मनुअल अध्याय - 8 के खंड - 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं, तथा अध्याय - 8 के खंड -8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए समस्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

वर्ष 2020-21 की कैश बुक व बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ₹0 24,76,613-00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री शरीफ सिददीकी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री कमलेश कुशवाहा व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा के कार्य अवधि में रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है

ग्रामपंचायत - टेनी वर्ष 2020-21 विकास खण्ड- हरियावां धनराशि ₹0 29,98,491-00

प्रस्तर-32 वर्ष 2020-21 की बैंक पासबुक/रोकडबही के अनुसार ₹0 29,98,526-40 जिसमें से ₹0 35-40 बैंक चार्ज को घटाते हुए कुल ₹0 29,98,491-00 विभिन्न तिथियों में अहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जो कि महत्वपूर्ण था।

(1) राजकीय ऋण पंजिका (2) कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र (3) आय व्यय अभिलेख (4) सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका (5) भंडार सूची पंजिका (6) एजेंडा रजिस्टर (7) एम0 बी0 बुक (8) स्टॉक रजिस्टर (9) सामकेतिक सार रजिस्टर (10) समाशोधन विवरण पत्र (11) शासन से प्राप्त धनराशि एवं देय पंजिका (12) चल-अचल संपत्ति पंजिका (13) माँग समाहरण पंजिका (14) मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र, 22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मनुअल अध्याय - 8 के खंड - 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं, तथा अध्याय - 8 के खंड -8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए समस्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

वर्ष 2020-21 की कैश बुक व बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ₹0 29,98,491-00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राम मोहन एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री अभिषेक पाल व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा के कार्य अवधि में रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है

ग्रामपंचायत - बजेहरा वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- हरियावां धनराशि ₹0 13,60,862-00

प्रस्तर-33 वर्ष 2020-21 की बैंक पासबुक/रोकडबही के अनुसार ₹0 13,60,862-00 विभिन्न माहों के विभिन्न तिथियों में अहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जो कि महत्वपूर्ण था।

(1) राजकीय ऋण पंजिका (2) कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र (3) आय व्यय अभिलेख (4) सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका (5) भंडार सूची पंजिका (6) एजेंडा रजिस्टर (7) एम0 बी0 बुक (8) स्टॉक रजिस्टर (9)

सामकेतिक सार रजिस्टर (10) समाशोधन विवरण पत्र (11) शासन से प्राप्त धनराशि एवं देय पंजिका (12) चल-अचल संपत्ति पंजिका (13) माँग समाहरण पंजिका (14) मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र, 22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मनुअल अध्याय - 8 के खंड - 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं, तथा अध्याय - 8 के खंड -8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए समस्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

वर्ष 2020-21 की कैश बुक व बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ₹0 13,60,862-00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सीता देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री आकाश पाल व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा के कार्य अवधि में रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है

ग्रामपंचायत - बाबूपुर कचनारी वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- हरियावां धनराशि ₹0 12,98,113-00

प्रस्तर-34 वर्ष 2020-21 की बैंक पासबुक/रोकडबही के अनुसार ₹0 12,98,113-00 विभिन्न माहों के विभिन्न तिथियों में अहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जो कि महत्वपूर्ण था।

(1) राजकीय ऋण पंजिका (2) कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र (3) आय व्यय अभिलेख (4) सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका (5) भंडार सूची पंजिका (6) एजेंडा रजिस्टर (7) एम० बी० बुक (8) स्टॉक रजिस्टर (9) सामकेतिक सार रजिस्टर (10) समाशोधन विवरण पत्र (11) शासन से प्राप्त धनराशि एवं देय पंजिका (12) चल-अचल संपत्ति पंजिका (13) माँग समाहरण पंजिका (14) मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र, 22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मनुअल अध्याय - 8 के खंड - 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं, तथा अध्याय - 8 के खंड -8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए समस्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

वर्ष 2020-21 की कैश बुक व बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ₹0 12,98,113-00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती आशूमति एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री आकाश पाल व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा के कार्य अवधि में रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है

ग्रामपंचायत - बिजिगवां वर्ष 2020-21 विकास खण्ड- हरियावां धनराशि ₹0 18,56,148-00

प्रस्तर-35 वर्ष 2020-21 की बैंक पासबुक/रोकडबही के अनुसार ₹0 18,56,148-00 विभिन्न माहों के विभिन्न तिथियों में अहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जो कि महत्वपूर्ण था।

(1) राजकीय ऋण पंजिका (2) कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र (3) आय व्यय अभिलेख (4) सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका (5) भंडार सूची पंजिका (6) एजेंडा रजिस्टर (7) एम० बी० बुक (8) स्टॉक रजिस्टर (9) सामकेतिक सार रजिस्टर (10) समाशोधन विवरण पत्र (11) शासन से प्राप्त धनराशि एवं देय पंजिका (12) चल-अचल संपत्ति पंजिका (13) माँग समाहरण पंजिका (14) मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र, 22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मनुअल अध्याय - 8 के खंड - 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं, तथा अध्याय - 8 के खंड -8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो

दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए समस्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

वर्ष 2020-21 की कैश बुक व बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ₹0 18,56,148-00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुमनदेवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री रमेश कुमार व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा के कार्य अवधि में रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है

ग्रामपंचायत - मवैया वर्ष 2020-21 विकास खण्ड- हरियावां धनराशि ₹0 62,28,791-00

प्रस्तर-36 वर्ष 2020-21 की बैंक पासबुक/रोकडबही के अनुसार ₹0 62,28,791-00 विभिन्न माहों के विभिन्न तिथियों में अहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जो कि महत्वपूर्ण था।

(1) राजकीय ऋण पंजिका (2) कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र (3) आय व्यय अभिलेख (4) सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका (5) भंडार सूची पंजिका (6) एजेंडा रजिस्टर (7) एम0 बी0 बुक (8) स्टॉक रजिस्टर (9) सामकेतिक सार रजिस्टर (10) समाशोधन विवरण पत्र (11) शासन से प्राप्त धनराशि एवं देय पंजिका (12) चल-अचल संपत्ति पंजिका (13) माँग समाहरण पंजिका (14) मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र, 22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मनुअल अध्याय - 8 के खंड - 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं, तथा अध्याय - 8 के खंड -8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए समस्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

वर्ष 2020-21 की कैश बुक व बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ₹0 62,28,791-00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सीमा वर्मा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री राजीव वर्मा व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा के कार्य अवधि में रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है

ग्रामपंचायत -अरवा गजाधरपुर वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- हरियावां धनराशि ₹0 16,17,173-00

प्रस्तर-37 वर्ष 2020-21 की प्रिया साफ्ट के अनुसार ₹0 16,17,173-00 विभिन्न माहों के विभिन्न तिथियों में अहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जो कि महत्वपूर्ण था।

(1) राजकीय ऋण पंजिका (2) कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र (3) आय व्यय अभिलेख (4) सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका (5) भंडार सूची पंजिका (6) एजेंडा रजिस्टर (7) एम0 बी0 बुक (8) स्टॉक रजिस्टर (9) सामकेतिक सार रजिस्टर (10) समाशोधन विवरण पत्र (11) शासन से प्राप्त धनराशि एवं देय पंजिका (12) चल-अचल संपत्ति पंजिका (13) माँग समाहरण पंजिका (14) मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र, 22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मनुअल अध्याय - 8 के खंड - 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं, तथा अध्याय - 8 के खंड -8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए समस्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

वर्ष 2020-21 की कैश बुक व बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ₹0 16,17,173-00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री कमला एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री आकाश पाल/विजय कुमार/वीरेन्द्र कुमार/अभिषेक कुमार व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा के कार्य अवधि में रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है

ग्रामपंचायत -कल्यानी वर्ष 2020-21 विकास खण्ड- हरियावां धनराशि ₹0 9,63,553-00

प्रस्तर-38 वर्ष 2020-21 की प्रिया साफ्ट के अनुसार ₹0 9,63,553-00 विभिन्न माहो के विभिन्न तिथियों में अहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जो कि महत्वपूर्ण था।

(1) राजकीय ऋण पंजिका (2) कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र (3) आय व्यय अभिलेख (4) सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका (5) भंडार सूची पंजिका (6) एजेंडा रजिस्टर (7) एम0 बी0 बुक (8) स्टॉक रजिस्टर (9) सामकेतिक सार रजिस्टर (10) समाशोधन विवरण पत्र (11) शासन से प्राप्त धनराशि एवं देय पंजिका (12) चल-अचल संपत्ति पंजिका (13) माँग समाहरण पंजिका (14) मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र, 22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मनुअल अध्याय - 8 के खंड - 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं, तथा अध्याय - 8 के खंड -8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए समस्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

वर्ष 2020-21 की कैश बुक व बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ₹0 9,63,553-00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री नगेश पाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री कमलेश कुशवाहा व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा के कार्य अवधि में रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्रामपंचायत -बगौछा वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- हरियावां धनराशि ₹0 16,93,456-00

प्रस्तर-39 वर्ष 2020-21 की प्रिया साफ्ट की रोकडबही के अनुसार ₹0 16,93,456-00 विभिन्न माहो के विभिन्न तिथियों में अहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जो कि महत्वपूर्ण था।

(1) राजकीय ऋण पंजिका (2) कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र (3) आय व्यय अभिलेख (4) सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका (5) भंडार सूची पंजिका (6) एजेंडा रजिस्टर (7) एम0 बी0 बुक (8) स्टॉक रजिस्टर (9) सामकेतिक सार रजिस्टर (10) समाशोधन विवरण पत्र (11) शासन से प्राप्त धनराशि एवं देय पंजिका (12) चल-अचल संपत्ति पंजिका (13) माँग समाहरण पंजिका (14) मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र, 22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मनुअल अध्याय - 8 के खंड - 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं, तथा अध्याय - 8 के खंड -8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए समस्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

वर्ष 2020-21 की कैश बुक व बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ₹0 16,93,456-00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सरलादेवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री कमलेश कुशवाहा व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा के कार्य अवधि में रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्रामपंचायत -सिरसा वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- हरियावां धनराशि ₹0 15,11,970-00

प्रस्तर-40 वर्ष 2020-21 की प्रिया साफ्ट की रोकडबही के अनुसार ₹0 15,11,970-00 विभिन्न माहो के विभिन्न तिथियों में अहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जो कि महत्वपूर्ण था।

(1) राजकीय ऋण पंजिका (2) कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र (3) आय व्यय अभिलेख (4) सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका (5) भंडार सूची पंजिका (6) एजेंडा रजिस्टर (7) एम0 बी0 बुक (8) स्टॉक रजिस्टर (9) सामकेतिक सार रजिस्टर (10) समाशोधन विवरण पत्र (11) शासन से प्राप्त धनराशि एवं देय पंजिका (12) चल-अचल संपत्ति पंजिका (13) माँग समाहरण पंजिका (14) मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र, 22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मनुअल अध्याय - 8 के खंड - 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं, तथा अध्याय - 8 के खंड -8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए समस्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

वर्ष 2020-21 की कैश बुक व बैंक स्टेटमेंट के अनुसार रु0 15,11,970-00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती गंगादेवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री कमलेश कुशवाहा व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा के कार्य अवधि में रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है

ग्रामपंचायत -जरेली वर्ष 2020-21 विकासखण्ड- हरियावां धनराशि रु0 32,56,246-00

प्रस्तर-41 वर्ष 2020-21 की प्रिया साफ्ट की रोकडबही के अनुसार रु0 32,56,246-00 विभिन्न माहों के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जो कि महत्वपूर्ण था।

(1) राजकीय ऋण पंजिका (2) कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र (3) आय व्यय अभिलेख (4) सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका (5) भंडार सूची पंजिका (6) एजेंडा रजिस्टर (7) एम0 बी0 बुक (8) स्टॉक रजिस्टर (9) सामकेतिक सार रजिस्टर (10) समाशोधन विवरण पत्र (11) शासन से प्राप्त धनराशि एवं देय पंजिका (12) चल-अचल संपत्ति पंजिका (13) माँग समाहरण पंजिका (14) मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र, 22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मनुअल अध्याय - 8 के खंड - 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं, तथा अध्याय - 8 के खंड -8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुए समस्त धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

वर्ष 2020-21 की कैश बुक व बैंक स्टेटमेंट के अनुसार रु0 32,56,246-00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती निहारिका एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री कमलेश कुशवाहा व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा के कार्य अवधि में रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है

ग्राम पंचायत भरांव, वर्ष 2020-21 वि०ख०- टड़ियावाँ, धनराशि- रु0 12,21,054=00

प्रस्तर-42 वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत भरांव की लेखा परीक्षा के दौरान स्थिति प्रकाश में आयी कि वर्ष 2020-21 की ई-ग्राम स्वराज/ प्रिया सॉफ्टके अनुसार रु0 12,21,054=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे। यथा -

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख व कोषबही 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेन्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका

13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. मॉग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र, 22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मनुअल अध्याय- 8 के खण्ड- 7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" तथा अध्याय- 8 के खण्ड- 8 (क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2020-21 में व्यय की गयी कुल धनराशि रु0 12,21,054=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका बिना व्यय प्रमाणको के अपहरण हेतु तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती ईश्वरी देवी व गा0पं0अधि0/गा0वि0अधि0 श्री जितेन्द्र कुमार वर्मा अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं, जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों समय ब्याज के किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत बोझवा, वर्ष 2020-21

वि०ख०- टड़ियावाँ धनराशि-रु0 18,43,563=40

प्रस्तर-43 वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत बोझवा की लेखा परीक्षा के दौरान स्थिति प्रकाश में आयी कि वर्ष 2020-21 की ई-ग्राम स्वराज/ प्रिया सॉफ्टवेयर अनुसार रु0 18,43,563=40 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित करव्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे। यथा -

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख व कोषबही 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टाक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. मॉग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र, 22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मनुअल अध्याय- 8 के खण्ड- 7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" तथा अध्याय- 8 के खण्ड- 8 (क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2020-21 में व्यय की गयी कुल धनराशि रु0 18,43,563=40 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका बिना व्यय प्रमाणको के अपहरण हेतु तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अंजू वर्मा व गा0पं0अधि0/गा0वि0अधि0 श्री जीतेन्द्र कुमार अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं, जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों समय ब्याज के किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत जगरौली, वर्ष 2020-21 वि०ख०- टड़ियावाँ धनराशि-रु0 12,85,394=70

प्रस्तर-44 वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत जगरौली की लेखा परीक्षा के दौरान स्थिति प्रकाश में आयी कि वर्ष 2020-21 की ई-ग्राम स्वराज/ प्रिया सॉफ्टके अनुसार रु0 12,85,394=70 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित करव्यय किये गये है। ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धितव्यय प्रमाणक एवं निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये है जो कि महत्वपूर्ण थे। यथा -

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख व कोषबही 4. सार्वजनिक कार्यो का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टाक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र, 22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मनुअल अध्याय- 8 के खण्ड- 7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" तथा अध्याय- 8 के खण्ड- 8 (क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2020-21 में व्यय की गयी कुल धनराशिरु0 12,85,394=70 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये है, जिसका बिना व्यय प्रमाणको के अपहरण हेतु तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री देशराज व ग्रा0पं0अधि0/ग्रा0वि0अधि0 श्री अमर सिंह अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, संयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों समय ब्याज के किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत कालाआम ,वर्ष2020-21वि०ख०- टड़ियावाँ,धनराशि- रु0 7,04,218=20

प्रस्तर-45 वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत कालाआम की लेखा परीक्षा के दौरान स्थिति प्रकाश में आयी कि वर्ष 2020-21 की ई-ग्राम स्वराज/ प्रिया सॉफ्टके अनुसार रु0 7,04,218=20 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित करव्यय किये गये है। ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धितव्यय प्रमाणक एवं निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये है जो कि महत्वपूर्ण थे। यथा -

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख व कोषबही 4. सार्वजनिक कार्यो का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टाक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र, 22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मनुअल अध्याय- 8 के खण्ड- 7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" तथा अध्याय- 8 के खण्ड- 8 (क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2020-21 में व्यय की गयी कुल धनराशि रु 7,04,218=20 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका बिना व्यय प्रमानको के अपहरण हेतु तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अशोक कुमार बाजपेयी व गा0पं0अधि0/गा0वि0अधि0 श्री अमर सिंह अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, संयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों समय ब्याज के किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत कुआँमऊ सेमरौलीवर्ष2020-21,वि०ख०- टड़ियावाँ, धनराशि- रु 15,53,061=00

प्रस्तर-46 वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत कुआँमऊ सेमरौली की लेखा परीक्षा के दौरान स्थिति प्रकाश में आयी कि वर्ष 2020-21 के बैंक स्टेटमेंट के अनुसार रु 15,53,061=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित करव्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धितव्यय प्रमाणक एवं निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे। यथा -

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख व कोषबही 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. मॉग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र, 22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मनुअल अध्याय- 8 के खण्ड- 7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" तथा अध्याय- 8 के खण्ड- 8 (क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2020-21 में व्यय की गयी कुल धनराशि रु 15,53,061=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका बिना व्यय प्रमानको के अपहरण हेतु तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती विटोली व गा0पं0अधि0/गा0वि0अधि0 श्री अमर सिंह, श्री सत्येन्द्र सिंह अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, संयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों समय ब्याज के किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-साखिन रमुआपुर,वर्ष2020-21वि०ख०- टड़ियावाँ,धनराशि-रु 20,27,321=38

प्रस्तर-47 वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत साखिन रमुआपुर की लेखा परीक्षा के दौरान स्थिति प्रकाश में आयी कि वर्ष 2020-21 की ई-ग्राम स्वराज/ प्रिया सॉफ्टके अनुसार रु 20,27,321=38 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित करव्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धितव्यय प्रमाणक एवं निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे। यथा -

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख व कोषबही 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका

13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. मॉग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र, 22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मनुअल अध्याय- 8 के खण्ड- 7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" तथा अध्याय- 8 के खण्ड- 8 (क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2020-21 में व्यय की गयी कुल धनराशि रु0 20,27,321=38 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका बिना व्यय प्रमानको के अपहरण हेतु तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती प्रमिला सिंह व गा0पं0अधि0/गा0वि0अधि0 श्री जितेन्द्र कुमार अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, संयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों समय ब्याज के किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत टडियावाँ ,वर्ष2020-21वि०ख०- टडियावाँ, धनराशि-रु0 39,63,778=47

प्रस्तर-48वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत टडियावाँ की लेखा परीक्षा के दौरान स्थिति प्रकाश में आयी कि वर्ष 2020-21 की ई-ग्राम स्वराज/ प्रिया सॉफ्टके अनुसार रु0 39,63,778=47 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित करव्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धितव्यय प्रमाणक एवं निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे। यथा -

1.राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख व कोषबही 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10.सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. मॉग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र, 22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मनुअल अध्याय- 8 के खण्ड- 7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" तथा अध्याय- 8 के खण्ड- 8 (क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2020-21 में व्यय की गयी कुल धनराशि रु0 39,63,778=47 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका बिना व्यय प्रमानको के अपहरण हेतु तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अमित कुमार व गा0पं0अधि0/गा0वि0अधि0 श्री जितेन्द्र गुप्ता अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, संयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों समय ब्याज के किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -अन्धरावर्ष- 2020-21विकास खण्ड -सुरसा धनराशि - रु0 1746562-70

प्रस्तर-49 ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासाफ्ट पर उक्त अंकित/व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल/बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र,

प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टी आफ वक्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासाफ्ट के 8 प्रपत्र-प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं हैं। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों की सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासाफ्ट के अनुसार वर्ष 2020-21 में ₹0 1746562.70 व्यय दर्शित धनराशि गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि वर्तमान सचिवश्री संजय प्रताप व प्रधानश्रीमती जीनत बानोसे किया जाना अपेक्षित है।

गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरुद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु-7 के अनुसार संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत का है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु-7 अध्याय के बिन्दु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रतिवर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान आडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जायेगी।

ग्राम पंचायत -सरसैयावर्ष- 2020-21विकास खण्ड -सुरसा धनराशि - ₹0 1542584-00

प्रस्तर-50 ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासाफ्ट पर उक्त अंकित/व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल/बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टी आफ वक्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासाफ्ट के 8 प्रपत्र-प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं हैं। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों की सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासाफ्ट के अनुसार वर्ष 2020-21 में ₹0 1542584.00 व्यय दर्शित धनराशि गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि वर्तमान सचिवश्री होरी लाल व प्रधानश्री मान सिंहसे किया जाना अपेक्षित है ।

गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरुद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु-7 के अनुसार संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत का है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु-7 अध्याय के बिन्दु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रतिवर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान आडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जायेगी।

ग्राम पंचायत -सुरसावर्ष- 2020-21 विकास खण्ड - सुरसा धनराशि - ₹0 1806437-00

प्रस्तर-51 ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासाफ्ट पर उक्त अंकित/व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल/बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्ट्री आफ वर्क्स, विभिन्न समितियाँ जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासाफ्ट के 8 प्रपत्र-प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों की सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासाफ्ट के अनुसार वर्ष 2020-21 में ₹0 1806437.00 व्यय दर्शित धनराशि गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि वर्तमान सचिवश्री होरी लाल व प्रधानश्री बाबू रामसे किया जाना अपेक्षित है ।

गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरुद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु-7 के अनुसार संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत का है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु-7 अध्याय के बिन्दु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रतिवर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान आडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जायेगी।

ग्राम पंचायत -महुराकलावर्ष- 2020-21 विकास खण्ड - सुरसा धनराशि - ₹0 1558341-00

प्रस्तर-52

ग्राम पंचायत महराकला , विकास खण्ड सुरसा में वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त के प्रस्तुत अभिलेख कोषबही और बैंक स्टेटमेंट-निर्माण कार्यो पर हुये व्यय से सम्बन्धित प्रस्तुत पत्रावली में उपलब्ध बाउचरों के अनुसार कुल ₹0 15,58,341.00 का व्यय किया गया है। जिसमें ₹0 12,73,743.00 निर्माण सामग्री क्रय पर, ₹0 2,53,098.00 श्रम पर ₹0 31500.00 प्रधान मानदेय परव्यय हुआजिसमें से ₹0 88566.00 के प्रमाणक अप्राप्त रहे।

ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण सामग्री क्रय करने में हुए कुल व्यय ₹0 12,73,743.00 में उपलब्ध प्रमाणक के अनुसार ₹0 11,85,177.00 का भुगतान फर्मों द्वारा प्रस्तुत प्रमाणकों पर किया गया है। जिसमें निम्न न्यूनताये पायी गई हैं।

क) प्रमाणकों पर इन्वाइस न0 के साथ बिल न0. तथा अधिकांश प्रमाणकों पर दिनांक अंकित नहीं है जिससे इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी , कि सामान कब क्रय किया गया है।

ख) बिल के इन्वाइस न0 तथा अंकित धनराशियों पर ओवर राइटिंग कर प्रमाणक को अपने तरीके से ठीक कर बनाया गया है।

ग) उ0प्र0पं0 लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर-7 और उ0प्र0पं0रा0 नियमावली 1947 के नियम 202 के अन्तर्गत एक स्टॉक बुक रूप पत्र संख्या 25 में रखी जायेगी जिसमें फर्मों से क्रय सामग्री , स्टेशनरी स्टॉक, सार्वजनिक निर्माण कार्य का स्टॉक एवं डेड स्टॉक का लेखा किया जाय। लेकिन स्टॉक पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही।

घ) हैण्ड पम्प मरम्मत के सन्दर्भ में स्थल की सूची और हैण्डपम्प के लाभार्थियों के द्वारा हैण्डपम्प के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की माँग सम्बन्धी कोई प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके अभाव में यह जानकारी न हो सकी कि किन स्थलों के हैण्डपम्प खराब थे जिन पर उपर्युक्त धनराशि का व्यय सामग्री खरीद क्रय एवं श्रम पर किया गया है। फलतः दर्शाए गए व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

च) ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(5) भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक से किया जाय तथा समय पर आयकर विभाग एवं व्यापार कर विभाग द्वारा व्यापार कर (अबजी0एस0टी0) की कटौती सामान क्रय किए गए बिलों से सुनिश्चित की जाये परन्तु ऐसा नहीं किया गया है।

छ) लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत निर्माण कार्य पत्रावली में जो मस्टर रोल, प्राप्त हुये हैं, के अवलोकन में निम्न कमियां प्रकाश में आयी।

1. किसी भी मस्टर रोल पर कराये गये कार्य की कार्य अवधि नहीं अंकित है कि काम किस दिनांक से किस दिनांक तक कराया गया है । किया गया भुगतान अपुष्ट रहा।

2. मस्टर रोल पर श्रमिकों की निशानी अंगूठा प्रमाणित नहीं है। पूर्व तथा प्रस्तुत प्रमाणक पर भुगतान करने से पूर्व पूर्ण प्रविष्टियां अंकित नहीं की गयी हैं, तथा प्रमाणक नियमानुसार तैयार नहीं किया गया है।

ज) किसी भी कराये गये कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा फलतः कार्य पूर्ण, अपूर्ण की स्थिति अज्ञात रही।

झ) (1) ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-7(4) एवं शासनादेश सं0 ए-1-864/दस-08-15(1)/86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुसार कोटेशन से क्रय ₹0 20,000.00 से अधिक तथा ₹0 1,00,000.00 तक की सामग्री का क्रय कोटेशन के आधार पर किया जायेगा।

(2) ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-7 के खण्ड 5(1) एवं शासनादेश सं0 ए-1-864/दस-08-15(1)/86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुसार निविदा क्रय ₹0 1,00,000.00 के ऊपर की सामग्री का क्रय निविदा आमंत्रित करते हुये किया जायेगा।

उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत में वर्ष 2020-21 में हुए कुल व्यय ₹0 15,58,341.00 के सापेक्ष उपलब्ध प्रमाणक के सापेक्ष (15,58,341.00-88,566.00) ₹0 14,69,775.00 का भुगतान अनियमित रहा। जिसके लिये ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सत्येन्द्र कुमार शर्मा तथा प्रधान श्रीमती रामवती उत्तरदायी हैं।

2. वर्ष 2020-21 में सामग्री क्रय पर कुल व्यय ₹0 12,73,743.00 में ₹0 88,566.00 के व्यय प्रमाणक मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे।

क्र0	दिनांक	फर्म का नाम	धनराशि

1.	15.07.2020	लक्ष्मी ब्रिक फील्ड	रु0 4566.00
2.	25.11.2020	आर0 एन0 ट्रेडर0 (सोलर लाइट क्रय)	रु0 64000.00
3.	19.03.2021	आर0 एस0 ट्रेडिंग कम्पनी	रु0 20000.00

पंचायत राज विभाग द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड- 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ” का अनुपालन नहीं किया गया। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 के अनुसार “यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत तथा ग्राम प्रधान से संयुक्त रूप से की जायेगी” के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

अतः उपरोक्त प्रमाणक विहिन व्यय रु0 88,566.00 अपहृत धनराशि वसूली ब्याज सहित सचिव सत्येन्द्र कुमार शर्मा तथा प्रधान श्रीमती रामवती से आधी-आधी धनराशि प्रत्येक से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -नेवादावर्ष- 2020-21 विकास खण्ड - सुरसा धनराशि - रु0 762034-00

प्रस्तर-53 ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासाफ्ट पर उक्त अंकित/व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल/बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्ट्री आफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासाफ्ट के 8 प्रपत्र-प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं हैं। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों की सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासाफ्ट के अनुसार वर्ष 2020-21 में रु0 762034.00 व्यय दर्शित धनराशि गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि वर्तमान सचिवश्री होरी लाल व प्रधानश्रीमती सीमा देवी से किया जाना अपेक्षित है।

गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरुद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु-7 के अनुसार संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत का है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु-7 अध्याय के बिन्दु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रतिवर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान आडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जायेगी।

ग्राम पंचायत -कोईलरा वर्ष- 2020-21 विकास खण्ड -बिलग्राम धनराशि - रु0 1261224-00

प्रस्तर-54 ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासाफ्ट पर उक्त अंकित/व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल/बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टी आफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासाफ्ट के 8 प्रपत्र-प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों की सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासाफ्ट के अनुसार वर्ष 2020-21 में ₹0 1261224.00 व्यय दर्शित धनराशि गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि वर्तमान सचिव श्री राजेश मिश्रा व प्रधान श्रीमती जय देवी से किया जाना अपेक्षित है।

गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरुद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु-7 के अनुसार संप्रक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत का है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु-7 अध्याय के बिन्दु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रक्षण अनिवार्य रूप से प्रतिवर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान आडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जायेगी।

ग्राम पंचायत -बैफरियावर्ष- 2020-21विकास खण्ड -बिलग्राम धनराशि - ₹0 193500-00

प्रस्तर-55 ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासाफ्ट पर उक्त अंकित/व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल/बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टी आफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासाफ्ट के 8 प्रपत्र-प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों की सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासाफ्ट के अनुसार वर्ष 2020-21 में ₹0 193500.00 व्यय दर्शित धनराशि गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि वर्तमान सचिव श्री राजेश मिश्रा व प्रधानश्रीमती अनीता यादवसे किया जाना अपेक्षित है।

गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरुद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु-7 के अनुसार संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत का है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु-7 अध्याय के बिन्दु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रतिवर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान आडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जायेगी।

ग्राम पंचायत - बरगावाँ वर्ष -2020-21 विकास खण्ड -बिलग्राम धनराशि - ₹0 1598421-00

प्रस्तर-56 ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासाफ्ट पर उक्त अंकित/व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल/बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टी आफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासाफ्ट के 8 प्रपत्र-प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों की सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासाफ्ट के अनुसार वर्ष 2020-21 में ₹0 1598421.00 व्यय दर्शित धनराशि गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि वर्तमान सचिव श्री राजेश मिश्रा व प्रधानश्रीमती गीता यादव से किया जाना अपेक्षित है।

गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरुद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु-7 के अनुसार संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत का है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु-7 अध्याय के बिन्दु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रतिवर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान आडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जायेगी।

ग्राम पंचायत -बेहटी खुर्दवर्ष-2020-21 विकास खण्ड -बिलग्राम धनराशि - ₹0604280-00

प्रस्तर-57 ग्राम पंचायत के द्वारा रोकड़बही एवं बैंक विवरण पत्र पर उक्त अंकित व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल/बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टी आफ वार्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासाफ्ट के 8 प्रपत्र-प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों की सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़बही एवं बैंक विवरण पत्र के अनुसार वर्ष 2020-21 में ₹0 604280.00 व्यय दर्शित धनराशि गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि वर्तमान सचिवश्री शिवओम बाजपेयी व प्रधानश्री हरीशंकर से किया जाना अपेक्षित है।

गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरुद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु-7 के अनुसार संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत का है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु-7 अध्याय के बिन्दु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रतिवर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान आडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जायेगी।

ग्राम पंचायत - भैरमपुर वर्ष- 2020-21 विकास खण्ड -बिलग्राम धनराशि - ₹0 1127491-00

प्रस्तर-58 ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासाफ्ट पर उक्त अंकित/व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल/बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टी आफ वार्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासाफ्ट के 8 प्रपत्र-प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों की सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली

ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासाफ्ट के अनुसार वर्ष 2020-21 में ₹0 1127491.00 व्यय दर्शित धनराशि गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि वर्तमान सचिव श्री राजेश मिश्रा व प्रधानश्री उदय प्रताप सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरुद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु-7 के अनुसार संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत का है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु-7 अध्याय के बिन्दु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रतिवर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान आडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जायेगी।

ग्राम पंचायत - चाँदपुरवर्ष- 2020-21 विकास खण्ड -बिलग्राम धनराशि - ₹0850460-00

प्रस्तर-59 ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासाफ्ट पर उक्त अंकित/व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आर्डर, एमओबी, कैशबुक, पासबुक, बिल/बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टी आफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासाफ्ट के 8 प्रपत्र-प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों की सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासाफ्ट के अनुसार वर्ष 2020-21 में ₹0 850460.00 व्यय दर्शित धनराशि गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि वर्तमान सचिव श्री राजेश मिश्रा व प्रधानश्री रनवीरसे किया जाना अपेक्षित है।

गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरुद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु-7 के अनुसार संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत का है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु-7 अध्याय के बिन्दु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रतिवर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान आडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जायेगी।

ग्राम पंचायत -चैधरियापुरवर्ष- 2020-21 विकास खण्ड -बिलग्राम धनराशि - ₹0 2573938-00

प्रस्तर-60 ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासाफ्ट पर उक्त अंकित/व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल/बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टी आफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासाफ्ट के 8 प्रपत्र-प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों की सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासाफ्ट के अनुसार वर्ष 2020-21 में ₹0 2573938.00 व्यय दर्शित धनराशि गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि वर्तमान सचिवश्री राजेश मिश्रा एवं श्रीमती भावना सिंह प्रधान श्री सतीश से किया जाना अपेक्षित है।

गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरुद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु-7 के अनुसार संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत का है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु-7 अध्याय के बिन्दु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रतिवर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान आडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जायेगी।

ग्राम पंचायत -धाधामऊ नेकपुर वर्ष- 2020-21विकास खण्ड -बिलग्राम धनराशि - ₹0 1828446-00

प्रस्तर-61 ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासाफ्ट पर उक्त अंकित/व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल/बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टी आफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासाफ्ट के 8 प्रपत्र-प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों की सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासाफ्ट के अनुसार वर्ष 2020-21 में ₹0 1828446.00 व्यय दर्शित धनराशि गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि वर्तमान सचिवश्री अवधेश कुमार एवं श्री सुशील कुमार व प्रधान श्रीमती नीतू सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरुद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु-7 के अनुसार संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत का है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु-7 अध्याय के बिन्दु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रतिवर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान आडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जायेगी।

ग्राम पंचायत -धौधी वर्ष- 2020-21 विकास खण्ड -बिलग्राम धनराशि - ₹0 3240688-00

प्रस्तर-62 ग्राम पंचायत के द्वारा रोकड़बही एवं बैंक विवरण पत्र पर उक्त अंकितव्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल/बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टी आफवर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासाफ्ट के 8 प्रपत्र-प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्त व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं हैं। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों की सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़बही एवं बैंक विवरण पत्र के अनुसार वर्ष 2020-21 में ₹0 3240688.00 व्यय दर्शित धनराशि गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि वर्तमान सचिव श्री शिवओम बाजपेयी व प्रधान श्री शेष कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरुद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु-7 के अनुसार संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत का है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु-7 अध्याय के बिन्दु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रतिवर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान आडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जायेगी।

ग्राम पंचायत - दुर्गागंजवर्ष- 2020-21 विकास खण्ड -बिलग्राम धनराशि - ₹0 4037515-00

प्रस्तर-63 ग्राम पंचायत के द्वारा रोकड़बही एवं बैंक विवरण पत्र पर उक्त अंकित व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल/बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टी आफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासाफ्ट के 8 प्रपत्र-प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टाक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं हैं। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों की सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़बही एवं बैंक विवरण पत्र के अनुसार वर्ष 2020-21 में ₹0 4037515.00 व्यय दर्शित धनराशि गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि वर्तमान सचिव श्री शिवओम बाजपेयी व प्रधान श्रीमती/श्री ज्योत्सना से किया जाना अपेक्षित है।

गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरुद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु-7 के अनुसार संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत का है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु-7 अध्याय के बिन्दु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रतिवर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान आडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जायेगी।

ग्राम पंचायत - गुजरई वर्ष- 2020-21 विकास खण्ड -बिलग्राम धनराशि - ₹0 989583-00

प्रस्तर-64 ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासाफ्ट पर उक्त अंकित/व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल/बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टी आफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासाफ्ट के 8 प्रपत्र-प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टाक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं हैं। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों की सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासाफ्ट के अनुसार वर्ष 2020-21 में ₹0 989583.00 व्यय दर्शित धनराशि गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि वर्तमान सचिव श्री राजेश मिश्रा एवं श्रीमती भावना सिंह व प्रधानश्री कृष्ण कुमारसे किया जाना अपेक्षित है।

गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरुद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु-7 के अनुसार संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत का है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु-7 अध्याय के बिन्दु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रतिवर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान आडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जायेगी।

ग्राम पंचायत -हसनापुर मुरौली वर्ष- 2020-21 विकास खण्ड -बिलग्राम धनराशि - ₹01935002-00

प्रस्तर-65 ग्राम पंचायत के द्वारा रोकड़बही एवं बैंक विवरण पत्र पर उक्त अंकित व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल/बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्ट्री आफवर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासाफ्ट के 8 प्रपत्र-प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों की सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़बही एवं बैंक विवरण पत्र के अनुसार वर्ष 2020-21 में ₹0 1935002.00 व्यय दर्शित धनराशि गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि वर्तमान सचिव श्री शिवओम बाजपेयी व प्रधानश्री अनूप से किया जाना अपेक्षित है।

गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरुद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु-7 के अनुसार संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत का है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु-7 अध्याय के बिन्दु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रतिवर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान आडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जायेगी।

ग्राम पंचायत -जलालपुरवर्ष- 2020-21 विकास खण्ड -बिलग्राम धनराशि - रु0 1670469-00

प्रस्तर-66 ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासाफ्ट पर उक्त अंकित/व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल/बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टी आफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासाफ्ट के 8 प्रपत्र-प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों की सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासाफ्ट के अनुसार वर्ष 2020-21 में रु0 1670469.00 व्यय दर्शित धनराशि गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि वर्तमान सचिव श्री अवधेश कुमार एवं श्री शिवओम बाजपेयी व प्रधानश्री शेर सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरुद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु-7 के अनुसार संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत का है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु-7 अध्याय के बिन्दु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रतिवर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान आडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जायेगी।

ग्राम पंचायत -जरौली रैपुरावर्ष- 2020-21 विकास खण्ड -बिलग्राम धनराशि - रु0 3164697-00

प्रस्तर-67 ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासाफ्ट पर उक्त अंकित/व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल/बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टी आफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासाफ्ट के 8 प्रपत्र-प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों की सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासाफ्ट के अनुसार वर्ष 2020-21 में ₹0 3164697.00 व्यय दर्शित धनराशि गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि वर्तमान सचिव श्री राजेश मिश्रा व प्रधान श्रीमती रेशमा से किया जाना अपेक्षित है।

गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरुद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु-7 के अनुसार संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत का है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु-7 अध्याय के बिन्दु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रतिवर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान आडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जायेगी।

ग्राम पंचायत - ककरा खेड़ा वर्ष- 2020-21 विकास खण्ड -बिलग्राम धनराशि - ₹0 1050055-00

प्रस्तर-68 ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासाफ्ट पर उक्त अंकित/व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल/बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्ट्री आफवर्क्स, विभिन्न समितियाँ जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासाफ्ट के 8 प्रपत्र-प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों की सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासाफ्ट के अनुसार वर्ष 2020-21 में ₹0 1050055.00 व्यय दर्शित धनराशि गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि वर्तमान सचिव श्री शिवओम बाजपेयी व प्रधान श्रीमती उषा देवी से किया जाना अपेक्षित है।

गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरुद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु-7 के अनुसार संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत का है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु-7 अध्याय के बिन्दु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रतिवर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान आडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जायेगी।

ग्राम पंचायत - कटरी बिलुहीवर्ष- 2020-21 विकास खण्ड -बिलग्राम धनराशि - ₹0 713800-00

प्रस्तर-69 ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासाफ्ट पर उक्त अंकित/व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल/बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टी आफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासाफ्ट के 8 प्रपत्र-प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं हैं। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों की सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासाफ्ट के अनुसार वर्ष 2020-21 में ₹0 713800.00 व्यय दर्शित धनराशि गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि वर्तमान सचिवश्री अवधेश कुमार एवं श्री शिवओम बाजपेयी व प्रधान श्रीमती सुमित्रा से किया जाना अपेक्षित है ।

गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरुद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु-7 के अनुसार संप्रक्षेपण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत का है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु-7 अध्याय के बिन्दु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रक्षेपण अनिवार्य रूप से प्रतिवर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान आडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जायेगी।

ग्राम पंचायत -पन्योडी वर्ष- 2020-21 विकास खण्ड -बिलग्राम धनराशि - ₹0 1993078-00

प्रस्तर-70 ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासाफ्ट पर उक्त अंकित/व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल/बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टी आफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासाफ्ट के 8 प्रपत्र-प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं हैं। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों की सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासाफ्ट के अनुसार वर्ष 2020-21 में ₹0 1993078.00 व्यय दर्शित धनराशि गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि वर्तमान सचिवश्री अवधेश कुमार एवं श्री ज्ञानेश कुमार व प्रधानश्री बाबूराम से किया जाना अपेक्षित है।

गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरुद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु-7 के अनुसार संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत का है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु-7 अध्याय के बिन्दु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रतिवर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान आडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जायेगी।

ग्राम पंचायत -सढियापुरवर्ष- 2020-21 विकास खण्ड -बिलग्राम धनराशि - ₹0 2498711-00

प्रस्तर-71 ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासाफ्ट पर उक्त अंकित/व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल/बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्ट्री आफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासाफ्ट के 8 प्रपत्र-प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों की सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासाफ्ट के अनुसार वर्ष 2020-21 में ₹0 2498711.00 व्यय दर्शित धनराशि गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि वर्तमान सचिव श्री राजेश मिश्रा व प्रधान श्रीमती उमा देवी से किया जाना अपेक्षित है।

गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरुद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु-7 के अनुसार संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत का है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु-7 अध्याय के बिन्दु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रतिवर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान आडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जायेगी।

ग्राम पंचायत -सखेड़ावर्ष- 2020-21 विकास खण्ड -बिलग्राम धनराशि - ₹0 1602514-00

प्रस्तर-72 ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासाफ्ट पर उक्त अंकित/व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल/बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टी आफवर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासाफ्ट के 8 प्रपत्र-प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों की सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासाफ्ट के अनुसार वर्ष 2020-21 में ₹0 1602514.00 व्यय दर्शित धनराशि गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि वर्तमान सचिव श्री शिवओम बाजपेयी व प्रधान श्री इरम सुलेमानसे किया जाना अपेक्षित है।

गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरुद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु-7 के अनुसार संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत का है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु-7 अध्याय के बिन्दु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रतिवर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान आडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जायेगी।

ग्राम पंचायत -गुरौलीवर्ष- 2020-21 विकास खण्ड -बिलग्राम धनराशि - ₹0574000-00

प्रस्तर-73 ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासाफ्ट पर उक्त अंकित/व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल/बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टी आफवर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासाफ्ट के 8 प्रपत्र-प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों की सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासाफ्ट के अनुसार वर्ष 2020-21 में ₹0 574000.00 व्यय दर्शित धनराशि गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि वर्तमान सचिव श्री शिवओम बाजपेई व प्रधान श्रीमती राजेश्वरी से किया जाना अपेक्षित है।

गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरुद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु-7 के अनुसार संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत का है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु-7 अध्याय के बिन्दु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रतिवर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान आडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जायेगी।

ग्राम पंचायत -म्यौरावर्ष- 2020-21 विकास खण्ड -बिलग्राम धनराशि - ₹0 1854461-00

प्रस्तर-74 ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासाफ्ट पर उक्त अंकित/व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आईडी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल/बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टी आफ क्, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासाफ्ट के 8 प्रपत्र-प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों की सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासाफ्ट के अनुसार वर्ष 2020-21 में ₹0 1854461.00 व्यय दर्शित धनराशि गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि वर्तमान सचिव श्री राजेश मिश्रा व प्रधान श्रीमती जमुना देवी से किया जाना अपेक्षित है।

गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरुद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु-7 के अनुसार संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत का है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु-7 अध्याय के बिन्दु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रतिवर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान आडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जायेगी।

ग्राम पंचायत:-मगरापुर वर्ष:- 2020-21 विकासखंड:-पिहानी धनराशि:- ₹0 813453=00

प्रस्तर:-75 वर्ष 2020-21 में प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत मगरापुर में ₹0 813453=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र, 22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2020-21 के अनुसार ₹0 813453=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती स्नेहलता व ग्रा0पं0अधि0/ग्रा0वि0अधि0 श्री राजेश कुमार व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं, जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत:-अम्बारी वर्ष:- 2020-21 विकासखंड:-पिहानी धनराशि:- ₹0 1230603=00

प्रस्तर:-76 वर्ष 2020-21 में प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत अम्बारी में ₹0 1230603=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र, 22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2020-21 के अनुसार ₹0 1230603=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री कृष्ण कुमार सिंह व ग्रा0पं0अधि0/ग्रा0वि0अधि0 श्री राजेश कुमार व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं, जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत:-सलेमपुर वर्ष:- 2020-21 विकासखंड:-पिहानी धनराशि:- ₹0 418645=00

प्रस्तर:-77 वर्ष 2020-21 में प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत सलेमपुर में ₹0 418645=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र, 22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड8(क)के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष2020-21के अनुसार रु०418645=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अनिल कुमार व ग्रा०पं०अधि०/ग्रा०वि०अधि० श्री राजेश कुमार व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं, जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत:-मनिकापुर वर्ष:- 2020-21 विकासखंड:-पिहानी धनराशि:-रु० 1065628=00

प्रस्तर:-78 वर्ष2020-21 मे प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत मनिकापुर में रु० 1065628=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1.राजकीय ऋण पंजिका2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र3. आय व्यय अभिलेख4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका5. भण्डार सूची पंजिका6. एजेण्डा रजिस्टर7. एम०बी०बुक8. स्टॉक रजिस्टर9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट10.सामकेतिक सार रजिस्टर11. समाशोधन विवरण पत्र12. प्राप्त एवं देय पंजिका13. अचल सम्पत्ति पंजिका14. चल सम्पत्ति पंजिका15. माँग समाहरण पंजिका16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका(रूप पत्र, 22)आदि।

पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड8(क)के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष2020-21के अनुसार रु०1065628=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती छोटक्की व ग्रा०पं०अधि०/ग्रा०वि०अधि० श्री राजेश कुमार व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं, जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत:-हन्नपसिगवांवर्ष:- 2020-21 विकासखंड:-पिहानी धनराशि:- रु० 1396399=00

प्रस्तर:-79वर्ष2020-21 मे प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत हन्नपसिगवां में रु० 1396399=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1.राजकीय ऋण पंजिका2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र3. आय व्यय अभिलेख4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका5. भण्डार सूची पंजिका6. एजेण्डा रजिस्टर7. एम०बी०बुक8. स्टॉक रजिस्टर9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट10.सामकेतिक सार रजिस्टर11. समाशोधन विवरण पत्र12. प्राप्त एवं देय पंजिका13. अचल सम्पत्ति पंजिका14. चल सम्पत्ति पंजिका15. माँग समाहरण पंजिका16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका(रूप पत्र, 22)आदि।

पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड8(क)के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष2020-21के अनुसार रु०1396399=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती निर्मला व ग्रा०पं०अधि०/ग्रा०वि०अधि० श्री अजय प्रताप व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं, जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत:-हिन्दू नगर वर्ष:- 2020-21 विकासखंड:-पिहानीधन राशि:- रु० 2741088=00

प्रस्तर:-80 वर्ष 2020-21 में प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत हिन्दू नगर में रु0 2741088=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र, 22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2020-21 के अनुसार रु0 2741088=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती शीला देवी व ग्रा0पं0अधि0/ग्रा0वि0अधि0 श्री प्रदीप कुमार व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हों, सयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं, जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत:-रसूलपुर वर्ष:- 2020-21 विकासखंड:-पिहानी धनराशि:- रु0 2974951=00

प्रस्तर:-81 वर्ष 2020-21 में प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत रसूलपुर में रु0 2974951=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. माँग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र, 22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2020-21 के अनुसार रु0 2974951=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री कुबेर व ग्रा0पं0अधि0/ग्रा0वि0अधि0 श्री राजेश कुमार व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हों, सयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं, जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -बघौड़ा वर्ष- 2020-21 विकास खण्ड- कछौना धनराशि-1491230.00

प्रस्तर:-82 वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत बघौड़ा में प्रिया सॉफ्ट के अनुसार रु0 1491230=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. चल/अचल सम्पत्ति पंजिका 14. माँग समाहरण पंजिका 15. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र, 22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2020-21 के अनुसार रु0 1491230=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता व ग्रा0पं0अधि0/ग्रा0वि0अधि0 श्री अरविन्द कुमार व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्रामपंचायत -पुरवा वर्ष- 2020-21 विकास खण्ड-कछौना धनराशि-3167603.00

प्रस्तर:-83वर्ष 2020-21 मे ग्राम पंचायत पुरवा मे प्रिया सॉफ्ट के अनुसार रु0 3167603=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये है। ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये है जो कि महत्वपूर्ण थे।

1.राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10.सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. चल/अचल सम्पत्ति पंजिका 14. माँग समाहरण पंजिका 15. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र, 22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2020-21 के अनुसार रु0 3167603=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मती सुमन व ग्रा0पं0अधि0/ग्रा0वि0अधि0 श्री राजेश कुमार त्यागी व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्रामपंचायत -शमशपुर वर्ष -2020 -21 विकास खण्ड- कछौना धनराशि-2776605.00

प्रस्तर:-84वर्ष 2020-21 मे ग्राम पंचायत शमशपुर मे प्रिया सॉफ्ट के अनुसार रु0 2776605=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये है। ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये है जो कि महत्वपूर्ण थे।

1.राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10.सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. चल/अचल सम्पत्ति पंजिका 14. माँग समाहरण पंजिका 15. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र, 22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2020-21 के अनुसार रु0 2776605=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मती साजिदा व ग्रा0पं0अधि0/ग्रा0वि0अधि0 श्री विवेक कुमार सिंह त्यागी व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्रामपंचायत -पतसेनी देहात वर्ष 2020-21 विकास खण्ड- कछौना धनराशि-2763334=00

प्रस्तर:-85वर्ष 2020-21 मे ग्राम पंचायत पतसेनी देहात मे प्रिया सॉफ्ट के अनुसार रु0 2763334=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये है। ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये है जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. चल/अचल सम्पत्ति पंजिका 14. मॉग समाहरण पंजिका 15. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र, 22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2020-21 के अनुसार रु0 2763334=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री शिवपाल व ग्रा0पं0अधि0/ग्रा0वि0अधि0 श्री प्रवीन कुमार द्वितीय व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, संयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्रामपंचायत - त्योरी मतुआ वर्ष -2020-21 विकास खण्ड- कछौना धनराशि-2115061=00

प्रस्तर:-86 वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत त्योरी मतुआ में प्रिया सॉफ्ट के अनुसार रु0 2115061=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. चल/अचल सम्पत्ति पंजिका 14. मॉग समाहरण पंजिका 15. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र, 22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2020-21 के अनुसार रु0 2115061=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मती कंचन व ग्रा0पं0अधि0/ग्रा0वि0अधि0 श्री संतोष कुमार त्यागी व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, संयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्रामपंचायत - बरवा सरसण्ड वर्ष -2020 -21 विकास खण्ड- कछौना धनराशि-2409287=00

प्रस्तर:-87 वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत बरवा सरसण्ड में कैशबुक के अनुसार रु0 2409287=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. चल/अचल सम्पत्ति पंजिका 14. मॉग समाहरण पंजिका 15. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र, 22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2020-21 के अनुसार रु0 2409287=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री महेन्द्र कुमार व ग्रा0पं0अधि0/ग्रा0वि0अधि0 श्री संतोष कुमार

व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्रामपंचायत - जनिगाँव वर्ष -2020-21 विकास खण्ड- कोथावां धनराशि-रु0 3907927=00

प्रस्तर:-88 वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत जनिगाँव में प्रिया सॉफ्ट के अनुसार रु0 3907927=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. चल/अचल सम्पत्ति पंजिका 14. माँग समाहरण पंजिका 15. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र, 22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2020-21 के अनुसार रु0 3907927=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रामवेटी व ग्रा0पं0अधि0/ग्रा0वि0अधि0 श्री राजेश कुमार व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्रामपंचायत -जुगराजपुर वर्ष -2020 -21 विकास खण्ड-कोथावां धनराशि-1339260=00

प्रस्तर:-89 वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत जुगराजपुर में प्रिया सॉफ्ट के अनुसार रु0 1339260=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो कि महत्वपूर्ण थे।

1. राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टॉक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिपोर्ट 10. सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एवं देय पंजिका 13. चल/अचल सम्पत्ति पंजिका 14. माँग समाहरण पंजिका 15. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र, 22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2020-21 के अनुसार रु0 1339260=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मुन्नी व ग्रा0पं0अधि0/ग्रा0वि0अधि0 श्री राजेश कुमार व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - अमिरता मरकड़ा ,वर्ष -2020 -21 विकास खंड - भरखनी धनराशि-रु०696849.00

प्रस्तर:-90 प्रियासॉफ्ट कैशबुक वित्तीय वर्ष 2020-21 अनुसार, वर्ष 2020-21 में कुल रु० 696849.00 विभिन्न माहों की विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं । ग्राम पंचायत अधिकारी / ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से संबंधित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जो की महत्वपूर्ण थे

1- राजकीय ऋण पंजिका 2- कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3- आय -व्यय अभिलेख 4- सार्वजनिक कार्यों की मानचित्र पंजिका 5- भंडार सूची पंजिका 6- एजेंडा रजिस्टर 7- एम०बी०बुक 8- स्टॉक रजिस्टर 9- आन्तरिक संप्रेक्षण रिपोर्ट 10- समकेतिक सार रजिस्टर 11- समाशोधन विवरण पत्र 12- प्राप्त एवं देय पंजिका 13- अचल

संपत्ति पंजिका 14- चल सम्पत्ति पंजिका 15- मांग समाहरण पंजिका 16- मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र 22) आदि ।

पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिंदु 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा ।

इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में आहरित की गयी कुल धनराशि रु० 696849.00 के अपहरण के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बुद्धपाल सिंह व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विकास अग्निहोत्री तथा अन्य संबंधित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा अवधि में रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं । जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत - बहोरा वर्ष 2020-21 विकास खंड - भरखनी धनराशि-रु०979065.00

प्रस्तर:-91 प्रियासॉफ्ट कैशबुक वित्तीय वर्ष 2020-21 अनुसार, वर्ष 2020-21 में कुल रु० 979065.00 विभिन्न माहों की विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं । ग्राम पंचायत अधिकारी / ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखापरीक्षा में उक्त से संबंधित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जो की महत्वपूर्ण थे 1- राजकीय ऋण पंजिका 2- कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3- आय -व्यय अभिलेख 4- सार्वजनिक कार्यों की मानचित्र पंजिका 5- भंडार सूची पंजिका 6- एजेंडा रजिस्टर 7- एम०बी०बुक 8- स्टॉक रजिस्टर 9- आन्तरिक संप्रेक्षण रिपोर्ट 10- समकेतिक सार रजिस्टर 11- समाशोधन विवरण पत्र 12- प्राप्त एवं देय पंजिका 13- अचल संपत्ति पंजिका 14- चल सम्पत्ति पंजिका 15- मांग समाहरण पंजिका 16- मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र 22) आदि ।

पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिंदु 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा ।

इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में आहरित की गयी कुल धनराशि रु० 979065.00 के अपहरण के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री हरिनाथ व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पदम् कुमार पाठक तथा अन्य संबंधित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा अवधि में रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं । जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत - कमालपुर वर्ष 2020-21 विकास खंड - भरखनी धनराशि-रु०2743170.00

प्रस्तर:-92 प्रियासॉफ्ट कैशबुक वित्तीय वर्ष 2020-21 अनुसार, वर्ष 2020-21 में कुल रु० 2743170.00 विभिन्न माहों की विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं । ग्राम पंचायत अधिकारी / ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखापरीक्षा में उक्त से संबंधित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जो की महत्वपूर्ण थे 1-राजकीय ऋण पंजिका 2- कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3- आय -व्यय अभिलेख 4- सार्वजनिक कार्यों की मानचित्र पंजिका 5- भंडार सूची पंजिका 6- एजेंडा रजिस्टर 7- एम०बी०बुक 8- स्टॉक रजिस्टर 9- आन्तरिक संप्रेक्षण रिपोर्ट 10- समकेतिक सार रजिस्टर 11- समाशोधन विवरण पत्र 12- प्राप्त एवं देय पंजिका 13- अचल संपत्ति पंजिका 14- चल सम्पत्ति पंजिका 15- मांग समाहरण पंजिका 16- मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र 22) आदि ।

पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिंदु 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा ।

इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में आहरित की गयी कुल धनराशि रु० 2743170.00 के अपहरण के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमतीमुन्नी देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कौशलेश सिंह तथा अन्य संबंधित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा अवधि में रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं । जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित हैं ।

ग्राम पंचायत - बाबरपुर वर्ष -2020-21 विकास खंड - भरखनी धनराशि-रु०2639989.00

प्रस्तर:-93

1- ग्राम पंचायत - बाबरपुर, विकास खंड - भरखनी , हरदोई की प्रियासॉफ्ट कैशबुक वित्तीय वर्ष 2020-21 अनुसार, वर्ष 2020-21 में कुल रु० 2639989.00 विभिन्न माहों की विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं । ग्राम पंचायत अधिकारी / ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखापरीक्षा में उक्त से संबंधित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जो की महत्वपूर्ण थे -

2-राजकीय ऋण पंजिका 2- कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3- आय -व्यय अभिलेख 4- सार्वजनिक कार्यों की मानचित्र पंजिका 5- भंडार सूची पंजिका 6- एजेंडा रजिस्टर 7- एम०बी०बुक 8- स्टॉक रजिस्टर 9- आन्तरिक संप्रेक्षण रिपोर्ट 10- समकेतिक सार रजिस्टर 11- समाशोधन विवरण पत्र 12- प्राप्त एवं देय पंजिका 13- अचल संपत्ति पंजिका 14- चल सम्पत्ति पंजिका 15- मांग समाहरण पंजिका 16- मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र 22) आदि ।

पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिंदु 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता हैं तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा ।

इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में आहरित की गयी कुल धनराशि रु० 2639989.00 के अपहरण के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती गुड्डी देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुरेश यादव तथा अन्य संबंधित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा अवधि में रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं । जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित हैं ।

प्रारूप-4
जनपद -लखीमपुर

ग्राम पंचायत – केशवापुरखुर्द

विकास खण्ड- धौरहरा

वर्ष – 2020-21

प्रस्तर-01

ग्राम पंचायत **केशवापुरखुर्द** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	05-06-2020	21100.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
2-	18-06-2020	19486.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
3-	03-07-2020	9500.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
4-	06-09-2020	29615.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
5-	06-09-2020	28800.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
6-	28-09-2020	20900.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
7-	06-11-2020	20350.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
8-	09-12-2020	17186.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
9-	11-12-2020	17186.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
10-	12-12-2020	15100.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
11-	24-12-2020	3400.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
	योग –	202623.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, हैण्डपम्प खराब होने की सूचना, आई०डी० का पत्र, जल निगम की स्वीकृति, कोटेशन, निविदा, हैण्डपम्प स्थलों की सूची तथा लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट आदि स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹० **202623.00** में से 50% ₹० **101311.50** ग्राम प्रधान **श्री मिश्रीलाल** से तथा शेष 50% ₹० **101311.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री राजेश वर्मा** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-02

ग्राम पंचायत **केशवापुरखुर्द** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **कूड़ादान/डस्टबिन/स्वच्छता** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	27-10-2020	9000.00	डस्टबिन स्थापना कार्य
2-	27-10-2020	4500.00	डस्टबिन स्थापना कार्य
3-	12-11-2020	9000.00	डस्टबिन स्थापना कार्य
4-	12-11-2020	13500.00	डस्टबिन स्थापना कार्य
5-	12-11-2020	18000.00	डस्टबिन स्थापना कार्य
6-	13-11-2020	9000.00	डस्टबिन स्थापना कार्य
7-	13-11-2020	9000.00	डस्टबिन स्थापना कार्य

8-	13-11-2020	13500.00	डस्टबिन स्थापना कार्य
9-	13-11-2020	13500.00	डस्टबिन स्थापना कार्य
योग -		99000.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि, स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **कूड़ादान/डस्टबिन/स्वच्छता** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि **रु० 99000.00** में से 50% **रु० 49500.00** ग्राम प्रधान **श्री मिश्रीलाल** से तथा शेष 50% **रु० 49500.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री राजेश वर्मा** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-03 ग्राम पंचायत **केशवापुरखुर्द** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **खडन्जा निर्माण/मम्मत** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	26-06-2020	182372.00	खडन्जा निर्माण कार्य
योग -		182372.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि, स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **खडन्जा निर्माण/मम्मत** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि **रु० 182372.00** में से 50% **रु० 91186.00** ग्राम प्रधान **श्री मिश्रीलाल** से तथा शेष 50% **रु० 91186.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री राजेश वर्मा** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-04 ग्राम पंचायत **केशवापुरखुर्द** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हयूम पाइप** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	29-06-2020	36469.00	हयूम पाइप क्रय
	योग -	36469.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि, स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **हयूम पाइप** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 36469.00 में से 50% ₹ 18234.50 ग्राम प्रधान **श्री मिश्रीलाल** से तथा शेष 50% ₹ 18234.50 ग्राम पंचायत सचिव **श्री राजेश वर्मा** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-05 ग्राम पंचायत **केशवापुरखुर्द** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **इण्टर लॉकिंग** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	06-09-2020	26340.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
2-	07-09-2020	32727.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
3-	07-09-2020	6387.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
4-	09-09-2020	20483.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
5-	26-09-2020	36330.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
6-	09-10-2020	20483.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
7-	17-10-2020	49465.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
8-	17-10-2020	116975.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
	योग -	309190.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि, स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **इण्टर लॉकिंग** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के

अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 309190.00 में से 50% ₹ 154595.00 ग्राम प्रधान श्री मिश्रीलाल से तथा शेष 50% ₹ 154595.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेश वर्मा से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-06 ग्राम पंचायत केशवापुरखुर्द में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार प्रशासनिक व्यय मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	02-06-2020	2200.00	प्रशासनिक व्यय
2-	08-06-2020	5874.00	प्रशासनिक व्यय
3-	29-06-2020	6500.00	प्रशासनिक व्यय
4-	02-07-2020	3000.00	प्रशासनिक व्यय
5-	18-08-2020	2000.00	प्रशासनिक व्यय
6-	04-09-2020	2986.00	प्रशासनिक व्यय
7-	25-09-2020	13855.00	प्रशासनिक व्यय
8-	14-10-2020	3535.00	प्रशासनिक व्यय
9-	17-10-2020	5500.00	प्रशासनिक व्यय
10-	17-10-2020	4180.00	प्रशासनिक व्यय
11-	12-11-2020	6595.00	प्रशासनिक व्यय
12-	11-12-2020	2200.00	प्रशासनिक व्यय
13-	11-12-2020	6250.00	प्रशासनिक व्यय
योग –		64675.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि, स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में प्रशासनिक कार्यों पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 64675.00 में से 50% ₹ 32337.50 ग्राम प्रधान श्री मिश्रीलाल से तथा शेष 50% ₹ 32337.50 ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेश वर्मा से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-07 ग्राम पंचायत केशवापुरखुर्द में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार अन्य व्यय मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	10-04-2020	7000.00	प्रधान मानदेय
2-	05-06-2020	7000.00	प्रधान मानदेय
3-	05-06-2020	6500.00	वॉल लेखन कार्य
4-	08-06-2020	3000.00	वॉल लेखन कार्य
5-	03-07-2020	12500.00	वॉल लेखन कार्य
6-	08-07-2020	3675.00	कोविड दवा छिड़कवाई
7-	17-08-2020	7000.00	प्रधान मानदेय

8-	18-08-2020	7000.00	प्रधान मानदेय
9-	03-10-2020	7000.00	प्रधान मानदेय
10-	12-11-2020	3500.00	प्रधान मानदेय
11-	04-12-2020	3500.00	प्रधान मानदेय
12-	11-12-2020	2800.00	कोविड जाँच उपकरण
13-	11-12-2020	9500.00	वॉल लेखन कार्य
14-	11-12-2020	8500.00	वॉल लेखन कार्य
15-	24-12-2020	8845.00	वॉल लेखन कार्य
योग -		97320.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट आदि, स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **अन्य कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹० **97320.00** में से 50% ₹० **48660.00** ग्राम प्रधान **श्री मिश्रीलाल** से तथा शेष 50% ₹० **48660.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री राजेश वर्मा** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - नौबना

विकास खण्ड - निघासन

वर्ष - 2020-21

प्रस्तर-08 ग्राम पंचायत **नौबना** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई कैशबुक के अनुसार **हैण्डपम्प मरम्मत** /**रिबोर** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	02-12-2020	7500.00	हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर
2-	03-12-2020	1150.00	हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर
योग -		8650.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, हैण्डपम्प खराब होने की शिकायत, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, जल निगम की स्वीकृति यदि आवश्यक हो तो, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, हैण्डपम्प स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की

तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि **रु० 8650.00** में से 50% **रु० 4325.00** ग्राम प्रधान **श्री सोहन** से तथा शेष 50% **रु० 4325.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री विवेक सिन्हा** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-09 ग्राम पंचायत **नौबना** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई कैशबुक के अनुसार **पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	13-12-2020	203002.00	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत
	योग -	203002.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि **रु० 203002.00** में से 50% **रु० 101501.00** ग्राम प्रधान **श्री सोहन** से तथा शेष 50% **रु० 101501.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री विवेक सिन्हा** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-10 ग्राम पंचायत **नौबना** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई कैशबुक के अनुसार **प्रधान मानदेय** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	02-12-2020	28000.00	प्रधान मानदेय
	योग -	28000.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, मानदेय रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में प्रधान मानदेय पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 28000.00 में से 50% ₹ 14000.00 ग्राम प्रधान श्री सोहन से तथा शेष 50% ₹ 14000.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री विवेक सिन्हा से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-11 ग्राम पंचायत नौबना में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई कैशबुक के अनुसार प्रशासनिक मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	03-12-2020	25533.00	प्रशासनिक व्यय
	योग -	25533.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में प्रशासनिक कार्यों पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 25533.00 में से 50% ₹ 12766.50 ग्राम प्रधान श्री सोहन से तथा शेष 50% ₹ 12766.50 ग्राम पंचायत सचिव श्री विवेक सिन्हा से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - सिंगाहीदेहात

विकास खण्ड - निघासन

वर्ष - 2020-21

प्रस्तर-12 ग्राम पंचायत सिंगाहीदेहात में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई कैशबुक के अनुसार पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण

1-	22-12-2020	173510.00	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत
2-	29-03-2021	63580.00	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत
	योग -	237090.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹० **237090.00** में से 50% ₹० **118545.00** ग्राम प्रधान **श्री रामविलास** से तथा शेष 50% ₹० **118545.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री विवेक सिन्हा** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-13 ग्राम पंचायत **सिंगाहीदेहात** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई कैशबुक के अनुसार **प्रधान मानदेय** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	08-11-2020	21000.00	प्रधान मानदेय
	योग -	21000.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, मानदेय रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **प्रधान मानदेय** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 21000.00 में से 50% ₹ 10500.00 ग्राम प्रधान श्री रामविलास से तथा शेष 50% ₹ 10500.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री विवेक सिन्हा से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-14 ग्राम पंचायत सिंगाहीदेहात में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई कैशबुक के अनुसार प्रशासनिक मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	13-12-2020	14512.00	प्रशासनिक व्यय
2-	20-12-2020	12692.00	प्रशासनिक व्यय
	योग -	27204.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में प्रशासनिक कार्यों पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 27204.00 में से 50% ₹ 13602.00 ग्राम प्रधान श्री रामविलास से तथा शेष 50% ₹ 13602.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री विवेक सिन्हा से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - रमुवापुर

विकास खण्ड - निधासन

वर्ष - 2020-21

प्रस्तर-15 ग्राम पंचायत रमुवापुर में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई कैशबुक के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत रिबोर मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	20-12-2020	122001.00	हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय
	योग -	122001.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, हैण्डपम्प खराब होने की शिकायत, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, जल निगम की स्वीकृति यदि आवश्यक हो तो, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, हैण्डपम्प स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी०

अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि **रु० 122001.00** में से 50% **रु० 61000.50** ग्राम प्रधान **श्री रामप्रवेश** से तथा शेष 50% **रु० 61000.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री विनय मोर्य** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-16 ग्राम पंचायत **रमुवापुर** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई कैशबुक के अनुसार **खडन्जा निर्माण/मरम्मत** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	28-09-2020	65889.00	शिवचरन से रामऔतार तक खडन्जा निर्माण कार्य
2-	04-10-2020	16666.00	शिवचरन से रामऔतार तक खडन्जा निर्माण कार्य
	04-10-2020	49967.00	मोहन सिंह से बल्ला सिंह तक खडन्जा निर्माण कार्य
3-	04-10-2020	135717.00	रामनारायण से गुरदीप सिंह तक खडन्जा निर्माण कार्य
4-	04-10-2020	31483.00	मेन खडन्जा से अमरजीत के खेत तक खडन्जा निर्माण
5-	07-10-2020	101713.00	प्रधान जी से दूजल तक खडन्जा निर्माण कार्य
	योग -	401435.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **खडन्जा निर्माण/मरम्मत** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि **रु० 401435.00** में से 50% **रु० 200717.50** ग्राम प्रधान **श्री रामप्रवेश** से तथा शेष 50% **रु० 200717.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री विनय मोर्य** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-17 ग्राम पंचायत **रमुवापुर** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई कैशबुक के अनुसार **पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	22-12-2020	178750.00	पंचायत भवन निर्माण कार्य
2-	22-12-2020	190898.00	पंचायत भवन निर्माण कार्य
	योग -	369648.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹० **369648.00** में से 50% ₹० **184824.00** ग्राम प्रधान **श्री रामप्रवेश** से तथा शेष 50% ₹० **184824.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री विनय मौर्य** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-18 ग्राम पंचायत **रमुवापुर** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई कैशबुक के अनुसार **प्रधान मानदेय** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	09-09-2020	42000.00	प्रधान मानदेय
	योग -	42000.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, मानदेय रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **प्रधान मानदेय** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 42000.00 में से 50% ₹ 21000.00 ग्राम प्रधान श्री रामप्रवेश से तथा शेष 50% ₹ 21000.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री विनय मौर्य से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-19 ग्राम पंचायत रमुवापुर में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई कैशबुक के अनुसार प्रशासनिक मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	28-08-2020	19840.00	स्टेशनरी क्रय
2-	02-10-2020	6890.00	स्टेशनरी क्रय
3-	29-11-2020	2790.00	स्टेशनरी क्रय
	योग -	29520.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र, स्टेशनरी रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में प्रशासनिक कार्यों पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 29520.00 में से 50% ₹ 14760.00 ग्राम प्रधान श्री रामप्रवेश से तथा शेष 50% ₹ 14760.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री विनय मौर्य से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – गुलरिया पत्थर शाह विकास खण्ड – निघासन वर्ष – 2020-21

प्रस्तर-20 ग्राम पंचायत गुलरिया पत्थर शाह में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	18-04-2020	19800.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
2-	23-10-2020	173143.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
	योग -	192943.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, हैण्डपम्प खराब होने की सूचना, आई०डी० का पत्र, जल निगम की स्वीकृति, कोटेशन, निविदा, हैण्डपम्प स्थलों की सूची तथा लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 192943.00 में से 50% ₹ 96471.50 ग्राम प्रधान **श्री जगदीप सिंह** से तथा शेष 50% ₹ 96471.50 ग्राम पंचायत सचिव **श्री धीरेन्द्र सिंह** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-21 ग्राम पंचायत **गुलरिया पत्थर शाह** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **खडन्जा निर्माण/मरम्मत** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	28-04-2020	95436.00	खडन्जा निर्माण कार्य
2-	07-05-2020	62053.00	खडन्जा मरम्मत कार्य
3-	10-05-2020	25220.00	खडन्जा मरम्मत कार्य
4-	07-08-2020	50150.00	मिट्टी व खडन्जा निर्माण
5-	07-08-2020	59751.00	खडन्जा मरम्मत कार्य
6-	24-12-2020	95145.00	खडन्जा निर्माण कार्य
7-	24-12-2020	98301.00	विभिन्न स्थानों पर मिट्टी व रोड़ा कार्य
8-	24-12-2020	135725.00	खडन्जा निर्माण कार्य
9-	24-12-2020	156590.00	खडन्जा निर्माण कार्य
योग –		778371.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि, स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **खडन्जा निर्माण/मरम्मत** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 778371.00 में से 50% ₹ 389185.50 ग्राम प्रधान **श्री जगदीप सिंह** से तथा शेष 50% ₹ 389185.50 ग्राम पंचायत सचिव **श्री धीरेन्द्र सिंह** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-22 ग्राम पंचायत **गुलरिया पत्थर शाह** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **सामुदायिक शौचालय/माडल शौचालय निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	02-12-2020	190944.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य
योग –		190944.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट आदि, स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **सामुदायिक शौचालय/माडल शौचालय निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि **रु० 190944.00** में से 50% **रु० 95472.00** ग्राम प्रधान **श्री जगदीप सिंह** से तथा शेष 50% **रु० 95472.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री धीरेन्द्र सिंह** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-23 ग्राम पंचायत **गुलरिया पत्थर शाह** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्राथमिक विद्यालय/पूर्व माध्यमिक विद्यालय** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है-

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	27-07-2020	210997.00	प्राथमिक विद्यालय डांगा में फर्श व टाइल्स निर्माण
2-	27-07-2020	142480.00	प्राथमिक विद्यालय बदलापुर में अतिरिक्त कक्ष में फर्श/टाइल्स
3-	27-07-2020	72964.00	प्राथमिक विद्यालय चीमाटांडा में अतिरिक्त कक्ष में फर्श/टाइल्स
4-	27-07-2020	122506.00	प्राथमिक विद्यालय डांगा में अतिरिक्त कक्ष में फर्श/टाइल्स
5-	27-07-2020	206429.00	पूर्व माध्यमिक विद्यालय बदलापुर में फर्श व टाइल्स निर्माण
6-	27-07-2020	75582.00	पूर्व माध्यमिक विद्यालय बदलापुर में फर्श व टाइल्स निर्माण
7-	26-09-2020	221939.00	प्राथमिक विद्यालय बदलापुर में फर्श व टाइल्स निर्माण
योग -		1052897.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट आदि, स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **प्राथमिक विद्यालय/पूर्व माध्यमिक विद्यालय** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित

किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० 1052897.00 में से 50% रू० 526448.50 ग्राम प्रधान श्री जगदीप सिंह से तथा शेष 50% रू० 526448.50 ग्राम पंचायत सचिव श्री धीरेन्द्र सिंह से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-24 ग्राम पंचायत गुलरिया पत्थर शाह में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार हयूम पाइप मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	24-12-2020	103404.00	विभिन्न स्थानों पर हयूम पाइप कार्य
	योग -	103404.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि, स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में हयूम पाइप पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० 103404.00 में से 50% रू० 51702.00 ग्राम प्रधान श्री जगदीप सिंह से तथा शेष 50% रू० 51702.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री धीरेन्द्र सिंह से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-25 ग्राम पंचायत गुलरिया पत्थर शाह में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार इण्टर लॉकिंग निर्माण मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	22-04-2020	203688.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
2-	22-04-2020	203688.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
3-	26-04-2020	40055.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
4-	26-04-2020	40055.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
5-	07-08-2020	146863.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
6-	24-12-2020	105630.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
7-	15-02-2020	125931.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
	योग -	865910.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि, स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त

प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **इण्टर लॉकिंग** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 865910.00 में से 50% ₹ 432955.00 ग्राम प्रधान **श्री जगदीप सिंह** से तथा शेष 50% ₹ 432955.00 ग्राम पंचायत सचिव **श्री धीरेन्द्र सिंह** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-26 ग्राम पंचायत **गुलरिया पत्थर शाह** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्रशासनिक व्यय** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	27-11-2020	3000.00	प्रशासनिक व्यय
2-	24-12-2020	16038.00	प्रशासनिक व्यय
	योग -	19038.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि, स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **प्रशासनिक मद** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 19038.00 में से 50% ₹ 9519.00 ग्राम प्रधान **श्री जगदीप सिंह** से तथा शेष 50% ₹ 9519.00 ग्राम पंचायत सचिव **श्री धीरेन्द्र सिंह** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-27 ग्राम पंचायत **गुलरिया पत्थर शाह** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **अन्य व्यय** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	22-04-2020	10500.00	प्रधान मानदेय
2-	28-04-2020	19800.00	वॉल पेन्टिंग कार्य
3-	22-09-2020	1020.00	कोविड-19 पर मास्क क्रय
	योग -	31320.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि, स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **अन्य कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 31320.00 में से 50% ₹ 15660.00 ग्राम प्रधान **श्री जगदीप सिंह** से तथा शेष 50% ₹ 15660.00 ग्राम पंचायत सचिव **श्री धीरेन्द्र सिंह** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - चन्दैयापुर

विकास खण्ड - रमियाबेहड़

वर्ष - 2020-21

प्रस्तर-28 ग्राम पंचायत **चन्दैयापुर** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	21-11-2020	19500.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
	योग -	19500.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, हैण्डपम्प खराब होने की सूचना, आई०डी० का पत्र, जल निगम की स्वीकृति, कोटेशन, निविदा, हैण्डपम्प स्थलों की सूची तथा लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट आदि स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 19500.00 में से 50% ₹ 9750.00 ग्राम प्रधान **श्री जंगली** से तथा शेष 50% ₹ 9750.00 ग्राम पंचायत सचिव **श्री सरोज वर्मा** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-29 ग्राम पंचायत **चन्दैयापुर** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **नाली निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	07-11-2020	216289.00	नाली निर्माण कार्य
2-	23-12-2020	60687.00	नाली निर्माण कार्य
3-	23-12-2020	189100.00	नाली निर्माण कार्य
	योग -	466076.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट आदि, स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **नाली निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹० **466076.00** में से 50% ₹० **233038.00** ग्राम प्रधान **श्री जंगली** से तथा शेष 50% ₹० **233038.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सरोज वर्मा** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-30 ग्राम पंचायत **चन्दैयापुर** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **खडन्जा निर्माण/मरम्मत** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	12-10-2020	35105.00	खडन्जा मरम्मत कार्य
	योग -	35105.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट आदि, स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **खडन्जा निर्माण/मरम्मत** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹० **35105.00** में से 50% ₹० **17552.50** ग्राम प्रधान **श्री जंगली** से तथा शेष 50% ₹० **17552.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सरोज वर्मा** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-31 ग्राम पंचायत चन्दैयापुर में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार सामुदायिक शौचालय/माडल शौचालय निर्माण/मरम्मत मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	31-10-2020	248594.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य
2-	25-12-2020	67222.00	सामुदायिक शौचालय का सौन्दर्यीकरण कार्य
	योग -	315816.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि, स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय/माडल शौचालय निर्माण/मरम्मत पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 315816.00 में से 50% ₹० 157908.00 ग्राम प्रधान श्री जंगली से तथा शेष 50% ₹० 157908.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री सरोज वर्मा से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-32 ग्राम पंचायत चन्दैयापुर में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार इण्टर लॉकिंग मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	17-12-2020	197852.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
2-	23-12-2020	38255.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
	योग -	236107.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि, स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में इण्टर लॉकिंग पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **236107.00** में से 50% रू० **118053.50** ग्राम प्रधान **श्री जंगली** से तथा शेष 50% रू० **118053.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सरोज वर्मा** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-33 ग्राम पंचायत **चन्दैयापुर** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्रशासनिक व्यय** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	20-04-2020	26272.00	कंटीजेन्सी व्यय
2-	15-10-2020	14900.00	प्रशासनिक व्यय
3-	17-12-2020	3000.00	कम्प्यूटर वर्क पर प्रशासनिक व्यय
4-	27-09-2020	5120.00	प्रशासनिक व्यय
	योग –	49292.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि, स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **प्रशासनिक कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **49292.00** में से 50% रू० **24646.00** ग्राम प्रधान **श्री जंगली** से तथा शेष 50% रू० **24646.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सरोज वर्मा** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-34 ग्राम पंचायत **चन्दैयापुर** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **अन्य व्यय** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	20-04-2020	10500.00	प्रधान मानदेय
2-	03-10-2020	21000.00	प्रधान मानदेय
3-	19-11-2020	2790.00	कविड-19 उपकरण क्रय
	योग –	34290.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, मानदेय रजिस्टर, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि, स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में अन्य कार्यों पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 34290.00 में से 50% ₹ 17145.00 ग्राम प्रधान श्री जंगली से तथा शेष 50% ₹ 17145.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री सरोज वर्मा से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – परौरी

विकास खण्ड – रमियाबेहड़

वर्ष – 2020-21

प्रस्तर-35

ग्राम पंचायत परौरी में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार सामुदायिक शौचालय/माडल शौचालय निर्माण/मरम्मत/सौन्दर्यीकरण मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	12-08-2020	247591.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य
2-	25-12-2020	74211.00	सामुदायिक शौचालय में सौन्दर्यीकरण
योग –		321802.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि, स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय/माडल शौचालय निर्माण/मरम्मत/सौन्दर्यीकरण पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 321802.00 में से 50% ₹ 160901.00 ग्राम प्रधान श्रीमती सीमा देवी से तथा शेष 50% ₹ 160901.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री सरोज वर्मा से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-36

ग्राम पंचायत परौरी में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार इण्टर लॉकिंग मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	03-10-2020	174594.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
2-	15-12-2020	249463.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
3-	22-12-2020	248525.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
4-	15-12-2020	248495.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
5-	15-12-2020	247329.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
योग –		1168406.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि, स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202),

अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **इण्टर लॉकिंग** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹० **1168406.00** में से 50% ₹० **584203.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती सीमा देवी** से तथा शेष 50% ₹० **584203.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सरोज वर्मा** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-37 ग्राम पंचायत **परौरी** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्रशासनिक व्यय** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	15-10-2020	8910.00	प्रशासनिक व्यय
2-	15-12-2020	3000.00	कम्प्यूटर वर्क हेतु प्रशासनिक व्यय
3-	27-10-2020	14210.00	कम्प्यूटर वर्क हेतु प्रशासनिक व्यय
4-	19-11-2020	2790.00	कम्प्यूटर वर्क हेतु प्रशासनिक व्यय
योग -		28910.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि, स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **प्रशासनिक कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹० **28910.00** में से 50% ₹० **14455.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती सीमा देवी** से तथा शेष 50% ₹० **14455.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सरोज वर्मा** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-38 ग्राम पंचायत **परौरी** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **अन्य व्यय** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	12-08-2020	42000.00	प्रधान मानदेय
2-	17-12-2020	5600.00	टेण्डर प्रकाशन
3-	22-12-2020	5100.00	पेयजल टंकी में लीकेज मरम्मत
योग -		52700.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट आदि, स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **अन्य कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹० **52700.00** में से 50% ₹० **26350.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती सीमा देवी** से तथा शेष 50% ₹० **26350.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सरोज वर्मा** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - टहारा

विकास खण्ड - रमियाबेहड़

वर्ष - 2020-21

प्रस्तर-39 ग्राम पंचायत **टहारा** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	07-10-2020	152730.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
2-	27-09-2020	19500.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
	योग -	172230.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, हैण्डपम्प खराब होने की सूचना, आई०डी० का पत्र, जल निगम की स्वीकृति, कोटेशन, निविदा, हैण्डपम्प स्थलों की सूची तथा लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट आदि स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹० **172230.00** में से 50% ₹० **86115.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती राधा देवी** से तथा शेष 50% ₹० **86115.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सरोज वर्मा** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-40 ग्राम पंचायत **टहारा** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **नाली निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	24-12-2020	50283.00	रमेश के घर से मनोज के घर तक नाली निर्माण
योग -		50283.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **नाली निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि **रु० 50283.00** में से 50% **रु० 25141.50** ग्राम प्रधान **श्रीमती राधा देवी** से तथा शेष 50% **रु० 25141.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सरोज वर्मा** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-41 ग्राम पंचायत **टहारा** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **खडन्जा निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	24-03-2021	74249.00	गोविन्द के घर से विपुल के घर तक खडन्जा निर्माण
2-	10-11-2020	242506.00	चेतराम के घर से उमाशंकर के घर तक खडन्जा निर्माण
3-	07-11-2020	220051.00	विशम्भर के खेत से भारत के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य
4-	24-03-2021	79874.00	धनन्जय के घर से श्रीकान्त के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य
5-	24-03-2021	55272.00	विधान के घर से विमल के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य
6-	24-03-2021	22455.00	विशम्भर के खेत से भारत के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य
7-	24-03-2021	106737.00	नेताई के घर से सामुदायिक शौचालय तक खडन्जा निर्माण कार्य
8-	24-03-2021	40395.00	विश्वजीत के घर से शिवशंकर के घर तक खडन्जा निर्माण
योग -		841539.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त

प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **खडन्जा निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 841539.00 में से 50% ₹ 420769.50 ग्राम प्रधान **श्रीमती राधा देवी** से तथा शेष 50% ₹ 420769.50 ग्राम पंचायत सचिव **श्री सरोज वर्मा** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-42 ग्राम पंचायत **टहारा** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **सामुदायिक शौचालय निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	30-06-2020	149201.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण पर ईट, बालू, मजदूरी
2-	04-07-2020	98390.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण पर सामग्री व मजदूरी
3-	25-12-2020	62222.00	सामुदायिक शौचालय का सौन्दर्यीकरण कार्य
4-	24-03-2021	67222.00	सामुदायिक शौचालय का सौन्दर्यीकरण कार्य
	योग -	377035.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **सामुदायिक शौचालय निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 377035.00 में से 50% ₹ 188517.50 ग्राम प्रधान **श्रीमती राधा देवी** से तथा शेष 50% ₹ 188517.50 ग्राम पंचायत सचिव **श्री सरोज वर्मा** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-43 ग्राम पंचायत **टहारा** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	25-12-2020	44000.00	प्राथमिक विद्यालय बूधनपुरवा में सौन्दर्यीकरण व टाइल्स कार्य
2-	25-12-2020	163976.00	प्राथमिक विद्यालय बूधनपुरवा में सौन्दर्यीकरण व टाइल्स कार्य
3-	19-04-2020	85450.00	टाइल्स निर्माण पर सीमेन्ट, मौरंग, बालू ब्रिक, लेबर
	योग -	293426.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹० **293426.00** में से 50% ₹० **146713.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती राधा देवी** से तथा शेष 50% ₹० **146713.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सरोज वर्मा** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-44 ग्राम पंचायत **टहारा** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्रशासनिक** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	17-12-2020	5700.00	टेण्डर व प्रशासनिक व्यय
2-	27-09-2020	4466.00	प्रशासनिक व्यय
3-	17-10-2020	16698.00	प्रशासनिक व्यय
	योग -	26864.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **प्रशासनिक कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹० **26864.00** में से 50% ₹० **13432.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती राधा देवी** से तथा शेष 50% ₹० **13432.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सरोज वर्मा** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत सुजानपुर में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत / रिबोर मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	24-11-2020	19500.00	हैण्डपम्प मरम्मत
2-	07-11-2020	197370.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
3-	07-11-2020	197370.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
4-	26-09-2020	197370.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
5-	26-09-2020	197370.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
6-	26-09-2020	197270.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
7-	26-09-2020	19500.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
योग –		1025750.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, हैण्डपम्प खराब होने की सूचना, आई०डी० का पत्र, जल निगम की स्वीकृति, कोटेशन, निविदा, हैण्डपम्प स्थलों की सूची तथा लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करावें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत / रिबोर पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 1025750.00 में से 50% ₹ 512875.00 ग्राम प्रधान श्री अच्छे लाल से तथा शेष 50% ₹ 512875.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री सरोज वर्मा से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत सुजानपुर में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार नाली निर्माण मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	08-12-2020	196865.00	नाली निर्माण कार्य
2-	08-12-2020	104560.00	नाली निर्माण कार्य
3-	11-11-2020	248292.00	नाली मरम्मत कार्य
4-	11-11-2020	137796.00	नाली मरम्मत कार्य
5-	11-11-2020	248786.00	नाली मरम्मत कार्य
योग –		936299.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा तथा लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **नाली निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 936299.00 में से 50% ₹ 468149.50 ग्राम प्रधान **श्री अच्छे लाल** से तथा शेष 50% ₹ 468149.50 ग्राम पंचायत सचिव **श्री सरोज वर्मा** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-47 ग्राम पंचायत **सुजानपुर** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **खडन्जा निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	24-11-2020	117037.00	खडन्जा निर्माण कार्य
2-	24-11-2020	101959.00	खडन्जा निर्माण कार्य
3-	24-11-2020	183846.00	खडन्जा निर्माण कार्य
4-	11-11-2020	246185.00	खडन्जा निर्माण कार्य
5-	11-11-2020	247480.00	खडन्जा निर्माण कार्य
6-	24-11-2020	117037.00	खडन्जा निर्माण कार्य
7-	16-12-2020	88848.00	खडन्जा निर्माण
	योग -	1102392.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा तथा लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट आदि स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **खडन्जा निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 1102392.00 में से 50% ₹ 551196.00 ग्राम प्रधान **श्री अच्छे लाल** से तथा शेष 50% ₹ 551196.00 ग्राम पंचायत सचिव **श्री सरोज वर्मा** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-48 ग्राम पंचायत **सुजानपुर** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **पंचायत भवन मरम्मत** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	08-12-2020	82699.00	पंचायत भवन मरम्मत
	योग -	82699.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा तथा लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **पंचायत भवन मरम्मत** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹० **82699.00** में से 50% ₹० **41349.50** ग्राम प्रधान **श्री अच्छे लाल** से तथा शेष 50% ₹० **41349.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सरोज वर्मा** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-49 ग्राम पंचायत **सुजानपुर** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **सामुदायिक शौचालय/माडल शौचालय निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	13-10-2020	242872.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण पर सामग्री
2-	23-12-2020	202058.00	माडल शौचालय निर्माण कार्य
	योग -	444930.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा तथा लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **सामुदायिक शौचालय/माडल शौचालय निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹० **444930.00** में से 50% ₹० **222465.00** ग्राम प्रधान **श्री अच्छे लाल** से तथा शेष 50% ₹० **222465.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सरोज वर्मा** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-50 ग्राम पंचायत सुजानपुर में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	04-04-2020	188151.00	उ०प्रा०वि० सुजानपुर में बाउण्डी वॉल निर्माण
2-	04-04-2020	247592.00	उ०प्रा०वि० सुजानपुर में बाउण्डी वॉल निर्माण
3-	30-06-2020	249266.00	पू०मा०वि० में इण्टर लाकिंग
4-	30-06-2020	249130.00	उ०प्रा०वि० में टायलेट निर्माण
5-	30-06-2020	20145.00	उ०प्रा०वि० में बाउण्डी वॉल निर्माण
6-	19-12-2020	35000.00	प्रा०वि० माथुरपुर में बोरिंग कार्य
	योग -	989284.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्रा० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा तथा लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 989284.00 में से 50% ₹० 494642.00 ग्राम प्रधान श्री अच्छे लाल से तथा शेष 50% ₹० 494642.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री सरोज वर्मा से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-51 ग्राम पंचायत सुजानपुर में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार गौशाला निर्माण/अन्य कार्य मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	04-04-2020	166619.00	गौशाला निर्माण कार्य
2-	08-12-2020	19208.00	गौशाला में बोरिंग कार्य
3-	08-12-2020	37800.00	गौशाला में बोरिंग कार्य
	योग -	223627.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्रा० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा तथा लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **गौशाला निर्माण/अन्य कार्य** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि **रु० 223627.00** में से 50% **रु० 111813.50** ग्राम प्रधान **श्री अच्छे लाल** से तथा शेष 50% **रु० 111813.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सरोज वर्मा** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-52 ग्राम पंचायत **सुजानपुर** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **इण्टर लॉकिंग निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	04-04-2020	236643.00	इण्टर लॉकिंग कार्य
2-	16-12-2020	245696.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण
3-	16-12-2020	245696.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण
4-	16-12-2020	245696.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
5-	16-12-2020	245696.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण
	योग -	1219427.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा तथा लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **इण्टर लॉकिंग निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि **रु० 1219427.00** में से 50% **रु० 609713.50** ग्राम प्रधान **श्री अच्छे लाल** से तथा शेष 50% **रु० 609713.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सरोज वर्मा** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-53 ग्राम पंचायत **सुजानपुर** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्रशासनिक** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	26-09-2020	7840.00	प्रशासनिक व्यय
2-	15-10-2020	2203.00	प्रशासनिक व्यय
3-	20-10-2020	27055.00	प्रशासनिक व्यय प्रिंटिंग व फोटो कापी पर
4-	16-12-2020	5600.00	टेण्डर प्रकाशन पर प्रशासनिक व्यय
	योग -	42698.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा तथा लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **प्रशासनिक कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹० **42698.00** में से 50% ₹० **21349.00** ग्राम प्रधान **श्री अच्छे लाल** से तथा शेष 50% ₹० **21349.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सरोज वर्मा** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-54 ग्राम पंचायत **सुजानपुर** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **अन्य** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	04-04-2020	42000.00	प्रधान मानदेय
2-	19-11-2020	2790.00	कोविड-19 पर व्यय
3-	06-11-2020	25055.00	स्टेशनरी क्रय
	योग -	69845.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट आदि स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **अन्य कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹० **69845.00** में से 50% ₹० **34922.50** ग्राम प्रधान **श्री अच्छे लाल** से तथा शेष 50% ₹० **34922.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सरोज वर्मा** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - संकल्पा विकास खण्ड - रमियाबेहड़ वर्ष - 2020-21

प्रस्तर-55 ग्राम पंचायत **संकल्पा** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	24-12-2020	50910.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
2-	26-09-2020	19500.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
3-	07-10-2020	203640.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
	योग -	274050.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।

- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, हैण्डपम्प खराब होने की सूचना, आई०डी० का पत्र, जल निगम की स्वीकृति, कोटेशन, निविदा, हैण्डपम्प स्थलों की सूची तथा लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 274050.00 में से 50% ₹ 137025.00 ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र प्रसाद से तथा शेष 50% ₹ 137025.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री सरोज वर्मा से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-56 ग्राम पंचायत संकल्पा में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार खडन्जा निर्माण/मरम्मत मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	07-12-2020	32482.00	खडन्जा मरम्मत कार्य
	योग -	32482.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि, स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में खडन्जा निर्माण/मरम्मत पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 32482.00 में से 50% ₹ 16241.00 ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र प्रसाद से तथा शेष 50% ₹ 16241.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री सरोज वर्मा से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-57 ग्राम पंचायत संकल्पा में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार सामुदायिक शौचालय निर्माण मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	12-08-2020	247591.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य
2-	24-12-2020	62222.00	सामुदायिक शौचालय का सौन्दर्यीकरण
	योग -	309813.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि, स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **सामुदायिक शौचालय निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹० **309813.00** में से 50% ₹० **154906.50** ग्राम प्रधान **श्री राजेन्द्र प्रसाद** से तथा शेष 50% ₹० **154906.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सरोज वर्मा** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-58 ग्राम पंचायत **संकल्पा** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	30-06-2020	241351.00	उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रतापीबेहड़ में टाइल्स निर्माण कार्य
2-	04-07-2020	4186.00	उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रतापीबेहड़ में टाइल्स निर्माण कार्य
3-	19-12-2020	49296.00	उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रतापीबेहड़ में टाइल्स निर्माण कार्य
4-	19-12-2020	179022.00	उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रतापीबेहड़ में टाइल्स निर्माण कार्य
5-	24-12-2020	56066.00	प्राथमिक विद्यालय जर्नादिनपुरवा में शौचालय निर्माण
6-	07-12-2020	140950.00	प्राथमिक विद्यालय रामदीनपुरवा में शौचालय निर्माण
	योग -	670871.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि, स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित

किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 670871.00 में से 50% ₹ 335435.50 ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र प्रसाद से तथा शेष 50% ₹ 335435.50 ग्राम पंचायत सचिव श्री सरोज वर्मा से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-59 ग्राम पंचायत संकल्प में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार इण्टर लॉकिंग मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	07-12-2020	242779.00	इण्टर लॉकिंग कार्य
2-	07-12-2020	159409.00	इण्टर लॉकिंग कार्य
	योग -	402188.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि, स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में इण्टर लॉकिंग पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 402188.00 में से 50% ₹ 201094.00 ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र प्रसाद से तथा शेष 50% ₹ 201094.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री सरोज वर्मा से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-60 ग्राम पंचायत संकल्प में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार प्रशासनिक मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	15-10-2020	15888.00	प्रशासनिक व्यय
2-	17-12-2020	3000.00	प्रशासनिक व्यय
3-	19-12-2020	5600.00	टेण्डर प्रकाशन का प्रशासनिक व्यय
4-	26-09-2020	6280.00	प्रशासनिक व्यय
	योग -	30768.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि, स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **प्रशासनिक कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 30768.00 में से 50% ₹ 15384.00 ग्राम प्रधान **श्री राजेन्द्र प्रसाद** से तथा शेष 50% ₹ 15384.00 ग्राम पंचायत सचिव **श्री सरोज वर्मा** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-61 ग्राम पंचायत **संकल्पा** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **अन्य कार्य** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	19-11-2020	2790.00	कोविड-19 पर व्यय
2-	07-10-2020	16000.00	नाव क्रय
	योग -	18790.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि, स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **अन्य कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 18790.00 में से 50% ₹ 9395.00 ग्राम प्रधान **श्री राजेन्द्र प्रसाद** से तथा शेष 50% ₹ 9395.00 ग्राम पंचायत सचिव **श्री सरोज वर्मा** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - जटपुरवा विकास खण्ड - रमियाबेहड़ वर्ष - 2020-21

प्रस्तर-62 01- ग्राम पंचायत **जटपुरवा** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	10-12-2020	76365.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
2-	07-10-2020	127275.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
3-	27-09-2020	19500.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
	योग -	223140.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, हैण्डपम्प खराब होने की सूचना, आई०डी० का पत्र, जल निगम की स्वीकृति, कोटेशन, निविदा, हैण्डपम्प स्थलों की सूची तथा लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-

202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹० **223140.00** में से 50% ₹० **111570.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती माधुरी** से तथा शेष 50% ₹० **111570.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सरोज वर्मा** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-63 ग्राम पंचायत **जटपुरवा** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **नाली निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	24-12-2020	186080.00	नाली निर्माण कार्य
	योग -	186080.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि, स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **नाली निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹० **186080.00** में से 50% ₹० **93040.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती माधुरी** से तथा शेष 50% ₹० **93040.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सरोज वर्मा** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-64 ग्राम पंचायत **जटपुरवा** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **खडन्जा निर्माण/मरम्मत** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	24-12-2020	186080.00	नाली निर्माण कार्य
2-	30-06-2020	114095.00	मेन खडन्जा से मंगल के घर तक खडन्जा निर्माण
3-	30-06-2020	182734.00	प्रताप से अरमान के घर तक खडन्जा मरम्मत
4-	04-07-2020	6188.00	प्रताप से अरमान के घर तक खडन्जा मरम्मत पर मजदूरी
5-	04-11-2020	43464.00	बनवारी से बुधसागर के घर तक खडन्जा निर्माण
6-	10-12-2020	41838.00	मेन खडन्जा से रामनरेश के घर तक खडन्जा मरम्मत

7-	10-12-2020	151310.00	प्राथमिक विद्यालय बंधा से खडन्जा तक खडन्जा निर्माण
8-	10-12-2020	5815.00	प्राथमिक विद्यालय बंधा से खडन्जा तक खडन्जा निर्माण
9-	24-12-2020	24400.00	मेन खडन्जा से मोतीलाल के घर तक खडन्जा मरम्मत
10-	24-12-2020	28000.00	डामर रोड से हरीशचन्द्र के घर तक खडन्जा मरम्मत
11-	10-12-2020	37506.00	मनोहर के घर से हरिश्चन्द्र के घर तक खडन्जा निर्माण
12-	10-12-2020	81103.00	खडन्जा निर्माण कार्य
योग -		902533.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि, स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **खडन्जा निर्माण/मरम्मत** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹० **902533.00** में से 50% ₹० **451266.50** ग्राम प्रधान **श्रीमती माधुरी** से तथा शेष 50% ₹० **451266.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सरोज वर्मा** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-65 ग्राम पंचायत **जटपुरवा** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **पंचायत भवन मरम्मत/सौन्दर्यीकरण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	24-12-2020	10856.00	पंचायत भवन में मरम्मत सौन्दर्यीकरण कार्य
योग -		10856.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि, स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **पंचायत भवन मरम्मत/सौन्दर्यीकरण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० 10856.00 में से 50% रू० 5428.00 ग्राम प्रधान श्रीमती माधुरी से तथा शेष 50% रू० 5428.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री सरोज वर्मा से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-66 ग्राम पंचायत जटपुरवा में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार सामुदायिक शौचालय निर्माण मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	30-06-2020	243769.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण
2-	04-07-2020	3822.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण पर मजदूरी
3-	24-12-2020	62222.00	सामुदायिक शौचालय का सौन्दर्यीकरण
	योग -	309813.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि, स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय निर्माण पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० 309813.00 में से 50% रू० 154906.50 ग्राम प्रधान श्रीमती माधुरी से तथा शेष 50% रू० 154906.50 ग्राम पंचायत सचिव श्री सरोज वर्मा से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-67 ग्राम पंचायत जटपुरवा में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	05-04-2020	83096.00	टाइल्स निर्माण कार्य पर सीमेन्ट, ब्रिक, लेबर
2-	07-10-2020	91328.00	प्राथमिक विद्यालय टहारा में अवशेष बाउण्ड्री वॉल निर्माण
3-	09-10-2020	6370.00	प्राथमिक विद्यालय टहारा में अवशेष बाउण्ड्री वॉल निर्माण
4-	26-11-2020	246341.00	प्राथमिक विद्यालय जटपुरवा में टाइल्स निर्माण कार्य
5-	19-12-2020	112135.00	प्राथमिकविद्यालय जटपुरवा में टाइल्स निर्माण
	योग -	539270.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि, स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त

प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 539270.00 में से 50% ₹ 269635.00 ग्राम प्रधान श्रीमती माधुरी से तथा शेष 50% ₹ 269635.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री सरोज वर्मा से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-68 ग्राम पंचायत जटपुरवा में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार इण्टर लॉकिंग मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	10-12-2020	100543.00	डामर रोड से मदन के घर तक इण्टर लॉक निर्माण
2-	10-12-2020	1800.00	डामर रोड से मदन के घर तक इण्टर लॉक निर्माण पर बालू
3-	10-12-2020	1800.00	डामर रोड से मदन के घर तक इण्टर लॉक निर्माण पर बालू
4-	10-12-2020	1800.00	डामर रोड से मदन के घर तक इण्टर लॉक निर्माण पर बालू
5-	10-12-2020	158817.00	रामविलास के घर से मोहन के घर तक इण्टर लॉक निर्माण
6-	10-12-2020	225514.00	मेन खडन्जा से सेत वर्मा के घर तक इण्टर लॉक निर्माण
7-	10-12-2020	3965.00	मेन खडन्जा से सेत वर्मा के घर तक इण्टर लॉक निर्माण
8-	10-12-2020	2900.00	रामविलास के घर से मोहन के घर तक इण्टर लॉक निर्माण
9-	04-11-2020	237970.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
10-	04-11-2020	248012.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
11-	04-11-2020	243320.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
योग –		1226441.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि, स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में इण्टर लॉकिंग पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 1226441.00 में से 50% ₹ 613220.50 ग्राम प्रधान श्रीमती माधुरी से तथा शेष 50% ₹ 613220.50 ग्राम पंचायत सचिव श्री सरोज वर्मा से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-69 ग्राम पंचायत **जटपुरवा** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्रशासनिक** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	15-10-2020	18746.00	प्रशासनिक व्यय
2-	27-09-2020	9320.00	प्रशासनिक व्यय
	योग -	28066.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि, स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **प्रशासनिक कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि **रु० 28066.00** में से 50% **रु० 14033.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती माधुरी** से तथा शेष 50% **रु० 14033.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सरोज वर्मा** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-70 ग्राम पंचायत **जटपुरवा** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **अन्य** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	07-10-2020	16000.00	नाव क्रय
2-	05-04-2020	42000.00	प्रधान मानदेय
3-	05-04-2020	16898.00	बस्ता कार्य
4-	17-12-2020	3000.00	कम्प्यूटर वर्क
5-	19-11-2020	2790.00	कोविड-19 हेतु
	योग -	80688.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि, स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **अन्य कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 80688.00 में से 50% ₹ 40344.00 ग्राम प्रधान श्रीमती माधुरी से तथा शेष 50% ₹ 40344.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री सरोज वर्मा से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – सूरतनगर विकास खण्ड – निघासन वर्ष – 2020-21
प्रस्तर-71 ग्राम पंचायत सूरतनगर में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	24-12-2020	172137.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
	योग –	172137.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, हैण्डपम्प खराब होने की सूचना, आई०डी० का पत्र, जल निगम की स्वीकृति, कोटेशन, निविदा, हैण्डपम्प स्थलों की सूची तथा लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 172137.00 में से 50% ₹ 86068.50 ग्राम प्रधान श्री परगट सिंह से तथा शेष 50% ₹ 86068.50 ग्राम पंचायत सचिव श्री सुनील कुमार पंकज से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-72 ग्राम पंचायत सूरतनगर में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार नाली निर्माण मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	29-09-2020	80179.00	नाली निर्माण कार्य
	योग –	80179.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि, स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में नाली निर्माण पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के

अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 80179.00 में से 50% ₹ 40089.50 ग्राम प्रधान श्री परगट सिंह से तथा शेष 50% ₹ 40089.50 ग्राम पंचायत सचिव श्री सुनील कुमार पंकज से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-73 ग्राम पंचायत सूरतनगर में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार खडन्जा निर्माण/मरम्मत मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	06-09-2020	128879.00	खडन्जा निर्माण कार्य
2-	30-10-2020	135366.00	खडन्जा निर्माण कार्य
3-	30-11-2020	99049.00	खडन्जा निर्माण कार्य
	योग -	363294.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि, स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में खडन्जा निर्माण/मरम्मत पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 363294.00 में से 50% ₹ 181647.00 ग्राम प्रधान श्री परगट सिंह से तथा शेष 50% ₹ 181647.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री सुनील कुमार पंकज से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-74 ग्राम पंचायत सूरतनगर में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार सामुदायिक शौचालय निर्माण मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	27-11-2020	242790.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य
	योग -	242790.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि, स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **सामुदायिक शौचालय निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि **रु० 242790.00** में से 50% रु० **121395.00** ग्राम प्रधान **श्री परगट सिंह** से तथा शेष 50% रु० **121395.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सुनील कुमार पंकज** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-75 ग्राम पंचायत **सूरतनगर** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	20-09-2020	193630.00	प्राथमिक विद्यालय रघुनन्दनपुरवा में निर्माण कार्य
2-	10-11-2020	214816.00	प्राथमिक विद्यालय चौबुर्जी में निर्माण
3-	10-11-2020	126557.00	उच्च प्राथमिक विद्यालय चौबुर्जी में निर्माण
4-	30-11-2020	225374.00	प्राथमिक विद्यालय रघुनन्दनपुरवा में बाउण्ड्री वॉल निर्माण
योग -		760377.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि, स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि **रु० 760377.00** में से 50% रु० **380188.50** ग्राम प्रधान **श्री परगट सिंह** से तथा शेष 50% रु० **380188.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सुनील कुमार पंकज** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-76 ग्राम पंचायत **सूरतनगर** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हयूम पाइप** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	16-12-2020	71104.00	हयूम पाइप क्रय
योग -		71104.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि, स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त

प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **हयूम पाइप क्रय** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि **रु० 71104.00** में से 50% **रु० 35552.00** ग्राम प्रधान **श्री परगट सिंह** से तथा शेष 50% **रु० 35552.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सुनील कुमार पंकज** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-77 ग्राम पंचायत **सूरतनगर** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **इण्टर लॉकिंग** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	02-09-2020	110789.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
2-	02-09-2020	190221.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
3-	02-09-2020	174548.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
4-	02-09-2020	193756.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
5-	02-09-2020	195992.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
6-	02-09-2020	147283.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
7-	02-09-2020	190221.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
8-	06-09-2020	135860.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
9-	17-10-2020	92676.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
10-	17-10-2020	196611.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
11-	17-10-2020	133639.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
12-	17-10-2020	193706.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
13-	17-10-2020	196309.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
14-	30-10-2020	124366.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
15-	30-10-2020	89845.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
16-	30-10-2020	139721.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
17-	30-10-2020	126225.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
18-	30-10-2020	203827.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
19-	30-10-2020	214843.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
योग –		3050438.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि, स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **इण्टर लॉकिंग** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के

अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 3050438.00 में से 50% ₹ 1525219.00 ग्राम प्रधान श्री परगट सिंह से तथा शेष 50% ₹ 1525219.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री सुनील कुमार पंकज से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-78 ग्राम पंचायत सूरतनगर में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार प्रशासनिक व्यय मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	03-10-2020	3000.00	स्टेशनरी क्रय
2-	22-10-2020	11721.00	स्टेशनरी क्रय
3-	10-11-2020	3000.00	फीडिंग कार्य
4-	11-11-2020	2790.00	स्टेशनरी क्रय
योग -		20511.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट आदि, स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में प्रशासनिक कार्यों पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 20511.00 में से 50% ₹ 10255.50 ग्राम प्रधान श्री परगट सिंह से तथा शेष 50% ₹ 10255.50 ग्राम पंचायत सचिव श्री सुनील कुमार पंकज से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-79 ग्राम पंचायत सूरतनगर में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार अन्य मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	31-08-2020	3500.00	प्रधान मानदेय
2-	10-11-2020	21000.00	प्रधान मानदेय
3-	30-11-2020	21000.00	प्रधान मानदेय
योग -		45500.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट आदि, कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202) लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **अन्य कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 45500.00 में से 50% ₹ 22750.00 ग्राम प्रधान **श्री परगट सिंह** से तथा शेष 50% ₹ 22750.00 ग्राम पंचायत सचिव **श्री सुनील कुमार पंकज** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – बनवीरपुर **विकास खण्ड – निघासन** **वर्ष – 2020-21**
प्रस्तर-80 ग्राम पंचायत **बनवीरपुर** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **नाली निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	25-04-2020	47476.00	नाली निर्माण कार्य
2-	25-04-2020	35516.00	नाली निर्माण कार्य
3-	25-04-2020	60190.00	नाली निर्माण कार्य
4-	03-05-2020	64728.00	नाली निर्माण कार्य
5-	18-12-2020	127207.00	नाली निर्माण कार्य
6-	24-12-2020	97878.00	नाली निर्माण कार्य
7-	24-12-2020	151843.00	नाली निर्माण कार्य
योग –		584838.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि, स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **नाली निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 584838.00 में से 50% ₹ 292419.00 ग्राम प्रधान **श्री राम मोती** से तथा शेष 50% ₹ 292419.00 ग्राम पंचायत सचिव **श्री धीरेन्द्र सिंह** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-81 ग्राम पंचायत **बनवीरपुर** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **खडन्जा निर्माण/मरम्मत** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	18-11-2020	60459.00	मिट्टी व खडन्जा निर्माण कार्य
2-	18-11-2020	52407.00	मिट्टी व खडन्जा निर्माण कार्य
3-	18-11-2020	59652.00	खडन्जा मरम्मत कार्य
योग –		172518.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट आदि, स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **खडन्जा निर्माण/मरम्मत** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹० **172518.00** में से 50% ₹० **86259.00** ग्राम प्रधान **श्री राम मोती** से तथा शेष 50% ₹० **86259.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री धीरेन्द्र सिंह** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-82 ग्राम पंचायत **बनवीरपुर** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **सामुदायिक शौचालय/माडल शौचालय निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	26-04-2020	87216.00	सार्वजनिक शौचालय निर्माण कार्य
	योग -	87216.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट आदि, स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **सामुदायिक शौचालय/माडल शौचालय निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹० **87216.00** में से 50% ₹० **43608.00** ग्राम प्रधान **श्री राम मोती** से तथा शेष 50% ₹० **43608.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री धीरेन्द्र सिंह** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-83 ग्राम पंचायत **बनवीरपुर** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	27-04-2020	207587.00	उच्च प्राथमिक विद्यालय बनवीरपुर में टाइल्स निर्माण कार्य
2-	25-04-2020	207587.00	उच्च प्राथमिक विद्यालय बनवीरपुर में टाइल्स निर्माण कार्य
3-	12-09-2020	61557.00	प्राथमिक विद्यालय बनवीरपुर में टाइल्स निर्माण कार्य
4-	12-09-2020	78828.00	उच्च प्राथमिक विद्यालय बनवीरपुर में टाइल्स निर्माण कार्य
5-	12-09-2020	231894.00	उच्च प्राथमिक विद्यालय बनवीरपुर में टाइल्स निर्माण कार्य
6-	12-09-2020	240008.00	प्राथमिक विद्यालय बनवीरपुर में टाइल्स निर्माण कार्य
योग -		1027461.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि, स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि **रु० 1027461.00** में से 50% **रु० 513730.50** ग्राम प्रधान **श्री राम मोती** से तथा शेष 50% **रु० 513730.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री धीरेन्द्र सिंह** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-84 ग्राम पंचायत **बनवीरपुर** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **इण्टर लॉकिंग निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	25-04-2020	31044.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
2-	25-04-2020	31044.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
3-	25-04-2020	30654.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
4-	25-04-2020	31018.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
5-	25-04-2020	32344.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
6-	25-04-2020	31564.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
7-	25-04-2020	30836.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
8-	25-04-2020	32526.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
9-	18-12-2020	185326.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
10-	18-12-2020	216798.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
11-	18-12-2020	217231.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
12-	14-02-2021	14697.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
13-	14-02-2021	99103.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
14-	14-02-2021	57428.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य

15-	14-02-2021	25948.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
	योग -	1067561.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि, स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **इण्टर लॉकिंग** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹० **1067561.00** में से 50% ₹० **533780.50** ग्राम प्रधान **श्री राम मोती** से तथा शेष 50% ₹० **533780.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री धीरेन्द्र सिंह** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-85 ग्राम पंचायत **बनवीरपुर** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्रशासनिक** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	20-11-2020	3008.00	कम्प्यूटर कार्य प्रशासनिक व्यय
2-	18-12-2020	12019.00	प्रशासनिक व्यय
	योग -	15027.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि, कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **प्रशासनिक कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹० **15027.00** में से 50% ₹० **7513.50** ग्राम प्रधान **श्री राम मोती** से तथा शेष 50% ₹० **7513.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री धीरेन्द्र सिंह** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-86 ग्राम पंचायत **बनवीरपुर** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **अन्य** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	25-04-2020	105252.00	विभिन्न स्थानों पर रोड़ा पटाई कार्य
2-	25-04-2020	3500.00	प्रधान मानदेय
3-	18-11-2020	2790.00	कोविड-19 पर व्यय
4-	21-09-2020	952.00	कोविड-19 में मास्क क्रय
	योग -	112494.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि, कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **अन्य कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि **रु० 112494.00** में से 50% **रु० 56247.00** ग्राम प्रधान **श्री राम मोती** से तथा शेष 50% **रु० 56247.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री धीरेन्द्र सिंह** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - लालपुर **विकास खण्ड - निघासन** **वर्ष - 2020-21**

प्रस्तर-87 ग्राम पंचायत **लालपुर** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	30-09-2020	13650.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
	योग -	13650.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, हैण्डपम्प खराब होने की सूचना, आई०डी० का पत्र, जल निगम की स्वीकृति, कोटेशन, निविदा, हैण्डपम्प स्थलों की सूची तथा लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो

उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 13650.00 में से 50% ₹ 6825.00 ग्राम प्रधान श्री रमाकान्त से तथा शेष 50% ₹ 6825.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री सुनील कुमार पंकज से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-88 ग्राम पंचायत लालपुर में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार कूड़ादान/डस्टबिन/स्वच्छता मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	12-11-2020	20178.00	सफाई किट क्रय
2-	25-11-2020	20904.00	सफाई किट क्रय
	योग -	41082.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि, स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में कूड़ादान/डस्टबिन/स्वच्छता पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 41082.00 में से 50% ₹ 20541.00 ग्राम प्रधान श्री रमाकान्त से तथा शेष 50% ₹ 20541.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री सुनील कुमार पंकज से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-89 ग्राम पंचायत लालपुर में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार नाली निर्माण/मरम्मत मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	25-11-2020	226238.00	नाली मरम्मत कार्य
2-	16-12-2020	108201.00	नाली निर्माण कार्य
3-	25-03-2021	88679.00	नाली निर्माण कार्य
	योग -	423118.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि, स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **नाली निर्माण/मरम्मत** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 423118.00 में से 50% ₹ 211559.00 ग्राम प्रधान **श्री रमाकान्त** से तथा शेष 50% ₹ 211559.00 ग्राम पंचायत सचिव **श्री सुनील कुमार पंकज** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-90 ग्राम पंचायत **लालपुर** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **खडन्जा निर्माण/मरम्मत** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	19-04-2020	38061.00	खडन्जा निर्माण कार्य
2-	24-04-2020	39634.00	खडन्जा मरम्मत कार्य
3-	24-04-2020	12635.00	खडन्जा निर्माण कार्य
4-	24-04-2020	30774.00	खडन्जा मरम्मत कार्य
5-	04-11-2020	76519.00	खडन्जा मरम्मत कार्य
6-	28-11-2020	63218.00	खडन्जा मरम्मत कार्य
7-	28-11-2020	73948.00	खडन्जा निर्माण कार्य
योग –		334789.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि, स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **खडन्जा निर्माण/मरम्मत** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 334789.00 में से 50% ₹ 167394.50 ग्राम प्रधान **श्री रमाकान्त** से तथा शेष 50% ₹ 167394.50 ग्राम पंचायत सचिव **श्री सुनील कुमार पंकज** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-91 ग्राम पंचायत **लालपुर** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	25-03-2021	28814.00	पंचायत भवन मरम्मत कार्य
योग –		28814.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि, स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202),

अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹० **28814.00** में से 50% ₹० **14407.00** ग्राम प्रधान **श्री रमाकान्त** से तथा शेष 50% ₹० **14407.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सुनील कुमार पंकज** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-92 ग्राम पंचायत **लालपुर** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **सामुदायिक शौचालय/माडल शौचालय निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	24-04-2020	87913.00	माडल शौचालय निर्माण कार्य
2-	29-04-2020	161271.00	माडल शौचालय निर्माण कार्य
3-	02-05-2020	80848.00	माडल शौचालय निर्माण कार्य
4-	30-09-2020	209843.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य
5-	16-12-2020	150745.00	माडल शौचालय निर्माण कार्य
	योग -	690620.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि, स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **सामुदायिक शौचालय/माडल शौचालय निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹० **690620.00** में से 50% ₹० **345310.00** ग्राम प्रधान **श्री रमाकान्त** से तथा शेष 50% ₹० **345310.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सुनील कुमार पंकज** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-93 ग्राम पंचायत **लालपुर** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	19-04-2020	47961.00	प्राथमिक विद्यालय में मिट्टी पटाई कार्य
2-	23-04-2020	97722.00	प्राथमिक विद्यालय बूढ़ापुरवा में बाउण्ड्री वॉल निर्माण
3-	24-04-2020	53690.00	प्राथमिक विद्यालय में मिट्टी कार्य

4-	29-04-2020	218790.00	प्राथमिक विद्यालय बुढ़ापुरवा में बाउण्ट्री वॉल निर्माण
5-	04-11-2020	248360.00	कायाकल्प योजना में प्रा०वि० तमोलिनपुरवा में कार्य
6-	04-11-2020	245768.00	कायाकल्प योजना में प्रा०वि० झण्डी में कार्य
7-	12-11-2020	239716.00	प्राथमिक विद्यालय बुढ़ापुरवा में बाउण्ट्री वॉल निर्माण
8-	25-11-2020	242776.00	झण्डीराज पुस्तकालय में बाउण्ट्री वॉल निर्माण
9-	16-12-2020	144738.00	प्राथमिक विद्यालय में शौचालय निर्माण
10-	25-03-2021	141928.00	कायाकल्प योजना में प्रा०वि० बुढ़ापुरवा में कार्य
योग -		1681449.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि, स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करावें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹० **1681449.00** में से 50% ₹० **840724.50** ग्राम प्रधान **श्री रमाकान्त** से तथा शेष 50% ₹० **840724.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सुनील कुमार पंकज** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-94 ग्राम पंचायत **लालपुर** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **इण्टर लॉकिंग** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	19-04-2020	209106.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
2-	24-04-2020	32526.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
3-	23-09-2020	217376.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
4-	23-09-2020	210203.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
5-	23-09-2020	231448.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
6-	23-09-2020	224102.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
7-	24-09-2020	152823.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
8-	24-09-2020	52551.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
9-	04-11-2020	34566.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
10-	04-11-2020	11715.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
11-	25-03-2021	68627.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
12-	25-03-2021	108827.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
योग -		1553870.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि, स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202),

अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **इण्टर लॉकिंग** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹० **1553870.00** में से 50% ₹० **776935.00** ग्राम प्रधान **श्री रमाकान्त** से तथा शेष 50% ₹० **776935.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सुनील कुमार पंकज** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-95 ग्राम पंचायत **लालपुर** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **सोकपिट निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	25-03-2021	110105.00	सोकपिट निर्माण कार्य
	योग -	110105.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि, स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **सोकपिट निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹० **110105.00** में से 50% ₹० **55052.50** ग्राम प्रधान **श्री रमाकान्त** से तथा शेष 50% ₹० **55052.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सुनील कुमार पंकज** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-96 ग्राम पंचायत **लालपुर** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्रशासनिक** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	16-12-2020	15912.00	स्टेशनरी क्रय
2-	02-05-2020	8168.00	स्टेशनरी क्रय
3-	08-11-2020	3000.00	फीडिंग कार्य
4-	12-11-2020	2790.00	स्टेशनरी क्रय
5-	12-11-2020	18500.00	सफाई हेतु ठेला क्रय
6-	25-11-2020	6512.00	स्टेशनरी क्रय
	योग -	54882.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट आदि, स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **प्रशासनिक कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹० **54882.00** में से 50% ₹० **27441.00** ग्राम प्रधान **श्री रमाकान्त** से तथा शेष 50% ₹० **27441.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सुनील कुमार पंकज** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-97 ग्राम पंचायत **लालपुर** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **अन्य मद** में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	19-04-2020	53542.00	चबूतरा निर्माण
2-	22-04-2020	14000.00	प्रधान मानदेय
3-	24-04-2020	61438.00	चबूतरा निर्माण
4-	24-04-2020	22547.00	चबूतरा निर्माण
5-	29-04-2020	141210.00	बारात घर मरम्मत
6-	23-09-2020	2584.00	मास्क क्रय (कोविड-19)
योग -		295321.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट आदि, स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **अन्य कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹० **295321.00** में से 50% ₹० **147660.50** ग्राम प्रधान **श्री रमाकान्त** से तथा शेष 50% ₹० **147660.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सुनील कुमार पंकज** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत सुथनाबरसोला में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार कूड़ादान/डस्टबिन/स्वच्छता मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	12-09-2020	58200.00	ग्राम पंचायत में साफ सफाई कार्य
योग –		58200.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि, स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में स्वच्छता पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 58200.00 में से 50% ₹ 29100.00 ग्राम प्रधान श्रीमती सोनिया गर्ग से तथा शेष 50% ₹ 29100.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री धीरेन्द्र सिंह से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-99 ग्राम पंचायत सुथनाबरसोला में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार नाली निर्माण मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	04-12-2020	178972.00	नाली निर्माण कार्य
2-	04-12-2020	129533.00	नाली निर्माण कार्य
योग –		308505.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि, स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में नाली निर्माण पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 308505.00 में से 50% ₹ 154252.50 ग्राम प्रधान श्रीमती सोनिया गर्ग से तथा शेष 50% ₹ 154252.50 ग्राम पंचायत सचिव श्री धीरेन्द्र सिंह से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-100 ग्राम पंचायत सुथनाबरसोला में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार खडन्जा निर्माण/मरम्मत मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	01-11-2020	108436.00	खडन्जा निर्माण कार्य
	योग -	108436.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि, स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में खडन्जा निर्माण/मरम्मत पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 108436.00 में से 50% ₹ 54218.00 ग्राम प्रधान श्रीमती सोनिया गर्ग से तथा शेष 50% ₹ 54218.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री धीरेन्द्र सिंह से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-101 ग्राम पंचायत सुथनाबरसोला में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार सामुदायिक शौचालय/माडल शौचालय निर्माण मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	12-09-2020	98356.000	तिकोनिया बस अड्डे के पास महिला शौचालय निर्माण
2-	22-09-2020	24310.00	महिला शौचालय निर्माण पर व्यय
3-	26-10-2020	103162.00	ठाकुरद्वारा प्रांगण में शौचालय निर्माण
	योग -	225828.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि, स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **सामुदायिक शौचालय/माडल शौचालय निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि **रु० 225828.00** में से 50% **रु० 112914.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती सोनिया गर्ग** से तथा शेष 50% **रु० 112914.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री धीरेन्द्र सिंह** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-102 ग्राम पंचायत **सुथनाबरसोला** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	15-06-2020	224998.00	उच्च प्राथमिक विद्यालय सुथनाबरसोला में टाइल्स निर्माण
2-	15-06-2020	232495.00	प्राथमिक विद्यालय तिकनिया में टाइल्स निर्माण
योग -		457493.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि, स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि **रु० 457493.00** में से 50% **रु० 228746.50** ग्राम प्रधान **श्रीमती सोनिया गर्ग** से तथा शेष 50% **रु० 228746.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री धीरेन्द्र सिंह** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-103 ग्राम पंचायत **सुथनाबरसोला** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हयूम पाइप** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	04-12-2020	103404.00	हयूम पाइप क्रय व लगवाई
योग -		103404.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि, स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **हयूम पाइप** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि **रु० 103404.00** में से 50% **रु० 51702.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती सोनिया गर्ग** से तथा शेष 50% **रु० 51702.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री धीरेन्द्र सिंह** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-104 ग्राम पंचायत **सुथनाबरसोला** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **इण्टर लॉकिंग निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	21-07-2020	37570.00	इण्टर लॉकिंग रोड निर्माण कार्य
2-	21-07-2020	910.00	इण्टर लॉकिंग रोड निर्माण कार्य
3-	19-07-2020	14315.00	इण्टर लॉकिंग रोड निर्माण कार्य
4-	19-07-2020	25246.00	इण्टर लॉकिंग रोड निर्माण कार्य
5-	19-07-2020	31954.00	इण्टर लॉकिंग रोड निर्माण कार्य
6-	19-07-2020	40924.00	इण्टर लॉकिंग रोड निर्माण कार्य
7-	19-07-2020	13650.00	इण्टर लॉकिंग रोड निर्माण कार्य
8-	17-07-2020	31772.00	इण्टर लॉकिंग रोड निर्माण कार्य
9-	17-07-2020	32162.00	इण्टर लॉकिंग रोड निर्माण कार्य
10-	17-07-2020	35880.00	इण्टर लॉकिंग रोड निर्माण कार्य
11-	03-07-2020	208703.00	इण्टर लॉकिंग रोड निर्माण कार्य
12-	03-07-2020	76242.00	इण्टर लॉकिंग रोड निर्माण कार्य
13-	03-07-2020	208696.00	इण्टर लॉकिंग रोड निर्माण कार्य
14-	03-07-2020	127025.00	इण्टर लॉकिंग रोड निर्माण कार्य
15-	03-07-2020	194907.00	इण्टर लॉकिंग रोड निर्माण कार्य
16-	03-07-2020	204561.00	इण्टर लॉकिंग रोड निर्माण कार्य
17-	03-07-2020	163388.00	इण्टर लॉकिंग रोड निर्माण कार्य
18-	03-07-2020	186183.00	इण्टर लॉकिंग रोड निर्माण कार्य
19-	12-09-2020	216485.00	इण्टर लॉकिंग रोड निर्माण कार्य
20-	12-09-2020	190082.00	इण्टर लॉकिंग रोड निर्माण कार्य
21-	12-09-2020	136565.00	इण्टर लॉकिंग रोड निर्माण कार्य
22-	22-09-2020	30654.00	इण्टर लॉकिंग रोड निर्माण कार्य
23-	22-09-2020	216448.00	इण्टर लॉकिंग रोड निर्माण कार्य
24-	22-09-2020	185191.00	इण्टर लॉकिंग रोड निर्माण कार्य
25-	22-09-2020	21112.00	थाना परिसर तिकुनिया में इण्टर लॉकिंग कार्य
26-	06-10-2020	32708.00	इण्टर लॉक व नाली निर्माण कार्य
योग –		2663333.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि, स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **इण्टर लॉकिंग** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹० **2663333.00** में से 50% ₹० **1331666.50** ग्राम प्रधान **श्रीमती सोनिया गर्ग** से तथा शेष 50% ₹० **1331666.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री धीरेन्द्र सिंह** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-105 ग्राम पंचायत **सुथनाबरसोला** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **अन्य व्यय** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	03-05-2020	153305.00	शमसान घाट में आफिस निर्माण
2-	06-11-2020	11235.00	कोविड-19 में दवा छिडकवाई
3-	06-11-2020	13637.00	कोविड-19 में दवा छिडकवाई
4-	22-09-2020	1088.00	कोविड-19 पर व्यय
5-	26-10-2020	19600.00	वॉल पेन्टिंग का कार्य
	योग -	198865.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, निविदा, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट आदि, स्टॉक बुक (नियम-202), कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-202), अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **अन्य कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹० **198865.00** में से 50% ₹० **99432.50** ग्राम प्रधान **श्रीमती सोनिया गर्ग** से तथा शेष 50% ₹० **99432.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री धीरेन्द्र सिंह** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - खरवहिया नं०-1 विकास खण्ड - धौरहरा वर्ष - 2020-21

प्रस्तर-106 ग्राम पंचायत **खरवहिया नं०-1** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	05-06-2020	28850.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
2-	13-06-2020	22500.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
3-	14-07-2020	22200.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
4-	24-07-2020	5568.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
5-	06-10-2020	37750.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
6-	06-10-2020	28500.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
7-	06-11-2020	45150.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
8-	21-12-2020	31600.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य

9-	23-12-2020	5800.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
10-	08-09-2020	28315.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
11-	08-09-2020	28315.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
12-	08-09-2020	28315.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
13-	08-09-2020	28315.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
14-	08-09-2020	28315.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
15-	08-09-2020	28315.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
16-	09-09-2020	28315.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
17-	09-09-2020	28315.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
18-	09-09-2020	28315.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
19-	09-09-2020	28315.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
20-	09-09-2020	28114.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
21-	09-09-2020	28114.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
22-	09-09-2020	28114.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
23-	09-09-2020	28114.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
24-	15-10-2020	28114.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
25-	15-10-2020	28114.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
26-	06-11-2020	29027.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
27-	06-11-2020	29027.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
28-	06-11-2020	29269.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
योग -		767075.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, हैण्डपम्प खराब होने की शिकायत, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, जल निगम की स्वीकृति यदि आवश्यक हो तो, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, हैण्डपम्प स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹० **767075.00** में से 50% ₹० **383537.50** ग्राम प्रधान **श्री कृष्ण मोहन** से तथा शेष 50% ₹० **383537.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री राजेश वर्मा** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-107 ग्राम पंचायत खरवहिया नं०-1 में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार वॉल पेन्टिंग मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	05-06-2020	6500.00	वॉल पेन्टिंग पर व्यय
2-	08-06-2020	1650.00	वॉल पेन्टिंग पर व्यय
3-	10-06-2020	16750.00	वॉल पेन्टिंग पर व्यय
4-	10-06-2020	12650	वॉल पेन्टिंग पर व्यय
5-	24-07-2020	4530.00	वॉल पेन्टिंग पर व्यय
6-	21-08-2020	12500.00	वॉल पेन्टिंग पर व्यय
7-	21-08-2020	9500.00	वॉल पेन्टिंग पर व्यय
8-	21-08-2020	8500.00	वॉल पेन्टिंग पर व्यय
9-	12-09-2020	9500.00	वॉल पेन्टिंग पर व्यय
10-	14-10-2020	15690.00	वॉल पेन्टिंग पर व्यय
11-	25-12-2020	20855.00	वॉल पेन्टिंग पर व्यय
	योग -	118625.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, स्थापना स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, गवाहों की सूची हस्ताक्षर सहित, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।
अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में वॉल पेन्टिंग पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 118625.00 में से 50% ₹० 59312.50 ग्राम प्रधान श्री कृष्ण मोहन से तथा शेष 50% ₹० 59312.50 ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेश वर्मा से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-108 ग्राम पंचायत खरवहिया नं०-1 में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार ह्यूम पाइप मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	29-10-2020	47410.00	ह्यूम पाइप क्रय/डलवाई
2-	29-10-2020	43763.00	ह्यूम पाइप क्रय/डलवाई
3-	29-10-2020	36470.00	ह्यूम पाइप क्रय/डलवाई
4-	23-12-2020	91173.00	ह्यूम पाइप क्रय/डलवाई
	योग -	218816.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये

टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकती।

- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, स्थापना स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, गवाहों की सूची हस्ताक्षर सहित, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकती।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **हयूम पाइप क्रय/डलवाई** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि **रु० 218816.00** में से 50% रु० **109408.00** ग्राम प्रधान **श्री कृष्ण मोहन** से तथा शेष 50% रु० **109408.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री राजेश वर्मा** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-109 ग्राम पंचायत **खरवहिया नं०-1** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **डस्टबिन** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	06-11-2020	9000.00	डस्टबिन क्रय
2-	06-11-2020	9000.00	डस्टबिन क्रय
3-	08-11-2020	22500.00	डस्टबिन क्रय
4-	08-11-2020	13500.00	डस्टबिन क्रय
5-	08-11-2020	18000.00	डस्टबिन क्रय
6-	08-11-2020	13500.00	डस्टबिन क्रय
7-	08-11-2020	9000.00	डस्टबिन क्रय
8-	28-12-2020	27000.00	डस्टबिन क्रय
9-	28-11-2020	22500.00	डस्टबिन क्रय
10-	28-11-2020	31500.00	डस्टबिन क्रय
11-	28-11-2020	36000.00	डस्टबिन क्रय
12-	28-11-2020	22500.00	डस्टबिन क्रय
योग -		234000.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकती।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, स्थापना स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, गवाहों की सूची हस्ताक्षर सहित, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकती।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **डस्टबिन क्रय** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 234000.00 में से 50% ₹ 117000.00 ग्राम प्रधान **श्री कृष्ण मोहन** से तथा शेष 50% ₹ 117000.00 ग्राम पंचायत सचिव **श्री राजेश वर्मा** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-110 ग्राम पंचायत **खरवहिया नं०-1** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **इण्टर लॉकिंग निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	13-06-2020	23134.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
2-	13-06-2020	30906.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
3-	13-06-2020	209307.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
4-	13-06-2020	147881.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
5-	13-06-2020	8509.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
6-	13-06-2020	9336.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
7-	13-06-2020	8730.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
8-	13-06-2020	8421.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
9-	13-06-2020	11891.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
10-	11-07-2020	3500.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
11-	11-07-2020	3500.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
12-	11-07-2020	3500.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
13-	11-07-2020	3500.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
14-	09-12-2020	68777.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
15-	09-12-2020	46735.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
16-	09-12-2020	72907.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
17-	10-12-2020	50865.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
	योग –	711399.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **इण्टर लॉकिंग निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त

प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 711399.00 में से 50% ₹ 355699.50 ग्राम प्रधान श्री कृष्ण मोहन से तथा शेष 50% ₹ 355699.50 ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेश वर्मा से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-111 ग्राम पंचायत खरवहिया नं०-1 में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार खडन्जा निर्माण/मरम्मत मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	14-07-2020	158627.00	खडन्जा निर्माण/मरम्मत कार्य
2-	14-07-2020	174428.00	खडन्जा निर्माण/मरम्मत कार्य
3-	14-07-2020	158263.00	खडन्जा निर्माण/मरम्मत कार्य
4-	14-07-2020	143612.00	खडन्जा निर्माण/मरम्मत कार्य
5-	02-12-2020	210186.00	खडन्जा निर्माण/मरम्मत कार्य
6-	02-12-2020	207979.00	खडन्जा निर्माण/मरम्मत कार्य
7-	02-12-2020	24056.00	खडन्जा निर्माण/मरम्मत कार्य
8-	10-12-2020	4130.00	खडन्जा निर्माण/मरम्मत कार्य
9-	10-12-2020	4130.00	खडन्जा निर्माण/मरम्मत कार्य
10-	10-12-2020	4130.00	खडन्जा निर्माण/मरम्मत कार्य
योग -		1089541.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में खडन्जा निर्माण/मरम्मत पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 1089541.00 में से 50% ₹ 544770.50 ग्राम प्रधान श्री कृष्ण मोहन से तथा शेष 50% ₹ 544770.50 ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेश वर्मा से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-112 ग्राम पंचायत खरवहिया नं०-1 में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय के कायाकल्प मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	08-10-2020	194497.00	उ०प्रा०वि० खरवहिया में कायाकल्प के अन्तर्गत
2-	09-10-2020	32160.00	उ०प्रा०वि० खरवहिया में कायाकल्प के अन्तर्गत
3-	15-10-2020	99955.00	प्रा०वि० खरवहिया में कायाकल्प के अन्तर्गत

4-	20-10-2020	138126.00	प्रांवि० खरवहिया में कायाकल्प के अन्तर्गत
5-	20-10-2020	21280.00	उ०प्रांवि० खरवहिया में कायाकल्प के अन्तर्गत
6-	31-10-2020	4130.00	प्रांवि० खरवहिया में कायाकल्प के अन्तर्गत
7-	10-11-2020	13328.00	उ०प्रांवि० खरवहिया में कायाकल्प के अन्तर्गत
8-	10-11-2020	17578.00	प्रांवि० खरवहिया में कायाकल्प के अन्तर्गत
9-	25-11-2020	48510.00	उ०प्रांवि० खरवहिया में कायाकल्प के अन्तर्गत
10-	25-11-2020	64286.00	प्रांवि० खरवहिया में कायाकल्प के अन्तर्गत
योग -		633850.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय के कायाकल्प पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 633850.00 में से 50% ₹ 316925.00 ग्राम प्रधान श्री कृष्ण मोहन से तथा शेष 50% ₹ 316925.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेश वर्मा से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-113 ग्राम पंचायत खरवहिया नं०-1 में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार प्रधान मानदेय मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	10-04-2020	7000.00	प्रधान मानदेय
2-	08-06-2020	7000.00	प्रधान मानदेय
3-	12-08-2020	7000.00	प्रधान मानदेय
4-	02-10-2020	7000.00	प्रधान मानदेय
5-	04-12-2020	7000.00	प्रधान मानदेय
योग -		35000.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, मानदेय रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में प्रधान मानदेय पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 35000.00 में से 50% ₹ 17500.00 ग्राम प्रधान श्री कृष्ण मोहन से तथा शेष 50% ₹ 17500.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेश वर्मा से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-114 ग्राम पंचायत खरवहिया नं०-1 में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार कोविड-19 मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	07-09-2020	8400.00	कोविड-19 पर व्यय
2-	04-12-2020	2800.00	कोविड-19 पर व्यय
	योग -	11200.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में कोविड-19 पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 11200.00 में से 50% ₹ 5600.00 ग्राम प्रधान श्री कृष्ण मोहन से तथा शेष 50% ₹ 5600.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेश वर्मा से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-115 ग्राम पंचायत खरवहिया नं०-1 में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार प्रशासनिक मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	01-06-2020	1000.00	प्रशासनिक व्यय
2-	01-06-2020	2200.00	प्रशासनिक व्यय
3-	01-06-2020	3150.00	प्रशासनिक व्यय
4-	06-06-2020	13006.00	प्रशासनिक व्यय
5-	27-06-2020	8500.00	प्रशासनिक व्यय
6-	02-07-2020	3000.00	प्रशासनिक व्यय
7-	07-09-2020	2986.00	प्रशासनिक व्यय

8-	07-09-2020	2000.00	प्रशासनिक व्यय
9-	25-09-2020	8550.00	प्रशासनिक व्यय
10-	30-10-2020	14600.00	प्रशासनिक व्यय
11-	10-11-2020	8485.00	प्रशासनिक व्यय
12-	28-11-2020	2200.00	प्रशासनिक व्यय
13-	04-12-2020	3985.00	प्रशासनिक व्यय
14-	04-12-2020	560.00	प्रशासनिक व्यय
15-	04-12-2020	1344.00	प्रशासनिक व्यय
	योग -	75566.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, स्टेशनरी रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **प्रशासनिक कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹० **75566.00** में से 50% ₹० **37783.00** ग्राम प्रधान **श्री कृष्ण मोहन** से तथा शेष 50% ₹० **37783.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री राजेश वर्मा** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-116 ग्राम पंचायत **खरवहिया नं०-1** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार अन्य मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	11-07-2020	20400.00	नाव क्रय
2-	25-12-2020	28500.00	ठेला क्रय
3-	25-12-2020	35140.00	फर्नीचर क्रय
	योग -	84040.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कार्यों पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 84040.00 में से 50% ₹ 42020.00 ग्राम प्रधान श्री कृष्ण मोहन से तथा शेष 50% ₹ 42020.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेश वर्मा से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – बम्हौरी विकास खण्ड – धौरहरा वर्ष – 2020-21
प्रस्तर-117 ग्राम पंचायत बम्हौरी में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	23-06-2020	21100.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
2-	16-10-2020	14850.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
3-	27-11-2020	7000.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
4-	24-12-2020	26050.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
5-	10-09-2020	28114.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
	योग –	97114.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, हैण्डपम्प खराब होने की शिकायत, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, जल निगम की स्वीकृति यदि आवश्यक हो तो, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, हैण्डपम्प स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 97114.00 में से 50% ₹ 48557.00 ग्राम प्रधान श्रीमती फूलमती से तथा शेष 50% ₹ 48557.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेश वर्मा से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-118 ग्राम पंचायत बम्हौरी में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार वॉल पेन्टिंग मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	29-07-2020	4530.00	वॉल पेन्टिंग
2-	29-07-2020	6500.00	वॉल पेन्टिंग
3-	12-09-2020	7125.00	वॉल पेन्टिंग
4-	16-10-2020	2050.00	वॉल पेन्टिंग

5-	28-10-2020	2050.00	वॉल पेन्टिंग
6-	24-12-2020	8375.00	वॉल पेन्टिंग
योग -		30630.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, स्थापना स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, गवाहों की सूची हस्ताक्षर सहित, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **वॉल पेन्टिंग** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹० **30630.00** में से 50% ₹० **15315.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती फूलमती** से तथा शेष 50% ₹० **15315.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री राजेश वर्मा** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-119 ग्राम पंचायत **बम्हौरी** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **सफाई कार्य** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	14-11-2020	33768.00	सफाई कार्य
योग -		33768.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल/मस्टररोल, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **सफाई कार्य** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के

अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 33768.00 में से 50% ₹ 16884.00 ग्राम प्रधान श्रीमती फूलमती से तथा शेष 50% ₹ 16884.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेश वर्मा से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-120 ग्राम पंचायत बम्हौरी में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार डस्टबिन क्रय मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	29-07-2020	37465.00	डस्टबिन क्रय
2-	12-11-2020	22500.00	डस्टबिन क्रय
3-	12-11-2020	9000.00	डस्टबिन क्रय
4-	12-11-2020	13500.00	डस्टबिन क्रय
योग -		82465.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, स्थापना स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, गवाहों की सूची हस्ताक्षर सहित, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में डस्टबिन क्रय पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 82465.00 में से 50% ₹ 41232.50 ग्राम प्रधान श्रीमती फूलमती से तथा शेष 50% ₹ 41232.50 ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेश वर्मा से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-121 ग्राम पंचायत बम्हौरी में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार प्रधान मानदेय मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	10-04-2020	10500.00	प्रधान मानदेय
2-	16-10-2020	21000.00	प्रधान मानदेय
3-	24-12-2020	7000.00	प्रधान मानदेय
योग -		38500.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, मानदेय रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।
- अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।
- चूँकि ग्राम पंचायत में प्रधान मानदेय पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।
- अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 38500.00 में से 50% ₹ 19250.00 ग्राम प्रधान श्रीमती फूलमती से तथा शेष 50% ₹ 19250.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेश वर्मा से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-122 ग्राम पंचायत बम्हौरी में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार कोविड-19 मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	08-07-2020	3150.00	कोविड-19 में व्यय
2-	08-12-2020	2800.00	कोविड-19 में व्यय
योग -		5950.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।
- अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।
- चूँकि ग्राम पंचायत में कोविड-19 पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।
- अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 5950.00 में से 50% ₹ 2975.00 ग्राम प्रधान श्रीमती फूलमती से तथा शेष 50% ₹ 2975.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेश वर्मा से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-123 ग्राम पंचायत बम्हौरी में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार हयूम पाइप मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	16-10-2020	47410.00	हयूम पाइप क्रय/लगवाई
2-	24-12-2020	25528.00	हयूम पाइप क्रय/लगवाई
3-	24-12-2020	29175.00	हयूम पाइप क्रय/लगवाई

	योग -	102113.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, स्थापना स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, गवाहों की सूची हस्ताक्षर सहित, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **हयूम पाइप क्रय/लगवाई** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **102113.00** में से 50% रू० **51056.50** ग्राम प्रधान **श्रीमती फूलमती** से तथा शेष 50% रू० **51056.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री राजेश वर्मा** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-124 ग्राम पंचायत **बम्हौरी** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्रशासनिक** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	10-04-2020	1050.00	प्रशासनिक व्यय
2-	16-06-2020	18598.00	प्रशासनिक व्यय
3-	30-06-2020	7000.00	प्रशासनिक व्यय
4-	08-07-2020	2200.00	प्रशासनिक व्यय
5-	08-07-2020	3000.00	प्रशासनिक व्यय
6-	17-08-2020	2000.00	प्रशासनिक व्यय
7-	04-09-2020	2986.00	प्रशासनिक व्यय
8-	15-10-2020	6430.00	प्रशासनिक व्यय
9-	12-11-2020	6955.00	स्टेशनरी क्रय
10-	12-11-2020	8315.00	प्रशासनिक व्यय
11-	17-12-2020	2200.00	प्रशासनिक व्यय
	योग -	60734.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र, स्टेशनरी रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **प्रशासनिक कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹० **60734.00** में से 50% ₹० **30367.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती फूलमती** से तथा शेष 50% ₹० **30367.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री राजेश वर्मा** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - वॉली

विकास खण्ड - धौरहरा

वर्ष - 2020-21

प्रस्तर-125 ग्राम पंचायत **वॉली** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	23-06-2020	21411.00	हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर
2-	23-06-2020	2000.00	हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर
3-	11-11-2020	20823.00	हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर
4-	17-12-2020	15900.00	हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर
योग -		60134.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, हैण्डपम्प खराब होने की शिकायत, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, जल निगम की स्वीकृति यदि आवश्यक हो तो, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, हैण्डपम्प स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹० **60134.00** में से 50% ₹० **30067.00** ग्राम प्रधान **श्री सद्दाम खाँ** से तथा शेष 50% ₹० **30067.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री राजेश वर्मा** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-126 ग्राम पंचायत **वाँली** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **वाँल पेन्टिंग** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	06-06-2020	14000.00	वाँल पेन्टिंग
2-	06-06-2020	6500.00	वाँल पेन्टिंग
3-	29-09-2020	11500.00	वाँल पेन्टिंग
4-	11-11-2020	5000.00	वाँल पेन्टिंग
5-	25-12-2020	23985.00	वाँल पेन्टिंग
	योग -	60985.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत निर्माण का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, स्थापना स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, गवाहों की सूची हस्ताक्षर सहित, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **वाँल पेन्टिंग** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹० **60985.00** में से 50% ₹० **30492.50** ग्राम प्रधान **श्री सद्दाम खाँ** से तथा शेष 50% ₹० **30492.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री राजेश वर्मा** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-127 ग्राम पंचायत **वाँली** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हयूम पाइप** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	14-07-2020	72938.00	हयूम पाइप क्रय/लगवाई
2-	22-10-2020	47410.00	हयूम पाइप क्रय/लगवाई
3-	25-12-2020	98467.00	हयूम पाइप क्रय/लगवाई
	योग -	218815.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, स्थापना स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, गवाहों की सूची हस्ताक्षर सहित, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-

209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **हयूम पाइप** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **218815.00** में से 50% रू० **109407.50** ग्राम प्रधान **श्री सद्दाम खाँ** से तथा शेष 50% रू० **109407.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री राजेश वर्मा** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-128 ग्राम पंचायत **वॉली** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **डस्टबिन क्रय** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	10-11-2020	13500.00	डस्टबिन क्रय
2-	10-11-2020	13500.00	डस्टबिन क्रय
3-	10-11-2020	9000.00	डस्टबिन क्रय
4-	10-11-2020	18000.00	डस्टबिन क्रय
5-	09-12-2020	13500.00	डस्टबिन क्रय
6-	25-12-2020	36000.00	डस्टबिन क्रय
	योग -	103500.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, स्थापना स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, गवाहों की सूची हस्ताक्षर सहित, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **डस्टबिन क्रय** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **103500.00** में से 50% रू० **51750.00** ग्राम प्रधान **श्री सद्दाम खाँ** से तथा शेष 50% रू० **51750.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री राजेश वर्मा** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-129 ग्राम पंचायत **वॉली** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्रधान मानदेय** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	10-04-2020	7000.00	प्रधान मानदेय
2-	26-06-2020	7000.00	प्रधान मानदेय
3-	17-08-2020	7000.00	प्रधान मानदेय
4-	02-10-2020	7000.00	प्रधान मानदेय
5-	11-12-2020	7000.00	प्रधान मानदेय
	योग -	35000.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत भुगतान करने से पूर्व काटे गये की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, मानदेय रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **प्रधान मानदेय** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹०० **35000.00** में से 50% ₹०० **17500.00** ग्राम प्रधान **श्री सद्दाम खाँ** से तथा शेष 50% ₹०० **17500.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री राजेश वर्मा** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-130 ग्राम पंचायत **वॉली** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **कोविड-19** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	09-02-2020	6300.00	कोविड-19 में व्यय
2-	11-12-2020	2800.00	कोविड-19 में व्यय
	योग -	9100.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में कोविड-19 पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 9100.00 में से 50% ₹ 4550.00 ग्राम प्रधान श्री सद्दाम खाँ से तथा शेष 50% ₹ 4550.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेश वर्मा से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-131 ग्राम पंचायत वॉली में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार प्रशासनिक मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र.सं.	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	10-04-2020	1000.00	प्रशासनिक व्यय
2-	06-06-2020	9627.00	प्रशासनिक व्यय
3-	23-06-2020	7500.00	प्रशासनिक व्यय
4-	02-07-2020	3000.00	प्रशासनिक व्यय
5-	03-09-2020	2986.00	प्रशासनिक व्यय
6-	04-09-2020	2000.00	प्रशासनिक व्यय
7-	29-09-2020	2500.00	प्रशासनिक व्यय
8-	29-09-2020	7450.00	प्रशासनिक व्यय
9-	17-10-2020	4180.00	प्रशासनिक व्यय
10-	17-10-2020	5500.00	प्रशासनिक व्यय
11-	10-11-2020	7588.00	प्रशासनिक व्यय
12-	11-12-2020	2200.00	प्रशासनिक व्यय
13-	25-12-2020	35140.00	फर्नीचर क्रय
	योग -	90671.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र, आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में प्रशासनिक कार्यों पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 90671.00 में से 50% ₹ 45335.50 ग्राम प्रधान श्री सद्दाम खाँ से तथा शेष 50% ₹ 45335.50 ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेश वर्मा से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-132 ग्राम पंचायत कफारा में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	27-05-2020	19950.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
2-	27-05-2020	24918.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
3-	27-05-2020	24736.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
4-	27-05-2020	49472.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
5-	20-08-2020	49472.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
6-	02-12-2020	102163.00	हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय
7-	02-12-2020	101962.00	हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय
8-	08-12-2020	19870.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
योग –		392543.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, हैण्डपम्प खराब होने की शिकायत, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, जल निगम की स्वीकृति यदि आवश्यक हो तो, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, हैण्डपम्प स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹० **392543.00** में से 50% ₹० **196271.50** ग्राम प्रधान श्रीमती शब्बो से तथा शेष 50% ₹० **196271.50** ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेश कुमार भार्गव से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-133 ग्राम पंचायत कफारा में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार वॉल पेन्टिंग मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	08-09-2020	19800.00	वॉल पेन्टिंग कार्य
योग –		19800.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या

निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, स्थापना स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, गवाहों की सूची हस्ताक्षर सहित, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **वॉल पेन्टिंग** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 19800.00 में से 50% ₹ 9900.00 ग्राम प्रधान **श्रीमती शब्बी** से तथा शेष 50% ₹ 9900.00 ग्राम पंचायत सचिव **श्री राजेश कुमार भार्गव** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-134 ग्राम पंचायत **कफारा** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **नाली निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	08-12-2020	229849.00	नाली निर्माण कार्य
2-	19-12-2020	173061.00	नाली निर्माण कार्य
3-	19-12-2020	50377.00	नाली निर्माण कार्य
4-	23-12-2020	226493.00	नाली निर्माण कार्य
	योग -	679780.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **नाली निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 679780.00 में से 50% ₹ 339890.00 ग्राम प्रधान **श्रीमती शब्बी** से तथा शेष 50% ₹ 339890.00 ग्राम पंचायत सचिव **श्री राजेश कुमार भार्गव** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-135 ग्राम पंचायत कफारा में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार खडन्जा निर्माण/मरम्मत मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	27-05-2020	101764.00	खडन्जा निर्माण कार्य
2-	27-05-2020	106227.00	खडन्जा निर्माण कार्य
3-	27-05-2020	45.00	खडन्जा निर्माण कार्य
4-	17-12-2020	176053.00	खडन्जा निर्माण कार्य
5-	02-12-2020	215678.00	खडन्जा निर्माण कार्य
6-	04-12-2020	108968.00	खडन्जा मरम्मत कार्य
7-	17-12-2020	187272.00	खडन्जा निर्माण कार्य
योग -		896007.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में खडन्जा निर्माण/मरम्मत पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 896007.00 में से 50% ₹० 448003.50 ग्राम प्रधान श्रीमती शब्बी से तथा शेष 50% ₹० 448003.50 ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेश कुमार भार्गव से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-136 ग्राम पंचायत कफारा में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	23-12-2020	194681.00	पंचायत भवन में टाइल्स मरम्मत
योग -		194681.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र

(नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹० **194681.00** में से 50% ₹० **97340.50** ग्राम प्रधान **श्रीमती शब्बी** से तथा शेष 50% ₹० **97340.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री राजेश कुमार भार्गव** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-137 ग्राम पंचायत **कफारा** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **सामुदायिक शौचालय निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	03-10-2020	247074.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य
2-	23-12-2020	170199.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य
योग -		417273.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **सामुदायिक शौचालय निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹० **417273.00** में से 50% ₹० **208636.50** ग्राम प्रधान **श्रीमती शब्बी** से तथा शेष 50% ₹० **208636.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री राजेश कुमार भार्गव** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-138 ग्राम पंचायत कफारा में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार प्राथमिक विद्यालय/उ०प्रा०वि० मरम्मत मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	01-06-2020	171700.00	प्राथमिक विद्यालय कफारा में टाइल्स निर्माण कार्य
2-	08-12-2020	127921.00	प्राथमिक विद्यालय में राजापुर में टाइल्स निर्माण
3-	08-12-2020	32715.00	प्राथमिक विद्यालय में राजापुर में टाइल्स निर्माण
	योग -	332336.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्रा० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में प्राथमिक विद्यालय/उ०प्रा०वि० मरम्मत पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 332336.00 में से 50% ₹० 166168.00 ग्राम प्रधान श्रीमती शब्बो से तथा शेष 50% ₹० 166168.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेश कुमार भार्गव से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-139 ग्राम पंचायत कफारा में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार इण्टर लॉकिंग निर्माण मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	27-05-2020	228697.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
2-	27-05-2020	96197.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
3-	22-06-2020	185688.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
4-	22-06-2020	183419.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
5-	22-06-2020	194562.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
6-	25-06-2020	33096.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
7-	25-06-2020	33460.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
8-	25-06-2020	34902.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
9-	08-09-2020	220907.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
10-	03-10-2020	115833.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
11-	23-12-2020	183208.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
12-	23-12-2020	227173.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
13-	24-12-2020	221702.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
14-	23-12-2020	239057.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
	योग -	2197901.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।
अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।
चूँकि ग्राम पंचायत में **इण्टर लॉकिंग निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।
अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹० **2197901.00** में से 50% ₹० **1098950.50** ग्राम प्रधान **श्रीमती शब्बो** से तथा शेष 50% ₹० **1098950.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री राजेश कुमार भार्गव** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-140 ग्राम पंचायत **कफारा** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्रधान मानदेय** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	28-06-2020	52500.00	प्रधान मानदेय
	योग -	52500.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, मानदेय रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।
अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।
चूँकि ग्राम पंचायत में **प्रधान मानदेय** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।
अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹० **52500.00** में से 50% ₹० **26250.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती शब्बो** से तथा शेष 50% ₹० **26250.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री राजेश कुमार भार्गव** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-141 ग्राम पंचायत कफारा में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार प्रशासनिक मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	01-06-2020	21850.00	प्रशासनिक व्यय
2-	18-11-2020	2790.00	स्टेशनरी क्रय
3-	19-11-2020	18000.00	अलमारी, चेयर, टेबिल आदि क्रय
4-	08-12-2020	3000.00	फीडिंग कार्य पर प्रशासनिक व्यय
5-	03-10-2020	1022.00	फोटो कापी पर प्रशासनिक व्यय
6-	13-11-2020	25886.00	प्रशासनिक व्यय
	योग -	72548.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र, स्टेशनरी रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में प्रशासनिक कार्यों पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 72548.00 में से 50% ₹ 36274.00 ग्राम प्रधान श्रीमती शब्बो से तथा शेष 50% ₹ 36274.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेश कुमार भार्गव से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - अभयपुर विकास खण्ड - रमियाबेहड़ वर्ष - 2020-21

प्रस्तर-142 ग्राम पंचायत अभयपुर में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई कैशबुक के अनुसार वॉल पेन्टिंग मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	08-09-2020	19800.00	वॉल पेन्टिंग कार्य
	योग -	19800.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, स्थापना स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, गवाहों की सूची हस्ताक्षर सहित, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त

प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **वॉल पन्टिंग** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 19800.00 में से 50% ₹ 9900.00 ग्राम प्रधान **श्रीमती राजकुमारी** से तथा शेष 50% ₹ 9900.00 ग्राम पंचायत सचिव **श्री राजेश कुमार भार्गव** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-143 ग्राम पंचायत **अभयपुर** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई कैशबुक के अनुसार **नाली निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	03-12-2020	247259.00	नाली निर्माण कार्य
2-	03-12-2020	249263.00	नाली निर्माण कार्य
3-	18-12-2020	40211.00	नाली निर्माण कार्य
	योग -	536733.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **नाली निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 536733.00 में से 50% ₹ 268366.50 ग्राम प्रधान **श्रीमती राजकुमारी** से तथा शेष 50% ₹ 268366.50 ग्राम पंचायत सचिव **श्री राजेश कुमार भार्गव** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-144 ग्राम पंचायत **अभयपुर** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई कैशबुक के अनुसार **खडन्जा निर्माण/मरम्मत** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	22-05-2020	70907.00	खडन्जा निर्माण कार्य
2-	08-09-2020	195547.00	खडन्जा मरम्मत कार्य
3-	05-12-2020	206098.00	खडन्जा मरम्मत कार्य
4-	05-12-2020	196108.00	खडन्जा मरम्मत कार्य

	योग -	668660.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **खडन्जा निर्माण/मरम्मत** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 668660.00 में से 50% ₹ 334330.00 ग्राम प्रधान **श्रीमती राजकुमारी** से तथा शेष 50% ₹ 334330.00 ग्राम पंचायत सचिव **श्री राजेश कुमार भार्गव** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-145 ग्राम पंचायत **अभयपुर** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई कैशबुक के अनुसार **इण्टर लॉकिंग निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	08-09-2020	136372.00	इण्टर लॉक निर्माण कार्य
2-	31-10-2020	221271.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
3-	18-12-2020	177210.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
4-	03-12-2020	240710.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
5-	03-12-2020	206666.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
6-	03-12-2020	227425.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
	योग -	1209654.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **इण्टर लॉकिंग निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 1209654.00 में से 50% ₹ 604827.00 ग्राम प्रधान **श्रीमती राजकुमारी** से तथा शेष 50% ₹ 604827.00 ग्राम पंचायत सचिव **श्री राजेश कुमार भार्गव** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-146 ग्राम पंचायत **अभयपुर** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई कैशबुक के अनुसार **सामुदायिक शौचालय निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	29-09-2020	247070.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य
	योग -	247070.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **सामुदायिक शौचालय निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 247070.00 में से 50% ₹ 123535.00 ग्राम प्रधान **श्रीमती राजकुमारी** से तथा शेष 50% ₹ 123535.00 ग्राम पंचायत सचिव **श्री राजेश कुमार भार्गव** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-147 ग्राम पंचायत **अभयपुर** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई कैशबुक के अनुसार **प्राथमिक विद्यालय में निर्माण कार्य/रिबोर कार्य** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	22-05-2020	117295.00	प्राथमिक विद्यालय अभयपुर में बाउण्ड्री वॉल निर्माण
2-	22-05-2020	147656.00	प्राथमिक विद्यालय अभयपुर में बाउण्ड्री वॉल निर्माण
3-	22-05-2020	201259.00	प्राथमिक विद्यालय अभयपुर में बाउण्ड्री वॉल निर्माण
4-	05-09-2020	24918.00	प्राथमिक विद्यालय अभयपुर में रिबोर कार्य
	योग -	491128.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण

आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **प्राथमिक विद्यालय में निर्माण कार्य/रिबोर कार्य** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹० **491128.00** में से 50% ₹० **245564.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती राजकुमारी** से तथा शेष 50% ₹० **245564.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री राजेश कुमार भार्गव** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-148 ग्राम पंचायत **अभयपुर** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई कैशबुक के अनुसार **प्रधान मानदेय** में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	10-10-2020	35000.00	प्रधान मानदेय
2-	18-11-2020	45500.00	प्रधान मानदेय
	योग -	80500.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल/मस्टररोल, उपभोग प्रमाण पत्र, मानदेय रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **प्रधान मानदेय** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹० **80500.00** में से 50% ₹० **40250.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती राजकुमारी** से तथा शेष 50% ₹० **40250.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री राजेश कुमार भार्गव** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-149 ग्राम पंचायत अभयपुर में वर्ष अभयपुर में उपलब्ध कराई गई कैशबुक के अनुसार कोविड-19 मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	18-11-2020	2790.00	कोविड-19 पर व्यय
2-	03-10-2020	680.00	कोविड-19 हेतु मास्क क्रय
	योग -	3470.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में कोविड-19 पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 3470.00 में से 50% ₹० 1735.00 ग्राम प्रधान श्रीमती राजकुमारी से तथा शेष 50% ₹० 1735.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेश कुमार भार्गव से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-150 ग्राम पंचायत अभयपुर में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई कैशबुक के अनुसार प्रशासनिक मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	12-11-2020	9240.00	प्रशासनिक व्यय
2-	03-12-2020	3000.00	फीडिंग पर प्रशासनिक व्यय
	योग -	12240.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में प्रशासनिक कार्यों पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों

के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 12240.00 में से 50% ₹ 6120.00 ग्राम प्रधान **श्रीमती राजकुमारी** से तथा शेष 50% ₹ 6120.00 ग्राम पंचायत सचिव **श्री राजेश कुमार भार्गव** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – ढखेरवानानकार विकास खण्ड – रमियावेहड़ वर्ष – 2020-21
प्रस्तर-151 ग्राम पंचायत **ढखेरवानानकार** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई कैशबुक के अनुसार **हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	16-12-2020	19600.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
	योग –	19600.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, हैण्डपम्प खराब होने की शिकायत, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, जल निगम की स्वीकृति यदि आवश्यक हो तो, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, हैण्डपम्प स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 19600.00 में से 50% ₹ 9800.00 ग्राम प्रधान **श्रीमती सुनीता पाण्डेय** से तथा शेष 50% ₹ 9800.00 ग्राम पंचायत सचिव **श्री राजेश कुमार भार्गव** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-152 ग्राम पंचायत **ढखेरवानानकार** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई कैशबुक के अनुसार **वॉल पेन्टिंग** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	08-09-2020	19800.00	वॉल पेन्टिंग कार्य
	योग –	19800.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, स्थापना स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों

चरणों की फोटोग्राफी, गवाहों की सूची हस्ताक्षर सहित, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **वॉल पेन्टिंग** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹० **19800.00** में से 50% ₹० **9900.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती सुनीता पाण्डेय** से तथा शेष 50% ₹० **9900.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री राजेश कुमार भार्गव** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-153 ग्राम पंचायत **ढखेरवानानकार** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई कैशबुक के अनुसार **खडन्जा निर्माण/मरम्मत** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	12-06-2020	33852.00	खडन्जा निर्माण कार्य
2-	12-06-2020	33306.00	खडन्जा निर्माण कार्य
3-	28-08-2020	130906.00	खडन्जा मरम्मत कार्य
4-	28-08-2020	42170.00	खडन्जा निर्माण कार्य
5-	28-08-2020	140400.00	खडन्जा निर्माण कार्य
6-	02-09-2020	153248.00	खडन्जा मरम्मत कार्य
7-	02-09-2020	179661.00	खडन्जा निर्माण कार्य
8-	23-12-2020	47452.00	खडन्जा निर्माण कार्य
9-	23-12-2020	85832.00	खडन्जा निर्माण कार्य
10-	16-12-2020	218209.00	खडन्जा निर्माण कार्य
योग -		1065036.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **खडन्जा निर्माण/मरम्मत** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो

उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 1065036.00 में से 50% ₹ 532518.00 ग्राम प्रधान **श्रीमती सुनीता पाण्डेय** से तथा शेष 50% ₹ 532518.00 ग्राम पंचायत सचिव **श्री राजेश कुमार भार्गव** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-154 ग्राम पंचायत **ढखेरवानानकार** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई कैशबुक के अनुसार **प्रशासनिक** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	17-10-2020	2210.00	प्रशासनिक व्यय
2-	12-06-2020	3290.00	स्टेशनरी क्रय
3-	19-11-2020	18000.00	फर्नीचर क्रय
4-	19-12-2020	3000.00	कम्प्यूटर कार्य
5-	13-11-2020	11906.00	प्रशासनिक व्यय
	योग –	38406.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **प्रशासनिक कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 38406.00 में से 50% ₹ 19203.00 ग्राम प्रधान **श्रीमती सुनीता पाण्डेय** से तथा शेष 50% ₹ 19203.00 ग्राम पंचायत सचिव **श्री राजेश कुमार भार्गव** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – मलिनिया विकास खण्ड – पलिया वर्ष – 2020-21

प्रस्तर-155 ग्राम पंचायत **मलिनिया** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **इण्टर लॉकिंग निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	18-06-2020	75959.00	मुन्ना के घर से सरन के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
2-	18-06-2020	31827.00	पूरन के घर से मुन्ना के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
3-	18-06-2020	130449.00	शिवकुमार के घर से हुकुम के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण
4-	18-06-2020	98311.00	सावित्री के घर से मुकेश के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
	योग –	336546.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।
अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।
चूँकि ग्राम पंचायत में **इण्टर लॉकिंग निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।
अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 336546.00 में से 50% ₹ 168273.00 ग्राम प्रधान **श्रीमती परमजीत कौर** से तथा शेष 50% ₹ 168273.00 ग्राम पंचायत सचिव **श्री निर्भय कुमार झा** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-156 ग्राम पंचायत **मलिनिया** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्रशासनिक** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	05-05-2020	25173.00	प्रशासनिक व्यय
	योग -	25173.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, स्टेशनरी रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।
अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।
चूँकि ग्राम पंचायत में **प्रशासनिक कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।
अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 25173.00 में से 50% ₹ 12586.50 ग्राम प्रधान **श्रीमती परमजीत कौर** से तथा शेष 50% ₹ 12586.50 ग्राम पंचायत सचिव **श्री निर्भय कुमार झा** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-157 ग्राम पंचायत पलियाकलां में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	20-11-2020	19900.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
योग –		19900.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, हैण्डपम्प खराब होने की शिकायत, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, जल निगम की स्वीकृति यदि आवश्यक हो तो, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, हैण्डपम्प स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 19900.00 में से 50% ₹० 9950.00 ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी से तथा शेष 50% ₹० 9950.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री सर्वेश कुमार से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-158 ग्राम पंचायत पलियाकलां में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **नाली निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	17-09-2020	189840.00	मनोहर के घर से रंजीत के घर तक नाली निर्माण कार्य
2-	02-10-2020	176567.00	अदिराम के घर से मन्दिर तक नाली निर्माण कार्य
योग –		366407.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त

प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **नाली निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 366407.00 में से 50% ₹ 183203.50 ग्राम प्रधान **श्रीमती आशा देवी** से तथा शेष 50% ₹ 183203.50 ग्राम पंचायत सचिव **श्री सर्वेश कुमार** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-159 ग्राम पंचायत **पलियाकलां** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **खडन्जा निर्माण/मरम्मत** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	13-06-2020	174858.00	श्री किशन के घर से सुनीता के घर तक खडन्जा कार्य
	योग –	174858.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **खडन्जा निर्माण/मरम्मत** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 174858.00 में से 50% ₹ 87429.00 ग्राम प्रधान **श्रीमती आशा देवी** से तथा शेष 50% ₹ 87429.00 ग्राम पंचायत सचिव **श्री सर्वेश कुमार** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-160 ग्राम पंचायत **पलियाकलां** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **सामुदायिक शौचालय निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	24-12-2020	131178.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य
2-	24-12-2020	22250.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य
	योग –	153428.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण

आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **सामुदायिक शौचालय निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹० **153428.00** में से 50% ₹० **76714.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती आशा देवी** से तथा शेष 50% ₹० **76714.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सर्वेश कुमार** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-161 ग्राम पंचायत **पलियाकलां** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्रधान मानदेय** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	09-12-2020	3500.00	प्रधान मानदेय
	योग -	3500.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पृष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, मानदेय रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **प्रधान मानदेय** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹० **3500.00** में से 50% ₹० **1750.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती आशा देवी** से तथा शेष 50% ₹० **1750.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सर्वेश कुमार** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-162 ग्राम पंचायत **पलियाकलां** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **कोविड-19** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	27-06-2020	19500.00	कोविड-19 के अन्तर्गत व्यय
2-	27-06-2020	19900.00	कोविड-19 के अन्तर्गत व्यय
3-	26-06-2020	19200.00	कोविड-19 के अन्तर्गत व्यय
4-	25-12-2020	2800.00	कोविड-19 के अन्तर्गत व्यय
	योग -	61400.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **कोविड-19** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹०० **61400.00** में से 50% ₹०० **30700.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती आशा देवी** से तथा शेष 50% ₹०० **30700.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सर्वेश कुमार** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-163 ग्राम पंचायत **पलियाकलां** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्रशासनिक** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	25-12-2020	17700.00	फोटोकापी पर व्यय
2-	05-07-2020	7000.00	स्टेशनरी क्रय
	योग -	24700.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र, स्टेशनरी रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में प्रशासनिक कार्यों पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 24700.00 में से 50% ₹ 12350.00 ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी से तथा शेष 50% ₹ 12350.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री सर्वेश कुमार से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – कृष्णानगरकालोनी विकास खण्ड – पलिया वर्ष – 2020-21
प्रस्तर-164 ग्राम पंचायत कृष्णानगरकालोनी में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	15-12-2020	29371.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
2-	15-12-2020	29371.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
3-	15-12-2020	29371.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
4-	15-12-2020	29371.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
	योग –	117484.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, हैण्डपम्प खराब होने की शिकायत, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, जल निगम की स्वीकृति यदि आवश्यक हो तो, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, हैण्डपम्प स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 117484.00 में से 50% ₹ 58742.00 ग्राम प्रधान श्री जीत कुमार से तथा शेष 50% ₹ 58742.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री सर्वेश कुमार से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-165 ग्राम पंचायत कृष्णानगरकालोनी में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार खडन्जा निर्माण/मरम्मत मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	15-10-2020	3580.00	खडन्जा कार्य
	योग –	3580.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे

गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **खडन्जा निर्माण/मरम्मत** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 3580.00 में से 50% ₹ 1790.00 ग्राम प्रधान **श्री जीत कुमार** से तथा शेष 50% ₹ 1790.00 ग्राम पंचायत सचिव **श्री सर्वेश कुमार** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-166 ग्राम पंचायत **कृष्णानगरकालोनी** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **इण्टर लॉकिंग निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	16-12-2020	200394.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
2-	08-12-2020	140593.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
	योग -	340987.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **इण्टर लॉकिंग निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० 340987.00 में से 50% रू० 170493.50 ग्राम प्रधान श्री जीत कुमार से तथा शेष 50% रू० 170493.50 ग्राम पंचायत सचिव श्री सर्वेश कुमार से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-167 ग्राम पंचायत कृष्णानगरकालोनी में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालय में निर्माण मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	21-10-2020	45347.00	उच्च प्राथमिक विद्यालय में निर्माण कार्य
	योग -	45347.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में उच्च प्राथमिक विद्यालय में निर्माण पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० 45347.00 में से 50% रू० 22673.50 ग्राम प्रधान श्री जीत कुमार से तथा शेष 50% रू० 22673.50 ग्राम पंचायत सचिव श्री सर्वेश कुमार से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-168 ग्राम पंचायत कृष्णानगरकालोनी में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार पंचायत भवन निर्माण मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	22-11-2020	243119.00	पंचायत भवन में निर्माण कार्य
	योग -	243119.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 243119.00 में से 50% ₹ 121559.50 ग्राम प्रधान श्री जीत कुमार से तथा शेष 50% ₹ 121559.50 ग्राम पंचायत सचिव श्री सर्वेश कुमार से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-169 ग्राम पंचायत कृष्णनगरकालोनी में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार प्रधान मानदेय मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	04-10-2020	31500.00	प्रधान मानदेय
	योग -	31500.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, मानदेय रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में प्रधान मानदेय पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 31500.00 में से 50% ₹ 15750.00 ग्राम प्रधान श्री जीत कुमार से तथा शेष 50% ₹ 15750.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री सर्वेश कुमार से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - मझरापश्चिम विकास खण्ड - पलिया वर्ष - 2020-21

प्रस्तर-170 ग्राम पंचायत मझरापश्चिम में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	23-10-2020	1260.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
	योग -	1260.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये

टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकती।

- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, हैण्डपम्प खराब होने की शिकायत, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, जल निगम की स्वीकृति यदि आवश्यक हो तो, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, हैण्डपम्प स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकती।

- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 1260.00 में से 50% ₹ 630.00 ग्राम प्रधान श्रीमती फूलमती से तथा शेष 50% ₹ 630.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री सर्वेश कुमार से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-171 ग्राम पंचायत मझरापश्चिम में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार हयूम पाइप मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	06-08-2020	193406.00	हयूम पाइप क्रय
	योग -	193406.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकती।

- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, स्थापना स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, गवाहों की सूची हस्ताक्षर सहित, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकती।

- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में हयूम पाइप पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 193406.00 में से 50% ₹ 96703.00 ग्राम प्रधान श्रीमती फूलमती से तथा शेष 50% ₹ 96703.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री सर्वेश कुमार से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-172 ग्राम पंचायत मझरापश्चिम में वर्ष 2020-21 में में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार खडन्जा निर्माण/मरम्मत मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	08-11-2020	113730.00	खडन्जा निर्माण कार्य
2-	25-07-2020	121431.00	खडन्जा निर्माण कार्य
3-	26-07-2020	94999.00	खडन्जा निर्माण कार्य
4-	29-07-2020	121977.00	खडन्जा निर्माण कार्य
5-	29-07-2020	120325.00	खडन्जा निर्माण कार्य
6-	29-07-2020	121977.00	खडन्जा निर्माण कार्य
7-	30-07-2020	192719.00	खडन्जा निर्माण कार्य
8-	12-08-2020	180806.00	खडन्जा निर्माण कार्य
9-	10-11-2020	113931.00	खडन्जा निर्माण कार्य
	योग -	1181895.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में खडन्जा निर्माण/मरम्मत पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 1181895.00 में से 50% ₹ 590947.50 ग्राम प्रधान श्रीमती फूलमती से तथा शेष 50% ₹ 590947.50 ग्राम पंचायत सचिव श्री सर्वेश कुमार से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-173 ग्राम पंचायत मझरापश्चिम में वर्ष 2020-21 में में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार प्राथमिक विद्यालय निर्माण मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	09-11-2020	196506.00	प्राथमिक विद्यालय में निर्माण कार्य
	योग -	196506.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा

का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **प्राथमिक विद्यालय निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹० **196506.00** में से 50% ₹० **98253.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती फूलमती** से तथा शेष 50% ₹० **98253.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सर्वेश कुमार** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-174 ग्राम पंचायत **मझरापश्चिम** में वर्ष **2020-21** में में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **सामुदायिक शौचालय निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	29-11-2020	244252.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य
2-	07-12-2020	20036.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य
योग -		264288.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **सामुदायिक शौचालय निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹० **264288.00** में से 50% ₹० **132144.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती फूलमती** से तथा शेष 50% ₹० **132144.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सर्वेश कुमार** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-175 ग्राम पंचायत मझरापश्चिम में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार प्रधान मानदेय मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	23-07-2020	3500.00	प्रधान मानदेय
2-	30-07-2020	38500.00	प्रधान मानदेय
	योग -	42000.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, मानदेय रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में प्रधान मानदेय पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 42000.00 में से 50% ₹ 21000.00 ग्राम प्रधान श्रीमती फूलमती से तथा शेष 50% ₹ 21000.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री सर्वेश कुमार से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - पुनर्भुगट

विकास खण्ड - बांकेगंज

वर्ष - 2020-21

प्रस्तर-176 ग्राम पंचायत पुनर्भुगट में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार वॉल पेन्टिंग मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	14-09-2020	18500.00	वॉल पेन्टिंग
	योग -	18500.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, स्थापना स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, गवाहों की सूची हस्ताक्षर सहित, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **वॉल पेन्टिंग** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि **रु० 18500.00** में से 50% **रु० 9250.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती नजमा खातून** से तथा शेष 50% **रु० 9250.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री विजेन्द्र अवस्थी** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-177 ग्राम पंचायत **पुनर्भुगट** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **नाली निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	13-10-2020	88277.00	नाली निर्माण
2-	13-10-2020	40025.00	नाली निर्माण
3-	13-10-2020	8729.00	नाली निर्माण
4-	13-10-2020	25440.00	नाली निर्माण
5-	13-10-2020	38910.00	नाली निर्माण
6-	25-11-2020	73911.00	नाली निर्माण कार्य
7-	25-11-2020	33353.00	नाली निर्माण कार्य
8-	25-11-2020	7140.00	नाली निर्माण कार्य
9-	25-11-2020	11670.00	नाली निर्माण कार्य
10-	25-11-2020	39040.00	नाली निर्माण कार्य
11-	0512-2020	47644.00	नाली निर्माण कार्य
12-	0512-2020	41748.00	नाली निर्माण कार्य
13-	0512-2020	41009.00	नाली निर्माण कार्य
14-	0512-2020	8670.00	नाली निर्माण कार्य
15-	0512-2020	46250.00	नाली निर्माण कार्य
16-	08-12-2020	11160.00	नाली निर्माण कार्य
17-	10-12-2020	6842.00	नाली निर्माण कार्य
18-	10-12-2020	39452.00	नाली निर्माण कार्य
19-	10-12-2020	67270.00	नाली निर्माण कार्य
20-	10-12-2020	39990.00	नाली निर्माण कार्य
21-	23-12-2020	1290.00	नाली निर्माण कार्य
22-	23-12-2020	900.00	नाली निर्माण कार्य
योग -		718720.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में नाली निर्माण पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 718720.00 में से 50% ₹ 359360.00 ग्राम प्रधान श्रीमती नजमा खातून से तथा शेष 50% ₹ 359360.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री विजेन्द्र अवस्थी से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-178 ग्राम पंचायत पुनर्भुगत में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार खडन्जा निर्माण/मरम्मत मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	19-09-2020	50129.00	खडन्जा कार्य
2-	23-09-2020	40414.00	खडन्जा कार्य
3-	24-09-2020	8192.00	खडन्जा कार्य
4-	24-09-2020	25740.00	खडन्जा कार्य
5-	24-09-2020	6483.00	खडन्जा कार्य
6-	24-09-2020	21750.00	खडन्जा कार्य
7-	25-09-2020	20928.00	खडन्जा कार्य
8-	25-09-2020	19771.00	खडन्जा कार्य
9-	08-11-2020	49245.00	मिट्टी/खडन्जा कार्य
10-	08-11-2020	45833.00	मिट्टी/खडन्जा कार्य
11-	08-11-2020	4024.00	मिट्टी/खडन्जा कार्य
12-	08-11-2020	29000.00	मिट्टी/खडन्जा कार्य
13-	08-11-2020	42210.00	मिट्टी/खडन्जा कार्य
14-	08-11-2020	37356.00	मिट्टी/खडन्जा कार्य
15-	08-11-2020	26522.00	मिट्टी/खडन्जा कार्य
16-	08-11-2020	4073.00	मिट्टी/खडन्जा कार्य
17-	08-11-2020	25740.00	मिट्टी/खडन्जा कार्य
18-	08-11-2020	8150.00	मिट्टी/खडन्जा कार्य
19-	28-11-2020	42210.00	मिट्टी व खडन्जा कार्य
20-	28-11-2020	37356.00	मिट्टी व खडन्जा कार्य
21-	28-11-2020	26522.00	मिट्टी व खडन्जा कार्य
22-	28-11-2020	49245.00	मिट्टी व खडन्जा कार्य
23-	28-11-2020	45833.00	मिट्टी व खडन्जा कार्य
24-	07-12-2020	126735.00	मिट्टी व खडन्जा कार्य
25-	07-12-2020	6898.00	मिट्टी व खडन्जा कार्य
26-	08-12-2020	9030.00	मिट्टी व खडन्जा कार्य
27-	21-12-2020	73445.00	मिट्टी व खडन्जा कार्य
28-	21-12-2020	73445.00	मिट्टी व खडन्जा कार्य
29-	21-12-2020	7095.00	मिट्टी व खडन्जा कार्य
30-	21-12-2020	41960.00	मिट्टी व खडन्जा कार्य
31-	21-12-2020	112496.00	मिट्टी व खडन्जा कार्य
32-	21-12-2020	7050.00	मिट्टी व खडन्जा कार्य
33-	21-12-2020	35520.00	मिट्टी व खडन्जा कार्य
34-	24-12-2020	61204.00	मिट्टी व खडन्जा कार्य
35-	24-12-2020	61204.00	मिट्टी व खडन्जा कार्य
36-	24-12-2020	5749.00	मिट्टी व खडन्जा कार्य
37-	24-12-2020	38610.00	मिट्टी व खडन्जा कार्य
38-	24-12-2020	4800.00	मिट्टी व खडन्जा कार्य
योग -		1331967.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण

आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **खडन्जा निर्माण/मरम्मत** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि **रु० 1331967.00** में से 50% रु० **665983.50** ग्राम प्रधान **श्रीमती नजमा खातून** से तथा शेष 50% रु० **665983.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री विजेन्द्र अवस्थी** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-179 ग्राम पंचायत **पुनर्भुगट** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **इण्टर लॉकिंग निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	24-11-2020	38777.00	इण्टर लॉकिंग कार्य
2-	24-11-2020	7752.00	इण्टर लॉकिंग कार्य
3-	19-09-2020	34450.00	इण्टर लॉकिंग कार्य
4-	21-09-2020	138107.00	इण्टर लॉकिंग कार्य
5-	23-09-2020	138107.00	इण्टर लॉकिंग कार्य
6-	23-09-2020	34486.00	इण्टर लॉकिंग कार्य
7-	24-09-2020	8145.00	इण्टर लॉकिंग कार्य
8-	24-09-2020	34960.00	इण्टर लॉकिंग कार्य
9-	24-09-2020	8221.00	इण्टर लॉकिंग कार्य
10-	24-09-2020	35950.00	इण्टर लॉकिंग कार्य
11-	25-11-2020	21148.00	इण्टर लॉकिंग कार्य
12-	25-11-2020	77880.00	इण्टर लॉकिंग कार्य
13-	25-11-2020	48805.00	इण्टर लॉकिंग कार्य
14-	25-11-2020	28450.00	इण्टर लॉकिंग कार्य
15-	25-11-2020	38646.00	इण्टर लॉकिंग कार्य
16-	25-11-2020	22081.00	इण्टर लॉकिंग कार्य
17-	25-11-2020	7672.00	इण्टर लॉकिंग कार्य
18-	25-11-2020	29350.00	इण्टर लॉकिंग कार्य
19-	23-12-2020	122661.00	इण्टर लॉकिंग कार्य
20-	23-12-2020	7800.00	इण्टर लॉकिंग कार्य
योग -		883448.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे

गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करावें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **इण्टर लॉकिंग निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि **रू० 883448.00** में से 50% रू० **441724.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती नजमा खातून** से तथा शेष 50% रू० **441724.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री विजेन्द्र अवस्थी** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-180 ग्राम पंचायत **पुनर्भूगट** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **सामुदायिक शौचालय निर्माण/मरम्मत** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	07-12-2020	114279.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य
2-	07-12-2020	87993.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य
3-	07-12-2020	19080.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य
4-	07-12-2020	29820.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य
5-	07-12-2020	44730.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य
6-	07-12-2020	32650.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य
7-	07-12-2020	7480.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य
8-	07-12-2020	30140.000	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य
9-	07-12-2020	14920.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य
10-	07-12-2020	56290.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य
11-	08-11-2020	5160.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य
12-	08-12-2020	16770.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य
योग -		459312.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त

प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **सामुदायिक शौचालय निर्माण/मरम्मत** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 459312.00 में से 50% ₹ 229656.00 ग्राम प्रधान **श्रीमती नजमा खातून** से तथा शेष 50% ₹ 229656.00 ग्राम पंचायत सचिव **श्री विजेन्द्र अवस्थी** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-181 ग्राम पंचायत पुनर्भुगट में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार पंचायत घर निर्माण/मरम्मत मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	24-12-2020	54823.00	पंचायत घर मरम्मत
2-	24-12-2020	2082.00	पंचायत घर मरम्मत
3-	24-12-2020	79050.00	पंचायत घर मरम्मत
4-	24-12-2020	29100.00	पंचायत घर मरम्मत
योग –		165055.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पृष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **पंचायत घर निर्माण/मरम्मत** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 165055.00 में से 50% ₹ 82527.50 ग्राम प्रधान **श्रीमती नजमा खातून** से तथा शेष 50% ₹ 82527.50 ग्राम पंचायत सचिव **श्री विजेन्द्र अवस्थी** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-182 ग्राम पंचायत पुनर्भुगट में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार प्रधान मानदेय मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	02-09-2020	21000.00	प्रधान मानदेय
2-	23-09-2020	10500.00	प्रधान मानदेय
योग –		31500.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, मानदेय रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में प्रधान मानदेय पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 31500.00 में से 50% ₹ 15750.00 ग्राम प्रधान श्रीमती नजमा खातून से तथा शेष 50% ₹ 15750.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री विजेन्द्र अवस्थी से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-183 ग्राम पंचायत पुनर्भुगट में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार कोविड-19 मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	08-11-2020	2800.00	आक्सीमीटर क्रय
	योग -	2800.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में कोविड-19 पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 2800.00 में से 50% ₹ 1400.00 ग्राम प्रधान श्रीमती नजमा खातून से तथा शेष 50% ₹ 1400.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री विजेन्द्र अवस्थी से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-184 ग्राम पंचायत पुनर्भुगट में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार प्रशासनिक मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	25-11-2020	9885.00	फोटो कापी आदि
2-	24-12-2020	9000.00	कम्प्यूटर कार्य
3-	24-12-2020	980.00	स्टेशनरी क्रय
	योग -	19865.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र, स्टेशनरी रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में प्रशासनिक कार्यों पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 19865.00 में से 50% ₹० 9932.50 ग्राम प्रधान श्रीमती नजमा खातून से तथा शेष 50% ₹० 9932.50 ग्राम पंचायत सचिव श्री विजेन्द्र अवस्थी से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-185 ग्राम पंचायत पुनर्भुगट में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार अन्य मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	08-11-2020	19500.00	ठेला क्रय
2-	24-12-2020	83300.00	वृक्षारोपण
	योग -	102800.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कार्यों पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 102800.00 में से 50% ₹ 51400.00 ग्राम प्रधान श्रीमती नजमा खातून से तथा शेष 50% ₹ 51400.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री विजेन्द्र अवस्थी से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – सुआबोझ विकास खण्ड – बांकेगंज वर्ष – 2020-21
प्रस्तर-186 ग्राम पंचायत सुआबोझ में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	06-11-2020	99888.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
2-	06-11-2020	99888.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
3-	19-12-2020	62430.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
4-	21-12-2020	49944.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
5-	06-11-2020	103559.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
6-	06-11-2020	103559.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
7-	19-12-2020	64724.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
8-	21-12-2020	51780.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
योग –		635772.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पृष्ठ में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, हैण्डपम्प खराब होने की शिकायत, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, जल निगम की स्वीकृति यदि आवश्यक हो तो, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, हैण्डपम्प स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 635772.00 में से 50% ₹ 317886.00 ग्राम प्रधान श्री शंकर लाल से तथा शेष 50% ₹ 317886.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री योगेश वर्मा से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-187 ग्राम पंचायत सुआबोझ में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार वॉल पेन्टिंग मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	16-10-2020	18500.00	ग्राम पंचायत में वॉल पेन्टिंग कार्य
योग –		18500.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, स्थापना स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, गवाहों की सूची हस्ताक्षर सहित, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **वॉल पेन्टिंग** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹० **18500.00** में से 50% ₹० **9250.00** ग्राम प्रधान **श्री शंकर लाल** से तथा शेष 50% ₹० **9250.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री योगेश वर्मा** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-188 ग्राम पंचायत **सुआबोझ** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **इण्टर लॉकिंग निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	14-11-2020	126036.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
2-	14-11-2020	152463.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
3-	14-11-2020	64968.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
4-	14-11-2020	52817.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
5-	14-11-2020	54826.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
6-	14-11-2020	43574.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
7-	14-11-2020	61527.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
8-	14-11-2020	48502.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
9-	17-11-2020	42470.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
10-	17-11-2020	38180.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
11-	17-11-2020	45130.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
12-	22-11-2020	210406.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
13-	22-11-2020	54440.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
14-	22-11-2020	40280.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
15-	22-11-2020	170298.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
16-	22-11-2020	141482.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
17-	22-11-2020	180033.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
18-	22-11-2020	152904.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
19-	22-11-2020	46760.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
20-	25-11-2020	42900.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
21-	06-12-2020	44646.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
22-	06-12-2020	16486.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
23-	06-12-2020	17325.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य

24-	06-12-2020	46728.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
25-	06-12-2020	46728.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
26-	06-12-2020	36344.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
27-	06-12-2020	34020.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
28-	06-12-2020	52670.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
29-	06-12-2020	17920.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
30-	06-12-2020	18880.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
31-	06-12-2020	123829.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
32-	06-12-2020	34320.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
33-	06-12-2020	45237.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
34-	06-12-2020	34707.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
35-	06-12-2020	129800.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
36-	06-12-2020	34920.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
37-	06-12-2020	44777.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
38-	06-12-2020	34073.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
योग -		2583406.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में इण्टर लॉकिंग निर्माण पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 2583406.00 में से 50% ₹ 1291703.00 ग्राम प्रधान श्री शंकर लाल से तथा शेष 50% ₹ 1291703.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री योगेश वर्मा से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-189 ग्राम पंचायत सुआबोझ में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार प्रधान मानदेय मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	08-10-2020	21000.00	प्रधान मानदेय
2-	18-12-2020	7000.00	प्रधान मानदेय
योग -		28000.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण

आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, मानदेय रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में प्रधान मानदेय पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 28000.00 में से 50% ₹ 14000.00 ग्राम प्रधान श्री शंकर लाल से तथा शेष 50% ₹ 14000.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री योगेश वर्मा से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-190 ग्राम पंचायत सुआबोझ में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार कोविड-19 मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	11-10-2020	2800.00	कोविड-19 के अन्तर्गत व्यय
2-	15-10-2020	65000.00	कोविड-19 के अन्तर्गत व्यय
	योग -	67800.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, वितरण रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में कोविड-19 पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 67800.00 में से 50% ₹ 33900.00 ग्राम प्रधान श्री शंकर लाल से तथा शेष 50% ₹ 33900.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री योगेश वर्मा से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-191 ग्राम पंचायत सुआबोझ में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार प्रशासनिक मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	11-10-2020	13920.00	फोटोकापी पर व्यय
2-	11-10-2020	2500.00	फोटोकापी पर व्यय
3-	28-10-2020	10500.00	टेण्डर पर व्यय
4-	18-12-2020	16500.00	फोटोकापी पर व्यय
	योग -	43420.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र, स्टेशनरी रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में प्रशासनिक कार्यों पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 43420.00 में से 50% ₹ 21710.00 ग्राम प्रधान श्री शंकर लाल से तथा शेष 50% ₹ 21710.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री योगेश वर्मा से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-192 ग्राम पंचायत सुआबोझ में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार अन्य मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	22-12-2020	84590.00	ग्राम पंचायत में वृक्षारोपण कार्य
	योग -	84590.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल/मस्टररोल, उपभोग प्रमाण पत्र, वितरण रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कार्यों पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 84590.00 में से 50% ₹ 42295.00 ग्राम प्रधान श्री शंकर लाल से तथा शेष 50% ₹ 42295.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री योगेश वर्मा से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – ग्रंटनं०-10

विकास खण्ड – बांकेगंज

वर्ष – 2020-21

प्रस्तर-193 ग्राम पंचायत ग्रंटनं०-10 में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	13-10-2020	29752.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
2-	13-10-2020	8700.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
3-	03-11-2020	8700.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
4-	03-11-2020	29752.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
5-	06-12-2020	8700.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
6-	06-12-2020	29752.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
7-	25-12-2020	36450.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
8-	23-06-2020	23180.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
9-	26-11-2020	3150.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
10-	26-11-2020	24111.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
11-	26-11-2020	97612.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
12-	26-11-2020	95888.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
योग –		395747.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, हैण्डपम्प खराब होने की शिकायत, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, जल निगम की स्वीकृति यदि आवश्यक हो तो, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, हैण्डपम्प स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 395747.00 में से 50% ₹ 197873.50 ग्राम प्रधान श्री वीरेन्द्र कुमार से तथा शेष 50% ₹ 197873.50 ग्राम पंचायत सचिव श्री जगत पाल से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-194 ग्राम पंचायत **ग्रंटनं0-10** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **वॉल पेन्टिंग** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	09-09-2020	18502.00	वॉल पेन्टिंग
योग -		18502.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, स्थापना स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, गवाहों की सूची हस्ताक्षर सहित, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **वॉल पेन्टिंग** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹० **18502.00** में से 50% ₹० **9251.00** ग्राम प्रधान **श्री वीरेन्द्र कुमार** से तथा शेष 50% ₹० **9251.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री जगत पाल** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-195 ग्राम पंचायत **ग्रंटनं0-10** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हयूम पाइप** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	16-06-2020	44923.00	हयूम पाइप क्रय
2-	16-06-2020	22983.00	हयूम पाइप क्रय
3-	16-06-2020	57737.00	हयूम पाइप क्रय
4-	16-06-2020	57737.00	हयूम पाइप क्रय
योग -		183380.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, स्थापना स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, गवाहों की सूची हस्ताक्षर सहित, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त

प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में ह्यूम पाइप पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 183380.00 में से 50% ₹ 91690.00 ग्राम प्रधान श्री वीरेन्द्र कुमार से तथा शेष 50% ₹ 91690.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री जगत पाल से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-196 ग्राम पंचायत ग्रंटनं०-10 में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार नाली निर्माण मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	03-05-2020	97108.00	प्रदीप के घर से हंसराम के घर तक नाली निर्माण/मरम्मत कार्य
2-	03-05-2020	40662.00	प्रदीप के घर से हंसराम के घर तक नाली निर्माण/मरम्मत कार्य
3-	03-05-2020	10400.00	प्रदीप के घर से हंसराम के घर तक नाली निर्माण/मरम्मत कार्य
4-	03-05-2020	70200.00	प्रदीप के घर से हंसराम के घर तक नाली निर्माण/मरम्मत कार्य
5-	26-05-2020	44524.00	महेश के घर से छोटेलाल के घर तक नाली निर्माण/मरम्मत कार्य
6-	26-05-2020	28980.00	महेश के घर से छोटेलाल के घर तक नाली निर्माण/मरम्मत कार्य
7-	26-05-2020	29704.00	महेश के घर से छोटेलाल के घर तक नाली निर्माण/मरम्मत कार्य
8-	26-05-2020	50960.00	महेश के घर से छोटेलाल के घर तक नाली निर्माण/मरम्मत कार्य
9-	27-05-2020	9440.00	महेश के घर से छोटेलाल के घर तक नाली निर्माण/मरम्मत कार्य
10-	27-05-2020	47540.00	महेश के घर से छोटेलाल के घर तक नाली निर्माण/मरम्मत कार्य
11-	02-12-2020	73286.00	विमल के घर से उपाध्याय के घर तक नाली निर्माण/मरम्मत कार्य
12-	02-12-2020	24530.00	विमल के घर से उपाध्याय के घर तक नाली निर्माण/मरम्मत कार्य
13-	02-12-2020	7437.00	विमल के घर से उपाध्याय के घर तक नाली निर्माण/मरम्मत कार्य
14-	03-12-2020	48090.00	विमल के घर से उपाध्याय के घर तक नाली निर्माण/मरम्मत कार्य
योग –		582861.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा

का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **नाली निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 582861.00 में से 50% ₹ 291430.50 ग्राम प्रधान **श्री वीरेन्द्र कुमार** से तथा शेष 50% ₹ 291430.50 ग्राम पंचायत सचिव **श्री जगत पाल** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-197 ग्राम पंचायत **ग्रंटनं0-10** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **खडन्जा निर्माण/मरम्मत** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	26-11-2020	98490.00	खडन्जा निर्माण कार्य
2-	26-11-2020	74923.00	खडन्जा निर्माण कार्य
3-	26-11-2020	11350.00	खडन्जा निर्माण कार्य
4-	26-11-2020	56970.00	खडन्जा निर्माण कार्य
5-	14-12-2020	56280.00	खडन्जा निर्माण कार्य
6-	14-12-2020	57968.00	खडन्जा निर्माण कार्य
7-	14-12-2020	11088.00	खडन्जा निर्माण कार्य
8-	14-12-2020	42900.00	खडन्जा निर्माण कार्य
योग -		409969.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **खडन्जा निर्माण/मरम्मत** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० 409969.00 में से 50% रू० 204984.50 ग्राम प्रधान श्री वीरेन्द्र कुमार से तथा शेष 50% रू० 204984.50 ग्राम पंचायत सचिव श्री जगत पाल से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-198 ग्राम पंचायत ग्रंटनं०-10 में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार इण्टर लॉकिंग निर्माण मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	02-05-2020	25892.00	रूपलाल के मकान से रामलाल के मकान तक इण्टर लॉकिंग निर्माण/मरम्मत कार्य
2-	02-05-2020	16338.00	रूपलाल के मकान से रामलाल के मकान तक इण्टर लॉकिंग निर्माण/मरम्मत कार्य
3-	02-05-2020	85030.00	रूपलाल के मकान से रामलाल के मकान तक इण्टर लॉकिंग निर्माण/मरम्मत कार्य
4-	02-05-2020	27690.00	रूपलाल के मकान से रामलाल के मकान तक इण्टर लॉकिंग निर्माण/मरम्मत कार्य
5-	02-05-2020	5838.00	रूपलाल के मकान से रामलाल के मकान तक इण्टर लॉकिंग निर्माण/मरम्मत कार्य
6-	14-06-2020	10824.00	नरेश के मकान से सरफराज के मकान तक इण्टर लॉकिंग निर्माण/मरम्मत कार्य
7-	02-05-2020	5533.00	नरेश के मकान से सरफराज के मकान तक इण्टर लॉकिंग निर्माण/मरम्मत कार्य
8-	02-05-2020	26400.00	नरेश के मकान से सरफराज के मकान तक इण्टर लॉकिंग निर्माण/मरम्मत कार्य
9-	02-05-2020	1822.00	नरेश के मकान से सरफराज के मकान तक इण्टर लॉकिंग निर्माण/मरम्मत कार्य
10-	02-05-2020	8590.00	नरेश के मकान से सरफराज के मकान तक इण्टर लॉकिंग निर्माण/मरम्मत कार्य
11-	10-10-2020	19097.00	मदन के मकान से ठाकुर के मकान तक इण्टर लॉकिंग निर्माण/मरम्मत कार्य
12-	02-05-2020	8960.00	मदन के मकान से ठाकुर के मकान तक इण्टर लॉकिंग निर्माण/मरम्मत कार्य
13-	02-05-2020	11532.00	मदन के मकान से ठाकुर के मकान तक इण्टर लॉकिंग निर्माण/मरम्मत कार्य
14-	02-05-2020	92400.00	मदन के मकान से ठाकुर के मकान तक इण्टर लॉकिंग निर्माण/मरम्मत कार्य
15-	02-05-2020	47740.00	मदन के मकान से ठाकुर के मकान तक इण्टर लॉकिंग निर्माण/मरम्मत कार्य
16-	02-05-2020	37880.00	मदन के मकान से ठाकुर के मकान तक इण्टर लॉकिंग निर्माण/मरम्मत कार्य
17-	01-11-2020	19031.00	बृजलाल के मकान से पक्की रोड तक इण्टर लॉकिंग निर्माण/मरम्मत कार्य
18-	02-05-2020	8400.00	बृजलाल के मकान से पक्की रोड तक इण्टर लॉकिंग निर्माण/मरम्मत कार्य
19-	02-05-2020	8962.00	बृजलाल के मकान से पक्की रोड तक इण्टर लॉकिंग निर्माण/मरम्मत कार्य
20-	02-05-2020	92400.00	बृजलाल के मकान से पक्की रोड तक इण्टर लॉकिंग निर्माण/मरम्मत कार्य
21-	02-05-2020	47740.00	बृजलाल के मकान से पक्की रोड तक इण्टर लॉकिंग निर्माण/मरम्मत कार्य
22-	02-05-2020	37150.00	बृजलाल के मकान से पक्की रोड तक इण्टर लॉकिंग निर्माण/मरम्मत कार्य
योग -		645249.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **इण्टर लॉकिंग निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹० **645249.00** में से 50% ₹० **322624.50** ग्राम प्रधान **श्री वीरेन्द्र कुमार** से तथा शेष 50% ₹० **322624.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री जगत पाल** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-199 ग्राम पंचायत **ग्रंटनं०-10** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **आंगनबाड़ी निर्माण/मरम्मत** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	28-06-2020	130221.00	आंगनबाड़ी भवन में निर्माण कार्य
2-	30-09-2020	6457.00	आंगनबाड़ी भवन में निर्माण कार्य
3-	30-09-2020	8001.00	आंगनबाड़ी भवन में निर्माण कार्य
4-	30-09-2020	1500.00	आंगनबाड़ी भवन में निर्माण कार्य
5-	30-09-2020	664.00	आंगनबाड़ी भवन में निर्माण कार्य
6-	30-09-2020	7340.00	आंगनबाड़ी भवन में निर्माण कार्य
	योग -	154183.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **आंगनबाड़ी निर्माण/मरम्मत** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 154183.00 में से 50% ₹ 77091.50 ग्राम प्रधान **श्री वीरेन्द्र कुमार** से तथा शेष 50% ₹ 77091.50 ग्राम पंचायत सचिव **श्री जगत पाल** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-200 ग्राम पंचायत **ग्रंटनं0-10** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **सामुदायिक शौचालय निर्माण/मरम्मत** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	21-09-2020	57919.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य
2-	21-09-2020	27934.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य
3-	21-09-2020	67936.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य
4-	21-09-2020	57160.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य
5-	21-09-2020	11767.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य
6-	21-09-2020	6480.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य
7-	23-09-2020	21713.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य
8-	23-09-2020	10090.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य
9-	23-09-2020	5615.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य
10-	23-09-2020	82500.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य
11-	23-09-2020	23080.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य
	योग -	372194.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **सामुदायिक शौचालय निर्माण/मरम्मत** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 372194.00 में से 50% ₹ 186097.00 ग्राम प्रधान **श्री वीरेन्द्र कुमार** से तथा शेष 50% ₹ 186097.00 ग्राम पंचायत सचिव **श्री जगत पाल** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-201 ग्राम पंचायत **ग्रंटनं0-10** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्रधान मानदेय** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	03-05-2020	3500.00	प्रधान मानदेय
2-	03-11-2020	21000.00	प्रधान मानदेय
	योग -	24500.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, मानदेय रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **प्रधान मानदेय** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि **रु० 24500.00** में से 50% रु० **12250.00** ग्राम प्रधान **श्री वीरेन्द्र कुमार** से तथा शेष 50% रु० **12250.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री जगत पाल** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-202 ग्राम पंचायत **ग्रंटनं0-10** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्रशासनिक** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	03-11-2020	13327.00	निविदा प्रकाशन पर व्यय
2-	25-12-2020	38097.00	स्टेशनरी क्रय
	योग -	51424.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र, स्टेशनरी रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **प्रशासनिक कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों

के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 51424.00 में से 50% ₹ 25712.00 ग्राम प्रधान श्री वीरेन्द्र कुमार से तथा शेष 50% ₹ 25712.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री जगत पाल से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-203 ग्राम पंचायत ग्रंटनं0-10 में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार अन्य मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	19-09-2020	41650.00	ग्राम पंचायत में वृक्षारोपण कार्य
	योग -	41650.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र, वितरण रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कार्यों पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 41650.00 में से 50% ₹ 20825.00 ग्राम प्रधान श्री वीरेन्द्र कुमार से तथा शेष 50% ₹ 20825.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री जगत पाल से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - संसारपुर विकास खण्ड - बांकेगंज वर्ष - 2020-21

प्रस्तर-204 ग्राम पंचायत संसारपुर में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	24-11-2020	103559.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
2-	24-11-2020	11469.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
3-	24-11-2020	3150.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
4-	24-11-2020	15908.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
5-	24-11-2020	99888.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
6-	15-12-2020	233916.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
	योग -	467890.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, हैण्डपम्प खराब होने की शिकायत, जल प्रबंधन

समिति की स्वीकृति, जल निगम की स्वीकृति यदि आवश्यक हो तो, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, हैण्डपम्प स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 467890.00 में से 50% ₹ 233945.00 ग्राम प्रधान श्री रामप्रसाद से तथा शेष 50% ₹ 233945.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री विजेन्द्र अवस्थी से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-205 ग्राम पंचायत संसारपुर में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार वॉल पेन्टिंग मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	19-09-2020	18500.00	वॉल पेन्टिंग
	योग -	18500.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, स्थापना स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, गवाहों की सूची हस्ताक्षर सहित, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में वॉल पेन्टिंग पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 18500.00 में से 50% ₹ 9250.00 ग्राम प्रधान श्री रामप्रसाद से तथा शेष 50% ₹ 9250.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री विजेन्द्र अवस्थी से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-206 ग्राम पंचायत संसारपुर में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार नाली निर्माण मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	08-11-2020	70463.00	लखन के घर से रामदेवी के घर तक नाली निर्माण
2-	08-11-2020	3527.00	लखन के घर से रामदेवी के घर तक नाली निर्माण
3-	08-11-2020	25496.00	लखन के घर से रामदेवी के घर तक नाली निर्माण
4-	08-11-2020	37275.00	लखन के घर से रामदेवी के घर तक नाली निर्माण
5-	08-11-2020	37275.00	लखन के घर से रामदेवी के घर तक नाली निर्माण
6-	08-11-2020	15960.00	लखन के घर से रामदेवी के घर तक नाली निर्माण
7-	08-11-2020	31830.00	लखन के घर से रामदेवी के घर तक नाली निर्माण
8-	23-11-2020	65720.00	रामनरेश के घर से रमेश के घर तक नाली निर्माण
9-	23-11-2020	37275.00	रामनरेश के घर से रमेश के घर तक नाली निर्माण
10-	23-11-2020	16504.00	रामनरेश के घर से रमेश के घर तक नाली निर्माण
11-	23-11-2020	37275.00	रामनरेश के घर से रमेश के घर तक नाली निर्माण
12-	23-11-2020	3570.00	रामनरेश के घर से रमेश के घर तक नाली निर्माण
13-	23-11-2020	10320.00	रामनरेश के घर से रमेश के घर तक नाली निर्माण
14-	23-11-2020	31200.00	रामनरेश के घर से रमेश के घर तक नाली निर्माण
योग -		423690.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पृष्ठ में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में नाली निर्माण पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 423690.00 में से 50% ₹० 211845.00 ग्राम प्रधान श्री रामप्रसाद से तथा शेष 50% ₹० 211845.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री विजेन्द्र अवस्थी से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-207 ग्राम पंचायत संसारपुर में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार खडन्जा निर्माण/मरम्मत मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	17-09-2020	2134.00	प्रभूदयाल के घर से हनीफ के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य
2-	17-09-2020	29473.00	प्रभूदयाल के घर से हनीफ के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य

3-	18-09-2020	8340.00	प्रभूदयाल के घर से हनीफ के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य
4-	10-12-2020	5742.00	प्रमोद के घर से दीनदयाल के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य
5-	10-12-2020	74712.00	प्रमोद के घर से दीनदयाल के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य
6-	10-12-2020	27370.00	प्रमोद के घर से दीनदयाल के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य
7-	27-03-2021	159132.00	इस्लामिया से गुड्डू के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य
8-	27-03-2021	61979.00	इस्लामिया से गुड्डू के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य
योग -		368882.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **खडन्जा निर्माण/मरम्मत** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹० **368882.00** में से 50% ₹० **184441.00** ग्राम प्रधान **श्री रामप्रसाद** से तथा शेष 50% ₹० **184441.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री विजेन्द्र अवस्थी** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-208 ग्राम पंचायत **संसारपुर** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **इण्टर लॉकिंग निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	30-09-2020	106106.00	जगदीश के घर से कल्लन के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण
2-	30-09-2020	24035.00	जगदीश के घर से कल्लन के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण
3-	30-09-2020	42805.00	जगदीश के घर से कल्लन के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण
4-	30-09-2020	7765.00	जगदीश के घर से कल्लन के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण
5-	30-09-2020	37580.00	जगदीश के घर से कल्लन के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण
6-	30-09-2020	110880.00	राम सिंह के घर से सूरज के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण

7-	30-09-2020	40121.00	राम सिंह के घर से सूरज के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण
8-	30-09-2020	23051.00	राम सिंह के घर से सूरज के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण
9-	30-09-2020	8025.00	राम सिंह के घर से सूरज के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण
10-	30-09-2020	36980.00	राम सिंह के घर से सूरज के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण
11-	28-10-2020	128761.00	जगदीश के घर से गाँव के बाहर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण
12-	28-10-2020	23051.00	जगदीश के घर से गाँव के बाहर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण
13-	28-10-2020	8025.00	जगदीश के घर से गाँव के बाहर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण
14-	28-10-2020	37280.00	जगदीश के घर से गाँव के बाहर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण
15-	23-12-2020	40813.00	जगदीश के घर से गाँव के बाहर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण
योग -		675278.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **इण्टर लॉकिंग निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 675278.00 में से 50% ₹ 337639.00 ग्राम प्रधान **श्री रामप्रसाद** से तथा शेष 50% ₹ 337639.00 ग्राम पंचायत सचिव **श्री विजेन्द्र अवस्थी** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-209 ग्राम पंचायत **संसारपुर** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	10-12-2020	7096.00	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत कार्य
2-	10-12-2020	45105.00	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत कार्य
योग -		52201.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।
अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।
चूँकि ग्राम पंचायत में **पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।
अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि **रु० 52201.00** में से 50% रु० **26100.50** ग्राम प्रधान **श्री रामप्रसाद** से तथा शेष 50% रु० **26100.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री विजेन्द्र अवस्थी** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-210 ग्राम पंचायत **संसारपुर** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **सामुदायिक शौचालय निर्माण/मरम्मत** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	18-12-2020	93292.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण/मरम्मत कार्य
2-	18-12-2020	6885.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण/मरम्मत कार्य
3-	18-12-2020	60541.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण/मरम्मत कार्य
4-	18-12-2020	66880.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण/मरम्मत कार्य
योग -		227598.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।
अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय निर्माण/मरम्मत पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 227598.00 में से 50% ₹ 113799.00 ग्राम प्रधान श्री रामप्रसाद से तथा शेष 50% ₹ 113799.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री विजेन्द्र अवस्थी से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-211 ग्राम पंचायत संसारपुर में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार प्रधान मानदेय मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	09-10-2020	31500.00	प्रधान मानदेय
	योग -	31500.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, मानदेय रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में प्रधान मानदेय पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 31500.00 में से 50% ₹ 15750.00 ग्राम प्रधान श्री रामप्रसाद से तथा शेष 50% ₹ 15750.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री विजेन्द्र अवस्थी से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-212 ग्राम पंचायत संसारपुर में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार प्रशासनिक मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	24-11-2020	9183.00	फोटोकापी पर व्यय
2-	23-12-2020	7000.00	फोटोकापी पर व्यय
3-	23-12-2020	890.00	स्टेशनरी क्रय
	योग -	17073.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र, स्टेशनरी रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त

प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **प्रशासनिक कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 17073.00 में से 50% ₹ 8536.50 ग्राम प्रधान **श्री रामप्रसाद** से तथा शेष 50% ₹ 8536.50 ग्राम पंचायत सचिव **श्री विजेन्द्र अवस्थी** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-213 ग्राम पंचायत **संसारपुर** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **अन्य** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	15-12-2020	47000.00	वृक्षारोपण कार्य
2-	17-09-2020	65000.00	फागिंग मशीन क्रय
	योग –	112000.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, वितरण रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 112000.00 में से 50% ₹ 56000.00 ग्राम प्रधान **श्री रामप्रसाद** से तथा शेष 50% ₹ 56000.00 ग्राम पंचायत सचिव **श्री विजेन्द्र अवस्थी** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – लुधौनी

विकास खण्ड – ईसानगर

वर्ष – 2020-21

प्रस्तर-214 ग्राम पंचायत **लुधौनी** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण	प्राप्तकर्ता का नाम
1-	22-10-2020	43702.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य	मौर्या मशीनरी स्टोर
2-	22-10-2020	37146.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य	श्री हरिशंकर
	योग –	80848.00		

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण

आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकती।

- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, हैण्डपम्प खराब होने की शिकायत, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, जल निगम की स्वीकृति यदि आवश्यक हो तो, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, हैण्डपम्प स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकती।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 80848.00 में से 50% ₹० 40424.00 ग्राम प्रधान श्री प्रदीप कुमार से तथा शेष 50% ₹० 40424.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री कमाल अहमद से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-215 ग्राम पंचायत लुधौनी में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार हयूम पाइप मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण	धनराशि प्राप्तकर्ता का नाम
1-	09-11-2020	49800.00	हयूम पाइप क्रय	मेसर्स सिंह स्पन पाइप
2-	15-12-2020	99985.00	हयूम पाइप क्रय	मेसर्स विकास ट्रेडर्स
3-	21-12-2020	50000.00	हयूम पाइप क्रय	श्री कमाल अहमद
योग -		199785.00		

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकती।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, स्थापना स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, गवाहों की सूची हस्ताक्षर सहित, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकती।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में हयूम पाइप पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के

अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

पंचायत राज अधिकारी लखीमपुर-खीरी के आदेश के क्रम में यह निर्देशित किया गया है कि दिनांक 15-08-2019 के उपरान्त ग्राम पंचायतों के खाते से पी०एफ०एम०एस० को छोड़कर अन्य माध्यमों से किये जाने वाले भुगतान को प्रतिबन्धित कर दिया जाये लेकिन सचिव श्री कमाल अहमद द्वारा अपने नाम से कुल ₹ 50000.00 को गलत ढंग से आहरित किया गया है तथा कोषबही में मेसर्स विकास ट्रेडर्स के नाम से भुगतान दर्शित किया गया है तथा ₹ 99985.00 को मेसर्स विकास ट्रेडर्स एवं ₹ 49800.00 को मेसर्स सिंह स्पन पाइप के नाम से आहरित किया गया है लेकिन पूरे वित्त वर्ष में ग्राम पंचायत में कोई भी खडन्जा, नाली, इण्टर लॉकिंग का निर्माण नहीं किया गया है। यदि उक्त कार्य नहीं किया गया है तो ह्यूम पाइप का प्रयोग कहाँ किया गया तथा ह्यूम पाइप पर लगवाने में श्रम का भी भुगतान दर्शित नहीं है जिससे यह प्रतीत होता है कि यह सम्पूर्ण धनराशि ₹ 199785 को गबन कर लिया गया है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 199785.00 में से 50% ₹ 99892.50 ग्राम प्रधान श्री प्रदीप कुमार से तथा शेष 50% ₹ 99892.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री कमाल अहमद से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-216 ग्राम पंचायत लुधौनी में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार इण्टर लॉकिंग निर्माण मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण	धनराशि प्राप्तकर्ता का नाम
1-		31304.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य	श्री प्रदीप कुमार
	योग –	31304.00		

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पृष्ठ में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में इण्टर लॉकिंग निर्माण पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

पंचायत राज अधिकारी लखीमपुर-खीरी के आदेश के क्रम में यह निर्देशित किया गया है कि दिनांक 15-08-2019 के उपरान्त ग्राम पंचायतों के खाते से पी०एफ०एम०एस० को छोड़कर अन्य माध्यमों से किये जाने वाले भुगतान को प्रतिबन्धित कर दिया जाये लेकिन सचिव श्री कमाल अहमद द्वारा श्री प्रदीप कुमार (प्रधान) के नाम से कुल ₹ 31304.00 को गलत ढंग से आहरित करके धनराशि का गबन कर लिया गया है तथा वित्त वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत लुधौनी में कोई भी निर्माण कार्य जैसे खडन्जा, इण्टर लॉकिंग, नाली का कार्य नहीं हुआ है तो इण्टर लॉकिंग के निर्माण कार्य पर मजदूरी का भुगतान किया जाना पूर्णतया गलत है जो गबन किया गया है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 31304.00 में से 50% ₹ 15652.00 ग्राम प्रधान श्री प्रदीप कुमार से तथा शेष 50% ₹ 15652.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री कमाल अहमद से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-217 ग्राम पंचायत लुधौनी में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार सामुदायिक शौचालय निर्माण मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण	धनराशि प्राप्तकर्ता का नाम
1-	21-10-2020	4920.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य पर व्यय	महादेव इण्टर प्राइजेज
2-	21-10-2020	53512.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य पर व्यय	मेसर्स वर्मा ट्रेडर्स
3-	21-10-2020	69094.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य पर व्यय	मेसर्स नेशनल ब्रिक
4-	21-10-2020	36990.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य पर व्यय	श्री प्रदीप कुमार
योग -		164516.00		

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय निर्माण पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

पंचायत राज अधिकारी लखीमपुर-खीरी के आदेश के क्रम में यह निर्देशित किया गया है कि दिनांक 15-08-2019 के उपरान्त ग्राम पंचायतों के खाते से पी०एफ०एम०एस० को छोड़कर अन्य माध्यमों से किये जाने वाले भुगतान को प्रतिबन्धित कर दिया जाये लेकिन सचिव श्री कमाल अहमद द्वारा श्री प्रदीप कुमार (प्रधान) के नाम से कुल ₹ 36990.00 को गलत ढंग से आहरित करके धनराशि का गबन कर लिया गया है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 164516.00 में से 50% ₹ 82258.00 ग्राम प्रधान श्री प्रदीप कुमार से तथा शेष 50% ₹ 82258.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री कमाल अहमद से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-218 ग्राम पंचायत लुधौनी में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार प्रधान मानदेय मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	21-10-2020	21000.00	प्रधान मानदेय दिसम्बर 2019 से मई 2020
2-	13-11-2020	21000.00	प्रधान मानदेय जून 2020 से नवम्बर 2020
योग -		42000.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण

आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकती।

- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, मानदेय रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकती।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में प्रधान मानदेय पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 42000.00 में से 50% ₹ 21000.00 ग्राम प्रधान श्री प्रदीप कुमार से तथा शेष 50% ₹ 21000.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री कमाल अहमद से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-219 ग्राम पंचायत लुधौनी में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार कोविड-19 मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण	धनराशि प्राप्तकर्ता का नाम
1-	23-04-2020	2580.00	कोविड-19 बैनर	स्वास्तिक आफसेट
2-	01-09-2020	20000.00	कोविड-19 दवा छिड़कवाई	श्री राजेश कुमार
3-	06-12-2020	49900.00	कोविड-19 दवा छिड़कवाई	श्री राजेश कुमार
4-	14-06-2020	20000.00	साफ सफाई एवं दवाई छिड़काव	श्री राजेश कुमार
1-	21-12-2020	41000.00	कोविड-19 में लेखन कार्य	श्री राजेश कुमार
योग -		133480.00		

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकती।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र, लेखन के स्थानों की त्रिस्तरीय फोटोग्राफी आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकती।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में कोविड-19 पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

पंचायत राज अधिकारी लखीमपुर-खीरी के आदेश के क्रम में यह निर्देशित किया गया है कि दिनांक 15-08-2019 के उपरान्त ग्राम पंचायतों के खाते से पी०एफ०एम०एस० को छोड़कर अन्य माध्यमों से किये जाने वाले भुगतान को प्रतिबन्धित कर दिया जाये लेकिन सचिव श्री कमाल अहमद द्वारा अपने सहयोगी श्री राजेश कुमार के नाम से कुल ₹ 130900.00 को गलत ढंग से आहरित करके धनराशि का गबन कर लिया गया है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 133480.00 में से 50% ₹ 66740.00 ग्राम प्रधान श्री प्रदीप कुमार से तथा शेष 50% ₹ 66740.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री कमाल अहमद से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-220 ग्राम पंचायत लुधौनी में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार प्रशासनिक मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण	धनराशि प्राप्तकर्ता का नाम
1-	29-04-2020	49800.00	प्रशासनिक व्यय	श्री राजेश कुमार
2-	27-07-2020	20000.00	प्रशासनिक व्यय	श्री राजेश कुमार
3-	31-10-2020	5000.00	प्रशासनिक व्यय	मौर्या कम्प्यूटर
4-	10-10-2020	1000.00	प्रशासनिक व्यय	श्री प्रदीप कुमार
5-	02-11-2020	20000.00	प्रशासनिक व्यय	श्री राजेश कुमार
6-	14-06-2020	1322.00	प्रशासनिक व्यय	स्वास्तिक आफसेट
	योग -	97122.00		

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
 - 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, वितरण रजिस्टर, निविदा/कोटेशन आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
 - 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।
- अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में प्रशासनिक कार्यों पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

पंचायत राज अधिकारी लखीमपुर-खीरी के आदेश के क्रम में यह निर्देशित किया गया है कि दिनांक 15-08-2019 के उपरान्त ग्राम पंचायतों के खाते से पी०एफ०एम०एस० को छोड़कर अन्य माध्यमों से किये जाने वाले भुगतान को प्रतिबन्धित कर दिया जाये लेकिन सचिव श्री कमाल अहमद द्वारा अपने सहयोगी श्री राजेश कुमार के नाम से कुल ₹ 89800.00 को गलत ढंग से आहरित करके धनराशि का गबन कर लिया गया है तथा ₹ 1000.00 प्रधान श्री प्रदीप कुमार के नाम से भी गलत ढंग से आहरित किया गया है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 97122.00 में से 50% ₹ 48561.00 ग्राम प्रधान श्री प्रदीप कुमार से तथा शेष 50% ₹ 48561.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री कमाल अहमद से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – दुर्गापुरपड़री

विकास खण्ड – ईसानगर

वर्ष – 2020-21

प्रस्तर-221 ग्राम पंचायत दुर्गापुरपड़री में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम
1-	08-12-2020	82397.00	हैण्डपम्प रिबोर पर फिरोज अहमद को भुगतान	फिरोज अहमद
2-	08-12-2020	67382.00	ओम मशीनरी को सामग्री क्रय पर भुगतान	ओम मशीनरी
3-	08-12-2020	31060.00	शुक्ला सीमेन्ट एजेंसी को	शुक्ला सीमेन्ट
योग –		180839.00		

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, हैण्डपम्प खराब होने की शिकायत, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, जल निगम की स्वीकृति यदि आवश्यक हो तो, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, हैण्डपम्प स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

पंचायत राज अधिकारी लखीमपुर-खीरी के आदेश के क्रम में यह निर्देशित किया गया है कि दिनांक 15-08-2019 के उपरान्त ग्राम पंचायतों के खाते से पी०एफ०एम०एस० को छोड़कर अन्य माध्यमों से किये जाने वाले भुगतान को प्रतिबन्धित कर दिया जाये लेकिन सचिव श्री कमाल अहमद द्वारा श्री फिरोज अहमद के नाम से रू० 82397.00 को गलत ढंग से आहरित करके धनराशि का गबन कर लिया गया है

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **180839.00** में से 50% रू० **90419.50** ग्राम प्रधान श्री भरोसे से तथा शेष 50% रू० **90419.50** ग्राम पंचायत सचिव श्री कमाल अहमद से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-222 ग्राम पंचायत दुर्गापुरपड़री में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हयूम पाइप** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम
1-	29-04-2020	46500.00	हयूम पाइप क्रय	विकास ट्रेडर्स
2-	29-04-2020	49999.00	हयूम पाइप क्रय	विकास ट्रेडर्स
3-	29-04-2020	91175.00	हयूम पाइप क्रय	विकास ट्रेडर्स
योग –		187674.00		

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, स्थापना स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, गवाहों की सूची हस्ताक्षर सहित, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।
अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।
चूँकि ग्राम पंचायत में **हयूम पाइप** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।
अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹० **187674.00** में से 50% ₹० **93837.00** ग्राम प्रधान **श्री भरोसे** से तथा शेष 50% ₹० **93837.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कमाल अहमद** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-223 ग्राम पंचायत **दुर्गापुरपड़री** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **डस्टबिन** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम
1-	28-04-2020	72000.00	डस्टबिन क्रय	उत्कर्ष इण्टर प्राइजेज
	योग -	72000.00		

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, स्थापना स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, गवाहों की सूची हस्ताक्षर सहित, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।
अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।
चूँकि ग्राम पंचायत में **डस्टबिन** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के

अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 72000.00 में से 50% ₹ 36000.00 ग्राम प्रधान श्री भरोसे से तथा शेष 50% ₹ 36000.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री कमाल अहमद से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-224 ग्राम पंचायत दुर्गापुरपड़री में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार खडन्जा निर्माण/मरम्मत मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र० सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण	धनराशि प्राप्तकर्ता का नाम
1-	08-10-2020	38841.00	रपटा पुल से श्रीधर के घर तक खडन्जा निर्माण पर मिट्टी एवं लेबर	श्री भरोसे
2-	08-10-2020	126336.00	श्री साई ब्रिक से ईट क्रय	श्री साई ब्रिक
	योग -	165177.00		

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में इण्टर लॉकिंग निर्माण पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

पंचायत राज अधिकारी लखीमपुर-खीरी के आदेश के क्रम में यह निर्देशित किया गया है कि दिनांक 15-08-2019 के उपरान्त ग्राम पंचायतों के खाते से पी०एफ०एम०एस० को छोड़कर अन्य माध्यमों से किये जाने वाले भुगतान को प्रतिबन्धित कर दिया जाये लेकिन सचिव श्री कमाल अहमद द्वारा श्री भरोसे (प्रधान) के नाम से ₹ 38841.00 को गलत ढंग से आहरित करके धनराशि का गबन कर लिया गया है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 165177.00 में से 50% ₹ 82588.50 ग्राम प्रधान श्री भरोसे से तथा शेष 50% ₹ 82588.50 ग्राम पंचायत सचिव श्री कमाल अहमद से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-225 ग्राम पंचायत दुर्गापुरपड़री में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार इण्टर लॉकिंग निर्माण मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र० सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण	धनराशि प्राप्तकर्ता का नाम
1-	21-12-2020	53200.00	सामुदायिक शौचालय के सामने इण्टर लॉकिंग पर व्यय	श्री भरोसे
	योग -	53200.00		

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करावें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **इण्टर लॉकिंग निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

पंचायत राज अधिकारी लखीमपुर-खीरी के आदेश के क्रम में यह निर्देशित किया गया है कि दिनांक 15-08-2019 के उपरान्त ग्राम पंचायतों के खाते से पी०एफ०एम०एस० को छोड़कर अन्य माध्यमों से किये जाने वाले भुगतान को प्रतिबन्धित कर दिया जाये लेकिन सचिव श्री कमाल अहमद द्वारा श्री भरोसे (प्रधान) के नाम से रू० 53200.00 को गलत ढंग से आहरित करके धनराशि का गबन कर लिया गया है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **53200.00** में से 50% रू० **26600.00** ग्राम प्रधान **श्री भरोसे** से तथा शेष 50% रू० **26600.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कमाल अहमद** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-226 ग्राम पंचायत **दुर्गापुरपड़री** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **पंचायत भवन निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र० सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण	धनराशि प्राप्तकर्ता का नाम
1-	20-12-2020	2031.00	पंचायत भवन निर्माण हेतु सामग्री क्रय	अरूणा स्टील
2-	25-12-2020	34928.00	अरूणा स्टील को सामग्री हेतु भुगतान	अरूणा स्टीली
3-	25-12-2020	81672.00	शिव ट्रेडिंग कम्पनी को भुगतान	शिव ट्रेडिंग कम्पनी
	योग -	118631.00		

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में पंचायत भवन पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 118631.00 में से 50% ₹० 59315.50 ग्राम प्रधान श्री भरोसे से तथा शेष 50% ₹० 59315.50 ग्राम पंचायत सचिव श्री कमाल अहमद से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-227 ग्राम पंचायत दुर्गापुरपड़री में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार सामुदायिक शौचालय निर्माण मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम
1-	30-04-2020	89000.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य पर श्रम एवं सामग्री भुगतान	श्री भरोसे
2-	30-04-2020	27277.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य पर ईंट क्रय	साई ब्रिक्स
3-	30-04-2020	38609.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य पर सामग्री क्रय	श्री भरोसे
4-	30-04-2020	50832.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य पर सामग्री क्रय	शिव ट्रेडिंग
5-	30-04-2020	14927.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य पर सामग्री क्रय	पापुलर पेन्ट
	योग -	220645.00		

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

पंचायत राज अधिकारी लखीमपुर-खीरी के आदेश के क्रम में यह निर्देशित किया गया है कि दिनांक 15-08-2019 के उपरान्त ग्राम पंचायतों के खाते से पी०एफ०एम०एस० को छोड़कर अन्य माध्यमों से किये जाने वाले भुगतान को प्रतिबन्धित कर दिया जाये लेकिन सचिव श्री कमाल अहमद द्वारा श्री भरोसे (प्रधान) के नाम से रू० 127609.00 को गलत ढंग से आहरित करके धनराशि का गबन कर लिया गया है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० 220645.00 में से 50% रू० 110322.50 ग्राम प्रधान श्री भरोसे से तथा शेष 50% रू० 110322.50 ग्राम पंचायत सचिव श्री कमाल अहमद से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-228 ग्राम पंचायत दुर्गापुरपड़री में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार प्रधान मानदेय मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	08-11-2020	21000.00	प्रधान मानदेय
2-	30-11-2020	3500.00	प्रधान मानदेय
	योग -	24500.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, मानदेय रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में प्रधान मानदेय पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० 24500.00 में से 50% रू० 12250.00 ग्राम प्रधान श्री भरोसे से तथा शेष 50% रू० 12250.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री कमाल अहमद से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-229 ग्राम पंचायत दुर्गापुरपड़री में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार कोविड-19 मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम
1-	23-04-2020	2580.00	कमल प्रेरणा सहायता समूह	स्वास्तिक आफसेट
2-	14-07-2020	20000.00	सामग्री क्रय, साफ सफाई पर व्यय	श्री राजेश कुमार
3-	13-10-2020	23838.00	साफ सफाई पर व्यय	श्री भरोसे
4-	02-11-2020	20000.00	साफ सफाई पर व्यय	श्री कमाल अहमद
5-	02-11-2020	4860.00	लेखन कार्य पर व्यय	श्री इंदरीशी
6-	09-11-2020	49900.00	कोरोना जागरूकता वॉल पेन्टिंग	श्री कमाल अहमद

7-	01-12-2020	48500.00	साफ सफाई पर व्यय	श्री कमाल अहमद
8-	16-04-2020	9000.00	कमल सहायता समूह मास्क क्रय	
योग -		178678.00		

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, वितरण रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **कोविड-19** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

पंचायत राज अधिकारी लखीमपुर-खीरी के आदेश के क्रम में यह निर्देशित किया गया है कि दिनांक 15-08-2019 के उपरान्त ग्राम पंचायतों के खाते से पी०एफ०एम०एस० को छोड़कर अन्य माध्यमों से किये जाने वाले भुगतान को प्रतिबन्धित कर दिया जाये लेकिन सचिव श्री कमाल अहमद द्वारा स्वयं के नाम से रू० 118400.00 अपने सहयोगी श्री राजेश कुमार के नाम से कुल रू० 20000.00 एवं श्री इंदरीशी के नाम से रू० 4860.00 को गलत ढंग से आहरित करके धनराशि का गबन कर लिया गया है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **178678.00** में से 50% रू० **89339.00** ग्राम प्रधान **श्री भरोसे** से तथा शेष 50% रू० **89339.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कमाल अहमद** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-230 ग्राम पंचायत **दुर्गापुरपड़री** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्रशासनिक** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम
1-	01-12-2020	20000.00	प्रशासनिक/स्टेशनरी मद पर व्यय	श्री राजेश कुमार
2-	08-10-2020	1000.00	प्रशासनिक/स्टेशनरी मद पर व्यय	श्री भरोसे
3-	02-11-2020	20000.00	प्रशासनिक/स्टेशनरी मद पर व्यय	श्री कमाल अहमद
4-	31-08-2020	20000.00	स्टेशनरी पर व्यय	श्री राजेश कुमार
5-	02-11-2020	5000.00	मौर्या कम्प्यूटर	मौर्या कम्प्यूटर
6-	16-04-2020	28700.00	दयाल इनफोसिस्टम	दयाल इनफोसिस्टम
योग -		94700.00		

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **प्रशासनिक कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

पंचायत राज अधिकारी लखीमपुर-खीरी के आदेश के क्रम में यह निर्देशित किया गया है कि दिनांक 15-08-2019 के उपरान्त ग्राम पंचायतों के खाते से पी०एफ०एम०एस० को छोड़कर अन्य माध्यमों से किये जाने वाले भुगतान को प्रतिबन्धित कर दिया जाये लेकिन सचिव श्री कमाल अहमद द्वारा स्वयं के नाम से ₹ 20000.00, अपने सहयोगी श्री राजेश कुमार के नाम से कुल ₹ 40000.00 एवं श्री भरोसे(प्रधान) के नाम से ₹ 1000.00 को गलत ढंग से आहरित करके धनराशि का गबन कर लिया गया है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 94700.00 में से 50% ₹ 47350.00 ग्राम प्रधान **श्री भरोसे** से तथा शेष 50% ₹ 47350.00 ग्राम पंचायत सचिव **श्री कमाल अहमद** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-231 ग्राम पंचायत **दुर्गापुरपड़री** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार अन्य मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम
1-	10-06-2020	49536.00	मेला मैदान में नींव बनवाई पर सामग्री क्रय एवं मिट्टी पटार्ई	शिव ट्रेडर्स
2-	10-06-2020	61115.00	मेला मैदान में नींव बनवाई पर लेबर, मिट्टी ढुलाई पर व्यय	श्री भरोसे
3-	10-06-2020	86998.00	मेला मैदान में नींव बनवाई पर विनायक ब्रिक फील्ड से ईट रोड़ा	विनायक ट्रेडर्स
योग -		197649.00		

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 197649.00 में से 50% ₹ 98824.50 ग्राम प्रधान श्री भरोसे से तथा शेष 50% ₹ 98824.50 ग्राम पंचायत सचिव श्री कमाल अहमद से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – लाखुन विकास खण्ड – ईसानगर वर्ष – 2020-21
प्रस्तर-232 ग्राम पंचायत लाखुन में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	23-08-2020	45900.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
2-	23-08-2020	52400.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
योग –		98300.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, हैण्डपम्प खराब होने की शिकायत, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, जल निगम की स्वीकृति यदि आवश्यक हो तो, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, हैण्डपम्प स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 98300.00 में से 50% ₹ 49150.00 ग्राम प्रधान श्री प्रमोद कुमार से तथा शेष 50% ₹ 49150.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री नरेन्द्र यादव से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-233 ग्राम पंचायत लाखुन में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार सामुदायिक शौचालय निर्माण मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	23-08-2020	210189.00	सामुदायिक शौचालय
योग –		210189.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **सामुदायिक शौचालय निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 210189.00 में से 50% ₹ 105094.50 ग्राम प्रधान **श्री प्रमोद कुमार** से तथा शेष 50% ₹ 105094.50 ग्राम पंचायत सचिव **श्री नरेन्द्र यादव** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-234 ग्राम पंचायत **लाखुन** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **इण्टर लॉकिंग निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	18-04-2020	28364.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
2-	18-04-2020	5954.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
3-	18-04-2020	28704.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
4-	18-04-2020	111784.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
5-	14-06-2020	169004.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
योग -		343810.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पृष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **इण्टर लॉकिंग निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 343810.00 में से 50% ₹ 171905.00 ग्राम प्रधान श्री प्रमोद कुमार से तथा शेष 50% ₹ 171905.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री नरेन्द्र यादव से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-235 ग्राम पंचायत लाखुन में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार प्रधान मानदेय मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	23-08-2020	28000.00	प्रधान मानदेय
	योग -	28000.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की आई०डी० का पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, मानदेय रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में प्रधान मानदेय किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 28000.00 में से 50% ₹ 14000.00 ग्राम प्रधान श्री प्रमोद कुमार से तथा शेष 50% ₹ 14000.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री नरेन्द्र यादव से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-236 ग्राम पंचायत लाखुन में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार प्रशासनिक मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	23-08-2020	15635.00	प्रशासनिक व्यय
	योग -		

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, स्टेशनरी रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में प्रशासनिक कार्यों पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 15635.00 में से 50% ₹ 7817.50 ग्राम प्रधान श्री प्रमोद कुमार से तथा शेष 50% ₹ 7817.50 ग्राम पंचायत सचिव श्री नरेन्द्र यादव से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – मटरिया विकास खण्ड – ईसानगर वर्ष – 2020-21
प्रस्तर-237 ग्राम पंचायत मटरिया में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	28-07-2020	26700.00	हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर कार्य
2-	28-07-2020	52400.00	हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर कार्य
3-	10-08-2020	52400.00	हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर कार्य
4-	10-08-2020	25700.00	हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर कार्य
5-	10-08-2020	4600.00	हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर कार्य
	योग –	161800.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, हैण्डपम्प खराब होने की शिकायत, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, जल निगम की स्वीकृति यदि आवश्यक हो तो, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, हैण्डपम्प स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 161800.00 में से 50% ₹ 80900.00 ग्राम प्रधान श्री लक्ष्मीकान्त से तथा शेष 50% ₹ 80900.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री नरेन्द्र यादव से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-238 ग्राम पंचायत मटरिया में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार प्रधान मानदेय मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	28-07-2020	21000.00	प्रधान मानदेय
	योग –	21000.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण

आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकती।

- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की आई०डी० का पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, मानदेय रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकती।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में प्रधान मानदेय पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 21000.00 में से 50% ₹ 10500.00 ग्राम प्रधान श्री श्री लक्ष्मीकान्त से तथा शेष 50% ₹ 10500.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री नरेन्द्र यादव से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-239 ग्राम पंचायत मटरिया में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार सफाई कार्य मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	29-09-2020	4545.00	ग्राम पंचायत में सफाई कार्य
2-	29-09-2020	4500.00	ग्राम पंचायत में सफाई कार्य
	योग -	9045.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकती।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल/मस्टररोल, उपभोग प्रमाण पत्र, स्टीमेट आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकती।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में सफाई कार्य पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 9045.00 में से 50% ₹ 4522.50 ग्राम प्रधान श्री लक्ष्मीकान्त से तथा शेष 50% ₹ 4522.50 ग्राम पंचायत सचिव श्री नरेन्द्र यादव से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-240 ग्राम पंचायत मटरिया में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार प्रशासनिक मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	23-08-2020	14935.00	प्रशासनिक व्यय
	योग -	14935.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, स्टेशनरी रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में प्रशासनिक कार्यों पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 14935.00 में से 50% ₹ 7467.50 ग्राम प्रधान श्री लक्ष्मीकान्त से तथा शेष 50% ₹ 7467.50 ग्राम पंचायत सचिव श्री नरेन्द्र यादव से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - जेठरा

विकास खण्ड - ईसानगर

वर्ष - 2020-21

प्रस्तर-241 ग्राम पंचायत जेठरा में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	13-09-2020	235589.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
2-	19-09-2020	130789.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
	योग -	366378.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, हैण्डपम्प खराब होने की शिकायत, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, जल निगम की स्वीकृति यदि आवश्यक हो तो, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, हैण्डपम्प स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 366378.00 में से 50% ₹ 183189.00 ग्राम प्रधान **श्रीमती सुशीला देवी** से तथा शेष 50% ₹ 183189.00 ग्राम पंचायत सचिव **श्री नरेन्द्र यादव** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-242 ग्राम पंचायत **जेठरा** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हयूम पाइप** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	18-04-2020	133030.00	हयूम पाइप क्रय
	योग –	133030.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, स्थापना स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, गवाहों की सूची हस्ताक्षर सहित, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **हयूम पाइप** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 133030.00 में से 50% ₹ 66515.00 ग्राम प्रधान **श्रीमती सुशीला देवी** से तथा शेष 50% ₹ 66515.00 ग्राम पंचायत सचिव **श्री नरेन्द्र यादव** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-243 ग्राम पंचायत **जेठरा** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **इण्टर लॉकिंग निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	18-04-2020	246245.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
2-	18-04-2020	30960.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
3-	26-04-2020	206301.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
4-	26-04-2020	207095.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
5-	26-04-2020	32432.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
6-	23-08-2020	29440.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
7-	05-09-2020	202340.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
	योग –	954813.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **इण्टर लॉकिंग निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि **रु० 954813.00** में से 50% रु० **477406.50** ग्राम प्रधान **श्रीमती सुशीला देवी** से तथा शेष 50% रु० **477406.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री नरेन्द्र यादव** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-244 ग्राम पंचायत **जेठरा** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्रशासनिक** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	13-09-2020	16992.00	प्रशासनिक व्यय
	योग –	16992.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, स्टेशनरी रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **प्रशासनिक कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 16992.00 में से 50% ₹ 8496.00 ग्राम प्रधान श्रीमती सुशीला देवी से तथा शेष 50% ₹ 8496.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री नरेन्द्र यादव से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-245 ग्राम पंचायत जेठरा में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार अन्य मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	26-04-2020	15100.00	कुर्सी क्रय
2-	16-09-2020	23500.00	फागिंग मशीन क्रय
	योग -	38600.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल उपभोग प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, स्टेशनरी रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कार्यों पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 38600.00 में से 50% ₹ 19300.00 ग्राम प्रधान श्रीमती सुशीला देवी से तथा शेष 50% ₹ 19300.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री नरेन्द्र यादव से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - लखपेड़ा विकास खण्ड - ईसानगर वर्ष - 2020-21

प्रस्तर-246 ग्राम पंचायत लखपेड़ा में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण	धनराशि प्राप्तकर्ता का नाम
1-	19-10-2020	37946.00	हैण्डपम्प मरम्मत एवं रिबोर पर व्यय	श्री हरिशंकर
2-	20-10-2020	47122.00	मौर्या मशीनरी स्टोर सामग्री क्रय	मौर्या मशीनरी स्टोर
3-	09-11-2020	16477.00	मिस्त्री को भुगतान	श्री फिरोज अहमद
4-	09-11-2020	9626.00	ओम मशीनरी एण्ड हार्डवेयर	ओम मशीनरी एण्ड हार्डवेयर
	योग -	111171.00		

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, हैण्डपम्प खराब होने की शिकायत, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, जल निगम की स्वीकृति यदि आवश्यक हो तो, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, हैण्डपम्प स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

पंचायत राज अधिकारी लखीमपुर-खीरी के आदेश के क्रम में यह निर्देशित किया गया है कि दिनांक 15-08-2019 के उपरान्त ग्राम पंचायतों के खाते से पी०एफ०एम०एस० को छोड़कर अन्य माध्यमों से किये जाने वाले भुगतान को प्रतिबन्धित कर दिया जाये लेकिन सचिव श्री कमाल अहमद द्वारा श्री हरिशंकर के नाम से ₹ 37946.00 तथा श्री फिरोज अहमद के नाम से ₹ 16477.00 को गलत ढंग से आहरित करके धनराशि का गबन कर लिया गया है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 111171.00 में से 50% ₹ 55585.50 ग्राम प्रधान श्री पुरुषोत्तम से तथा शेष 50% ₹ 55585.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री कमाल अहमद से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-247 ग्राम पंचायत लखपेड़ा में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार वॉल पेन्टिंग में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण	धनराशि प्राप्तकर्ता का नाम
1-	28-09-2020	15000.00	वॉल पेन्टिंग पर व्यय इदरीश आर्ट	श्री राजेश कुमार
2-	02-11-2020	20000.00	वॉल पेन्टिंग पर व्यय	श्री कमाल अहमद
	योग -	35000.00		

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, स्थापना स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, गवाहों की सूची हस्ताक्षर सहित, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **वॉल पेन्टिंग** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

पंचायत राज अधिकारी लखीमपुर-खीरी के आदेश के क्रम में यह निर्देशित किया गया है कि दिनांक 15-08-2019 के उपरान्त ग्राम पंचायतों के खाते से पी०एफ०एम०एस० को छोड़कर अन्य माध्यमों से किये जाने वाले भुगतान को प्रतिबन्धित कर दिया जाये लेकिन सचिव श्री कमाल अहमद द्वारा अपने सहयोगी श्री राजेश कुमार के नाम से ₹ 15000.00 तथा अपने नाम से ₹ 20000.00 को गलत ढंग से आहरित करके धनराशि का गबन कर लिया गया है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 35000.00 में से 50% ₹ 17500.00 ग्राम प्रधान **श्री पुरूषोत्तम** से तथा शेष 50% ₹ 17500.00 ग्राम पंचायत सचिव **श्री कमाल अहमद** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-248 ग्राम पंचायत **लखपेड़ा** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **सामुदायिक शौचालय निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण	धनराशि प्राप्तकर्ता का नाम
1-	04-10-2020	50000.00	सामुदायिक शौचालय पर व्यय	श्री संदीप कुमार सिंह
2-	03-12-2020	74255.00	श्री महालक्ष्मी ट्रेडर्स को भुगतान (सामग्री)	मेसर्स महालक्ष्मी ट्रेडर्स
3-	03-12-2020	68013.00	साई ब्रिक फील्ड को ईट क्रय पर भुगतान	मेसर्स साई ब्रिक फील्ड
योग -		192268.00		

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पृष्ठ में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **सामुदायिक शौचालय निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

पंचायत राज अधिकारी लखीमपुर-खीरी के आदेश के क्रम में यह निर्देशित किया गया है कि दिनांक 15-08-2019 के उपरान्त ग्राम पंचायतों के खाते से पी०एफ०एम०एस० को छोड़कर अन्य माध्यमों से किये जाने वाले भुगतान को प्रतिबन्धित कर दिया जाये लेकिन सचिव श्री कमाल अहमद द्वारा श्री संदीप कुमार सिंह के नाम से ₹ 50000.00 को गलत ढंग से आहरित करके धनराशि का गबन कर लिया गया है। यद्यपि कि वित्त वर्ष में शौचालय से सम्बन्धित कोई भी निर्माण कार्य नहीं कराया गया है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० 192268.00 में से 50% रू० 96134.00 ग्राम प्रधान श्री पुरूषोत्तम से तथा शेष 50% रू० 96134.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री कमाल अहमद से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-249 ग्राम पंचायत लखपेड़ा में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार प्रधान मानदेय मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	20-10-2020	21000.00	प्रधान मानदेय भुगतान
2-	09-11-2020	21000.00	प्रधान मानदेय भुगतान
3-	01-12-2020	3500.00	प्रधान मानदेय भुगतान
	योग -	45500.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल/मस्टररोल, उपभोग प्रमाण पत्र, मानदेय रजिस्टर, स्टेशनरी रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में प्रधान मानदेय पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० 45500.00 में से 50% रू० 22750.00 ग्राम प्रधान श्री पुरूषोत्तम से तथा शेष 50% रू० 22750.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री कमाल अहमद से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-250 ग्राम पंचायत लखपेड़ा में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार कोविड-19 मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण	धनराशि प्राप्तकर्ता का नाम
1-	23-04-2020	2580.00	कोविड-19 के अन्तर्गत भुगतान	स्वास्तिक आफसेट
2-	27-09-2020	20000.00	करोना जागरूकता लेखन पर व्यय	श्री राजेश कुमार
3-	09-11-2020	48800.00	दवा छिड़काव पर व्यय	श्री कमाल अहमद
4-	03-12-2020	48900.00	साफ सफाई फागिंग पर व्यय	श्री कमाल अहमद
5-	15-12-2020	21000.00	साफ सफाई स्वच्छ भारत पर व्यय	श्री पुरूषोत्तम
	योग -	141280.00		

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे

गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल/मस्टररोल, उपभोग प्रमाण पत्र, मानदेय रजिस्टर, स्टेशनरी रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **कोविड-19** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

पंचायत राज अधिकारी लखीमपुर-खीरी के आदेश के क्रम में यह निर्देशित किया गया है कि दिनांक 15-08-2019 के उपरान्त ग्राम पंचायतों के खाते से पी०एफ०एम०एस० को छोड़कर अन्य माध्यमों से किये जाने वाले भुगतान को प्रतिबन्धित कर दिया जाये लेकिन सचिव श्री कमाल अहमद द्वारा अपने नाम से रू० 97700.00 एवं अपने सहयोगी श्री राजेश कुमार के नाम से रू० 20000.00 तथा प्रधान श्री पुरुषोत्तम के नाम से रू० 21000.00 को गलत ढंग से आहरित करके धनराशि का गबन कर लिया गया है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **141280.00** में से 50% रू० **70640.00** ग्राम प्रधान श्री पुरुषोत्तम से तथा शेष 50% रू० **70640.00** ग्राम पंचायत सचिव श्री कमाल अहमद से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-251 ग्राम पंचायत **लखपेड़ा** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्रशासनिक** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण	धनराशि प्राप्तकर्ता का नाम
1-	09-06-2020	32000.00	प्रशासनिक मद पर व्यय	श्री पुरुषोत्तम
2-	27-07-2020	20000.00	प्रशासनिक मद पर व्यय	श्री राजेश कुमार
3-	01-09-2020	20000.00	प्रशासनिक मद में दयाल इनफोसिस को भुगतान	श्री राजेश कुमार
4-	08-10-2020	1000.00	स्टेशनरी एवं फोटो कापी का भुगतान	श्री पुरुषोत्तम
5-	02-11-2020	20000.00	प्रशासनिक मद में व्यय	श्री कमाल अहमद
6-	02-11-2020	5000.00	कार्य योजना टाइपिंग पर व्यय	मौर्या कम्प्यूटर्स
	योग -	98000.00		

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल/मस्टररोल, उपभोग प्रमाण पत्र, मानदेय रजिस्टर, स्टेशनरी रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में प्रशासनिक कार्यों पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

पंचायत राज अधिकारी लखीमपुर-खीरी के आदेश के क्रम में यह निर्देशित किया गया है कि दिनांक 15-08-2019 के उपरान्त ग्राम पंचायतों के खाते से पी०एफ०एम०एस० को छोड़कर अन्य माध्यमों से किये जाने वाले भुगतान को प्रतिबन्धित कर दिया जाये लेकिन सचिव श्री कमाल अहमद द्वारा अपने नाम से ₹ 20000.00 एवं अपने सहयोगी श्री राजेश कुमार के नाम से ₹ 40000.00 तथा प्रधान श्री पुरुषोत्तम के नाम से ₹ 32000.00 को गलत ढंग से आहरित करके धनराशि का गबन कर लिया गया है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 98000.00 में से 50% ₹ 49000.00 ग्राम प्रधान श्री पुरुषोत्तम से तथा शेष 50% ₹ 49000.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री कमाल अहमद से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – समैसा विकास खण्ड – ईसानगर वर्ष – 2020-21
प्रस्तर-252 ग्राम पंचायत समैसा में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम
1-	12-05-2020	26010.00	हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय	शुक्ला सीमेन्ट एजेन्सी
2-	12-05-2020	69521.00	हैण्डपम्प रिबोर हेतु मिस्त्री को भुगतान	श्रीमती नीलम शर्मा
3-	12-05-2020	56706.00	हैण्डपम्प रिबोर हेतु ओम मशीनरी हार्डवेयर को भुगतान	ओम मशीनरी हार्डवेयर
4-	20-10-2020	4351.00	हैण्डपम्प रिबोर हेतु शुक्ला सीमेन्ट एजेन्सी को भुगतान	शुक्ला सीमेन्ट एजेन्सी
5-	20-10-2020	11771.00	हैण्डपम्प रिबोर हेतु श्रमिक को भुगतान	श्रीमती नीलम शर्मा
6-	20-10-2020	9626.00	हैण्डपम्प रिबोर हेतु ओम मशीनरी स्टोर को भुगतान	ओम मशीनरी हार्डवेयर
7-	10-11-2020	35000.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय	श्रीमती नीलम शर्मा
योग –		212985.00		

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, हैण्डपम्प खराब होने की शिकायत, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, जल निगम की स्वीकृति यदि आवश्यक हो तो, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, हैण्डपम्प स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

पंचायत राज अधिकारी लखीमपुर-खीरी के आदेश के क्रम में यह निर्देशित किया गया है कि दिनांक 15-08-2019 के उपरान्त ग्राम पंचायतों के खाते से पी०एफ०एम०एस० को छोड़कर अन्य माध्यमों से किये जाने वाले भुगतान को प्रतिबन्धित कर दिया जाये लेकिन सचिव श्री कमाल अहमद द्वारा श्रीमती नीलम शर्मा(प्रधान) के नाम से रू० 116292.00 को गलत ढंग से आहरित करके धनराशि का गबन कर लिया गया है

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **212985.00** में से 50% रू० **106492.50** ग्राम प्रधान **श्रीमती नीलम शर्मा** से तथा शेष 50% रू० **106492.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कमाल अहमद** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-253 ग्राम पंचायत **समैसा** में वर्ष **2020-21** में में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **वॉल पेन्टिंग** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम
1-	26-07-2020	20000.00	वॉल पेन्टिंग पर व्यय	श्री राजेश कुमार
2-	20-10-2020	13590.00	वॉल पेन्टिंग पर व्यय	इदरीश आर्ट
3-	31-10-2020	20000.00	वॉल पेन्टिंग पर व्यय	श्री कमाल अहमद
योग –		53590.00		

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, स्थापना स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, गवाहों की सूची हस्ताक्षर सहित, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **वॉल पेन्टिंग** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

पंचायत राज अधिकारी लखीमपुर-खीरी के आदेश के क्रम में यह निर्देशित किया गया है कि दिनांक 15-08-2019 के उपरान्त ग्राम पंचायतों के खाते से पी०एफ०एम०एस० को छोड़कर अन्य माध्यमों से किये जाने वाले भुगतान को प्रतिबन्धित कर दिया जाये लेकिन सचिव श्री कमाल अहमद द्वारा अपने स्वयं के नाम से रू० 20000.00, अपने सहयोग श्री राजेश कुमार के नाम से रू० 20000.00 एवं श्री इदरीश आर्ट के नाम से रू० 13590.00 को गलत ढंग से आहरित करके धनराशि का गबन कर लिया गया है

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **53590.00** में से 50% रू० **26795.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती नीलम शर्मा** से तथा शेष 50% रू० **26795.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कमाल अहमद** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-254 ग्राम पंचायत समैसा में वर्ष 2020-21 में में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार हयूम पाइप मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम
1-	29-04-2020	36420.00	सिंह स्पन इण्डस्ट्रीज से हयूम पाइप क्रय	सिंह स्पन इण्डस्ट्रीज
	योग -	36420.00		

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, स्थापना स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, गवाहों की सूची हस्ताक्षर सहित, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायत में कोई भी खडन्जा, इण्टर लॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य नहीं हुआ है।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में हयूम पाइप पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 36420.00 में से 50% ₹ 18210.00 ग्राम प्रधान श्रीमती नीलम शर्मा से तथा शेष 50% ₹ 18210.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री कमाल अहमद से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-255 ग्राम पंचायत समैसा में वर्ष 2020-21 में में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार डस्टबिन मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम
1-	04-05-2020	72000.00	डस्टबिन क्रय	उत्कर्ष इण्टर प्राइजेज
	योग -	72000.00		

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, स्थापना स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, गवाहों की सूची हस्ताक्षर सहित, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **डस्टबिन** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹० **72000.00** में से 50% ₹० **36000.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती नीलम शर्मा** से तथा शेष 50% ₹० **36000.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कमाल अहमद** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-256 ग्राम पंचायत **समैसा** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **सामुदायिक शौचालय निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम
1-	26-07-2020	75000.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण पर सामग्री	श्रीमती नीलम शर्मा
2-	20-10-2020	111250.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण पर लेबर और सामग्री का भुगतान	श्रीमती नीलम शर्मा
3-	21-10-2020	5800.00	सामुदायिक शौचालय पर लेखन पर भुगतान	श्री इंदरीश पेन्टर
	योग -	192050.00		

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **सामुदायिक शौचालय निर्माण/मरम्मत** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

पंचायत राज अधिकारी लखीमपुर-खीरी के आदेश के क्रम में यह निर्देशित किया गया है कि दिनांक 15-08-2019 के उपरान्त ग्राम पंचायतों के खाते से पी०एफ०एम०एस० को छोड़कर अन्य माध्यमों से किये जाने वाले भुगतान को प्रतिबन्धित कर दिया जाये लेकिन सचिव श्री कमाल अहमद द्वारा श्रीमती नीलम शर्मा (प्रधान) के

नाम से रू० 186250.00 एवं श्री इंदरीश पेन्टर के नाम से रू० 5800.00 को गलत ढंग से आहरित करके धनराशि का गबन कर लिया गया है

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **192050.00** में से 50% रू० **96025.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती नीलम शर्मा** से तथा शेष 50% रू० **96025.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कमाल अहमद** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-257 ग्राम पंचायत **समैसा** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम
1-	01-12-2020	119180.00	पंचायत भवन निर्माण कार्य	शुक्ला इण्टर प्राइजेज
2-	01-12-2020	20077.00	महादेव इण्टर प्राइजेज को भुगतान	महादेव इण्टर प्राइजेज
3-	02-12-2020	18952.00	आर०एल० एण्ड सन्स को ईट का भुगतान	आर०एल० एण्ड सन्स
	योग –	158209.00		

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **158209.00** में से 50% रू० **79104.50** ग्राम प्रधान **श्रीमती नीलम शर्मा** से तथा शेष 50% रू० **79104.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कमाल अहमद** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-258 ग्राम पंचायत **समैसा** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्रधान मानदेय** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम
1-	30-04-2020	14000.00	प्रधान मानदेय	श्रीमती नीलम शर्मा
2-	02-12-2020	35000.00	प्रधान मानदेय	श्री राजेश कुमार
	योग –	49000.00		

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण

आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकती।

- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, मानदेय रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकती।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में प्रधान मानदेय पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

पंचायत राज अधिकारी लखीमपुर-खीरी के आदेश के क्रम में यह निर्देशित किया गया है कि दिनांक 15-08-2019 के उपरान्त ग्राम पंचायतों के खाते से पी०एफ०एम०एस० को छोड़कर अन्य माध्यमों से किये जाने वाले भुगतान को प्रतिबन्धित कर दिया जाये लेकिन सचिव श्री कमाल अहमद द्वारा श्रीमती नीलम शर्मा (प्रधान) के नाम से ₹० 14000.00 एवं अपने सहयोग श्री राजेश कुमार के नाम से ₹० 35000.00 को गलत ढंग से आहरित करके धनराशि का गबन कर लिया गया है

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 49000.00 में से 50% ₹० 24500.00 ग्राम प्रधान श्रीमती नीलम शर्मा से तथा शेष 50% ₹० 24500.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री कमाल अहमद से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-259 ग्राम पंचायत समैसा में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार कोविड-19 मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम
1-	29-04-2020	2580.00	कोविड-19 के अन्तर्गत बैनर बनवाई	स्वास्तिक आफसेट
2-	10-11-2020	49990.00	कोविड-19 के अन्तर्गत दवा छिड़काव तथा श्रम पर भुगतान	श्री कमाल अहमद
3-	02-11-2020	35000.00	साफ सफाई, दवाई छिड़काव पर व्यय	श्रीमती नीलम शर्मा
योग -		87570.00		

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकती।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, वितरण रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकती।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **कोविड-19** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

पंचायत राज अधिकारी लखीमपुर-खीरी के आदेश के क्रम में यह निर्देशित किया गया है कि दिनांक 15-08-2019 के उपरान्त ग्राम पंचायतों के खाते से पी०एफ०एम०एस० को छोड़कर अन्य माध्यमों से किये जाने वाले भुगतान को प्रतिबन्धित कर दिया जाये लेकिन सचिव श्री कमाल अहमद द्वारा अपने स्वयं के नाम से ₹ 49990.00 एवं श्रीमती नीलम शर्मा (प्रधान) के नाम से ₹ 35000.00 को गलत ढंग से आहरित करके धनराशि का गबन कर लिया गया है

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 87570.00 में से 50% ₹ 43785.00 ग्राम प्रधान **श्रीमती नीलम शर्मा** से तथा शेष 50% ₹ 43785.00 ग्राम पंचायत सचिव **श्री कमाल अहमद** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-260 ग्राम पंचायत **समैसा** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्रशासनिक** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम
1-	01-09-2020	20000.00	प्रशासनिक मद पर व्यय	श्री राजेश कुमार
2-	31-10-2020	2000.00	प्रशासनिक मद पर व्यय	श्री कमाल अहमद
3-	07-10-2020	1000.00	प्रशासनिक मद पर व्यय	श्रीमती नीलम शर्मा
	योग -	23000.00		

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पृष्ठ में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, वितरण रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **प्रशासनिक कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

पंचायत राज अधिकारी लखीमपुर-खीरी के आदेश के क्रम में यह निर्देशित किया गया है कि दिनांक 15-08-2019 के उपरान्त ग्राम पंचायतों के खाते से पी०एफ०एम०एस० को छोड़कर अन्य माध्यमों से किये जाने वाले भुगतान को प्रतिबन्धित कर दिया जाये लेकिन सचिव श्री कमाल अहमद द्वारा अपने स्वयं के नाम से ₹ 20000.00, अपने सहयोगी श्री राजेश कुमार के नाम से ₹ 20000.00 एवं श्रीमती नीलम शर्मा (प्रधान) के नाम से ₹ 1000.00 को गलत ढंग से आहरित करके धनराशि का गबन कर लिया गया है

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 23000.00 में से 50% ₹ 11500.00 ग्राम प्रधान **श्रीमती नीलम शर्मा** से तथा शेष 50% ₹ 11500.00 ग्राम पंचायत सचिव **श्री कमाल अहमद** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-261 ग्राम पंचायत **समैसा** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **अन्य** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम

1-	15-12-2020	99985.00	विकास ट्रेडर्स को भुगतान	विकास ट्रेडर्स
2-	15-12-2020	99985.00	विकास ट्रेडर्स को भुगतान	विकास ट्रेडर्स
3-	15-12-2020	99985.00	विकास ट्रेडर्स को भुगतान	विकास ट्रेडर्स
4-	15-12-2020	99985.00	विकास ट्रेडर्स को भुगतान	विकास ट्रेडर्स
5-	21-12-2020	50000.00	श्रम सामग्री भुगतान	श्री राजेश कुमार
6-	21-12-2020	50000.00	श्रम सामग्री भुगतान	श्री राजेश कुमार
7-	21-12-2020	50000.00	श्रम सामग्री भुगतान	श्री राजेश कुमार
8-	21-12-2020	50000.00	श्रम सामग्री भुगतान	श्री राजेश कुमार
9-	06-11-2020	16900.00	दयाल इनफोसिस से प्रिन्टर क्रय	दयाल इनफोसिस
10-	15-11-2020	29499.00	काजी टेलीकाम को भुगतान	काजी टेलीकाम
11-	01-12-2020	48500.00	ग्राम पंचायत में मिट्टी पटाई एवं साफ सफाई कार्य	श्री कमाल अहमद
योग -		694839.00		

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, वितरण रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कार्यों पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

पंचायत राज अधिकारी लखीमपुर-खीरी के आदेश के क्रम में यह निर्देशित किया गया है कि दिनांक 15-08-2019 के उपरान्त ग्राम पंचायतों के खाते से पी०एफ०एम०एस० को छोड़कर अन्य माध्यमों से किये जाने वाले भुगतान को प्रतिबन्धित कर दिया जाये लेकिन सचिव श्री कमाल अहमद द्वारा अपने स्वयं के नाम से ₹० 48500.00, अपने सहयोगी श्री राजेश कुमार के नाम से ₹० 200000.00 को गलत ढंग से आहरित करके धनराशि का गबन कर लिया गया है। विकास ट्रेडर्स एवं श्री राजेश कुमार को किस कार्य एवं उद्देश्य के लिए भुगतान किया गया है इसका उल्लेख कोषबही में नहीं किया गया है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹० **694839.00** में से 50% ₹० **347419.50** ग्राम प्रधान **श्रीमती नीलम शर्मा** से तथा शेष 50% ₹० **347419.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कमाल अहमद** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - सुर्जनपुर

विकास खण्ड - ईसानगर

वर्ष - 2020-21

प्रस्तर-262 ग्राम पंचायत **सुर्जनपुर** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम
1-	19-10-2020	28812.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य मौर्या इण्टर प्राइजेज	मौर्या इण्टर प्राइजेज

2-	20-10-2020	75426.00	हरिशंकर हैण्डपम्प मिस्त्री को भुगतान	श्री हरिशंकर
3-	20-10-2020	85626.00	मौर्या मशीनरी स्टोर को भुगतान	मौर्या मशीनरी स्टोर
योग -		189864.00		

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, हैण्डपम्प खराब होने की शिकायत, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, जल निगम की स्वीकृति यदि आवश्यक हो तो, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, हैण्डपम्प स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

पंचायत राज अधिकारी लखीमपुर-खीरी के आदेश के क्रम में यह निर्देशित किया गया है कि दिनांक 15-08-2019 के उपरान्त ग्राम पंचायतों के खाते से पी०एफ०एम०एस० को छोड़कर अन्य माध्यमों से किये जाने वाले भुगतान को प्रतिबन्धित कर दिया जाये लेकिन सचिव श्री कमाल अहमद द्वारा श्री हरिशंकर के नाम से रू० 75426.00 को गलत ढंग से आहरित करके धनराशि का गबन कर लिया गया है

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **189864.00** में से 50% रू० **94932.00** ग्राम प्रधान **श्री शर्मा प्रसाद** से तथा शेष 50% रू० **94932.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कमाल अहमद** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-263 ग्राम पंचायत **सुर्जनपुर** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हयूम पाइप** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम
1-	11-06-2020	53499.00	हयूम पाइप क्रय मे० विकास ट्रेडर्स	विकास ट्रेडर्स
2-	27-11-2020	20000.00	हयूम पाइप डलवाई पर व्यय	श्री राजेश कुमार
3-	21-12-2020	84500.00	हयूम पाइप क्रय मे० विकास ट्रेडर्स से	विकास ट्रेडर्स
योग -		157999.00		

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, स्थापना स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, गवाहों की सूची हस्ताक्षर सहित, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **ह्यूम पाइप** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

पंचायत राज अधिकारी लखीमपुर-खीरी के आदेश के क्रम में यह निर्देशित किया गया है कि दिनांक 15-08-2019 के उपरान्त ग्राम पंचायतों के खाते से पी०एफ०एम०एस० को छोड़कर अन्य माध्यमों से किये जाने वाले भुगतान को प्रतिबन्धित कर दिया जाये लेकिन सचिव श्री कमाल अहमद द्वारा अपने सहयोगी श्री राजेश कुमार के नाम से ₹० 20000.00 को गलत ढंग से आहरित करके धनराशि का गबन कर लिया गया है

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹० **157999.00** में से 50% ₹० **78999.50** ग्राम प्रधान **श्री शर्मा प्रसाद** से तथा शेष 50% ₹० **78999.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कमाल अहमद** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-264 ग्राम पंचायत **सुर्जनपुर** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **इण्टर लॉकिंग निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम
1-	13-07-2020	31623.00	मुक्ता के घर से सतगुरू के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण श्रमिक भुगतान	श्री शर्मा प्रसाद
2-	31-07-2020	30771.00	उक्त कार्य पर शुक्ला सीमेन्ट एजेन्सी को भुगतान	शुक्ला सीमेन्ट एजेन्सी
3-	31-07-2020	39057.00	उक्त कार्य पर आर०एल० एण्ड संस से ईट क्रय	आर०एल० एण्ड संस
4-	07-10-2020	146954.00	उक्त कार्य पर ओम इण्टर लॉकिंग से इण्टर लॉकिंग ईट क्रय	ओम इण्टर लॉकिंग
5-	13-07-2020	28632.00	उमाशंकर के घर से रमेश के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण पर श्रमिकों को भुगतान	श्री शर्मा प्रसाद
6-	26-07-2020	29453.00	उक्त कार्य पर शुक्ला सीमेन्ट एजेन्सी को भुगतान	शुक्ला सीमेन्ट एजेन्सी
7-	26-07-2020	133616.00	उक्त कार्य पर ओम इण्टर लॉकिंग से इण्टर लॉकिंग ईट क्रय	ओम इण्टर लॉकिंग
8-	26-07-2020	34018.00	उक्त कार्य पर आर०एल० एण्ड संस से ईट क्रय	आर०एल० एण्ड संस
योग -		474124.00		

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **इण्टर लॉकिंग निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

पंचायत राज अधिकारी लखीमपुर-खीरी के आदेश के क्रम में यह निर्देशित किया गया है कि दिनांक 15-08-2019 के उपरान्त ग्राम पंचायतों के खाते से पी०एफ०एम०एस० को छोड़कर अन्य माध्यमों से किये जाने वाले भुगतान को प्रतिबन्धित कर दिया जाये लेकिन सचिव श्री कमाल अहमद द्वारा श्री शर्मा प्रसाद (प्रधान) के नाम से रू० 60255.00 को गलत ढंग से आहरित करके धनराशि का गबन कर लिया गया है

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **474124.00** में से 50% रू० **237062.00** ग्राम प्रधान **श्री शर्मा प्रसाद** से तथा शेष 50% रू० **237062.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कमाल अहमद** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-265 ग्राम पंचायत **सुर्जनपुर** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **सामुदायिक शौचालय निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र० सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम
1-	04-10-2020	20000.00	सामुदायिक शौचालय रंगाई पुताई एवं लेखन पर व्यय	श्री राजेश कुमार
2-	11-10-2020	77987.00	उक्त कार्य पर जय माँ दुर्गा ब्रिक से ईट क्रय	माँ दुर्गा ब्रिक
3-	11-10-2020	45738.00	उक्त कार्य पर मिस्त्री लेबर को भुगतान	श्री शर्मा प्रसाद
4-	11-10-2020	62637.00	उक्त कार्य पर शुक्ला सीमेन्ट एजेन्सी से सीमेन्ट क्रय	शुक्ला सीमेन्ट एजेन्सी
5-	02-11-2020	20000.00	नाम लिखवाई, आई०डी० डलवाई चित्रण पर व्यय	श्री कमाल अहमद
6-	08-11-2020	59285.00	उक्त कार्य पर सागर लोहा भण्डार को भुगतान	सागर लोहा भण्डार
7-	27-11-2020	15592.00	उक्त कार्य पर आर०एल० एण्ड संस से रोड़ा क्रय	आर०एल० एण्ड संस
8-	27-11-2020	119180.00	उक्त कार्य पर मे० विनय ट्रेडर्स से सरिया क्रय	विनय ट्रेडर्स
	योग -	420419.00		

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा

का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **सामुदायिक शौचालय निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

पंचायत राज अधिकारी लखीमपुर-खीरी के आदेश के क्रम में यह निर्देशित किया गया है कि दिनांक 15-08-2019 के उपरान्त ग्राम पंचायतों के खाते से पी०एफ०एम०एस० को छोड़कर अन्य माध्यमों से किये जाने वाले भुगतान को प्रतिबन्धित कर दिया जाये लेकिन सचिव श्री कमाल अहमद द्वारा स्वयं के नाम रू० 20000.00, अपने सहयोगी श्री राजेश कुमार के नाम रू० 20000.00 एवं श्री शर्मा प्रसाद (प्रधान) के नाम से रू० 45738.00 को गलत ढंग से आहरित करके धनराशि का गबन कर लिया गया है

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **420419.00** में से 50% रू० **210209.50** ग्राम प्रधान **श्री शर्मा प्रसाद** से तथा शेष 50% रू० **210209.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कमाल अहमद** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-266 ग्राम पंचायत **सुर्जनपुर** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्रधान मानदेय** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम
1-	11-06-2020	38500.00	प्रधान मानदेय जुलाई 2019 से मई 2020	श्री शर्मा प्रसाद
2-	04-10-2020	14000.00	प्रधान मानदेय जून 2020 से सितम्बर 2020	श्री शर्मा प्रसाद
योग -		52500.00		

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, मानदेय रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **प्रधान मानदेय** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 52500.00 में से 50% ₹ 26250.00 ग्राम प्रधान श्री शर्मा प्रसाद से तथा शेष 50% ₹ 26250.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री कमाल अहमद से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-267 ग्राम पंचायत **सुर्जनपुर** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **कोविड-19** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम
1-	17-04-2020	7500.00	कोविड-19 मास्क क्रय	श्री कमाल अहमद
2-	23-04-2020	30000.00	कोविड-19 साफ-सफाई दवाई छिड़काव	श्री शर्मा प्रसाद
3-	23-04-2020	2580.00	कोविड-19 स्वास्तिक से बैनर बनवाई	स्वास्तिक आफसेट
4-	02-11-2020	20000.00	कोविड-19 साफ सफाई दवा छिड़काव	श्री राजेश कुमार
5-	10-11-2020	48999.00	कोविड-19 साफ सफाई कार्य दवा, मजदूरी व्यय	श्री शर्मा प्रसाद
6-	10-11-2020	49999.00	कोविड-19 स्वच्छता एवं वॉल पेन्टिंग पर व्यय	श्री कमाल अहमद
	योग -	159078.00		

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पृष्ठ में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, वितरण रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।
अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **कोविड-19** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

पंचायत राज अधिकारी लखीमपुर-खीरी के आदेश के क्रम में यह निर्देशित किया गया है कि दिनांक 15-08-2019 के उपरान्त ग्राम पंचायतों के खाते से पी०एफ०एम०एस० को छोड़कर अन्य माध्यमों से किये जाने वाले भुगतान को प्रतिबन्धित कर दिया जाये लेकिन सचिव श्री कमाल अहमद द्वारा स्वयं के नाम ₹ 57499.00, अपने सहयोगी श्री राजेश कुमार के नाम ₹ 20000.00 एवं श्री शर्मा प्रसाद (प्रधान) के नाम से ₹ 78999.00 को गलत ढंग से आहरित करके धनराशि का गबन कर लिया गया है

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 159078.00 में से 50% ₹ 79539.00 ग्राम प्रधान श्री शर्मा प्रसाद से तथा शेष 50% ₹ 79539.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री कमाल अहमद से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-268 ग्राम पंचायत **सुर्जनपुर** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्रशासनिक** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम
1-	13-07-2020	20000.00	प्रशासनिक व्यय	श्री राजेश कुमार

2-	01-09-2020	20000.00	दयाल इन्फोसिस को भुगतान	श्री कमाल अहमद
3-	07-10-2020	1000.00	प्रशासनिक व्यय	श्री शर्मा प्रसाद
4-	04-12-2020	19799.00	प्रशासनिक व्यय	काजी टेलीकाम
5-	12-06-2020	31500.00	काजी टेलीकाम को भुगतान	काजी टेलीकाम
6-	01-12-2020	3000.00	टेण्डर भुगतान-कल्लू के घर से रोशन के घर तक इण्टर लॉकिंग की निविदा	तराई का सूरज
योग -		95299.00		

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **प्रशासनिक कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

पंचायत राज अधिकारी लखीमपुर-खीरी के आदेश के क्रम में यह निर्देशित किया गया है कि दिनांक 15-08-2019 के उपरान्त ग्राम पंचायतों के खाते से पी०एफ०एम०एस० को छोड़कर अन्य माध्यमों से किये जाने वाले भुगतान को प्रतिबन्धित कर दिया जाये लेकिन सचिव श्री कमाल अहमद द्वारा स्वयं के नाम से ₹ 20000.00, अपने सहयोगी श्री राजेश कुमार के नाम ₹ 20000.00 एवं श्री शर्मा प्रसाद (प्रधान) के नाम से ₹ 1000.00 को गलत ढंग से आहरित करके धनराशि का गबन कर लिया गया है

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 95299.00 में से 50% ₹ 47649.50 ग्राम प्रधान **श्री शर्मा प्रसाद** से तथा शेष 50% ₹ 47649.50 ग्राम पंचायत सचिव **श्री कमाल अहमद** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-269 ग्राम पंचायत **सुर्जनपुर** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार अन्य मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम
1-	15-09-2020	38400.00	नाव क्रय पर व्यय	श्री शर्मा प्रसाद
2-	02-11-2020	5000.00	मौर्या कम्प्यूटर को भुगतान	जनसेवा केन्द्र
योग -		43400.00		

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

पंचायत राज अधिकारी लखीमपुर-खीरी के आदेश के क्रम में यह निर्देशित किया गया है कि दिनांक 15-08-2019 के उपरान्त ग्राम पंचायतों के खाते से पी०एफ०एम०एस० को छोड़कर अन्य माध्यमों से किये जाने वाले भुगतान को प्रतिबन्धित कर दिया जाये लेकिन सचिव श्री कमाल अहमद द्वारा श्री शर्मा प्रसाद (प्रधान) के नाम से ₹ 38400.00 को गलत ढंग से आहरित करके धनराशि का गबन कर लिया गया है

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 43400.00 में से 50% ₹ 21700.00 ग्राम प्रधान **श्री शर्मा प्रसाद** से तथा शेष 50% ₹ 21700.00 ग्राम पंचायत सचिव **श्री कमाल अहमद** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - खनवापुर

विकास खण्ड - ईसानगर

वर्ष - 2020-21

प्रस्तर-270 ग्राम पंचायत **खनवापुर** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण	धनराशि प्राप्तकर्ता का नाम
1-	04-12-2020	29900.00	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत पर व्यय	श्री कमाल अहमद
2-	06-05-2020	49900.00	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत पर व्यय	श्रीमती माया देवी
3-	19-10-2020	4000.00	उक्त कार्य पर मिस्त्री को भुगतान	श्री हरिशंकर
4-	20-10-2020	23250.00	सामग्री क्रय मौर्या मशीनरी स्टोर से	मेसर्स मौर्या मशीनरी स्टोर
5-	04-12-2020	48300.00	हैण्डपम्प रिबोर	श्री कमाल अहमद
	योग -	155350.00		

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, हैण्डपम्प खराब होने की शिकायत, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, जल निगम की स्वीकृति यदि आवश्यक हो तो, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, हैण्डपम्प स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

पंचायत राज अधिकारी लखीमपुर-खीरी के आदेश के क्रम में यह निर्देशित किया गया है कि दिनांक 15-08-2019 के उपरान्त ग्राम पंचायतों के खाते से पी०एफ०एम०एस० को छोड़कर अन्य माध्यमों से किये जाने वाले भुगतान को प्रतिबन्धित कर दिया जाये लेकिन सचिव श्री कमाल अहमद द्वारा अपने नाम से ₹ 78200.00 तथा प्रधान श्रीमती मायादेवी के नाम से ₹ 49900.00 को गलत ढंग से आहरित करके धनराशि का गबन कर लिया गया है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 155350.00 में से 50% ₹ 77675.00 ग्राम प्रधान **श्रीमती माया देवी** से तथा शेष 50% ₹ 77675.00 ग्राम पंचायत सचिव **श्री कमाल अहमद** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-271 ग्राम पंचायत **खनवापुर** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हयूम पाइप** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण	धनराशि प्राप्तकर्ता का नाम
1-	21-12-2020	97500.00	हयूम पाइप क्रय पर व्यय	मेसर्स विकास ट्रेडर्स
2-	21-12-2020	49999.00	हयूम पाइप क्रय पर व्यय	श्री कमाल अहमद
योग –		147499.00		

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, स्थापना स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, गवाहों की सूची हस्ताक्षर सहित, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **हयूम पाइप** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

पंचायत राज अधिकारी लखीमपुर-खीरी के आदेश के क्रम में यह निर्देशित किया गया है कि दिनांक 15-08-2019 के उपरान्त ग्राम पंचायतों के खाते से पी०एफ०एम०एस० को छोड़कर अन्य माध्यमों से किये जाने वाले भुगतान को प्रतिबन्धित कर दिया जाये लेकिन सचिव श्री कमाल अहमद द्वारा अपने नाम से ₹ 49999.00 तथा मेसर्स विकास ट्रेडर्स के नाम से गलत ढंग से आहरित करके धनराशि का गबन कर लिया गया है। जबकि वर्ष 2020-21 में उक्त ग्राम पंचायत में कोई भी निर्माण कार्य जैसे खडन्जा निर्माण, इण्टर लॉकिंग निर्माण, नाली निर्माण का कार्य नहीं कराया गया है और न ही हयूम पाइप स्थापना पर मजदूरी का भुगतान किया गया है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **147499.00** में से 50% रू० **73749.50** ग्राम प्रधान **श्रीमती माया देवी** से तथा शेष 50% रू० **73749.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कमाल अहमद** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-272 ग्राम पंचायत **खनवापुर** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **सामुदायिक शौचालय निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण	धनराशि प्राप्तकर्ता का नाम
1-	11-10-2020	50000.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य	श्रीमती माया देवी
2-	21-12-2020	99999.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य	श्री राजेश कुमार
	योग –	149999.00		

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **सामुदायिक शौचालय निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

पंचायत राज अधिकारी लखीमपुर-खीरी के आदेश के क्रम में यह निर्देशित किया गया है कि दिनांक 15-08-2019 के उपरान्त ग्राम पंचायतों के खाते से पी०एफ०एम०एस० को छोड़कर अन्य माध्यमों से किये जाने वाले भुगतान को प्रतिबन्धित कर दिया जाये लेकिन सचिव श्री कमाल अहमद द्वारा अपने सहयोगी श्री राजेश कुमार के नाम से कुल रू० 99999.00 तथा प्रधान श्रीमती माया देवी के नाम से रू० 50000.00 को गलत ढंग से आहरित करके धनराशि का गबन कर लिया गया है। यद्यपि कि वित्त वर्ष में शौचालय से सम्बन्धित कोई भी निर्माण कार्य नहीं कराया गया है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **149999.00** में से 50% रू० **74999.50** ग्राम प्रधान **श्रीमती माया देवी** से तथा शेष 50% रू० **74999.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कमाल अहमद** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-273 ग्राम पंचायत **खनवापुर** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्रधान मानदेय** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	15-10-2020	21000.00	प्रधान का मानदेय
2-	04-12-2020	17500.00	प्रधान का मानदेय
	योग –	38500.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, मानदेय रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में प्रधान मानदेय पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 38500.00 में से 50% ₹ 19250.00 ग्राम प्रधान श्रीमती माया देवी से तथा शेष 50% ₹ 19250.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री कमाल अहमद से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-274 ग्राम पंचायत खनवापुर में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार कोविड-19 मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण	धनराशि प्राप्तकर्ता का नाम
1-	23-04-2020	30000.00	कोविड-19 के तहत साफ सफाई एवं दवा छिड़काव पर व्यय	श्रीमती माया देवी
2-	23-04-2020	2580.00	कोरोना जागरूकता में बैनर बनवाने पर	स्वास्तिक आफसेट
3-	09-11-2020	21800.00	दवा एवं साफ सफाई पर व्यय	श्री कमाल अहमद
4-	22-12-2020	49999.00	साफ सफाई एवं दवा छिड़काव पर व्यय	श्री कमाल अहमद
5-	09-11-2020	48800.00	वॉल पेन्टिंग कोरोना जागरूकता पर व्यय	श्री कमाल अहमद
	योग -	153179.00		

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **कोविड-19** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

पंचायत राज अधिकारी लखीमपुर-खीरी के आदेश के क्रम में यह निर्देशित किया गया है कि दिनांक 15-08-2019 के उपरान्त ग्राम पंचायतों के खाते से पी०एफ०एम०एस० को छोड़कर अन्य माध्यमों से किये जाने वाले भुगतान को प्रतिबन्धित कर दिया जाये लेकिन सचिव श्री कमाल अहमद द्वारा अपने नाम से कुल ₹ 120599.00 तथा प्रधान श्रीमती माया देवी के नाम से ₹ 30000.00 को गलत ढंग से आहरित करके धनराशि का गबन कर लिया गया है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 153179.00 में से 50% ₹ 76589.50 ग्राम प्रधान **श्रीमती माया देवी** से तथा शेष 50% ₹ 76589.50 ग्राम पंचायत सचिव **श्री कमाल अहमद** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-275 ग्राम पंचायत **खनवापुर** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्रशासनिक** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण	धनराशि प्राप्तकर्ता का नाम
1-	27-07-2020	20000.00	प्रशासनिक कार्य पर व्यय	श्री राजेश कुमार
2-	31-08-2020	20000.00	प्रशासनिक कार्य पर व्यय	श्री राजेश कुमार
3-	02-11-2020	20000.00	प्रशासनिक कार्य पर व्यय	श्री राजेश कुमार
4-	02-11-2020	20000.00	प्रशासनिक कार्य पर व्यय	श्री राजेश कुमार
5-	02-11-2020	5000.00	मौर्या कम्प्यूटर एवं जनसेवा	मौर्या कम्प्यूटर एवं जनसेवा
6-	08-10-2020	1000.00	फोटोकापी पर व्यय	श्रीमती मायादेवी
	योग -	86000.00		

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **प्रशासनिक कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

पंचायत राज अधिकारी लखीमपुर-खीरी के आदेश के क्रम में यह निर्देशित किया गया है कि दिनांक 15-08-2019 के उपरान्त ग्राम पंचायतों के खाते से पी०एफ०एम०एस० को छोड़कर अन्य माध्यमों से किये जाने वाले भुगतान को प्रतिबन्धित कर दिया जाये लेकिन सचिव श्री कमाल अहमद द्वारा अपने सहयोगी श्री राजेश कुमार के नाम से कुल ₹ 80000.00 तथा प्रधान श्रीमती माया देवी के नाम से ₹ 1000.00 को गलत ढंग से आहरित करके धनराशि का गबन कर लिया गया है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 86000.00 में से 50% ₹ 43000.00 ग्राम प्रधान **श्रीमती माया देवी** से तथा शेष 50% ₹ 43000.00 ग्राम पंचायत सचिव **श्री कमाल अहमद** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	22-10-2020	82348.00	हैण्डपम्प मरम्मत
	योग –	82348.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, हैण्डपम्प खराब होने की शिकायत, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, जल निगम की स्वीकृति यदि आवश्यक हो तो, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, हैण्डपम्प स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।"

चूँकि ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 82348.00 में से 50% ₹ 41174.00 ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता देवी से तथा शेष 50% ₹ 41174.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री कमाल अहमद से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-277 ग्राम पंचायत जसवन्तनगर में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार हयूम पाइप मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	04-05-2020	49900.00	हयूम पाइप क्रय सिंह स्पन पाइप
	योग –	49900.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, स्थापना स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, गवाहों की सूची हस्ताक्षर सहित, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त

प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **ह्यूम पाइप** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि **रु० 49900.00** में से 50% **रु० 24950.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती सुनीता देवी** से तथा शेष 50% **रु० 24950.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कमाल अहमद** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-278 ग्राम पंचायत **जसवन्तनगर** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय निर्माण/मरम्मत** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण	धनराशि प्राप्तकर्ता का नाम
1-	14-06-2020	27560.00	प्रा०वि० एवं उ०प्रा०वि० में इण्टर लॉकिंग निर्माण लेबर भुगतान	श्रीमती सुनीता देवी
	योग –	27560.00		

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्रा० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पृष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय निर्माण/मरम्मत** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

पंचायत राज अधिकारी लखीमपुर-खीरी के आदेश के क्रम में यह निर्देशित किया गया है कि दिनांक 15-08-2019 के उपरान्त ग्राम पंचायतों के खाते से पी०एफ०एम०एस० को छोड़कर अन्य माध्यमों से किये जाने वाले भुगतान को प्रतिबन्धित कर दिया जाये लेकिन सचिव श्री कमाल अहमद द्वारा श्रीमती सुनीता देवी (प्रधान) के नाम से कुल **रु० 27560.00** को गलत ढंग मजदूरी के नाम से आहरित करके धनराशि का गबन कर लिया गया है तथा वित्त वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत में कोई भी इण्टर लॉकिंग के ईट का क्रय नहीं किया गया है तो इण्टर लॉकिंग के निर्माण कार्य पर मजदूरी का भुगतान किया जाना पूर्णतया गलत है जो गबन किया गया है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि **रु० 27560.00** में से 50% **रु० 13780.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती सुनीता देवी** से तथा शेष 50% **रु० 13780.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कमाल अहमद** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-279 ग्राम पंचायत जसवन्तनगर में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार सामुदायिक शौचालय निर्माण मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण	धनराशि प्राप्तकर्ता का नाम
1-	27-07-2020	20000.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण पर व्यय	श्री राजेश कुमार
2-	31-08-2020	20000.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण पर व्यय	श्री राजेश कुमार
3-	21-10-2020	36990.00	उक्त कार्य पर लेबर मिस्त्री को भुगतान	श्रीमती सुनीता देवी
4-	21-10-2020	4920.00	उक्त कार्य पर महादेव इण्टर प्राइजेज से दरवाजा क्रय	श्री महादेव
5-	21-10-2020	69094.00	उक्त कार्य पर नेशनल ब्रिक फील्ड से ईंट क्रय	मेसर्स नेशनल ब्रिक फील्ड
6-	21-10-2020	53512.00	उक्त कार्य पर वर्मा ट्रेडर्स से सामग्री क्रय	मेसर्स वर्मा ट्रेडर्स
	योग -	204516.00		

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय निर्माण पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

पंचायत राज अधिकारी लखीमपुर-खीरी के आदेश के क्रम में यह निर्देशित किया गया है कि दिनांक 15-08-2019 के उपरान्त ग्राम पंचायतों के खाते से पी०एफ०एम०एस० को छोड़कर अन्य माध्यमों से किये जाने वाले भुगतान को प्रतिबन्धित कर दिया जाये लेकिन सचिव श्री कमाल अहमद द्वारा श्रीमती सुनीता देवी (प्रधान) के नाम से ₹० 36990.00 तथा अपने सहयोगी श्री राजेश कुमार के नाम से ₹० 40000.00 को गलत ढंग से आहरित करके धनराशि का गबन कर लिया गया है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 204516.00 में से 50% ₹० 102258.00 ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता देवी से तथा शेष 50% ₹० 102258.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री कमाल अहमद से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-280 ग्राम पंचायत जसवन्तनगर में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार प्रधान मानदेय मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	21-10-2020	21000.00	प्रधान मानदेय
2-	13-11-2020	21000.00	प्रधान मानदेय

	योग -	42000.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, मानदेय रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में प्रधान मानदेय पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 42000.00 में से 50% ₹० 21000.00 ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता देवी से तथा शेष 50% ₹० 21000.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री कमाल अहमद से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-281 ग्राम पंचायत जसवन्तनगर में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार कोविड-19 मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण	धनराशि प्राप्तकर्ता का नाम
1-	23-04-2020	2580.00	कोविड-19 बैनर बनवाई	स्वास्तिक आफसेट
2-	07-12-2020	24400.00	कोरोना जागरूकता पर व्यय	श्री कमाल अहमद
3-	07-12-2020	24400.00	कोरोना जागरूकता, वॉल पेन्टिंग पर व्यय	श्री राजेश कुमार
4-	10-11-2020	48800.00	कोरोन के अन्तर्गत साफ सफाई कार्य	श्री कमाल अहमद
5-	31-10-2020	20000.00	कोविड-19 के अन्तर्गत साफ सफाई पर व्यय	श्री राजेश कुमार
	योग -	120180.00		

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **कोविड-19** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

पंचायत राज अधिकारी लखीमपुर-खीरी के आदेश के क्रम में यह निर्देशित किया गया है कि दिनांक 15-08-2019 के उपरान्त ग्राम पंचायतों के खाते से पी०एफ०एम०एस० को छोड़कर अन्य माध्यमों से किये जाने वाले भुगतान को प्रतिबन्धित कर दिया जाये लेकिन सचिव श्री कमाल अहमद द्वारा अपने नाम से कुल ₹ 73200.00 तथा अपने सहयोगी श्री राजेश कुमार के नाम से 44400.00 को गलत ढंग से आहरित करके धनराशि का गबन कर लिया गया है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 120180.00 में से 50% ₹ 60090.00 ग्राम प्रधान **श्रीमती सुनीता देवी** से तथा शेष 50% ₹ 60090.00 ग्राम पंचायत सचिव **श्री कमाल अहमद** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-282 ग्राम पंचायत **जसवन्तनगर** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्रशासनिक** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण	धनराशि प्राप्तकर्ता का नाम
1-	31-10-2020	20000.00	प्रशासनिक मद	श्री कमाल अहमद
	योग –	20000.00		

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई –

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पृष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **प्रशासनिक कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

पंचायत राज अधिकारी लखीमपुर-खीरी के आदेश के क्रम में यह निर्देशित किया गया है कि दिनांक 15-08-2019 के उपरान्त ग्राम पंचायतों के खाते से पी०एफ०एम०एस० को छोड़कर अन्य माध्यमों से किये जाने वाले भुगतान को प्रतिबन्धित कर दिया जाये लेकिन सचिव श्री कमाल अहमद द्वारा अपने नाम से कुल ₹ 20000.00 को गलत ढंग से आहरित करके धनराशि का गबन कर लिया गया है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 20000.00 में से 50% ₹ 10000.00 ग्राम प्रधान **श्रीमती सुनीता देवी** से तथा शेष 50% ₹ 10000.00 ग्राम पंचायत सचिव **श्री कमाल अहमद** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – दिलावलपुर

विकास खण्ड – ईसानगर

वर्ष – 2020-21

प्रस्तर-283 ग्राम पंचायत **दिलावलपुर** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण	धनराशि प्राप्तकर्ता का नाम
1-	22-10-2020	113038.00	हैण्डपम्प रिबोर मिस्त्री/लेबर	फिरोज अहमद
2-	22-10-2020	55422.00	ओम मशीनरी स्टोर से सामग्री क्रय	ओम मशीनरी स्टोर
3-	11-11-2020	31927.00	हैण्डपम्प रिबोर मिस्त्री/लेबर	रमा देवी
4-	11-11-2020	25686.00	सामग्री पर व्यय	शुक्ला सीमेन्ट
	योग -	226073.00		

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, हैण्डपम्प खराब होने की शिकायत, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, जल निगम की स्वीकृति यदि आवश्यक हो तो, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, हैण्डपम्प स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

पंचायत राज अधिकारी लखीमपुर-खीरी के आदेश के क्रम में यह निर्देशित किया गया है कि दिनांक 15-08-2019 के उपरान्त ग्राम पंचायतों के खाते से पी०एफ०एम०एस० को छोड़कर अन्य माध्यमों से किये जाने वाले भुगतान को प्रतिबन्धित कर दिया जाये लेकिन सचिव श्री कमाल अहमद द्वारा श्री फिरोज अहमद के नाम से रू० 113038.00, रमा देवी के नाम से रू० 31927.00 को गलत ढंग से आहरित करके धनराशि का गबन कर लिया गया है

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **226073.00** में से 50% रू० **113036.50** ग्राम प्रधान **श्रीमती रमा देवी** से तथा शेष 50% रू० **113036.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कमाल अहमद** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-284 ग्राम पंचायत **दिलावलपुर** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हयूम पाइप** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण	धनराशि प्राप्तकर्ता का नाम
1-	05-06-2020	50000.00	विकास ट्रेडर्स से हयूम पाइप क्रय	विकास ट्रेडर्स
2-	09-06-2020	49999.00	विकास ट्रेडर्स से हयूम पाइप क्रय	विकास ट्रेडर्स
	योग -	99999.00		

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे

गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, स्थापना स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, गवाहों की सूची हस्ताक्षर सहित, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **हयूम पाइप** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि **रु० 99999.00** में से 50% रु० **49999.50** ग्राम प्रधान **श्रीमती रमा देवी** से तथा शेष 50% रु० **49999.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कमाल अहमद** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-285 ग्राम पंचायत **दिलावलपुर** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **सामुदायिक शौचालय निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण	धनराशि प्राप्तकर्ता का नाम
1-	12-11-2020	32011.00	ग्राम पंचायत में शौचालय निर्माण कार्य पर सागर लोहा भण्डार को भुगतान	सागर लोहा भण्डार
2-	12-11-2020	14013.00	उक्त कार्य पर इण्टर लॉकिंग ईट क्रय एवं श्रमांश	श्रीमती रमा देवी
3-	12-11-2020	39378.00	उक्त कार्य पर मिस्त्री/लेबर का भुगतान PFMS से नहीं	श्रीमती रमा देवी
4-	23-11-2020	65747.00	उक्त कार्य पर KGN ट्रेडर्स से ईट क्रय	के०जी०एन० ट्रेडर्स
5-	23-11-2020	65958.00	उक्त कार्य पर मो० शाहिल को सीमेन्ट आदि सामग्री क्रय	मो० शाहिल
6-	23-11-2020	43219.00	उक्त कार्य पर रंगाई, पुताई, स्लगन लिखवाई आदि	श्रीमती रमा देवी
	योग -	260326.00		

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र

(नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **सामुदायिक शौचालय निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

पंचायत राज अधिकारी लखीमपुर-खीरी के आदेश के क्रम में यह निर्देशित किया गया है कि दिनांक 15-08-2019 के उपरान्त ग्राम पंचायतों के खाते से पी०एफ०एम०एस० को छोड़कर अन्य माध्यमों से किये जाने वाले भुगतान को प्रतिबन्धित कर दिया जाये लेकिन सचिव श्री कमाल अहमद द्वारा श्रीमती रमा देवी (प्रधान) के नाम से रू० 96610.00 एवं मो० शाहिल के नाम से रू० 65958.00 को गलत ढंग से आहरित करके धनराशि का गबन कर लिया गया है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **260326.00** में से 50% रू० **130163.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती रमा देवी** से तथा शेष 50% रू० **130163.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कमाल अहमद** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-286 ग्राम पंचायत **दिलावलपुर** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **इण्टर लॉकिंग निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र० सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण	धनराशि प्राप्तकर्ता का नाम
1-	30-04-2020	14423.00	पूरन के घर से इण्टर लॉकिंग तक इण्टर लॉकिंग कार्य पर श्रमिकों को भुगतान	श्रीमती रमा देवी
2-	30-04-2020	21515.00	उक्त कार्य पर विनय ट्रेडर्स से सीमेन्ट क्रय	विनय ट्रेडर्स
3-	30-04-2020	48016.00	उक्त कार्य पर श्री गंगे माँ ब्रिक् फील्ड से ईट क्रय	श्री गंगे माँ ब्रिक्स
4-	13-12-2020	32447.00	उक्त कार्य पर सीमेन्ट रोड़ा का भुगतान	श्रीमती रमा देवी
5-	30-04-2020	22408.00	बैजनाथ के घर से भोला के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य पर विनय ट्रेडर्स से सीमेन्ट क्रय	विनय ट्रेडर्स
6-	30-04-2020	23354.00	उक्त कार्य पर बालू क्रय तथा श्रमिकों को भुगतान	श्रीमती रमा देवी
7-	30-04-2020	56696.00	उक्त कार्य पर श्री माँ गंगे ब्रिक्स को भुगतान	श्री गंगे माँ ब्रिक्स
8-	11-06-2020	129750.00	लीला के घर से राजकुमार के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य पर विकास ट्रेडर्स से इण्टर लॉकिंग ईट क्रय	विकास ट्रेडर्स
9-	26-06-2020	21000.00	उक्त कार्य पर श्रमिकों को भुगतान	श्रीमती रमा देवी
10-	31-08-2020	10307.00	उक्त कार्य पर श्रमिकों को भुगतान न करके व्यक्ति विशेष को भुगतान किया गया	श्रीमती रमा देवी
11-	31-08-2020	37112.00	उक्त कार्य पर विकास ट्रेडर्स को सीमेन्ट आदि पर	विनय ट्रेडर्स
12-	14-09-2020	47836.00	उक्त कार्य पर ईट का श्री माँ गंगे ब्रिक्स को	श्री गंगे माँ ब्रिक्स

13-	11-06-2020	129750.00	विश्राम के घर से ओमकार के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य पर विकास ट्रेडर्स से इण्टर लॉकिंग ईट क्रय	विकास ट्रेडर्स
14-	11-06-2020	21000.00	उक्त कार्य पर PFMS से श्रमिकों का भुगतान न करके किसी व्यक्ति विशेष को भुगतान किया गया है	श्रीमती रमा देवी
15-	31-08-2020	14664.00	उक्त कार्य पर PFMS से श्रमिकों का भुगतान न करके किसी व्यक्ति विशेष को भुगतान किया गया है	श्रीमती रमा देवी
16-	31-08-2020	37944.00	उक्त कार्य पर विनय ट्रेडर्स को सीमेन्ट आदि	विनय ट्रेडर्स
17-	14-09-2020	50333.00	उक्त कार्य पर ईट क्रय श्री माँ गंगे ब्रिक्स से	श्री गंगे माँ ब्रिक्स
	योग -	718555.00		

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **इण्टर लॉकिंग निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

पंचायत राज अधिकारी लखीमपुर-खीरी के आदेश के क्रम में यह निर्देशित किया गया है कि दिनांक 15-08-2019 के उपरान्त ग्राम पंचायतों के खाते से पी०एफ०एम०एस० को छोड़कर अन्य माध्यमों से किये जाने वाले भुगतान को प्रतिबन्धित कर दिया जाये लेकिन सचिव श्री कमाल अहमद द्वारा श्रीमती रमा देवी (प्रधान) के नाम से कुल ₹ 137195.00 को गलत ढंग से आहरित करके धनराशि का गबन कर लिया गया है तथा वित्त वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत दिलावलपुर में कोई भी निर्माण कार्य जैसे खण्डन्जा, इण्टर लॉकिंग, नाली का कार्य नहीं हुआ है तो इण्टर लॉकिंग के निर्माण कार्य पर मजदूरी का भुगतान किया जाना पूर्णतया गलत है जो गबन किया गया है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ **718555.00** में से 50% ₹ **359277.50** ग्राम प्रधान **श्रीमती रमा देवी** से तथा शेष 50% ₹ **359277.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कमाल अहमद** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-287 ग्राम पंचायत **दिलावलपुर** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **कोविड-19** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र० सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण	धनराशि प्राप्तकर्ता का नाम

1-	23-04-2020	2580.00	कोविड-19 की दवा एवं साफ सफाई पर व्यय स्वास्थ्य आफसेट को भुगतान कोरोना जागरूकता	स्वास्तिक आफसेट
2-	09-06-2020	14000.00	सेनिटाईजर छिड़काव पर व्यय	श्रीमती रमा देवी
3-	14-07-2020	21000.00	सेनिटाईजर छिड़काव पर व्यय	श्रीमती रमा देवी
4-	14-07-2020	20000.00	दवा छिड़काव पर व्यय	श्री राजेश कुमार
5-	31-08-2020	20000.00	कोविड-19 के अन्तर्गत व्यय	श्री राजेश कुमार
6-	02-11-2020	20000.00	कोविड-19 के अन्तर्गत व्यय	श्री राजेश कुमार
7-	08-12-2020	12000.00	कोविड-19 के अन्तर्गत जागरूकता के लिए व्यय	श्री राजेश कुमार
8-	28-12-2020	14000.00	कोविड-19 के अन्तर्गत दवा छिड़काव	श्रीमती रमा देवी
9-	02-11-2020	20000.00	कोविड-19 के अन्तर्गत व्यय	श्री राजेश कुमार
10-	08-12-2020	40000.00	कोविड-19 के अन्तर्गत दवा छिड़काव	श्री कमाल अहमद
11-	05-05-2020	32000.00	साफ सफाई व कोविड-19 पर व्यय	श्रीमती रमा देवी
	योग -	215580.00		

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल/मस्टररोल, उपभोग प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, वितरण रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **कोविड-19** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

पंचायत राज अधिकारी लखीमपुर-खीरी के आदेश के क्रम में यह निर्देशित किया गया है कि दिनांक 15-08-2019 के उपरान्त ग्राम पंचायतों के खाते से पी०एफ०एम०एस० को छोड़कर अन्य माध्यमों से किये जाने वाले भुगतान को प्रतिबन्धित कर दिया जाये लेकिन सचिव श्री कमाल अहमद द्वारा रू० 40000.00, श्रीमती रमा देवी (प्रधान) के नाम से रू० 81000.00 एवं अपने सहयोगी श्री राजेश कुमार के नाम से रू० 81000.00 को गलत ढंग से आहरित करके धनराशि का गबन कर लिया गया है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **215580.00** में से 50% रू० **107790.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती रमा देवी** से तथा शेष 50% रू० **107790.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कमाल अहमद** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-288 ग्राम पंचायत **दिलावलपुर** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्रधान मानदेय** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	08-12-2020	28000.00	प्रधान मानदेय
2-	08-12-2020	52500.00	प्रधान मानदेय
	योग -	80500.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, मानदेय रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में प्रधान मानदेय पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 80500.00 में से 50% ₹ 40250.00 ग्राम प्रधान श्रीमती रमा देवी से तथा शेष 50% ₹ 40250.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री कमाल अहमद से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-289 ग्राम पंचायत दिलावलपुर में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार प्रशासनिक मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	14-04-2020	26000.00	दयाल इनफोसिस्टम को भुगतान
5-	05-05-2020	21175.00	स्वास्तिक आफसेट से स्टेशनरी कार्य
	05-05-2020	32000.00	साफ सफाई कार्य
2-	11-06-2020	37000.00	दयाल इनफोसिस्टम को भुगतान
4-	15-04-2020	26000.00	कमल प्रेरणा स्वयं सहायता समूह
	योग -	142175.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र, स्टेशनरी रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में प्रशासनिक कार्यों पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 142175.00 में से 50% ₹ 71087.50 ग्राम प्रधान श्रीमती रमा देवी से तथा शेष 50% ₹ 71087.50 ग्राम पंचायत सचिव श्री कमाल अहमद से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-290 ग्राम पंचायत **दिलावलपुर** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार अन्य मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	28-12-2020	163800.00	सोलर बैटरी क्रय एवं इन्स्टालेशन
2-	28-12-2020	70200.00	विकास ट्रेडर्स से सोलर बैटरी क्रय
	योग -	234000.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कार्यों पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹० **234000.00** में से 50% ₹० **117000.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती रमा देवी** से तथा शेष 50% ₹० **117000.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कमाल अहमद** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - दरिगापुर

विकास खण्ड - ईसानगर

वर्ष - 2020-21

प्रस्तर-291 ग्राम पंचायत **दरिगापुर** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम
1-	10-11-2020	45084.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य हेतु श्री हरिशंकर को भुगतान	श्री हरिशंकर
2-	11-11-2020	38504.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य हेतु ओम मशीनरी एण्ड हार्डवेयर को सामग्री क्रय पर भुगतान	ओम मशीनरी एण्ड हार्डवेयर
3-	11-11-2020	38504.00	उक्त कार्य हेतु मौर्या मशीनरी स्टोर को सामग्री क्रय पर भुगतान	मौर्या मशीनरी स्टोर
4-	11-11-2020	47084.00	उक्त कार्य हेतु फिरोज अहमद हैण्डपम्प मिस्त्री को भुगतान	श्री फिरोज अहमद
5-	11-11-2020	19244.00	उक्त कार्य हेतु शुक्ला सीमेन्ट स्टोर को भुगतान	शुक्ला सीमेन्ट स्टोर
6-	12-11-2020	19208.00	उक्त कार्य हेतु मौर्या इण्टर प्राइजेज को भुगतान	मौर्या इण्टर प्राइजेज
	योग -	207628.00		

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, हैण्डपम्प खराब होने की शिकायत, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, जल निगम की स्वीकृति यदि आवश्यक हो तो, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, हैण्डपम्प स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

पंचायत राज अधिकारी लखीमपुर-खीरी के आदेश के क्रम में यह निर्देशित किया गया है कि दिनांक 15-08-2019 के उपरान्त ग्राम पंचायतों के खाते से पी०एफ०एम०एस० को छोड़कर अन्य माध्यमों से किये जाने वाले भुगतान को प्रतिबन्धित कर दिया जाये लेकिन सचिव श्री कमाल अहमद द्वारा श्री हरिशंकर के नाम से रू० 45084.00 एवं श्री फिरोज अहमद के नाम से रू० 47084.00 को गलत ढंग से आहरित करके धनराशि का गबन कर लिया गया है

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **207628.00** में से 50% रू० **103814.00** ग्राम प्रधान **श्री लल्लन कुमार** से तथा शेष 50% रू० **103814.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कमाल अहमद** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-292 ग्राम पंचायत दरिगापुर में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हयूम पाइप** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम
1-	11-10-2020	49900.00	विकास ट्रेडर्स से हयूम पाइप क्रय	विकास ट्रेडर्स
2-	11-10-2020	91175.00	हयूम पाइप क्रय	विकास ट्रेडर्स
	योग -	141075.00		

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, स्थापना स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, गवाहों की सूची हस्ताक्षर सहित, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **हयूम पाइप** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 141075.00 में से 50% ₹ 70537.50 ग्राम प्रधान **श्री लल्लन कुमार** से तथा शेष 50% ₹ 70537.00 ग्राम पंचायत सचिव **श्री कमाल अहमद** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-293 ग्राम पंचायत **दरिगापुर** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **सामुदायिक शौचालय निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र० सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम
1-	20-10-2020	48439.00	सामुदायिक शौचालय कार्य पर भुगतान विनय ट्रेडर्स को सीमेन्ट सामग्री पर भुगतान	विनय ट्रेडर्स
2-	28-10-2020	5800.00	सामुदायिक शौचालय पर लेखन/स्लोगन कार्य पर भुगतान	
3-	11-11-2020	63411.00	उक्त कार्य पर श्री गंगे माँ ब्रिक से ईंट क्रय	श्री माँ गंगे ब्रिक
4-	11-11-2020	36990.00	उक्त कार्य पर श्रमिकों को भुगतान	श्री लल्लन कुमार
	योग -	154640.00		

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **सामुदायिक शौचालय निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

पंचायत राज अधिकारी लखीमपुर-खीरी के आदेश के क्रम में यह निर्देशित किया गया है कि दिनांक 15-08-2019 के उपरान्त ग्राम पंचायतों के खाते से पी०एफ०एम०एस० को छोड़कर अन्य माध्यमों से किये जाने

वाले भुगतान को प्रतिबन्धित कर दिया जाये लेकिन सचिव श्री कमाल अहमद द्वारा श्री लल्लन कुमार (प्रधान) के नाम से ₹ 36990.00 को गलत ढंग से आहरित करके धनराशि का गबन कर लिया गया है

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 154640.00 में से 50% ₹ 77320.00 ग्राम प्रधान श्री लल्लन कुमार से तथा शेष 50% ₹ 77320.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री कमाल अहमद से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-294 ग्राम पंचायत दरिगापुर में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार खडन्जा निर्माण/मरम्मत मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम
1-	30-04-2020	88771.00	गोपाल के घर से रामलखन के घर तक खडन्जा मरम्मत कार्य श्री गंगे माँ ब्रिक फील्ड को भुगतान	श्री माँ गंगे ब्रिक फील्ड
2-	30-04-2020	61419.00	उक्त कार्य पर मजदूरी, मिट्टी ढुलाई का भुगतान	श्री लल्लन कुमार
योग -		150190.00		

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में खडन्जा निर्माण/मरम्मत पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

पंचायत राज अधिकारी लखीमपुर-खीरी के आदेश के क्रम में यह निर्देशित किया गया है कि दिनांक 15-08-2019 के उपरान्त ग्राम पंचायतों के खाते से पी०एफ०एम०एस० को छोड़कर अन्य माध्यमों से किये जाने वाले भुगतान को प्रतिबन्धित कर दिया जाये लेकिन सचिव श्री कमाल अहमद द्वारा श्री लल्लन कुमार (प्रधान) के नाम से ₹ 61419.00 को गलत ढंग से आहरित करके धनराशि का गबन कर लिया गया है

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 150190.00 में से 50% ₹ 75095.00 ग्राम प्रधान श्री लल्लन कुमार से तथा शेष 50% ₹ 75095.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री कमाल अहमद से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-295 ग्राम पंचायत दरिगापुर में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार इण्टर लॉकिंग निर्माण मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र० सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम
1-	07-10-2020	49286.00	संजय के घर से भगौती के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य पर श्री गंगे माँ ब्रिक फील्ड से ईट क्रय	श्री माँ गंगे ब्रिक्स

2-	07-10-2020	130189.00	उक्त कार्य पर मे० शुक्ल इण्टर प्राइजेज से इण्टर लॉकिंग ईट क्रय	शुक्ला इण्टर प्राइजेज
3-	07-10-2020	8500.00	उक्त कार्य पर श्रमिक भुगतान	श्री लल्लन कुमार
4-	07-10-2020	61996.00	उक्त कार्य पर मे० विनय ट्रेडर्स को सीमेन्ट, मौरंग, गिट्टी का भुगतान	विनय ट्रेडर्स
5-	27-12-2020	129800.00	अनुपम के घर से सुरेन्द्र मौर्या के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य पर विकास ट्रेडर्स को इण्टर लॉकिंग ईट का भुगतान	विकास ट्रेडर्स
6-	01-10-2020	133979.00	भगौती के घर से रामनरेश के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य पर शुक्ला इण्टर प्राइजेज को भुगतान	शुक्ला इण्टर प्राइजेज
7-	01-10-2020	48088.00	उक्त कार्य पर श्री गंगे माँ ब्रिक्स को भुगतान	श्री माँ गंगे ब्रिक्स
8-	01-10-2020	59283.00	उक्त कार्य पर विनय ट्रेडर्स को सीमेन्ट, मौरंग सामग्री हेतु भुगतान	विनय ट्रेडर्स
9-	01-10-2020	7480.00	उक्त कार्य पर श्रमिक भुगतान	श्री लल्लन कुमार
योग -		628601.00		

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम-207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **इण्टर लॉकिंग निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

पंचायत राज अधिकारी लखीमपुर-खीरी के आदेश के क्रम में यह निर्देशित किया गया है कि दिनांक 15-08-2019 के उपरान्त ग्राम पंचायतों के खाते से पी०एफ०एम०एस० को छोड़कर अन्य माध्यमों से किये जाने वाले भुगतान को प्रतिबन्धित कर दिया जाये लेकिन सचिव श्री कमाल अहमद द्वारा श्री लल्लन कुमार (प्रधान) के नाम से ₹ 15980.00 को गलत ढंग से आहरित करके धनराशि का गबन कर लिया गया है उक्त कार्य पर सामग्री के सापेक्ष श्रमिकों को दिया जाने वाली मजदूरी इतनी कम है कि कार्य संदिग्ध प्रतीत होता है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ **628601.00** में से 50% ₹ **314300.50** ग्राम प्रधान **श्री लल्लन कुमार** से तथा शेष 50% ₹ **314300.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कमाल अहमद** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-296 ग्राम पंचायत **दरिगापुर** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्रधान मानदेय** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	28-12-2020	20325.00	प्रधान मानदेय भुगतान

2-	09-12-2020	21000.00	प्रधान मानदेय भुगतान
	योग -	41325.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, मानदेय रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में प्रधान मानदेय पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹० 41325.00 में से 50% ₹० 20662.50 ग्राम प्रधान श्री लल्लन कुमार से तथा शेष 50% ₹० 20662.50 ग्राम पंचायत सचिव श्री कमाल अहमद से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-297 ग्राम पंचायत दरिगापुर में वर्ष 2020-21 में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार कोविड-19 मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण	
1-	17-04-2020	15000.00	मास्क वितरण, कोविड-19 के अन्तर्गत "कमल प्रेरणा स्वयं सहायता समूह"	श्री कमाल अहमद
2-	14-04-2020	25000.00	साफ सफाई एवं कोविड की दवा का भुगतान	श्री लल्लन कुमार
3-	29-08-2020	20000.00	कोविड-19 के अन्तर्गत साफ सफाई एवं दवा वितरण	श्री कमाल अहमद
4-	11-10-2020	10000.00	करोना जागरूकता के अन्तर्गत वॉल पेन्टिंग	श्री राजेश कुमार
5-	06-12-2020	16499.00	कोविड फोगिंग पर भुगतान	सिंह सर्विस प्रो०
6-	23-10-2020	21000.00	स्वच्छता एवं साफ सफाई पर व्यय	श्री लल्लन कुमार
7-	11-11-2020	23490.00	साफ सफाई एवं वॉल पेन्टिंग पर व्यय	दृष्टि पेन्ट
	योग -	130989.00		

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, वितरण रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **कोविड-19** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

पंचायत राज अधिकारी लखीमपुर-खीरी के आदेश के क्रम में यह निर्देशित किया गया है कि दिनांक 15-08-2019 के उपरान्त ग्राम पंचायतों के खाते से पी०एफ०एम०एस० को छोड़कर अन्य माध्यमों से किये जाने वाले भुगतान को प्रतिबन्धित कर दिया जाये लेकिन सचिव श्री कमाल अहमद द्वारा अपने स्वयं के नाम से ₹ 35000.00, अपने सहयोगी श्री राजेश कुमार के नाम से ₹ 10000.00 एवं श्री लल्लन कुमार (प्रधान) के नाम से ₹ 46000.00 को गलत ढंग से आहरित करके धनराशि का गबन कर लिया गया है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ **130989.00** में से 50% ₹ **65494.50** ग्राम प्रधान **श्री लल्लन कुमार** से तथा शेष 50% ₹ **65494.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कमाल अहमद** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-298 ग्राम पंचायत **दरिगापुर** में वर्ष **2020-21** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्रशासनिक** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है -

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम
1-	14-07-2020	20000.00	स्टेशनरी क्रय भुगतान से सम्बन्धित	श्री राजेश कुमार
2-	29-08-2020	50000.00	सामुदायिक शौचालय के साफ सफाई पर व्यय	श्री लल्लन कुमार
3-	20-10-2020	15000.00	मौर्या कम्प्यूटर एण्ड जनसेवा को भुगतान	मौर्या कम्प्यूटर
4-	02-11-2020	20000.00	प्रशासनिक व्यय दयाल इनफोसिस को भुगतान	श्री राजेश कुमार
योग -		105000.00		

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई -

- 1- उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम-204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा-194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा-51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।
- 2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र, स्टेशनरी रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।
- 3- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ।" परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय-8 खण्ड-8(क) के अनुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूँकि ग्राम पंचायत में **प्रशासनिक कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

पंचायत राज अधिकारी लखीमपुर-खीरी के आदेश के क्रम में यह निर्देशित किया गया है कि दिनांक 15-08-2019 के उपरान्त ग्राम पंचायतों के खाते से पी०एफ०एम०एस० को छोड़कर अन्य माध्यमों से किये जाने वाले भुगतान को प्रतिबन्धित कर दिया जाये लेकिन सचिव श्री कमाल अहमद द्वारा अपने सहयोगी श्री राजेश कुमार के नाम से ₹ 40000.00 एवं श्री लल्लन कुमार (प्रधान) के नाम से ₹ 50000.00 को गलत ढंग से आहरित करके धनराशि का गबन कर लिया गया है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि ₹ 105000.00 में से 50% ₹ 52500.00 ग्राम प्रधान **श्री लल्लन कुमार** से तथा शेष 50% ₹ 52500.00 ग्राम पंचायत सचिव **श्री कमाल अहमद** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – अल्लीपुर

विकास खण्ड – पसगवां

वर्ष – 2020-21

प्रस्तर-299 ग्राम पंचायत **अल्लीपुर** की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा हेतु इंटीमेशन प्रेषित किये जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु आवश्यक अभिलेख (मैनुअल कैशबुक, बैंक स्टेटमेन्ट, बिल बाउचर, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, एम०बी०, इस्टीमेट, प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति आदि) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में ₹ 1682334.00 ग्राम पंचायत में व्यय किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में मैनुअल कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण वर्ष 2020-21 में आय-व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। व्यय प्रमाणकों के लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह भी स्पष्ट नहीं हो सका कि किया गया व्यय नियम संगत है अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में ₹ 1682334.00 व्यय दर्शित धनराशि अधिभार योग्य है, जिसके लिए ग्राम प्रधान **श्रीमती मानू देवी**, सचिव **श्री ब्रह्म प्रकाश तिवारी** व अन्य सचिव, जो इस दौरान उक्त ग्राम पंचायत में पदस्थ रहे हों, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत प्रमाणकों (कैशबुक, बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि) को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की वसूली कार्यावधि में किये गए व्यय के अनुसार ब्याज सहित समान हिस्सों में (प्रत्येक से ₹ 841167=00) किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – ओदराहना

विकास खण्ड – लखीमपुर

वर्ष – 2020-21

प्रस्तर-300 ग्राम पंचायत **ओदराहना** की लेखा परीक्षा हेतु इंटीमेशन प्रेषित किये जाने तथा अभिलेखों की मांग किये जाने के बावजूद वर्ष 2020-21 के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। कैशबुक, बैंक स्टेटमेन्ट व प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से ई-ग्राम स्वराज पर दर्शित उक्त ग्राम पंचायत के आय-व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी।

ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में उक्त ग्राम पंचायत में चतुर्थ राज्य वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है:-

क्र०सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	ग्राम पंचायत में सार्वजनिक शौचालय निर्माण	42931129	124996.00
2-	कमलेश के घर से सुनील के घर तक खडन्जा निर्माण	45353930	4908.00
3-	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य पर लेबर भुगतान	14230051	2100.00
4-	दीपक के घर से माताप्रसाद के घर तक खडन्जा व नाली निर्माण	14230048	50075.00
5-	प्रधान मानदेय	28741398	38500.00
	योग:-		220579.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि ₹ 220579.00 अधिभार योग्य है, जिसके लिए ग्राम प्रधान **श्रीमती आरती देवी/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री रामासरे (ऑडिट ऑनलाइन के अनुसार)** व अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक (कैशबुक, बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक

कार्य योजना, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि) को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गये व्यय के सापेक्ष नियमानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों (प्रत्येक से रु0 110289.50) किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-301 ग्राम पंचायत ओदरहना की लेखा परीक्षा हेतु इंटीमेशन प्रेषित किये जाने तथा अभिलेखों की मांग किये जाने के बावजूद वर्ष 2020-21 के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट व प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से ई-ग्राम स्वराज पर दर्शित उक्त ग्राम पंचायत के आय-व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी।

ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में उक्त ग्राम पंचायत में 15वें केन्द्र वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है:-

क्र०सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	पंचायत भवन में मिट्टी पटाई कार्य	45353943	44742.00
2-	कमलेश के घर से सुनील के घर तक खडन्जा निर्माण	45353930	14562.00
3-	पंचायत भवन निर्माण कार्य पर भुगतान	45144706	206308.00
योग:-			265612.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि रु० 265612.00 अधिभार योग्य है, जिसके लिए ग्राम प्रधान **श्रीमती आरती देवी/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री रामासरे (ऑडिट ऑनलाइन के अनुसार)** व अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक (कैशबुक, व बैंक स्टेटमेंट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि) को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गये व्यय के सापेक्ष नियमानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में (प्रत्येक से रु0 132806=00) किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-302 ग्राम पंचायत ओदरहना की लेखा परीक्षा हेतु इंटीमेशन प्रेषित किये जाने के बावजूद वर्ष 2020-21 के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट व प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से ई-ग्राम स्वराज पर दर्शित उक्त ग्राम पंचायत के आय-व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी।

ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में उक्त ग्राम पंचायत में 14वें केन्द्र वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है:-

क्र०सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	सार्वजनिक शौचालय निर्माण कार्य	42931129	107894.00
2-	प्रशासनिक कार्यों पर भुगतान	14230088	7698.00
3-	कोविड-19 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत में वॉल पेन्टिंग कार्य	14230088	24500.00
योग:-			140092.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि रु० 140092.00 अधिभार योग्य है, जिसके लिए ग्राम प्रधान **श्रीमती आरती देवी/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री रामासरे (ऑडिट ऑनलाइन के अनुसार)** व अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक (कैशबुक, व बैंक स्टेटमेंट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि) को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गये व्यय के सापेक्ष नियमानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में (प्रत्येक से रु0 70046=00) किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – बाँसताली

विकास खण्ड – लखीमपुर

वर्ष – 2020-21

प्रस्तर-303 ग्राम पंचायत बाँसताली की लेखा परीक्षा हेतु इंटीमेशन प्रेषित किये जाने तथा अभिलेखों की मांग किये जाने के बावजूद वर्ष 2020-21 के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट व प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से ई-ग्राम स्वराज पर दर्शित उक्त ग्राम पंचायत के आय-व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी।

ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में उक्त ग्राम पंचायत में चतुर्थ राज्य वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है:-

क्र०सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	प्रधान मानदेय	15763271	17500.00
2-	प्रशासनिक व्यय फोटोकॉपी आदि भुगतान	15763273	12700.00
3-	सरकारी नल से बबलू के घरत क इण्टर लॉकिंग निर्माण	43447592	14700.00
4-	सुरेश के घर से तालाब तक नाली निर्माण	43438872	13961.00
5-	प्रदीप के घर से प्रमोद के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण	43449516	82445.00
6-	सुरेश के घर से आर०सी०सी० रोड तक इण्टर लॉकिंग निर्माण	43448309	35027.00
7-	अमर सिंह के घर से नहर तक नाली निर्माण	43447592	63160.00
8-	आर०सी०सी० रोड से देवेन्द्र के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण	43451581	131756.00
योग:-			371249.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि ₹ 371249.00 अधिभार योग्य है, जिसके लिए ग्राम प्रधान **श्री शारदा प्रसाद/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री रामासरे (ऑडिट ऑनलाइन के अनुसार)** व अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक (कैशबुक, व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि) को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गये व्यय के सापेक्ष नियमानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-304 ग्राम पंचायत **बाँसताली** की लेखा परीक्षा हेतु इंटीमेशन प्रेषित किये जाने तथा अभिलेखों की मांग किये जाने के बावजूद वर्ष 2020-21 के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। कैशबुक, बैंक स्टेटमेन्ट व प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से ई-ग्राम स्वराज पर दर्शित उक्त ग्राम पंचायत के आय-व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी।

ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में उक्त ग्राम पंचायत में पंचम राज्य वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है:-

क्र०सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	बाबू के घर से शौकत के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण	43426009	178710.00
2-	आर०सी०सी० रोड से देवेन्द्र के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण	43451581	58389.00
3-	PS बाँसताली में टाइल्स निर्माण	50424374	193526.00
योग:-			430625.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि ₹ 430625.00 अधिभार योग्य है, जिसके लिए ग्राम प्रधान **श्री शारदा प्रसाद/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री रामासरे (ऑडिट ऑनलाइन के अनुसार)** व अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक (कैशबुक, व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि) को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गये व्यय के सापेक्ष नियमानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-305 ग्राम पंचायत **बाँसताली** की लेखा परीक्षा हेतु इंटीमेशन प्रेषित किये जाने तथा अभिलेखों की मांग किये जाने के बावजूद वर्ष 2020-21 के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। कैशबुक, बैंक स्टेटमेन्ट व प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से ई-ग्राम स्वराज पर दर्शित उक्त ग्राम पंचायत के आय-व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी।

ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में उक्त ग्राम पंचायत में 15वें केन्द्र वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है:-

क्र०सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	ग्राम पंचायत में सार्वजनिक शौचालय निर्माण	43340954	237639.00
2-	प्रधान मानदेय	36687798	52500.00
3-	सरकारी नल से बबलू के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण	43432970	178999.00
4-	सुरेश के घर से तालाब तक नाली निर्माण	43432970	3819.00
	योग:-		472957.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि ₹ 472957.00 अधिभार योग्य है, जिसके लिए ग्राम प्रधान **श्री शारदा प्रसाद/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री रामासरे (ऑडिट ऑनलाइन के अनुसार)** व अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक (कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, इस्तीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि) को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गये व्यय के सापेक्ष नियमानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-306 ग्राम पंचायत **बाँसताली** की लेखा परीक्षा हेतु इंटीमेशन प्रेषित किये जाने तथा अभिलेखों की मांग किये जाने के बावजूद वर्ष 2020-21 के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट व प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से ई-ग्राम स्वराज पर दर्शित उक्त ग्राम पंचायत के आय-व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी।

ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में उक्त ग्राम पंचायत में 14वें केन्द्र वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है:-

क्र०सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	आर०सी०सी० रोड से गोदाम के पीछे होकर क्रॉस नाली निर्माण	20747526	60282.00
2-	प्रा०वि० जलरिया में सबमर्सिबल व टंकी लगवाई कार्य	38087533	67434.00
3-	हयूम पाइप क्रय	30946972	75610.00
4-	मनोज के घर से तालाब तक नाली निर्माण	20747527	119594.00
5-	प्रा०वि० बाँसताली में सबमर्सिबल व टंकी लगवाई कार्य	20747525	66431.00
6-	हयूम पाइप डलवाई हेतु भुगतान	15763270	7236.00
7-	प्रा०वि० जलरिया में गेट मरम्मत कार्य	20747528	16852.00
8-	सार्वजनिक शौचालय निर्माण कार्य	43340954	12050.00
9-	कोविड-19 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत में वॉल पेन्टिंग कार्य	20747523	24500.00
	योग:-		449989.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि ₹ 449989.00 अधिभार योग्य है, जिसके लिए ग्राम प्रधान **श्री शारदा प्रसाद/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री रामासरे (ऑडिट ऑनलाइन के अनुसार)** व अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक (कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, इस्तीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि) को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गये व्यय के सापेक्ष नियमानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - जिगनहाँखानपुर विकास खण्ड - लखीमपुर वर्ष - 2020-21

प्रस्तर-307 ग्राम पंचायत **जिगनहाँखानपुर** की लेखा परीक्षा हेतु इंटीमेशन प्रेषित किये जाने तथा अभिलेखों की मांग किये जाने के बावजूद वर्ष 2020-21 के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट व प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से ई-ग्राम स्वराज पर दर्शित उक्त ग्राम पंचायत के आय-व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी।

ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में उक्त ग्राम पंचायत में चतुर्थ राज्य वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है:-

क्र०सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	कोविड-19 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत में वॉल पेन्टिंग कार्य	37094596	24500.00
2-	प्रधान मानदेय भुगतान मई 2019 से मार्च 2020 तक	21185355	38500.00
	योग:-		63000.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि रू० 63000.00 अधिभार योग्य है, जिसके लिए ग्राम प्रधान **श्री लाल बहादुर/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री अजय प्रकाश (ऑडिट ऑनलाइन के अनुसार)** व अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक (कैशबुक, व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि) को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गये व्यय के सापेक्ष नियमानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-308 ग्राम पंचायत **जिगनहाँखानपुर** की लेखा परीक्षा हेतु इंटीमेशन प्रेषित किये जाने तथा अभिलेखों की मांग किये जाने के बावजूद वर्ष 2020-21 के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। कैशबुक, बैंक स्टेटमेन्ट व प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से ई-ग्राम स्वराज पर दर्शित उक्त ग्राम पंचायत के आय-व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी।

ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में उक्त ग्राम पंचायत में 15वें केन्द्र वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है:-

क्र०सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	42596421	27812.00
	योग:-		27812.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि रू० 27812.00 अधिभार योग्य है, जिसके लिए ग्राम प्रधान **श्री लाल बहादुर/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री अजय प्रकाश (ऑडिट ऑनलाइन के अनुसार)** व अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक (कैशबुक, व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि) को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गये व्यय के सापेक्ष नियमानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-309 ग्राम पंचायत **जिगनहाँखानपुर** की लेखा परीक्षा हेतु इंटीमेशन प्रेषित किये जाने तथा अभिलेखों की मांग किये जाने के बावजूद वर्ष 2020-21 के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। कैशबुक, बैंक स्टेटमेन्ट व प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से ई-ग्राम स्वराज पर दर्शित उक्त ग्राम पंचायत के आय-व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी।

ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में उक्त ग्राम पंचायत में 14वें केन्द्र वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है:-

क्र०सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	PS जिगनहाँखानपुर में इण्टर लॉक निर्माण कार्य	37111713	196138.00
	योग:-		196138.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि रू० 196138.00 अधिभार योग्य है, जिसके लिए ग्राम प्रधान **श्री लाल बहादुर/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री अजय प्रकाश (ऑडिट ऑनलाइन के अनुसार)** व अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक (कैशबुक, व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि) को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गये व्यय के सापेक्ष नियमानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – मरखापुर

विकास खण्ड – लखीमपुर

वर्ष – 2020-21

प्रस्तर-310 ग्राम पंचायत मरखापुर की लेखा परीक्षा हेतु इंटीमेशन प्रेषित किये जाने तथा अभिलेखों की मांग किये जाने के बावजूद वर्ष 2020-21 के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। कैशबुक, बैंक स्टेटमेन्ट व प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से ई-ग्राम स्वराज पर दर्शित उक्त ग्राम पंचायत के आय-व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी।

ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में उक्त ग्राम पंचायत में चतुर्थ राज्य वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है:-

क्र०सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	कोविड-19 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत में वॉल पेन्टिंग कार्य	42242357	24500.00
2-	ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण कार्य	44743940	158112.00
3-	ग्राम पंचायत में सार्वजनिक शौचालय निर्माण कार्य	44743940	88676.00
4-	ग्राम पंचायत में कुआं मरम्मत	37096568	238408.00
5-	उच्च प्राथमिक विद्यालय में मिट्टी पटाई कार्य	37056991	34873.00
6-	अंकित के घर से खडन्जे तक इण्टर लॉक निर्माण कार्य	45606921	52400.00
योग:-			596969.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि रू० 596969.00 अधिभार योग्य है, जिसके लिए ग्राम प्रधान **श्री चन्दन सिंह/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री अजय प्रकाश (ऑडिट ऑनलाइन के अनुसार)** व अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक (कैशबुक, व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि) को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गये व्यय के सापेक्ष नियमानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-311 ग्राम पंचायत मरखापुर की लेखा परीक्षा हेतु इंटीमेशन प्रेषित किये जाने तथा अभिलेखों की मांग किये जाने के बावजूद वर्ष 2020-21 के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। कैशबुक, बैंक स्टेटमेन्ट व प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से ई-ग्राम स्वराज पर दर्शित उक्त ग्राम पंचायत के आय-व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी।

ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में उक्त ग्राम पंचायत में 15वें केन्द्र वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है:-

क्र०सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	36938140	7200.00
2-	ग्राम पंचायत में सार्वजनिक शौचालय निर्माण कार्य	44743907	249048.00
3-	हैण्डपम्प रिबोर कार्य	36813851	138602.00
योग:-			394850.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि रू० 394850.00 अधिभार योग्य है, जिसके लिए ग्राम प्रधान **श्री चन्दन सिंह/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री अजय प्रकाश (ऑडिट ऑनलाइन के अनुसार)** व अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक (कैशबुक, व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक

कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि) को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गये व्यय के सापेक्ष नियमानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-312

ग्राम पंचायत **मरखापुर** की लेखा परीक्षा हेतु इंटीमेशन प्रेषित किये जाने तथा अभिलेखों की मांग किये जाने के बावजूद वर्ष 2020-21 के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट व प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से ई-ग्राम स्वराज पर दर्शित उक्त ग्राम पंचायत के आय-व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी।

ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में उक्त ग्राम पंचायत में 14वें केन्द्र वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है:-

क्र०सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	हैण्डपम्प मरम्मत	14045907	41918.00
2-	सार्वजनिक शौचालय में प्लम्बरिंग कार्य	36938140	41140.00
3-	हैण्डपम्प मरम्मत	36938140	29618.00
योग:-			112676.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि ₹० **112676.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए ग्राम प्रधान **श्री चन्दन सिंह/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री अजय प्रकाश (ऑडिट ऑनलाइन के अनुसार)** व अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक (कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि) को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गये व्यय के सापेक्ष नियमानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - बिझौली

विकास खण्ड - लखीमपुर

वर्ष - 2020-21

प्रस्तर-313

ग्राम पंचायत **बिझौली** की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा करते समय 15वें वित्त की कैशबुक की जाँच में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में "सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य" मद से विभिन्न लेखा परीक्षा हेतु इंटीमेशन प्रेषित किये जाने तथा अभिलेखों की मांग किये जाने के बावजूद वर्ष 2020-21 के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट व प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से ई-ग्राम स्वराज पर दर्शित उक्त ग्राम पंचायत के आय-व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी।

ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में उक्त ग्राम पंचायत में चतुर्थ राज्य वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है:-

क्र० सं०	दिनांक (कैशबुक के अनुसार)	कार्य	व्यय धनराशि
1-	29-09-2020	सार्वजनिक शौचालय निर्माण पर पटेल हार्डवेयर को सेनेटरी सामान पेन्ट, प्राइमर, पुट्टी का भुगतान	10960.00
2-	29-09-2020	भवनी ट्रेडर्स को उपरोक्त कार्य पर लोहे के दरवाजे का 2.15 कि०ग्रा० का भुगतान	15729.00
3-	29-09-2020	जितेन्द्र को उपरोक्त कार्य पर बालू का भुगतान	9969.00
4-	29-09-2020	उपरोक्त कार्य पर राजीव ईट उद्योग को 9000 ईट और रोड़े का भुगतान	71754.00
5-	29-09-2020	उपरोक्त कार्य पर पूजा ट्रेडर्स को सीमेन्ट, मोरंग, गिट्टी, सरिया का भुगतान	39096.00
6-	10-10-2020	सार्वजनिक शौचालय निर्माण में शेष बची 600 ईट का राजीव ईट उद्योग को भुगतान	4473.00
7-	10-10-2020	उपरोक्त कार्य के शेष भुगतान में पटेल हार्डवेयर को पेन्ट इत्यादि का भुगतान	7608.00
8-	10-10-2020	सार्वजनिक शौचालय निर्माण की कार्टून और चित्र लेखन का भुगतान शिव ट्रेडर्स को	3500.00
9-	10-10-2020	उपरोक्त कार्य में 93x225 से लेबरी का भुगतान	20925.00
10-	10-10-2020	उपरोक्त कार्य में पूजा ट्रेडर्स को शेष बची सीमेन्ट, सरिया का भुगतान	5144.00
11-	10-10-2020	उपरोक्त कार्य में भवानी ट्रेडर्स को शेष बचा/खिड़की दरवाजों का भुगतान	3219.00

12-	10-10-2020	उपरोक्त कार्य में शेष बालू का भुगतान	901.00
13-	10-10-2020	उपरोक्त कार्य में मेसर्स धीरेन्द्र कुमार को प्लम्बरिंग सामग्री और वाटर टंकी का भुगतान	13780.00
14-	10-10-2020	सार्वजनिक शौचालय के शेष भुगतान में 93x225 से लेबरी का भुगतान	20925.00
15-	10-10-2020	उपरोक्त कार्य में 52x350 से मिस्त्री का भुगतान	18200.00
योग:-			246183.00

कैशबुक में उपरोक्त दिवसों में किए गये व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई भी सुसंगत व्यय प्रमाणक, अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए जिसकी वजह से उक्त व्यय की जाँच नहीं की जा सकी। इस प्रकार "सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य" मद में 15वें वित्त से व्यय दर्शित धनराशि ₹ 246183.00 की पुष्टि नहीं हो सकी।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल का व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त दर्शित व्यय से सम्बन्धित कोई भी व्यय बाउचर व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि ₹ 246183.00 अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्रीमती श्यामा देवी व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती रूचि पाण्डेय** उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण [कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से उपरोक्त किये गए व्यय के सापेक्ष नियमानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – नकहा

विकास खण्ड – नकहा

वर्ष – 2020-21

प्रस्तर-314 ग्राम पंचायत **नकहा** की लेखा परीक्षा हेतु इंटीमेशन प्रेषित किये जाने तथा अभिलेखों की मांग किये जाने के बावजूद वर्ष 2020-21 के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। कैशबुक, बैंक स्टेटमेन्ट व प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से ई-ग्राम स्वराज पर दर्शित उक्त ग्राम पंचायत के आय-व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी।

ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में उक्त ग्राम पंचायत में चतुर्थ राज्य वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है:-

क्र०सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	सी०सी० रोड से राजेश वर्मा के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण	42551545	166813.00
2-	रफील के घर से नीरज मिश्रा के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण	42543110	122055.00
3-	हैण्डपम्प मरम्मत	37075826	18790.00
4-	विजय वर्मा के घर से अफाक के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण	42422329	169190.00
5-	चन्द्रिका वर्मा के घर से प्राथमिक विद्यालय तक नाली मरम्मत	42656756	42911.00
6-	प्रधान मानदेय	42654660	21000.00
योग:-			540759.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि ₹ 540759.00 अधिभार योग्य है, जिसके लिए ग्राम प्रधान **श्री श्याम किशोर/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी स्व० ब्रह्मानन्द श्रीवास्तव (ऑडिट ऑनलाइन के अनुसार)** व अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक (कैशबुक, बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि) को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गये व्यय के सापेक्ष नियमानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-315 ग्राम पंचायत **नकहा** की लेखा परीक्षा हेतु इंटीमेशन प्रेषित किये जाने तथा अभिलेखों की मांग किये जाने के बावजूद वर्ष 2020-21 के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। कैशबुक, बैंक स्टेटमेन्ट व प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से ई-ग्राम स्वराज पर दर्शित उक्त ग्राम पंचायत के आय-व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी।

ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में उक्त ग्राम पंचायत में पंचम राज्य वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है:-

क्र०सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि

1-	हैण्डपम्प रिबोर	37102017	194892.00
2-	रवि वर्मा की दुकान से जटाशंकर की क्लीनिक तक इण्टर लॉकिंग निर्माण	42420481	206384.00
योग:-			401276.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि रू० **401276.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए ग्राम प्रधान **श्री श्याम किशोर/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी स्व० स्व० ब्रह्मानन्द श्रीवास्तव (ऑडिट ऑनलाइन के अनुसार)** व अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक (कैशबुक, व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि) को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गये व्यय के सापेक्ष नियमानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-316 ग्राम पंचायत **नकहा** की लेखा परीक्षा हेतु इंटीमेशन प्रेषित किये जाने तथा अभिलेखों की मांग किये जाने के बावजूद वर्ष 2020-21 के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। कैशबुक, बैंक स्टेटमेन्ट व प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से ई-ग्राम स्वराज पर दर्शित उक्त ग्राम पंचायत के आय-व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी।

ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में उक्त ग्राम पंचायत में 14वें केन्द्र वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है:-

क्र०सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	ठेलिया मरम्मत	37075004	28500.00
2-	शार्ट टर्म टेण्डर नोटिस एक्सपायर्ड ऑन 18-12-2019	17200206	6663.00
3-	स्टेशनरी	17200206	5125.00
4-	जटाशंकर की क्लीनिक से तालाब तक नाली निर्माण	42421257	35596.00
योग:-			75884.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि रू० **75884.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए ग्राम प्रधान **श्री श्याम किशोर/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी स्व० ब्रह्मानन्द श्रीवास्तव (ऑडिट ऑनलाइन के अनुसार)** व अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक (कैशबुक, व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि) को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गये व्यय के सापेक्ष नियमानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-317 ग्राम पंचायत **नकहा** की लेखा परीक्षा हेतु इंटीमेशन प्रेषित किये जाने तथा अभिलेखों की मांग किये जाने के बावजूद वर्ष 2020-21 के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। कैशबुक, बैंक स्टेटमेन्ट व प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से ई-ग्राम स्वराज पर दर्शित उक्त ग्राम पंचायत के आय-व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी।

ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में उक्त ग्राम पंचायत में 15वें केन्द्र वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है:-

क्र०सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	श्रीनिवास वर्मा के घर से सीताराम के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण	4249160	233903.00
2-	सामुदायिक शौचालय निर्माण	42551763	38061.00
3-	आर०सी०सी० रोड से रामाधार भार्गव के घर तक इण्टर लॉकिंग नि0	42421856	117207.00
4-	सुनील रस्तोगी के घर से श्री निवास के घर तक इण्टर लॉकिंग नि0	42652768	193101.00
योग:-			582272.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि रू० 582272.00 अधिभार योग्य है, जिसके लिए ग्राम प्रधान **श्री श्याम किशोर/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी स्व० स्व० ब्रह्मानन्द श्रीवास्तव (ऑडिट ऑनलाइन के अनुसार)** व अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक (कैशबुक, व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि) को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गये व्यय के सापेक्ष नियमानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – चाऊपुर

विकास खण्ड – नकहा

वर्ष – 2020-21

प्रस्तर-318 ग्राम पंचायत चाऊपुर की लेखा परीक्षा हेतु इंटीमेशन प्रेषित किये जाने तथा अभिलेखों की मांग किये जाने के बावजूद वर्ष 2020-21 के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। कैशबुक, बैंक स्टेटमेन्ट व प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से ई-ग्राम स्वराज पर दर्शित उक्त ग्राम पंचायत के आय-व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी।

ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में उक्त ग्राम पंचायत में चतुर्थ राज्य वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है:-

क्र०सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	प्रधान मानदेय(1 अप्रैल 2018 से 1 जुलाई 2020 तक)	20681605	98000.00
2-	स्टेशनरी व्यय	43764057	6778.00
3-	प्रशासनिक मद पर व्यय	43764057	2798.00
योग:-			107576.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि रू० 107576.00 अधिभार योग्य है, जिसके लिए ग्राम प्रधान **श्रीमती आशा/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती सीमा मिश्रा (ऑडिट ऑनलाइन के अनुसार)** व अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक (कैशबुक, व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि) को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गये व्यय के सापेक्ष नियमानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-319 ग्राम पंचायत चाऊपुर की लेखा परीक्षा हेतु इंटीमेशन प्रेषित किये जाने तथा अभिलेखों की मांग किये जाने के बावजूद वर्ष 2020-21 के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। कैशबुक, बैंक स्टेटमेन्ट व प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से ई-ग्राम स्वराज पर दर्शित उक्त ग्राम पंचायत के आय-व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी।

ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में उक्त ग्राम पंचायत में पंचम राज्य वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है:-

क्र०सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	हैण्डपम्प रिबोर कार्य	43762289	193272.00
योग:-			193272.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि रू० 193272.00 अधिभार योग्य है, जिसके लिए ग्राम प्रधान **श्रीमती आशा/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती सीमा मिश्रा (ऑडिट ऑनलाइन के अनुसार)** व अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक (कैशबुक, व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक

कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि) को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गये व्यय के सापेक्ष नियमानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-320 ग्राम पंचायत चाऊपुर की लेखा परीक्षा हेतु इंटीमेशन प्रेषित किये जाने तथा अभिलेखों की मांग किये जाने के बावजूद वर्ष 2020-21 के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। कैशबुक, बैंक स्टेटमेन्ट व प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से ई-ग्राम स्वराज पर दर्शित उक्त ग्राम पंचायत के आय-व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी।

ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में उक्त ग्राम पंचायत में 14वें केन्द्र वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है:-

क्र०सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	माखन के मकान से छत्रपाल के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण	43768995	231315.00
2-	हीरालाल के मकान से छोटेलाल के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण	4376919	242342.00
3-	प्राथमिक विद्यालय चाऊपुर में इण्टर लॉकिंग निर्माण	43754429	248879.00
4-	रामलखन के घर से हीरालाल के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण	43769125	236118.00
5-	प्रा०वि० पड़री में रामलखन गोडिया के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण	43758912	249264.00
6-	छत्रपाल के घर से राजवीर के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण	43769053	209144.00
7-	तनु यादव के घर से रामस्वरूप के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण	43758992	139074.00
8-	छोटे के घर से सुरेन्द्र के खेत तक इण्टर लॉकिंग निर्माण	43769262	216255.00
9-	हुकुम सिंह के घर से अमर सिंह के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण	43773498	98988.00
योग:-			1871379.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि रू० **1871379.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए ग्राम प्रधान **श्रीमती आशा/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती सीमा मिश्रा (ऑडिट ऑनलाइन के अनुसार)** व अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक (कैशबुक, बैंक स्टेटमेन्ट, इस्तीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि) को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गये व्यय के सापेक्ष नियमानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-321 ग्राम पंचायत चाऊपुर की लेखा परीक्षा हेतु इंटीमेशन प्रेषित किये जाने तथा अभिलेखों की मांग किये जाने के बावजूद वर्ष 2020-21 के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। कैशबुक, बैंक स्टेटमेन्ट व प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से ई-ग्राम स्वराज पर दर्शित उक्त ग्राम पंचायत के आय-व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी।

ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में उक्त ग्राम पंचायत में 15वें केन्द्र वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है:-

क्र०सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	हैण्डपम्प मरम्मत	43762027	36864.00
2-	प्रा०वि० पड़री में इण्टर लॉकिंग निर्माण	43754504	232499.00
योग:-			269363.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि रू० **269363.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए ग्राम प्रधान **श्रीमती आशा/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती सीमा मिश्रा (ऑडिट ऑनलाइन के अनुसार)** व अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक (कैशबुक, बैंक स्टेटमेन्ट, इस्तीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक

सत्यापन रिपोर्ट आदि) को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गये व्यय के सापेक्ष नियमानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – जमकोहना

विकास खण्ड – नकहा

वर्ष – 2020-21

प्रस्तर-322 ग्राम पंचायत जमकोहना की लेखा परीक्षा हेतु इंटीमेशन प्रेषित किये जाने तथा अभिलेखों की मांग किये जाने के बावजूद वर्ष 2020-21 के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट व प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से ई-ग्राम स्वराज पर दर्शित उक्त ग्राम पंचायत के आय-व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी।

ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में उक्त ग्राम पंचायत में चतुर्थ राज्य वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है:-

क्र०सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	शिवबालक के घर से छैलू के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण	45225578	244077.00
2-	माँ पातेश्वरी कम्प्यूटर्स खीरी के फोटो, फोटाकॉपी, आवास सूची प्रिंटिंग आदि हेतु भुगतान	44339243	13391.00
3-	करम अली पर कौशल के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण	45225576	245070.00
4-	टेण्डर भुगतान कार्य तराई का सूरज अखबार को भुगतान	44339243	11924.00
5-	प्रधान मानदेय दिसम्बर 2019 से अक्टूबर 2020 तक	44339214	38500.00
6-	ग्रा०पं० में स्लोगन वॉल पेन्टिंग कार्य हेतु अजय कुमार गौतम को भुगतान	44339307	18660.00
योग:-			571622.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि रू० 571622.00 अधिभार योग्य है, जिसके लिए ग्राम प्रधान **श्रीमती शकीला/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी स्व० ब्रह्मानन्द श्रीवास्तव (ऑडिट ऑनलाइन के अनुसार)** व अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक (कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि) को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गये व्यय के सापेक्ष नियमानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-323 ग्राम पंचायत जमकोहना की लेखा परीक्षा हेतु इंटीमेशन प्रेषित किये जाने तथा अभिलेखों की मांग किये जाने के बावजूद वर्ष 2020-21 के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट व प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से ई-ग्राम स्वराज पर दर्शित उक्त ग्राम पंचायत के आय-व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी।

ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में उक्त ग्राम पंचायत में 15वें केन्द्र वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है:-

क्र०सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	ग्रा०वि० के कमरों में टाइल्स निर्माण कार्य	44338679	168398.00
2-	ग्रा०पं० हेतु 1 ठेलिया क्रय हेतु ओम ट्रेडर्स	44351521	19500.00
3-	फोटो, फोटाकॉपी, आवास सूची प्रिंटिंग आदि हेतु भुगतान	44339243	7429.00
योग:-			195327.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि रू० 195327.00 अधिभार योग्य है, जिसके लिए ग्राम प्रधान **श्रीमती शकीला/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी स्व० ब्रह्मानन्द श्रीवास्तव (ऑडिट ऑनलाइन के अनुसार)** व अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक (कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि) को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गये व्यय के सापेक्ष नियमानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-324 ग्राम पंचायत **जमकोहना** की लेखा परीक्षा हेतु इंटीमेशन प्रेषित किये जाने तथा अभिलेखों की मांग किये जाने के बावजूद वर्ष 2020-21 के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट व प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से ई-ग्राम स्वराज पर दर्शित उक्त ग्राम पंचायत के आय-व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी।

ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में उक्त ग्राम पंचायत में 14वें केन्द्र वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है:-

क्र०सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	निसार के घर से कल्लू के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण	44332280	213904.00
2-	धर्मेन्द्र के घर से रमेश के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण	44332120	242288.00
3-	छैलू के घर से मदरसा के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण	44332078	245743.00
4-	लखपति के घर से सहदेव के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण	45225571	245436.00
5-	सुरेश के घर से रमेश के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण	45225575	230847.00
6-	श्यामबिहारी के घर से ईश्वरदीन के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण	45225569	245895.00
7-	हैण्डपम्प मरम्मत	44331279	22360.00
8-	ह्यूम पाइप कार्य जल निकासी हेतु भुगतान	44331438	98469.00
	योग:-		1544942.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि रु० **1544942.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए ग्राम प्रधान **श्रीमती शकीला/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी स्व० ब्रह्मानन्द श्रीवास्तव (ऑडिट ऑनलाइन के अनुसार)** व अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक (कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, इस्तीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि) को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गये व्यय के सापेक्ष नियमानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – कटकुसुमा विकास खण्ड – नकहा वर्ष – 2020-21

प्रस्तर-325 ग्राम पंचायत **कटकुसुमा** की लेखा परीक्षा हेतु इंटीमेशन प्रेषित किये जाने तथा अभिलेखों की मांग किये जाने के बावजूद वर्ष 2020-21 के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट व प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से ई-ग्राम स्वराज पर दर्शित उक्त ग्राम पंचायत के आय-व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी।

ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में उक्त ग्राम पंचायत में चतुर्थ राज्य वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है:-

क्र०सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	लाल मोहम्मद के घर से संतोष के घर तक खडन्जा निर्माण	44167661	110632.00
2-	हैण्डपम्प रिबोर	44165990	204996.00
3-	फोटो, फोटाकापी, आवासी सूची प्रिंटिंग आदि हेतु भुगतान	44167762	8753.00
4-	ह्यूम पाइप हेतु राधा ट्रेडर्स	44166073	106000.00
	योग:-		430381.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि रु० **430381.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए ग्राम प्रधान **श्रीमती प्रीती शुक्ला/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी स्व० ब्रह्मानन्द श्रीवास्तव (ऑडिट ऑनलाइन के अनुसार)** व अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक (कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, इस्तीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि) को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गये व्यय के सापेक्ष नियमानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-326 ग्राम पंचायत **कटकसमा** की लेखा परीक्षा हेतु इंटीमेशन प्रेषित किये जाने तथा अभिलेखों की मांग किये जाने के बावजूद वर्ष 2020-21 के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट व प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से ई-ग्राम स्वराज पर दर्शित उक्त ग्राम पंचायत के आय-व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी।

ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में उक्त ग्राम पंचायत में 15वें केन्द्र वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है:-

क्र०सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय निर्माण	44166101	173944.00
2-	ग्राम पंचायत में सोकपिट निर्माण	44166039	249254.00
3-	बंगाली हाउस के घर से राजाराम के घर तक खडन्जा मरम्मत	44167558	249336.00
4-	फोटो, फोटाकापी, आवासी सूची प्रिंटिंग आदि हेतु भुगतान	44167762	1022.00
5-	हैण्डपम्प मरम्मत	44165966	22160.00
योग:-			695716.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि ₹० **695716.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए ग्राम प्रधान **श्रीमती प्रीती शुक्ला/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी स्व० ब्रह्मानन्द श्रीवास्तव (ऑडिट ऑनलाइन के अनुसार)** व अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक (कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि) को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गये व्यय के सापेक्ष नियमानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-327 ग्राम पंचायत **कटकसमा** की लेखा परीक्षा हेतु इंटीमेशन प्रेषित किये जाने तथा अभिलेखों की मांग किये जाने के बावजूद वर्ष 2020-21 के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट व प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से ई-ग्राम स्वराज पर दर्शित उक्त ग्राम पंचायत के आय-व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी।

ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में उक्त ग्राम पंचायत में 14वें केन्द्र वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है:-

क्र०सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय निर्माण	44166101	80390.00
2-	हैण्डपम्प मरम्मत	44165966	22792.00
3-	ह्यूम पाइप कार्य जल निकासी हेतु भुगतान	44166073	66000.00
योग:-			169182.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि ₹० **169182.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए ग्राम प्रधान **श्रीमती प्रीती शुक्ला/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी स्व० ब्रह्मानन्द श्रीवास्तव (ऑडिट ऑनलाइन के अनुसार)** व अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक (कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि) को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गये व्यय के सापेक्ष नियमानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – महोला

विकास खण्ड – नकहा

वर्ष – 2020-21

प्रस्तर-328 ग्राम पंचायत **महोला** की लेखा परीक्षा हेतु इंटीमेशन प्रेषित किये जाने तथा अभिलेखों की मांग किये जाने के बावजूद वर्ष 2020-21 के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट व प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से ई-ग्राम स्वराज पर दर्शित उक्त ग्राम पंचायत के आय-व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी।

ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में उक्त ग्राम पंचायत में चतुर्थ राज्य वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है:-

क्र०सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	पंचायत भवन मरम्मत कार्य	44086496	92021.00
2-	फाइल पेमेन्ट हेतु भुगतान	44086474	4544.00
3-	प्रधान मानदेय	44086468	7000.00
4-	तेजराम के घर से राजाराम के घर तक खडन्जा निर्माण	44086263	136326.00
	योग:-		239891.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि रू० **239891.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए ग्राम प्रधान **श्री रमेश/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी स्व० ब्रह्मानन्द श्रीवास्तव (ऑडिट ऑनलाइन के अनुसार)** व अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक (कैशबुक, व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्तीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि) को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गये व्यय के सापेक्ष नियमानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-329 ग्राम पंचायत **महोला** की लेखा परीक्षा हेतु इंटीमेशन प्रेषित किये जाने तथा अभिलेखों की मांग किये जाने के बावजूद वर्ष 2020-21 के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। कैशबुक, बैंक स्टेटमेन्ट व प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से ई-ग्राम स्वराज पर दर्शित उक्त ग्राम पंचायत के आय-व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी।

ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में उक्त ग्राम पंचायत में पंचम राज्य वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है:-

क्र०सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	रामपाल के घर से बदलू के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण	44086324	113370.00
2-	रामपाल के घर से पुष्पेन्द्र के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण	44086217	244266.00
	योग:-		357636.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि रू० **357636.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए ग्राम प्रधान **श्री रमेश/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी स्व० ब्रह्मानन्द श्रीवास्तव (ऑडिट ऑनलाइन के अनुसार)** व अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक (कैशबुक, व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्तीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि) को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गये व्यय के सापेक्ष नियमानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-330 ग्राम पंचायत **महोला** की लेखा परीक्षा हेतु इंटीमेशन प्रेषित किये जाने तथा अभिलेखों की मांग किये जाने के बावजूद वर्ष 2020-21 के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। कैशबुक, बैंक स्टेटमेन्ट व प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से ई-ग्राम स्वराज पर दर्शित उक्त ग्राम पंचायत के आय-व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी।

ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में उक्त ग्राम पंचायत में 14वें केन्द्र वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है:-

क्र०सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	जगन्नाथ के घर से प्रमोद के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण	44086199	180965.00
2-	प्रा०वि० बैबहा में आंगनबाड़ी शौचालय निर्माण	44086105	49624.00
3-	प्रा०वि० महोला मन्दिर में आंगनबाड़ी शौचालय निर्माण	44086121	46319.00
	योग:-		276908.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त

अभिलेख उपलब्ध कराये। पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि ₹ 276908.00 अधिभार योग्य है, जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री रमेश/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी स्व० ब्रह्मानन्द श्रीवास्तव (ऑडिट ऑनलाइन के अनुसार) व अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक (कैशबुक, बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि) को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गये व्यय के सापेक्ष नियमानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-331 ग्राम पंचायत महोला की लेखा परीक्षा हेतु इंटीमेशन प्रेषित किये जाने तथा अभिलेखों की मांग किये जाने के बावजूद वर्ष 2020-21 के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। कैशबुक, बैंक स्टेटमेन्ट व प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से ई-ग्राम स्वराज पर दर्शित उक्त ग्राम पंचायत के आय-व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी।

ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में उक्त ग्राम पंचायत में 15वें केन्द्र वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है:-

क्र०सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	पंचायत भवन मरम्मत	44086496	121746.00
2-	फोटो, फोटोकॉपी, सूची आदि पर व्यय	44086474	1024.00
3-	ह्यूम पाइप क्रय	44085940	99061.00
4-	ग्रा०पं० महोला में सामुदायिक शौचालय निर्माण	44085958	249536.00
5-	हैण्डपम्प मरम्मत	44085880	32214.00
योग:-			503581.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि ₹ 503581.00 अधिभार योग्य है, जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री रमेश/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी स्व० ब्रह्मानन्द श्रीवास्तव (ऑडिट ऑनलाइन के अनुसार) व अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक (कैशबुक, बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि) को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गये व्यय के सापेक्ष नियमानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - बेलहौरा

विकास खण्ड - नकहा

वर्ष - 2020-21

प्रस्तर-332 ग्राम पंचायत बेलहौरा की लेखा परीक्षा हेतु इंटीमेशन प्रेषित किये जाने तथा अभिलेखों की मांग किये जाने के बावजूद वर्ष 2020-21 के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। कैशबुक, बैंक स्टेटमेन्ट व प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से ई-ग्राम स्वराज पर दर्शित उक्त ग्राम पंचायत के आय-व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी।

ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में उक्त ग्राम पंचायत में चतुर्थ राज्य वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है:-

क्र०सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण	39292103	169949.00
2-	नाव खरीद	27883628	17600.00
3-	नाव खरीद	44605702	24780.00
4-	कोविड इक्विपमेन्ट पर्वेज	41742382	8500.00
योग:-			220829.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि रू० 220829.00 अधिभार योग्य है, जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री राधेश्याम/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी स्व० ब्रह्मानन्द श्रीवास्तव (ऑडिट ऑनलाइन के अनुसार) व अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक (कैशबुक, व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि) को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गये व्यय के सापेक्ष नियमानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-333 ग्राम पंचायत बेल्हौरा की लेखा परीक्षा हेतु इंटीमेशन प्रेषित किये जाने तथा अभिलेखों की मांग किये जाने के बावजूद वर्ष 2020-21 के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। कैशबुक, बैंक स्टेटमेन्ट व प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से ई-ग्राम स्वराज पर दर्शित उक्त ग्राम पंचायत के आय-व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी।

ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में उक्त ग्राम पंचायत में पंचम राज्य वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है:-

क्र०सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	डमरू के घर से नटवर के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण	39291839	21151.00
	योग:-		21151.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि रू० 21151.00 अधिभार योग्य है, जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री राधेश्याम/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी स्व० ब्रह्मानन्द श्रीवास्तव (ऑडिट ऑनलाइन के अनुसार) व अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक (कैशबुक, व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि) को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गये व्यय के सापेक्ष नियमानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-334 ग्राम पंचायत बेल्हौरा की लेखा परीक्षा हेतु इंटीमेशन प्रेषित किये जाने तथा अभिलेखों की मांग किये जाने के बावजूद वर्ष 2020-21 के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। कैशबुक, बैंक स्टेटमेन्ट व प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से ई-ग्राम स्वराज पर दर्शित उक्त ग्राम पंचायत के आय-व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी।

ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में उक्त ग्राम पंचायत में 14वें केन्द्र वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है:-

क्र०सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	धर्म सिंह के घर से रामनाथ के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण	39288262	38510.00
2-	प्लांटेशन व्यय (वृक्षारोपण)	36480023	46550.00
3-	स्पन पाइप पर्चेज	39293301	39013.00
4-	हैण्डप्प मरम्मत	36373600	27400.00
5-	सोकपिट निर्माण	42869354	95401.00
6-	स्पन पाइप पर्चेज	39292065	76475.00
	योग:-		323349.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि रू० 323349.00 अधिभार योग्य है, जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री राधेश्याम/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी स्व० ब्रह्मानन्द श्रीवास्तव (ऑडिट ऑनलाइन के अनुसार) व अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक (कैशबुक, व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि) को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गये व्यय के सापेक्ष नियमानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-335 ग्राम पंचायत **बेल्हौरा** की लेखा परीक्षा हेतु इंटीमेशन प्रेषित किये जाने तथा अभिलेखों की मांग किये जाने के बावजूद वर्ष 2020-21 के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट व प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से ई-ग्राम स्वराज पर दर्शित उक्त ग्राम पंचायत के आय-व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी।

ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में उक्त ग्राम पंचायत में 15वें केन्द्र वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है:-

क्र०सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	स्टेशनरी, फोटोकापी, कम्प्यूटर्स	44605724	5305.00
2-	रामू के घर से गुड्डू के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण	39288314	77956.00
	योग:-		83261.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि रू० **83261.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए ग्राम प्रधान **श्री राधेश्याम/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी स्व० ब्रह्मानन्द श्रीवास्तव (ऑडिट ऑनलाइन के अनुसार)** व अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक (कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि) को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गये व्यय के सापेक्ष नियमानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - फुटहा

विकास खण्ड - बिजुआ

वर्ष - 2020-21

प्रस्तर-336 ग्राम पंचायत **फुटहा** के आलोच्य वर्ष **2020-21** की लेखा परीक्षा में ई-ग्राम स्वराज पर ऑन लाइन दर्शित व्यय की पुष्टि में बार-बार मौखिक और लिखित रूप से माँगने के उपरान्त भी ऑन लाइन कोषबही के अतिरिक्त कोई भी मूल अभिलेख भौतिक रूप में प्रस्तुत नहीं रहा। ऑन लाइन कोषबही के अनुसार 15वें वित्त आयोग से निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है:-

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य आई०डी०	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि	योग
1-	अज्ञात	35479753	वर्मा लोहा भण्डार	09-10-2020	6380.00	6380.00
2-	हैण्डपम्प रिबोर	36577540	वर्मा लोहा भण्डार	28-10-2020	43784.00	93899.00
			श्रमिक	28-10-2020	18700.00	
			अनूप ट्रेडर्स	28-10-2020	16500.00	
			श्रमिक	03-11-2020	14915.00	
3-	पंचायत भवन निर्माण कार्य	44853088	श्री कृष्णा ट्रेडर्स	06-10-2020	63231.00	167019.00
			मिस्त्री	06-10-2020	31920.00	
			खीरी न्यूज एजेन्सी	06-10-2020	6608.00	
			मिस्त्री	06-10-2020	20140.00	
			श्रमिक	25-11-2020	28120.00	
			बालाजी हार्डवेयर	17-12-2020	17000.00	
4-	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य	44853125	श्रमिक	13-11-2020	33852.00	39882.00

			श्रमिक	13-11-2020	6030.00	
5-	अज्ञात	36573072	बालाजी हार्डवेयर	24-12-2020	20850.00	27690.00
			श्रमिक	24-12-2020	6840.00	
		योग:-				334870.00

15वें वित्त से दर्शित उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात् **रु० 334870.00** का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 यहकि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगाकि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड-8(क) यहकि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है अतः कुल प्रमाणकविहीन व्यय **रु० 334870.00** अधिभार योग्य है। जिसके लिए तत्कालीन **ग्राम प्रधान श्री हरीशचन्द्र तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री विक्रम सिंह राना** उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिसमें समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेखों तथा अनुमोदित कार्य योजना, इस्टीमेट, एम०बी०, प्रमाणकों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, टेण्डर/कोटेशन (यथास्थिति), कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, जिओ टैगिंग का प्रमाण, उक्त कार्यों में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों/नि०अंगूठों का सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) से सत्यापन, कार्य स्थल की तीन स्टेप की फोटोग्राफ, स्टॉक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट एवं बैंक स्टेटमेन्ट आदि न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित बराबर हिस्सों में करते हुए अपेक्षित प्रशासनिक और विधिक कार्यवाही **किया जाना अपेक्षित है।**

प्रस्तर-337 ग्राम पंचायत **फुटहा** के आलोच्य वर्ष **2020-21** की लेखा परीक्षा में ई-ग्राम स्वराज पर ऑन लाइन दर्शित व्यय की पुष्टि में बार-बार मौखिक और लिखित रूप से माँगने के उपरान्त भी ऑन लाइन कोषबही के अतिरिक्त कोई भी मूल अभिलेख भौतिक रूप में प्रस्तुत नहीं रहा। ऑन लाइन कोषबही के अनुसार **राज्य वित्त/चौदहवें वित्त आयोग** से निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है:-

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य आई०डी०	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि	योग
1-	ग्राम पंचायत में सफाई, दवा खरीद व छिड़काव	14022826	गणेश लक्ष्मी ट्रेडर्स	23-04-2020	3600.00	11800.00
			माँ संकटा ट्रेडर्स	23-04-2020	5000.00	
			राजेन्द्र प्रसाद	23-04-2020	3200.00	
2-	ग्राम पंचायत में रिचार्ज पिट निर्माण कार्य	14022867	गणेश लक्ष्मी ट्रेडर्स	23-04-2020	4515.00	19267.00
			लेबर व मिस्त्री	23-04-2020	14752.00	
3-	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य	41785929	श्री कृष्णा ट्रेडर्स	24-09-2020	91280.00	248990.00
			लेबर व मिस्त्री	24-09-2020	44408.00	
			लेबर व मिस्त्री	24-09-2020	3819.00	
			मून ब्रिक्स	24-09-2020	104995.00	
			मून ब्रिक्स	24-09-2020	4488.00	
4-	प्रधान मानदेय	36774422	हरीश चन्द्र	03-10-2020	21000.00	38500.00
				10-12-2020	17500.00	
5-	स्टेशनरी	36569425	मोबीन कम्प्यूटर्स	08-10-2020	5230.00	8030.00
	आक्सीमीटर		साहनी इण्टर प्रा०	10-12-2020	2800.00	
6-	सामुदायिक शौचालय में प्लम्बरिंग कार्य	44336424	आकर्ष हार्डवेयर	03-11-2020	25490.00	54140.00
			आकर्ष हार्डवेयर	16-12-2020	28650.00	
7-	फर्नीचर	36573509	नन्दलाल	12-11-2020	26530.00	26530.00
8-	पंचायत भवन निर्माण कार्य	44853101	श्रीकृष्ण ट्रेडर्स	08-12-2020	49920.00	79470.00
			बालाजी हार्डवेयर	23-12-2020	29450.00	
9-	अज्ञात	41785515	बालाजी हार्डवेयर	24-12-2020	24600.00	24600.00

10-	हैण्डपम्प मरम्मत	36572558	वर्मा लोहा भण्डार	25-03-2021	9580.00	12620.00
			श्रमिक	25-03-2021	3040.00	
	योग:-					523847.00

राज्य वित्त से दर्शित उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात् **रु० 523847.00** का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 यहकि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगाकि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड-8(क) यहकि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है अतः कुल प्रमाणकविहीन व्यय **रु० 523847.00** अधिभार योग्य है। जिसके लिए तत्कालीन **ग्राम प्रधान श्री हरीशचन्द्र तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री विक्रम सिंह राना** उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिसमें समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेखों तथा अनुमोदित कार्य योजना, इस्टीमेट, एम०बी०, प्रमाणकों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, टेण्डर/कोटेशन (यथास्थिति), कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, जिओ टैगिंग का प्रमाण, उक्त कार्यों में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों/नि०अंगूठों का सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) से सत्यापन, कार्य स्थल की तीन स्टेप की फोटोग्राफ, स्टॉक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट एवं बैंक स्टेटमेन्ट आदि न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित बराबर हिस्सों में करते हुए अपेक्षित प्रशासनिक और विधिक कार्यवाही **किया जाना अपेक्षित है।**

ग्राम पंचायत - ताजपुर

विकास खण्ड - बिजुआ

वर्ष - 2020-21

प्रस्तर-338 ग्राम पंचायत **ताजपुर** के आलोच्य वर्ष **2020-21** की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत राज्य वित्त/चौदहवें वित्त की कोषबही अपूर्ण पायी गई। कोषबही में 01 अप्रैल 2019 से 31 अगस्त 2019 तक का आय एवं व्यय का विवरण अंकित नहीं है। ई-ग्राम स्वराज पर उपलब्ध कोषबही/प्रस्तुत बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार दिनांक 01-04-2020 एवं 30-09-2021 के मध्य चतुर्थ राज्य वित्त मद में व्यय निम्न विवरणानुसार रहा:-

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य आई०डी०	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि	योग
1-	4 th ग्राम पंचायत में रिचार्ज पिट निर्माण कार्य	43191520	आशुतोष ट्रेडर्स	14-07-2020	13530.00	40222.00
			अमित ईट उद्योग	14-07-2020	18470.00	
			लेबर व मिस्त्री	14-07-2020	8222.00	
2-	4 th ग्रा०पं० में सामुदायिक शौचालय नि० कार्य	43120789	अमित ईट उद्योग	29-08-2020	53488.00	177349.00
			आशुतोष ट्रेडर्स	29-08-2020	72769.00	
			लेबर व मिस्त्री	29-08-2020	44018.00	
			आकर्ष हार्डवेयर	09-09-2020	7074.00	
3-	14 th प्रा० स्कूल की मरम्मत व फर्श में टाइल्स नि० कार्य	17509811	अमित ईट उद्योग	27-04-2020	2593.00	134816.00
			आशुतोष ट्रेडर्स	27-04-2020	36816.00	
			गौसिया ट्रेडर्स	27-04-2020	50985.00	
			लेबर व मिस्त्री	27-04-2020	44422.00	
	योग:-					352387.00

चतुर्थ राज्य वित्त से दर्शित उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख/पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात् **रु० 352387.00** का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 यहकि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगाकि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड-8(क) यहकि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है अतः कुल

प्रमाणकविहीन व्यय **रु० 352387.00** अधिभार योग्य है। जिसके लिए तत्कालीन **ग्राम प्रधान श्रीमती लक्ष्मी देवी तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री अमीर चन्द्र राना** उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिसमें समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेखों तथा अनुमोदित कार्य योजना, इस्टीमेट, एम०बी०, प्रमाणकों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, टेण्डर/कोटेशन (यथास्थिति), कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, जिओ टैगिंग का प्रमाण, उक्त कार्यों में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों/नि०अंगूठों का सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) से सत्यापन, कार्य स्थल की तीन स्टेप की फोटोग्राफ, स्टॉक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट एवं बैंक स्टेटमेन्ट आदि न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित बराबर हिस्सों में करते हुए अपेक्षित प्रशासनिक और विधिक कार्यवाही **किया जाना अपेक्षित है।**

प्रस्तर-339 ग्राम पंचायत **ताजपुर** के आलोच्य वर्ष **2020-21** की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत राज्य वित्त/चौदहवें वित्त की कोषबही अपूर्ण पायी गई। कोषबही में 01 अप्रैल 2019 से 31 अगस्त 2019 तक का आय एवं व्यय का विवरण अंकित नहीं है। ई-ग्राम स्वराज पर उपलब्ध कोषबही/प्रस्तुत बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार दिनांक 01-04-2020 एवं 30-09-2021 के मध्य चौदहवें वित्त मद में व्यय निम्न विवरणानुसार रहा:-

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य आई०डी०	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि	योग
1-	स्टेशनरी खरीद व फोटोकापी	43115717	अमोल आर्ट्स	09-09-2020	10500.00	10500.00
	योग:-					10500.00

चौदहवें वित्त से दर्शित उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात् **रु० 10500.00** का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 यहकि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगाकि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड-8(क) यहकि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है अतः कुल प्रमाणकविहीन व्यय **रु० 10500.00** अधिभार योग्य है। जिसके लिए तत्कालीन **ग्राम प्रधान श्रीमती लक्ष्मी देवी तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री अमीर चन्द्र राना** उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिसमें समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेखों तथा अनुमोदित कार्य योजना, इस्टीमेट, एम०बी०, प्रमाणकों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, टेण्डर/कोटेशन (यथास्थिति), कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, जिओ टैगिंग का प्रमाण, उक्त कार्यों में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों/नि०अंगूठों का सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) से सत्यापन, कार्य स्थल की तीन स्टेप की फोटोग्राफ, स्टॉक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट एवं बैंक स्टेटमेन्ट आदि न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित बराबर हिस्सों में करते हुए अपेक्षित प्रशासनिक और विधिक कार्यवाही **किया जाना अपेक्षित है।**

ग्राम पंचायत - डिमरौल

विकास खण्ड - बिजुआ

वर्ष - 2020-21

प्रस्तर-340 ग्राम पंचायत **डिमरौल** के आलोच्य वर्ष **2020-21** की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त/चौदहवें वित्त की केवल कोषबही प्रस्तुत रही। कोषबही में दर्शित व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख/पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। कोषबही में दर्शित व्यय निम्न विवरणानुसार है:-

क्र० सं०	कार्य का नाम	विवरण आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि	योग
1-	भगवानदीन के घर से रूपराम के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	बालू	15-04-2020	3000.00	138826.00
		अनूप ट्रेडर्स	22-03-2021	27366.00	
		वी०के० ईट उद्योग	22-03-2021	37070.00	
		अम्बे इण्टर लॉकिंग	22-03-2021	71390.00	
2-	सामुदायिक शौचालय निर्माण	अम्बारा ईट उद्योग	02-08-2020	73659.00	223406.00
		बालू	02-08-2020	7736.00	
		अनूप ट्रेडर्स	02-08-2020	43030.00	
		मिस्त्री	02-08-2020	10260.00	
		मिट्टी	02-08-2020	1033.00	
		पेन्टिंग	22-08-2020	15127.00	
		श्रमिक	02-08-2020	25480.00	
		मिस्त्री	22-08-2020	6080.00	
		धर्मापुर ट्रेडिंग कम्पनी	23-08-2020	19011.00	
		बालाजी एग्रो इण्टर प्रा०	23-08-2020	21990.00	

3-	प्रा०वि० डिमरौल में टाइल्स कार्य	श्रमांश	16-12-2020	72513.00	196674.00
		बालाजी एग्री इण्टर प्रा०	16-12-2020	76936.00	
		निखिल ट्रेडर्स	16-12-2020	41188.00	
		अम्बारा ईट उद्योग	16-12-2020	4189.00	
		बालू	17-12-2020	1848.00	
4-	मानदेय	प्रधान मंगत राम	02-08-2020	10500.00	38500.00
		प्रधान मंगत राम	17-12-2020	28000.00	
5-	हैण्डपम्प रिबोर	धीरज	03-10-2019	27000.00	27000.00
6-	अन्य स्वच्छता कार्य	संजय	15-04-2020	6000.00	61486.00
	स्टेशनरी	मोबीन कम्प्यूटर्स	23-08-2020	5025.00	
	स्वच्छता कार्य	संजय	23-08-2020	4000.00	
	वॉल पेन्टिंग	राजकुमार ट्रेडर्स	03-10-2020	14000.00	
	फोटोकॉपी	आकाश	16-12-2020	2025.00	
	फोटोकॉपी	आकाश	16-12-2020	1461.00	
	स्टेशनरी/टाइप	मोबीन कम्प्यूटर्स	16-12-2020	4975.00	
	वॉल पेन्टिंग	प्रेम कुमार	26-03-2021	12000.00	
	वॉल पेन्टिंग	प्रेम कुमार	26-03-2021	12000.00	
	योग:-				685892.00

राज्य वित्त/चौदहवें वित्त से दर्शित उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात् **रु० 685892.00** का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 यहकि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगाकि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड-8(क) यहकि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है अतः कुल प्रमाणकविहीन व्यय **रु० 685892.00** अधिभार योग्य है। जिसके लिए तत्कालीन **ग्राम प्रधान श्री मंगत राम तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री नवल किशोर वर्मा** उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिसमें समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेखों तथा अनुमोदित कार्य योजना, इस्टीमेट, एम०बी०, प्रमाणकों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, टेण्डर/कोटेशन (यथास्थिति), कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, जिओ टैगिंग का प्रमाण, उक्त कार्यों में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों/नि०अंगूठों का सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) से सत्यापन, कार्य स्थल की तीन स्टेप की फोटोग्राफ, स्टॉक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट एवं बैंक स्टेटमेन्ट आदि न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित बराबर हिस्सों में करते हुए अपेक्षित प्रशासनिक और विधिक कार्यवाही **किया जाना अपेक्षित है।**

प्रस्तर-341 ग्राम पंचायत **डिमरौल** के आलोच्य वर्ष **2020-21** की लेखा परीक्षा में पन्द्रहवें वित्त की केवल कोषबही प्रस्तुत रही। कोषबही में दर्शित व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख/पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। कोषबही में दर्शित व्यय निम्न विवरणानुसार है:-

क्र० सं०	कार्य का नाम	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि	योग
1-	प्रा०वि० डिमरौल में इण्टर लॉकिंग कार्य	श्रमिक	11-10-2020	20930.00	190704.00
		राजलक्ष्मी प्रोडक्ट्स	11-10-2020	152645.00	
		मिस्त्री	11-10-2020	8740.00	
		बालू	11-10-2020	5964.00	
		मिट्टी	11-10-2020	2425.00	
2-	हैण्डपम्प रिबोर	अनूप ट्रेडर्स	20-12-2020	16500.00	95282.00
		वर्मा लोहा भण्डार	20-12-2020	45847.00	
		श्रमांश	20-12-2020	32935.00	
	योग:-				285986.00

पन्द्रहवें वित्त से दर्शित उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात् **रु० 285986.00** का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 यहकि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगाकि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड-8(क) यहकि "यदि दर्शाए गए

व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है अतः कुल प्रमाणकविहीन व्यय **रू० 285986.00** अधिभार योग्य है। जिसके लिए तत्कालीन **ग्राम प्रधान श्री मंगत राम तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री नवल किशोर वर्मा** उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिसमें समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेखों तथा अनुमोदित कार्य योजना, इस्टीमेट, एम०बी०, प्रमाणकों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, टेण्डर/कोटेशन (यथास्थिति), कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, जिओ टैगिंग का प्रमाण, उक्त कार्यों में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों/नि०अंगूठों का सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) से सत्यापन, कार्य स्थल की तीन स्टेप की फोटोग्राफ, स्टाक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट एवं बैंक स्टेटमेन्ट आदि न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित बराबर हिस्सों में करते हुए अपेक्षित प्रशासनिक और विधिक कार्यवाही **किया जाना अपेक्षित है।**

ग्राम पंचायत – रूद्रपुर गुलरिया विकास खण्ड – बिजुआ

वर्ष – 2020-21

प्रस्तर-342 ग्राम पंचायत **रूद्रपुर गुलरिया** के आलोच्य वर्ष **2020-21** की लेखा परीक्षा में पन्द्रहवें वित्त की केवल कोषबही प्रस्तुत रही। कोषबही में दर्शित व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख/पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। कोषबही में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है:-

क्र० सं०	कार्य का नाम	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि	योग
1-	पंचायत भवन निर्माण	मून ब्रिक्स	02-10-2020	87176.00	495195.00
		तिवारी सीमेन्ट स्टोर	02-10-2020	72815.00	
		मिस्त्री	06-11-2020	12160.00	
		मिस्त्री	20-12-2020	12160.00	
		मून ब्रिक्स	20-12-2020	62947.00	
		तिवारी सीमेन्ट	20-12-2020	52280.00	
		तिवारी सीमेन्ट	22-03-2021	130438.00	
		तिवारी सीमेन्ट	22-03-2021	65219.00	
2-	धनापुरवा में हैण्डपम्प	श्रमिक	23-11-2020	32935.00	95282.00
		अनूप ट्रेडर्स	23-11-2020	16500.00	
		वर्मा लोहा भण्डार	23-11-2020	45847.00	
3-	पहाड़ापुर में 07 नं० हैण्डपम्प रिबोर	वर्मा लोहा भण्डार	23-11-2020	90509.00	222939.00
		श्रमिक	23-11-2020	87000.00	
		अनूप ट्रेडर्स	23-11-2020	45430.00	
4-	हरदेव लला स्थाना पर पश्चिम/दक्षिण में बाउण्ड्री निर्माण	मिस्त्री	07-12-2020	18620.00	182095.00
		तिवारी सीमेन्ट स्टोर	07-12-2020	23529.00	
		मून ब्रिक्स	07-12-2020	81957.00	
		बालू	07-12-2020	6935.00	
		श्रमांश	20-12-2020	51054.00	
5-	हैण्डपम्प रिबोर	अनूप ट्रेडर्स	20-12-2020	16500.00	95282.00
		वर्मा लोहा भण्डार	20-12-2020	45847.00	
		श्रमांश	20-12-2020	32935.00	
	योग:-				1090793.00

पन्द्रहवें वित्त से दर्शित उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात् **रू० 1090793.00** का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड-8(क) यह कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है अतः कुल प्रमाणकविहीन व्यय **रू० 1090793.00** अधिभार योग्य है। जिसके लिए तत्कालीन **ग्राम प्रधान श्री संजू मिश्रा तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री नवल किशोर वर्मा** उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिसमें समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेखों तथा अनुमोदित कार्य योजना, इस्टीमेट, एम०बी०, प्रमाणकों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, टेण्डर/कोटेशन (यथास्थिति), कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, जिओ टैगिंग का प्रमाण, उक्त कार्यों में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों/नि०अंगूठों का सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) से सत्यापन, कार्य स्थल की तीन स्टेप की फोटोग्राफ, स्टाक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट एवं बैंक स्टेटमेन्ट आदि न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित बराबर हिस्सों में करते हुए अपेक्षित प्रशासनिक और विधिक कार्यवाही **किया जाना अपेक्षित है।**

प्रस्तर-343 ग्राम पंचायत रूद्रपुर गुलरिया के आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त/चौदहवें वित्त की केवल कोषबही प्रस्तुत रही। कोषबही में दर्शित व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख/पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। कोषबही में दर्शित व्यय निम्न विवरणानुसार है:-

क्र० सं०	कार्य का नाम	विवरण आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि	योग
1-	प्रा०वि० रूद्रपुर में इण्टर लॉकिंग निर्माण	श्रमिक व मिस्त्री	18-05-2020	30778.00	55622.00
		श्रमिक	06-07-2020	7280.00	
		श्रमिक	19-08-2020	4732.00	
		श्रमिक	22-09-2020	2730.00	
		बालू	22-09-2020	5880.00	
		श्रमिक	22-09-2020	2184.00	
		मिट्टी	22-09-2020	2038.00	
2-	सामुदायिक शौचालय निर्माण	मून ब्रिक्स	12-07-2020	73659.00	291278.00
		बालू	12-07-2020	7736.00	
		मिस्त्री	12-07-2020	1900.00	
		बालाजी एगो इण्टर प्रा०	12-07-2020	21990.00	
		तिवारी सीमेन्ट स्टोर	12-07-2020	43030.00	
		निखिल ट्रेडर्स	12-07-2020	19011.00	
		मिस्त्री	12-07-2020	3800.00	
		प्लम्बर	12-07-2020	10030.00	
		मिट्टी	12-07-2020	1033.00	
		बालाजी एगो इण्टर प्रा०	12-07-2020	15127.00	
		मिट्टी	12-07-2020	392.00	
		मिस्त्री	12-07-2020	1900.00	
		मून ब्रिक्स	12-07-2020	8788.00	
		बालू	12-07-2020	1092.00	
		बालाजी ब्रिक्स	12-07-2020	24532.00	
		तिवारी सीमेन्ट स्टोर	12-07-2020	5304.00	
		श्रमिक	19-08-2020	40864.00	
		मिस्त्री	19-08-2020	8360.00	
		श्रमिक	01-09-2020	2730.00	
3-	हरदेव लला स्थान पर मिट्टी पटाई	श्रमांश	01-10-2020	78189.00	154610.00
		मिट्टी	01-10-2020	60140.00	
		श्रमिक	13-10-2020	16281.00	
4-	मानदेय	प्रधान संजु मिश्रा	01-09-2020	17500.00	31500.00
		प्रधान संजु मिश्रा	20-12-2020	14000.00	
5-	हैण्डपम्प रिबोर	अनूप ट्रेडर्स	04-10-2020	16500.00	95282.00
		वर्मा लोहा भण्डार	04-10-2020	45847.00	
		श्रमांश	04-10-2020	32935.00	
6-	हैण्डपम्प मरम्मत	धीरज	04-10-2020	16500.00	29860.00
		धीरज	20-12-2020	13360.00	
7-	गुलरिया में हैण्डपम्प रिबोर	श्रमांश	01-11-2020	32935.00	95282.00
		अनूप ट्रेडर्स	01-11-2020	16500.00	
		वर्मा लोहा भण्डार	01-11-2020	45847.00	
8-	प्रा०वि० रूद्रपुर व आंगन बाड़ी केन्द्र में मिट्टी पटाई	अमित कुमार	12-11-2020	98000.00	98000.00
9-	प्रा०वि० धनापुरवा व आंगन बाड़ी केन्द्र में मिट्टी पटाई	श्रमांश	25-11-2020	24120.00	91700.00
		दिनेश	25-11-2020	67580.00	
10-	हैण्डपम्प रिबोर	अनूप ट्रेडर्स	30-06-2020	16500.00	95282.00

		वर्मा लोहा भण्डार	12-07-2020	45847.00	
		श्रमांश	13-07-2020	32935.00	
11-	अन्य स्वच्छता कार्य	आशीष	14-04-2020	18000.00	233559.00
	स्टेशनरी	आकाश	01-08-2020	2996.00	
	वॉल पेन्टिंग	राजकुमार ट्रेडर्स	01-09-2020	18000.00	
	प्रिंटर इंक	दयाल इन्फोसिस्टम	10-09-2020	3500.00	
	ठेलिया क्रय	मयंक बाथम	10-09-2020	16030.00	
	वॉल पेन्टिंग	राजकुमार ट्रेडर्स	22-09-2020	14800.00	
	फोटो कॉपी	आकाश	04-10-2020	2235.00	
	कुर्सी मेज क्रय	अग्रवाल सेल्स	09-10-2020	18774.00	
	डस्टबिन स्थापना	न्यू माँ वैष्णो ट्रेडर्स	09-10-2020	98820.00	
	स्टेशनरी/टाइप	आकाश	09-10-2020	4221.00	
	वॉल पेन्टिंग	प्रवीन कुमार पाण्डेय	14-10-2020	28200.00	
	पल्स ऑक्सीमीटर	साहनी इण्टर प्राइजेज	08-12-2020	2800.00	
	स्टेशनरी/टाइप	स्टेशनरी/टाइप	20-12-2020	5183.00	
	योग:-				1271975.00

राज्य वित्त/चौदहवें वित्त से दर्शित उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात् **₹ 1271975.00** का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 यहकि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगाकि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड-8(क) यहकि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है अतः कुल प्रमाणकविहीन व्यय **₹ 1271975.00** अधिभार योग्य है। जिसके लिए तत्कालीन **ग्राम प्रधान श्री संजू मिश्रा तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री नवल किशोर वर्मा** उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिसमें समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेखों तथा अनुमोदित कार्य योजना, इस्टीमेट, एम०बी०, प्रमाणकों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, टेण्डर/कोटेशन (यथास्थिति), कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, जिओ टैगिंग का प्रमाण, उक्त कार्यों में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों/नि०अंगूठों का सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) से सत्यापन, कार्य स्थल की तीन स्टेप की फोटोग्राफ, स्टॉक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट एवं बैंक स्टेटमेन्ट आदि न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित बराबर हिस्सों में करते हुए अपेक्षित प्रशासनिक और विधिक कार्यवाही **किया जाना अपेक्षित है।**

ग्राम पंचायत - मूड़ाखुर्द

विकास खण्ड - बिजुआ

वर्ष - 2020-21

प्रस्तर-344 ग्राम पंचायत **मूड़ाखुर्द** के आलोच्य वर्ष **2020-21** की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त/चौदहवें वित्त व पन्द्रहवें वित्त की संयुक्त कोषबही प्रस्तुत रही। कोषबही में राज्य वित्त में दर्शित निम्नलिखित व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख/पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। कोषबही में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है:-

क्र० सं०	कार्य का नाम	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि	योग
1-	रिचार्ज पिट निर्माण कार्य	श्रमिक व मिस्त्री	04-06-2020	7560.00	8652.00
			30-06-2020	1092.00	
	योग:-				8652.00

राज्य वित्त से दर्शित उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात् **₹ 8652.00** का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगाकि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड-8(क) यहकि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है अतः कुल प्रमाणकविहीन व्यय **₹ 8652.00** अधिभार योग्य है। जिसके लिए तत्कालीन **ग्राम प्रधान श्री रियासत अली तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री शिवाशीष श्रीवास्तव** उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिसमें समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेखों तथा अनुमोदित कार्य योजना, इस्टीमेट, एम०बी०, प्रमाणकों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, टेण्डर/कोटेशन (यथास्थिति), कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, जिओ टैगिंग का प्रमाण, उक्त कार्यों में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों/नि०अंगूठों का सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) से सत्यापन, कार्य स्थल की तीन स्टेप की फोटोग्राफ, स्टॉक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट एवं बैंक स्टेटमेन्ट आदि न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित बराबर हिस्सों में करते हुए अपेक्षित प्रशासनिक और विधिक कार्यवाही **किया जाना अपेक्षित है।**

प्रस्तर-345 ग्राम पंचायत **मूड़ाखुर्द** के आलोच्य वर्ष **2020-21** की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त/चौदहवें वित्त व पन्द्रहवें वित्त की संयुक्त कोषबही प्रस्तुत रही। कोषबही में चौदहवें वित्त से दर्शित निम्नलिखित व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख/पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। कोषबही में दर्शित व्यय निम्न विवरणानुसार है:-

क्र० सं०	कार्य का नाम	विवरण आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि	योग
1-	स्टेशनरी क्रय	प्रियांश कम्प्यूटर्स	05-06-2020	9000.00	13245.00
	फोटो कॉपी आदि	मोबीन कम्प्यूटर्स	11-11-2020	4245.00	
	योग:-				13245.00

राज्य वित्त/चौदहवें वित्त से दर्शित उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात् **रू० 13245.00** का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 यहकि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगाकि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड-8(क) यहकि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है अतः कुल प्रमाणकविहीन व्यय **रू० 13245.00** अधिभार योग्य है। जिसके लिए तत्कालीन **ग्राम प्रधान श्री रियासत अली तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री शिवाशीष श्रीवास्तव** उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिसमें समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेखों तथा अनुमोदित कार्य योजना, इस्तीमेट, एम०बी०, प्रमाणकों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, टेण्डर/कोटेशन (यथास्थिति), कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, जिओ टैगिंग का प्रमाण, उक्त कार्यों में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों/नि०अंगूठों का सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) से सत्यापन, कार्य स्थल की तीन स्टेप की फोटोग्राफ, स्टॉक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट एवं बैंक स्टेटमेन्ट आदि न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित बराबर हिस्सों में करते हुए अपेक्षित प्रशासनिक और विधिक कार्यवाही **किया जाना अपेक्षित है।**

ग्राम पंचायत – पसगवां

विकास खण्ड – पसगवां

वर्ष – 2020-21

प्रस्तर-346 ग्राम पंचायत **पसगवां** की वर्ष **2020-21** की लेखा परीक्षा हेतु इंटीमेशन प्रेषित किये गये जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख [मैनुअल कैशबुक, बैंक स्टेटमेन्ट, बिल बाउचर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, एम०बी०, इस्तीमेट, प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति आदि] लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में **रू० 1604086.00** ग्राम पंचायत में व्यय किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में मैनुअल कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण वर्ष 2020-21 में आय-व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। व्यय प्रमाणकों के लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह भी स्पष्ट नहीं हो सका कि किया गया व्यय नियमसंगत है अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में व्यय दर्शित **रू० 1604086.00** धनराशि अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्री राहुल कुमार, सचिव श्री रोहित कुमार** व अन्य सचिव, जो इस दौरान उक्त ग्राम पंचायत में पदस्थ रहे हों, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत प्रमाणकों [कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्तीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित कार्यावधि में किये गए व्यय के अनुसार समान किस्तों में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – चौबियापुर

विकास खण्ड – पसगवां

वर्ष – 2020-21

प्रस्तर-347 ग्राम पंचायत **चौबियापुर** की वर्ष **2020-21** की लेखा परीक्षा हेतु इंटीमेशन प्रेषित किये गये जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख [मैनुअल कैशबुक, बैंक स्टेटमेन्ट, बिल बाउचर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, एम०बी०, इस्तीमेट, प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति आदि] लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में **रू० 899680.00** ग्राम पंचायत में व्यय किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में मैनुअल कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण वर्ष 2020-21 में आय-व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। व्यय प्रमाणकों के लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह भी स्पष्ट नहीं हो सका कि किया गया व्यय नियमसंगत है अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में व्यय दर्शित **रु० 899680.00** धनराशि अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्री अनन्त राम, सचिव श्री ब्रह्म प्रकाश तिवारी** व अन्य सचिव, जो इस दौरान उक्त ग्राम पंचायत में पदस्थ रहे हों, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत प्रमाणकों [कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित कार्यावधि में किये गए व्यय के अनुसार समान किस्तों में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – अजवापुर

विकास खण्ड – पसगवां

वर्ष – 2020-21

प्रस्तर-348 ग्राम पंचायत **अजवापुर** की वर्ष **2020-21** की लेखा परीक्षा हेतु इंटीमेशन प्रेषित किये गये जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख [मैनुअल कैशबुक, बैंक स्टेटमेन्ट, बिल बाउचर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, एम०बी०, इस्टीमेट, प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति आदि] लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में रु० 863708.00 ग्राम पंचायत में व्यय किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में मैनुअल कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण वर्ष 2020-21 में आय-व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। व्यय प्रमाणकों के लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह भी स्पष्ट नहीं हो सका कि किया गया व्यय नियमसंगत है अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में व्यय दर्शित **रु० 863708.00** धनराशि अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्री देवी सरन, सचिव श्री ब्रह्म प्रकाश तिवारी** व अन्य सचिव, जो इस दौरान उक्त ग्राम पंचायत में पदस्थ रहे हों, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत प्रमाणकों [कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित कार्यावधि में किये गए व्यय के अनुसार समान किस्तों में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – पिपरीअजीज

विकास खण्ड – पसगवां

वर्ष – 2020-21

प्रस्तर-349 ग्राम पंचायत **पिपरी अजीज** की वर्ष **2020-21** की लेखा परीक्षा हेतु इंटीमेशन प्रेषित किये गये जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख [मैनुअल कैशबुक, बैंक स्टेटमेन्ट, बिल बाउचर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, एम०बी०, इस्टीमेट, प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति आदि] लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में रु० 701539.00 ग्राम पंचायत में व्यय किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में मैनुअल कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण वर्ष 2020-21 में आय-व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। व्यय प्रमाणकों के लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह भी स्पष्ट नहीं हो सका कि किया गया व्यय नियमसंगत है अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में व्यय दर्शित **रु० 701539.00** धनराशि अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्रीमती रामदुलारी, सचिव श्री ब्रह्म प्रकाश तिवारी** व अन्य सचिव, जो इस दौरान उक्त ग्राम पंचायत में पदस्थ रहे हों, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत प्रमाणकों [कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित कार्यावधि में किये गए व्यय के अनुसार समान किस्तों में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – नारायणपुर अहलाद

विकास खण्ड – पसगवां

वर्ष – 2020-21

प्रस्तर-350 ग्राम पंचायत **नारायणपुर अहलाद** की वर्ष **2020-21** की लेखा परीक्षा हेतु इंटीमेशन प्रेषित किये गये जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख [मैनुअल कैशबुक, बैंक स्टेटमेन्ट, बिल बाउचर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, एम०बी०, इस्टीमेट, प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति आदि] लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में रु० 874698.00 ग्राम पंचायत में व्यय किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में मैनुअल कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट प्रस्तुत

बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित कार्यावधि में किये गए व्यय के अनुसार समान किस्तों में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – उचौलिया

विकास खण्ड – पसगवां

वर्ष – 2020-21

प्रस्तर-356 ग्राम पंचायत उचौलिया की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा हेतु इंटीमेशन प्रेषित किये गये जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख [मैनुअल कैशबुक, बैंक स्टेटमेन्ट, बिल बाउचर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, एम०बी०, इस्टीमेट, प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति आदि] लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में ₹० 2393180.00 ग्राम पंचायत में व्यय किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में मैनुअल कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण वर्ष 2020-21 में आय-व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। व्यय प्रमाणकों के लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह भी स्पष्ट नहीं हो सका कि किया गया व्यय नियमसंगत है अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में व्यय दर्शित धनराशि ₹० 2393180.00 अधिभार योग्य है, जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती जीनत परवीन, सचिव श्री रजनीकान्त पाण्डेय व अन्य सचिव, जो इस दौरान उक्त ग्राम पंचायत में पदस्थ रहे हों, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत प्रमाणकों [कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित कार्यावधि में किये गए व्यय के अनुसार समान किस्तों में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – ककराही

विकास खण्ड – पसगवां

वर्ष – 2020-21

प्रस्तर-357 ग्राम पंचायत ककराही की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा हेतु इंटीमेशन प्रेषित किये गये जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख [मैनुअल कैशबुक, बैंक स्टेटमेन्ट, बिल बाउचर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, एम०बी०, इस्टीमेट, प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति आदि] लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में ₹० 1284049.00 ग्राम पंचायत में व्यय किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में मैनुअल कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण वर्ष 2020-21 में आय-व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। व्यय प्रमाणकों के लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह भी स्पष्ट नहीं हो सका कि किया गया व्यय नियमसंगत है अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में व्यय दर्शित धनराशि ₹० 1284049.00 अधिभार योग्य है, जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री सुधीर कुमार कनौजिया, सचिव श्री कौशल किशोर व अन्य सचिव, जो इस दौरान उक्त ग्राम पंचायत में पदस्थ रहे हों, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत प्रमाणकों [कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित कार्यावधि में किये गए व्यय के अनुसार समान किस्तों में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – किशुनपुरअजीत

विकास खण्ड – पसगवां

वर्ष – 2020-21

प्रस्तर-358 ग्राम पंचायत किशुनपुरअजीत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा हेतु इंटीमेशन प्रेषित किये गये जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख [मैनुअल कैशबुक, बैंक स्टेटमेन्ट, बिल बाउचर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, एम०बी०, इस्टीमेट, प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति आदि] लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में ₹० 1016736.00 ग्राम पंचायत में व्यय किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में मैनुअल कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण वर्ष 2020-21 में आय-व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। व्यय प्रमाणकों के लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह भी स्पष्ट नहीं हो सका कि किया गया व्यय नियमसंगत है अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त

अभिलेख उपलब्ध कराये। पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में व्यय दर्शित धनराशि **रु० 1016736.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्रीमती रजनीश कुमारी, सचिव श्री कौशल किशोर** व अन्य सचिव, जो इस दौरान उक्त ग्राम पंचायत में पदस्थ रहे हों, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत प्रमाणकों [कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित कार्यावधि में किये गए व्यय के अनुसार समान किस्तों में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – कटिघरा

विकास खण्ड – पसगवां

वर्ष – 2020-21

प्रस्तर-359 ग्राम पंचायत **कटिघरा** की वर्ष **2020-21** की लेखा परीक्षा हेतु इंटीमेशन प्रेषित किये गये जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख [मैनुअल कैशबुक, बैंक स्टेटमेन्ट, बिल बाउचर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, एम०बी०, इस्टीमेट, प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति आदि] लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में रु० 968365.00 ग्राम पंचायत में व्यय किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में मैनुअल कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण वर्ष 2020-21 में आय-व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। व्यय प्रमाणकों के लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह भी स्पष्ट नहीं हो सका कि किया गया व्यय नियमसंगत है अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में व्यय दर्शित धनराशि **रु० 968365.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्रीमती उमा देवी, सचिव श्री रोहित कुमार** व अन्य सचिव, जो इस दौरान उक्त ग्राम पंचायत में पदस्थ रहे हों, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत प्रमाणकों [कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित कार्यावधि में किये गए व्यय के अनुसार समान किस्तों में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – कोटरा

विकास खण्ड – पसगवां

वर्ष – 2020-21

प्रस्तर-360 ग्राम पंचायत **कोटरा** की वर्ष **2020-21** की लेखा परीक्षा हेतु इंटीमेशन प्रेषित किये गये जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख [मैनुअल कैशबुक, बैंक स्टेटमेन्ट, बिल बाउचर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, एम०बी०, इस्टीमेट, प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति आदि] लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में रु० 967436.00 ग्राम पंचायत में व्यय किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में मैनुअल कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण वर्ष 2020-21 में आय-व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। व्यय प्रमाणकों के लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह भी स्पष्ट नहीं हो सका कि किया गया व्यय नियमसंगत है अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में व्यय दर्शित धनराशि **रु० 967436.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्री रामऔतार, सचिव श्री विवेक वर्मा** व अन्य सचिव, जो इस दौरान उक्त ग्राम पंचायत में पदस्थ रहे हों, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत प्रमाणकों [कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित कार्यावधि में किये गए व्यय के अनुसार समान किस्तों में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – बचगवां

विकास खण्ड – पसगवां

वर्ष – 2020-21

प्रस्तर-361 ग्राम पंचायत **बचगवां** की वर्ष **2020-21** की लेखा परीक्षा हेतु इंटीमेशन प्रेषित किये गये जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख [मैनुअल कैशबुक, बैंक स्टेटमेन्ट, बिल बाउचर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, एम०बी०, इस्टीमेट,

जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित कार्यावधि में किये गए व्यय के अनुसार समान किस्तों में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – गौहनियाआलम विकास खण्ड – पसगवां वर्ष – 2020-21

प्रस्तर-364 ग्राम पंचायत गौहनियाआलम की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा हेतु इंटीमेशन प्रेषित किये गये जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख [मैनुअल कैशबुक, बैंक स्टेटमेन्ट, बिल बाउचर, कार्यपूति प्रमाणपत्र, एम०बी०, इस्टीमेट, प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति आदि] लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में ₹० 963557.00 ग्राम पंचायत में व्यय किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में मैनुअल कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण वर्ष 2020-21 में आय-व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। व्यय प्रमाणकों के लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह भी स्पष्ट नहीं हो सका कि किया गया व्यय नियमसंगत है अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में व्यय दर्शित धनराशि ₹० 963557.00 अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्रीमती मृगा देवी, सचिव श्री कौशल वर्मा** व अन्य सचिव, जो इस दौरान उक्त ग्राम पंचायत में पदस्थ रहे हों, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत प्रमाणकों [कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित कार्यावधि में किये गए व्यय के अनुसार समान किस्तों में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – ढढेल विकास खण्ड – पसगवां वर्ष – 2020-21

प्रस्तर-365 ग्राम पंचायत ढढेल की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा हेतु इंटीमेशन प्रेषित किये गये जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख [मैनुअल कैशबुक, बैंक स्टेटमेन्ट, बिल बाउचर, कार्यपूति प्रमाणपत्र, एम०बी०, इस्टीमेट, प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति आदि] लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में ₹० 1032239.00 ग्राम पंचायत में व्यय किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में मैनुअल कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण वर्ष 2020-21 में आय-व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। व्यय प्रमाणकों के लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह भी स्पष्ट नहीं हो सका कि किया गया व्यय नियमसंगत है अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में व्यय दर्शित धनराशि ₹० 1032239.00 अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्रीमती निशा, सचिव श्री गिरीश कुमार** व अन्य सचिव, जो इस दौरान उक्त ग्राम पंचायत में पदस्थ रहे हों, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत प्रमाणकों [कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित कार्यावधि में किये गए व्यय के अनुसार समान किस्तों में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – पकरिया विकास खण्ड – पसगवां वर्ष – 2020-21

प्रस्तर-366 ग्राम पंचायत पकरिया की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा हेतु इंटीमेशन प्रेषित किये गये जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख [मैनुअल कैशबुक, बैंक स्टेटमेन्ट, बिल बाउचर, कार्यपूति प्रमाणपत्र, एम०बी०, इस्टीमेट, प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति आदि] लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में ₹० 2197305.00 ग्राम पंचायत में व्यय किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में मैनुअल कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण वर्ष 2020-21 में आय-व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। व्यय प्रमाणकों के लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह भी स्पष्ट नहीं हो सका कि किया गया व्यय नियमसंगत है अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय

बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में व्यय दर्शित धनराशि **रु० 2197305.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्रीमती ऊषा देवी, सचिव श्री रजनीकान्त पाण्डेय** व अन्य सचिव, जो इस दौरान उक्त ग्राम पंचायत में पदस्थ रहे हों, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत प्रमाणकों [कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित कार्यावधि में किये गए व्यय के अनुसार समान किस्तों में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – फ़रियापकरिया विकास खण्ड – पसगवां वर्ष – 2020-21

प्रस्तर-367 ग्राम पंचायत **फ़रियापकरिया** की वर्ष **2020-21** की लेखा परीक्षा हेतु इंटीमेशन प्रेषित किये गये जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख [मैनुअल कैशबुक, बैंक स्टेटमेन्ट, बिल बाउचर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, एम०बी०, इस्टीमेट, प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति आदि] लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में रु० 980887.00 ग्राम पंचायत में व्यय किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में मैनुअल कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण वर्ष 2020-21 में आय-व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। व्यय प्रमाणकों के लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह भी स्पष्ट नहीं हो सका कि किया गया व्यय नियमसंगत है अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में व्यय दर्शित धनराशि **रु० 980887.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्री मुख्तार सिंह, सचिव श्री रजनीकान्त पाण्डेय** व अन्य सचिव, जो इस दौरान उक्त ग्राम पंचायत में पदस्थ रहे हों, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत प्रमाणकों [कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित कार्यावधि में किये गए व्यय के अनुसार समान किस्तों में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – बनिकागाँव विकास खण्ड – पसगवां वर्ष – 2020-21

प्रस्तर-368 ग्राम पंचायत **बनिकागाँव** की वर्ष **2020-21** की लेखा परीक्षा हेतु इंटीमेशन प्रेषित किये गये जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख [मैनुअल कैशबुक, बैंक स्टेटमेन्ट, बिल बाउचर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, एम०बी०, इस्टीमेट, प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति आदि] लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में रु० 2996887.00 ग्राम पंचायत में व्यय किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में मैनुअल कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण वर्ष 2020-21 में आय-व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। व्यय प्रमाणकों के लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह भी स्पष्ट नहीं हो सका कि किया गया व्यय नियमसंगत है अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में व्यय दर्शित धनराशि **रु० 2996887.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्रीमती रूही बेगम, सचिव श्री रजनीकान्त पाण्डेय** व अन्य सचिव, जो इस दौरान उक्त ग्राम पंचायत में पदस्थ रहे हों, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत प्रमाणकों [कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित कार्यावधि में किये गए व्यय के अनुसार समान किस्तों में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – बरखेरा विकास खण्ड – पसगवां वर्ष – 2020-21

प्रस्तर-369 ग्राम पंचायत **बरखेरा** की वर्ष **2020-21** की लेखा परीक्षा हेतु इंटीमेशन प्रेषित किये गये जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख [मैनुअल कैशबुक, बैंक स्टेटमेन्ट, बिल बाउचर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, एम०बी०, इस्टीमेट, प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति आदि] लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में

रू० 669844.00 ग्राम पंचायत में व्यय किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में मैनुअल कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण वर्ष 2020-21 में आय-व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। व्यय प्रमाणकों के लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह भी स्पष्ट नहीं हो सका कि किया गया व्यय नियमसंगत है अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में व्यय दर्शित धनराशि रू० 669844.00 अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्री अवधेश कुमार, सचिव श्री विवेक वर्मा** व अन्य सचिव, जो इस दौरान उक्त ग्राम पंचायत में पदस्थ रहे हों, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत प्रमाणकों [कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित कार्यावधि में किये गए व्यय के अनुसार समान किस्तों में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – बरखेरियाजाट

विकास खण्ड – पसगवां

वर्ष – 2020-21

प्रस्तर-370 ग्राम पंचायत **बरखेरियाजाट** की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा हेतु इंटीमेशन प्रेषित किये गये जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख [मैनुअल कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, बिल बाउचर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, एम०बी०, इस्टीमेट, प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति आदि] लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में रू० 1105288.00 ग्राम पंचायत में व्यय किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में मैनुअल कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण वर्ष 2020-21 में आय-व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। व्यय प्रमाणकों के लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह भी स्पष्ट नहीं हो सका कि किया गया व्यय नियमसंगत है अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में व्यय दर्शित धनराशि रू० 1105288.00 अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्री अब्दुल करीम, सचिव श्री रजनीकान्त पाण्डेय** व अन्य सचिव, जो इस दौरान उक्त ग्राम पंचायत में पदस्थ रहे हों, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत प्रमाणकों [कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित कार्यावधि में किये गए व्यय के अनुसार समान किस्तों में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – मानाखेड़ा

विकास खण्ड – पसगवां

वर्ष – 2020-21

प्रस्तर-371 ग्राम पंचायत **मानाखेड़ा** की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा हेतु इंटीमेशन प्रेषित किये गये जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख [मैनुअल कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, बिल बाउचर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, एम०बी०, इस्टीमेट, प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति आदि] लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में रू० 1922749.00 ग्राम पंचायत में व्यय किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में मैनुअल कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण वर्ष 2020-21 में आय-व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। व्यय प्रमाणकों के लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह भी स्पष्ट नहीं हो सका कि किया गया व्यय नियमसंगत है अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में व्यय दर्शित धनराशि रू० 1922749.00 अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्रीमती शहीना बेगम, सचिव श्री आजम अली** व अन्य सचिव, जो इस दौरान उक्त ग्राम पंचायत में पदस्थ रहे हों, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत प्रमाणकों [कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति

में उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित कार्यावधि में किये गए व्यय के अनुसार समान किस्तों में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – छोलाबारी विकास खण्ड – पसगवां वर्ष – 2020-21

प्रस्तर-372 ग्राम पंचायत छोलाबारी की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा हेतु इंटीमेशन प्रेषित किये गये जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख [मैनुअल कैशबुक, बैंक स्टेटमेन्ट, बिल बाउचर, कार्यपूति प्रमाणपत्र, एम०बी०, इस्टीमेट, प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति आदि] लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में ₹० 1339117.00 ग्राम पंचायत में व्यय किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में मैनुअल कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण वर्ष 2020-21 में आय-व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। व्यय प्रमाणकों के लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह भी स्पष्ट नहीं हो सका कि किया गया व्यय नियमसंगत है अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में व्यय दर्शित धनराशि ₹० 1339117.00 अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्रीमती सबीना, सचिव श्री गिरीश कुमार** व अन्य सचिव, जो इस दौरान उक्त ग्राम पंचायत में पदस्थ रहे हों, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत प्रमाणकों [कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित कार्यावधि में किये गए व्यय के अनुसार समान किस्तों में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – मैगलगंज विकास खण्ड – पसगवां वर्ष – 2020-21

प्रस्तर-373 ग्राम पंचायत मैगलगंज की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा हेतु इंटीमेशन प्रेषित किये गये जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख [मैनुअल कैशबुक, बैंक स्टेटमेन्ट, बिल बाउचर, कार्यपूति प्रमाणपत्र, एम०बी०, इस्टीमेट, प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति आदि] लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में ₹० 5022504.00 ग्राम पंचायत में व्यय किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में मैनुअल कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण वर्ष 2020-21 में आय-व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। व्यय प्रमाणकों के लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह भी स्पष्ट नहीं हो सका कि किया गया व्यय नियमसंगत है अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में व्यय दर्शित धनराशि ₹० 5022504.00 अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्रीमती मोनिका, सचिव श्री ब्रह्म प्रकाश तिवारी** व अन्य सचिव, जो इस दौरान उक्त ग्राम पंचायत में पदस्थ रहे हों, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत प्रमाणकों [कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित कार्यावधि में किये गए व्यय के अनुसार समान किस्तों में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – औरंगाबाद विकास खण्ड – पसगवां वर्ष – 2020-21

प्रस्तर-374 ग्राम पंचायत औरंगाबाद की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा हेतु इंटीमेशन प्रेषित किये गये जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख [मैनुअल कैशबुक, बैंक स्टेटमेन्ट, बिल बाउचर, कार्यपूति प्रमाणपत्र, एम०बी०, इस्टीमेट, प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति आदि] लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में ₹० 4488863.00 ग्राम पंचायत में व्यय किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में मैनुअल कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण वर्ष 2020-21 में आय-व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। व्यय प्रमाणकों के लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह भी स्पष्ट नहीं हो सका कि किया गया व्यय नियमसंगत है अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय

बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में व्यय दर्शित धनराशि **रु० 4488863.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्रीमती तबस्सुम बेगम, सचिव श्री रजनीकान्त पाण्डेय** व अन्य सचिव, जो इस दौरान उक्त ग्राम पंचायत में पदस्थ रहे हों, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत प्रमाणकों [कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित कार्यावधि में किये गए व्यय के अनुसार समान किस्तों में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – करमुलिया

विकास खण्ड – पसगवां

वर्ष – 2020-21

प्रस्तर-375 ग्राम पंचायत **करमुलिया** की वर्ष **2020-21** की लेखा परीक्षा हेतु इंटीमेशन प्रेषित किये गये जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख [मैनुअल कैशबुक, बैंक स्टेटमेन्ट, बिल बाउचर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, एम०बी०, इस्टीमेट, प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति आदि] लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में रु० 808256.00 ग्राम पंचायत में व्यय किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में मैनुअल कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण वर्ष 2020-21 में आय-व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। व्यय प्रमाणकों के लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह भी स्पष्ट नहीं हो सका कि किया गया व्यय नियमसंगत है अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में व्यय दर्शित धनराशि **रु० 808256.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्री नन्हे लाल, सचिव श्री आजम अली** व अन्य सचिव, जो इस दौरान उक्त ग्राम पंचायत में पदस्थ रहे हों, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत प्रमाणकों [कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित कार्यावधि में किये गए व्यय के अनुसार समान किस्तों में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – गलरई

विकास खण्ड – पसगवां

वर्ष – 2020-21

प्रस्तर-376 ग्राम पंचायत **गलरई** की वर्ष **2020-21** की लेखा परीक्षा हेतु इंटीमेशन प्रेषित किये गये जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख [मैनुअल कैशबुक, बैंक स्टेटमेन्ट, बिल बाउचर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, एम०बी०, इस्टीमेट, प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति आदि] लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में रु० 977249.00 ग्राम पंचायत में व्यय किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में मैनुअल कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण वर्ष 2020-21 में आय-व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। व्यय प्रमाणकों के लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह भी स्पष्ट नहीं हो सका कि किया गया व्यय नियमसंगत है अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में व्यय दर्शित धनराशि **रु० 977249.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्री सन्तोष कुमार, सचिव श्री रजनीकान्त पाण्डेय** व अन्य सचिव, जो इस दौरान उक्त ग्राम पंचायत में पदस्थ रहे हों, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत प्रमाणकों [कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित कार्यावधि में किये गए व्यय के अनुसार समान किस्तों में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – गुरुदेवखेड़ा

विकास खण्ड – पसगवां

वर्ष – 2020-21

प्रस्तर-377 ग्राम पंचायत **गुरुदेवखेड़ा** की वर्ष **2020-21** की लेखा परीक्षा हेतु इंटीमेशन प्रेषित किये गये जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख [मैनुअल कैशबुक, बैंक स्टेटमेन्ट, बिल बाउचर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, एम०बी०, इस्टीमेट, प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति आदि] लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में

रू० 988427.00 ग्राम पंचायत में व्यय किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में मैनुअल कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण वर्ष 2020-21 में आय-व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। व्यय प्रमाणकों के लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह भी स्पष्ट नहीं हो सका कि किया गया व्यय नियमसंगत है अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में व्यय दर्शित धनराशि रू० 988427.00 अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्रीमती इसरत जहाँ, सचिव श्री विवेक वर्मा** व अन्य सचिव, जो इस दौरान उक्त ग्राम पंचायत में पदस्थ रहे हों, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत प्रमाणकों [कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित कार्यावधि में किये गए व्यय के अनुसार समान किस्तों में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – सिसौरा सहमत विकास खण्ड – पसगवां वर्ष – 2020-21

प्रस्तर-378 ग्राम पंचायत **सिसौरा सहमत** की वर्ष **2020-21** की लेखा परीक्षा हेतु इंटीमेशन प्रेषित किये गये जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख [मैनुअल कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, बिल बाउचर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, एम०बी०, इस्टीमेट, प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति आदि] लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में रू० 1845169.00 ग्राम पंचायत में व्यय किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में मैनुअल कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण वर्ष 2020-21 में आय-व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। व्यय प्रमाणकों के लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह भी स्पष्ट नहीं हो सका कि किया गया व्यय नियमसंगत है अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में व्यय दर्शित धनराशि रू० 1845169.00 अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्रीमती मुशाहिदा बेगम, सचिव श्री रोहित कुमार** व अन्य सचिव, जो इस दौरान उक्त ग्राम पंचायत में पदस्थ रहे हों, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत प्रमाणकों [कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित कार्यावधि में किये गए व्यय के अनुसार समान किस्तों में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – सुनौरिया विकास खण्ड – पसगवां वर्ष – 2020-21

प्रस्तर-379 ग्राम पंचायत **सुनौरिया** की वर्ष **2020-21** की लेखा परीक्षा हेतु इंटीमेशन प्रेषित किये गये जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख [मैनुअल कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, बिल बाउचर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, एम०बी०, इस्टीमेट, प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति आदि] लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में रू० 771550.00 ग्राम पंचायत में व्यय किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में मैनुअल कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण वर्ष 2020-21 में आय-व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। व्यय प्रमाणकों के लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह भी स्पष्ट नहीं हो सका कि किया गया व्यय नियमसंगत है अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में व्यय दर्शित धनराशि रू० 771550.00 अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्रीमती सहारा खातून, सचिव श्री आजम अली** व अन्य सचिव, जो इस दौरान उक्त ग्राम पंचायत में पदस्थ रहे हों, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत प्रमाणकों [कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति

में उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित कार्यावधि में किये गए व्यय के अनुसार समान किस्तों में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – रतनपुर

विकास खण्ड – पसगवां

वर्ष – 2020-21

प्रस्तर-380 ग्राम पंचायत रतनपुर की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा हेतु इंटीमेशन प्रेषित किये गये जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख [मैनुअल कैशबुक, बैंक स्टेटमेन्ट, बिल बाउचर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, एम०बी०, इस्टीमेट, प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति आदि] लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में ₹० 1017983.00 ग्राम पंचायत में व्यय किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में मैनुअल कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण वर्ष 2020-21 में आय-व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। व्यय प्रमाणकों के लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह भी स्पष्ट नहीं हो सका कि किया गया व्यय नियमसंगत है अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में व्यय दर्शित धनराशि ₹० 1017983.00 अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्री पंकज कुमार, सचिव श्री ब्रह्म प्रकाश तिवारी** व अन्य सचिव, जो इस दौरान उक्त ग्राम पंचायत में पदस्थ रहे हों, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत प्रमाणकों [कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित कार्यावधि में किये गए व्यय के अनुसार समान किस्तों में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – भौनापुर

विकास खण्ड – पसगवां

वर्ष – 2020-21

प्रस्तर-381 ग्राम पंचायत भौनापुर की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा हेतु इंटीमेशन प्रेषित किये गये जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख [मैनुअल कैशबुक, बैंक स्टेटमेन्ट, बिल बाउचर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, एम०बी०, इस्टीमेट, प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति आदि] लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में ₹० 1128901.00 ग्राम पंचायत में व्यय किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में मैनुअल कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण वर्ष 2020-21 में आय-व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। व्यय प्रमाणकों के लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह भी स्पष्ट नहीं हो सका कि किया गया व्यय नियमसंगत है अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में व्यय दर्शित धनराशि ₹० 1128901.00 अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्री कृष्ण मुरारी शर्मा, सचिव श्री कुलदीप राठौर** व अन्य सचिव, जो इस दौरान उक्त ग्राम पंचायत में पदस्थ रहे हों, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत प्रमाणकों [कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित कार्यावधि में किये गए व्यय के अनुसार समान किस्तों में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – बाईकुआँ

विकास खण्ड – पसगवां

वर्ष – 2020-21

प्रस्तर-382 ग्राम पंचायत बाईकुआँ की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा हेतु इंटीमेशन प्रेषित किये गये जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख [मैनुअल कैशबुक, बैंक स्टेटमेन्ट, बिल बाउचर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, एम०बी०, इस्टीमेट, प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति आदि] लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में ₹० 1147460.00 ग्राम पंचायत में व्यय किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में मैनुअल कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण वर्ष 2020-21 में आय-व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। व्यय प्रमाणकों के लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह भी स्पष्ट नहीं हो सका कि किया गया व्यय नियमसंगत है अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय

बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में व्यय दर्शित धनराशि **रु० 1147460.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्रीमती श्यामकली, सचिव श्री ब्रह्म प्रकाश तिवारी** व अन्य सचिव, जो इस दौरान उक्त ग्राम पंचायत में पदस्थ रहे हों, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत प्रमाणकों [कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित कार्यावधि में किये गए व्यय के अनुसार समान किस्तों में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – सेमरा जानीपुर

विकास खण्ड – पसगवां

वर्ष – 2020-21

प्रस्तर-383 ग्राम पंचायत **सेमरा जानीपुर** की वर्ष **2020-21** की लेखा परीक्षा हेतु इंटीमेशन प्रेषित किये गये जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख [मैनुअल कैशबुक, बैंक स्टेटमेन्ट, बिल बाउचर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, एम०बी०, इस्टीमेट, प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति आदि] लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में रु० 252750.00 ग्राम पंचायत में व्यय किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में मैनुअल कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण वर्ष 2020-21 में आय-व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। व्यय प्रमाणकों के लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह भी स्पष्ट नहीं हो सका कि किया गया व्यय नियमसंगत है अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में व्यय दर्शित धनराशि **रु० 252750.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्री अरवन्दि कुमार सिंह, सचिव श्री रजनीकान्त पाण्डेय** व अन्य सचिव, जो इस दौरान उक्त ग्राम पंचायत में पदस्थ रहे हों, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत प्रमाणकों [कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित कार्यावधि में किये गए व्यय के अनुसार समान किस्तों में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – सिकटारा

विकास खण्ड – पसगवां

वर्ष – 2020-21

प्रस्तर-384 ग्राम पंचायत **सिकटारा** की वर्ष **2020-21** की लेखा परीक्षा हेतु इंटीमेशन प्रेषित किये गये जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख [मैनुअल कैशबुक, बैंक स्टेटमेन्ट, बिल बाउचर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, एम०बी०, इस्टीमेट, प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति आदि] लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में रु० 1174366.00 ग्राम पंचायत में व्यय किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में मैनुअल कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण वर्ष 2020-21 में आय-व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। व्यय प्रमाणकों के लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह भी स्पष्ट नहीं हो सका कि किया गया व्यय नियमसंगत है अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में व्यय दर्शित धनराशि **रु० 1174366.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्री ब्रजकिशोर, सचिव श्री रोहित कुमार** व अन्य सचिव, जो इस दौरान उक्त ग्राम पंचायत में पदस्थ रहे हों, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत प्रमाणकों [कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित कार्यावधि में किये गए व्यय के अनुसार समान किस्तों में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – जमुका

विकास खण्ड – पसगवां

वर्ष – 2020-21

प्रस्तर-385 ग्राम पंचायत **जमुका** की वर्ष **2020-21** की लेखा परीक्षा हेतु इंटीमेशन प्रेषित किये गये जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख [मैनुअल कैशबुक, बैंक स्टेटमेन्ट, बिल बाउचर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, एम०बी०, इस्टीमेट, प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति आदि] लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में

अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में व्यय दर्शित धनराशि **₹ 1411189.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्रीमती रामश्री, सचिव श्री कौशल किशोर** व अन्य सचिव, जो इस दौरान उक्त ग्राम पंचायत में पदस्थ रहे हों, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत प्रमाणकों [कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित कार्यावधि में किये गए व्यय के अनुसार समान किस्तों में किया जाना अपेक्षित है।

अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में व्यय दर्शित धनराशि **₹ 1430546.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्रीमती अनुराधा, सचिव श्री ब्रह्म प्रकाश तिवारी** व अन्य सचिव, जो इस दौरान उक्त ग्राम पंचायत में पदस्थ रहे हों, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत प्रमाणकों [कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित कार्यावधि में किये गए व्यय के अनुसार समान किस्तों में किया जाना अपेक्षित है।

अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में व्यय दर्शित धनराशि **रु० 542155.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्रीमती लिली धीरज सिंह, सचिव श्री ब्रह्म प्रकाश तिवारी** व अन्य सचिव, जो इस दौरान उक्त ग्राम पंचायत में पदस्थ रहे हों, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत प्रमाणकों (कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि) को प्रस्तुत नहीं किये

जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित कार्यावधि में किये गए व्यय के अनुसार समान किस्तों में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – मोहिउद्दीनपुर

विकास खण्ड – पसगवां

वर्ष – 2020-21

प्रस्तर-388 ग्राम पंचायत मोहिउद्दीनपुर की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा हेतु इंटीमेशन प्रेषित किये गये जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख [मैनुअल कैशबुक, बैंक स्टेटमेन्ट, बिल बाउचर, कार्यपूति प्रमाणपत्र, एम०बी०, इस्टीमेट, प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति आदि] लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में ₹० 1532887.00 ग्राम पंचायत में व्यय किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में मैनुअल कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण वर्ष 2020-21 में आय-व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। व्यय प्रमाणकों के लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह भी स्पष्ट नहीं हो सका कि किया गया व्यय नियमसंगत है अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में व्यय दर्शित धनराशि ₹० 1532887.00 अधिभार योग्य है, जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती शशि सिंह, सचिव श्री रोहित कुमार व अन्य सचिव, जो इस दौरान उक्त ग्राम पंचायत में पदस्थ रहे हों, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत प्रमाणकों [कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित कार्यावधि में किये गए व्यय के अनुसार समान किस्तों में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – बरतेर

विकास खण्ड – बेहजम

वर्ष – 2020-21

प्रस्तर-389 ग्राम पंचायत बरतेर के आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक और लिखित रूप से मूल अभिलेख माँगने के उपरान्त भी केवल कोषबही एवं बैंक स्टेटमेन्ट ही प्रस्तुत रहे। कोषबही में दर्शित व्यय की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। कोषबही में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है –

क्र० सं०	कार्य का नाम	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
1-	मुरली के मकान से मुन्नालाल के मकान तक इण्टर लॉकिंग रोड निर्माण	कनक इण्टर प्राइजेज	14-07-2020	64900.00
		कनक इण्टर प्राइजेज	14-07-2020	64900.00
		राइन टेडर्स	14-07-2020	38102.00
		मजदूरी	14-07-2020	32298.00
		दुर्गा ईट उद्योग	20-07-2020	44217.00
2-	प्रा०वि० सिसैया एवं बरतेर मल्टीपल हैण्डवॉश व आर०ओ० स्थापना	ओम इण्टर प्राइजेज	15-07-2020	29960.00
		ओम इण्टर प्राइजेज	15-07-2020	93869.00
		ओम इण्टर प्राइजेज	15-07-2020	93869.00
		ओम इण्टर प्राइजेज	15-07-2020	26302.00
3-	ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर कार्य	ओम इण्टर प्राइजेज	02-09-2020	77578.00
		मजदूरी	02-09-2020	21684.00
		ओम इण्टर प्राइजेज	07-10-2020	15000.00
4-	ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य	ओम इण्टर प्राइजेज	02-09-2020	45226.00
		दुर्गा ईट उद्योग	02-09-2020	56878.00
		न्यू ए०एस० टेडर्स	16-09-2020	79353.00
		मजदूरी	16-09-2020	53392.00
5-	प्रशासनिक व्यय	बालाजी कम्प्यूटर	02-09-2020	11080.00
		प्रियांशू कम्प्यूटर	02-09-2020	8420.00
		प्रियांशू कम्प्यूटर	24-03-2021	13500.00

6-	सराय में तिलक के मकान से छविराज के मकान तक इण्टर लॉकिंग रोड कार्य	दुर्गा ईट उद्योग	10-11-2020	31964.00
		राइन ट्रेडर्स	10-11-2020	12275.00
		कनक इण्टर प्राइजेज	10-11-2020	68274.00
		ओम इण्टर प्राइजेज	10-11-2020	12544.00
		मजदूरी	10-11-2020	22462.00
7-	सराय में लालाराम के मकान से दक्षिण आर०सी०सी० रोड तक इण्टर लॉकिंग निर्माण का०	दुर्गा ईट उद्योग	10-11-2020	32011.00
		राइन ट्रेडर्स	10-11-2020	12806.00
		कनक इण्टर प्राइजेज	10-11-2020	97947.00
		ओम इण्टर प्राइजेज	10-11-2020	17260.00
		मजदूरी	10-11-2020	26070.00
8-	पंचायत भवन मरम्मत	राइन ट्रेडर्स	16-11-2020	54252.00
		दुर्गा ईट उद्योग	16-11-2020	12499.00
		ओम इण्टर प्राइजेज	16-11-2020	57505.00
		मजदूरी	16-11-2020	60411.00
9-	सराय में शौचालय से सचिवालय तक इण्टर लॉकिंग रोड निर्माण	दुर्गा ईट उद्योग	14-12-2020	29169.00
		राइन ट्रेडर्स	14-12-2020	24533.00
		कनक इण्टर प्राइजेज	14-12-2020	71519.00
		मजदूरी	14-12-2020	25286.00
10-	सराय में नाहर पुलिया से शैलेन्द्र की टंकी तक खडन्जा निर्माण कार्य	दुर्गा ईट उद्योग	14-12-2020	105841.00
		मजदूरी	14-12-2020	34733.00
11-	सराय में मेन रोड से स्कूल शौचालय तक इण्टर लॉकिंग रोड निर्माण	दुर्गा ईट उद्योग	14-12-2020	39673.00
		कनक इण्टर प्राइजेज	14-12-2020	58877.00
		कनक इण्टर प्राइजेज	14-12-2020	51920.00
		राइन ट्रेडर्स	14-12-2020	32077.00
		मजदूरी	14-12-2020	32512.00
12-	पंचायत भवन में इण्टर लॉकिंग कार्य	गौरी ट्रेडर्स	24-03-2021	72688.00
		गौरी ट्रेडर्स	24-03-2021	21577.00
		गौरी ट्रेडर्स	24-03-2021	9925.00
		गौरी ट्रेडर्स	24-03-2021	76685.00
		गौरी ट्रेडर्स	24-03-2021	13260.00
		गौरी ट्रेडर्स	24-03-2021	2168.00
		मजदूरी	24-03-2021	28922.00
13-	पू०मा०वि० बरतेर में टाइल्स निर्माण कार्य	गौरी ट्रेडर्स	24-03-2021	22220.00
		गौरी ट्रेडर्स	24-03-2021	60038.00
		गौरी ट्रेडर्स	24-03-2021	20961.00
		गौरी ट्रेडर्स	24-03-2021	85398.00
		मजदूरी	24-03-2021	49161.00
14-	पंचायत भवन का सौन्दर्यीकरण	गौरी ट्रेडर्स	24-03-2021	50039.00
		गौरी ट्रेडर्स	24-03-2021	85137.00
		गौरी ट्रेडर्स	24-03-2021	20070.00
		गौरी ट्रेडर्स	24-03-2021	28585.00
		मजदूरी	24-03-2021	44550.00
15-	प्रा०वि० सरैया में बाउण्ड्री वॉल व गेट निर्माण	गौरी ट्रेडर्स	26-03-2021	47721.00
		गौरी ट्रेडर्स	26-03-2021	94030.00
		गौरी ट्रेडर्स	26-03-2021	47753.00
		भारत इण्टर प्राइजेज	28-03-2021	33436.00

		भारत इण्टर प्राइजेज	28-03-2021	30464.00
		भारत इण्टर प्राइजेज	28-03-2021	98083.00
		भारत इण्टर प्राइजेज	28-03-2021	20103.00
		मजदूरी	26-03-2021	16800.00
		मजदूरी	26-03-2021	33768.00
16-	सरेया में ट्रांसफार्मर से राजेन्द्र के घर तक खडन्जा कार्य	भारत इण्टर प्राइजेज	28-03-2021	51003.00
		भारत इण्टर प्राइजेज	28-03-2021	2259.00
		मजदूरी	28-03-2021	16452.00
योग:-				3078204.00

उक्त व्यय से सम्बन्धित कोषबही एवं बैंक स्टेटमेन्ट के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात् ₹ 3078204.00 का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड-8(क) यह कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल प्रमाणकविहीन व्यय ₹ 3078204.00 अधिभार योग्य है जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्री कमलेश कुमार तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अहमद हसन** उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिसमें समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेखों यथा स्टीमेट, एम०बी०, प्रमाणकों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, टेण्डर/कोटेशन (यथास्थिति) कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, जिओ टैगिंग का प्रमाण, उक्त कार्यों में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों/नि० अंगूठों का सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से सत्यापन, कार्य स्थल की तीन स्टेप की फोटोग्राफ, अनुमोदित कार्य योजना, स्टॉक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सों में किए जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

ग्राम पंचायत – साहेबगंज ग्रंट

विकास खण्ड – मोहम्मदी

वर्ष – 2020-21

प्रस्तर-390 ग्राम पंचायत साहेबगंज ग्रंट में वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में चतुर्थ राज्य वित्त के अन्तर्गत कराये गये निम्नलिखित कार्यों से सम्बन्धित कोई प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे सम्बन्धित विवरण निम्नानुसार है:-

क्र०सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि	भुगतान
1-	हैण्डपम्प रिबोर कार्य	29647400	97350.00	नवनीत ट्रेडर्स
			97820.00	वर्मा पाइप स्टोर
2-	हैण्डपम्प प्लेटफार्म मरम्मत कार्य	29648299	55000.00	मोहित इण्टर प्राइजेज
योग-			250170.00	

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि ₹ 250170.00 अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्रीमती अमरजीत कौर/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री शिवांशु गुप्ता** [ऑडिट ऑन लाइन के अनुसार] या अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक स्पष्टीकरण [कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गए व्यय के सापेक्ष निम्नानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – खंजननगर

विकास खण्ड – मितौली

वर्ष – 2020-21

प्रस्तर-391 ग्राम पंचायत खंजननगर में वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में इंटीमेशन प्रेषित किये जाने तथा अभिलेखों की मांग किये जाने पर भी ऑन लाइन कैशबुक के अतिरिक्त मैनुअल कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे पन्द्रहवें केन्द्र वित्त के अन्तर्गत प्राप्ति एवं व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। वर्ष 2020-21 में पन्द्रहवें केन्द्र वित्त के अन्तर्गत निम्नानुसार व्यय ई-ग्राम स्वराज के अनुसार दर्शित है:-

क्र० सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	खंजननगर में आंगनबाड़ी केन्द्र में टायल्स व मरम्मत कार्य	43631108	125130.00

2-	आदर्शनगर तिराहे से इण्टर लॉकिंग रोड तक मिट्टी-खडन्जा मरम्मत कार्य	43620407	235665.00
3-	आदर्शनगर में रामशंकर के घर से बिंदु की बाग तक नाली निर्माण कार्य	43623309	230400.00
4-	ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर कार्य	43468945	239600.00
5-	प्रशासनिक व्यय	43550030	69670.00
6-	आदर्शनगर में रामपाल के घर से बिंदु की बाग तक नाली निर्माण कार्य	43623602	230400.00
	योग-		1130865.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि **रु० 1130865.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्रीमती मालती देवी/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री मनोज कुमार** [ऑडिट ऑन लाइन के अनुसार] या अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक [कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गए व्यय के सापेक्ष निमयानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-392 ग्राम पंचायत **खंजननगर** में वर्ष **2020-21** की लेखा परीक्षा में इंटीमेशन प्रेषित किये जाने पर भी ऑन लाइन कैशबुक के अतिरिक्त मैनुअल कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे अन्त्येष्टि स्थल के निर्माण के अन्तर्गत प्राप्ति एवं व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। वर्ष 2020-21 में अन्त्येष्टि स्थल निर्माण के अन्तर्गत रु० 2516208.00 व्यय किया गया, जिससे सम्बन्धित प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि **रु० 2516208.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्रीमती मालती देवी/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री मनोज कुमार** [ऑडिट ऑन लाइन के अनुसार] या अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक [कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गए व्यय के सापेक्ष निमयानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-393 ग्राम पंचायत **खंजननगर** में वर्ष **2020-21** की लेखा परीक्षा में इंटीमेशन प्रेषित किये जाने तथा अभिलेखों की मांग किये जाने पर भी ऑन लाइन कैशबुक के अतिरिक्त मैनुअल कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे राज्य वित्त के अन्तर्गत प्राप्ति एवं व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। वर्ष 2020-21 में चतुर्थ राज्य वित्त के अन्तर्गत निम्नानुसार व्यय ई-ग्राम स्वराज के अनुसार दर्शित है-

क्र० सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	ग्राम मानदेय (अगस्त 2017 से नवम्बर 2020 तक)	43549608	140000.00
2-	मेन रोड से सुदामा देवी के घर तक खडन्जा कार्य	17031590	73920.00
	योग-		213920.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि **रु० 213920.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्रीमती मालती देवी/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री मनोज कुमार** [ऑडिट ऑन लाइन के अनुसार] या अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक [कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना,

कार्यपूति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गए व्यय के सापेक्ष निमयानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-394 ग्राम पंचायत खंजननगर में वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में इंटीमेशन प्रेषित किये जाने तथा अभिलेखों की मांग किये जाने पर भी ऑन लाइन कैशबुक के अतिरिक्त मैनुअल कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे चौदहवें केन्द्र वित्त के अन्तर्गत प्राप्ति एवं व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। वर्ष 2020-21 में चौदहवें केन्द्र वित्त के अन्तर्गत निम्नानुसार व्यय ई-ग्राम स्वराज के अनुसार दर्शित है-

क्र० सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर वॉल पेन्टिंग	43520919	19650.00
2-	यू०पी०एस० खंजननगर में बाउण्ड्री वॉल व गेट निर्माण कार्य	17031612	811162.00
3-	रामचरण के घर से चन्द्रमा के घर तक खडन्जा मरम्मत कार्य	17031637	170800.00
4-	चन्द्रिका के घर से मेन खडन्जा तक खडन्जा मरम्मत कार्य	17031638	178555.00
5-	ऊधौ के घर से पी०एस० तक नाली निर्माण कार्य	17031631	210755.00
6-	रमाशंकर निगम के घर से पुलिया तक नाली निर्माण कार्य	17031628	220338.00
7-	ऊधौ के घर से रामनाथ के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य	17031632	233366.00
8-	रामचरण के घर से मेन खडन्जा तक नाली निर्माण कार्य	17031636	209963.00
9-	पुलिया से भुवल के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य	17031629	242060.00
10-	शिवचरण के घर से पी०एस० तक नाली निर्माण	17031634	185027.00
11-	रामसरन के घर से फूलचन्द्र के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य	14031633	198726.00
12-	विशुनदयाल के घर से रामशंकर निगम के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य	17031630	227583.00
13-	ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय निर्माण	43516158	247602.00
14-	खंजननगर बाजार में मिट्टी पटाई कार्य	43556723	236550.00
15-	ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प मरम्मत	43386801	140130.00
16-	ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर जल निकासी हेतु ह्यूम पाइप क्रय	43387726	124500.00
	योग-		3656767.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि **रु० 3656767.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्रीमती मालती देवी/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री मनोज कुमार** [ऑडिट ऑन लाइन के अनुसार] या अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक [कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गए व्यय के सापेक्ष निमयानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - शिवपुरी

विकास खण्ड - मितौली

वर्ष - 2020-21

प्रस्तर-395 ई-ग्राम स्वराज के अनुसार ग्राम पंचायत शिवपुरी में वर्ष 2020-21 में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है-

क्र० सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	हैण्डपम्प मरम्मत	40322033	42180.00
2-	प्रधान मानदेय	42379994	21000.00
		37720783	17500.00
3-	शौचालय मरम्मत	42266357	80158.00
4-	कमरूद्दीन के मकान से जाकिर के मकान तक इण्टर लॉकिंग	45538418	234168.00
5-	पंचायत भवन मरम्मत/निर्माण	37723479	169437.00
6-	सरफद्दीन के मकान से छोटे के मकान तक इण्टर लॉकिंग	20605138	21464.00
7-	शिवपुरी में रिजवान के मकान से कमरूद्दीन के मकान तक इण्टर लॉकिंग	15019850	33360.00

8-	शब्बीर के मकान से अकबर के मकान तक इण्टर लॉकिंग	42269561	396584.00
9-	सामुदायिक शौचालय निर्माण	42400040	247487.00
10-	पा०एस० शिवपुरी में टायल्स निर्माण	42265922	102412.00
	योग-		1365750.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि **रु० 1365750.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्री बाबू अली/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री अमीर चन्द्र राना** [ऑडिट ऑन लाइन के अनुसार] या अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक [कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गए व्यय के सापेक्ष निमयानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - कस्ता

विकास खण्ड - मितौली

वर्ष - 2020-21

प्रस्तर-396 ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत कस्ता में पन्द्रहवें केन्द्र वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है-

क्र० सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	- -	37246845	3690.00
2-	नल रिबोर	44879567	170770.00
3-	कस्ता कालोनी में वीरपुर लिंक रोड से रामासरे के मकान तक मिट्टी खडन्जा निर्माण	45006187	232344.00
4-	सफाई किट	37254522	22350.00
5-	नल मरम्मत	44879572	200000.00
		44879931	25140.00
		37247568	209413.00
6-	सामुदायिक शौचालय निर्माण	41666714	221070.00
		42646425	26415.00
7-	कुर्सी-मेज खरीद	37246779	26300.00
8-	वॉल पेन्टिंग भुगतान	44879775	19710.00
		44879776	19250.00
9-	स्ट्रीट लाइट मरम्मत	37253237	123127.00
10-	प्राथमिक विद्यालय कस्ता में टायल्स निर्माण कार्य व कायाकल्प कार्य	41666476	206979.00
11-	पंचायत सचिवालय में विद्युतीकरण मरम्मत कार्य	37262686	5290.00
12-	पंचायत घर मरम्मत व रंगाई-पुताई	37262634	48444.00
13-	बेंच खरीद भुगतान	37255676	84975.00
	योग-		1645267.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि **रु० 1645267.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्रीमती शकीला बानो/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती नीरज प्रियदर्शिनी** [ऑडिट ऑन लाइन के अनुसार] या अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक [कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गए व्यय के सापेक्ष निमयानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-397 ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत कस्ता में पाँचवें राज्य वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है-

क्र० सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	प्रधान मानदेय	44879738	7000.00
2-	उच्च प्राथमिक विद्यालय में टायल्स निर्माण कार्य व कायाकल्प कार्य	37255539	248072.00
3-	कृषि कार्यो हेतु ग्राम पंचायत में ड्रिल मशीन खरीद	44879510	57000.00
4-	पंचायत सचिवालय में फर्श-टायल्स कार्य	41666576	161336.00
5-	कृषि कार्यो हेतु मल्चर खरीद	44879479	21116.00
	योग-		494524.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि **रु० 494524.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्रीमती शकीला बानो/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती नीरज प्रियदर्शिनी** [ऑडिट ऑन लाइन के अनुसार] या अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक [कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गए व्यय के सापेक्ष निमयानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-398 ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत कस्ता में चतुर्थ राज्य वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है-

क्र० सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	वॉल पेन्टिंग	14272190	10290.00
2-	हैण्डपम्प मरम्मत, चबूतरा मरम्मत	14272085	69343.00
		37255072	126569.00
3-	हैण्डपम्प रिबोर	37254769	114760.00
4-	कस्ता कालोनी में वीरपुर लिंक रोड से शिवराज के मकान तक मिट्टी खडन्जा निर्माण कार्य	14272147	244108.00
5-	कस्ता कालोनी में वीरपुर लिंक रोड से शिवराज के मकान तक मिट्टी खडन्जा निर्माण कार्य	14272151	232026.00
6-	कोरोना सम्बन्धित लेख तथा वॉल पेन्टिंग	14272190	19710.00
7-	प्रधान मानदेय	37246704	31500.00
8-	हाइड्रोलिक रिवेर्सिबल प्लफ बॉटम कृषि यन्त्र एग्रीकल्चर	44879524	205000.00
9-	मल्चर-7 पराली निपटान हेतु कृषि यन्त्र खरीद	44879472	123884.00
	योग-		1177190.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि **रु० 1177190.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्रीमती शकीला बानो/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती नीरज प्रियदर्शिनी** [ऑडिट ऑन लाइन के अनुसार] या अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक [कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गए व्यय के सापेक्ष निमयानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-399 ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत कस्ता में चौदहवें केन्द्र वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है-

क्र० सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	स्टेशनरी व फोटोकापी	42646535	1056.00
2-	संक्रमण काल में साफ-सफाई व चूना आदि छिड़काव कार्य	37247845	42200.00
3-	2 नग थर्मोमीटर व पल्स आक्सीमीटर	42646535	5590.00
	योग-		48846.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि ₹० 48846.00 अधिभार योग्य है, जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती शकीला बानो/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती नीरज प्रियदर्शिनी [ऑडिट ऑन लाइन के अनुसार] या अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक [कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गए व्यय के सापेक्ष निमयानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - रौतापुर

विकास खण्ड - मितौली

वर्ष - 2020-21

प्रस्तर-400 ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत रौतापुर में पन्द्रहवें केन्द्र वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है-

क्र० सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	हैण्डपम्प रिबोर	37407911	58200.00
		45123191	58110.00
2-	पंचायत भवन निर्माण	45131885	56560.00
3-	सामुदायिक शौचालय	37404751	230537.00
	योग-		403407.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि ₹० 403407.00 अधिभार योग्य है, जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती संतोषी देवी/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री विरेन्द्र सिंह [ऑडिट ऑन लाइन के अनुसार] या अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक [कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गए व्यय के सापेक्ष निमयानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-401 ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत रौतापुर में चतुर्थ राज्य वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है-

क्र० सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	हैण्डपम्प रिबोर	38488391	98500.00
2-	कोरोना वॉल पेन्टिंग	4787650	18340.00
3-	प्रधान मानदेय	37401813	35000.00
4-	स्टेशनरी पर्चेज	28775938	5000.00
	योग-		156840.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि **रु० 154840.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्रीमती संतोषी देवी/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री विरेन्द्र सिंह** [ऑडिट ऑन लाइन के अनुसार] या अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक (कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गए व्यय के सापेक्ष निमयानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-402 ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत रौतापुर में चौदहवें केन्द्र वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है-

क्र० सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	विनोद के मकान से रामचन्द्र के मकान तक इण्टर लॉकिंग	28774652	137665.00
		14156406	92878.00
2-	रामचन्द्र के मकान से रामस्वरूप भार्गव के मकान तक इण्टर लॉकिंग	28774557	228366.00
3-	कचयानी चौराहे से सोबरन के मकान तक इण्टर लॉकिंग	28774325	240451.00
4-	प्रशासनिक मद	42941479	19250.00
5-	बैंच पर्चेज	28772221	187000.00
6-	ह्यूम पाइप पर्चेज	14156424	84380.00
	योग-		989990.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि **रु० 989990.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्रीमती संतोषी देवी/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री विरेन्द्र सिंह** [ऑडिट ऑन लाइन के अनुसार] या अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक (कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गए व्यय के सापेक्ष निमयानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - रसूलपुर विकास खण्ड - मितौली वर्ष - 2020-21

प्रस्तर-403 ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत रसूलपुर में पन्द्रहवें केन्द्र वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है-

क्र० सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	ग्राम पंचायत में सार्वजनिक शौचालय	43226176	244192.00
2-	उ०प्रा०वि० कमालपुर में फर्श एवं टायल्स निर्माण	37464106	154153.00
3-	लिक रोड से श्यामलाल के मकान तक इण्टर लॉकिंग निर्माण	37749812	57319.00
	योग-		455664.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि **रु० 455664.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्रीमती देवकी/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री मनोज कुमार** [ऑडिट ऑन लाइन के अनुसार] या अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक [कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गए व्यय के सापेक्ष निमयानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-404 ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत **रसूलपुर** में **चतुर्थ राज्य वित्त** के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है-

क्र० सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	प्रधान मानदेय	42420166	38500.00
2-	स्टेशनरी	37463966	38942.00
3-	नल रिबोर 4 नग	37749151	126000.00
4-	हैण्डपम्प मरम्मत	37749112	65970.00
5-	लिंक रोड से श्यामलाल के मकान तक इण्टर लॉकिंग	37749812	114433.000
	योग-		383845.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि **रु० 383845.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्रीमती देवकी/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री मनोज कुमार** [ऑडिट ऑन लाइन के अनुसार] या अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक [कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गए व्यय के सापेक्ष निमयानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-405 ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत **रसूलपुर** में **चौदहवें केन्द्र वित्त** के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है-

क्र० सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	लिंक रोड से तपोवन के मकान तक इण्टर लॉकिंग	14837976	143433.00
2-	नन्दूलाल के मकान से प्यारेलाल के मकान तक इण्टर लॉकिंग	14837977	95818.00
3-	रतनू के मकान से धरमपाल के मकान तक इण्टर लॉकिंग	14837979	120037.00
4-	धरमपाल के मकान से आर०सी०सी० रोड तक इण्टर लॉकिंग निर्माण	14837980	88821.00
5-	नन्दलाल के मकान से शिवपूजन के मकान तक इण्टर लॉकिंग	14837978	50678.00
6-	ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाइट लगवाई	37749135	195000.00
7-	ह्यूम पाइप खरीद	37750103	178418.00
	योग-		872205.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि **रु० 872205.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्रीमती देवकी/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री मनोज कुमार** [ऑडिट ऑन लाइन के अनुसार] या अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक [कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गए व्यय के सापेक्ष निमयानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गए व्यय के सापेक्ष निमयानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – परसेहरा **विकास खण्ड – मितौली** **वर्ष – 2020-21**
प्रस्तर-406 ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत परसेहरा में चतुर्थ राज्य वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है-

क्र० सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	स्टेशनरी, फोटोकॉपी	41560432	1067.00
2-	पंचायत घर मरम्मत	14966013	64866.00
	योग-		65933.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि **रु० 65933.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्री रामपाल/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती नीरज प्रियदर्शिनी** [ऑडिट ऑन लाइन के अनुसार] या अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक (कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गए व्यय के सापेक्ष निमयानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-407 ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत परसेहरा में चौदहवें केन्द्र वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है-

क्र० सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	फाइल व फाइल सम्बन्धी स्टेशनरी	42638054	590.00
2-	वॉल पेन्टिंग	42638054	22500.00
3-	सामुदायिक शौचालय निर्माण	42631209	234992.00
	योग-		258082.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि **रु० 258082.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्री रामपाल/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती नीरज प्रियदर्शिनी** [ऑडिट ऑन लाइन के अनुसार] या अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक (कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गए व्यय के सापेक्ष निमयानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – जम्हौरा **विकास खण्ड – मितौली** **वर्ष – 2020-21**
प्रस्तर-408 ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत जम्हौरा में पन्द्रहवें केन्द्र वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है-

क्र० सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	नल मरम्मत	37144147	22810.00
2-	उच्च प्राथमिक विद्यालय मरम्मत कार्य	37147250	43520.00
3-	सामुदायिक शौचालय निर्माण	44718513	247485.00

4-	स्टेशनरी क्रय	37152680	1375.00
5-	प्रांवि० जम्हौरा में इण्टर लॉकिंग निर्माण	37149388	132087.00
	योग-		447277.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि **रु० 447277.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती नीरज प्रियदर्शिनी** [ऑडिट ऑन लाइन के अनुसार] या अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक (कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गए व्यय के सापेक्ष निमयानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-409 ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत जम्हौरा में चतुर्थ राज्य वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है-

क्र० सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	प्रधान मानदेय	37144402	21000.00
2-	वॉल पेन्टिंग	20484555	24000.00
	योग-		45000.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि **रु० 45000.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती नीरज प्रियदर्शिनी** [ऑडिट ऑन लाइन के अनुसार] या अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक (कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गए व्यय के सापेक्ष निमयानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-410 ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत जम्हौरा में चौदहवें केन्द्र वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है-

क्र० सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	फोटोकॉपी व स्टेशनरी	37145398	1722.00
	योग-		1722.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि **रु० 1722.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती नीरज प्रियदर्शिनी** [ऑडिट ऑन लाइन के अनुसार] या अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक (कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गए व्यय के सापेक्ष निमयानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – ककरहा**विकास खण्ड – मितौली****वर्ष – 2020-21**

प्रस्तर-411 ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत ककरहा में पन्द्रहवें केन्द्र वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है-

क्र० सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	हैण्डपम्प मरम्मत	42265007	40430.00
	योग-		40430.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि **रु० 40430.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्रीमती मनीषा यादव/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री राघवेंद्र प्रताप** [ऑडिट ऑन लाइन के अनुसार] या अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक (कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गए व्यय के सापेक्ष निमयानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-412 ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत ककरहा में चतुर्थ राज्य वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है-

क्र० सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	प्रधान मानदेय	42623367	38500.00
	योग-		38500.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि **रु० 38500.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्रीमती मनीषा यादव/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री राघवेंद्र प्रताप** [ऑडिट ऑन लाइन के अनुसार] या अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक (कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गए व्यय के सापेक्ष निमयानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-413 ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत ककरहा में चौदहवें केन्द्र वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है-

क्र० सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	ह्यूम पाइप क्रय	21049363	144000.00
2-	हैण्डपम्प मरम्मत	21049362	93030.00
3-	हैण्डपम्प रिबोर	21049361	236900.00
4-	हरिराम के मकान से नवनीज के मकान तक इण्टर लॉकिंग	15635288	50190.00
5-	राजेश के मकान से कौशल के मकान तक इण्टर लॉकिंग	15635347	31234.00
6-	विनीत के मकान से दुलारे के मकान तक इण्टर लॉकिंग निर्माण	15635315	28182.00
7-	आकस्मिक व्यय	42819609	22600.00
	योग-		606136.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित

समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि **रु० 606136.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्रीमती मनीषा यादव/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री राघवेन्द्र प्रताप**[ऑडिट ऑन लाइन के अनुसार] या अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक [कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गए व्यय के सापेक्ष निमयानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – कल्लियारामपुर विकास खण्ड – मितौली वर्ष – 2020-21

प्रस्तर-414 ग्राम पंचायत **कल्लियारामपुर** की लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन प्रेषित किये जाने तथा अभिलेखों की मांग किये जाने के बावजूद **वर्ष 2020-21** के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गए। कैशबुक, बैंक स्टेटमेन्ट व प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से ई-ग्राम स्वराज पर दर्शित उक्त ग्राम पंचायत के आय व व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी।

ई-ग्राम स्वराज के अनुसार **वर्ष 2020-21** में ग्राम पंचायत **कल्लियारामपुर** में **पन्द्रहवें केन्द्र वित्त** के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है-

क्र० सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	हैण्डपम्प मरम्मत	38391659	63050.00
2-	कम्प्यूटर कार्य	44520788	1050.00
3-	पंचायत भवन निर्माण कार्य	44063111	7132.00
	योग-		71232.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि **रु० 71232.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्री मनोहर लाल/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री राजेन्द्र प्रसाद**[ऑडिट ऑन लाइन के अनुसार] या अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक [कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गए व्यय के सापेक्ष निमयानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-415 ग्राम पंचायत **कल्लियारामपुर** की लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन प्रेषित किये जाने तथा अभिलेखों की मांग किये जाने के बावजूद **वर्ष 2020-21** के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गए। कैशबुक, बैंक स्टेटमेन्ट व प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से ई-ग्राम स्वराज पर दर्शित उक्त ग्राम पंचायत के आय व व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी।

ई-ग्राम स्वराज के अनुसार **वर्ष 2020-21** में ग्राम पंचायत **कल्लियारामपुर** में **चतुर्थ राज्य वित्त** के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है-

क्र० सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	बैंच स्थापना कार्य	14040184	77250.00
2-	हैण्डपम्प मरम्मत	20863394	32225.00
3-	प्रधान मानदेय	38352034	31500.00
4-	ह्यूम पाइप स्थापना	38352824	94391.00
5-	वाँल पेन्टिंग	38352891	24590.00
	योग-		259956.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि **रु० 259956.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्री मनोहर लाल/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री राजेन्द्र प्रसाद**[ऑडिट ऑन लाइन के अनुसार] या अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक [कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गए व्यय के सापेक्ष निमयानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-416 ग्राम पंचायत **कलियारामपुर** की लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन प्रेषित किये जाने तथा अभिलेखों की मांग किये जाने के बावजूद **वर्ष 2020-21** के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गए। कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट व प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से ई-ग्राम स्वराज पर दर्शित उक्त ग्राम पंचायत के आय व व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी।

ई-ग्राम स्वराज के अनुसार **वर्ष 2020-21** में ग्राम पंचायत **कलियारामपुर** में **पंचम राज्य वित्त** के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है-

क्र० सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	ह्यूम पाइप स्थापना	38391753	73111.00
2-	हैण्डपम्प रिबोर	38391776	29500.00
3-	हैण्डपम्प मरम्मत	44063081	28500.00
	योग-		131111.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि **रु० 131111.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्री मनोहर लाल/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री राजेन्द्र प्रसाद**[ऑडिट ऑन लाइन के अनुसार] या अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक [कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गए व्यय के सापेक्ष निमयानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-417 ग्राम पंचायत **कलियारामपुर** की लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन प्रेषित किये जाने तथा अभिलेखों की मांग किये जाने के बावजूद **वर्ष 2020-21** के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गए। कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट व प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से ई-ग्राम स्वराज पर दर्शित उक्त ग्राम पंचायत के आय व व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी।

ई-ग्राम स्वराज के अनुसार **वर्ष 2020-21** में ग्राम पंचायत **कलियारामपुर** में **चौदहवें केन्द्र वित्त** के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है-

क्र० सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	विज्ञप्ति प्रकाशन	42913953	6583.00
2-	सामुदायिक शौचालय निर्माण	20863400	44988.00
3-	कम्प्यूटर कार्य	44518474	6050.00
4-	प्रा०वि० रमपुरवा में शौचालय निर्माण	14040149	46019.00
	योग-		103640.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि **रु० 103640.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्री मनोहर लाल/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री राजेन्द्र प्रसाद**[ऑडिट ऑन लाइन के अनुसार] या अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक [कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गए व्यय के सापेक्ष निमयानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गए व्यय के सापेक्ष निमयानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – कलुआमोती

विकास खण्ड – मितौली

वर्ष – 2020-21

प्रस्तर-418 ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत कलुआमोती में पन्द्रहवें केन्द्र वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है-

क्र० सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	कोविड-19 के अन्तर्गत वॉल पेन्टिंग	37512395	18116.00
2-	स्टेशनरी	37473480	15520.00
3-	सामुदायिक शौचालय में समरसेबिल वाटर टंकी फिटिंग	44799609	31125.00
4-	सामुदायिक शौचालय निर्माण	42770311	246169.00
5-	ह्यूम पाइप खरीद	37473130	178760.00
6-	प्रधान मानदेय	37478729	28000.00
7-	हैण्डपम्प रिबोर	45446157	32100.00
8-	श्रीकृष्णा के मकान से सेवकराम के मकान तक मिट्टी-खडन्जा निर्माण	37475287	62929.00
	योग-		612719.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि **रु० 612719.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्रीमती ममता देवी/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री मनोज कुमार**[ऑडिट ऑन लाइन के अनुसार] या अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक [कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्तीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गए व्यय के सापेक्ष निमयानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-419 ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत कलुआमोती में चतुर्थ राज्य वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है-

क्र० सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	प्रधान मानदेय	38555120	39500.00
2-	हैण्डपम्प मरम्मत	37479910	87500.00
3-	मिशन कायाकल्प के तहत प्रा०वि० में मरम्मत व टायल्स निर्माण कार्य	38756672	200141.00
4-	पंचायत भवन मरम्मत कार्य	37513584	45867.00
5-	टंकी संचालन हेतु आपरेटर का मानदेय	42765693	22500.00
6-	हैण्डपम्प रिबोर	37473348	96300.00
7-	स्ट्रीट लाइट खरीद	37472738	69690.00
8-	फर्श एवं टायल्स निर्माण कार्य	21118250	34843.00
9-	सोलर लाइट मरम्मत कार्य	37479564	70300.00
	योग-		666641.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि **रु० 666641.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्रीमती ममता देवी/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री मनोज कुमार**[ऑडिट ऑन लाइन के अनुसार] या अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक [कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्तीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक

सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गए व्यय के सापेक्ष निमयानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-420 ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत कलुआमोती में चौदहवें केन्द्र वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है-

क्र० सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	पंचायत भवन मरम्मत कार्य	37513584	23901.00
2-	थर्मल स्केनिंग खरीद	15427303	7874.00
3-	पत्रे के मकान से रामस्वरूप के मकान तक मिट्टी-खडन्जा निर्माण कार्य	37475468	144643.00
4-	लालू अवस्थी के मकान से काशी प्रसाद के मकान तक इण्टर लॉकिंग निर्माण	37475645	243542.00
	योग-		419960.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करावें।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि ₹० 419960.00 अधिभार योग्य है, जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती ममता देवी/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री मनोज कुमार [ऑडिट ऑन लाइन के अनुसार] या अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक (कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गए व्यय के सापेक्ष निमयानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - मोहम्मदपुरनगरा विकास खण्ड - मितौली वर्ष - 2020-21

प्रस्तर-421 ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत मोहम्मदपुरनगरा में पन्द्रहवें केन्द्र वित्त के अन्तर्गत ₹० 602534 व्यय इन कार्यों पर किया गया है-

- 1- जी०पी०डी० ऑन लाइन फोटोकॉपी व स्टेशनरी क्रय
- 2- सामुदायिक शौचालय
- 3- पूर्व माध्यमिक विद्यालय गढ़ी इब्राहिमपुर में टायल्स निर्माण
- 4- प्राथमिक विद्यालय गढ़ी इब्राहिमपुर में टायल्स निर्माण कार्य
- 5- हैण्डपम्प मरम्मत
- 6- हैण्डपम्प चबूतरा

उपर्युक्त व्ययों से सम्बन्धित प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करावें।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।" अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि ₹० 602534.00 अधिभार योग्य है, जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती सरिता देवी/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती नीरज प्रियदर्शिनी [ऑडिट ऑन लाइन के अनुसार] व अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं।

समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गए व्यय के सापेक्ष निमयानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-422 ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत मोहम्मदपुरनगरा में चतुर्थ राज्य वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है-

क्र० सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	प्रधान मानदेय	37273296	21000.00
2-	नल मरम्मत	42699804	116870.00
3-	नल रिबोर	42695545	142480.00
4-	शिवभगवान से हीरा के मकान तक मिट्टी खडन्जा निर्माण	16473815	89912.00
	योग-		370262.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि **रु० 370262.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्रीमती सरिता देवी/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती नीरज प्रियदर्शिनी** [ऑडिट ऑन लाइन के अनुसार] या अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक [कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गए व्यय के सापेक्ष निम्नानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-423 ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत मोहम्मदपुरनगरा में चौदहवें केन्द्र वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है-

क्र० सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	मनीराम के मकान से पश्चिम खडन्जा तक मिट्टी-खडन्जा मरम्मत कार्य	16473851	51948.00
2-	हरीश के मकान से रूपम के मकान तक नाली निर्माण	16473808	95462.00
3-	ग्राम पंचायत में साफ-सफाई व्यवस्था हेतु सफाई किट-ठेलिया, झाड़ू, फावड़ा, चूना आदि क्रय	16473848	19780.00
	ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर बैठकों हेतु सामग्री दरा आदि क्रय		23860.00
	योग-		191050.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि **रु० 191050.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्रीमती सरिता देवी/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती नीरज प्रियदर्शिनी** [ऑडिट ऑन लाइन के अनुसार] या अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक [कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गए व्यय के सापेक्ष निम्नानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - चटौरा

विकास खण्ड - मिताली

वर्ष - 2020-21

प्रस्तर-424 ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत चटौरा में चतुर्थ राज्य वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है-

क्र० सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	प्रधान मानदेय	44070308	21000.00
	योग-		21000.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि **रु० 21000.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्रीमती कमला देवी/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती नीरज प्रियदर्शिनी** [ऑडिट ऑन लाइन के अनुसार] या अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक [कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गए व्यय के सापेक्ष निम्नानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गए व्यय के सापेक्ष निमयानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-425 ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत चटौरा में चौदहवें केन्द्र वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है-

क्र० सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	ह्यूम पाइप क्रय	20564133	96000.00
2-	हैण्डपम्प मरम्मत	20564139	46950.00
3-	हैण्डपम्प रिबोर	20564142	59000.00
4-	कुआँ मरम्मत	20564140	38340.00
5-	तेजराम के बग़र से मुरासा जाने वाले खडन्जे तक इण्टर लॉकिंग	3763938	51970.00
	योग-		292260.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि **रु० 292260.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्रीमती कमला देवी/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती नीरज प्रियदर्शिनी** [ऑडिट ऑन लाइन के अनुसार] या अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक [कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गए व्यय के सापेक्ष निमयानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - बजरखा

विकास खण्ड - मितौली

वर्ष - 2020-21

प्रस्तर-426 ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत बजरखा में पन्द्रहवें केन्द्र वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है-

क्र० सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	विभिन्न स्थानों पर नल रिबोर	37774539	56680.00
2-	नल मरम्मत	37774855	12350.00
3-	सामुदायिक शौचालय	44718395	123539.00
4-	वॉल पेन्टिंग तथा बैनर आदि कार्य	37776568	24990.00
5-	टेण्डर भुगतान	44718382	6583.00
	योग-		224142.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि **रु० 224142.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्री विक्रान्त गोस्वामी/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती नीरज प्रियदर्शिनी** [ऑडिट ऑन लाइन के अनुसार] या अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक [कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गए व्यय के सापेक्ष निमयानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-427 ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत बजरखा में चतुर्थ राज्य वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है-

क्र० सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	सामुदायिक शौचालय निर्माण	44718395	123946.00
2-	प्रधान मानदेय	37773832	63000.00
	योग-		186946.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि **रु० 186946.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्री विक्रान्त गोस्वामी/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती नीरज प्रियदर्शिनी** [ऑडिट ऑन लाइन के अनुसार] या अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक [कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गए व्यय के सापेक्ष निमयानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - कपासी

विकास खण्ड - मितौली

वर्ष - 2020-21

प्रस्तर-428 ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत कपासी में निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है-

क्र० सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	आकस्मिक व्यय	43051687	5650.00
2-	भानूप्रताप के मकान से कन्याकुमारी के मकान तक खडन्जा निर्माण	44933548	235867.00
3-	हैण्डपम्प मरम्मत	43036773	47400.00
4-	सामुदायिक शौचालय	43140630	240552.00
	योग-		529469.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि **रु० 529469.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्री रामसनेही/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी सुश्री रिन्तू** [ऑडिट ऑन लाइन के अनुसार] या अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक [कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गए व्यय के सापेक्ष निमयानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - पिपरझला

विकास खण्ड - मितौली

वर्ष - 2020-21

प्रस्तर-429 ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन प्रेषित किये जाने तथा अभिलेखों की मांग किये जाने के बावजूद वर्ष 2020-21 के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। कैशबुक, बैंक स्टेटमेन्ट व प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से ई-ग्राम स्वराज पर दर्शित उक्त ग्राम पंचायत के आय व व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी।

ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत पिपरझला में चतुर्थ राज्य वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है -

क्र० सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	प्रधान मानदेय	43958744	21000.00

	योग-	21000.00

लेखा परीक्षा में प्रधान मानदेय पंजिका, मैनुअल कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट प्रस्तुत नहीं की गयी, जिससे कितना मानदेय भुगतान किया गया और कितना मानदेय अभी देय है, की सही जानकारी ज्ञात नहीं हो सकी। ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। अभिलेख (कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट तथा मानदेय पंजिका) प्रस्तुत नहीं किये जाने से व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी, जिसके लिए प्रधान श्रीमती छवि मिश्रा व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती नीरज प्रियदर्शिनी उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत अभिलेख प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - कानाखेड़ा

विकास खण्ड - मितौली

वर्ष - 2020-21

प्रस्तर-430 ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत कानाखेड़ा में चतुर्थ राज्य वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है-

क्र० सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	प्रधान मानदेय	43065954	38500.00
2-	प्राथमिक विद्यालय कानाखेड़ा में टायल्स निर्माण	43065596	187680.00
3-	आर०सी०सी० रोड से नारायण लाल के घर तक इण्टर लॉकिंग रोड निर्माण	43065236	245282.00
4-	कानाखेड़ा में आर०सी०सी० रोड से बनवारीलाल के घर तक इ०लॉ० रोड निर्माण	43065306	239565.00
5-	स्लोगन व वॉल पेन्टिंग	43065981	19680.00
6-	ऊँची तलिया में रामपाल के घर से चौराहा रोड तक इण्टर लॉक रोड निर्माण	45162882	246232.00
7-	ऊँची तलिया में चेताराम के घर से राममूर्ति के घर तक इण्टर लॉक रोड निर्माण	45162854	246477.00
8-	ऊँची तलिया में रघुवीर के घर से ओमकार के घर तक इण्टर लॉक रोड निर्माण	45162829	241882.00
9-	ऊँची तलिया में छोटेलाल के घर से मोतीलाल के घर तक इण्टर लॉक रोड निर्माण	45162906	246931.00
10-	बैंच स्थापना	43066384	90000.00
11-	ह्यूम पाइप क्रय	43060666	91845.00
12-	डस्टबिन स्थापना/क्रय	43060046	90000.00
13-	पल्स ऑक्सीमीटर व थर्मल स्कैनर खरीद	38324698	7874.00
	योग-		1991948.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि **रु० 1991948.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्री श्याम सुन्दर/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह** [ऑडिट ऑन लाइन के अनुसार] या अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक [कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गए व्यय के सापेक्ष निम्नानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-431 ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत कानाखेड़ा में चौदहवें केन्द्र वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है-

क्र० सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	प्रशासनिक व्यय	43066087	8560.00
2-	हैण्डपम्प मरम्मत	43071084	49580.00
		43060545	48560.00
3-	फोटोकापी, स्टेशनरी, कम्प्यूटर डाटा फीडिंग	43066051	19350.00
4-	मोहम्मद के मकान से नियाम अली के मकान तक इण्टर लॉकिंग	43064501	243599.00
5-	सामुदायिक शौचालय	43062147	133665.00
6-	शिवकुमार के मकान से निजाम के मकान तक इण्टर लॉकिंग	43064572	349455.00
7-	बेहड़ा में पंकज के घर से खडन्जा तक इण्टर लॉकिंग रोड निर्माण	43064849	242580.00

8-	हैण्डपम्प रिबोर	43060289	145635.00
9-	पंचायत भवन निर्माण	44003610	9569.00
10-	यू०पी०एस० कानाखेड़ा में टायल्स निर्माण कार्य	43065731	227976.00
11-	बेहड़ा में तिलकराम के घर से ठाकुर प्रसाद के घर तक इण्टर लॉकिंग रोड नि०	43064790	235402.00
12-	तेजराम के घर से रामअवध के घर तक खडन्जा निर्माण	43065680	162101.00
13-	शईदपुर में लल्लूराम के मकान से रमेश के मकान तक इण्टर लॉकिंग कार्य	15724093	201541.00
	योग-		2077573.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि **रु० 2077573.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्री श्याम सुन्दर/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह** [ऑडिट ऑन लाइन के अनुसार] या अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक [कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गए व्यय के सापेक्ष निमयानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - देवमनिया विकास खण्ड - मितौली वर्ष - 2020-21

प्रस्तर-432 ग्राम पंचायत देवमनिया की लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन प्रेषित किये जाने तथा अभिलेखों की मांग किये जाने के बावजूद वर्ष 2020-21 के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। कैशबुक, बैंक स्टेटमेन्ट व प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से ई-ग्राम स्वराज पर दर्शित उक्त ग्राम पंचायत के आय व व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी।

ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत देवमनिया में पन्द्रहवें केन्द्र वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है-

क्र० सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	हैण्डपम्प मरम्मत	43566319	28500.00
	योग-		28500.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि **रु० 28500.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्री अखिलेश चौधरी/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री राजेन्द्र प्रसाद** [ऑडिट ऑन लाइन के अनुसार] या अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक [कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गए व्यय के सापेक्ष निमयानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-433 ग्राम पंचायत देवमनिया की लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन प्रेषित किये जाने तथा अभिलेखों की मांग किये जाने के बावजूद वर्ष 2020-21 के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। कैशबुक, बैंक स्टेटमेन्ट व प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से ई-ग्राम स्वराज पर दर्शित उक्त ग्राम पंचायत के आय व व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी।

ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत देवमनिया में चतुर्थ राज्य वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है-

क्र० सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	प्रधान मानदेय	43672529	38500.00
2-	वॉल पेन्टिंग	43678808	18312.00
3-	विज्ञप्ति	43672113	6583.00

4-	विभिन्न स्थानों पर कुआं मरम्मत	14891121	86342.00
	योग-		149737.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि **रु० 149737.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्री अखिलेश चौधरी/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री राजेन्द्र प्रसाद** [ऑडिट ऑन लाइन के अनुसार] या अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक [कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गए व्यय के सापेक्ष निम्नानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-434 ग्राम पंचायत **देवमनिया** की लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन प्रेषित किये जाने तथा अभिलेखों की मांग किये जाने के बावजूद वर्ष 2020-21 के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। कैशबुक, बैंक स्टेटमेन्ट व प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से ई-ग्राम स्वराज पर दर्शित उक्त ग्राम पंचायत के आय व व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी।

ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत **देवमनिया** में **चौदहवें केन्द्र वित्त** के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है-

क्र० सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	सामुदायिक टॉयलेट निर्माण	43568016	241071.00
2-	पी०एस० में टायल्स स्थापना	43672389	104177.00
3-	हैण्डपम्प मरम्मत	43566190	35500.00
	योग-		380748.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि **रु० 380748.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्री अखिलेश चौधरी/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री राजेन्द्र प्रसाद** [ऑडिट ऑन लाइन के अनुसार] या अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक [कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गए व्यय के सापेक्ष निम्नानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - भगौतीपुर

विकास खण्ड - मितौली

वर्ष - 2020-21

प्रस्तर-435 ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत **भगौतीपुर** में **पन्द्रहवें केन्द्र वित्त** के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है-

क्र० सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	हैण्डपम्प मरम्मत	42133188	36510.00
2-	पंचायत भवन निर्माण	44918063	83200.00
	योग-		119710.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि **रु० 119710.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता देवी/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री राघवेन्द्र प्रताप**

[ऑडिट ऑन लाइन के अनुसार] या अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक [कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गए व्यय के सापेक्ष निमयानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-436 ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत भगौतीपुर में चतुर्थ राज्य वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है-

क्र० सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	प्रधान मानदेय	42150206	24500.00
2-	हैण्डपम्प रिबोर	21237222	29600.00
	योग-		54100.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि **रु० 54100.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता देवी/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री राघवेन्द्र प्रताप** [ऑडिट ऑन लाइन के अनुसार] या अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक [कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गए व्यय के सापेक्ष निमयानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-437 ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत भगौतीपुर में चौदहवें केन्द्र वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है-

क्र० सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	अनिल के मकान से परिमल के मकान तक इण्टर लॉकिंग	13956774	26208.00
2-	जयचन्द्र के मकान से अरविन्द के मकान तक इण्टर लॉकिंग	13956775	18298.00
3-	अनिल के मकान से राधे के मकान तक इण्टर लॉकिंग	73956777	23156.00
4-	रोहित के मकान से इण्डिया मार्क हैण्डपम्प तक इण्टर लॉकिंग	13956773	23688.00
5-	हैण्डपम्प मरम्मत	28263656	31740.00
6-	आकस्मिक व्यय	42135136	16950.00
	योग-		140040.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि **रु० 140040.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता देवी/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री राघवेन्द्र प्रताप** [ऑडिट ऑन लाइन के अनुसार] या अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक [कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गए व्यय के सापेक्ष निमयानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - अमेठी

विकास खण्ड - मितौली

वर्ष - 2020-21

प्रस्तर-438 ग्राम पंचायत अमेठी की लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन प्रेषित किये जाने तथा अभिलेखों की मांग किये जाने के बावजूद वर्ष 2020-21 के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट व प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से ई-ग्राम स्वराज पर दर्शित उक्त ग्राम पंचायत के आय व व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी।

ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत अमेठी में पन्द्रहवें केन्द्र वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है-

क्र० सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	दाताराम के मकान से पी०एस० तक मिट्टी खडन्जा निर्माण	36951783	216536.00
2-	फोटोकापी व स्टेशनरी पर्वज	44718244	2873.00
	कोरोना सम्बन्धित लेख-लेखन व अन्य पेन्टिंग	44718244	23500.00
3-	ग्राम पंचायत में भल्लर के मकान से दीनबन्धू के मकान तक खडन्जा निर्माण	36889937	67333.00
4-	सामुदायिक शौचालय निर्माण	41667275	248716.00
	योग-		558958.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि **रु० 558958.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्रीमती नूरूल निशाँ/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती नीरज प्रियदर्शिनी** [ऑडिट ऑन लाइन के अनुसार] या अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक [कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गए व्यय के सापेक्ष निमयानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-439 ग्राम पंचायत अमेठी की लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन प्रेषित किये जाने तथा अभिलेखों की मांग किये जाने के बावजूद वर्ष 2020-21 के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। कैशबुक, बैंक स्टेटमेन्ट व प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से ई-ग्राम स्वराज पर दर्शित उक्त ग्राम पंचायत के आय व व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी।

ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत अमेठी में चतुर्थ राज्य वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है-

क्र० सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	प्रधान मानदेय	36937499	21000.00
2-	पंचायत भवन मरम्मत कार्य	14100955	64014.00
3-	हैण्डपम्प मरम्मत	36937662	112200.00
	योग-		197214.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि **रु० 197214.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्रीमती नूरूल निशाँ/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती नीरज प्रियदर्शिनी** [ऑडिट ऑन लाइन के अनुसार] या अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक [कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गए व्यय के सापेक्ष निमयानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-440 ग्राम पंचायत अमेठी की लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन प्रेषित किये जाने तथा अभिलेखों की मांग किये जाने के बावजूद वर्ष 2020-21 के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। कैशबुक, बैंक स्टेटमेन्ट व प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से ई-ग्राम स्वराज पर दर्शित उक्त ग्राम पंचायत के आय व व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी।

ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत अमेठी में चौदहवें केन्द्र वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है-

क्र० सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	फोटोकॉपी व स्टेशनरी	36937768	7174.00
2-	थर्मल स्कैनर, पल्स ऑक्सीमीटर, सेनीटाईजर आदि क्रय	36937768	4050.00
3-	कुर्सी-मेज-अलमारी क्रय	36937768	16906.00
	योग-		28130.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि **रु० 28130.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्रीमती नूरूल निशाँ/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती नीरज प्रियदर्शिनी** [ऑडिट ऑन लाइन के अनुसार] या अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक [कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गए व्यय के सापेक्ष निमयानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - साहपुर

विकास खण्ड - मितौली

वर्ष - 2020-21

प्रस्तर-441 ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत साहपुर में पन्द्रहवें केन्द्र वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है-

क्र० सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	सार्वजनिक शौचालय निर्माण	43342127	185599.00
	योग-		185599.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि **रु० 185599.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्रीमती प्रीतू ठाकुर/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री विरेन्द्र सिंह** [ऑडिट ऑन लाइन के अनुसार] या अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक [कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गए व्यय के सापेक्ष निमयानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-442 ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत साहपुर में चतुर्थ राज्य वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है-

क्र० सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	दिनेश के मकान से राजबहादुर के मकान तक खडन्जा मरम्मत	29036107	16738.00
2-	स्टेशनरी	29035375	25000.00
		15537928	10800.00
3-	प्रधान मानदेय	14309446	42000.00
4-	कोरोना वॉल पेन्टिंग	14309451	18284.00
	योग-		112822.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के

सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि **रु० 112822.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्रीमती प्रीतू ठाकुर/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री विरेन्द्र सिंह** [ऑडिट ऑन लाइन के अनुसार] या अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक [कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गए व्यय के सापेक्ष निमयानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-443 ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत साहूपुर में चौदहवें केन्द्र वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है-

क्र० सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	अर्जुनपुर में जगदीश के मकान से शोभाराम के मकान तक खडन्जा निर्माण	29044465	61320.00
2-	खेरहना में केदार सिंह के मकान से बलजीत बाबा स्थान तक खडन्जा निर्माण	29043945	75110.00
3-	हैण्डपम्प रिबोर	29037361	87135.00
4-	हैण्डपम्प रिबोर	14309511	87000.00
5-	ह्यूम पाइप पर्चेज	29035443	89400.00
6-	ह्यूम पाइप पर्चेज	14309452	84380.00
7-	हैण्डपम्प मरम्मत	14309449	98500.00
8-	हैण्डपम्प मरम्मत	14309510	90500.00
9-	प्रशासनिक मद पर भुगतान	37681546	19200.00
	योग-		692545.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि **रु० 692545.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्रीमती प्रीतू ठाकुर/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री विरेन्द्र सिंह** [ऑडिट ऑन लाइन के अनुसार] या अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक [कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गए व्यय के सापेक्ष निमयानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - भिरावांग्रंट विकास खण्ड - मितौली वर्ष - 2020-21
प्रस्तर-444 ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत भिरावांग्रंट में पन्द्रहवें केन्द्र वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है-

क्र० सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	हैण्डपम्प मरम्मत	42772748	29740.00
	योग-		29740.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि **रु० 29740.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्री राजेश कुमार/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री राघवेन्द्र प्रताप** [ऑडिट ऑन लाइन के अनुसार] या अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक [कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना,

कार्यपूति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गए व्यय के सापेक्ष निमयानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-445 ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत भिरावांग्रंट में चतुर्थ राज्य वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है-

क्र० सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	प्रधान मानदेय	42834969	24500.00
	योग-		24500.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि **रु० 24500.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्री राजेश कुमार/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री राघवेन्द्र प्रताप** [ऑडिट ऑन लाइन के अनुसार] या अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक [कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गए व्यय के सापेक्ष निमयानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-446 ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत भिरावांग्रंट में चौदहवें केन्द्र वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है-

क्र० सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	ह्यूम पाइप क्रय	29935254	192000.00
2-	हैण्डपम्प मरम्मत	29951341	48250.00
3-	4 नग थर्मल स्कैनर एण्ड ऑक्सीमीटर	29951381	22600.00
4-	चुरईपुरवा में रामपाल के मकान से छविनाथ के मकान तक खडन्जा निर्माण	42853734	100987.00
5-	चुरईपुरवा में राधे के मकान से काली रोड तक मिट्टी खडन्जा निर्माण	42853489	53859.00
6-	रामपुर में मेन रोड से पी०एस० गेट तक इण्टर लॉकिंग कार्य	14965846	476356.00
	योग-		894052.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि **रु० 894052.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्री राजेश कुमार/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री राघवेन्द्र प्रताप** [ऑडिट ऑन लाइन के अनुसार] या अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक [कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गए व्यय के सापेक्ष निमयानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - चौगानपुर

विकास खण्ड - मितौली

वर्ष - 2020-21

प्रस्तर-447 ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत चौगानपुर में पन्द्रहवें केन्द्र वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है-

क्र० सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	हैण्डपम्प मरम्मत	38231776	42225.00

2-	शिवकुमार के घर से नवल के घर तक खडन्जा निर्माण	42243330	212075.00
3-	मकरन्द के घर से तालाब तक नाली निर्माण	42243199	210082.00
	योग-		464382.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि **रु० 464382.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्रीमती गीता देवी/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री राजेन्द्र प्रसाद** [ऑडिट ऑन लाइन के अनुसार] या अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक (कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गए व्यय के सापेक्ष निमयानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-448 ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत चौगानपुर में चतुर्थ राज्य वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है-

क्र० सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	प्रधान मानदेय	38229327	31500.00
2-	विज्ञप्ति प्रकाशन	38230409	6583.00
3-	कोविड-19 किट, मास्क, सेनीटाईजर	44518156	6250.00
4-	पंचायत भवन निर्माण	44066832	204411.00
	योग-		248744.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि **रु० 248744.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्रीमती गीता देवी/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री राजेन्द्र प्रसाद** [ऑडिट ऑन लाइन के अनुसार] या अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक (कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गए व्यय के सापेक्ष निमयानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-449 ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत चौगानपुर में चौदहवें केन्द्र वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है-

क्र० सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	कम्प्यूटर कार्य	3851071	6000.00
2-	वॉल पेन्टिंग	38232133	34590.00
3-	हैण्डपम्प रिबोर	20693731	87135.00
4-	पी०एस० चौगानपुर में टायल्स निर्माण	20693721	61439.00
5-	सामुदायिक शौचालय निर्माण	20863480	246565.00
6-	इण्टर लॉकिंग सम्पर्क मार्ग से कच्छ तक इण्टर लॉकिंग रोड निर्माण	20693778	56905.00
7-	मेन गेट से पी०एस० तक इण्टर लॉकिंग रोड निर्माण	14709820	138429.00
8-	पी०एस०/यू०पी०एस० में बच्चों के बैठने हेतु बेंच	14709820	77250.00
9-	इण्टर लॉकिंग सम्पर्क मार्ग से रसोईघर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण	20693737	145130.00
10-	ह्यूम पाइप स्थापना	20693722	2500.00
	योग-		855943.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि **रु० 855943.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्रीमती गीता देवी/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री राजेन्द्र प्रसाद** [ऑडिट ऑन लाइन के अनुसार] या अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक (कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गए व्यय के सापेक्ष निमयानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – ग्रंट इनायतचीफ विकास खण्ड – मितौली वर्ष – 2020-21
प्रस्तर-450 ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत ग्रंट इनायतचीफ में पन्द्रहवें केन्द्र वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है-

क्र० सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	सामुदायिक टॉयलेट निर्माण	43167394	431513.00
2-	लक्ष्मननगर में पारस के घर से रामकेवल के घर तक इण्टर लॉकिंग रोड निर्माण	38480894	244118.00
3-	अवधपुर में विद्यालय के दक्षिण राजेश के घर तक मिट्टी-खडन्जा कार्य	38467113	199968.00
4-	पिपरा में राजकुमार के घर से तालाब तक यू टाइप नाली निर्माण कार्य	38466800	152924.00
5-	पी०एस० लक्ष्मननगर में स्कूल टायल्स निर्माण कार्य	38485150	25255.00
6-	वॉल पेन्टिंग	38487844	26106.00
7-	पी०एस० अवधपुर में मरम्मत कार्य	38501645	225685.00
8-	पी०एस० रथारा में टॉयलेट निर्माण	38484071	241207.00
9-	जी०पी० में सचिवालय मरम्मत व टायल्स स्थापना	38508253	179969.00
	योग-		1726745.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि **रु० 1726745.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्री रमेश चन्द्र/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री राजेन्द्र प्रसाद** [ऑडिट ऑन लाइन के अनुसार] या अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक (कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गए व्यय के सापेक्ष निमयानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-451 ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत ग्रंट इनायतचीफ में चतुर्थ राज्य वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है-

क्र० सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	डस्टबिन स्थापना	17059603	92000.00
2-	हैण्डपम्प मरम्मत	43172803	97700.00
3-	कम्प्यूटर कार्य	37598543	45590.00
4-	स्ट्रीट लाईट मरम्मत कार्य	38486062	98800.00
5-	रामनगर में चुन्नू के मकान से डचीद तक नाली निर्माण	38484193	94577.00
6-	ह्यूम पाइप स्थापना	38487907	95194.00
7-	सोकपिट निर्माण कार्य	44529727	155668.00
8-	प्रधान मानदेय	38485916	31500.00

9-	लक्ष्मननगर में रामकेवल के घर से परदेशी के घर तक इण्टर लॉकिंग रोड निर्माण	38483409	218994.00
10-	अवधपुर में सुखवीर के घर से दक्षिण मुन्नू के घर तक इण्टर लॉकिंग रोड निर्माण	38483671	249361.00
योग-			1179384.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि **रु० 1179384.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्री रमेश चन्द्र/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री राजेन्द्र प्रसाद** [ऑडिट ऑन लाइन के अनुसार] या अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक (कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि) को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गए व्यय के सापेक्ष निमयानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-452 ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत ग्रंट इनायतचीफ में पंचम राज्य वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है-

क्र० सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	लक्ष्मननगर में देवराज के घर से कल्लू के घर तक इण्टर लॉकिंग रोड निर्माण	38483472	238655.00
2-	लक्ष्मननगर में परदेशी के घर से देवराज के घर तक इण्टर लॉकिंग रोड निर्माण	38483444	239048.00
3-	हैण्डपम्प मरम्मत	44529705	63500.00
4-	मुन्नू के घर से भिर्गुन के घर तक इण्टर लॉकिंग रोड निर्माण	38483636	244670.00
योग-			785873.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि **रु० 785873.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्री रमेश चन्द्र/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री राजेन्द्र प्रसाद** [ऑडिट ऑन लाइन के अनुसार] या अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक (कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि) को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गए व्यय के सापेक्ष निमयानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-453 ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत ग्रंट इनायतचीफ में चौदहवें केन्द्र वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है-

क्र० सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	जी०पी०डी०पी० ऑन लाइन व स्टेशनरी खरीद	20899420	10500.00
2-	कोविड-19 किट, मास्क व सेनीटाईजर खरीद	44529742	6250.00
3-	लक्ष्मननगर में विनोद के घर से पारस के घर तक इण्टर लॉकिंग रोड निर्माण	38480801	248457.00
4-	कम्प्यूटर वर्क व फोटोकॉपी	38487844	5753.00
5-	अवधपुर में सड़क से जोखन के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य	38467305	107352.00
योग-			378312.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि **रु० 378312.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्री रमेश चन्द्र/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री राजेन्द्र प्रसाद** [ऑडिट ऑन लाइन के अनुसार] या अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक (कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गए व्यय के सापेक्ष निमयानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – अवगावां विकास खण्ड – मितौली वर्ष – 2020-21
प्रस्तर-454 ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत अवगावां में पन्द्रहवें केन्द्र वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है-

क्र० सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	सामुदायिक शौचालय निर्माण	41346149	224438.00
2-	ग्राम पंचायत में सचिवालय निर्माण	43171568	213509.00
3-	थर्मल स्कैनर व पल्स ऑक्सीमीटर क्रय	37594882	2750.00
4-	कुर्सी-मेज क्रय	41509917	26370.00
5-	नल मरम्मत	41510109	10057.00
	योग-		477124.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि **रु० 477124.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्रीमती मोनिका/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती नीरज प्रियदर्शिनी** [ऑडिट ऑन लाइन के अनुसार] या अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक (कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गए व्यय के सापेक्ष निमयानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-455 ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत अवगावां में चतुर्थ राज्य वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है-

क्र० सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	प्रधान मानदेय	43191999	24500.00
2-	हैण्डपम्प चबूतरा मरम्मत	43215150	22986.00
3-	हैण्डपम्प मरम्मत	43215150	61240.00
	योग-		108726.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि **रु० 108726.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्रीमती मोनिका/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती नीरज प्रियदर्शिनी** [ऑडिट ऑन लाइन के अनुसार] या अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक (कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गए व्यय के सापेक्ष निमयानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-456 ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत अवगावां में चौदहवें केन्द्र वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है-

क्र० सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	बृजेश के मकान से पवन के मकान तक मिट्टी खडन्जा कार्य	21112393	61688.00
2-	कोरोना सम्बन्धित वॉल पेन्टिंग	14040946	19710.00
3-	शैलेन्द्र के मकान से रोड तक नाली निर्माण	14040969	65704.00
4-	हरद्वारी के मकान से विश्राम के मकान तक नाली निर्माण	43176170	71109.00
5-	ह्यूम पाइप क्रय	14040962	20488.00
6-	हरद्वारी के मकान से विश्राम के मकान तक मिट्टी खडन्जा निर्माण कार्य	43175968	38379.00
	योग-		277078.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि **रु० 277078.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्रीमती मोनिका/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती नीरज प्रियदर्शिनी** [ऑडिट ऑन लाइन के अनुसार] या अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक [कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गए व्यय के सापेक्ष निमयानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - मुल्तानपुरग्रंट

विकास खण्ड - मितौली

वर्ष - 2020-21

प्रस्तर-457 ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत मुल्तानपुरग्रंट में पन्द्रहवें केन्द्र वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है-

क्र० सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	बेंच स्थापना	45426647	193125.00
2-	डस्टबिन स्थापना	45426613	94060.00
3-	कामता के मकान से पी०डब्लू०डी० रोड तक नाली निर्माण	37617781	83197.00
	योग-		370382.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि **रु० 370382.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्री सर्वेश कुमार/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री राजेन्द्र प्रसाद** [ऑडिट ऑन लाइन के अनुसार] या अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक [कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गए व्यय के सापेक्ष निमयानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-458 ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत मुल्तानपुरग्रंट में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अन्तर्गत पंचायत भवन निर्माण पर रु० 879235.00 व्यय किया गया, जिससे सम्बन्धित कोई प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण इस योजनान्तर्गत प्राप्त एवं व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि **रु० 879235.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्री सर्वेश कुमार/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री राजेन्द्र प्रसाद** [ऑडिट ऑन लाइन के अनुसार] या अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक (कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गए व्यय के सापेक्ष निमनानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-459 ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत **मुल्तानपुरग्रंट** में **चतुर्थ राज्य वित्त** के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है-

क्र० सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	वीरमपुर में पी०डब्लू०डी० रोड से इलियास के मकान तक इण्टर लॉकिंग	36720168	211342.00
2-	हैण्डपम्प मरम्मत	14708214	119760.00
3-	हैण्डपम्प मरम्मत	29337133	147830.00
4-	हैण्डपम्प मरम्मत	20566153	49000.00
5-	स्टेशनरी व्यय	29339640	9990.00
6-	ह्यूम पाइप पर्चेज	1899602	55420.00
7-	डस्टबिन पर्चेज	29337402	78370.00
8-	उच्च प्राथमिक विद्यालय में बेंच स्थापना	20566157	187000.00
9-	प्रशासनिक कार्य पर भुगतान	29339640	25000.00
	योग-		883712.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि **रु० 883712.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्री सर्वेश कुमार/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री राजेन्द्र प्रसाद** [ऑडिट ऑन लाइन के अनुसार] या अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक (कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गए व्यय के सापेक्ष निमनानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-460 ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत **मुल्तानपुरग्रंट** में **चौदहवें केन्द्र वित्त** के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है-

क्र० सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	पी०डब्लू०डी० रोड से रामस्वरूप के मकान तक इण्टर लॉकिंग	20566133	186591.00
2-	रामस्वरूप के मकान से कामता के मकान तक इण्टर लॉकिंग निर्माण	36726069	161703.00
3-	हैण्डपम्प रिबोर	4542632	256140.00
4-	हैण्डपम्प रिबोर	37566408	59000.00
5-	ह्यूम पाइप खरीद	29340171	78677.00
6-	वाल पेन्टिंग	9466819	18200.00
7-	स्टेशनरी	44682019	15225.00
8-	हैण्डपम्प मरम्मत	44682009	65500.00
	योग-		841036.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि **रु० 841036.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्री सर्वेश कुमार/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री राजेन्द्र प्रसाद** [ऑडिट ऑन लाइन के अनुसार] या अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक [कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गए व्यय के सापेक्ष निमयानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – लल्हौआ

विकास खण्ड – मितौली

वर्ष – 2020-21

प्रस्तर-461

ग्राम पंचायत **लल्हौआ** की लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन प्रेषित किये जाने तथा अभिलेखों की मांग किये जाने के बावजूद वर्ष 2020-21 के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। कैशबुक, बैंक स्टेटमेन्ट व प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से ई-ग्राम स्वराज पर दर्शित उक्त ग्राम पंचायत के आय व व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी।

ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत **लल्हौआ** में **पन्द्रहवें केन्द्र वित्त** के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है-

क्र० सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	आर०सी०सी० रोड निर्माण	37360119	156000.00
2-	हैण्डपम्प रिबोर	37368737	174900.00
	योग-		330900.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि **रु० 330900.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्री कन्हैया लाल/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री राघवेन्द्र प्रताप** [ऑडिट ऑन लाइन के अनुसार] या अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक [कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गए व्यय के सापेक्ष निमयानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-462

ग्राम पंचायत **लल्हौआ** की लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन प्रेषित किये जाने तथा अभिलेखों की मांग किये जाने के बावजूद वर्ष 2020-21 के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। कैशबुक, बैंक स्टेटमेन्ट व प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से ई-ग्राम स्वराज पर दर्शित उक्त ग्राम पंचायत के आय व व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी।

ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत **लल्हौआ** में **चतुर्थ राज्य वित्त** के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है-

क्र० सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	उ०प्रा०वि० लल्हौआ में माडल शौचालय निर्माण	37934284	236995.00
2-	प्रा०वि० नरवा में इण्टर लॉकिंग	20375506	247976.00
3-	प्रधान मानदेय	1676948	31500.00
4-	स्टेशनरी	14038455	4220.00
	योग-		520691.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि **रु० 520691.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्री कन्हैया लाल/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री राघवेन्द्र प्रताप** [ऑडिट ऑन लाइन के अनुसार] या अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक [कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गए व्यय के सापेक्ष निमयानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गए व्यय के सापेक्ष निमयानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-463 ग्राम पंचायत **लल्हौआ** की लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन प्रेषित किये जाने तथा अभिलेखों की मांग किये जाने के बावजूद वर्ष 2020-21 के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। कैशबुक, बैंक स्टेटमेन्ट व प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से ई-ग्राम स्वराज पर दर्शित उक्त ग्राम पंचायत के आय व व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी।

ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत **लल्हौआ** में चौदहवें केन्द्र वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है-

क्र० सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	हैण्डपम्प रिबोर	37935686	96000.00
2-	हैण्डपम्प रिबोर	14038421	80500.00
3-	प्रशासनिक व्यय	28415428	29000.00
	स्टेशनरी		5250.00
4-	कोरोना वॉल पेन्टिंग	20697932	18144.00
5-	हैण्डपम्प रिबोर	37937195	58300.00
	योग-		287194.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि **रु० 287194.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्री कन्हैया लाल/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री राघवेंद्र प्रताप** [ऑडिट ऑन लाइन के अनुसार] या अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक (कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गए व्यय के सापेक्ष निमयानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - करमानी

विकास खण्ड - मितौली

वर्ष - 2020-21

प्रस्तर-464 ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत **करमानी** में पन्द्रहवें केन्द्र वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है-

क्र० सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	कोविड वॉल पेन्टिंग	43743853	18144.00
2-	पंचायत भवन निर्माण	43762309	357701.00
3-	सामुदायिक शौचालय में समरसेबिल, वाटर फिटिंग कार्य	44806143	32090.00
4-	मनवापुर में मिथिलेश के मकान से महबूब के मकान तक मिट्टी खडन्जा कार्य	43760926	161320.00
5-	जगन्नाथ के मकान से रोड तक खडन्जा निर्माण कार्य	43797668	194568.00
	योग-		763823.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि **रु० 763823.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्रीमती सुधा देवी/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री मनोज कुमार** [ऑडिट ऑन लाइन के अनुसार] या अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक (कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गए व्यय के सापेक्ष निमयानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-465 ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत करमानी में चतुर्थ राज्य वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है-

क्र० सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	थर्मल स्कैनर	30968277	7874.00
2-	प्रधान मानदेय	30968129	56000.00
3-	पंचायत भवन निर्माण	43746488	211499.00
4-	कायाकल्प के तहत फर्श एवं टायल्स निर्माण	43762967	105466.00
5-	सामुदायिक शौचालय	43746488	164392.00
6-	स्टेशनरी	15766660	7650.00
	स्टेशनरी	43787116	26320.00
7-	हैण्डपम्प रिबोर	44806154	64200.00
8-	ह्यूम पाइप क्रय	43744233	89380.00
9-	स्ट्रीट लाईट	43750872	97500.00
10-	टेण्डर	44890366	3583.00
	स्टेशनरी	44890366	19200.00
	योग-		853064.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि **रु० 853064.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्रीमती सुधा देवी/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री मनोज कुमार** [ऑडिट ऑन लाइन के अनुसार] या अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक (कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि) को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गए व्यय के सापेक्ष निमयानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-466 ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत करमानी में चतुर्थ राज्य वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है-

क्र० सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	हैण्डपम्प मरम्मत	15766728	30450.00
2-	जगन्नाथ के मकान से रोड तक मिट्टी खडन्जा निर्माण कार्य	43760868	91203.00
	योग-		121653.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि **रु० 121653.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्रीमती सुधा देवी/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री मनोज कुमार** [ऑडिट ऑन लाइन के अनुसार] या अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक (कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि) को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गए व्यय के सापेक्ष निमयानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - दतेलीकलां

विकास खण्ड - मितौली

वर्ष - 2020-21

प्रस्तर-467 ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत दतेलीकलां में पन्द्रहवें केन्द्र वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है-

क्र० सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	हैण्डपम्प मरम्मत	37271929	63000.00
2-	सामुदायिक शौचालय	42582647	138302.00
	योग-		201302.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि **रु० 201302.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्रीमती जसवीर कौर/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती नीरज प्रियदर्शिनी** [ऑडिट ऑन लाइन के अनुसार] या अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक [कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गए व्यय के सापेक्ष निम्नानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-468 ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत दतेलीकलां में चतुर्थ राज्य वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है-

क्र० सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	प्रधान मानदेय	37271223	28000.00
2-	बैच खरीद भुगतान	42609238	123600.00
	योग-		151600.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि **रु० 151600.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्रीमती जसवीर कौर/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती नीरज प्रियदर्शिनी** [ऑडिट ऑन लाइन के अनुसार] या अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक [कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गए व्यय के सापेक्ष निम्नानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-469 ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत दतेलीकलां में चौदहवें केन्द्र वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है-

क्र० सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	स्टेशनरी, वॉल पेन्टिंग, टेण्डर	42629463	27352.00
	योग-		27352.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि **रु० 27352.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्रीमती जसवीर कौर/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती नीरज प्रियदर्शिनी** [ऑडिट ऑन लाइन के अनुसार] या अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक [कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गए व्यय के सापेक्ष निम्नानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गए व्यय के सापेक्ष निमयानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – कुसुमी

विकास खण्ड – मितौली

वर्ष – 2020-21

प्रस्तर-470 ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत कुसुमी में पन्द्रहवें केन्द्र वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है-

क्र० सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	अवधेश के मकान से मुरली के मकान तक नाली निर्माण	42943314	249545.00
2-	हैण्डपम्प मरम्मत	42933285	42920.00
3-	सामुदायिक शौचालय निर्माण	42939972	176024.00
	योग-		468489.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि **रु० 468489.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती प्रीती सिंह/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी सुश्री रितू [ऑडिट ऑन लाइन के अनुसार] या अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक [कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गए व्यय के सापेक्ष निमयानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-471 ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत कुसुमी में चतुर्थ राज्य वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है-

क्र० सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	आकस्मिक व्यय	42948779	5650.00
2-	प्रधान मानदेय	42960395	38500.00
3-	पंचायत भवन मरम्मत	45506033	90612.00
4-	ह्यूम पाइप खरीद	42936956	83380.00
	योग-		218142.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि **रु० 218142.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती प्रीती सिंह/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी सुश्री रितू [ऑडिट ऑन लाइन के अनुसार] या अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक [कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गए व्यय के सापेक्ष निमयानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-472 ई-ग्राम स्वराज के अनुसार वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत कुसुमी में चौदहवें केन्द्र वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है-

क्र० सं०	कार्य	वर्क आई०डी०	व्यय धनराशि
1-	कमलेश के मकान से इन्द्रपाल के मकान तक इण्टर लॉकिंग निर्माण	14708048	123186.00
2-	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य	14708049	236808.00

3-	पी०एस० सीताताली में इण्टर लॉकिंग निर्माण	42954349	159780.00
4-	पी०एस० कुसुमी में बाउण्ड्री वॉल निर्माण	42949237	196010.00
5-	कमल किशोर के मकान से सुशील के मकान तक नाली निर्माण	42941602	136451.00
6-	ह्यूम पाइप खरीद	42958890	97500.00
7-	हैण्डपम्प रिबोर	42934001	192600.00
8-	पी०सी० हिन्दूनगर में बाउण्ड्री वॉल निर्माण	42949623	404505.00
9-	स्वच्छता किट	42935670	49000.00
	योग-		1595840.00

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार, "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" पुनः लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार, "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय दर्शित धनराशि **रु० 1595840.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्रीमती प्रीती सिंह/प्रशासक व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी सुश्री रितू** [ऑडिट ऑन लाइन के अनुसार] या अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास चार्ज रहा है, उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक [कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, बिल-बाउचर, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की फोटो, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि] को प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों से कार्यावधि में किये गए व्यय के सापेक्ष निम्नानुसार उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – रोशननगर

विकास खण्ड – कुम्भी(गोला)

वर्ष – 2020-21

प्रस्तर-473 ग्राम पंचायत रोशननगर के आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में 15वें वित्त आयोग की केवल रोकड़ बही तथा बैंक स्टेटमेन्ट ही प्रस्तुत रहा। लेखा परीक्षा में बार-बार मौखिक और लिखित रूप से माँगने के उपरान्त भी रोकड़ बही में दर्शित व्यय की पुष्टि में कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत रोकड़ बही के अनुसार निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है –

क्र०सं०	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि	आहरणकर्ता
1-	हैण्डपम्प मरम्मत	07-09-2020	25000.00	डीवर्मा ट्रेडर्स डी०
2-	सूर्यपाल के मकान से रामरतन के मकान तक इण्टर लॉकिंग	03-12-2020	12864.00	श्रमांश
		03-12-2020	14300.00	कुनौठिया ईट उद्योग
3-	चन्द्रिका के मकान से रामरतन के मकान तक इण्टर लॉकिंग	27-09-2020	7534.00	मिट्टी ढुलाई
		27-09-2020	21744.00	अंसारी ट्रेडर्स
		27-09-2020	124114.00	जे० इण्टर प्राइजेज के०
		27-09-2020	30622.00	रियाजुल खान ईट भट्टा
		27-09-2020	25991.00	श्रमांश
4-	मुन्ना के मकान से राहुल के मकान तक इण्टर लॉकिंग	27-09-2020	1235.00	मिट्टी ढुलाई
		27-09-2020	3470.00	अंसारी ट्रेडर्स
		27-09-2020	22429.00	जे० इण्टर प्राइजेज के०
		27-09-2020	4266.00	श्रमांश
		27-09-2020	4228.00	रियाजुल खान ईट भट्टा
5-	लाला मास्टर के मकान से रामऔतार के मकान तक इण्टर लॉकिंग	27-09-2020	24487.00	श्रमांश
		27-09-2020	6025.00	मिट्टी ढुलाई
		27-09-2020	20242.00	अंसारी ट्रेडर्स
		27-09-2020	29861.00	रियाजुल खान ईट भट्टा
6-	राजेश व चन्द्रिका के मकान के बीच तालाब तक नाली निर्माण	27-09-2020	9022.00	श्रमांश
		27-09-2020	21256.00	
		27-09-2020	11391.00	श्रमांश
7-	हैण्डपम्प रिबोर	29-10-2020	41206.00	डीवर्मा ट्रेडर्स डी०

		29-10-2020	41206.00	डीवर्मा ट्रेडर्स डी०
		03-11-2020	35980.00	श्रमांश
		05-11-2020	17990.00	श्रमांश
		05-11-2020	41206.00	डीवर्मा ट्रेडर्स डी०
		06-11-2020	41206.00	डीवर्मा ट्रेडर्स डी०
		06-11-2020	17990.00	श्रमांश
8-	कलीम के मकान से रहीस के मकान तक नाली निर्माण	03-12-2020	15678.00	श्रमांश
		03-12-2020	16276.00	अंसारी ट्रेडर्स
		03-12-2020	36753.00	कुनौठिया ईट उद्योग
		03-12-2020	8400.00	श्रमांश
योग -			733972.00	

15वें वित्त आयोग मद में उक्त दर्शित व्यय से सम्बन्धित रोकड़ बही तथा बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात् ₹ 733972.00 का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 यह कि "ग्राम प्रधाना तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड-8(क) यहकि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है अतः कुल प्रमाणकविहीन व्यय **₹ 733972.00** अधिभार योग्य है। जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्री महेश तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री अजय कुमार राना** उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिसमें समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेखों यथा अनुमोदित कार्य योजना, इस्टीमेट, एम०बी०, प्रमाणकों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, टेण्डर/कोटेशन (यथास्थिति), कार्यपूति प्रमाण-पत्र, जिओ टैगिंग का प्रमाण, उक्त कार्यों में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों/नि०अंगूठों का सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) से सत्यापन, कार्य स्थल की तीन स्टेप की फोटोग्राफ, स्टॉक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, मानदेय रजिस्टर आदि न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सों में करते हुए अपेक्षित प्रशासनिक और विधिक कार्यवाही **किया जाना अपेक्षित है।**

प्रस्तर-474 ग्राम पंचायत रोशननगर के आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त/14वें वित्त आयोग की केवल रोकड़ बही तथा बैंक स्टेटमेंट ही प्रस्तुत रहा। लेखा परीक्षा में बार-बार मौखिक और लिखित रूप से माँगने के उपरान्त भी रोकड़ बही में दर्शित व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत रोकड़ बही के अनुसार निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है -

क्र०सं०	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि	आहरणकर्ता
1-	ह्यूम पाइप	18-04-2020	198000.00	डीवर्मा ट्रेडर्स डी०
2-	पेन्टिंग कार्य	27-04-2020	32750.00	डीवर्मा ट्रेडर्स डी०
3-	प्रधान मानदेय (माह मार्च 2020 से जुलाई 2020 तक)	18-09-2020	17500.00	श्री महेश प्रधान मानदेय
4-	सामुदायिक शौचालय निर्माण	19-05-2020	59166.00	रियाजुल हक ईट भट्टा
		19-05-2020	41173.00	अंसारी ट्रेडर्स
		19-05-2020	28028.00	श्रमांश
		19-05-2020	2864.00	मिट्टी ढुलाई
		19-05-2020	11550.00	श्रमांश
		21-05-2020	42079.00	राजकुमार हार्डवेयर
		29-05-2020	19500.00	डीवर्मा ट्रेडर्स डी०
5-	उच्च प्रा०वि० में टाइल्स निर्माण कार्य	03-12-2020	44800.00	राजकुमार हार्डवेयर
		03-12-2020	44800.00	राजकुमार हार्डवेयर
		03-12-2020	41887.00	श्रमांश
		03-12-2020	10144.00	कुनौठिया ईट उद्योग
		03-12-2020	67200.00	राजकुमार हार्डवेयर
		03-12-2020	35833.00	अंसारी ट्रेडर्स
6-	नसरुद्दीन के मकान से पेन्टेड रोड तक खडन्जा मरम्मत	03-12-2020	58249.00	कुनौठिया ईट उद्योग
		03-12-2020	15870.00	श्रमांश
		03-12-2020	9024.00	श्रमांश

		28-12-2020	30150.00	श्रमांश
7-	सूर्यपाल के मकान से रामसेवक के मकान तक नाली निर्माण	03-12-2020	6300.00	श्रमांश
		03-12-2020	15750.00	अंसारी टेडर्स
8-	प्रशासनिक व्यय	26-04-2020	10500.00	स्टेशनरी शुक्ला पुस्तक भण्डार
		06-11-2020	4500.00	स्टेशनरी शुक्ला पुस्तक भण्डार
		29-11-2020	1250.00	पल्स आक्सीमीटर गौर इंप्रा०
		29-11-2020	2800.00	थर्मल स्कैनर साहनी इंप्रा०
		28-11-2020	9500.00	स्टेशनरी शुक्ला पुस्तक भण्डार
	योग -		861167.00	

राज्य वित्त/14वें वित्त आयोग मद में उक्त दर्शित व्यय से सम्बन्धित रोकड़ बही तथा बैंक स्टेटमेन्ट के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात् ₹ 861167.00 का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 यह कि "ग्राम प्रधाना तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड-8(क) यहकि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल प्रमाणकविहीन व्यय ₹ 861167.00 अधिभार योग्य है। जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्री महेश तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री अजय कुमार राना** उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिसमें समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेखों यथा अनुमोदित कार्य योजना, इस्टीमेट, एम०बी०, प्रमाणकों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, टेण्डर/कोटेशन (यथास्थिति), कार्यपूति प्रमाण-पत्र, जिओ टैगिंग का प्रमाण, उक्त कार्यों में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों/नि०अंगूठों का सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) से सत्यापन, कार्य स्थल की तीन स्टेप की फोटोग्राफ, स्टॉक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, मानदेय रजिस्टर आदि न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सों में करते हुए अपेक्षित प्रशासनिक और विधिक कार्यवाही **किया जाना अपेक्षित है।**

ग्राम पंचायत - बहादुरगंज

विकास खण्ड - कुम्भी(गोला)

वर्ष - 2020-21

प्रस्तर-475 ग्राम पंचायत बहादुरगंज के आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में 15वें वित्त आयोग की केवल रोकड़ बही तथा बैंक स्टेटमेन्ट ही प्रस्तुत रहा। लेखा परीक्षा में बार-बार मौखिक और लिखित रूप से माँगने के उपरान्त भी रोकड़ बही में दर्शित व्यय की पुष्टि में कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत रोकड़ बही के अनुसार निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है -

क्र०सं०	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि	आहरणकर्ता
1-	हैण्डपम्प मरम्मत	22-12-2020	14900.00	सितारा हार्डवेयर एण्ड पेन्ट
		22-12-2020	46500.00	सितारा हार्डवेयर एण्ड पेन्ट
		24-12-2020	7126.00	राजीव इलेक्ट्रानिक एण्ड टेडर्स
2-	प्रधान मानदेय (जन0 20 से मार्च 20 तक)	25-04-2020	10500.00	कयूम बेग प्रधान
3-	सामुदायिक शौचालय निर्माण	30-08-2020	46471.00	अशन सीमेन्ट स्टोर
		30-08-2020	68875.00	गौरव ब्रिक फील्ड
		30-08-2020	31913.00	सितारा हार्डवेयर एण्ड पेन्ट
		17-09-2020	12250.00	वहीद मिस्त्री को मजदूरी
		17-09-2020	15840.00	जमाल खान को मजदूरी
		17-09-2020	15840.00	इज़हार खान को मजदूरी
4-	प्रहलाद के घर से पुरुषोत्तम के मकान तक खडन्जा निर्माण	10-11-2020	27738.00	गुलफाम के मजदूरी
		10-11-2020	8980.00	वहीद को मिट्टी हेतु
		10-11-2020	70350.00	गौरव ब्रिक फील्ड
		10-11-2020	48076.00	गौरव ब्रिक फील्ड
		10-11-2020	11550.00	इज़हार खान को मजदूरी
5-	पक्की रोड से अली अहमद के मकान तक नाली निर्माण	10-11-2020	34965.00	अशन सीमेन्ट स्टोर
		10-11-2020	58995.00	गौरव ब्रिक फील्ड
		10-11-2020	35775.00	कलीम खाँ मजदूरी
		10-11-2020	14450.00	इज़हार खाँ मिस्त्री

6-	रिचार्ज सोकपिट निर्माण	01-12-2020	5406.00	राजा ईट उद्योग
		01-12-2020	4515.00	राजा ट्रेडर्स
		01-12-2020	4547.00	राजा ट्रेडर्स
		01-12-2020	5504.00	राजा ईट उद्योग
7-	प्रशासनिक व्यय	15-06-2020	40250.00	खान ट्रेडर्स पेन्टिंग कार्य
		04-11-2020	6500.00	शुक्ला पुस्तक भण्डार स्टेशनरी
	योग -		647816.00	

15वें वित्त आयोग मद में उक्त दर्शित व्यय से सम्बन्धित रोकड़ बही तथा बैंक स्टेटमेन्ट के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात् ₹ 647816.00 का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 यह कि "ग्राम प्रधाना तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड-8(क) यहकि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है अतः कुल प्रमाणकविहीन व्यय **₹ 647816.00** अधिभार योग्य है। जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्री कयूम बेग तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री अजय कुमार राना** उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिसमें समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेखों यथा अनुमोदित कार्य योजना, इस्टीमेट, एम०बी०, प्रमाणकों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, टेण्डर/कोटेशन (यथास्थिति), कार्यपूति प्रमाण-पत्र, जिओ टैगिंग का प्रमाण, उक्त कार्यों में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों/नि०अंगूठों का सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) से सत्यापन, कार्य स्थल की तीन स्टेप की फोटोग्राफ, स्टॉक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, मानदेय रजिस्टर आदि न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सों में करते हुए अपेक्षित प्रशासनिक और विधिक कार्यवाही **किया जाना अपेक्षित है।**

प्रस्तर-476 ग्राम पंचायत **बहादुरगंज** के आलोच्य वर्ष **2020-21** की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त/14वें वित्त आयोग की केवल रोकड़ बही तथा बैंक स्टेटमेन्ट ही प्रस्तुत रहा। लेखा परीक्षा में बार-बार मौखिक और लिखित रूप से माँगने के उपरान्त भी रोकड़ बही में दर्शित व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत रोकड़ बही के अनुसार निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है -

क्र०सं०	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि	आहरणकर्ता
1-	हैण्डपम्प मरम्मत	06-09-2020	47000.00	सितारा हार्डवेयर एण्ड पेन्ट स्टोर
		24-12-2020	4300.00	राजीव इलेक्ट्रानिक एण्ड ट्रेडर्स
		24-12-2020	49875.00	राजीव इलेक्ट्रानिक एण्ड ट्रेडर्स
		24-12-2020	34845.00	राजीव इलेक्ट्रानिक एण्ड ट्रेडर्स
2-	प्रधान मानदेय	06-09-2020	28000.00	कयूम बेग प्रधान मानदेय माह जन० 20 से अगस्त 20 तक 08 माह (राज्य वित्त से)
		03-12-2020	10500.00	कयूम बेग प्रधान मानदेय माह सित० 20 से नव० 20 तक 03 माह (राज्य वित्त से)
3-	पक्की रोड से अफसर अली के मकान तक खडन्जा निर्माण	10-11-2020	13300.00	इजहार खान को मजदूरी
		10-11-2020	31557.00	जमाल खान को मजदूरी
		10-11-2020	9737.00	वहीद मिस्त्री को मजदूरी
		10-11-2020	46079.00	गौरव ब्रिक फील्ड
		10-11-2020	46079.00	गौरव ब्रिक फील्ड
		10-11-2020	46163.00	गौरव ब्रिक फील्ड
4-	मस्जिद के पास से शमीम बेग के मकान तक नाली निर्माण	03-12-2020	20206.00	अशन सीमेन्ट स्टोर
		03-12-2020	30235.00	जनता ब्रिक फील्ड
		03-12-2020	8400.00	कलीम खान मिस्त्री
		03-12-2020	16482.00	अख्तर मजदूरी
5-	पक्की रोड से मन्दिर तक खडन्जा नि०	12-12-2020	56280.00	जनता ब्रिक फील्ड
		12-12-2020	55112.00	जनता ब्रिक फील्ड

		12-12-2020	12250.00	गुलफाम मिस्त्री
		12-12-2020	23316.00	कलीम खान मजदूरी
		12-12-2020	7397.00	इजहार खान मिट्टी
6-	वृक्षारोपण	15-12-2020	50125.00	सलीम नर्सरी
7-	प्रशासनिक व्यय	25-04-2020	25260.00	कामेश वर्मा साफ सफाई
		10-08-2020	3000.00	अविनाश चन्द्र टेण्डर हेतु
		28-11-2020	1250.00	गौर इपल्स ऑक्सीमीटर प्रा०
		28-11-2020	2800.00	साहनी इथमेल स्कैनर प्रा०
		28-11-2020	13800.00	आयुष कम्प्यूटर
	योग -		693348.00	

राज्य वित्त/14वें वित्त आयोग मद में उक्त दर्शित व्यय से सम्बन्धित रोकड़ बही तथा बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात् ₹ 693348.00 का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 यह कि "ग्राम प्रधाना तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड-8(क) यहकि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल प्रमाणकविहीन व्यय **₹ 693348.00** अधिभार योग्य है। जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्री कयूम बेग तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री अजय कुमार राना** उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिसमें समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेखों यथा अनुमोदित कार्य योजना, इस्टीमेट, एम०बी०, प्रमाणकों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, टेण्डर/कोटेशन (यथास्थिति), कार्यपूति प्रमाण-पत्र, जिओ टैगिंग का प्रमाण, उक्त कार्यों में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों/नि०अंगूठों का सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) से सत्यापन, कार्य स्थल की तीन स्टेप की फोटोग्राफ, स्टॉक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, मानदेय रजिस्टर आदि न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सों में करते हुए अपेक्षित प्रशासनिक और विधिक कार्यवाही **किया जाना अपेक्षित है।**

ग्राम पंचायत - सेहरूआ

विकास खण्ड - कुम्भी(गोला)

वर्ष - 2020-21

प्रस्तर-477 ग्राम पंचायत **सेहरूआ** के आलोच्य वर्ष **2020-21** की लेखा परीक्षा में 15वें वित्त आयोग की रोकड़ बही तथा बैंक स्टेटमेंट ही प्रस्तुत रहा। लेखा परीक्षा में बार-बार मौखिक और लिखित रूप से माँगने के उपरान्त भी रोकड़ बही में दर्शित व्यय की पुष्टि में कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत रोकड़ बही के अनुसार निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है -

क्र०सं०	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि	आहरणकर्ता
1-	हैण्डपम्प मरम्मत	09-12-2020	55180.00	शमीम मशीनरी स्टोर
2-	पेन्टेड रोड से विजय के मकान तक नाली मरम्मत	27-12-2020	21000.00	श्रमांश
		27-12-2020	5829.00	श्रमांश
3-	सियाराम के मकान से मनोज के मकान तक नाली निर्माण	25-09-2020	63740.00	राजा ईट उद्योग
		25-09-2020	35175.00	श्रमांश
		25-09-2020	44074.00	किसान सेवा केन्द्र
		25-09-2020	15050.00	श्रमांश
4-	सी०सी० रोड से सबू के०सी० मकान तक खडन्जा	06-12-2020	60078.00	रियाजुल खान ईट भट्टा
		06-12-2020	3630.00	मिट्टी ढुलाई
		06-12-2020	18561.00	श्रमांश
5-	विसुभाष्कर के मकान से रजाउल्ला के मकान तक नाली निर्माण	06-12-2020	4200.00	श्रमांश
		06-12-2020	10782.00	राजा ट्रेडर्स
		06-12-2020	8442.00	श्रमांश
		06-12-2020	12915.00	रियाजुल खान ईट भट्टा
6-	पेन्टेड रोड से कब्रिस्तान तक खडन्जा निर्माण	06-12-2020	58756.00	रियाजुल खान ईट भट्टा
		06-12-2020	4957.00	मिट्टी ढुलाई
		06-12-2020	18561.00	श्रमांश

	योग -	440930.00	

15वें वित्त आयोग मद में उक्त दर्शित व्यय से सम्बन्धित रोकड़ बही तथा बैंक स्टेटमेन्ट के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात् ₹ 440930.00 का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 यह कि "ग्राम प्रधाना तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड-8(क) यहकि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है अतः कुल प्रमाणकविहीन व्यय **₹ 440930.00** अधिभार योग्य है। जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्रीमती आयशा तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री अजय कुमार राना** उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिसमें समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेखों यथा अनुमोदित कार्य योजना, इस्टीमेट, एम०बी०, प्रमाणकों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, टेण्डर/कोटेशन (यथास्थिति), कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, जिओ टैगिंग का प्रमाण, उक्त कार्यों में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों/नि०अंगूठों का सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) से सत्यापन, कार्य स्थल की तीन स्टेप की फोटोग्राफ, स्टॉक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, मानदेय रजिस्टर आदि न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सों में करते हुए अपेक्षित प्रशासनिक और विधिक कार्यवाही **किया जाना अपेक्षित है।**

प्रस्तर-478 ग्राम पंचायत **सेहरूआ** के आलोच्य वर्ष **2020-21** की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त/14वें वित्त आयोग की रोकड़ बही तथा बैंक स्टेटमेन्ट ही प्रस्तुत रहा। लेखा परीक्षा में बार-बार मौखिक और लिखित रूप से माँगने के उपरान्त भी रोकड़ बही में दर्शित व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत रोकड़ बही के अनुसार निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है -

क्र०सं०	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि	आहरणकर्ता
1-	हैण्डपम्प मरम्मत	07-07-2020	33770.00	डीवर्मा ट्रेडर्स डी०
		07-07-2020	25600.00	डीवर्मा ट्रेडर्स डी०
2-	प्रधान मानदेय	26-07-2020	21000.00	श्रीमती आयशा प्रधान मानदेय माह सित० 19 से फर० 20 तक 06 माह
		25-09-2020	21000.00	श्रीमती आयशा प्रधान मानदेय माह मार्च 20 से अगस्त 20 तक 06 माह
		29-11-2020	7000.00	श्रीमती आयशा प्रधान मानदेय माह सित० 20 से अक्टू० 20 तक 02 माह
		09-12-2020	3500.00	मानदेय माह नवम्बर 2020
3-	प्रा०वि० में इण्टर लॉकिंग कार्य	10-08-2020	41715.00	राजा ब्रिक फील्ड
		10-08-2020	127930.00	राजा इण्टर प्राइजेज
		10-08-2020	28106.00	किसान सेवा केन्द्र
		25-08-2020	3780.00	श्रमांश
		25-08-2020	3780.00	श्रमांश
		25-08-2020	4200.00	श्रमांश
		25-08-2020	6300.00	श्रमांश
		25-08-2020	4900.00	श्रमांश
		25-08-2020	7882.00	मिट्टी ढुलाई
		25-08-2020	6300.00	श्रमांश
		26-08-2020	1260.00	श्रमांश
4-	प्रकाश के मकान से कामता के मकान तक इण्टर लॉकिंग	31-08-2020	119416.00	राजा इण्टर प्राइजेज
		31-08-2020	7151.00	मिट्टी ढुलाई
		31-08-2020	22676.00	किसान सेवा केन्द्र
		31-08-2020	32651.00	राजा ब्रिक फील्ड
		07-09-2020	4020.00	श्रमांश
		07-09-2020	4200.00	श्रमांश
		07-09-2020	3850.00	श्रमांश
		07-09-2020	4221.00	श्रमांश

		07-09-2020	4020.00	श्रमांश
		07-09-2020	2613.00	श्रमांश
		07-09-2020	4020.00	श्रमांश
5-	प्रा०वि० में टाइल्स निर्माण कार्य	06-12-2020	22172.00	श्रमांश
		06-12-2020	7087.00	रियाजुल खान ईट भट्टा
		06-12-2020	96854.00	राजा ट्रेडर्स
		06-12-2020	21783.00	राजा ट्रेडर्स
		18-12-2020	5985.00	राजा ब्रिक फील्ड
		18-12-2020	11658.00	श्रमांश
		18-12-2020	5950.00	श्रमांश
6-	छोटेला के मकान से सोबरन के मकान तक नाली निर्माण	06-12-2020	23560.00	श्रमांश
		06-12-2020	21926.00	किसान सेवा केन्द्र
		06-12-2020	31884.00	रियाजुल खान ईट भट्टा
7-	सामुदायिक शौचालय निर्माण	09-12-2020	20100.00	श्रमांश
		09-12-2020	53189.00	शमीम मशीनरी स्टोर
		09-12-2020	67985.00	राजा ब्रिक फील्ड
		09-12-2020	10854.00	श्रमांश
		09-12-2020	79031.00	राजा ट्रेडर्स
		09-12-2020	16450.00	श्रमांश
8-	वृक्षारोपण	18-12-2020	49950.00	सलीम नर्सरी
9-	सी०सी० रोड से नईमुल्ला के मकान तक खडन्जा मरम्मत	18-12-2020	19497.00	श्रमांश
		18-12-2020	5883.00	मिट्टी दुलाई
		19-12-2020	43075.00	राजा ब्रिक फील्ड
		19-12-2020	10500.00	श्रमांश
10-	उ०प्रा०वि० में टाइल्स निर्माण कार्य	19-12-2020	21213.00	राजा ट्रेडर्स
		22-12-2020	69478.00	राजा ट्रेडर्स
11-	सी०सी० रोड से आजाद के मकान तक नाली निर्माण	27-12-2020	13334.00	राजा ट्रेडर्स
		27-12-2020	20974.00	राजा ब्रिक फील्ड
12-	पेन्टेड रोड से विजय के मकान तक नाली मरम्मत	27-12-2020	25041.00	राजा ब्रिक फील्ड
13-	हैण्डपम्प रिबोर	31-08-2020	118392.00	डीवर्मा ट्रेडर्स डी०
		07-09-2020	118392.00	डीवर्मा ट्रेडर्स डी०
14-	सोकपिट निर्माण	06-07-2020	31952.00	किसान सेवा केन्द्र
		06-07-2020	31684.00	राजा ब्रिक फील्ड
		06-07-2020	3100.00	श्रमांश
		07-07-2020	18560.00	श्रमांश
15-	प्रशासनिक व्यय	07-07-2020	9500.00	आयुष कम्प्यूटर
		08-07-2020	11200.00	स्टेशनरी शुक्ला पुस्तक भण्डार
		08-07-2020	23500.00	आर ट्रेडर्स कुर्सी मेज यस०
		14-08-2020	3000.00	टेण्डर हेतु
		29-11-2020	16700.00	आयुष कम्प्यूटर
		29-11-2020	1250.00	पल्स ऑक्सीमीटर गौर इ०प्रा०
		29-11-2020	2800.00	थर्मल स्कैनर साहनी इ०प्रा०
		09-12-2020	10106.00	स्टेशनरी शुक्ला पुस्तक भण्डार
		13-12-2020	4050.00	कोविड दवा छिड़काव
	योग -		1736460.00	

राज्य वित्त/14वें वित्त आयोग मद में उक्त दर्शित व्यय से सम्बन्धित रोकड़ बही तथा बैंक स्टेटमेन्ट के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात् रू० 1736460.00 का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 यह कि "ग्राम प्रधाना तथा सचिव ग्राम

पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड-8(क) यहकि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल प्रमाणकविहीन व्यय **रु० 1736460.00** अधिभार योग्य है। जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्रीमती आयशा तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री अजय कुमार राना** उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिसमें समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेखों यथा अनुमोदित कार्य योजना, इस्टीमेट, एम०बी०, प्रमाणकों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, टेण्डर/कोटेशन (यथास्थिति), कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, जिओ टैगिंग का प्रमाण, उक्त कार्यों में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों/नि०अंगूठों का सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) से सत्यापन, कार्य स्थल की तीन स्टेप की फोटोग्राफ, स्टॉक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, मानदेय रजिस्टर आदि न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सों में करते हुए अपेक्षित प्रशासनिक और विधिक कार्यवाही **किया जाना अपेक्षित है।**

ग्राम पंचायत – मिर्जापुरग्रंट

विकास खण्ड – कुम्भी(गोला)

वर्ष – 2020-21

प्रस्तर-479 ग्राम पंचायत **मिर्जापुरग्रंट** के आलोच्य वर्ष **2020-21** की लेखा परीक्षा में 15वें वित्त आयोग की रोकड़ बही तथा बैंक स्टेटमेंट ही प्रस्तुत रहा। लेखा परीक्षा में बार-बार मौखिक और लिखित रूप से माँगने के उपरान्त भी रोकड़ बही में दर्शित व्यय की पुष्टि में कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत रोकड़ बही के अनुसार निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है –

क्र०सं०	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि	आहरणकर्ता
1-	मिर्जापुर में उ०प्रा०वि० में इण्टर लॉकिंग कार्य	29-11-2020	26030.00	राजा ट्रेडर्स
		29-11-2020	6166.00	मिट्टी ढुलाई
		29-11-2020	54801.00	राजा इण्टर प्राइजेज
		29-11-2020	23115.00	श्रमांश
		29-11-2020	38437.00	राजा ईट उद्योग
		29-11-2020	54801.00	राजा इण्टर प्राइजेज
		29-11-2020	7350.00	श्रमांश
2-	दाताराम के मकान से बल्देव के मकान तक इण्टर लॉकिंग	27-12-2020	27746.00	राजा ईट उद्योग
		27-12-2020	4264.00	मिट्टी ढुलाई
		27-12-2020	74816.00	राजा इण्टर प्राइजेज
3-	हैण्डपम्प रिबोर	08-12-2020	41206.00	एम मशीनरी स्टोर ए०वी०
		08-12-2020	41206.00	एम मशीनरी स्टोर ए०वी०
		08-12-2020	41206.00	एम मशीनरी स्टोर ए०वी०
		08-12-2020	35980.00	श्रमांश
		08-12-2020	35980.00	श्रमांश
		08-12-2020	41206.00	एम मशीनरी स्टोर ए०वी०
4-	सोकपिट निर्माण	27-12-2020	52485.00	राजा ट्रेडर्स
		27-12-2020	15346.00	श्रमांश
5-	प्रशासनिक व्यय	07-10-2020	1000.00	स्टेशनरी शुक्ला पुस्तक भण्डार
	योग –		623141.00	

15वें वित्त आयोग मद में उक्त दर्शित व्यय से सम्बन्धित रोकड़ बही तथा बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात् रु० 623141.00 का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 यह कि "ग्राम प्रधाना तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड-8(क) यहकि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है अतः कुल प्रमाणकविहीन व्यय **रु० 623141.00** अधिभार योग्य है। जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्रीमती निर्मला देवी तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री अजय कुमार राना** उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिसमें समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेखों यथा अनुमोदित कार्य योजना, इस्टीमेट, एम०बी०, प्रमाणकों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, टेण्डर/कोटेशन (यथास्थिति), कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, जिओ टैगिंग का प्रमाण, उक्त कार्यों में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों/नि०अंगूठों का सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) से सत्यापन, कार्य स्थल की तीन स्टेप की फोटोग्राफ, स्टॉक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, मानदेय रजिस्टर आदि न प्राप्त होने पर

इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सों में करते हुए अपेक्षित प्रशासनिक और विधिक कार्यवाही **किया जाना अपेक्षित है।**

प्रस्तर-480 ग्राम पंचायत **मिर्जापुरग्रंट** के आलोच्य वर्ष **2020-21** की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त/14वें वित्त आयोग की रोकड़ बही तथा बैंक स्टेटमेंट ही प्रस्तुत रहा। लेखा परीक्षा में बार-बार मौखिक और लिखित रूप से माँगने के उपरान्त भी रोकड़ बही में दर्शित व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत रोकड़ बही के अनुसार निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है -

क्र०सं०	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि	आहरणकर्ता
1-	हैण्डपम्प मरम्मत	29-11-2020	22000.00	खान ट्रेडर्स
2-	पेन्टिंग कार्य	19-06-2020	40250.00	खान ट्रेडर्स
3-	प्रधान मानदेय	15-09-2020	17500.00	श्रीमती निर्मला देवी प्रधान मानदेय माह अप्रैल 20 से अगस्त 20 तक 05 माह
		15-09-2020	42000.00	श्रीमती निर्मला देवी प्रधान मानदेय माह अप्रैल 19 से मार्च 19 तक 12 माह
		29-11-2020	7000.00	श्रीमती निर्मला देवी प्रधान मानदेय माह सितम्बर 20 से अक्टूबर 20 तक 02 माह
4-	देवी स्थान पर चबूतरा निर्माण	09-06-2020	4306.00	श्रमांश
		09-06-2020	11430.00	श्रमांश
		09-06-2020	15170.00	राजा ट्रेडर्स
		09-06-2020	21237.00	राजा ईट उद्योग
		07-07-2020	15170.00	राजा ट्रेडर्स
		07-07-2020	21237.00	राजा ईट उद्योग
		07-07-2020	4306.00	श्रमांश
		26-10-2020	11430.00	श्रमांश
5-	नरेन्द्र के मकान से प्रमोद के मकान तक नाली निर्माण	31-08-2020	11317.00	राजा ट्रेडर्स
		31-08-2020	20833.00	राजा ट्रेडर्स
		31-08-2020	18231.00	राजा ईट उद्योग
		31-08-2020	122609.00	राजा इण्टर प्राइजेज
		31-08-2020	25016.00	राजा ईट उद्योग
		26-10-2020	14049.00	श्रमांश
6-	श्रीराम के मकान से श्रीकृष्णा के मकान तक इण्टर लॉकिंग	11-09-2020	23193.00	राजा ट्रेडर्स
		11-09-2020	7219.00	मिट्टी ढुलाई
		11-09-2020	117650.00	राजा इण्टर प्राइजेज
		11-09-2020	33889.00	राजा ईट उद्योग
		23-10-2020	27145.00	श्रमांश
7-	जयराम के मकान से चुन्नी के मकान तक इण्टर लॉकिंग	11-09-2020	31084.00	राजा ईट उद्योग
		11-09-2020	9913.00	मिट्टी ढुलाई
		11-09-2020	137458.00	राजा इण्टर प्राइजेज
		11-09-2020	41059.00	राजा ट्रेडर्स
		26-10-2020	28701.00	श्रमांश
8-	नरेन्द्र के मकान से प्रमोद के मकान तक इण्टर लॉकिंग निर्माण	23-10-2020	25038.00	श्रमांश
		23-10-2020	6357.00	मिट्टी ढुलाई
9-	वृक्षारोपण	26-11-2020	50125.00	सलीम नर्सरी
10-	प्रा०वि० में इण्टर लॉकिंग कार्य	29-11-2020	68742.00	राजा इण्टर प्राइजेज
		29-11-2020	29936.00	राजा ट्रेडर्स
		29-11-2020	27135.00	श्रमांश

		29-11-2020	8750.00	श्रमांश
		29-11-2020	3780.00	मिट्टी ढुलाई
		29-11-2020	41448.00	राजा ईट उद्योग
		29-11-2020	68742.00	राजा इण्टर प्राइजेज
11-	हजारी के मकान से राज सागर के मकान तक इण्टर लॉकिंग	27-12-2020	22775.00	श्रमांश
		27-12-2020	4598.00	मिट्टी ढुलाई
		27-12-2020	56255.00	राजा इण्टर प्राइजेज
		27-12-2020	20919.00	राजा ट्रेडर्स
		27-12-2020	44132.00	राजा इण्टर प्राइजेज
		27-12-2020	27852.00	राजा ईट उद्योग
12-	दाताराम के मकान से बल्देव के मकान तक इण्टर लॉकिंग	27-12-2020	21444.00	श्रमांश
		27-12-2020	18657.00	राजा ट्रेडर्स
13-	हैण्डपम्प रिबोर	02-09-2020	118392.00	डीवर्मा ट्रेडर्स डी०
14-	प्रशासनिक व्यय	24-06-2020	7500.00	स्टेशनरी शुक्ला पुस्तक भण्डार
		24-06-2020	10587.00	आयुष कम्प्यूटर
		10-08-2020	3000.00	टेण्डर हेतु अविनाश चन्द्र
		06-11-2020	7000.00	स्टेशनरी शुक्ला पुस्तक भण्डार
		08-12-2020	5000.00	सफाई व्यवस्था पर व्यय
		08-12-2020	45500.00	आर ट्रेडर्स कुर्सी मेज यस०
	योग -		1646066.00	

राज्य वित्त/14वें वित्त आयोग मद में उक्त दर्शित व्यय से सम्बन्धित रोकड़ बही तथा बैंक स्टेटमेन्ट के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात् ₹ 1646066.00 का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 यह कि "ग्राम प्रधाना तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड-8(क) यह कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल प्रमाणकविहीन व्यय **₹ 1646066.00** अधिभार योग्य है। जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्रीमती निर्मला देवी तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री अजय कुमार राना** उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिसमें समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेखों यथा अनुमोदित कार्य योजना, इस्टीमेट, एम०बी०, प्रमाणकों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, टेण्डर/कोटेशन (यथास्थिति), कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, जिओ टैगिंग का प्रमाण, उक्त कार्यों में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों/नि०अंगूठों का सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) से सत्यापन, कार्य स्थल की तीन स्टेप की फोटोग्राफ, स्टॉक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, मानदेय रजिस्टर आदि न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सों में करते हुए अपेक्षित प्रशासनिक और विधिक कार्यवाही **किया जाना अपेक्षित है।**

ग्राम पंचायत - रायपुर

विकास खण्ड - कुम्भी(गोला)

वर्ष - 2020-21

प्रस्तर-481

ग्राम पंचायत रायपुर के आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में 15वें वित्त आयोग की रोकड़ बही तथा बैंक स्टेटमेन्ट ही प्रस्तुत रहा। लेखा परीक्षा में बार-बार मौखिक और लिखित रूप से माँगने के उपरान्त भी रोकड़ बही में दर्शित व्यय की पुष्टि में कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत रोकड़ बही के अनुसार निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है -

क्र०सं०	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि	आहरणकर्ता
1-	हैण्डपम्प मरम्मत	27-12-2020	50100.00	डीवर्मा डी० ट्रेडर्स
2-	जाबिर के मकान से वारिश के मकान तक नाली निर्माण	23-09-2020	93367.00	रियाजुल खान ईट भट्टा
		23-09-2020	24701.00	आलमी ट्रेडर्स
		13-10-2020	3725.00	मिट्टी ढुलाई
		13-10-2020	5096.00	श्रमांश
		13-10-2020	3640.00	श्रमांश
		13-10-2020	5096.00	श्रमांश
		13-10-2020	5096.00	श्रमांश
		13-10-2020	8750.00	श्रमांश

		13-10-2020	3640.00	श्रमांश
		13-10-2020	5096.00	श्रमांश
3-	सैदुल के मकान से मुनवर कबाड़िया के मकान तक इण्टर लॉकिंग	29-11-2020	33552.00	रियाजुल खान ईट भट्टा
		29-11-2020	20502.00	श्रमांश
		29-11-2020	25581.00	आलमी ट्रेडर्स
		29-11-2020	99297.00	राजा इण्टर प्राइजेज
		29-11-2020	8376.00	मिट्टी ढुलाई
		29-11-2020	8400.00	श्रमांश
4-	मुन्ना अंसारी के मकान से नफीस खान के मकान तक इण्टर लॉकिंग	18-12-2020	51037.00	राजा इण्टर प्राइजेज
		18-12-2020	10850.00	श्रमांश
		18-12-2020	6762.00	मिट्टी ढुलाई
		18-12-2020	20301.00	श्रमांश
		18-12-2020	38940.00	राजा इण्टर प्राइजेज
		18-12-2020	38940.00	राजा इण्टर प्राइजेज
		18-12-2020	37454.00	रियाजुल खान ईट भट्टा
		22-12-2020	24251.00	आलमी ट्रेडर्स
5-	हैण्डपम्प रिबोर	29-10-2020	41206.00	किसान सेवा केन्द्र
		29-10-2020	41206.00	किसान सेवा केन्द्र
		04-11-2020	35980.00	श्रमांश
		17-11-2020	17990.00	श्रमांश
		17-11-2020	41206.00	किसान सेवा केन्द्र
योग -			810138.00	

15वें वित्त आयोग मद में उक्त दर्शित व्यय से सम्बन्धित रोकड़ बही तथा बैंक स्टेटमेन्ट के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात् ₹ 810138.00 का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 यह कि "ग्राम प्रधाना तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड-8(क) यहकि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है अतः कुल प्रमाणकविहीन व्यय **₹ 810138.00** अधिभार योग्य है। जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्रीमती कुज्मा खातून तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री अजय कुमार राना** उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिसमें समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेखों यथा अनुमोदित कार्य योजना, इस्टीमेट, एम०बी०, प्रमाणकों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, टेण्डर/कोटेशन (यथास्थिति), कार्यपूति प्रमाण-पत्र, जिओ टैगिंग का प्रमाण, उक्त कार्यों में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों/नि०अंगूठों का सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) से सत्यापन, कार्य स्थल की तीन स्टेप की फोटोग्राफ, स्टॉक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, मानदेय रजिस्टर आदि न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सों में करते हुए अपेक्षित प्रशासनिक और विधिक कार्यवाही **किया जाना अपेक्षित है।**

प्रस्तर-482 ग्राम पंचायत **रायपुर** के आलोच्य वर्ष **2020-21** की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त/14वें वित्त आयोग की रोकड़ बही तथा बैंक स्टेटमेन्ट ही प्रस्तुत रहा। लेखा परीक्षा में बार-बार मौखिक और लिखित रूप से माँगने के उपरान्त भी रोकड़ बही में दर्शित व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत रोकड़ बही के अनुसार निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है -

क्र०सं०	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि	आहरणकर्ता
1-	हैण्डपम्प मरम्मत	27-12-2020	46000.00	डीवर्मा ट्रेडर्स डी०
		27-12-2020	8200.00	श्रमांश
2-	वॉल पेन्टिंग	26-04-2020	32750.00	डीवर्मा ट्रेडर्स डी०
3-	प्रधान मानदेय	04-05-2020	14000.00	श्रीमती कुज्मा खातून प्रधान मानदेय
		13-12-2020	24500.00	मानदेय मई 2020 से नवम्बर 2020 तक
4-	जफुल्ला के मकान से ढाकन के मकान तक इण्टर लॉकिंग	28-04-2020	21570.00	रियाजुल खान ईट भट्टा

		28-04-2020	94754.00	राजा इण्टर प्राइजेज
		28-04-2020	11413.00	आलमी ट्रेडर्स
		28-04-2020	9253.00	श्रमांश
		28-04-2020	5950.00	श्रमांश
		28-04-2020	10140.00	श्रमांश
5-	अतीके के मकान से जफुल्ला के मकान तक इण्टर लॉकिंग	28-04-2020	13373.00	मिट्टी ढुलाई
		28-04-2020	116300.00	राजा इण्टर प्राइजेज
		28-04-2020	35110.00	रियाजुल खान ईट भट्टा
		28-04-2020	21442.00	श्रमांश
		28-04-2020	23498.00	श्रमांश
		28-04-2020	9800.00	श्रमांश
6-	मुस्तफा के घर से फुलवरिया तक इण्टर लॉकिंग	26-12-2020	21219.00	श्रमांश
		26-12-2020	19093.00	आलमी ट्रेडर्स
		26-12-2020	37797.00	राजा इण्टर प्राइजेज
		26-12-2020	5040.00	मिट्टी ढुलाई
		26-12-2020	38940.00	राजा इण्टर प्राइजेज
		26-12-2020	34154.00	रियाजुल खान ईट भट्टा
7-	जर्मी के मकान से अब्बन के मकान तक इण्टर लॉकिंग	26-12-2020	51920.00	राजा इण्टर प्राइजेज
		26-12-2020	51920.00	राजा इण्टर प्राइजेज
		26-12-2020	10150.00	श्रमांश
		26-12-2020	33049.00	रियाजुल खान ईट भट्टा
		26-12-2020	17486.00	आलमी ट्रेडर्स
		26-12-2020	53218.00	राजा इण्टर प्राइजेज
		26-12-2020	18693.00	श्रमांश
		26-12-2020	8978.00	मिट्टी ढुलाई
8-	सैफुल्ला के मकान से चावन खान के मकान तक इण्टर लॉकिंग	27-12-2020	14194.00	श्रमांश
		27-12-2020	16433.00	श्रमांश
		27-12-2020	9534.00	मिट्टी ढुलाई
9-	सामुदायिक शौचालय निर्माण	21-05-2020	59166.00	रियाजुल खान ईट भट्टा
		21-05-2020	28028.00	श्रमांश
		21-05-2020	41173.00	आलमी ट्रेडर्स
		21-05-2020	11550.00	श्रमांश
		21-05-2020	2864.00	श्रमांश
		21-05-2020	42097.00	राजकुमार हार्डवेयर
10-	वृक्षारोपण	29-05-2020	50150.00	हिना ग्रीन नर्सरी
11-	स्ट्रीट लाइट	29-05-2020	97650.00	रामश्री ट्रेडर्स
12-	प्रशासनिक व्यय	07-05-2020	11000.00	आयुष कम्प्यूटर
		29-05-2020	37500.00	आर० यस० ट्रेडर्स कुर्सी मेज
		02-12-2020	1250.00	पल्स ऑक्सीमीटर गौर इ०प्रा०
		02-12-2020	2800.00	थर्मल स्कैनर साहनी इ०प्रा०
		26-12-2020	7000.00	स्टेशनरी शुक्ला पुस्तक भण्डार
		27-12-2020	16000.00	साफ सफाई पर
योग -			1348099.00	

राज्य वित्त/14वें वित्त आयोग मद में उक्त दर्शित व्यय से सम्बन्धित रोकड़ बही तथा बैंक स्टेटमेन्ट के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात् ₹ 1348099.00 का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 यह कि "ग्राम प्रधाना तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड-8(क) यहकि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध

नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल प्रमाणकविहीन व्यय **रु० 1348099.00** अधिभार योग्य है। जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्रीमती कुज्जा खातून तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री अजय कुमार राना** उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिसमें समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेखों यथा अनुमोदित कार्य योजना, इस्टीमेट, एम०बी०, प्रमाणकों के साथ-साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, टेण्डर/कोटेशन (यथास्थिति), कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, जिओ टैगिंग का प्रमाण, उक्त कार्यों में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों/नि०अंगूठों का सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) से सत्यापन, कार्य स्थल की तीन स्टेप की फोटोग्राफ, स्टॉक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, मानदेय रजिस्टर आदि न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सों में करते हुए अपेक्षित प्रशासनिक और विधिक कार्यवाही **किया जाना अपेक्षित है।**

प्रारूप-4

जनपद- लखनऊ

मण्डल-लखनऊ

ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियाँ

ग्राम पंचायत- देईटीकर विकास खण्ड- गोसाईगंज जनपद- लखनऊ वर्ष-2020-21

प्रस्तर संख्या-01 ग्राम पंचायत- देईटीकर की वित्तीय वर्ष 2020-21 की हस्तलिखित कैशबुक (ऑनलाइन कैशबुक में तिथियाँ भिन्न) में रुपए 8150.00, बावत प्रशासनिक व्यय किया जाना दर्शित है। उक्त व्यय धनराशि से संबन्धित कोई भी पत्रावली(फ़ाइल) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई, जिसका विवरण निम्नलिखित है-

क्रम संख्या	कार्य का नाम	वर्क आई0डी0	व्यय धनराशि	दिनांक	फर्म/संस्था का नाम	अभ्युक्ति
1	प्रशासनिक व्यय	37565612	3150.00	25.08.2020	एवरीडे न्यूज	प्रमाणक अप्राप्त
			5000.00	22.11.2020	कृष्ण प्रताप सिंह	प्रमाणक अप्राप्त
		योग	8150.00			

उक्त व्यय धनराशि से संबन्धित प्रमुख आपत्तियाँ निम्नलिखित है-

- (1) उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-152 के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले प्रत्येक कार्य के लिए व्यय मानचित्र एवं अनुमान तैयार किए जाएंगे। साथ ही नियम संख्या-156 के तहत उक्त अनुमान एवं मानचित्र पर सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना कोई भी धनराशि व्यय नहीं की जाएगी। किन्तु लेखा परीक्षा में वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय उपरोक्त धनराशि रुपए 8150.00 से कराये गए कार्य के अनुमान एवं स्वीकृत मानचित्र अप्राप्त रहे।
- (2) उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-209 तथा ग्राम पंचायत लेखा मैनुवल के अध्याय-5 के बिन्दु-11 के अनुसार कार्य का अंतिम रूप से भुगतान करने से पहले, कार्य पूरा हो जाने के संबंध में समिति/सक्षम अधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा कि उसके द्वारा कार्य का निरीक्षण कर लिया गया है और समस्त कार्य नियमानुसार, स्वीकृत आकलन तथा स्वीकृत मानचित्र के अनुसार उचित रूप से पूरा किया गया है। किन्तु लेखा परीक्षा में वर्ष 2020-21 में उपरोक्त व्यय धनराशि रुपए 8150.00 से कराये गए कार्य के कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अप्राप्त रहे। फलतः कराये गए कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी।
- (3) उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-210 तथा ग्राम पंचायत लेखा मैनुवल के अध्याय-5 के बिन्दु-13 के अनुसार जो कार्य ठेकेदारी प्रथा पर ना हो रहे हो, उन कार्यों पर कार्यरत मजदूरों की दैनिक उपस्थिति(मस्टररोल), रूप पत्र-22 पर सक्षम अधिकारी द्वारा रखा जाएगा। किन्तु लेखा परीक्षा में उपरोक्त कराये गए कार्यों से संबन्धित मस्टर रोल अप्राप्त रहे, जिस कारण इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में उपरोक्त धनराशि किन श्रमिकों को, किन कार्य के लिए प्रदान की गई।
- (4) ग्राम पंचायत लेखा मैनुवल के अध्याय-5 के प्रस्तर-10 के अनुसार ग्राम निधि से धन का आहरण, ग्राम प्रधान एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा तथा प्रत्येक भुगतान के लिए प्राप्तकर्ता से भुगतान की रसीद प्राप्त की जाएगी। ग्राम पंचायत लेखा मैनुवल के अध्याय-5 के बिन्दु-13 के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त बाउचर को क्रमशः गार्डफ़ाइल में सुरक्षित रखा जाएगा। किन्तु ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान किए गए उपरोक्त व्यय/भुगतान से संबन्धित कोई भी रसीद/गार्डफ़ाइल प्रस्तुत नहीं की गई। फलतः यह ज्ञात नहीं हो सका कि किन सामग्रियों की खरीद के लिए ग्राम निधि-1 से धन का आहरण किया गया था।

(5) उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-157 के अनुसार ऐसे समस्त निर्माण कार्य, जिनकी लागत 500.00 रुपए से अधिक होगी, का भुगतान निर्माण कार्य की माप-जोख के उपरान्त ही होगा। किन्तु लेखा परीक्षा में उपरोक्त प्रशासनिक कार्य पर रुपए 8150.00 का भुगतान करने के उपरान्त भी माप-जोख से संबंधित कोई भी प्रपत्र/ माप पुस्तिका प्रस्तुत नहीं की गई। फलतः कराये गए कार्यों की पुष्टि नहीं हो सकी।

उपर्युक्त आपत्तियों के आलोक में यह स्पष्टतया परिलक्षित होता है कि ग्राम पंचायत- देईटीकर द्वारा रुपए 8150.00 से कोई कार्य न कराकर, व्यय की गई धनराशि का अपहरण किया गया है, जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री कृष्ण प्रताप सिंह एवं सचिव श्री अशोक कुमार शुक्ल उत्तरदायी हैं। उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-256(1) के प्रावधानों तथा ग्राम पंचायतों के लिए लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार यदि दर्शित व्यय के सन्दर्भ में कोई बॉउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली आनुपातिक रूप से बराबर मात्रा में क्रमशः रुपए 4075.00 एवं रुपए 4075.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री कृष्ण प्रताप सिंह एवं सचिव श्री अशोक कुमार शुक्ल से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा- 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

प्रस्तर संख्या-2 ग्राम पंचायत- देईटीकर की वित्तीय वर्ष 2020-21 की हस्तलिखित कैशबुक (ऑनलाइन कैशबुक में तिथियाँ भिन्न) में रुपए 242037.00, बावत हैन्डपम्प मरम्मत पर व्यय किया जाना दर्शित है। उक्त व्यय धनराशि से संबंधित कोई भी पत्रावली (फ़ाइल) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई, जिसका विवरण निम्नलिखित है-

क्रम संख्या	कार्य का नाम	वर्क आईडी	व्यय धनराशि	दिनांक	फर्म/संस्था का नाम	अभ्युक्ति
1	हैन्डपम्प मरम्मत	37302070	19520.00	25.08.2020	वर्मा लोहा भण्डार	प्रमाणक अप्राप्त
			20900.00	26.12.2020	वर्मा लोहा भण्डार	प्रमाणक अप्राप्त
			5000.00	26.12.2020	कृष्ण प्रताप सिंह	प्रमाणक अप्राप्त
	योग		45420.00			

उक्त व्यय धनराशि से संबंधित प्रमुख आपत्तियाँ निम्नलिखित हैं-

(1) उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-152 के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले प्रत्येक कार्य के लिए व्यय मानचित्र एवं अनुमान तैयार किए जाएंगे। साथ ही नियम संख्या-156 के तहत उक्त अनुमान एवं मानचित्र पर सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना कोई भी धनराशि व्यय नहीं की जाएगी। किन्तु लेखा परीक्षा में वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय उपरोक्त धनराशि रुपए 45420.00 से कराये गए कार्य के अनुमान एवं स्वीकृत मानचित्र अप्राप्त रहे। साथ ही मरम्मत कराए गए हैन्डपम्प के स्थलों की सूची तथा उनकी मरम्मत की माँग संबंधी प्रार्थनापत्र भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जल प्रबंधन समिति की कार्यवाही पंजिका अप्राप्त रहने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सका कि यह कार्य समिति द्वारा अनुशंसित था या नहीं।

(2) उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-209 तथा ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के बिन्दु-11 के अनुसार कार्य का अंतिम रूप से भुगतान करने से पहले, कार्य पूरा हो जाने के संबंध में समिति/सक्षम अधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा कि उसके द्वारा कार्य का निरीक्षण कर लिया गया है और समस्त कार्य नियमानुसार, स्वीकृत आकलन तथा स्वीकृत मानचित्र के अनुसार उचित रूप से पूरा किया गया है। किन्तु लेखा परीक्षा में वर्ष 2020-21 में उपरोक्त व्यय धनराशि रुपए 45420.00 से कराये गए कार्य के कार्यपूति प्रमाण पत्र अप्राप्त रहे। फलतः कराये गए कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी।

(3) उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-210 तथा ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के बिन्दु-13 के अनुसार जो कार्य ठेकेदारी प्रथा पर ना हो रहे हों, उन कार्यों पर कार्यरत मजदूरों की दैनिक उपस्थिति (मस्टर रोल), रूप पत्र-22 पर सक्षम अधिकारी द्वारा रखा जाएगा। किन्तु लेखा परीक्षा में उपरोक्त कराये गए कार्यों से संबंधित मस्टर रोल अप्राप्त रहे, जिस कारण इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में उपरोक्त धनराशि किन श्रमिकों को, किन कार्य के लिए प्रदान की गई।

(4) ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के प्रस्तर-10 के अनुसार ग्राम निधि से धन का आहरण, ग्राम प्रधान एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा तथा प्रत्येक भुगतान के लिए प्राप्तकर्ता से भुगतान की रसीद प्राप्त की

जाएगी। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के बिन्दु-13 के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त बाउचर को क्रमशः गार्डफ़ाइल में सुरक्षित रखा जाएगा। किन्तु ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान किए गए उपरोक्त व्यय/भुगतान से संबंधित कोई भी रसीद/गार्डफ़ाइल प्रस्तुत नहीं की गई। फलतः यह ज्ञात नहीं हो सका कि किन सामग्रियों की खरीद के लिए ग्राम निधि-1 से धन का आहरण किया गया था।

(5) उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-157 के अनुसार ऐसे समस्त निर्माण कार्य, जिनकी लागत 500.00 रुपए से अधिक होगी, का भुगतान निर्माण कार्य की माप-जोख के उपरान्त ही होगा। किन्तु लेखा परीक्षा में उपरोक्त हैन्डपम्प मरम्मत कार्य पर रुपए 45420.00 का भुगतान करने के उपरान्त भी माप-जोख से संबंधित कोई भी प्रपत्र/ माप पुस्तिका प्रस्तुत नहीं की गई। फलतः कराये गए कार्यों की पुष्टि नहीं हो सकी।

उपर्युक्त आपत्तियों के आलोक में यह स्पष्टता परिलक्षित होता है कि ग्राम पंचायत- देईटीकर द्वारा रुपए 45420.00 से उपरोक्त हैन्डपम्प मरम्मत न कराकर, व्यय की गई धनराशि का अपहरण किया गया है, जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री कृष्ण प्रताप सिंह एवं सचिव श्री अशोक कुमार शुक्ल उत्तरदायी हैं। उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-256(1) के प्रावधानों तथा ग्राम पंचायतों के लिए लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार यदि दर्शित व्यय के सन्दर्भ में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली आनुपातिक रूप से बराबर मात्रा में क्रमशः रुपए 22710.00 एवं रुपए 22710.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री कृष्ण प्रताप सिंह एवं सचिव श्री अशोक कुमार शुक्ल से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा- 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

प्रस्तर संख्या- 3 ग्राम पंचायत- देईटीकर की वित्तीय वर्ष 2020-21 की हस्तलिखित कैशबुक (ऑनलाइन कैशबुक में तिथियाँ भिन्न) में रुपए 263936.00 (15 वे वित्त आयोग) बावत सामुदायिक शौचालय का निर्माण पर व्यय किया जाना दर्शित है। उक्त व्यय धनराशि से संबंधित कोई भी पत्रावली (फ़ाइल) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई, जिसका विवरण निम्नलिखित है-

क्रम संख्या	कार्य का नाम	वर्क आई0डी0	व्यय धनराशि	दिनांक	फर्म/संस्था का नाम	अभ्युक्ति
1	सामुदायिक शौचालय का निर्माण	42629346	16000.00	15.09.2020	अज्ञात(मजदूरी भुगतान)	प्रमाणक अप्राप्त
			43115.00	17.09.2020	अंश इन्टरप्राईजेज	प्रमाणक अप्राप्त
			29400.00	17.09.2020	बाला जी ब्रिक फील्ड	प्रमाणक अप्राप्त
			22708.00	07.10.2020	अंश इन्टरप्राईजेज	प्रमाणक अप्राप्त
			30000.00	24.10.2020	वर्मा लोहा भण्डार	प्रमाणक अप्राप्त
			10000.00	24.10.2020	अज्ञात(मजदूरी भुगतान)	प्रमाणक अप्राप्त
			30000.00	25.10.2020	अंश इन्टरप्राईजेज	प्रमाणक अप्राप्त
			22708.00	25.10.2020	अंश इन्टरप्राईजेज	प्रमाणक अप्राप्त
			4000.00	04.11.2020	घनश्याम	प्रमाणक अप्राप्त
			26255.00	04.11.2020	जय माँ लक्ष्मी ट्रेडर्स	प्रमाणक अप्राप्त
			14750.00	09.11.2020	जय माँ लक्ष्मी ट्रेडर्स	प्रमाणक अप्राप्त
			5000.00	22.11.2020	कृष्ण प्रताप सिंह	प्रमाणक अप्राप्त
			10000.00	22.11.2020	अज्ञात(मजदूरी भुगतान)	प्रमाणक अप्राप्त
		योग	263936.00			

उक्त व्यय धनराशि से संबंधित प्रमुख आपत्तियाँ निम्नलिखित हैं-

(1) उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-152 के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले प्रत्येक कार्य के लिए व्यय मानचित्र एवं अनुमान तैयार किए जाएंगे। साथ ही नियम संख्या-156 के तहत उक्त अनुमान एवं मानचित्र पर सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना कोई भी धनराशि व्यय नहीं की जाएगी। किन्तु लेखा परीक्षा में वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय उपरोक्त धनराशि रूपए 263936.00 से कराये गए कार्य के अनुमान एवं स्वीकृत मानचित्र अप्राप्त रहे।

(2) उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-209 तथा ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के बिन्दु-11 के अनुसार कार्य का अंतिम रूप से भुगतान करने से पहले, कार्य पूरा हो जाने के संबंध में समिति/सक्षम अधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा कि उसके द्वारा कार्य का निरीक्षण कर लिया गया है और समस्त कार्य नियमानुसार, स्वीकृत आंकलन तथा स्वीकृत मानचित्र के अनुसार उचित रूप से पूरा किया गया है। किन्तु लेखा परीक्षा में वर्ष 2020-21 में उपरोक्त व्यय धनराशि रूपए 263936.00 से कराये गए कार्य के कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अप्राप्त रहे। फलतः कराये गए कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी।

(3) उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-210 तथा ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के बिन्दु-13 के अनुसार जो कार्य ठेकेदारी प्रथा पर ना हो रहे हो, उन कार्यों पर कार्यरत मजदूरों की दैनिक उपस्थिति (मस्टररोल), रूप पत्र-22 पर सक्षम अधिकारी द्वारा रखा जाएगा। किन्तु लेखा परीक्षा में उपरोक्त कराये गए कार्यों से संबंधित मस्टर रोल अप्राप्त रहे, जिस कारण इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में उपरोक्त धनराशि किन श्रमिकों को, किन कार्य के लिए प्रदान की गई।

(4) ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के प्रस्तर-10 के अनुसार ग्राम निधि से धन का आहरण, ग्राम प्रधान एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा तथा प्रत्येक भुगतान के लिए प्राप्तकर्ता से भुगतान की रसीद प्राप्त की जाएगी। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के बिन्दु-13 के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त बाउचर को क्रमशः गार्डफाइल में सुरक्षित रखा जाएगा। किन्तु ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान किए गए उपरोक्त व्यय/भुगतान से संबंधित कोई भी रसीद/गार्डफाइल प्रस्तुत नहीं की गई। फलतः यह ज्ञात नहीं हो सका कि किन सामग्रियों की खरीद के लिए ग्राम निधि-1 से धन का आहरण किया गया था।

(5) उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-157 के अनुसार ऐसे समस्त निर्माण कार्य, जिनकी लागत 500.00 रूपए से अधिक होगी, का भुगतान निर्माण कार्य की माप-जोख के उपरान्त ही होगा। किन्तु लेखा परीक्षा में उपरोक्त सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य पर रूपए 242037.00 का भुगतान करने के उपरान्त भी माप-जोख से संबंधित कोई भी प्रपत्र/ माप पुस्तिका प्रस्तुत नहीं की गई। फलतः कराये गए कार्यों की पुष्टि नहीं हो सकी।

उपर्युक्त आपत्तियों के आलोक में यह स्पष्टतया परिलक्षित होता है कि ग्राम पंचायत- देईटीकर द्वारा रूपए 263936.00 से उपरोक्त निर्माण कार्य न कराकर, व्यय की गई धनराशि का अपहरण किया गया है, जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री कृष्ण प्रताप सिंह एवं सचिव श्री अशोक कुमार शुक्ल उत्तरदायी हैं। उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-256(1) के प्रावधानों तथा ग्राम पंचायतों के लिए लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार यदि दर्शित व्यय के सन्दर्भ में कोई बाँउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली आनुपातिक रूप से बराबर मात्रा में क्रमशः रूपए 131968.00 एवं रूपए 131968.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री कृष्ण प्रताप सिंह एवं सचिव श्री अशोक कुमार शुक्ल से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा- 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

प्रस्तर संख्या- 4 ग्राम पंचायत- देईटीकर की वित्तीय वर्ष 2020-21 की हस्तलिखित कैशबुक (ऑनलाइन कैशबुक में तिथियाँ भिन्न) में रूपए 221071.00, बावत केशनपाल के घर से मायाराम के कुआँ तक सी0सी0 रोड निर्माण पर व्यय किया जाना दर्शित है। उक्त व्यय धनराशि से संबंधित कोई भी पत्रावली (फाइल) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई, जिसका विवरण निम्नलिखित है-

क्रम संख्या	कार्य का नाम	वर्क आई0डी0	व्यय धनराशि	दिनांक	फर्म/संस्था का नाम	अभ्युक्ति
1	केशनपाल के घर से मायाराम के कुआँ तक सी0सी0 रोड निर्माण	42631421	78926.00	30.09.2020	अंश इन्टरप्राइजेज	प्रमाणक अप्राप्त
			5950.00	30.09.2020	वर्मा लोहा भण्डार	प्रमाणक अप्राप्त

		6000.00	02.11.2020	कृष्ण प्रताप सिंह	प्रमाणक अप्राप्त
		32080.00	09.11.2020	अज्ञात(मजदूरी भुगतान)	प्रमाणक अप्राप्त
		17390.00	10.12.2020	सन्तोष ट्रेडर्स	प्रमाणक अप्राप्त
		58675.00	11.12.2020	अंश इन्टरप्राइजेज	प्रमाणक अप्राप्त
		22050.00	17.12.2020	बाला जी ब्रिक फील्ड	प्रमाणक अप्राप्त
	योग	221071.00			

उक्त व्यय धनराशि से संबन्धित प्रमुख आपत्तियाँ निम्नलिखित है-

- (1) उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-152 के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले प्रत्येक कार्य के लिए व्यय मानचित्र एवं अनुमान तैयार किए जाएंगे। साथ ही नियम संख्या-156 के तहत उक्त अनुमान एवं मानचित्र पर सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना कोई भी धनराशि व्यय नहीं की जाएगी। किन्तु लेखा परीक्षा में वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय उपरोक्त धनराशि रूपए 221071.00 से कराये गए कार्य के अनुमान एवं स्वीकृत मानचित्र अप्राप्त रहे।
- (2) उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-209 तथा ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के बिन्दु-11 के अनुसार कार्य का अंतिम रूप से भुगतान करने से पहले, कार्य पूरा हो जाने के संबंध में समिति/सक्षम अधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा कि उसके द्वारा कार्य का निरीक्षण कर लिया गया है और समस्त कार्य नियमानुसार, स्वीकृत आंकलन तथा स्वीकृत मानचित्र के अनुसार उचित रूप से पूरा किया गया है। किन्तु लेखा परीक्षा में वर्ष 2020-21 में उपरोक्त व्यय धनराशि रूपए 221071.00 से कराये गए कार्य के कार्यपूति प्रमाण पत्र अप्राप्त रहे। फलतः कराये गए कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी।
- (3) उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-210 तथा ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के बिन्दु-13 के अनुसार जो कार्य ठेकेदारी प्रथा पर ना हो रहे हो, उन कार्यों पर कार्यरत मजदूरों की दैनिक उपस्थिति(मस्टररोल), रूप पत्र-22 पर सक्षम अधिकारी द्वारा रखा जाएगा। किन्तु लेखा परीक्षा में उपरोक्त कराये गए कार्यों से संबन्धित मस्टर रोल अप्राप्त रहे, जिस कारण इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में उपरोक्त धनराशि किन श्रमिकों को, किन कार्य के लिए प्रदान की गई।
- (4) ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के प्रस्तर-10 के अनुसार ग्राम निधि से धन का आहरण, ग्राम प्रधान एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा तथा प्रत्येक भुगतान के लिए प्राप्तकर्ता से भुगतान की रसीद प्राप्त की जाएगी। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के बिन्दु-13 के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त बाउचर को क्रमशः गार्डफ़ाइल में सुरक्षित रखा जाएगा। किन्तु ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान किए गए उपरोक्त व्यय/भुगतान से संबन्धित कोई भी रसीद/गार्डफ़ाइल प्रस्तुत नहीं की गई। फलतः यह ज्ञात नहीं हो सका कि किन सामग्रियों की खरीद के लिए ग्राम निधि-1 से धन का आहरण किया गया था।
- (5) उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-157 के अनुसार ऐसे समस्त निर्माण कार्य, जिनकी लागत 500.00 रूपए से अधिक होगी, का भुगतान निर्माण कार्य की माप-जोख के उपरान्त ही होगा। किन्तु लेखा परीक्षा में उपरोक्त सी0सी0 रोड निर्माण कार्य पर रूपए 221071.00 का भुगतान करने के उपरान्त भी माप-जोख से संबंधित कोई भी प्रपत्र/ माप पुस्तिका प्रस्तुत नहीं की गई। फलतः कराये गए कार्यों की पुष्टि नहीं हो सकी।

उपर्युक्त आपत्तियों के आलोक में यह स्पष्टतया परिलक्षित होता है कि ग्राम पंचायत- देईटीकर द्वारा रूपए 221071.00 से उपरोक्त निर्माण कार्य न कराकर, व्यय की गई धनराशि का अपहरण किया गया है, जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री कृष्ण प्रताप सिंह एवं सचिव श्री अशोक कुमार शुक्ल उत्तरदायी हैं। उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-256(1) के प्रावधानों तथा ग्राम पंचायतों के लिए लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार यदि दर्शित व्यय के सन्दर्भ में कोई बाँउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली आनुपातिक रूप से बराबर मात्रा में क्रमशः रूपए 110535.50 एवं रूपए 110535.50 की वसूली ग्राम प्रधान श्री कृष्ण प्रताप सिंह एवं सचिव श्री अशोक कुमार शुक्ल से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा- 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

प्रस्तर संख्या-5 ग्राम पंचायत- देईटीकर की वित्तीय वर्ष 2020-21 की हस्तलिखित कैशबुक (ऑनलाइन कैशबुक में तिथियाँ भिन्न) में रुपए 32000.00, बावत पंचायत भवन निर्माण पर व्यय किया जाना दर्शित है। उक्त व्यय धनराशि से संबंधित कोई भी पत्रावली(फ़ाइल) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई, जिसका विवरण निम्नलिखित है-

क्रम संख्या	कार्य का नाम	वर्क आई0डी0	व्यय धनराशि	दिनांक	फर्म/संस्था का नाम	अभ्युक्ति
1	पंचायत भवन निर्माण	44752021	16000.00	25.12.2020	राम सुमिरन	प्रमाणक अप्राप्त
			16000.00	26.12.2020	राम सुमिरन	प्रमाणक अप्राप्त
		योग	32000.00			

उक्त व्यय धनराशि से संबंधित प्रमुख आपत्तियाँ निम्नलिखित हैं-

(1) उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-152 के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले प्रत्येक कार्य के लिए व्यय मानचित्र एवं अनुमान तैयार किए जाएंगे। साथ ही नियम संख्या-156 के तहत उक्त अनुमान एवं मानचित्र पर सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना कोई भी धनराशि व्यय नहीं की जाएगी। किन्तु लेखा परीक्षा में वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय उपरोक्त धनराशि रुपए 32000.00 से कराये गए कार्य के अनुमान एवं स्वीकृत मानचित्र अप्राप्त रहे।

(2) उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-209 तथा ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के बिन्दु-11 के अनुसार कार्य का अंतिम रूप से भुगतान करने से पहले, कार्य पूरा हो जाने के संबंध में समिति/सक्षम अधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा कि उसके द्वारा कार्य का निरीक्षण कर लिया गया है और समस्त कार्य नियमानुसार, स्वीकृत आकलन तथा स्वीकृत मानचित्र के अनुसार उचित रूप से पूरा किया गया है। किन्तु लेखा परीक्षा में वर्ष 2020-21 में उपरोक्त व्यय धनराशि रुपए 32000.00 से कराये गए कार्य के कार्यपूति प्रमाण पत्र अप्राप्त रहे। फलतः कराये गए कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी।

(3) उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-210 तथा ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के बिन्दु-13 के अनुसार जो कार्य ठेकेदारी प्रथा पर ना हो रहे हो, उन कार्यों पर कार्यरत मजदूरों की दैनिक उपस्थिति(मस्टररोल), रूप पत्र-22 पर सक्षम अधिकारी द्वारा रखा जाएगा। किन्तु लेखा परीक्षा में उपरोक्त कराये गए कार्य से संबंधित मस्टर रोल अप्राप्त रहे, जिस कारण इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में उपरोक्त धनराशि किन श्रमिकों को, किन कार्य के लिए प्रदान की गई।

(4) ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के प्रस्तर-10 के अनुसार ग्राम निधि से धन का आहरण, ग्राम प्रधान एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा तथा प्रत्येक भुगतान के लिए प्राप्तकर्ता से भुगतान की रसीद प्राप्त की जाएगी। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के बिन्दु-13 के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त बाउचर को क्रमशः गार्डफ़ाइल में सुरक्षित रखा जाएगा। किन्तु ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान किए गए उपरोक्त व्यय/भुगतान से संबंधित कोई भी रसीद/गार्डफ़ाइल प्रस्तुत नहीं की गई। फलतः यह ज्ञात नहीं हो सका कि किन सामग्रियों की खरीद/भुगतान के लिए ग्राम निधि-1 से धन का आहरण किया गया था।

(5) उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-157 के अनुसार ऐसे समस्त निर्माण कार्य, जिनकी लागत 500.00 रुपए से अधिक होगी, का भुगतान निर्माण कार्य की माप-जोख के उपरान्त ही होगा। किन्तु लेखा परीक्षा में उपरोक्त पंचायत भवन निर्माण कार्य पर रुपए 32000.00 का भुगतान करने के उपरान्त भी माप-जोख से संबंधित कोई भी प्रपत्र/ माप पुस्तिका प्रस्तुत नहीं की गई। फलतः कराये गए कार्यों की पुष्टि नहीं हो सकी।

उपर्युक्त आपत्तियों के आलोक में यह स्पष्टता परिलक्षित होता है कि ग्राम पंचायत- देईटीकर द्वारा रुपए 32000.00 से कोई कार्य न कराकर, व्यय की गई धनराशि का अपहरण किया गया है, जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री कृष्ण प्रताप सिंह एवं सचिव श्री अशोक कुमार शुक्ल उत्तरदायी हैं। उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-256(1) के प्रावधानों तथा ग्राम पंचायतों के लिए लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार यदि दर्शित व्यय के सन्दर्भ में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली आनुपातिक रूप से बराबर मात्रा में क्रमशः रुपए 16000.00 एवं रुपए 16000.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री कृष्ण प्रताप सिंह एवं सचिव श्री अशोक कुमार शुक्ल से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ

जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा- 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

प्रस्तर संख्या-6 ग्राम पंचायत- देईटीकर की वित्तीय वर्ष 2020-21 की हस्तलिखित कैशबुक (ऑनलाइन कैशबुक में तिथियाँ भिन्न) में रुपए 242037.00 (14 वे वित्त आयोग) बावत गजराज के घर से करन के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण पर व्यय किया जाना दर्शित है। उक्त व्यय धनराशि से संबंधित कोई भी पत्रावली (फाइल) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई, जिसका विवरण निम्नलिखित है-

क्रम संख्या	कार्य का नाम	वर्क आई0डी0	व्यय धनराशि	दिनांक	फर्म/संस्था का नाम	अभ्युक्ति
1	गजराज के घर से करन के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण	20901712	36340.00	10.06.2020	बाला जी ब्रिक फील्ड	प्रमाणक अप्राप्त
			68029.00	10.06.2020	अंश इन्टरप्राइजेज	प्रमाणक अप्राप्त
			30769.00	10.06.2020	अंश इन्टरप्राइजेज	प्रमाणक अप्राप्त
			59006.00	10.06.2020	अंश इन्टरप्राइजेज	प्रमाणक अप्राप्त
			12053.00	10.06.2020	अंश इन्टरप्राइजेज	प्रमाणक अप्राप्त
			35840.00	10.06.2020	अज्ञात	प्रमाणक अप्राप्त
		योग	242037.00			

उक्त व्यय धनराशि से संबंधित प्रमुख आपत्तियाँ निम्नलिखित हैं-

(1) उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-152 के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले प्रत्येक कार्य के लिए व्यय मानचित्र एवं अनुमान तैयार किए जाएंगे। साथ ही नियम संख्या-156 के तहत उक्त अनुमान एवं मानचित्र पर सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना कोई भी धनराशि व्यय नहीं की जाएगी। किन्तु लेखा परीक्षा में वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय उपरोक्त धनराशि रुपए 242037.00 से कराये गए कार्य के अनुमान एवं स्वीकृत मानचित्र अप्राप्त रहे।

(2) उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-209 तथा ग्राम पंचायत लेखा मैनुवल के अध्याय-5 के बिन्दु-11 के अनुसार कार्य का अंतिम रूप से भुगतान करने से पहले, कार्य पूरा हो जाने के संबंध में समिति/सक्षम अधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा कि उसके द्वारा कार्य का निरीक्षण कर लिया गया है और समस्त कार्य नियमानुसार, स्वीकृत आंकलन तथा स्वीकृत मानचित्र के अनुसार उचित रूप से पूरा किया गया है। किन्तु लेखा परीक्षा में वर्ष 2020-21 में उपरोक्त व्यय धनराशि रुपए 242037.00 से कराये गए कार्य के कार्यपूति प्रमाण पत्र अप्राप्त रहे। फलतः कराये गए कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी।

(3) उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-210 तथा ग्राम पंचायत लेखा मैनुवल के अध्याय-5 के बिन्दु-13 के अनुसार जो कार्य ठेकेदारी प्रथा पर ना हो रहे हो, उन कार्यों पर कार्यरत मजदूरों की दैनिक उपस्थिति (मस्टररोल), रूप पत्र-22 पर सक्षम अधिकारी द्वारा रखा जाएगा। किन्तु लेखा परीक्षा में उपरोक्त कराये गए कार्यों से संबंधित मस्टर रोल अप्राप्त रहे, जिस कारण इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में उपरोक्त धनराशि किन श्रमिकों को, किन कार्य के लिए प्रदान की गई।

(4) ग्राम पंचायत लेखा मैनुवल के अध्याय-5 के प्रस्तर-10 के अनुसार ग्राम निधि से धन का आहरण, ग्राम प्रधान एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा तथा प्रत्येक भुगतान के लिए प्राप्तकर्ता से भुगतान की रसीद प्राप्त की जाएगी। ग्राम पंचायत लेखा मैनुवल के अध्याय-5 के बिन्दु-13 के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त बाउचर को क्रमशः गार्डफाइल में सुरक्षित रखा जाएगा। किन्तु ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान किए गए उपरोक्त व्यय/भुगतान से संबंधित कोई भी रसीद/गार्डफाइल प्रस्तुत नहीं की गई। फलतः यह ज्ञात नहीं हो सका कि किन सामग्रियों की खरीद के लिए ग्राम निधि-1 से धन का आहरण किया गया था।

(5) उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-157 के अनुसार ऐसे समस्त निर्माण कार्य, जिनकी लागत 500.00 रुपए से अधिक होगी, का भुगतान निर्माण कार्य की माप-जोख के उपरान्त ही होगा। किन्तु लेखा

परीक्षा में उपरोक्त सी0सी0 रोड निर्माण कार्य पर रुपए 242037.00 का भुगतान करने के उपरान्त भी माप-जोख से संबंधित कोई भी प्रपत्र/ माप पुस्तिका प्रस्तुत नहीं की गई। फलतः कराये गए कार्यों की पुष्टि नहीं हो सकी।

उपर्युक्त आपत्तियों के आलोक में यह स्पष्टतया परिलक्षित होता है कि ग्राम पंचायत- देईटीकर द्वारा रुपए 242037.00 से उपरोक्त निर्माण कार्य न कराकर, व्यय की गई धनराशि का अपहरण किया गया है, जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री कृष्ण प्रताप सिंह एवं सचिव श्री अशोक कुमार शुक्ल उत्तरदायी हैं। उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-256(1) के प्रावधानों तथा ग्राम पंचायतों के लिए लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार यदि दर्शित व्यय के सन्दर्भ में कोई बॉउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली आनुपातिक रूप से बराबर मात्रा में क्रमशः रुपए 121018.50 एवं रुपए 121018.50 की वसूली ग्राम प्रधान श्री कृष्ण प्रताप सिंह एवं सचिव श्री अशोक कुमार शुक्ल से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा- 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

ग्राम पंचायत- कमलापुर विकास खण्ड- सरोजिनी नगर जनपद- लखनऊ वर्ष-2020-21

प्रस्तर संख्या-7 ग्राम पंचायत- कमलापुर की वित्तीय वर्ष 2020-21 की कैशबुक में रुपए 93900.00, बावत हैन्डपम्प मरम्मत व्यय किया जाना दर्शित है। उक्त व्यय धनराशि से संबंधित कोई भी पत्रावली(फ़ाइल) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई, जिसका विवरण निम्नलिखित है-

क्रम संख्या	दिनांक	धनराशि	चेकसंख्या/ पी0एफ0एम0एस0	फर्म/भुगतान प्राप्तकर्ता व्यक्ति	केस रेकॉर्ड	कार्य का नाम
1	20.07.2020	15700.00	पी0एफ0एम0एस0	लोधी लोहा भण्डार	42304315	हैन्डपम्प मरम्मत
2	27.07.2020	7000.00	पी0एफ0एम0एस0	आयुष श्रीवास्तव	42304315	हैन्डपम्प मरम्मत
3	27.07.2020	17500.00	पी0एफ0एम0एस0	जय करन	42304315	हैन्डपम्प मरम्मत
4	27.07.2020	10000.00	पी0एफ0एम0एस0	पुष्पा देवी	42304315	हैन्डपम्प मरम्मत
5	28.07.2020	24000.00	पी0एफ0एम0एस0	रामानन्द उर्फ नंदा	42304315	हैन्डपम्प मरम्मत
6	17.10.2020	19700.00	पी0एफ0एम0एस0	जय करन	42304315	हैन्डपम्प मरम्मत
	योग	93900.00				

उक्त व्यय धनराशि से संबंधित प्रमुख आपत्तियाँ निम्नलिखित हैं-

(1) उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-152 के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले प्रत्येक कार्य के लिए व्यय मानचित्र एवं अनुमान तैयार किए जाएंगे। साथ ही नियम संख्या-156 के तहत उक्त अनुमान एवं मानचित्र पर सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना कोई भी धनराशि व्यय नहीं की जाएगी। किन्तु लेखा परीक्षा में वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय उपरोक्त धनराशि रुपए 93900.00 से कराये गए कार्यों के अनुमान एवं स्वीकृत मानचित्र अप्राप्त रहे।

(2) उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-209 तथा ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के बिन्दु-11 के अनुसार कार्य का अंतिम रूप से भुगतान करने से पहले, कार्य पूरा हो जाने के संबंध में समिति/सक्षम अधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा कि उसके द्वारा कार्य का निरीक्षण कर लिया गया है और समस्त कार्य नियमानुसार, स्वीकृत आंकलन तथा स्वीकृत मानचित्र के अनुसार उचित रूप से

पूरा किया गया है। किन्तु लेखा परीक्षा में वर्ष 2020-21 में उपरोक्त व्यय धनराशि रूपए 93900.00 से कराये गए कार्यों के कार्यपूति प्रमाण पत्र अप्राप्त रहे। फलतः कराये गए कार्यों की पुष्टि नहीं हो सकी।

(3) उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-210 तथा ग्राम पंचायत लेखा मैनुवल के अध्याय-5 के बिन्दु-13 के अनुसार जो कार्य ठेकेदारी प्रथा पर ना हो रहे हो, उन कार्यों पर कार्यरत मजदूरों की दैनिक उपस्थिति(मस्टररोल), रूप पत्र-22 पर सक्षम अधिकारी द्वारा रखा जाएगा। किन्तु लेखा परीक्षा में उपरोक्त कराये गए कार्यों से संबंधित मस्टर रोल अप्राप्त रहे, जिस कारण इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में उपरोक्त धनराशि किन श्रमिकों को, किन कार्यों के लिए प्रदान की गई।

(4) ग्राम पंचायत लेखा मैनुवल के अध्याय-5 के प्रस्तर-10 के अनुसार ग्राम निधि से धन का आहरण, ग्राम प्रधान एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा तथा प्रत्येक भुगतान के लिए प्राप्तकर्ता से भुगतान की रसीद प्राप्त की जाएगी। ग्राम पंचायत लेखा मैनुवल के अध्याय-5 के बिन्दु-13 के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त बाउचर को क्रमशः गार्डफ़ाइल में सुरक्षित रखा जाएगा। किन्तु ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा के दौरान किए गए उपरोक्त व्यय/भुगतान से संबंधित कोई भी रसीद/गार्डफ़ाइल प्रस्तुत नहीं की गई। फलतः यह ज्ञात नहीं हो सका कि किन सामग्रियों की खरीद के लिए ग्राम निधि-1 से धन का आहरण किया गया था।

(5) उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-157 के अनुसार ऐसे समस्त निर्माण कार्य, जिनकी लागत 500.00 रूपए से अधिक होगी, का भुगतान निर्माण कार्य की माप-जोख के उपरान्त ही होगा। किन्तु लेखा परीक्षा में उपरोक्त हैन्डपम्प मरम्मत कार्य पर रूपए 93900.00 का भुगतान करने के उपरान्त भी माप-जोख से संबंधित कोई भी प्रपत्र/ माप पुस्तिका प्रस्तुत नहीं की गई। फलतः कराये गए कार्यों की पुष्टि नहीं हो सकी।

उपर्युक्त आपत्तियों के आलोक में यह स्पष्टता परिलक्षित होता है कि ग्राम पंचायत- कमलापुर द्वारा रूपए 93900.00 से हैन्डपम्प की मरम्मत न कराकर, व्यय की गई धनराशि का अपहरण किया गया है, जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती सुमन एवं सचिव श्री मनोज कुमार वर्मा उत्तरदायी हैं। उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-256(1) के प्रावधानों तथा ग्राम पंचायतों के लिए लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार यदि दर्शित व्यय के सन्दर्भ में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली आनुपातिक रूप से बराबर मात्रा में क्रमशः रूपए 46950.00 एवं रूपए 46950.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुमन एवं सचिव श्री मनोज कुमार गुप्ता से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

ग्राम पंचायत -निजामपुर मझिगवां विकास खण्ड -सरोजिनी नगर जनपद-लखनऊ वर्ष-2020-21

प्रस्तर संख्या- 8 समीक्ष्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में व्यय धनराशि रु० 381396.00 आहरित किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है ।

क्रम	कार्य का नाम	कार्य आई डी	दिनांक	धनराशि
01	हैण्ड पम्प मरम्मत	14037687	23.04.2020	188500.00
02	अंगनू के घर से सूरज पाल के घर तक नाली निर्माण	40097335	11.06.2020	33896.00
03	अमर पाल के घर से नाहर तक नाली निर्माण	40097883	11.06.2020	150000.00
04	हैण्डपम्प मरम्मत	40096561	23.06.2020	9000.00
			योग=	381396.00

क्रमांक 1, 2, 4 पर अंकित कार्यों के सापेक्ष कोई मजदूरी भुगतान नहीं किया गया है। बिना मजदूरी के सामग्री क्रय का भुगतान करना वित्तीय औचित्य के सिद्धांत का उल्लंघन है। क्रमांक 1, 2, 3, 4 पर अंकित कार्य में क्रय की गयी सामग्री की सूची, मजदूरी से सम्बन्धित मस्टर रोल, माप पुस्तिका, कार्यपूति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं रहा।

उक्त कार्यों के सापेक्ष व्यय की गयी कुल धनराशि रु० 381396.00 के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। जबकि ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष यदि व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्यय की गयी धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से किया जाना चाहिए। उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) के प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए। अतः कुल व्यय की गयी धनराशि रु० 381396.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री हनोमान एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री भूपेन्द्र सिंह से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - हरिहरपुर विकास खण्ड -सरोजिनी नगर जनपद -लखनऊ वर्ष-2020-21

प्रस्तर संख्या- 9 ग्राम पंचायत के ई-ग्राम स्वराज पर दर्शित विवरण के अनुसार कोषबही में नगद धनराशि रु०202.00 दिनांक 01.04.2020 को आरंभिक अवशेष तथा दिनांक 31.03.2021 को अंतिम अवशेष में यथावत दर्शित है। इस धनराशि का उपयोग/ समायोजन सम्पूर्ण वर्ष में नहीं किया गया है। इस धनराशि को ग्राम सभा के सम्बन्धित खाते में जमा किया जाना चाहिए था जिससे ग्राम पंचायत का अस्तित्व समाप्त होने की दशा में धनराशि वापस की जा सकती थी। इस प्रकार उक्त धनराशि रु०202.00 का अपहरण ग्राम प्रधान / ग्राम पंचायत सचिव द्वारा किया गया है। अतः नगद धनराशि रु०202.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मीरा एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री राहुल रस्तोगी से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-10 ग्राम पंचायत के ई-ग्राम स्वराज पर दर्शित विवरण के अनुसार दिनांक 26.09.2020 को रु० 250.00 तथा दिनांक 28.09.2020 को रु० 17750.00 प्रशासनिक व्यय में दर्शित है। व्यय की गयी कुल धनराशि के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। जबकि ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष यदि व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्यय की गयी धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से किया जाना चाहिए। उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) के प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए। अतः कुल व्यय की गयी धनराशि रु०18000.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मीरा एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री राहुल रस्तोगी से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - हसनपुर खेवली विकास खण्ड - सरोजिनी नगर जनपद -लखनऊ वर्ष-2020-21

प्रस्तर संख्या- 11 ग्राम पंचायत में वर्ष 2020-21 में हैण्डपम्प रिबोर पर कुल धनराशि रु० 360550.00 व्यय की गयी है। व्यय की गयी कुल धनराशि के सापेक्ष लेखा परीक्षा में सामग्री क्रय से सम्बन्धित बिल/बाउचर, मजदूरी से सम्बन्धित मस्टर रोल, रिबोर किये गए हैण्ड पम्प की स्थालवार जानकारी तथा उनकी संख्या, अप्रयुक्त सामग्री / डेड स्टॉक रजिस्टर नहीं प्रस्तुत रहा। इस प्रकार लेखा परीक्षा में कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। जबकि ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष यदि व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्यय की गयी धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से किया जाना चाहिए। उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) के प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए। अतः कुल व्यय की गयी धनराशि रु० 360550.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री सूरज कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती शामीन बानो से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

क्रम	कार्य का नाम	वर्क आई डी	धनराशि
01	हैण्डपम्प रिबोर	14038063	181820.00
02	हैण्डपम्प रिबोर	28082689	24690.00
03	हैण्डपम्प रिबोर	14038055	154040.00

ग्राम पंचायत - रेवामऊ विकास खण्ड - बख्शी का तालाब जनपद -लखनऊ वर्ष-2020-21

प्रस्तर संख्या- 12 निम्नलिखित कार्यों पर कुल रु०1783587.00 का व्यय दर्शित है। विवरण निम्नलिखित-

क्रमांक	कार्य का नाम	कार्यआई०डी०	आहरण कर्ता का नाम	दिनांक	धनराशि

01	पंचायत मे सफाई कार्य	14907978	एस0के0इंटरप्राइजेज़	12-04-20	50000
02	सी0सी0रोड से रामफेर के घर तक इंटरलाकिंग	14907993	कमल ट्रेडर्स	12-04-20	68078
	"	14907993	मनीष(लेबर)	16-04-20	6800
	"	14907993	राधे इंटरप्राइजेज़	25-04-20	33121
03	सी0सी0रोड सेपिपरहा मार्ग तक इंटरलाकिंग	14907995	कमल ट्रेडर्स	12-04-20	58493
	"	14907995	मनीष(लेबर)	16-04-20	6000
	"	14907995	राधे इंटरप्राइजेज़	25-04-20	23139
04	हयूम पाइप कार्य	14907966	कमल ट्रेडर्स	12-04-20	24000
05	टिन न0,जीएसटी हेतु	14907985	आर०एन० इंटरप्राइजेज़	21-04-20	3050
06	प्रा0 वि0 बाउंड्रीवाल निर्माण	8869390	राधे इंटरप्राइजेज़	7-05-20	30000
	"	8869390	मनीष(लेबर)	7-05-20	28000
	"	8869390	संतोष	7-05-20	28000
	"	8869390	पवन ब्रिक फील्ड	7-05-20	28000
	"	8869390	राधे इंटरप्राइजेज़	16-06-20	60000
07	हैंडपम्प मरम्मत	20996081	एस0के0इंटरप्राइजेज़	07-05-20	40000
08	हैंडपम्प रिबोर	21111591	एस0के0इंटरप्राइजेज़	07-05-20	105000
	हैंडपम्प रिबोर	21111591	एस0के0इंटरप्राइजेज़	17-06-20	45000
09	हैंडपम्प मजदूरी	1396809	मनीष(लेबर)	26-05-20	22000
10	प्रशासनिक व्यय	29785866	एस0के0इंटरप्राइजेज़	01-06-20	48000
11	प्रशासनिक व्यय	42622460	बालाजी कांशट्रक्शन	7-07-20	4455
	प्रशासनिक व्यय	42622460	एवरी डे न्यूज़	11-7-20	3000
	प्रशासनिक व्यय	42622460	एवरी डे न्यूज़	25-07-20	1200
	प्रशासनिक व्यय	42622460	एवरी डे न्यूज़	03-09-20	4200
12	प्रशासनिक व्यय	42624749	राधे इंटरप्राइजेज़	25-07-20	60000
13	कमल किशोर के घर से राम प्रसादके घर तक नाली निर्माण	43866939	राधे इंटरप्राइजेज़	25-07-20	30500
	"	"	मनीष(लेबर)	25-07-20	6400
	"	"	संतोष(लेबर)	25-07-20	3600
14	हैंडपम्प रिबोर	42625609	राधे इंटरप्राइजेज़	26-08-20	129000
	हैंडपम्प रिबोर	"	मनीष(लेबर)	26-08-20	34200
	हैंडपम्प रिबोर	"	संतोष(लेबर)	26-08-20	34200
15	सामुदायिक शौचालय	42619462	राधे इंटरप्राइजेज़	9-03-20	120000
	सामुदायिक शौचालय		राधे इंटरप्राइजेज़	30-10-20	110000
	सामुदायिक शौचालय	42619462	राधे इंटरप्राइजेज़	14-03-20	137700
16	हनुमान की दुकानसेदीपचन्द के घर तक नाली निर्माण	44653582	राधे इंटरप्राइजेज़	17-09-20	50000
	"	"	मनीष(लेबर)	17-09-20	5600
17	हैंडपम्प मरम्मत	42625424	राधे इंटरप्राइजेज़	25-09-20	60000
			मनीष(लेबर)	10-10-20	25000
18-	हयूम पाइप कार्य	42624978	राधे इंटरप्राइजेज़	24-10-20	93414

19	हैंडपम्प मरम्मत	42620087	राधे इंटरप्राइजेज़	11-11-20	40000
20	राम अभिलाष के घर से तालाब तक नाली निर्माण	42621971	पवन ब्रिक फील्ड	09-12-20	35437
		"	राधे इंटरप्राइजेज़	9-12-20	44000
		"	मनीष(लेबर)	21-12-20	15000
21	सामग्री क्रय	42624616	राधे इंटरप्राइजेज़	23-12-20	30000
	योग				1783587

उक्त कार्य के सापेक्ष लेखापरीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया। जबकि ग्राम पंचायत हेतु वित्त एंव लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8[क] के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एंव पंचायत सचिव से किया जाना चाहिए। उ0प्र0 पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार दुरुपयोग की गयी कुल धनराशि रु0 1783587.00 में से ग्राम प्रधान से रु0 891793.50 और पंचायत सचिव से रु0891793.50 की वसूली बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

मास्टररोल प्रस्तुत नहीं किया गया

ग्राम पंचायत रेवा मऊ के वर्ष 2020-21 की लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभिन्न कार्यों पर मजदूरी हेतु रु0214800.00 का भुगतान दर्शित है जिसका विवरण निम्नवत है -

क्रमांक	कार्य आई० डी०	मजदूरी भुगतान	दिनांक	धनराशि
01	14907993	मनीष(लेबर)	16-04-20	6800
02	14907995	मनीष(लेबर)	16-04-20	6000
03	8869390	मनीष(लेबर)	7-05-20	28000
04	"	संतोष	7-05-20	28000
05	1396809	मनीष(लेबर)	26-05-20	22000
06	43866939	मनीष(लेबर)	25-07-20	6400
07	"	संतोष(लेबर)	25-07-20	3600
08	42625609	मनीष(लेबर)	26-08-20	34200
09	"	संतोष(लेबर)	26-08-20	34200
10	44653582	मनीष(लेबर)	17-09-20	5600
11	42625424	मनीष(लेबर)	10-10-20	25000
12	42621971	मनीष(लेबर)	21-12-20	15000
	योग			214800

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है की क्रमांक 1 से 12 पर अंकित कार्यों हेतु किन-किन मजदूरों को भुगतान किया गया दर्शित नहीं है। क्रमांक 1 से 12 पर अंकित कार्यों हेतु किसी एक व्यक्ति को मजदूरी का भुगतान किया गया। मास्टररोल लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका की कितने मजदूरों ने कार्य किया। उ0प्र0 पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 210 के अनुसार दैनिक मजदूरी पर कार्यरत मजदूरों की दैनिक उपस्थिति आदि के विवरण हेतु एक दैनिक उपस्थिति रजिस्टर रूप पत्र -22 पर तैयार किया जाएगा। उ0प्र0 पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए।

-कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं

उ0प्र0 पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 209 के अनुसार कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य ग्राम प्रधान या उसके अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत के किसी सदस्य को जिसे ग्राम पंचायत नियुक्त करे वह जारी करता है वह प्रमाणित करता है की कार्य प्राक्कलन एंव मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार पूर्ण हुआ यदि विचलन है तो उल्लेख करेगा। निम्न लिखित कार्यों पर कुल रु01783587-00 व्यय दर्शित है विवरण निम्नलिखित है -

क्रमांक	कार्य का नाम	कार्यआई० डी०	आहरण कर्ता का नाम	दिनांक	धनराशि
01	पंचायत मे सफाई कार्य	14907978	एस0के0इंटरप्राइजेज़	12-04-20	50000
02	सी0सी0रोड से रामफेर के घर तक इंटरलाकिंग	14907993	कमल ट्रेडर्स	12-04-20	68078
		"	मनीष(लेबर)	16-04-20	6800
		"	राधे इंटरप्राइजेज़	25-04-20	33121
03	सी0सी0रोड सेपिपरहा मार्ग तक इंटरलाकिंग	14907995	कमल ट्रेडर्स	12-04-20	58493
		"	मनीष(लेबर)	16-04-20	6000
		"	राधे इंटरप्राइजेज़	25-04-20	23139
04	हयूम पाइप कार्य	14907966	कमल ट्रेडर्स	12-04-20	24000
05	टिन न0,जीएसटी हेतु	14907985	आर०एन० इंटरप्राइजेज़	21-04-20	3050
06	प्रा0 वि0 बाउंड्रीवाल निर्माण	8869390	राधे इंटरप्राइजेज़	7-05-20	30000
		"	मनीष(लेबर)	7-05-20	28000
		"	संतोष	7-05-20	28000
		"	पवन ब्रिक फील्ड	7-05-20	28000
		"	राधे इंटरप्राइजेज़	16-06-20	60000
07	हैंडपम्प मरम्मत	20996081	एस0के0इंटरप्राइजेज़	07-05-20	40000
08	हैंडपम्प रिबोर	21111591	एस0के0इंटरप्राइजेज़	07-05-20	105000
		"	एस0के0इंटरप्राइजेज़	17-06-20	45000
09	हैंडपम्प मजदूरी	1396809	मनीष(लेबर)	26-05-20	22000
10	प्रशासनिक व्यय	29785866	एस0के0इंटरप्राइजेज़	01-06-20	48000
11	प्रशासनिक व्यय	42622460	बालाजी कांशट्रक्शन	7-07-20	4455
	प्रशासनिक व्यय	"	एवरी डे न्यूज़	11-7-20	3000
	प्रशासनिक व्यय	"	एवरी डे न्यूज़	25-07-20	1200
	प्रशासनिक व्यय	"	एवरी डे न्यूज़	03-09-20	4200
12	प्रशासनिक व्यय	42624749	राधे इंटरप्राइजेज़	25-07-20	60000
13	कमल किशोर के घर से राम प्रसादके घर तक नाली निर्माण	43866939	राधे इंटरप्राइजेज़	25-07-20	30500
		"	मनीष(लेबर)	25-07-20	6400
		"	संतोष(लेबर)	25-07-20	3600
14	हैंडपम्प रिबोर	42625609	राधे इंटरप्राइजेज़	26-08-20	129000
	हैंडपम्प रिबोर	"	मनीष(लेबर)	26-08-20	34200
	हैंडपम्प रिबोर	"	संतोष(लेबर)	26-08-20	34200
15	सामुदायिक शौचालय	42619462	राधे इंटरप्राइजेज़	9-03-20	120000
	सामुदायिक शौचालय		राधे इंटरप्राइजेज़	30-10-20	110000

	सामुदायिक शौचालय	42619462	राधे इंटरप्राइजेज़	14-03-20	137700
16	हनुमान की दुकानसे दीपचन्द के घर तक नाली निर्माण	44653582	राधे इंटरप्राइजेज़	17-09-20	50000
		"	मनीष(लेबर)	17-09-20	5600
17	हैंडपम्प मरम्मत	42625424	राधे इंटरप्राइजेज़	25-09-20	60000
		"	मनीष(लेबर)	10-10-20	25000
18-	हयूम पाइप कार्य	42624978	राधे इंटरप्राइजेज़	24-10-20	93414
19	हैंडपम्प मरम्मत	42620087	राधे इंटरप्राइजेज़	11-11-20	40000
20	राम अभिलाष के घर से तालाब तक नाली निर्माण	42621971	पवन ब्रिक फील्ड	09-12-20	35437
		"	राधे इंटरप्राइजेज़	9-12-20	44000
		"	मनीष(लेबर)	21-12-20	15000
21	सामग्री क्रय	42624616	राधे इंटरप्राइजेज़	23-12-20	30000
	योग				1783587

-पत्रावली प्रस्तुत नहीं -

कार्यों से संबंधित स्थलवार विवरण ,मानक,शासनदेश ,विभागीय परिपत्र ,पीडब्ल्यूडी द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र ,निर्देशो इत्यादि से लेखापरीक्षक अवगत नहीं हो सका निदेशक पंचायतीराज लखनउ उ0प्र0 के पत्रांक4/175/2015-4/81/2015 दिनांक 20जून 2016 के प्रस्तर-3 के अनुसार प्रत्येक कार्य हेतु ग्राम पंचायत चरणबद्ध फोटा अनिवार्य रूप से संरक्षित करेगा परन्तु लेखा परीक्षा में कोई फोटो प्रस्तुत नहीं किया गया इससे स्पष्ट नहीं हो सका कि कार्य वास्तविक है या नहीं ।

-सक्षम स्तर से वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं

वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति 2 से 2.5 लाख तक ado पंचायत ,2.5 से 5 लाख तक dpro ,5 लाख से ऊपर जिला अधिकारी से प्राप्त करना है लेखा परीक्षा में उक्त कार्य से संबंधित सक्षम स्तर वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतिसे ली गई है या नहीं स्पष्ट नहीं हो सका ।

-- माप पुस्तिका व प्राक्कलन न प्रस्तुत किया जाना

उ0प्र0पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152एवं 154 के अनुसार सार्वजनिक कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन एवं मानचित्र ग्रामसभा से स्वीकृत होगा।अग्रेतर शासनदेश संख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के प्रस्तर 2(ब) तकनीकी परीक्षण 2 लाख तक ग्राम पंचायत, 2 से 2.5 लाख तक अवर अभियंता द्वारा तथा 2.5 लाख से ऊपर अभियंता जिला पंचायत द्वारा किया जाएगा।निम्न लिखित कार्यों पर कुल रु01783587.00 व्यय दर्शित है विवरण निम्नलिखित है-

क्रमांक	कार्य का नाम	कार्यआई० डी०	आहरण कर्ता का नाम	दिनांक	धनराशि
01	पंचायत मे सफाई कार्य	14907978	एस0के0इंटरप्राइजेज़	12-04-20	50000
02	सी0सी0रोड से रामफेर के घर तक इंटरलाकिंग	14907993	कमल ट्रेडर्स	12-04-20	68078
		"	मनीष(लेबर)	16-04-20	6800
		"	राधे इंटरप्राइजेज़	25-04-20	33121
03	सी0सी0रोड सेपिपरहा मार्ग तक इंटरलाकिंग	14907995	कमल ट्रेडर्स	12-04-20	58493
		"	मनीष(लेबर)	16-04-20	6000

		"	राधे इंटरप्राइजेज़	25-04-20	23139
04	हयूम पाइप कार्य	14907966	कमल ट्रेडर्स	12-04-20	24000
05	टिन न0,जीएसटी हेतु	14907985	आर०एन० इंटरप्राइजेज़	21-04-20	3050
06	प्रा0 वि0 बाउंड्रीवाल निर्माण	8869390	राधे इंटरप्राइजेज़	7-05-20	30000
		"	मनीष(लेबर)	7-05-20	28000
		"	संतोष	7-05-20	28000
		"	पवन ब्रिक फील्ड	7-05-20	28000
		"	राधे इंटरप्राइजेज़	1606-20	60000
07	हैंडपम्प मरम्मत	20996081	एस0के0इंटरप्राइजेज़	07-05-20	40000
08	हैंडपम्प रिबोर	21111591	एस0के0इंटरप्राइजेज़	07-05-20	105000
		"	एस0के0इंटरप्राइजेज़	17-06-20	45000
09	हैंडपम्प मजदूरी	1396809	मनीष(लेबर)	26-05-20	22000
10	प्रशासनिक व्यय	29785866	एस0के0इंटरप्राइजेज़	01-06-20	48000
11	प्रशासनिक व्यय	42622460	बालाजी कांशट्रक्शन	7-07-20	4455
	प्रशासनिक व्यय	"	एवरी डे न्यूज़	11-7-20	3000
	प्रशासनिक व्यय	"	एवरी डे न्यूज़	25-07-20	1200
	प्रशासनिक व्यय	"	एवरी डे न्यूज़	03-09-20	4200
12	प्रशासनिक व्यय	42624749	राधे इंटरप्राइजेज़	25-07-20	60000
13	कमल किशोर के घर से राम प्रसादके घर तक नाली निर्माण	43866939	राधे इंटरप्राइजेज़	25-07-20	30500
		"	मनीष(लेबर)	25-07-20	6400
		"	संतोष(लेबर)	25-07-20	3600
14	हैंडपम्प रिबोर	42625609	राधे इंटरप्राइजेज़	26-08-20	129000
	हैंडपम्प रिबोर	"	मनीष(लेबर)	26-08-20	34200
	हैंडपम्प रिबोर	"	संतोष(लेबर)	26-08-20	34200
15	सामुदायिक शौचालय	42619462	राधे इंटरप्राइजेज़	9-03-20	120000
	सामुदायिक शौचालय		राधे इंटरप्राइजेज़	30-10-20	110000
	सामुदायिक शौचालय	42619462	राधे इंटरप्राइजेज़	14-03-20	137700
16	हनुमान की दुकानसेदीपचन्द के घर तक नाली निर्माण	44653582	राधे इंटरप्राइजेज़	17-09-20	50000
		"	मनीष(लेबर)	17-09-20	5600
17	हैंडपम्प मरम्मत	42625424	राधे इंटरप्राइजेज़	25-09-20	60000
			मनीष(लेबर)	10-10-20	25000
18-	हयूम पाइप कार्य	42624978	राधे इंटरप्राइजेज़	24-10-20	93414
19	हैंडपम्प मरम्मत	42620087	राधे इंटरप्राइजेज़	11-11-20	40000

20	राम अभिलाष के घर से तालाब तक नाली निर्माण	42621971	पवन ब्रिक फील्ड	09-12-20	35437
		"	राधे इंटरप्राइजेज़	9-12-20	44000
		"	मनीष(लेबर)	21-12-20	15000
21	सामग्री क्रय	42624616	राधे इंटरप्राइजेज़	23-12-20	30000
	योग				1783587

लेखा परीक्षा में उक्त कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन एवं मानचित्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। उ0प्र0पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 157 एवं समय-समय पर जारी निदेशक पंचायती राज के परिपत्रों एवं शासनादेशों के अनुसार बिना कार्य के माप-जोख के कोई भुगतान नहीं होगा। परन्तु लेखापरीक्षा में कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन व मापपुस्तिका प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। । उ0प्र0पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए।

--सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित न करना

ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 एवं 5 शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-08-1586 दिनांक 23.09.08 के अनुसार ₹0100000.00 (एक लाख) से अधिक की सामग्री क्रय सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित करके किया जायेगा, निविदाएं आमंत्रित करने में वस्तु का नाम, वस्तु की मात्रा, अनुमानित लागत, निविदाएं प्राप्त करने का समय एवं तिथि, निविदाएं खोलने की तिथि एवं समय इत्यादि का उल्लेख किया जाएगा। इच्छुक ठेकेदार को निविदा के साथ धरोहर की धनराशि जमा करना है। निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली फर्म सामग्री की अधिकृत विक्रेता/निर्माता होना चाहिये एवं फर्म की वित्तीय स्थिति जानने के लिए उनसे इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना चाहिए। पंचायत द्वारा उपरोक्त किसी प्रक्रिया का पालन किया गया है।

हैण्डपंप मरम्मत का स्थलवार विवरण, प्राक्कलन, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया

ग्राम पंचायत रेवा मऊ के वर्ष 2020-21 की लेखापरीक्षा में ऑन लाइन फीडेड बाउचर में निम्नलिखित कार्य आई० डी०के अंतर्गत हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर दर्शित है। फीडेड बाउचर/आन लाइन कैश बुक में हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर पर ₹0534400.00 का व्यय किया जाना दर्शित है, जिसका विवरण निम्न लिखित है -

क्रम सं०	हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
1	20996081	एस0के0इंटरप्राइजेज़	07-05-20	40000
2	21111591	एस0के0इंटरप्राइजेज़	07-05-20	105000
	21111591	एस0के0इंटरप्राइजेज़	17-06-20	45000
3	1396809	मनीष(लेबर)	26-05-20	22000
4	42625609	राधे इंटरप्राइजेज़	26-08-20	129000
	42625609	मनीष(लेबर)	26-08-20	34200
	42625609	संतोष(लेबर)	26-08-20	34200
5	42625424	राधे इंटरप्राइजेज़	25-09-20	60000
	42625424	मनीष(लेबर)	10-10-20	25000
6	42620087	राधे इंटरप्राइजेज़	11-11-20	40000

शासनादेश सं01134/अडतीस-5-56-सम/2010 दिनांक 29 जून 2011 के प्रस्तर-1 के अनुसार इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प स्थापना के बाद ग्रामपंचायत को रखरखाव हेतु हस्तान्तरित किया जायेगा प्रस्तर-2 के अनुसार हस्तान्तरित हैण्डपम्प ग्रामपंचायत के खुली बैठक में अनुमोदनोपरान्त परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा परन्तु लेखापरीक्षा में परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं करने यह स्पष्ट नहीं हो सका कि हैण्डपम्प हस्तान्तरित है या नहीं। हैण्डपंप मरम्मत का स्थलवार विवरण, प्राक्कलन, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं

किया गया । जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। उ०प्र०पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए।

ग्राम पंचायत - अचरामऊ विकास खण्ड - बखशी का तालाब जनपद -लखनऊ वर्ष-2020-21

प्रस्तर संख्या- 13 निम्नलिखित कार्यो पर कुल रू० 2137422 का व्यय दर्शित है विवरण निम्नलिखित

है-

क्रमांक	कार्य का नाम	कार्यआई०डी०	आहरणकर्ता का नाम	दिनांक	धनराशि
1	सफाई कार्य सामग्री	20643371	एस०के०इंटरप्राइजेज़	2-04-20	50000
2	"	43264026	एस०के०इंटरप्राइजेज़	25-07-20	60000
3	हैंडपम्प मरम्मत	2099027	एस०के०इंटरप्राइजेज़	7-05-20	30000
4	हैंडपम्प मरम्मत	43263979	एस०के०इंटरप्राइजेज़	2-07-20	60000
	हैंडपम्प मरम्मत	43263979	राधे इंटरप्राइजेज़	09-9-20	65000
	हैंडपम्प मरम्मत	43263979	राधे इंटरप्राइजेज़	22-11-20	60000
	हैंडपम्प मरम्मत	43263979	अमरकेश(लेबर)	27-09-20	25000
5	हैंडपम्प रिबोर	43262907	एस०के०इंटरप्राइजेज़	25-07-20	129000
	हैंडपम्प रिबोर	43262907	अमरकेश(लेबर)	26-7-20	34200
	हैंडपम्प रिबोर	43262907	अरविंद(लेबर)	26-7-20	17100
	हैंडपम्प रिबोर	43262907	ज्ञान सिंह (लेबर)	26-07-20	17100
6	हैंडपम्प रिबोर	45470810	राधे इंटरप्राइजेज़	20-12-20	40000
7	अंबरीश के घरसे खुशीराम के घर तक नाली निर्माण	19172669	एस०के०इंटरप्राइजेज़	22-05-20	150000
8	ठेलिया क्रय	14143668	कमल ट्रेडर्स	26-05-20	20000
9	प्रशासनिक व्यय	28511981	एस०के०इंटरप्राइजेज़	1-06-20	48000
10	संजय के घर से राम शंकर के घर तक इंटरलकिंग	25541916	अमर पाल(लेबर)	9-06-20	14800
		25541916	अरविंद(लेबर)	9-06-20	14800
11	चंद्रिका के घर से नौमी के घर तक नाली निर्माण	28513164	अमर पाल(लेबर)	9-06-20	8800
12	विभिन्न स्थानो पर पत्थर ढलवाई	20541915	अरविंदकुमार (लेबर)	9-06-20	8800
13	रोशन लाल के घर से अमर पाल के घर तक खड़जा	19172658	अमर पाल(लेबर)	9-06-20	8000
		19172658	अरविंदकुमार (लेबर)	9-06-20	8000
		19172658	अतुल (लेबर)	9-06-20	8000
14	सामुदायिक शौचालय निर्माण	43262233	एस०के०इंटरप्राइजेज़	9-09-20	200000
		43262233	राधे इंटरप्राइजेज़	17-09-20	100000
		43262233	एस०के०इंटरप्राइजेज़	26-09-20	80000
		43262233	एस०के०इंटरप्राइजेज़	30-10-20	200000
		43262233	अमरेन्द्र(लेबर)	22-11-20	20000
		43262233	योगेंद्र (लेबर)	22-11-20	20000
		43262233	पवन ट्रेडर्स	14-12-20	54000
15	प्रशासनिक व्यय	43340138	एवरी डे न्यूज़	16-7-20	3000
	प्रशासनिक व्यय	43340138	एवरी डे न्यूज़	25-7-20	4200

	प्रशासनिक व्यय	43340138	एवरी डे न्यूज़	27-08-20	4200
16	गौशाला गेट से आदर्श जलाशय तक खड़ुंजा	45111319	पवन ट्रेडर्स	17-11-20	87000
		45111319	धर्मेश(लेबर)	17-12-20	14000
17	हयूम पाईप	43263855	राधे इंटरप्राइजेज़	28-10-20	93414
18	हयूम पाईप	44652457	राधे इंटरप्राइजेज़	09-11-20	93414
19	इंफ्रारेड थर्मामीटर,पल्स आक्सीमीटर	37818923	बालाजी कांशट्रक्शन	7-07-20	4455
20	गोपालको का मानदेय	44652418	कुमार ट्रेडर्स	26-09-20	47386
21	बहादुर के घर से पप्पू रावत के घर तक इंटरलकिंग	19172659	धर्मेश(लेबर)	16-07-20	800
22	डामर रोड से कैलाश के घर तक खड़ुंजा	43266279	एस0के0इंटरप्राइजेज़	02-07-20	50000
23	सुरेश के घर से राजवीर के घर तक नाली	43265808	एस0के0इंटरप्राइजेज़	02-07-20	30000
24	डामर रोड सेराजू के घर तक इंटरलकिंग	43266322	एस0के0इंटरप्राइजेज़	02-07-20	60000
25	डामर रोड सेफुसनी के घर तक सी० सी० रोड	14143682	एस0के0इंटरप्राइजेज़	12-07-20	77553
26	डामर रोड से मुबीन के घर तक खड़ुंजा	19172663	धर्मेश(लेबर)	16-07-20	400
27	गौशाला गेट से आदर्श जलाशय तक खड़ुंजा	45470784	राधे इंटरप्राइजेज़	19-12-20	17000
	योग				2137422

उक्त कार्य के सापेक्ष लेखापरीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया। जबकि ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8[क] के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से किया जाना चाहिए। उ0प्र0पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार दुरुपयोग की गयी कुल धनराशि रु0 2137422 में से ग्राम प्रधान रु0 1068711.00 से और पंचायत सचिव से रु0 1068711.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है। बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

मास्टररोल प्रस्तुत नहीं किया गया

ग्राम पंचायत अचरामऊ के वर्ष 2020-21 की लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभिन्न कार्यों पर मजदूरी हेतु रु0 219800.00 का भुगतान दर्शित है जिसका विवरण निम्नवत है -

क्रमांक	कार्य आई० डी०	मजदूरी भुगतान	दिनांक	धनराशि
01	43263979	अमरकेश(लेबर)	27-09-20	25000
02	43262907	अमरकेश(लेबर)	26-7-20	34200
03	43262907	अरविंद(लेबर)	26-7-20	17100
04	43262907	ज्ञान सिंह (लेबर)	26-07-20	17100
05	25541916	अमर पाल(लेबर)	9-06-20	14800
06	25541916	अरविंद(लेबर)	9-06-20	14800
07	28513164	अमर पाल(लेबर)	9-06-20	8800
08	20541915	अरविंदकुमार (लेबर)	9-06-20	8800
09	19172658	अमर पाल(लेबर)	9-06-20	8000
10	19172658	अरविंदकुमार (लेबर)	9-06-20	8000
11	19172658	अतुल (लेबर)	9-06-20	8000

12	43262233	अमरेन्द्र(लेबर)	22-11-20	20000
13	43262233	योगेंद्र (लेबर)	22-11-20	20000
14	45111319	धर्मेश(लेबर)	17-12-20	14000
15	19172659	धर्मेश(लेबर)	16-07-20	800
16	19172663	धर्मेश(लेबर)	16-07-20	400
	योग			219800

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है की क्रमांक 1 से 16 पर अंकित कार्यों हेतु किन किन मजदूरों को भुगतान किया गया दर्शित नहीं है। क्रमांक 1से 16 पर अंकित कार्यों हेतु किसी एक व्यक्ति को मजदूरी का भुगतान किया गया। मास्टररोल लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका की कितने मजदूरों ने कार्य किया। उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 210 के अनुसार दैनिक मजदूरी पर कार्यरत मजदूरों की दैनिक उपस्थिति आदि के विवरण हेतु एक दैनिक उपस्थिति रजिस्टर रूप पत्र -22 पर तैयार किया जाएगा। उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए।

-कार्यपूति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं

उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 209 के अनुसार कार्यपूति प्रमाण पत्र कार्य ग्राम प्रधान या उसके अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत के किसी सदस्य को जिसे ग्राम पंचायत नियुक्त करे वह जारी करता है वह प्रमाणित करता है की कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार पूर्ण हुआ यदि विचलन है तो उल्लेख करेगा। निम्न लिखित कार्यों पर कुल रु02137422.00 व्यय दर्शित है विवरण निम्नलिखित है -

क्रमांक	कार्य का नाम	कार्य आई० डी०	आहरण कर्ता का नाम	दिनांक	धनराशि
1	सफाई कार्य सामग्री	20643371	एस0के0इंटरप्राइजेज़	2-04-20	50000
2	"	43264026	एस0के0इंटरप्राइजेज़	25-07-20	60000
3	हैंडपम्प मरम्मत	2099027	एस0के0इंटरप्राइजेज़	7-05-20	30000
4	हैंडपम्प मरम्मत	43263979	एस0के0इंटरप्राइजेज़	2-07-20	60000
	हैंडपम्प मरम्मत	43263979	राधे इंटरप्राइजेज़	09-9-20	65000
	हैंडपम्प मरम्मत	43263979	राधे इंटरप्राइजेज़	22-11-20	60000
	हैंडपम्प मरम्मत	43263979	अमरकेश(लेबर)	27-09-20	25000
5	हैंडपम्प रिबोर	43262907	एस0के0इंटरप्राइजेज़	25-07-20	129000
	हैंडपम्प रिबोर	43262907	अमरकेश(लेबर)	26-7-20	34200
	हैंडपम्प रिबोर	43262907	अरविंद(लेबर)	26-7-20	17100
	हैंडपम्प रिबोर	43262907	ज्ञान सिंह (लेबर)	26-07-20	17100
6	हैंडपम्प रिबोर	45470810	राधे इंटरप्राइजेज़	20-12-20	40000
7	अंबरीश के घर से खुशीराम के घर तक नाली निर्माण	19172669	एस0के0इंटरप्राइजेज़	22-05-20	150000
8	ठेलिया क्रय	14143668	कमल ट्रेडर्स	26-05-20	20000
9	प्रशासनिक व्यय	28511981	एस0के0इंटरप्राइजेज़	1-06-20	48000
10	संजय के घर से राम शंकर के घर तक इंटरलकिंग	25541916	अमर पाल(लेबर)	9-06-20	14800
		25541916	अरविंद(लेबर)	9-06-20	14800
11	चंद्रिका के घर से नौमी के घर तक नाली निर्माण	28513164	अमर पाल(लेबर)	9-06-20	8800

12	विभिन्न स्थानों पर पत्थर ढलवाई	20541915	अरविंदकुमार (लेबर)	9-06-20	8800
13	रोशन लाल के घर से अमर पाल के घर तक खड़जा	19172658	अमर पाल(लेबर)	9-06-20	8000
		19172658	अरविंदकुमार (लेबर)	9-06-20	8000
		19172658	अतुल (लेबर)	9-06-20	8000
14	सामुदायिक शौचालय निर्माण	43262233	एस0के0इंटरप्राइजेज़	9-09-20	200000
		43262233	राधे इंटरप्राइजेज़	17-09-20	100000
		43262233	एस0के0इंटरप्राइजेज़	26-09-20	80000
		43262233	एस0के0इंटरप्राइजेज़	30-10-20	200000
		43262233	अमरेन्द्र(लेबर)	22-11-20	20000
		43262233	योगेंद्र (लेबर)	22-11-20	20000
		43262233	पवन ट्रेडर्स	14-12-20	54000
15	प्रशासनिक व्यय	43340138	एवरी डे न्यूज़	16-7-20	3000
	प्रशासनिक व्यय	43340138	एवरी डे न्यूज़	25-7-20	4200
	प्रशासनिक व्यय	43340138	एवरी डे न्यूज़	27-08-20	4200
16	गौशाला गेट से आदर्श जलाशय तक खड़जा	45111319	पवन ट्रेडर्स	17-11-20	87000
		45111319	धर्मेश(लेबर)	17-12-20	14000
17	हयूम पाईप	43263855	राधे इंटरप्राइजेज़	28-10-20	93414
18	हयूम पाईप	44652457	राधे इंटरप्राइजेज़	09-11-20	93414
19	इंफ्रारेड थर्मामीटर,पल्स आक्सीमीटर	37818923	बालाजी कांशट्रक्शन	7-07-20	4455
20	गोपालको का मानदेय	44652418	कुमार ट्रेडर्स	26-09-20	47386
21	बहादुर के घर से पप्पू रावत के घर तक इंटरलकिंग	19172659	धर्मेश(लेबर)	16-07-20	800
22	डामर रोड से कैलाश के घर तक खड़जा	43266279	एस0के0इंटरप्राइजेज़	02-07-20	50000
23	सुरेश के घर से राजवीर के घर तक नाली	43265808	एस0के0इंटरप्राइजेज़	02-07-20	30000
24	डामर रोड सेराजू के घर तक इंटरलकिंग	43266322	एस0के0इंटरप्राइजेज़	02-07-20	60000
25	डामर रोड सेफुसनी के घर तक सी० सी० रोड	14143682	एस0के0इंटरप्राइजेज़	12-07-20	77553
26	डामर रोड से मुबीन के घर तक खड़जा	19172663	धर्मेश(लेबर)	16-07-20	400

27	गौशाला गेट से आदर्श जलाशय तक खड़जा	45470784	राधे इंटरप्राइजेज़	19-12-20	17000
	योग				2137422

लेखापरीक्षा में कार्यपूति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार नहीं हुआ है। उ0प्र0पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए।

पत्रावली प्रस्तुत नहीं -

कार्यों से संबंधित स्थलवार विवरण ,मानक,शासनदेश ,विभागीय परिपत्र ,पीडबल्यूडी द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र ,निर्देशो इत्यादि से लेखापरीक्षक अवगत नहीं हो सका निदेशक पंचायतीराज लखनउ उ0प्र0 के पत्रांक4/175/2015-4/81/2015 दिनांक 20जून 2016 के प्रस्तर-3 के अनुसार प्रत्येक कार्य हेतु ग्राम पंचायत चरणबद्ध फोटा अनिवार्य रूप से संरक्षित करेगा परन्तु लेखा परीक्षा में कोई फोटो प्रस्तुत नहीं किया गया इससे स्पष्ट नहीं हो सका कि कार्य वास्तविक है या नहीं ।

-सक्षम स्तर से वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं

वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति 2 से 2.5 लाख तक ado पंचायत ,2.5 से 5 लाख तक dpro ,5 लाख से ऊपर जिला अधिकारी से प्राप्त करना है लेखा परीक्षा में उक्त कार्य से संबंधित सक्षम स्तर वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतिसे ली गई है या नहीं स्पष्ट नहीं हो सका ।

माप पुस्तिका व प्राक्कलन न प्रस्तुत किया जाना -

उ0प्र0पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152 एवं 154 के अनुसार सार्वजनिक कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन एवं मानचित्र ग्रामसभा से स्वीकृत होगा।अग्रेतर शासनदेश संख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के प्रस्तर 2(ब) तकनीकी परीक्षण 2 लाख तक ग्राम पंचायत , 2 से 2.5 लाख तक अवर अभियंता द्वारा तथा 2.5 लाख से ऊपर अभियंता जिला पंचायत द्वारा किया जाएगा। निम्न लिखित कार्यों पर कुल रु0 2137422.00 व्यय दर्शित है विवरण निम्नलिखित है -

क्रमांक	कार्य का नाम	कार्य आई० डी०	आहरण कर्ता का नाम	दिनांक	धनराशि
1	सफाई कार्य सामग्री	20643371	एस0के0इंटरप्राइजेज़	2-04-20	50000
2	"	43264026	एस0के0इंटरप्राइजेज़	25-07-20	60000
3	हैंडपम्प मरम्मत	2099027	एस0के0इंटरप्राइजेज़	7-05-20	30000
4	हैंडपम्प मरम्मत	43263979	एस0के0इंटरप्राइजेज़	2-07-20	60000
	हैंडपम्प मरम्मत	43263979	राधे इंटरप्राइजेज़	09-9-20	65000
	हैंडपम्प मरम्मत	43263979	राधे इंटरप्राइजेज़	22-11-20	60000
	हैंडपम्प मरम्मत	43263979	अमरकेश(लेबर)	27-09-20	25000
5	हैंडपम्प रिबोर	43262907	एस0के0इंटरप्राइजेज़	25-07-20	129000
	हैंडपम्प रिबोर	43262907	अमरकेश(लेबर)	26-7-20	34200
	हैंडपम्प रिबोर	43262907	अरविंद(लेबर)	26-7-20	17100
	हैंडपम्प रिबोर	43262907	ज्ञान सिंह (लेबर)	26-07-20	17100
6	हैंडपम्प रिबोर	45470810	राधे इंटरप्राइजेज़	20-12-20	40000
7	अंबरीश के घरसे खुशीराम के घर तक नाली निर्माण	19172669	एस0के0इंटरप्राइजेज़	22-05-20	150000
8	ठेलिया क्रय	14143668	कमल ट्रेडर्स	26-05-20	20000
9	प्रशासनिक व्यय	28511981	एस0के0इंटरप्राइजेज़	1-06-20	48000

10	संजय के घर से राम शंकर के घर तक इंटरलकिंग	25541916	अमर पाल(लेबर)	9-06-20	14800
		25541916	अरविंद(लेबर)	9-06-20	14800
11	चंद्रिका के घर से नौमी के घर तक नाली निर्माण	28513164	अमर पाल(लेबर)	9-06-20	8800
12	विभिन्न स्थानों पर पत्थर ढलवाई	20541915	अरविंदकुमार (लेबर)	9-06-20	8800
13	रोशन लाल के घर से अमर पाल के घर तक खड़जा	19172658	अमर पाल(लेबर)	9-06-20	8000
		19172658	अरविंदकुमार (लेबर)	9-06-20	8000
		19172658	अतुल (लेबर)	9-06-20	8000
14	सामुदायिक शौचालय निर्माण	43262233	एस0के0इंटरप्राइजेज़	9-09-20	200000
		43262233	राधे इंटरप्राइजेज़	17-09-20	100000
		43262233	एस0के0इंटरप्राइजेज़	26-09-20	80000
		43262233	एस0के0इंटरप्राइजेज़	30-10-20	200000
		43262233	अमरेन्द्र(लेबर)	22-11-20	20000
		43262233	योगेंद्र (लेबर)	22-11-20	20000
		43262233	पवन ट्रेडर्स	14-12-20	54000
15	प्रशासनिक व्यय	43340138	एवरी डे न्यूज़	16-7-20	3000
	प्रशासनिक व्यय	43340138	एवरी डे न्यूज़	25-7-20	4200
	प्रशासनिक व्यय	43340138	एवरी डे न्यूज़	27-08-20	4200
16	गौशाला गेट से आदर्श जलाशय तक खड़जा	45111319	पवन ट्रेडर्स	17-11-20	87000
		45111319	धर्मेश(लेबर)	17-12-20	14000
17	हयूम पाईप	43263855	राधे इंटरप्राइजेज़	28-10-20	93414
18	हयूम पाईप	44652457	राधे इंटरप्राइजेज़	09-11-20	93414
19	इंफ्रारेड थर्मामीटर, पल्स आक्सीमीटर	37818923	बालाजी कांशट्रक्शन	7-07-20	4455
20	गोपालको का मानदेय	44652418	कुमार ट्रेडर्स	26-09-20	47386
21	बहादुर के घर से पप्पू रावत के घर तक इंटरलकिंग	19172659	धर्मेश(लेबर)	16-07-20	800
22	डामर रोड से कैलाश के घर तक खड़जा	43266279	एस0के0इंटरप्राइजेज़	02-07-20	50000
23	सुरेश के घर से राजवीर के घर तक नाली	43265808	एस0के0इंटरप्राइजेज़	02-07-20	30000
24	डामर रोड सेराजू के घर तक इंटरलकिंग	43266322	एस0के0इंटरप्राइजेज़	02-07-20	60000

25	डामर रोड सेफुसनी के घर तक सी० सी० रोड	14143682	एस0के0इंटरप्राइजेज़	12-07-20	77553
26	डामर रोड से मुबीन के घर तक खड़जा	19172663	धर्मेश(लेबर)	16-07-20	400
27	गौशाला गेट से आदर्श जलाशय तक खड़जा	45470784	राधे इंटरप्राइजेज़	19-12-20	17000
	योग				2137422

लेखा परीक्षा में उक्त कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन एवं मानचित्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। उ0प्र0पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 157 एवं समय-समय पर जारी निदेशक पंचायती राज के परिपत्रों एवं शासनादेशों के अनुसार बिना कार्य के माप-जोख के कोई भुगतान नहीं होगा। परन्तु लेखापरीक्षा में कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन व मापपुस्तिका प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकती। । उ0प्र0पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256(1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए।

--सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित न करना

ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 एवं 5 शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-08-1586 दिनांक 23.09.08 के अनुसार ₹0100000.00 (एक लाख) से अधिक की सामग्री क्रय सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित करके किया जायेगा, निविदाएं आमंत्रित करने में वस्तु का नाम, वस्तु की मात्रा, अनुमानित लागत, निविदाएं प्राप्त करने का समय एवं तिथि, निविदाएं खोलने की तिथि एवं समय इत्यादि का उल्लेख किया जाएगा। इच्छुक ठेकेदार को निविदा के साथ धरोहर की धनराशि जमा करना है। निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली फर्म सामग्री की अधिकृत विक्रेता/निर्माता होना चाहिये एवं फर्म की वित्तीय स्थिति जानने के लिए उनसे इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना चाहिए। पंचायत द्वारा उपरोक्त किसी प्रक्रिया का पालन किया गया है अथवा नहीं स्पष्ट नहीं रहा। पंचायत द्वारा विभिन्न तिथियों में कुल ₹0 1917622-00 सामग्री क्रय किया गया।

हैण्डपंप मरम्मत का स्थलवार विवरण, प्राक्कलन, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया

--ग्राम पंचायत अचरामऊ के वर्ष 2020-21 की लेखापरीक्षा में लेखापरीक्षा में ऑन लाइन फीडेड बाउचर में निम्नलिखित कार्य आई० डी०के अंतर्गत हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर दर्शित है। फीडेड बाउचर/आन लाइन कैश बुक में हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर पर ₹0 477400.00 का व्यय किया जाना दर्शित है, जिसका विवरण निम्न लिखित है -

क्र 0	हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
1	2099027	एस0के0इंटरप्राइजेज़	7-05-20	30000
2	43263979	एस0के0इंटरप्राइजेज़	2-07-20	60000
3	43263979	राधे इंटरप्राइजेज़	09-9-20	65000
4	43263979	राधे इंटरप्राइजेज़	22-11-20	60000
5	43263979	अमरकेश(लेबर)	27-09-20	25000
6	43262907	एस0के0इंटरप्राइजेज़	25-07-20	129000
7	43262907	अमरकेश(लेबर)	26-7-20	34200
8	43262907	अरविंद(लेबर)	26-7-20	17100
9	43262907	ज्ञान सिंह (लेबर)	26-07-20	17100
10	45470810	राधे इंटरप्राइजेज़	20-12-20	40000

शासनादेश सं01134/अडतीस-5-56-सम/2010 दिनांक 29 जून 2011 के प्रस्तर-1 के अनुसार इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प स्थापना के बाद ग्रामपंचायत को रखरखाव हेतु हस्तान्तरित किया जायेगा प्रस्तर-2 के अनुसार हस्तान्तरित

हैण्डपम्प ग्रामपंचायत के खुली बैठक में अनुमोदनोपरान्त परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा परन्तु लेखापरीक्षा में परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं करने यह स्पष्ट नहीं हो सका कि हैण्डपम्प हस्तान्तरित है या नहीं । हैण्डपंप मरम्मत का स्थलवार विवरण ,प्राक्कलन ,चरणबद्ध फोटो ,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। उ0प्र0पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए।

ग्राम पंचायत -अतिरिक्त टाउन एरिया काकोरी विकास खण्ड -काकोरी जनपद -लखनऊ वर्ष-2020-21

प्रस्तर संख्या- 14

ग्राम पंचायत- अतिरिक्त टाउन एरिया काकोरी द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में विकास कार्यों पर कुल रुपए 1706030.00 व्यय किया गया है, जिसके सन्दर्भ में आपत्ति के प्रमुख बिन्दु निम्नलिखित है-

(1)कार्य आपूर्ति बिल से वैधानिक कटौती की रीकवरी न किया जाना-

आय कर अधिनियम 1961 यथा संशोधित की धारा 194 सी के अनुसार आपूर्ति करता के बिल से भुगतान की गई धनराशि से 2% टी डी एस काटकर सम्यक लेखा शीर्ष में चालान के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए इसी प्रकार जी एस टी अधिनियम 2017 के अंतर्गत धारा 51 में स्रोत पर टी डी एस कटौती करके सम्यक लेखा शीर्ष में चालान के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए था परंतु पंचायत द्वारा उक्त कटौतियां न करके राजकोष को क्षति पहुंचाई ।

(2)माप पुस्तिका व प्राक्कलन न प्रस्तुत किया जाना-

उ0प्र0पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152 एवं 154 के अनुसार सार्वजनिक कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन एवं मानचित्र ग्रामसभा से स्वीकृत होगा।अग्रेतर शासनदेश संख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के प्रस्तर 2(ब) तकनीकी परीक्षण 2 लाख तक ग्राम पंचायत , 2 से 2.5 लाख तक अवर अभियंता द्वारा तथा 2.5 लाख से ऊपर अभियंता जिला पंचायत द्वारा किया जाएगा

ग्राम पंचायत- अतिरिक्त टाउन एरिया काकोरी का वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों विभिन्न कार्यों के सापेक्ष कुल रु0 1706030.00 व्यय किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है

क्र०सं०	कार्य का नाम	कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
1	नाम अंकित नहीं	14443288	नन्द कुमार राजपूत	01-05-2020	20000.00
2	नाम अंकित नहीं	20878889	रामकिशोर	29-05-2020	14000.00
			निगम हार्डवेयर पेंट	29-05-2020	64000.00
			रामकिशोर	23-06-2020	17000.00
3	नाम अंकित नहीं	29147912	निगम हार्डवेयर	23-06-2020	76320.00
4	नाम अंकित नहीं	32100150	श्री बालाजी ट्रेडर्स	30-06-2020	110998.00
			अनामिका इंटरप्राइजेज	30-06-2020	20702.00
			रामकिशोर	30-06-2020	49285.00
			रामकिशोर	30-06-2020	17000.00
5	नाम अंकित नहीं	43218957	नन्द कुमार राजपूत	04-07-2020	120000.00
			रामकिशोर	04-07-2020	40000.00
			रामकिशोर	20-11-2020	10000.00
6	नाम अंकित नहीं	43218111	जीतेन्द्र कुमार कश्यप	04-07-2020	10000.00
			एवरी डे न्यूज़	13-08-2020	5250.00
			जनता साईकिल स्टोर	07-09-2020	4850.00

			बृजेश बुक सेन्टर	07-09-2020	7225.00
			सरस ग्रुप	12-10-2020	3050.00
7	नाम अंकित नहीं	43218737	निगम हार्डवेयर पेंट	28-07-2020	49950.00
			निगम हार्डवेयर पेंट	07-09-2020	37950.00
			रामकिशोर	07-09-2020	10000.00
			सुरेश कुमार	30-03-2021	8000.00
			समर सेल्स	30-03-2021	33700.00
8	नाम अंकित नहीं	43218445	श्री बालाजी ट्रेडर्स	13-08-2020	68768.00
			अमृत ब्रिक फील्ड	22-08-2020	17535.00
			सर्वेश कुमार मौर्या	22-08-2020	4665.00
			श्री बालाजी ट्रेडर्स	17-09-2020	47078.00
			अमृत ब्रिक फील्ड	17-09-2020	16118.00
			रामकिशोर	17-09-2020	7560.00
			रामकिशोर	01-10-2020	24660.00
			रामकिशोर	22-10-2020	16296.00
			श्री बालाजी ट्रेडर्स	13-11-2020	22103.00
9	नाम अंकित नहीं	43219078	अमृत ब्रिक फील्ड	22-08-2020	48352.00
			श्री बालाजी ट्रेडर्स	22-08-2020	61934.00
			श्री बालाजी ट्रेडर्स	28-08-2020	83670.00
			रामकिशोर	28-08-2020	6300.00
			अमृत ब्रिक फील्ड	07-09-2020	29400.00
			सर्वेश कुमार मौर्या	07-09-2020	5250.00
			रामकिशोर	07-09-2020	12600.00
			रामकिशोर	17-09-2020	8820.00
			निगम हार्डवेयर	01-10-2020	26500.00
			निगम हार्डवेयर	01-10-2020	20500.00
			श्री बालाजी ट्रेडर्स	01-10-2020	64858.00
			ओम प्रकाश	06-10-2020	27720.00
			दिनेश कुमार	12-10-2020	17500.00
			अमृत ब्रिक फील्ड	12-10-2020	13807.00
			ओम प्रकाश	12-10-2020	9000.00
			सर्वेश कुमार मौर्या	02-12-2020	2400.00
			सुन्दर लाल	21-03-2021	2940.00
			समर सेल्स	30-03-2021	40070.00
			समर सेल्स	30-03-2021	10590.00
			स्वास्तिक टाईल्स	30-03-2021	20870.00

			स्वास्तिक टाईल्स	30-03-2021	17166.00
10		43218871	निगम हार्डवेयर	14-10-2020	46950.00
			रामकिशोर	14-10-2020	10000.00
			रामकिशोर	22-10-2020	10000.00
			निगम हार्डवेयर	13-11-2020	44025.00
			रामकिशोर	13-11-2020	5000.00
			रामकिशोर	20-11-2020	10000.00
			निगम हार्डवेयर	02-12-2020	15895.00
			सुरेश कुमार	25-02-2021	10000.00
			समर सेल्स	04-03-2021	40100.00
11		43218088	निगम हार्डवेयर	24-10-2020	19280.00
			बुद्धेश्वर कंस्ट्रक्शन	25-03-2021	10470.00

लेखा परीक्षा में उक्त कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन एवं मानचित्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

उ0प्र0पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 157 एवं समय-समय पर जारी निदेशक पंचायती राज के परिपत्रों एवं शासनादेशों के अनुसार बिना कार्य के माप-जोख के कोई भुगतान नहीं होगा। परन्तु लेखापरीक्षा में कार्य से सम्बन्धित मापपुस्तिका प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। । उ0प्र0पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए।

(3) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं

ग्राम पंचायत- अतिरिक्त टाउन एरिया काकोरी का वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों विभिन्न कार्यों के सापेक्ष कुल रु0 1706030.00 व्यय किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है -

क्र०सं०	कार्य का नाम	कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
1	नाम अंकित नहीं	14443288	नन्द कुमार राजपूत	01-05-2020	20000.00
2	नाम अंकित नहीं	20878889	रामकिशोर	29-05-2020	14000.00
			निगम हार्डवेयर पेंट	29-05-2020	64000.00
			रामकिशोर	23-06-2020	17000.00
3	नाम अंकित नहीं	29147912	निगम हार्डवेयर	23-06-2020	76320.00
4	नाम अंकित नहीं	32100150	श्री बालाजी ट्रेडर्स	30-06-2020	110998.00
			अनामिका इंटरप्राइजेज	30-06-2020	20702.00
			रामकिशोर	30-06-2020	49285.00
			रामकिशोर	30-06-2020	17000.00

5	नाम अंकित नहीं	43218957	नन्द कुमार राजपूत	04-07-2020	120000.00
			रामकिशोर	04-07-2020	40000.00
			रामकिशोर	20-11-2020	10000.00
6	नाम अंकित नहीं	43218111	जीतेन्द्र कुमार कश्यप	04-07-2020	10000.00
			एवरी डे न्यूज़	13-08-2020	5250.00
			जनता साईकिल स्टोर	07-09-2020	4850.00
			बृजेश बुक सेन्टर	07-09-2020	7225.00
			सरस ग्रुप	12-10-2020	3050.00
7	नाम अंकित नहीं	43218737	निगम हार्डवेयर पेंट	28-07-2020	49950.00
			निगम हार्डवेयर पेंट	07-09-2020	37950.00
			रामकिशोर	07-09-2020	10000.00
			सुरेश कुमार	30-03-2021	8000.00
			समर सेल्स	30-03-2021	33700.00
8	नाम अंकित नहीं	43218445	श्री बालाजी ट्रेडर्स	13-08-2020	68768.00
			अमृत ब्रिक फील्ड	22-08-2020	17535.00
			सर्वेश कुमार मौर्या	22-08-2020	4665.00
			श्री बालाजी ट्रेडर्स	17-09-2020	47078.00
			अमृत ब्रिक फील्ड	17-09-2020	16118.00
			रामकिशोर	17-09-2020	7560.00
			रामकिशोर	01-10-2020	24660.00
			रामकिशोर	22-10-2020	16296.00
			श्री बालाजी ट्रेडर्स	13-11-2020	22103.00
9	नाम अंकित नहीं	43219078	अमृत ब्रिक फील्ड	22-08-2020	48352.00
			श्री बालाजी ट्रेडर्स	22-08-2020	61934.00
			श्री बालाजी ट्रेडर्स	28-08-2020	83670.00
			रामकिशोर	28-08-2020	6300.00
			अमृत ब्रिक फील्ड	07-09-2020	29400.00
			सर्वेश कुमार मौर्या	07-09-2020	5250.00
			रामकिशोर	07-09-2020	12600.00
			रामकिशोर	17-09-2020	8820.00
			निगम हार्डवेयर	01-10-2020	26500.00
			निगम हार्डवेयर	01-10-2020	20500.00
			श्री बालाजी ट्रेडर्स	01-10-2020	64858.00
			ओम प्रकाश	06-10-2020	27720.00
			दिनेश कुमार	12-10-2020	17500.00
			अमृत ब्रिक फील्ड	12-10-2020	13807.00

			ओम प्रकाश	12-10-2020	9000.00
			सर्वेश कुमार मौर्या	02-12-2020	2400.00
			सुन्दर लाल	21-03-2021	2940.00
			समर सेल्स	30-03-2021	40070.00
			समर सेल्स	30-03-2021	10590.00
			स्वास्तिक टाईल्स	30-03-2021	20870.00
			स्वास्तिक टाईल्स	30-03-2021	17166.00
10		43218871	निगम हार्डवेयर	14-10-2020	46950.00
			रामकिशोर	14-10-2020	10000.00
			रामकिशोर	22-10-2020	10000.00
			निगम हार्डवेयर	13-11-2020	44025.00
			रामकिशोर	13-11-2020	5000.00
			रामकिशोर	20-11-2020	10000.00
			निगम हार्डवेयर	02-12-2020	15895.00
			सुरेश कुमार	25-02-2021	10000.00
			समर सेल्स	04-03-2021	40100.00
11		43218088	निगम हार्डवेयर	24-10-2020	19280.00
			बुद्धेश्वर कंस्ट्रक्शन	25-03-2021	10470.00

उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 209 के अनुसार कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य ग्राम प्रधान या उसके अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत के किसी सदस्य को जिसे ग्राम पंचायत नियुक्त करे वह जारी करता है वह यह प्रमाणित करता है की कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार पूर्ण हुआ है । यदि विचलन है तो उसका उल्लेख करेगा ।

लेखापरीक्षा में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार नहीं हुआ है। उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए।

(4) व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया

ग्राम पंचायत-अतिरिक्त टाउन एरिया काकोरी का वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में कुल रु० 1706030.00 आहरित किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है

क्र०सं०	कार्य का नाम	कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
1	नाम अंकित नहीं	14443288	नन्द कुमार राजपूत	01-05-2020	20000.00
2	नाम अंकित नहीं	20878889	रामकिशोर	29-05-2020	14000.00
			निगम हार्डवेयर पेंट	29-05-2020	64000.00
			रामकिशोर	23-06-2020	17000.00

3	नाम अंकित नहीं	29147912	निगम हार्डवेयर	23-06-2020	76320.00
4	नाम अंकित नहीं	32100150	श्री बालाजी ट्रेडर्स	30-06-2020	110998.00
			अनामिका इंटरप्राइजेज	30-06-2020	20702.00
			रामकिशोर	30-06-2020	49285.00
			रामकिशोर	30-06-2020	17000.00
5	नाम अंकित नहीं	43218957	नन्द कुमार राजपूत	04-07-2020	120000.00
			रामकिशोर	04-07-2020	40000.00
			रामकिशोर	20-11-2020	10000.00
6	नाम अंकित नहीं	43218111	जीतेन्द्र कुमार कश्यप	04-07-2020	10000.00
			एवरी डे न्यूज़	13-08-2020	5250.00
			जनता साईकिल स्टोर	07-09-2020	4850.00
			बृजेश बुक सेंटर	07-09-2020	7225.00
			सरस ग्रुप	12-10-2020	3050.00
7	नाम अंकित नहीं	43218737	निगम हार्डवेयर पेंट	28-07-2020	49950.00
			निगम हार्डवेयर पेंट	07-09-2020	37950.00
			रामकिशोर	07-09-2020	10000.00
			सुरेश कुमार	30-03-2021	8000.00
			समर सेल्स	30-03-2021	33700.00
8	नाम अंकित नहीं	43218445	श्री बालाजी ट्रेडर्स	13-08-2020	68768.00
			अमृत ब्रिक फील्ड	22-08-2020	17535.00
			सर्वेश कुमार मौर्या	22-08-2020	4665.00
			श्री बालाजी ट्रेडर्स	17-09-2020	47078.00
			अमृत ब्रिक फील्ड	17-09-2020	16118.00
			रामकिशोर	17-09-2020	7560.00
			रामकिशोर	01-10-2020	24660.00
			रामकिशोर	22-10-2020	16296.00
			श्री बालाजी ट्रेडर्स	13-11-2020	22103.00
9	नाम अंकित नहीं	43219078	अमृत ब्रिक फील्ड	22-08-2020	48352.00
			श्री बालाजी ट्रेडर्स	22-08-2020	61934.00
			श्री बालाजी ट्रेडर्स	28-08-2020	83670.00
			रामकिशोर	28-08-2020	6300.00
			अमृत ब्रिक फील्ड	07-09-2020	29400.00
			सर्वेश कुमार मौर्या	07-09-2020	5250.00
			रामकिशोर	07-09-2020	12600.00
			रामकिशोर	17-09-2020	8820.00
			निगम हार्डवेयर	01-10-2020	26500.00

			निगम हार्डवेयर	01-10-2020	20500.00
			श्री बालाजी ट्रेडर्स	01-10-2020	64858.00
			ओम प्रकाश	06-10-2020	27720.00
			दिनेश कुमार	12-10-2020	17500.00
			अमृत ब्रिक फील्ड	12-10-2020	13807.00
			ओम प्रकाश	12-10-2020	9000.00
			सर्वेश कुमार मौर्या	02-12-2020	2400.00
			सुन्दर लाल	21-03-2021	2940.00
			समर सेल्स	30-03-2021	40070.00
			समर सेल्स	30-03-2021	10590.00
			स्वास्तिक टाईल्स	30-03-2021	20870.00
			स्वास्तिक टाईल्स	30-03-2021	17166.00
10		43218871	निगम हार्डवेयर	14-10-2020	46950.00
			रामकिशोर	14-10-2020	10000.00
			रामकिशोर	22-10-2020	10000.00
			निगम हार्डवेयर	13-11-2020	44025.00
			रामकिशोर	13-11-2020	5000.00
			रामकिशोर	20-11-2020	10000.00
			निगम हार्डवेयर	02-12-2020	15895.00
			सुरेश कुमार	25-02-2021	10000.00
			समर सेल्स	04-03-2021	40100.00
11		43218088	निगम हार्डवेयर	24-10-2020	19280.00
			बुद्धेश्वर कंस्ट्रक्शन	25-03-2021	10470.00

उक्त कार्यों के सापेक्ष लेखापरीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया। जबकि ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8[क] के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से किया जाना चाहिए। उ0प्र0पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए। अतः कुल व्यय की गई धनराशि रु0 1706030.00 (सत्तरह लाख छः हजार तीस रूपए मात्र) में से ग्राम प्रधान श्री नन्द कुमार राजपूत[दिनांक 1 अप्रैल 2020 से 24 दिसम्बर 2020 तक] व प्रशासक तत्कालीन ए डी ओ पंचायत [दिनांक 25 दिसम्बर 2020 से 31 मार्च 2021 तक] से रु0 853015.00.00(आठ लाख तिरपन हजार पन्द्रह रुपये) और ग्राम पंचायत सचिव श्री अरुण गुप्ता से रु0 853015.00.00(आठ लाख तिरपन हजार पन्द्रह रुपये) की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 15

ग्राम पंचायत- गोशालालपुर की वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया है कि विभिन्न तिथियों एवं विभिन्न कार्यों के सापेक्ष कुल रु0 1580170.00 विकास कार्यों पर व्यय किया गया है, जिसके सन्दर्भ में आपत्ति के प्रमुख बिन्दु निम्नलिखित है-

(1)कार्य आपूर्ति बिल से वैधानिक कटौती की रीकवरी न किया जाना-

आय कर अधिनियम 1961 यथा संशोधित की धारा 194 सी के अनुसार आपूर्ति करता के बिल से भुगतान की गई धनराशि से 2% टी डी एस काटकर सम्यक लेखा शीर्ष में चालान के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए इसी प्रकार जी एस टी अधिनियम 2017 के अंतर्गत धारा 51 में स्रोत पर टी डी एस कटौती करके सम्यक लेखा शीर्ष में चालान के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए था परंतु पंचायत द्वारा उक्त कटौतियां न करके राजकोष को क्षति पहुंचाई।

(2)माप पुस्तिका व प्राक्कलन न प्रस्तुत किया जाना-

उ0प्र0पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152 एवं 154 के अनुसार सार्वजनिक कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन एवं मानचित्र ग्रामसभा से स्वीकृत होगा।अग्रेतर शासनदेश संख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के प्रस्तर 2(ब) तकनीकी परीक्षण 2 लाख तक ग्राम पंचायत , 2 से 2.5 लाख तक अवर अभियंता द्वारा तथा 2.5 लाख से ऊपर अभियंता जिला पंचायत द्वारा किया जाएगा ग्राम पंचायत- गोशालालपुर का वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों विभिन्न कार्यों के सापेक्ष कुल रु0 1580170.00 व्यय किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
1	नाम अंकित नहीं	36440742	समर सेल्स	27-08-2020	65200.00
			समर सेल्स	08-09-2020	54600.00
			रजत कुमार	18-09-2020	16800.00
			समर सेल्स	19-11-2020	60500.00
2	नाम अंकित नहीं	36442627	आसिफ अली	18-09-2020	80712.00
			पिन्नु ट्रेडर्स	18-09-2020	51740.00
			आशाराम	04-10-2020	1400.00
			भारत लाल	04-10-2020	2412.00
			साहब लाल	04-10-2020	1407.00
			रविन्द्र कुमार रावत	04-10-2020	2412.00
			विमल कुमार	14-10-2020	4900.00
3	नाम अंकित नहीं	42202851	पिन्नु ट्रेडर्स	27-09-2020	107947.00
			रानू इंटरप्राइजेज	01-11-2020	70500.00
			पिन्नु ट्रेडर्स	25-03-2021	70000.00
			राज	25-03-2021	85050.00
			भालू	20-10-2020	5600.00
			राकेश रावत	20-10-2020	4550.00
			पिन्नु ट्रेडर्स	20-10-2020	121488.00
			सरवन	20-10-2020	58135.00
			समर सेल्स	09-11-2020	90300.00
			रामआसरे	19-11-2020	2100.00
			रामआसरे	19-11-2020	1750.00

4	नाम नहीं	अंकित	44819087	पित्रु ट्रेडर्स	14-10-2020	117567.000
				विमल कुमार	14-10-2020	4550.000
				भालू	20-10-2020	3500.00
				सर्वेश	14-12-2020	10000.00
5	नाम नहीं	अंकित	45327629	समर सेल्स	21-12-2020	68800.00
				समर सेल्स	21-12-2020	45600.00
				रजत कुमार	21-12-2020	27600.00
6	नाम नहीं	अंकित	50708564	रजत कुमत	25-03-2021	26000.00
7	नाम नहीं	अंकित	50708642	रामकिशोर	25-03-2021	42000.00
8	नाम नहीं	अंकित	48799709	पित्रु ट्रेडर्स	25-03-2021	60000.00
				राम किशोर	25-03-2021	14000.00
9	TAN नं० और GST हेतु भुगतान		36440554	सरस ग्रुप	18-09-2020	3050.00
10	हैण्डपम्प रीबोर		13342290	समर सेल्स	21-12-2020	198000.00
						1580170.00 (पन्द्रह लाख अस्सी हजार एक सौ सत्तर मात्र)

लेखा परीक्षा में उक्त कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन एवं मानचित्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

उ०प्र०पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 157 एवं समय-समय पर जारी निदेशक पंचायती राज के परिपत्रों एवं शासनादेशों के अनुसार बिना कार्य के माप-जोख के कोई भुगतान नहीं होगा। परन्तु लेखापरीक्षा में कार्य से सम्बन्धित मापपुस्तिका प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। । उ०प्र०पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार दुरुपयोग की गयी कुल धनराशि रु० 1580170.00 में से ग्राम प्रधान श्री रामविलास [दिनांक 1 अप्रैल 2020 से 24 दिसम्बर 2020 तक] व प्रशासक तत्कालीन ए डी ओ पंचायत [दिनांक 25 दिसम्बर 2020 से 31 मार्च 2021 तक] से रु० 790085.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री विनोद कुमार वर्मा से रु० 790085.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(3))कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं

ग्राम पंचायत- गोशालालपुर का वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों विभिन्न कार्यों के सापेक्ष कुल रु0 1580170.00 व्यय किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र०स०	कार्य का नाम	कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
1	नाम अंकित नहीं	36440742	समर सेल्स	27-08-2020	65200.00
			समर सेल्स	08-09-2020	54600.00
			रजत कुमार	18-09-2020	16800.00
			समर सेल्स	19-11-2020	60500.00
2	नाम अंकित नहीं	36442627	आसिफ अली	18-09-2020	80712.00
			पिन्नु ट्रेडर्स	18-09-2020	51740.00
			आशाराम	04-10-2020	1400.00
			भारत लाल	04-10-2020	2412.00
			साहब लाल	04-10-2020	1407.00
			रविन्द्र कुमार रावत	04-10-2020	2412.00
			विमल कुमार	14-10-2020	4900.00
3	नाम अंकित नहीं	42202851	पिन्नु ट्रेडर्स	27-09-2020	107947.00
			रानू इंटरप्राइजेज	01-11-2020	70500.00
			पिन्नु ट्रेडर्स	25-03-2021	70000.00
			राज	25-03-2021	85050.00
			भालू	20-10-2020	5600.00
			राकेश रावत	20-10-2020	4550.00
			पिन्नु ट्रेडर्स	20-10-2020	121488.00
			सरवन	20-10-2020	58135.00
			समर सेल्स	09-11-2020	90300.00
			रामआसरे	19-11-2020	2100.00
			रामआसरे	19-11-2020	1750.00
4	नाम अंकित नहीं	44819087	पिन्नु ट्रेडर्स	14-10-2020	117567.000
			विमल कुमार	14-10-2020	4550.000
			भालू	20-10-2020	3500.00
			सर्वेश	14-12-2020	10000.00
5	नाम अंकित नहीं	45327629	समर सेल्स	21-12-2020	68800.00
			समर सेल्स	21-12-2020	45600.00
			रजत कुमार	21-12-2020	27600.00
6	नाम अंकित नहीं	50708564	रजत कुमत	25-03-2021	26000.00
7	नाम अंकित नहीं	50708642	रामकिशोर	25-03-2021	42000.00
8	नाम अंकित नहीं	48799709	पिन्नु ट्रेडर्स	25-03-2021	60000.00
			राम किशोर	25-03-2021	14000.00
9		36440554	सरस ग्रुप	18-09-2020	3050.00
10	हैण्डपम्प रीबोर	13342290	समर सेल्स	21-12-2020	198000.00
					1580170.00

					(पन्द्रह लाख अस्सी हजार एक सौ सत्तर मात्र)

उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 209 के अनुसार कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य ग्राम प्रधान या उसके अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत के किसी सदस्य को जिसे ग्राम पंचायत नियुक्त करे वह जारी करता है। वह यह प्रमाणित करता है की कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार पूर्ण हुआ है। यदि विचलन है तो उसका उल्लेख करेगा।

लेखापरीक्षा में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार नहीं हुआ है। उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए।

(4) व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया-

ग्राम पंचायत-गोशालालपुर का वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में कुल रु० 1580170.00 आहरित किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है -

क्र०सं०	कार्य का नाम	कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
1	नाम अंकित नहीं	36440742	समर सेल्स	27-08-2020	65200.00
			समर सेल्स	08-09-2020	54600.00
			रजत कुमार	18-09-2020	16800.00
			समर सेल्स	19-11-2020	60500.00
2	नाम अंकित नहीं	36442627	आसिफ अली	18-09-2020	80712.00
			पिन्नु ट्रेडर्स	18-09-2020	51740.00
			आशाराम	04-10-2020	1400.00
			भारत लाल	04-10-2020	2412.00
			साहब लाल	04-10-2020	1407.00
			रविन्द्र कुमार रावत	04-10-2020	2412.00
			विमल कुमार	14-10-2020	4900.00
3	नाम अंकित नहीं	42202851	पिन्नु ट्रेडर्स	27-09-2020	107947.00
			रानू इंटरप्राइजेज	01-11-2020	70500.00
			पिन्नु ट्रेडर्स	25-03-2021	70000.00
			राज	25-03-2021	85050.00
			भालू	20-10-2020	5600.00
			राकेश रावत	20-10-2020	4550.00
			पिन्नु ट्रेडर्स	20-10-2020	121488.00
			सरवन	20-10-2020	58135.00
			समर सेल्स	09-11-2020	90300.00
			रामआसरे	19-11-2020	2100.00
			रामआसरे	19-11-2020	1750.00
4	नाम अंकित नहीं	44819087	पिन्नु ट्रेडर्स	14-10-2020	117567.000
			विमल कुमार	14-10-2020	4550.000
			भालू	20-10-2020	3500.00
			सर्वेश	14-12-2020	10000.00
5	नाम अंकित नहीं	45327629	समर सेल्स	21-12-2020	68800.00

			समर सेल्स	21-12-2020	45600.00
			रजत कुमार	21-12-2020	27600.00
6	नाम अंकित नहीं	50708564	रजत कुमत	25-03-2021	26000.00
7	नाम अंकित नहीं	50708642	रामकिशोर	25-03-2021	42000.00
8	नाम अंकित नहीं	48799709	पिन्नु ट्रेडर्स	25-03-2021	60000.00
			राम किशोर	25-03-2021	14000.00
9	टैन न० और जीएसटी हेतु भुगतान	36440554	सरस ग्रुप	18-09-2020	3050.00
10	हैण्डपम्प रीबोर	13342290	समर सेल्स	21-12-2020	198000.00
					1580170.00 (पन्द्रह लाख अस्सी हजार एक सौ सत्तर मात्र)

उक्त कार्य के सापेक्ष लेखापरीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया। जबकि ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8[क] के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से किया जाना चाहिए। उ०प्र० पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए। अतः कुल व्यय की गई धनराशि रु० 1580170.00 (पन्द्रह लाख अस्सी हजार एक सौ सत्तर मात्र) में से ग्राम प्रधान श्री रामविलास [दिनांक 1 अप्रैल 2020 से 24 दिसम्बर 2020 तक] व प्रशासक तत्कालीन ए डी ओ पंचायत [दिनांक 25 दिसम्बर 2020 से 31 मार्च 2021 तक] से रु० 790085.00 (सात लाख नब्बे हजार पचासी रुपये) और ग्राम पंचायत सचिव श्री विनोद कुमार वर्मा से रु० 790085.00 (सात लाख नब्बे हजार पचासी रुपये) की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - शेरपुरमऊ विकास खण्ड - काकोरी जनपद -लखनऊ वर्ष-2020-21

प्रस्तर संख्या- 16

ग्राम पंचायत- शेरपुरमऊ की वित्तीय वर्ष वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों एवं विभिन्न कार्यों के सापेक्ष कुल रु० 2089310.00 विकास कार्यों पर व्यय किया गया है, जिसके सन्दर्भ में आपत्ति के प्रमुख बिन्दु निम्नलिखित हैं-

(1) कार्य आपूर्ति बिल से वैधानिक कटौती की रीकवरी न किया जाना

आय कर अधिनियम 1961 यथा संशोधित की धारा 194 सी के अनुसार आपूर्ति करता के बिल से भुगतान की गई धनराशि से 2% टी डी एस काटकर सम्यक लेखा शीर्ष में चालान के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए इसी प्रकार जी एस टी अधिनियम 2017 के अंतर्गत धारा 51 में स्रोत पर टी डी एस कटौती करके सम्यक लेखा शीर्ष में चालान के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए था परंतु पंचायत द्वारा उक्त कटौतियां न करके राजकोष को क्षति पहुंचाई।

(2) माप पुस्तिका व प्राक्कलन न प्रस्तुत किया जाना-

उ०प्र० पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 152 एवं 154 के अनुसार सार्वजनिक कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन एवं मानचित्र ग्रामसभा से स्वीकृत होगा। अग्रेतर शासनादेश संख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के प्रस्तर 2(ब) तकनीकी परीक्षण 2 लाख तक ग्राम पंचायत, 2 से 2.5 लाख तक अवर अभियंता द्वारा तथा 2.5 लाख से ऊपर अभियंता जिला पंचायत द्वारा किया जाएगा। ग्राम पंचायत- शेरपुरमऊ का वर्ष

2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों विभिन्न कार्यों के सापेक्ष कुल रु0 2089310.00 व्यय किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र०सं०	कार्य का नाम	कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
1	नाम अंकित नहीं	19036564	एवीआई कंस्ट्रक्शन	07-06-2020	195000.00
			एवीआई कंस्ट्रक्शन	16-06-2020	158000.00
			एवीआई कंस्ट्रक्शन	29-06-2020	67616.00
2	नाम अंकित नहीं	19036563	एवीआई कंस्ट्रक्शन	16-06-2020	232000.00
			एवीआई कंस्ट्रक्शन	29-06-2020	99804.00
3	नाम अंकित नहीं	13497044	पिन्तू ट्रेडर्स	03-07-2020	77120.00
			संजीत कुमार	18-09-2020	2412.00
			अमन कुमार	18-09-2020	1809.00
			सत्येन्द्र रावत	18-09-2020	2211.00
			रोनित पदार्थ	18-09-2020	2211.00
			जमुना	18-09-2020	3850.00
			राहुल रावर	18-09-2020	3500.00
4	नाम अंकित नहीं	36542136	समर सेल्स	27-08-2020	64300.00
			समर सेल्स	04-09-2020	74600.00
			रजत कुमार	18-09-2020	28800.00
			समर सेल्स	19-11-2020	30000.00
5	नाम अंकित नहीं	36542248	राम पदार्थ	04-09-2020	17500.00
			राम पदार्थ	05-12-2020	17500.00
6	नाम अंकित नहीं	36541767	सरस ग्रुप	18-09-2020	3050.00
7	नाम अंकित नहीं	36545776	पिन्तू ट्रेडर्स	27-09-2020	107947.00
			जमुना	02-10-2020	9800.00
			अमन कुमार	02-10-2020	9800.00
8	नाम अंकित नहीं	45001534	पिन्तू ट्रेडर्स	01-11-2020	196780.00
			रानू इंटरप्राइजेज	01-11-2020	70500.00
			रजत कुमार	01-11-2020	15000.00
			समर सेल्स	01-11-2020	104700.00
			राम पदार्थ	01-11-2020	26300.00
			सरवन	04-11-2020	58000.00
			जमुना	25-03-2021	23800.00
			राज	25-03-2021	20650.00
			गोपाल ईट उद्योग	25-03-2021	110250.00
			अमन कुमार	25-03-2021	12950.00
			विनोद कुमार	25-03-2021	12950.00
9	नाम अंकित नहीं	45001477	समर सेल्स	19-11-2020	43600.00
10	नाम अंकित नहीं	45001502	रजत कुमार	25-03-2021	28600.00
			समर सेल्स	25-03-2021	30400.00
11	नाम अंकित नहीं	48840292	पिन्तू ट्रेडर्स	25-03-2021	60000.00

			विनोद कुमार	25-03-2021	14000.00
12	नाम अंकित नहीं	42087132	राम पदार्थ	05-12-2020	52000.00
					2089310.00 (बीस लाख नवासी हजार तीन सौ दस रूपए मात्र)

लेखा परीक्षा में उक्त कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन एवं मानचित्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

उ0प्र0पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 157 एवं समय-समय पर जारी निदेशक पंचायती राज के परिपत्रों एवं शासनादेशों के अनुसार बिना कार्य के माप-जोख के कोई भुगतान नहीं होगा। परन्तु लेखापरीक्षा में कार्य से सम्बन्धित मापपुस्तिका प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। । उ0प्र0पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए।

(3) कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं

ग्राम पंचायत- शेरपुरमऊ का वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों विभिन्न कार्यों के सापेक्ष कुल रु0 2089310.00 व्यय किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र०स०	कार्य का नाम	कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
1	नाम अंकित नहीं	19036564	एवीआई कंस्ट्रक्शन	07-06-2020	195000.00
			एवीआई कंस्ट्रक्शन	16-06-2020	158000.00
			एवीआई कंस्ट्रक्शन	29-06-2020	67616.00
2	नाम अंकित नहीं	19036563	एवीआई कंस्ट्रक्शन	16-06-2020	232000.00
			एवीआई कंस्ट्रक्शन	29-06-2020	99804.00
3	नाम अंकित नहीं	13497044	पिन्नु ट्रेडर्स	03-07-2020	77120.00
			संजीत कुमार	18-09-2020	2412.00
			अमन कुमार	18-09-2020	1809.00
			सत्येन्द्र रावत	18-09-2020	2211.00
			रोनित पदार्थ	18-09-2020	2211.00
			जमुना	18-09-2020	3850.00
			राहुल रावर	18-09-2020	3500.00
4	नाम अंकित नहीं	36542136	समर सेल्स	27-08-2020	64300.00
			समर सेल्स	04-09-2020	74600.00
			रजत कुमार	18-09-2020	28800.00
			समर सेल्स	19-11-2020	30000.00
5	नाम अंकित नहीं	36542248	राम पदार्थ	04-09-2020	17500.00
			राम पदार्थ	05-12-2020	17500.00
6	नाम अंकित नहीं	36541767	सरस ग्रुप	18-09-2020	3050.00
7	नाम अंकित नहीं	36545776	पिन्नु ट्रेडर्स	27-09-2020	107947.00
			जमुना	02-10-2020	9800.00
			अमन कुमार	02-10-2020	9800.00
8	नाम अंकित नहीं	45001534	पिन्नु ट्रेडर्स	01-11-2020	196780.00
			रानू इंटरप्राइजेज	01-11-2020	70500.00
			रजत कुमार	01-11-2020	15000.00

			समर सेल्स	01-11-2020	104700.00
			राम पदार्थ	01-11-2020	26300.00
			सरवन	04-11-2020	58000.00
			जमुना	25-03-2021	23800.00
			राज	25-03-2021	20650.00
			गोपाल ईट उधोग	25-03-2021	110250.00
			अमन कुमार	25-03-2021	12950.00
			विनोद कुमार	25-03-2021	12950.00
9	नाम अंकित नहीं	45001477	समर सेल्स	19-11-2020	43600.00
10	नाम अंकित नहीं	45001502	रजत कुमार	25-03-2021	28600.00
			समर सेल्स	25-03-2021	30400.00
11	नाम अंकित नहीं	48840292	पिन्नु ट्रेडर्स	25-03-2021	60000.00
			विनोद कुमार	25-03-2021	14000.00
12	नाम अंकित नहीं	42087132	राम पदार्थ	05-12-2020	52000.00
					2089310.00 (बीस लाख नवासी हजार तीन सौ दस रूपए मात्र)

उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 209 के अनुसार कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य ग्राम प्रधान या उसके अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत के किसी सदस्य को जिसे ग्राम पंचायत नियुक्त करे वह जारी करता , वह यह प्रमाणित करता है की कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार पूर्ण हुआ है । यदि विचलन है तो उसका उल्लेख करेगा ।लेखापरीक्षा में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार नहीं हुआ है। उ0प्र0पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए।

(4)व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया

ग्राम पंचायत-शेरपुरमऊ का वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में कुल रु0 2089310.00 आहरित किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है

क्र०स०	कार्य का नाम	कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
1	नाम अंकित नहीं	19036564	एवीआई कंस्ट्रक्शन	07-06-2020	195000.00
			एवीआई कंस्ट्रक्शन	16-06-2020	158000.00
			एवीआई कंस्ट्रक्शन	29-06-2020	67616.00
2	नाम अंकित नहीं	19036563	एवीआई कंस्ट्रक्शन	16-06-2020	232000.00
			एवीआई कंस्ट्रक्शन	29-06-2020	99804.00
3	नाम अंकित नहीं	13497044	पिन्नु ट्रेडर्स	03-07-2020	77120.00
			संजीत कुमार	18-09-2020	2412.00
			अमन कुमार	18-09-2020	1809.00
			सत्येन्द्र रावत	18-09-2020	2211.00
			रोनित पदार्थ	18-09-2020	2211.00

			जमुना	18-09-2020	3850.00
			राहुल रावर	18-09-2020	3500.00
4	नाम अंकित नहीं	36542136	समर सेल्स	27-08-2020	64300.00
			समर सेल्स	04-09-2020	74600.00
			रजत कुमार	18-09-2020	28800.00
			समर सेल्स	19-11-2020	30000.00
5	नाम अंकित नहीं	36542248	राम पदार्थ	04-09-2020	17500.00
			राम पदार्थ	05-12-2020	17500.00
6	नाम अंकित नहीं	36541767	सरस ग्रुप	18-09-2020	3050.00
7	नाम अंकित नहीं	36545776	पित्रु ट्रेडर्स	27-09-2020	107947.00
			जमुना	02-10-2020	9800.00
			अमन कुमार	02-10-2020	9800.00
8	नाम अंकित नहीं	45001534	पित्रु ट्रेडर्स	01-11-2020	196780.00
			रानू इंटरप्राइजेज	01-11-2020	70500.00
			रजत कुमार	01-11-2020	15000.00
			समर सेल्स	01-11-2020	104700.00
			राम पदार्थ	01-11-2020	26300.00
			सरवन	04-11-2020	58000.00
			जमुना	25-03-2021	23800.00
			राज	25-03-2021	20650.00
			गोपाल ईट उधोग	25-03-2021	110250.00
			अमन कुमार	25-03-2021	12950.00
			विनोद कुमार	25-03-2021	12950.00
9	नाम अंकित नहीं	45001477	समर सेल्स	19-11-2020	43600.00
10	नाम अंकित नहीं	45001502	रजत कुमार	25-03-2021	28600.00
			समर सेल्स	25-03-2021	30400.00
11	नाम अंकित नहीं	48840292	पित्रु ट्रेडर्स	25-03-2021	60000.00
			विनोद कुमार	25-03-2021	14000.00
12	नाम अंकित नहीं	42087132	राम पदार्थ	05-12-2020	52000.00
					2089310.00 (बीस लाख नवासी हजार तीन सौ दस रूपए मात्र)

उक्त कार्यों के सापेक्ष लेखापरीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया। जबकि ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8[क] के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से किया जाना चाहिए। उ0प्र0 पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए। अतः कुल व्यय की गई धनराशि रु 2089310.00 (बीस लाख नवासी हजार तीन सौ दस रूपए) में से ग्राम प्रधान श्री रामपदार्थ [दिनांक 1 अप्रैल 2020 से 24 दिसम्बर 2020 तक] व प्रशासक तत्कालीन ए डी ओ पंचायत [दिनांक 25 दिसम्बर 2020 से 31 मार्च 2021 तक] से रु 1044655.00 (दस लाख चाउआलीस हजार छः सौ पचपन रुपये) और ग्राम पंचायत

सचिव श्री विनोद कुमार वर्मा से रु01044655.00(दस लाख चाउआलीस हजार छ;सौ पचपन रुपये) की वसूली क्यों न किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - मेहौरा, विकास खंड -चिनहट, जनपद -लखनऊ

वर्ष- 2020-21

प्रस्तर संख्या- 17

(1)कार्य आपूर्ति बिल से वैधानिक कटौती की रीकवरी न किया जाना-

आय कर अधिनियम 1961 यथा संशोधित की धारा 194 सी के अनुसार आपूर्तिकर्ता के बिल से भुगतान की गई धनराशि से 2% टीडीएस काटकर सम्यक लेखा शीर्ष में चालान के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए। इसी प्रकार जी एस टी अधिनियम 2017 के अंतर्गत धारा 51 में स्रोत पर टी डी एस कटौती करके सम्यक लेखा शीर्ष में चालान के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए था परंतु पंचायत द्वारा उक्त कटौतियां न करके राजकोष को क्षति पहुंचाई।

2)सामग्री क्रय हेतु सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित न करना-

ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 5 एवं शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-08-1586 दिनांक 23.09.08 के अनुसार रु0100000.00 से अधिक की सामग्री क्रय सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित करके किया जायेगा, निविदाएं आमंत्रित करने में वस्तु का नाम, वस्तु की मात्रा, अनुमानित लागत, निविदाएं प्राप्त करने का समय एवं तिथि, निविदाएं खोलने की तिथि एवं समय इत्यादि का उल्लेख किया जाएगा। इच्छुक ठेकेदार को निविदा के साथ धरोहर की धनराशि जमा करना है। निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली फर्म सामग्री की अधिकृत विक्रेता/निर्माता होना चाहिये एवं फर्म की वित्तीय स्थिति जानने के लिए उनसे इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना चाहिए। पंचायत द्वारा उपरोक्त किसी प्रक्रिया का पालन नहीं करते हुए विभिन्न तिथियों में कुल रु० 2227263.00 की सामग्री क्रय किया गया।

(3) प्रस्तुत न करना- ग्राम पंचायत मेहौरा की वर्ष 2020-21 की लेखापरीक्षा में पाया गया की विभिन्न तिथियों मजदूरी /सामग्री हेतु कुल रु0 2719498.00 आहरित किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित हैं-

क्र०	कार्य आई0डी0/विवरण	तिथि	मद	आहरणकर्ता	धनराशि (रु०)
1.	39337669	01.06.2020 01.06.2020 01.06.2020 01.06.2020	सामग्री क्रय " " "	काया इंटरप्राइज " " "	62617.00 68700.00 261800.00 10788.00
2.	20980697 अन्त्येष्टि स्थल का विकास	30.06.2020 30.06.2020 30.06.2020 30.06.2020 30.06.2020 30.06.2020 30.06.2020 30.06.2020 30.06.2020 30.06.2020 30.06.2020 30.06.2020 30.08.2020 30.08.2020 30.08.2020 30.08.2020 30.08.2020 30.08.2020	" " " " " " " " " " " " " " " " "	अमर स्टील फ्रेब्रीकेटर्स राजेश कुमार अमर स्टील फ्रेब्रीकेटर्स अमर स्टील फ्रेब्रीकेटर्स अमर स्टील फ्रेब्रीकेटर्स अमर स्टील फ्रेब्रीकेटर्स अमर स्टील फ्रेब्रीकेटर्स अमर स्टील फ्रेब्रीकेटर्स अमर स्टील फ्रेब्रीकेटर्स राजेश कुमार अमर स्टील फ्रेब्रीकेटर्स अमर स्टील फ्रेब्रीकेटर्स अमर स्टील फ्रेब्रीकेटर्स अमर स्टील फ्रेब्रीकेटर्स अमर स्टील फ्रेब्रीकेटर्स राजेश कुमार अमर स्टील फ्रेब्रीकेटर्स अमर स्टील फ्रेब्रीकेटर्स	153755.00 1426.00 77404.00 81117.00 36865.00 78133.00 45477.00 47409.00 36565.00 870.00 35676.00 33621.00 3969.00 35029.00 14317.00

		30.08.2020		अमर स्टील फ्रेब्रीकेटर्स	51127.00
		30.08.2020		राजेश कुमार	3480.00
		30.08.2020		अमर स्टील फ्रेब्रीकेटर्स	63600.00
		30.08.2020		अमर स्टील फ्रेब्रीकेटर्स	44247.00
		30.08.2020		अमर स्टील फ्रेब्रीकेटर्स	243736.00
		30.08.2020		अमर स्टील फ्रेब्रीकेटर्स	6090.00
		30.08.2020		अमर स्टील फ्रेब्रीकेटर्स	22382.00
		30.08.2020		अमर स्टील फ्रेब्रीकेटर्स	6610.00
		30.08.2020		राजेश कुमार	8883.00
		30.08.2020			68069.00
		30.08.2020			16805.00
		30.08.2020			7377.00
		30.08.2020			7367.00
		30.08.2020			57389.00
		30.08.2020			1914.00
3.	21049494	30.08.2020	"	अमर स्टील फ्रेब्रीकेटर्स	20356.00
		30.08.2020		अमर स्टील फ्रेब्रीकेटर्स	11847.00
		30.08.2020		अमर स्टील फ्रेब्रीकेटर्स	62914.00
4.	44656989	17.09.2020	"	काया इंटरप्राइज	20947.00
		17.09.2020		"	33175.00
		17.09.2020		राजेश कुमार	133670.00
		17.09.2020			2640.00
5.	44183417 सामुदायिक शौचालय	01.10.2020	"	काया इंटरप्राइज	150094.00
		02.10.2020		काया इंटरप्राइज	97006.00
				योग	2227263.00
क्र०	कार्य आईडी०	तिथि	मद	आहरणकर्ता	धनराशि (रु०)
1.	39337669	01.06.2020	मजदूरी "	ग्राम प्रधान	75820.00
2.	20980697	30.06.2020	"	राजेश कुमार	44050.00
		30.06.2020		राजेश कुमार	13660.00
		30.06.2020		राजेश कुमार	35290.00
		30.08.2020		राजेश कुमार	37150.00
		30.08.2020		राजेश कुमार	38840.00
		30.08.2020		राजेश कुमार	55710.00
		30.08.2020		राजेश कुमार	32530.00
		30.08.2020		राजेश कुमार	12280.00
		30.08.2020			60355.00
3.	21049494	30.06.2020	"	राजेश कुमार	26730.00

		30.08.2020		अमर स्टील फ्रेब्रीकेटर्स	243736.00
		30.08.2020		अमर स्टील फ्रेब्रीकेटर्स	6090.00
		30.08.2020		अमर स्टील फ्रेब्रीकेटर्स	22382.00
		30.08.2020		अमर स्टील फ्रेब्रीकेटर्स	6610.00
		30.08.2020		अमर स्टील फ्रेब्रीकेटर्स	8883.00
		30.08.2020		राजेश कुमार	68069.00
		30.08.2020			16805.00
		30.08.2020			7377.00
		30.08.2020			7367.00
		30.08.2020			57389.00
		30.08.2020			1914.00
3.	21049494	30.08.2020	"	अमर स्टील फ्रेब्रीकेटर्स	20356.00
		30.08.2020		अमर स्टील फ्रेब्रीकेटर्स	11847.00
		30.08.2020		अमर स्टील फ्रेब्रीकेटर्स	62914.00
4.	44656989	17.09.2020	"	काया इंटरप्राइज	20947.00
		17.09.2020		"	33175.00
		17.09.2020		राजेश कुमार	133670.00
		17.09.2020			2640.00
5.	44183417 सामुदायिक शौचालय	01.10.2020	"	काया इंटरप्राइज	150094.00
		02.10.2020		काया इंटरप्राइज	97006.00
				योग	2227263.00
क्र०	कार्य आईडी	तिथि	मद	आहरणकर्ता	धनराशि (रु०)
1.	39337669	01.06.2020	मजदूरी	ग्राम प्रधान	75820.00
			"		
2.	20980697	30.06.2020	"	राजेश कुमार	44050.00
		30.06.2020		राजेश कुमार	13660.00
		30.06.2020		राजेश कुमार	35290.00
		30.08.2020		राजेश कुमार	37150.00
		30.08.2020		राजेश कुमार	38840.00
		30.08.2020		राजेश कुमार	55710.00
		30.08.2020		राजेश कुमार	32530.00
		30.08.2020		राजेश कुमार	12280.00
		30.08.2020		राजेश कुमार	60355.00
3.	21049494	30.06.2020	"	राजेश कुमार	26730.00
4.	44656989	17.09.2020	"	राजेश कुमार	23940.00
5.	441883417 सामुदायिक शौचालय	14.12.2020	"	राजेश कुमार	35880.00

				योग	492235.00

उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 157 एवं समय-समय पर जारी निदेशक पंचायती राज के परिपत्रों एवं शासनादेशों के अनुसार बिना कार्य के माप-जोख के कोई भुगतान नहीं होगा। परन्तु लेखापरीक्षा में कार्य से सम्बन्धित मापपुस्तिका प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। । उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए।

(5) मास्टरोल प्रस्तुत नहीं-

ग्राम पंचायत मेहौरा की वर्ष 2020-21 की लेखापरीक्षा में पाया गया की विभिन्न तिथियों मजदूरी हेतु कुल रु० 220433.00 आहरित किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित है-

क्र०	कार्य आईडी०	तिथि	मद	आहरणकर्ता	धनराशि (रु०)
1.	39337669	01.06.2020	मजदूरी “	ग्राम प्रधान	75820.00
2.	20980697	30.06.2020 30.06.2020 30.06.2020 30.08.2020 30.08.2020 30.08.2020 30.08.2020 30.08.2020 30.08.2020 30.08.2020	“	राजेश कुमार राजेश कुमार राजेश कुमार राजेश कुमार राजेश कुमार राजेश कुमार राजेश कुमार राजेश कुमार राजेश कुमार	44050.00 13660.00 35290.00 37150.00 38840.00 55710.00 32530.00 12280.00 60355.00
3.	21049494	30.06.2020	“	राजेश कुमार	26730.00
4.	44656989	17.09.2020	“	राजेश कुमार	23940.00
5.	441883417 सामुदायिक शौचालय	14.12.2020	“	राजेश कुमार	35880.00
				योग	492235.00

उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 210 के अनुसार दैनिक मजदूरी पर कार्यरत मजदूरों की दैनिक उपस्थिति आदि के विवरण हेतु एक दैनिक उपस्थिति रजिस्टर रूप पत्र -22 पर तैयार किया जाएगा। लेखा परीक्षा वर्ष में पंचायत द्वारा रु० 492235.00 मजदूरी पर व्यय किया गया जिसका भुगतान ग्राम प्रधान को किया गया है जबकि कार्यरत मजदूरों को करना चाहिए। परन्तु दैनिक उपस्थिति रजिस्टर रूप पत्र -22 पर तैयार नहीं करने के कारण उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं हो सका। उक्त धनराशि को लेखा परीक्षा में गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। इस संबंध में स्पष्टीकरण आवश्यक है।

(6) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं-

उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 209 के अनुसार कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य ग्राम प्रधान या उसके अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत के किसी सदस्य को जिसे ग्राम पंचायत नियुक्त करे, वह जारी करता है। वह प्रमाणित करता है की कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार पूर्ण हुआ, यदि विचलन है तो उल्लेख करेगा। लेखापरीक्षा में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार नहीं हुआ है। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए।

(7) व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया-

ग्राम पंचायत मेहौरा की वर्ष 2020-21 की लेखापरीक्षा में पाया गया की विभिन्न तिथियों मजदूरी /सामग्री हेतु कुल

[illegible]

4.	44656989	17.09.2020 17.09.2020 17.09.2020 17.09.2020		काया इंटरप्राइज " राजेश कुमार	20947.00 33175.00 133670.00 2640.00
5.	44183417 सामुदायिक शौचालय	01.10.2020 02.10.2020		काया इंटरप्राइज काया इंटरप्राइज	150094.00 97006.00
				योग	2227263.00
क्र०	कार्य आईडी०	तिथि	मद	आहरणकर्ता	धनराशि (रु०)
1.	39337669	01.06.2020	मजदूरी “	ग्राम प्रधान	75820.00
2.	20980697	30.06.2020 30.06.2020 30.06.2020 30.08.2020 30.08.2020 30.08.2020 30.08.2020 30.08.2020 30.08.2020 30.08.2020	"	राजेश कुमार राजेश कुमार राजेश कुमार राजेश कुमार राजेश कुमार राजेश कुमार राजेश कुमार राजेश कुमार राजेश कुमार	44050.00 13660.00 35290.00 37150.00 38840.00 55710.00 32530.00 12280.00 60355.00
3.	21049494	30.06.2020	“	राजेश कुमार	26730.00
4.	44656989	17.09.2020	“	राजेश कुमार	23940.00
5.	441883417 सामुदायिक शौचालय	14.12.2020	“	राजेश कुमार	35880.00
				योग	492235.00

उक्त कार्य के सापेक्ष लेखापरीक्षा में कोई मूल व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया जबकि ग्राम पंचायत हेतु वित्त एंव लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8[क] के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से किया जाना चाहिए। उ०प्र० पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256(1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार दुरुपयोग की गयी कुल धनराशि रु० 2719498.00 में से ग्राम प्रधान से रु० 1359749.00 और पंचायत सचिव रु० 1359749.00 की वसूली क्यों न किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - रैथा, विकास खंड -चिनहट, जनपद -लखनऊ वर्ष- 2020-21

प्रस्तर संख्या- 18

ग्राम पंचायत रैथा की वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखापरीक्षा में पाया गया है कि विभिन्न तिथियों में मजदूरी /सामग्री हेतु कुल रु० 2935954.00 आहरित किया गया है, जिसके सन्दर्भ में आपत्ति के प्रमुख बिन्दु निम्नलिखित है-

(1)कार्य आपूर्ति बिल से वैधानिक कटौती की रीकवरी न किया जाना-

आय कर अधिनियम 1961 यथा संशोधित की धारा 194 सी के अनुसार आपूर्तिकर्ता के बिल से भुगतान की गई धनराशि से 2% टीडीएस काटकर सम्यक लेखा शीर्ष में चालान के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए। इसी प्रकार जी एस टी अधिनियम 2017 के अंतर्गत धारा 51 में स्रोत पर टी डी एस कटौती करके सम्यक लेखा शीर्ष में चालान के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए था परंतु पंचायत द्वारा उक्त कटौतियां न करके राजकोष को क्षति पहुंचाई।

2)सामग्री क्रय हेतु सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित न करना-

ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 5 एवं शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-08-1586 दिनांक 23.09.08 के अनुसार ₹0100000.00 से अधिक की सामग्री क्रय सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित करके किया जायेगा, निविदाएं आमंत्रित करने में वस्तु का नाम, वस्तु की मात्रा, अनुमानित लागत, निविदाएं प्राप्त करने का समय एवं तिथि, निविदाएं खोलने की तिथि एवं समय इत्यादि का उल्लेख किया जाएगा। इच्छुक ठेकेदार को निविदा के साथ धरोहर की धनराशि जमा करना है। निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली फर्म सामग्री की अधिकृत विक्रेता/निर्माता होना चाहिये एवं फर्म की वित्तीय स्थिति जानने के लिए उनसे इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना चाहिए। पंचायत द्वारा उपरोक्त किसी प्रक्रिया का पालन नहीं करते हुए विभिन्न तिथियों में कुल ₹ 1893006.00 की सामग्री क्रय किया गया।

(3) पत्रावली प्रस्तुत न करना- ग्राम पंचायत रैथा की वर्ष 2020-21 की लेखापरीक्षा में पाया गया की विभिन्न तिथियों मजदूरी /सामग्री हेतु कुल ₹0 2935954.00 आहरित किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित हैं-

क्रम	कार्य विवरण/आई 0 डी 0	तिथि	मद	आहरणकर्ता	धनराशि (₹0)
1-	10680038 हैंड पंप मरम्मत	25-04-2020 06-05-2020	सामग्री	दयाराम ट्रेडर्स दयाराम ट्रेडर्स	28500.00 26500.00
2-	45031650 हैंड पंप मरम्मत	04-11-2020 09-02-2021	सामग्री	वैष्णवी इंडस्ट्री माँ सरस्वती ट्रेडर्स	22500.00 15500.00
3-	50523878 हैंड पंप मरम्मत	23-03-2021	सामग्री	वैष्णवी इंडस्ट्री	36338.00
4-	10680040 हैंड पंप रिबोर	25-04-2020	सामग्री	दयाराम ट्रेडर्स	103230.00
5-	45059337 हैंड पंप रिबोर	06-11-2020	सामग्री	माँ सरस्वती ट्रेडर्स	10474.00
6-	20435754 नाली निर्माण	06-05-2020	सामग्री	माँ सरस्वती ट्रेडर्स	54777.00
7-	31157551	16-07-2020	सामग्री	दिशा लीगल सर्विसेज़	3050.00
8-	43806055	02-08-2020 07-12-2020	सामग्री	स्पार्क एनर्जी श्रीमती अनीता कनौजिया	8000.00 10500.00
9-	45059360	06-11-2020	सामग्री	माँ सरस्वती ट्रेडर्स	83362.00
10	45031666	23-03-2021	सामग्री	स्काई लार्क इन्टरप्राइज़	116904.00
11	50523500 Z	19-03-2021	सामग्री	रेशमा ट्रेडर्स	20542.00
12	43504964	24-03-2021	सामग्री	स्काई लार्क इन्टरप्राइज़	50773.00
1	20435756	25-07-2020	सामग्री	माँ सरस्वती ट्रेडर्स	161474.00

		25-07-2020		माँ सरस्वती ट्रेडर्स	98808.00
		25-07-2020		एम0एस0 इन्टरप्राइज़	207986.00
1	43501131	10-11-2020	सामग्री	एम0एस0 इन्टरप्राइज़	42249.00
		10-09-2020		अजय कन्स्ट्रक्शन	75909.00
		10-09-2020		अजय ब्रिक फील्ड	48069.00
		10-09-2020		स्काई लार्क इन्टरप्राइज़	85934.00
		02-10-2020		प्रजापति	42500.00
		23-03-2021		रेशमा ट्रेडर्स	90885.00
		23-03-2021		स्काई लार्क इन्टरप्राइज़	4846.00
		23-03-2021		स्काई लार्क इन्टरप्राइज़	72415.00
		23-03-2021			15930.00
1	435031658	04-11-2020	सामग्री	रेशमा ट्रेडर्स	50884.00
		04-11-2020		अजय ब्रिक फील्ड	40934.00
1	435031690 Z	04-11-2020	सामग्री	वैष्णवी इंडस्ट्री	26325.00
		04-11-2020		स्काई लार्क इन्टरप्राइज़	22445.00
1	20435756	29-09-2020	सामग्री	माँ सरस्वती ट्रेडर्स	42480.00
1	45031666	04-12-2020	सामग्री	रेशमा ट्रेडर्स	171983.00
				योग	1893006.00
क्रम	कार्य विवरण/आई 0डी 0	तिथि	मद	आहरणकर्ता	धनराशि (रु0)
1.	14290972 प्रधान मानदेय	21-04-2020	मजदूरी	श्रीमती अनीता कनौजिया	14000.00
2.	45031643 प्रधान मानदेय	04-11-2020 01-02-2021 23-03-2021	मजदूरी	श्रीमती अनीता कनौजिया श्रीमती अनीता कनौजिया श्रीमती अनीता कनौजिया	24500.00 7000.00 6322.00
3.	10680038	25-01-2020 06-05-2020	मजदूरी	श्रीमती अनीता कनौजिया "	24500.00 19500.00
4.	45031650	04-11-2020 01-02-2021	मजदूरी	श्रीमती अनीता कनौजिया भगवान दीन	17500.00 12400.00
5.	50523878	24-03-2021	मजदूरी	पवन कुमार निर्मल	17400.00
6.	20435766	21-04-2020	मजदूरी	श्रीमती अनीता कनौजिया	44160.00
7.	10680040	25-04-2020	मजदूरी	श्रीमती अनीता कनौजिया	54390.00
8.	45059337	06-11-2020	मजदूरी	श्रीमती अनीता कनौजिया	37500.00

9.	20495758	25-04-2020 27-05-2020	मजदूरी	स्पार्क एनर्जी किसान सेवा केंद्र	79810.00 19424.00
10.	20435754	06-05-2020	मजदूरी	श्रीमती अनीता कनौजिया	20804.00
11.	14290958	24-07-2020 06-05-2020	मजदूरी	भगवान दीन श्रीमती अनीता कनौजिया	20100.00 16380.00
12.	14290959	23-05-2020	मजदूरी	श्रीमती अनीता कनौजिया	6030.00
13.	16387867	04-07-2020	मजदूरी	एवरेडी न्यूज	4200.00
14.	43482977	08-12-2020 23-10-2020	मजदूरी	श्रीमती अनीता कनौजिया भगवान दीन	17500.00 14500.00
15.	43482923	01-02-2021	मजदूरी	भगवान दीन	9600.00
16.	43510782	28-01-2021 28-01-2021 01-02-2021 01-02-2021 01-02-2021 01-02-2021 01-02-2021 01-02-2021 01-02-2021 19-03-2021 19-03-2021 19-03-2021 19-03-2021 24-03-2021 25-03-2021	मजदूरी	भगवान दीन " फूलचंद फूलचंद राम स्वरूप राम स्वरूप रामेश्वर मेवालाल फूलचंद रामेश्वर राम स्वरूप मेवालाल अजय गौतम पवन कुमार निर्मल	2814.00 6231.00 2814.00 4020.00 2814.00 4020.00 2814.00 4020.00 4020.00 9045.00 14673.00 20904.00 12462.00 6000.00 5628.00
17.	43482977	23-03-2021 23-03-2021	मजदूरी	भगवान दीन भगवान दीन	17980.00 12710.00
18.	50523500	25-03-2021	मजदूरी	पवन कुमार निर्मल	7490.00
19.	43504964	24-03-2021	मजदूरी	पवन कुमार निर्मल	16670.00
20.	14290977	21-04-2020	मजदूरी	श्रीमती अनीता कनौजिया	32550.00
21.	20435756	25-07-2020 20-08-2020	मजदूरी	श्रीमती अनीता कनौजिया	85120.00 68996.00
22.	43501131	10-11-2020 10-09-2020	मजदूरी	श्रीमती अनीता कनौजिया	20800.00 12800.00

		10-09-2020 23-03-2021			18000.00 2800.00
23.	435031658	04-11-2020 04-11-2020	मजदूरी	श्रीमती अनीता कनौजिया	22267.00 15751.00
24.	45031690	04-11-2020	मजदूरी	श्रीमती अनीता कनौजिया	14436.00
25.	142+90949	15-07-2020	मजदूरी	राम नरेश	11060.00
26.	20435756	29-09-2020	मजदूरी	माँ सरस्वती ट्रेडर्स	17700.00
27.	45031666	04-12-2020	मजदूरी	श्रीमती अनीता कनौजिया	80039.00
				योग	1042948.00

उक्त कार्यो से संबंधित स्थलवार विवरण ,मानक शासनादेश ,विभागीय परिपत्र ,पीडब्ल्यूडी द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र ,निर्देशो इत्यादि से लेखापरीक्षक अवगत नहीं हो सका। निदेशक पंचायतीराज लखनउ उ0प्र0 के पत्रांक4/175/2015-4/81/2015 दिनांक 20जून 2016 के प्रस्तर-3 के अनुसार प्रत्येक कार्य हेतु ग्राम पंचायत चरणबद्ध फोटा अनिवार्य रूप से संरक्षित करेगा परन्तु लेखा परीक्षा में कोई फोटो प्रस्तुत नहीं किया गया इससे स्पष्ट नहीं हो सका कि कार्य वास्तविक है या नहीं ।

(4)माप पुस्तिका व प्राक्कलन न प्रस्तुत किया जाना-

उ0प्र0पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152 एवं 154 के अनुसार सार्वजनिक कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन एवं मानचित्र ग्रामसभा से स्वीकृत होगा।अग्रेतर शासनदेश संख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के प्रस्तर 2(ब) तकनीकी परीक्षण 2 लाख तक ग्राम पंचायत,2 से 2.5 लाख तक अवर अभियंता द्वारा तथा 2.5 लाख से ऊपर अभियंता जिला पंचायत द्वारा किया जाएगा । लेखा परीक्षा में चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से कराए गए कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन एवं मानचित्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया। इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। विवरण निम्नवत है -

क्रम	कार्य विवरण/आई0डी	तिथि	मद	आहरणकर्ता	धनराशि (रु0)
1	10680038 हैंड पंप मरम्मत	25-04-2020 06-05-2020	सामग्री	दयाराम ट्रेडर्स दयाराम ट्रेडर्स	28500.00 26500.00
2	45031650 हैंड पंप मरम्मत	04-11-2020 09-02-2021	सामग्री	वैष्णवी इंडस्ट्री माँ सरस्वती ट्रेडर्स	22500.00 15500.00
3	50523878 हैंड पंप मरम्मत	23-03-2021	सामग्री	वैष्णवी इंडस्ट्री	36338.00
4	10680040 हैंड पंप रिबोर	25-04-2020	सामग्री	दयाराम ट्रेडर्स	103230.00
5	45059337 हैंड पंप रिबोर	06-11-2020	सामग्री	माँ सरस्वती ट्रेडर्स	10474.00
6	20435754 नाली निर्माण	06-05-2020	सामग्री	माँ सरस्वती ट्रेडर्स	54777.00
7	31157551	16-07-2020	सामग्री	दिशा लीगल सर्विसेज़	3050.00
8	43806055	02-08-2020	सामग्री	स्पार्क एनर्जी श्रीमती अनीता कनौजिया	8000.00

		07-12-2020			10500.00
9	45059360	06-11-2020	सामग्री	माँ सरस्वती ट्रेडर्स	83362.00
10	45031666	23-03-2021	सामग्री	स्काई लार्क इन्टरप्राइज़	116904.00
11	50523500	19-03-2021	सामग्री	रेशमा ट्रेडर्स	20542.00
1	43504964	24-03-2021	सामग्री	स्काई लार्क इन्टरप्राइज़	50773.00
13	20435756	25-07-2020 25-07-2020 25-07-2020	सामग्री	माँ सरस्वती ट्रेडर्स माँ सरस्वती ट्रेडर्स एम0एस0 इन्टरप्राइज़	161474.00 98808.00 207986.00
14	43501131	10-11-2020 10-09+-2020 10-09-2020 10-09-2020 02-10-2020 23-03-2021 23-03-2021 23-03-2021 23-03-2021	सामग्री	एम0एस0 इन्टरप्राइज़ अजय कन्स्ट्रक्शन अजय ब्रिक फील्ड स्काई लार्क इन्टरप्राइज़ प्रजापति रेशमा ट्रेडर्स रेशमा ट्रेडर्स स्काई लार्क इन्टरप्राइज़ स्काई लार्क इन्टरप्राइज़	42249.00 75909.00 48069.00 85934.00 42500.00 90885.00 4846.00 72415.00 15930.00
15	435031658	04-11-2020 04-11-2020	सामग्री	रेशमा ट्रेडर्स अजय ब्रिक फील्ड	50884.00 40934.00
16	435031690 Z	04-11-2020 04-11-2020	सामग्री	वैष्णवी इंडस्ट्री स्काई लार्क इन्टरप्राइज़	26325.00 22445.00
17	20435756	29-09-2020	सामग्री	माँ सरस्वती ट्रेडर्स	42480.00
18	45031666	04-12-2020	सामग्री	रेशमा ट्रेडर्स	171983.00
				योग	1893006.00
क्रम	कार्य विवरण/आई 0डी 0	तिथि	मद	आहरणकर्ता	धनराशि (रु0)
1	14290972 प्रधान मानदेय	21-04-2020	मजदूरी	श्रीमती अनीता कनौजिया	14000.00
2	45031643 प्रधान मानदेय	04-11-2020 01-02-2021 23-03-2021	मजदूरी	श्रीमती अनीता कनौजिया श्रीमती अनीता कनौजिया श्रीमती अनीता कनौजिया	24500.00 7000.00 6322.00
3	10680038	25-01-2020 06-05-2020	मजदूरी	श्रीमती अनीता कनौजिया "	24500.00 19500.00

4	45031650	04-11-2020 01-02-2021	मजदूरी	श्रीमती अनीता कनौजिया भगवान दीन	17500.00 12400.00
5	50523878	24-03-2021	मजदूरी	पवन कुमार निर्मल	17400.00
6	20435766	21-04-2020	मजदूरी	श्रीमती अनीता कनौजिया	44160.00
7	10680040	25-04-2020	मजदूरी	श्रीमती अनीता कनौजिया	54390.00
8	45059337	06-11-2020	मजदूरी	श्रीमती अनीता कनौजिया	37500.00
9	20495758	25-04-2020 27-05-2020	मजदूरी	स्पार्क एनर्जी किसान सेवा केंद्र	79810.00 19424.00
10	20435754	06-05-2020	मजदूरी	श्रीमती अनीता कनौजिया	20804.00
11	14290958	24-07-2020 06-05-2020	मजदूरी	भगवान दीन श्रीमती अनीता कनौजिया	20100.00 16380.00
12	14290959	23-05-2020	मजदूरी	श्रीमती अनीता कनौजिया	6030.00
13	16387867	04-07-2020	मजदूरी	एवेरेडी न्यूज	4200.00
14	43482977	08-12-2020 23-10-2020	मजदूरी	श्रीमती अनीता कनौजिया भगवान दीन	17500.00 14500.00
15	43482923	01-02-2021	मजदूरी	भगवान दीन	9600.00
16	43510782	28-01-2021 28-01-2021 01-02-2021 01-02-2021 01-02-2021 01-02-2021 01-02-2021 01-02-2021 01-02-2021 19-03-2021 19-03-2021 19-03-2021 19-03-2021 24-03-2021 25-03-2021	मजदूरी	भगवान दीन " फूलचंद फूलचंद राम स्वरूप राम स्वरूप रामेश्वर मेवालाल फूलचंद रामेश्वर राम स्वरूप मेवालाल अजय गौतम पवन कुमार निर्मल	2814.00 6231.00 2814.00 4020.00 2814.00 4020.00 2814.00 4020.00 9045.00 14673.00 20904.00 12462.00 6000.00 5628.00
17	43482977	23-03-2021 23-03-2021	मजदूरी	भगवान दीन भगवान दीन	17980.00 12710.00
18	50523500	25-03-2021	मजदूरी	पवन कुमार निर्मल	7490.00

19	43504964	24-03-2021	मजदूरी	पवन कुमार निर्मल	16670.00
20	14290977	21-04-2020	मजदूरी	श्रीमती अनीता कनौजिया	32550.00
21	20435756	25-07-2020 20-08-2020	मजदूरी	श्रीमती अनीता कनौजिया	85120.00 68996.00
22	43501131	10-11-2020 10-09-2020 10-09-2020 23-03-2021	मजदूरी	श्रीमती अनीता कनौजिया	20800.00 12800.00 18000.00 2800.00
23	435031658	04-11-2020 04-11-2020	मजदूरी	श्रीमती अनीता कनौजिया	22267.00 15751.00
24	45031690	04-11-2020	मजदूरी	श्रीमती अनीता कनौजिया	14436.00
25	14290949	15-07-2020	मजदूरी	राम नरेश	11060.00
26	20435756	29-09-2020	मजदूरी	माँ सरस्वती ट्रेडर्स	17700.00
27	45031666	04-12-2020	मजदूरी	श्रीमती अनीता कनौजिया	80039.00
योग					1042948.00

उ0प्र0पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 157 एवं समय-समय पर जारी निदेशक पंचायती राज के परिपत्रों एवं शासनादेशों के अनुसार बिना कार्य के माप-जोख के कोई भुगतान नहीं होगा। परन्तु लेखापरीक्षा में कार्य से सम्बन्धित मापपुस्तिका प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। । उ0प्र0पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए।

(5) मास्टरोल प्रस्तुत नहीं-

ग्राम पंचायत रैथा की वर्ष 2020-21 की लेखापरीक्षा में पाया गया की विभिन्न तिथियों मजदूरी हेतु कुल रु0 **1042948.00** आहरित किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित है-

क्रम	कार्य विवरण/आई 0डी 0	तिथि	मद	आहरणकर्ता	धनराशि (रु0)
1	14290972 प्रधान मानदेय	21-04-2020	मजदूरी	श्रीमती अनीता कनौजिया	14000.00
2	45031643 प्रधान मानदेय	04-11-2020 01-02-2021 23-03-2021	मजदूरी	श्रीमती अनीता कनौजिया श्रीमती अनीता कनौजिया श्रीमती अनीता कनौजिया	24500.00 7000.00 6322.00
3	10680038	25-01-2020 06-05-2020	मजदूरी	श्रीमती अनीता कनौजिया "	24500.00 19500.00

4	45031650	04-11-2020 01-02-2021	मजदूरी	श्रीमती कनौजिया अनीता भगवान दीन	17500.00 12400.00
5	50523878	24-03-2021	मजदूरी	पवन कुमार निर्मल	17400.00
6	20435766	21-04-2020	मजदूरी	श्रीमती कनौजिया अनीता	44160.00
7	10680040	25-04-2020	मजदूरी	श्रीमती कनौजिया अनीता	54390.00
8	45059337	06-11-2020	मजदूरी	श्रीमती कनौजिया अनीता	37500.00
9	20495758	25-04-2020 27-05-2020	मजदूरी	स्पार्क एनर्जी किसान सेवा केंद्र	79810.00 19424.00
10	20435754	06-05-2020	मजदूरी	श्रीमती कनौजिया अनीता	20804.00
11	14290958	24-07-2020 06-05-2020	मजदूरी	भगवान दीन श्रीमती कनौजिया अनीता	20100.00 16380.00
12	14290959	23-05-2020	मजदूरी	श्रीमती कनौजिया अनीता	6030.00
13	16387867	04-07-2020	मजदूरी	एवेरेडी न्यूज	4200.00
14	43482977	08-12-2020 23-10-2020	मजदूरी	श्रीमती कनौजिया अनीता भगवान दीन	17500.00 14500.00
15	43482923	01-02-2021	मजदूरी	भगवान दीन	9600.00
16	43510782	28-01-2021 28-01-2021 01-02-2021 01-02-2021 01-02-2021 01-02-2021 01-02-2021 01-02-2021 01-02-2021 19-03-2021 19-03-2021 19-03-2021 19-03-2021 24-03-2021 25-03-2021	मजदूरी	भगवान दीन " फूलचंद फूलचंद राम स्वरूप राम स्वरूप रामेश्वर मेवालाल फूलचंद रामेश्वर राम स्वरूप मेवालाल अजय गौतम पवन कुमार निर्मल	2814.00 6231.00 2814.00 4020.00 2814.00 4020.00 2814.00 4020.00 9045.00 14673.00 20904.00 12462.00 6000.00 5628.00
17	43482977	23-03-2021 23-03-2021	मजदूरी	भगवान दीन भगवान दीन	17980.00 12710.00
18	50523500	25-03-2021	मजदूरी	पवन कुमार निर्मल	7490.00

19	43504964	24-03-2021	मजदूरी	पवन कुमार निर्मल	16670.00
20	14290977	21-04-2020	मजदूरी	श्रीमती अनीता कनौजिया	32550.00
21	20435756	25-07-2020 20-08-2020	मजदूरी	श्रीमती अनीता कनौजिया	85120.00 68996.00
22	43501131	10-11-2020 10-0+9-2020 10-09-2020 23-03-2021	मजदूरी	श्रीमती अनीता कनौजिया	20800.00 12800.00 18000.00 2800.00
23	435031658	04-11-2020 04-11-2020	मजदूरी	श्रीमती अनीता कनौजिया	22267.00 15751.00
24	45031690	04-11-2020	मजदूरी	श्रीमती अनीता कनौजिया	14436.00
25	142+90949	15-07-2020	मजदूरी	राम नरेश	11060.00
26	20435756	29-09-2020	मजदूरी	माँ सरस्वती ट्रेडर्स	17700.00
27	45031666	04-12-2020	मजदूरी	श्रीमती अनीता कनौजिया	80039.00
				योग	1042948.00

उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 210 के अनुसार दैनिक मजदूरी पर कार्यरत मजदूरों की दैनिक उपस्थिति आदि के विवरण हेतु एक दैनिक उपस्थिति रजिस्टर रूप पत्र -22 पर तैयार किया जाएगा। लेखा परीक्षा वर्ष में पंचायत द्वारा रु0 **1042948.00** मजदूरी पर व्यय किया गया जिसका भुगतान ग्राम प्रधान को किया गया है जबकि कार्यरत मजदूरों को करना चाहिए परंतु दैनिक उपस्थिति रजिस्टर रूप पत्र -22 पर तैयार नहीं करने के कारण उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं हो सका।

(6) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं-

उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 209 के अनुसार कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य ग्राम प्रधान या उसके अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत के किसी सदस्य को जिसे ग्राम पंचायत नियुक्त करे, वह जारी करता है। वह प्रमाणित करता है की कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार पूर्ण हुआ, यदि विचलन है तो उल्लेख करेगा। लेखा परीक्षा में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार नहीं हुआ है। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए।

(7) व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया-

ग्राम पंचायत रैथा की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया की विभिन्न तिथियों मजदूरी /सामग्री हेतु कुल रु0 2935954.00 आहरित किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित हैं-

क्रम	कार्य विवरण/आई0डी	तिथि	मद	धनराशि (रु0)

				आहरणकर्ता	
1	10680038 हैंड पंप मरम्मत	25-04-2020 06-05-2020	सामग्री	दयाराम ट्रेडर्स दयाराम ट्रेडर्स	28500.00 26500.00
3	45031650 हैंड पंप मरम्मत	04-11-2020 09-02-2021	सामग्री	वैष्णवी इंडस्ट्री माँ सरस्वती ट्रेडर्स	22500.00 15500.00
3	50523878 हैंड पंप मरम्मत	23-03-2021	सामग्री	वैष्णवी इंडस्ट्री	36338.00
4	10680040 हैंड पंप रिबोर	25-04-2020	सामग्री	दयाराम ट्रेडर्स	103230.00
5	45059337 हैंड पंप रिबोर	06-11-2020	सामग्री	माँ सरस्वती ट्रेडर्स	10474.00
6	20435754 नाली निर्माण	06-05-2020	सामग्री	माँ सरस्वती ट्रेडर्स	54777.00
7	31157551	16-07-2020	सामग्री	दिशा लीगल सर्विसेज़	3050.00
8	43806055	02-08-2020 07-12-2020	सामग्री	स्पार्क एनर्जी श्रीमती अनीता कनौजिया	8000.00 10500.00
9	45059360	06-11-2020	सामग्री	माँ सरस्वती ट्रेडर्स	83362.00
10	45031666	23-03-2021	सामग्री	स्काई लार्क इन्टरप्राइज़	116904.00
11	50523500	19-03-2021	सामग्री	रेशमा ट्रेडर्स	20542.00
1	43504964	24-03-2021	सामग्री	स्काई लार्क इन्टरप्राइज़	50773.00
13	20435756	25-07-2020 25-07-2020 25-07-2020	सामग्री	माँ सरस्वती ट्रेडर्स माँ सरस्वती ट्रेडर्स एम0एस0 इन्टरप्राइज़	161474.00 98808.00 207986.00
14	43501131	10-11-2020 10-09+-2020 10-09-2020 10-09-2020 02-10-2020 23-03-2021 23-03-2021 23-03-2021 23-03-2021	सामग्री	एम0एस0 इन्टरप्राइज़ अजय कन्स्ट्रक्शन अजय ब्रिक फील्ड स्काई लार्क इन्टरप्राइज़ प्रजापति रेशमा ट्रेडर्स रेशमा ट्रेडर्स स्काई लार्क इन्टरप्राइज़ स्काई लार्क इन्टरप्राइज़	42249.00 75909.00 48069.00 85934.00 42500.00 90885.00 4846.00 72415.00 15930.00
15	435031658	04-11-2020 04-11-2020	सामग्री	रेशमा ट्रेडर्स अजय ब्रिक फील्ड	50884.00 40934.00
16	435031690	04-11-2020	सामग्री	वैष्णवी इंडस्ट्री	26325.00

	Z	04-11-2020		स्काई लार्क इन्टरप्राइज़	22445.00
17	20435756	29-09-2020	सामग्री	माँ सरस्वती ट्रेडर्स	42480.00
18	45031666	04-12-2020	सामग्री	रेशमा ट्रेडर्स	171983.00
				योग	1893006.00
क्रम	कार्य विवरण/आई 0डी 0	तिथि	मद	आहरणक र्ता	धनराशि (रु0)
1	14290972 प्रधान मानदेय	21-04-2020	मजदूरी	श्रीमती अनीता कनौजिया	14000.00
2	45031643 प्रधान मानदेय	04-11-2020 01-02-2021 23-03-2021	मजदूरी	श्रीमती अनीता कनौजिया श्रीमती अनीता कनौजिया श्रीमती अनीता कनौजिया	24500.00 7000.00 6322.00
3	10680038	25-01-2020 06-05-2020	मजदूरी	श्रीमती अनीता कनौजिया "	24500.00 19500.00
4	45031650	04-11-2020 01-02-2021	मजदूरी	श्रीमती अनीता कनौजिया भगवान दीन	17500.00 12400.00
5	50523878	24-03-2021	मजदूरी	पवन कुमार निर्मल	17400.00
6	20435766	21-04-2020	मजदूरी	श्रीमती अनीता कनौजिया	44160.00
7	10680040	25-04-2020	मजदूरी	श्रीमती अनीता कनौजिया	54390.00
8	45059337	06-11-2020	मजदूरी	श्रीमती अनीता कनौजिया	37500.00
9	20495758	25-04-2020 27-05-2020	मजदूरी	स्पार्क एनर्जी किसान सेवा केंद्र	79810.00 19424.00
10	20435754	06-05-2020	मजदूरी	श्रीमती अनीता कनौजिया	20804.00
11	14290958	24-07-2020 06-05-2020	मजदूरी	भगवान दीन श्रीमती अनीता कनौजिया	20100.00 16380.00
12	14290959	23-05-2020	मजदूरी	श्रीमती अनीता कनौजिया	6030.00
13	16387867	04-07-2020	मजदूरी	एवेरेडी न्यूज	4200.00
14	43482977	08-12-2020 23-10-2020	मजदूरी	श्रीमती अनीता कनौजिया	17500.00 14500.00

				भगवान दीन	
15	43482923	01-02-2021	मजदूरी	भगवान दीन	9600.00
16	43510782	28-01-2021 28-01-2021 01-02-2021 01-02-2021 01-02-2021 01-02-2021 01-02-2021 01-02-2021 01-02-2021 19-03-2021 19-03-2021 19-03-2021 19-03-2021 24-03-2021 25-03-2021	मजदूरी	भगवान दीन " फूलचंद फूलचंद राम स्वरूप राम स्वरूप रामेश्वर मेवालाल फूलचंद रामेश्वर राम स्वरूप मेवालाल अजय गौतम पवन कुमार निर्मल	2814.00 6231.00 2814.00 4020.00 2814.00 4020.00 2814.00 4020.00 9045.00 14673.00 20904.00 12462.00 6000.00 5628.00
17	43482977	23-03-2021 23-03-2021	मजदूरी	भगवान दीन भगवान दीन	17980.00 12710.00
18	50523500	25-03-2021	मजदूरी	पवन कुमार निर्मल	7490.00
19	43504964	24-03-2021	मजदूरी	पवन कुमार निर्मल	16670.00
20	14290977	21-04-2020	मजदूरी	श्रीमती अनीता कनौजिया	32550.00
21	20435756	25-07-2020 20-08-2020	मजदूरी	श्रीमती अनीता कनौजिया	85120.00 68996.00
22	43501131	10-11-2020 10-09-2020 10-09-2020 23-03-2021	मजदूरी	श्रीमती अनीता कनौजिया	20800.00 12800.00 18000.00 2800.00
23	435031658	04-11-2020 04-11-2020	मजदूरी	श्रीमती अनीता कनौजिया	22267.00 15751.00
24	45031690	04-11-2020	मजदूरी	श्रीमती अनीता कनौजिया	14436.00
25	14290949	15-07-2020	मजदूरी	राम नरेश	11060.00
26	20435756	29-09-2020	मजदूरी	माँ सरस्वती ट्रेडर्स	17700.00
27	45031666	04-12-2020	मजदूरी	श्रीमती अनीता कनौजिया	80039.00
				योग	1042948.00

उक्त कार्य के सापेक्ष लेखापरीक्षा में कोई मूल व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया जबकि ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8[क] के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से किया जाना चाहिए। उ0प्र0पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256(1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार दुरुपयोग की गयी कुल धनराशि रु0 2935954.00 (उन्तीस लाख पैंतीस हजार नौ सौ चौवन रुपये)में से ग्राम प्रधान से रु0 1467977.00 (चौदह लाख सरसठ हजार नौ सौ सतहत्तर रुपये) और पंचायत सचिव रु0 1467977.00 (चौदह लाख सरसठ हजार नौ सौ सतहत्तर रुपये) की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - पश्चिम गाँव, विकास खंड -चिनहट, जनपद -लखनऊ

वर्ष-2020-21

प्रस्तर संख्या- 19

ग्राम पंचायत- पश्चिम गाँव की वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखापरीक्षा में पाया गया है कि विभिन्न तिथियों में मजदूरी /सामग्री हेतु कुल रु0 1592098.00 आहरित किया गया, जिसके सन्दर्भ में आपत्ति के प्रमुख बिन्दु निम्नलिखित है-

(1)कार्य आपूर्ति बिल से वैधानिक कटौती की रीकवरी न किया जाना-

आय कर अधिनियम 1961 यथा संशोधित की धारा 194 सी के अनुसार आपूर्तिकर्ता के बिल से भुगतान की गई धनराशि से 2% टीडीएस काटकर सम्यक लेखा शीर्ष में चालान के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए। इसी प्रकार जी एस टी अधिनियम 2017 के अंतर्गत धारा 51 में स्रोत पर टी डी एस कटौती करके सम्यक लेखा शीर्ष में चालान के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए था परंतु पंचायत द्वारा उक्त कटौतियां न करके राजकोष को क्षति पहुंचाई।

2)सामग्री क्रय हेतु सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित न करना-

ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 5 एवं शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-08-1586 दिनांक 23.09.08 के अनुसार रु0100000.00 से अधिक की सामग्री क्रय सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित करके किया जायेगा, निविदाएं आमंत्रित करने में वस्तु का नाम ,वस्तु की मात्रा,अनुमानित लागत,निविदाएं प्राप्त करने का समय एवं तिथि,निविदाएं खोलने की तिथि एवं समय इत्यादि का उल्लेख किया जाएगा । इच्छुक ठेकेदार को निविदा के साथ धरोहर की धनराशि जमा करना है । निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली फर्म सामग्री की अधिकृत विक्रेता/निर्माता होना चाहिये एवं फर्म की वित्तीय स्थिति जानने के लिए उनसे इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना चाहिए ।पंचायत द्वारा उपरोक्त किसी प्रक्रिया का पालन नहीं करते हुए विभिन्न तिथियों में कुल रु0 1280101.00 की सामग्री क्रय किया गया ।

(3) पत्रावली प्रस्तुत न करना- ग्राम पंचायत पश्चिम गाँव की वर्ष 2020-21 की लेखापरीक्षा में पाया गया की विभिन्न तिथियों मजदूरी /सामग्री हेतु कुल रु0 1592098.00 आहरित किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित हैं-

क्र० सं०	कार्य आई डी विवरण	तिथि	मद	आहरणकर्ता	धनराशि
1.	13711351 हैण्डपम्प रिबोर	25-04-2020	सामग्री क्रय	दया राम टेडर्स	103230.00
2.	13711350 हैण्डपम्प रिबोर	06-05-2020	सामग्री क्रय	दया राम टेडर्स	12000.00
3.	21048506 प्राथमिक विद्यालय में रंगाई पुताई टाईल	17-06-2020	सामग्री क्रय	रेशमा टेडर्स	129201.00
4.	19618586 प्राथमिक विद्यालय में रंगाई पुताई टाईल	25-06-2020 10-11-2020	सामग्री क्रय	रेशमा टेडर्स	39635.00 8000.00
5.	43174104 हैण्डपम्प मरम्मत	09-08-2020 04-11-2020	सामग्री क्रय	स्काई लार्क इण्टरप्राइजेज रेशमा टेडर्स	11200. 00 13500.00
6.	45038397 हैण्डपम्प मरम्मत	23-03-2021	सामग्री क्रय	स्काई लार्क इण्टरप्राइजेज	29500.00
7.	13711368 केमिकल सामग्री	23-04-2020	सामग्री क्रय	स्पार्क एनर्जी	79810.00
8.	45037480 सामुदायिक शौचालय निर्माण	24-03-2021	सामग्री क्रय	रेशमा टेडर्स	145519.00

9.	43180523 सामुदायिक शौचालय निर्माण	23-03-2021	सामग्री क्रय	स्पाई एनर्जी	65294.00
		22-10-2020		स्काई लार्क	77175.00
		21-10-2020		इण्टरप्राइजेज	21500.00
		16-09-2020		अजय बिक्र फील्ड रेशमा टेडर्स	96777.00
10.	44556506 प्राथमिक विद्यालय में भवन मरम्मत	02-09-2020	सामग्री क्रय	स्काई लार्क इण्टरप्राइजेज	62901.00
11.	43193452 पंचायत भवन का निर्माण	24-03-2021	सामग्री क्रय	आनन्द इण्टर प्राइजेज	44771.00
12.	45037503 सी0सी0 रोड नाली निर्माण	11-12-2020	सामग्री क्रय	स्काई लार्क	51080.00
		05-11-2020		इण्टरप्राइजेज रेशमा टेडर्स	50903.00
13.	13711349 प्रशासनिक व्यय	16-07-2020	सामग्री क्रय	दिशा लीगल सर्विस	3050.00
14.	43205320 प्रशासनिक व्यय	02-08-2020	सामग्री क्रय	स्पाई एनर्जी	8000.00
		02-12-2020		शान्ती	10500.00
				योग	1063546.00
क्र० सं०	कार्य आई डी विवरण	तिथि	मद	आहरणकर्ता	धनराशि
1.	13711351 हैण्डपम्प रिबोर	25-04-2020	मजदूरी	शान्ती	54390.00
2.	13711350 हैण्डपम्प रिबोर	06.05.2020	मजदूरी	शान्ती	8500.00
3.	27443307 प्रधान मानदेय	11.06.2020	मजदूरी	शान्ती	7000.00
4.	43205277 प्रधान मानदेय	08.07.2020	मजदूरी	शान्ती	10500.00
		31.07.2020	मजदूरी	शान्ती	3500.00
		20.09.2020	मजदूरी	शान्ती	3500.00
		04.11.2020	मजदूरी	शान्ती	3500.00
		02.12.2020	मजदूरी	शान्ती	3500.00
		02.10.2020	मजदूरी	शान्ती	3500.00
		25.03.2021			2822.00
5.	19618586 प्राथमिक विद्यालय में रंगाई पुताई टाईल	04.06.2020	मजदूरी	शान्ती	11298.00
		25.06.2020	मजदूरी	शान्ती	19712.00
6.	21048506 प्राथमिक विद्यालय में रंगाई पुताई टाईल	17.06.2020	मजदूरी	शान्ती	20356.00
7.	43205387 गौ0 आश्रम स्थल पर गौ पालन का मानदेय	08.07.2020	मजदूरी	गया प्रसाद	18291.00
		08.07.2020		राम गोपाल	18291.00
		31.07.2020		गया प्रसाद	6231.00
		31.07.2020		राम गोपाल	6231.00
		31.07.2020		प्रताप कुमार	6231.00
		02.09.2020		प्रताप कुमार	6231.00
		02.09.2020		गया प्रसाद	6231.00
		07.09.2020		अवध बिहारी	6030.00
		02.10.2020		प्रताप कुमार	6030.00
		02.10.2020		अवध बिहारी	6030.00
		04.11.2020		शान्ती	6231.00
		04.11.2020		अवधेश	6231.00
		05.11.2020		शान्ती	6030.00
		02.12.2020		गया प्रसाद	6030.00
		02.12.2020		रमेश कुमार	6030.00
		02.12.2020		गया प्रसाद	18090.00

		23.03.2021 24.03.2021 24.03.2021 25.03.2021		राम गोपाल मेवा लाल शिव कुमार शिव कुमार	12462.00 5628.00 5628.00 12462.00
8.	13711350 हैण्डपम्प मरम्मत	08.07.2020 14.08.2020 04.11.2020	मजदूरी	शान्ती शान्ती शान्ती	6500.00 6510.00 7000.00
9.	45038397 हैण्डपम्प मरम्मत	09.12.2020 23.03.2021	मजदूरी	शान्ती भगवानदीन	4500.00 17200.00
10.	13711349 टेण्डर	09.07.2020	मजदूरी	एवरीडे न्यूज	4200.00
11.	43205390 ग्राम पंचायत में नाली की सफाई	24.07.2020	मजदूरी	भगवानदीन	20100.00
12.	43180523 सामुदायिक शौचालय निर्माण	24.03.2021 16.09.2020	मजदूरी	सन्तराम शान्ती	15600.00 30000.00
13.	44556506 प्रा0 विद्यालय में भवन मरम्मत कार्य	07.09.2020 02.09.2020	मजदूरी	राम नरेश भगवानदीन	17648.00 14243.00
14.	43205387 पशु शव निस्तारण	24.03.2021 24.03.2021	मजदूरी	अजय गौतम अजय गौतम	13000.00 14500.00
15.	45037503 सी0सी0 रोड नाली निर्माण	11.12.2020 05.11.2020	मजदूरी	शान्ती शान्ती	12282.00 10080.00
				योग	528552.00

उक्त कार्यो से संबंधित स्थलवार विवरण ,मानक शासनादेश ,विभागीय परिपत्र ,पीडबल्यूडी द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र ,निर्देशो इत्यादि से लेखापरीक्षक अवगत नहीं हो सका। निदेशक पंचायतीराज लखनउ उ0प्र0 के पत्रांक4/175/2015-4/81/2015 दिनांक 20जून 2016 के प्रस्तर-3 के अनुसार प्रत्येक कार्य हेतु ग्राम पंचायत चरणबद्ध फोटा अनिवार्य रूप से संरक्षित करेगा परन्तु लेखा परीक्षा में कोई फोटो प्रस्तुत नहीं किया गया इससे स्पष्ट नहीं हो सका कि कार्य वास्तविक है या नहीं ।

(4)माप पुस्तिका व प्राक्कलन न प्रस्तुत किया जाना-

उ0प्र0पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152 एवं 154 के अनुसार सार्वजनिक कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन एवं मानचित्र ग्रामसभा से स्वीकृत होगा।अग्रेतर शासनदेश संख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के प्रस्तर 2(ब) तकनीकी परीक्षण 2 लाख तक ग्राम पंचायत,2 से 2.5 लाख तक अवर अभियंता द्वारा तथा 2.5 लाख से ऊपर अभियंता जिला पंचायत द्वारा किया जाएगा । लेखा परीक्षा में चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से कराए गए कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन एवं मानचित्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया। इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। विवरण निम्नवत है -

क्र० सं०	कार्य आई डी विवरण	तिथि	मद	आहरणकर्ता	धनराशि
1.	13711351 हैण्डपम्प रिबोर	25-04-2020	सामग्री क्रय	दया राम टेडर्स	103230.00
2.	13711350 हैण्डपम्प रिबोर	06-05-2020	सामग्री क्रय	दया राम टेडर्स	12000.00
3.	21048506 प्राथमिक विद्यालय में रंगार्ड,पुतार्ड,टार्डल	17-06-2020	सामग्री क्रय	रेशमा टेडर्स	129201.00
4.	19618586 प्राथमिक विद्यालय में रंगार्ड,पुतार्ड,टार्डल	25-06-2020 10-11-2020	सामग्री क्रय	रेशमा टेडर्स	39635.00 8000.00
5.	43174104 हैण्डपम्प मरम्मत	09-08-2020 04-11-2020	सामग्री क्रय	स्काई लार्क इण्टरप्राइजेज रेशमा टेडर्स	11200. 00 13500.00
6.	45038397 हैण्डपम्प मरम्मत	23-03-2021	सामग्री क्रय	स्काई लार्क इण्टरप्राइजेज	29500.00
7.	13711368 केमिकल सामग्री	23-04-2020	सामग्री क्रय	स्पार्क एनर्जी	79810.00

8.	45037480 सामुदायिक शौचालय निर्माण	24-03-2021	सामग्री क्रय	रेशमा टेडर्स	145519.00
9.	43180523 सामुदायिक शौचालय निर्माण	23-03-2021 22-10-2020 21-10-2020 16-09-2020	सामग्री क्रय	स्पार्क एनर्जी स्काई लार्क इण्टरप्राइजेज अजय बिक्र फील्ड रेशमा टेडर्स	65294.00 77175.00 21500.00 96777.00
10.	44556506 प्राथमिक विद्यालय में भवन मरम्मत	02-09-2020	सामग्री क्रय	स्काई लार्क इण्टरप्राइजेज	62901.00
11.	43193452 पंचायत भवन का निर्माण	24-03-2021	सामग्री क्रय	आनन्द इण्टर प्राइजेज	44771.00
12.	45037503 सी0सी0 रोड नाली निर्माण	11-12-2020 05-11-2020	सामग्री क्रय	स्काई लार्क इण्टरप्राइजेज रेशमा टेडर्स	51080.00 50903.00
13.	13711349 प्रशासनिक व्यय	16-07-2020	सामग्री क्रय	दिशा लीगल सर्विस	3050.00
14.	43205320 प्रशासनिक व्यय	02-08-2020 02-12-2020	सामग्री क्रय	स्पार्क एनर्जी शान्ती	8000.00 10500.00
				योग	1063546.00

क्र० सं०	कार्य आई डी विवरण	तिथि	मद	आहरणकर्ता	धनराशि
1.	13711351 हैण्डपम्प रिबोर	25-04-2020	मजदूरी	शान्ती	54390.00
2.	13711350 हैण्डपम्प रिबोर	06.05.2020	मजदूरी	शान्ती	8500.00
3.	27443307 प्रधान मानदेय	11.06.2020	मजदूरी	शान्ती	7000.00
4.	43205277 प्रधान मानदेय	08.07.2020 31.07.2020 20.09.2020 04.11.2020 02.12.2020 02.10.2020 25.03.2021	मजदूरी मजदूरी मजदूरी मजदूरी मजदूरी मजदूरी	शान्ती शान्ती शान्ती शान्ती शान्ती शान्ती	10500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 2822.00
5.	19618586 प्राथमिक विद्यालय में रंगाई पुताई टाईल	04.06.2020 25.06.2020	मजदूरी मजदूरी	शान्ती शान्ती	11298.00 19712.00
6.	21048506 प्राथमिक विद्यालय में रंगाई पुताई टाईल	17.06.2020	मजदूरी	शान्ती	20356.00
7.	43205387 गौ0 आश्रम स्थल पर गौ पालन का मानदेय	08.07.2020 08.07.2020 31.07.2020 31.07.2020 31.07.2020 02.09.2020 02.09.2020 07.09.2020 02.10.2020 02.10.2020 02.10.2020 04.11.2020 04.11.2020 05.11.2020 02.12.2020	मजदूरी	गया प्रसाद राम गोपाल गया प्रसाद राम गोपाल प्रताप कुमार प्रताप कुमार गया प्रसाद अवध बिहारी प्रताप कुमार अवध बिहारी शान्ती अवधेश शान्ती	18291.00 18291.00 6231.00 6231.00 6231.00 6231.00 6231.00 6231.00 6030.00 6030.00 6030.00 6231.00 6231.00 6231.00 6030.00

		02.12.2020 02.12.2020 23.03.2021 23.03.2021 24.03.2021 24.03.2021 25.03.2021		गया प्रसाद रमेश कुमार गया प्रसाद राम गोपाल मेवा लाल शिव कुमार शिव कुमार	6030.00 6030.00 18090.00 12462.00 5628.00 5628.00 12462.00
8.	13711350 हैण्डपम्प मरम्मत	08.07.2020 14.08.2020 04.11.2020	मजदूरी	शान्ती शान्ती शान्ती	6500.00 6510.00 7000.00
9.	45038397 हैण्डपम्प मरम्मत	09.12.2020 23.03.2021	मजदूरी	शान्ती भगवानदीन	4500.00 17200.00
10.	13711349 टेण्डर	09.07.2020	मजदूरी	एवरीडे न्यूज	4200.00
11.	43205390 ग्राम पंचायत में नाली की सफाई	24.07.2020	मजदूरी	भगवानदीन	20100.00
12.	43180523 सामुदायिक शौचालय निर्माण	24.03.2021 16.09.2020	मजदूरी	सन्तराम शान्ती	15600.00 30000.00
13.	44556506 प्रा0 विद्यालय में भवन मरम्मत कार्य	07.09.2020 02.09.2020	मजदूरी	राम नरेश भगवानदीन	17648.00 14243.00
14.	43205387 पशु शव निस्तारण	24.03.2021 24.03.2021	मजदूरी	अजय गौतम अजय गौतम	13000.00 14500.00
15.	45037503 सी0सी0 रोड नाली निर्माण	11.12.2020 05.11.2020	मजदूरी	शान्ती शान्ती	12282.00 10080.00
				योग	528552.00

उ0प्र0पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 157 एवं समय-समय पर जारी निदेशक पंचायती राज के परिपत्रों एवं शासनादेशों के अनुसार बिना कार्य के माप-जोख के कोई भुगतान नहीं होगा। परन्तु लेखापरीक्षा में कार्य से सम्बन्धित मापपुस्तिका प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। । उ0प्र0पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए।

(5) मास्टरोल प्रस्तुत नहीं-

ग्राम पंचायत पश्चिम गाँव की वर्ष 2020-21 की लेखापरीक्षा में पाया गया की विभिन्न तिथियों मजदूरी हेतु कुल रु0 528552.00 आहरित किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित है-

क्र० सं०	कार्य आई डी विवरण	तिथि	मद	आहरणकर्ता	धनराशि
1.	13711351 हैण्डपम्प रिबोर	25-04-2020	मजदूरी	शान्ती	54390.00
2.	13711350 हैण्डपम्प रिबोर	06.05.2020	मजदूरी	शान्ती	8500.00
3.	27443307 प्रधान मानदेय	11.06.2020	मजदूरी	शान्ती	7000.00
4.	43205277 प्रधान मानदेय	08.07.2020 31.07.2020 20.09.2020 04.11.2020 02.12.2020 02.10.2020 25.03.2021	मजदूरी मजदूरी मजदूरी मजदूरी मजदूरी मजदूरी	शान्ती शान्ती शान्ती शान्ती शान्ती शान्ती	10500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 2822.00
5.	19618586 प्राथमिक विद्यालय में रंगाई पुताई टाईल	04.06.2020 25.06.2020	मजदूरी मजदूरी	शान्ती शान्ती	11298.00 19712.00
6.	21048506 प्राथमिक विद्यालय में रंगाई पुताई टाईल	17.06.2020	मजदूरी	शान्ती	20356.00

7.	43205387 गौ0 आश्रम स्थल पर गौ पालन का मानदेय	08.07.2020	मजदूरी	गया प्रसाद	18291.00
		08.07.2020		राम गोपाल	18291.00
		31.07.2020		गया प्रसाद	6231.00
		31.07.2020		राम गोपाल	6231.00
		31.07.2020		प्रताप कुमार	6231.00
		02.09.2020		प्रताप कुमार	6231.00
		02.09.2020		गया प्रसाद	6231.00
		07.09.2020		अवध बिहारी	6030.00
		02.10.2020		प्रताप कुमार	6030.00
		02.10.2020		अवध बिहारी	6030.00
		04.11.2020		शान्ती	6231.00
		04.11.2020		अवधेश	6231.00
		05.11.2020		शान्ती	6030.00
		02.12.2020		गया प्रसाद	6030.00
		02.12.2020		रमेश कुमार	6030.00
		23.03.2021		गया प्रसाद	18090.00
		23.03.2021		राम गोपाल	12462.00
		24.03.2021		मेवा लाल	5628.00
		24.03.2021		शिव कुमार	5628.00
		25.03.2021		शिव कुमार	12462.00
8.	13711350 हैण्डपम्प मरम्मत	08.07.2020	मजदूरी	शान्ती	6500.00
		14.08.2020		शान्ती	6510.00
		04.11.2020		शान्ती	7000.00
9.	45038397 हैण्डपम्प मरम्मत	09.12.2020	मजदूरी	शान्ती	4500.00
		23.03.2021		भगवानदीन	17200.00
10.	13711349 टेण्डर	09.07.2020	मजदूरी	एवरीडे न्यूज	4200.00
11.	43205390 ग्राम पंचायत में नाली की सफाई	24.07.2020	मजदूरी	भगवानदीन	20100.00
12.	43180523 सामुदायिक शौचालय निर्माण	24.03.2021	मजदूरी	सन्तराम	15600.00
		16.09.2020		शान्ती	30000.00
13.	44556506 प्रा0 विद्यालय में भवन मरम्मत कार्य	07.09.2020	मजदूरी	राम नरेश	17648.00
		02.09.2020		भगवानदीन	14243.00
14.	43205387 पशु शव निस्तारण	24.03.2021	मजदूरी	अजय गौतम	13000.00
		24.03.2021		अजय गौतम	14500.00
15.	45037503 सी0सी0 रोड नाली निर्माण	11.12.2020	मजदूरी	शान्ती	12282.00
		05.11.2020		शान्ती	10080.00
				योग	528552.00

उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 210 के अनुसार दैनिक मजदूरी पर कार्यरत मजदूरों की दैनिक उपस्थिति आदि के विवरण हेतु एक दैनिक उपस्थिति रजिस्टर रूप पत्र -22 पर तैयार किया जाएगा। लेखा परीक्षा वर्ष में पंचायत द्वारा रु0 **528552.00** मजदूरी पर व्यय किया गया जिसका भुगतान ग्राम प्रधान को किया गया है जबकि कार्यरत मजदूरों को करना चाहिए परंतु दैनिक उपस्थिति रजिस्टर रूप पत्र -22 पर तैयार नहीं करने के कारण उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं हो सका।

(6) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं-

उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 209 के अनुसार कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य ग्राम प्रधान या उसके अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत के किसी सदस्य को जिसे ग्राम पंचायत नियुक्त करे, वह जारी करता है। वह प्रमाणित करता है की कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार पूर्ण हुआ, यदि विचलन है तो उल्लेख करेगा। लेखा परीक्षा में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार नहीं हुआ है। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए।

(7) व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया-

ग्राम पंचायत पश्चिम गाँव की वर्ष 2020-21 की लेखापरीक्षा में पाया गया की विभिन्न तिथियों मजदूरी /सामग्री हेतु कुल रु0 1592098.00 आहरित किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित हैं-

क्र० सं०	कार्य आई डी विवरण	तिथि	मद	आहरणकर्ता	धनराशि
1.	13711351 हैण्डपम्प रिबोर	25-04-2020	सामग्री क्रय	दया राम टेडर्स	103230.00
2.	13711350 हैण्डपम्प रिबोर	06-05-2020	सामग्री क्रय	दया राम टेडर्स	12000.00
3.	21048506 प्राथमिक विद्यालय में रंगार्ड पुताई टाईल	17-06-2020	सामग्री क्रय	रेशमा टेडर्स	129201.00
4.	19618586 प्राथमिक विद्यालय में रंगार्ड पुताई टाईल	25-06-2020 10-11-2020	सामग्री क्रय	रेशमा टेडर्स	39635.00 8000.00
5.	43174104 हैण्डपम्प मरम्मत	09-08-2020 04-11-2020	सामग्री क्रय	स्काई लार्क इण्टरप्राइजेज रेशमा टेडर्स	11200. 00 13500.00
6.	45038397 हैण्डपम्प मरम्मत	23-03-2021	सामग्री क्रय	स्काई लार्क इण्टरप्राइजेज	29500.00
7.	13711368 केमिकल सामग्री	23-04-2020	सामग्री क्रय	स्पार्क एनर्जी	79810.00
8.	45037480 सामुदायिक शौचालय निर्माण	24-03-2021	सामग्री क्रय	रेशमा टेडर्स	145519.00
9.	43180523 सामुदायिक शौचालय निर्माण	23-03-2021 22-10-2020 21-10-2020 16-09-2020	सामग्री क्रय	स्पार्क एनर्जी स्काई लार्क इण्टरप्राइजेज अजय बिक्र फील्ड रेशमा टेडर्स	65294.00 77175.00 21500.00 96777.00
10.	44556506 प्राथमिक विद्यालय में भवन मरम्मत	02-09-2020	सामग्री क्रय	स्काई लार्क इण्टरप्राइजेज	62901.00
11.	43193452 पंचायत भवन का निर्माण	24-03-2021	सामग्री क्रय	आनन्द इण्टर प्राइजेज	44771.00
12.	45037503 सी0सी0 रोड नाली निर्माण	11-12-2020 05-11-2020	सामग्री क्रय	स्काई लार्क इण्टरप्राइजेज रेशमा टेडर्स	51080.00 50903.00
13.	13711349 प्रशासनिक व्यय	16-07-2020	सामग्री क्रय	दिशा लीगल सर्विस	3050.00
14.	43205320 प्रशासनिक व्यय	02-08-2020 02-12-2020	सामग्री क्रय	स्पार्क एनर्जी शान्ती	8000.00 10500.00
				योग	1063546.00
क्र० सं०	कार्य आई डी विवरण	तिथि	मद	आहरणकर्ता	धनराशि
1.	13711351 हैण्डपम्प रिबोर	25-04-2020	मजदूरी	शान्ती	54390.00
2.	13711350 हैण्डपम्प रिबोर	06.05.2020	मजदूरी	शान्ती	8500.00
3.	27443307 प्रधान मानदेय	11.06.2020	मजदूरी	शान्ती	7000.00
4.	43205277 प्रधान मानदेय	08.07.2020 31.07.2020 20.09.2020 04.11.2020 02.12.2020	मजदूरी मजदूरी मजदूरी मजदूरी मजदूरी	शान्ती शान्ती शान्ती शान्ती शान्ती	10500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00

		02.10.2020 25.03.2021	मजदूरी	शान्ती	3500.00 2822.00
5.	19618586 प्राथमिक विद्यालय में रंगाई पुताई टाईल	04.06.2020 25.06.2020	मजदूरी मजदूरी	शान्ती शान्ती	11298.00 19712.00
6.	21048506 प्राथमिक विद्यालय में रंगाई पुताई टाईल	17.06.2020	मजदूरी	शान्ती	20356.00
7.	43205387 गौ० आश्रम स्थल पर गौ पालन का मानदेय	08.07.2020 08.07.2020 31.07.2020 31.07.2020 02.09.2020 02.09.2020 07.09.2020 02.10.2020 02.10.2020 02.10.2020 04.11.2020 04.11.2020 05.11.2020 02.12.2020 02.12.2020 02.12.2020 23.03.2021 23.03.2021 24.03.2021 24.03.2021 25.03.2021	मजदूरी	गया प्रसाद राम गोपाल गया प्रसाद राम गोपाल प्रताप कुमार प्रताप कुमार गया प्रसाद अवध बिहारी प्रताप कुमार अवध बिहारी शान्ती अवधेश शान्ती गया प्रसाद रमेश कुमार गया प्रसाद राम गोपाल मेवा लाल शिव कुमार शिव कुमार	18291.00 18291.00 6231.00 6231.00 6231.00 6231.00 6231.00 6231.00 6030.00 6030.00 6030.00 6231.00 6231.00 6231.00 6030.00 6030.00 6030.00 18090.00 12462.00 5628.00 5628.00 12462.00
8.	13711350 हैण्डपम्प मरम्मत	08.07.2020 14.08.2020 04.11.2020	मजदूरी	शान्ती शान्ती शान्ती	6500.00 6510.00 7000.00
9.	45038397 हैण्डपम्प मरम्मत	09.12.2020 23.03.2021	मजदूरी	शान्ती भगवानदीन	4500.00 17200.00
10.	13711349 टेण्डर	09.07.2020	मजदूरी	एवरीडे न्यूज	4200.00
11.	43205390 ग्राम पंचायत में नाली की सफाई	24.07.2020	मजदूरी	भगवानदीन	20100.00
12.	43180523 सामुदायिक शौचालय निर्माण	24.03.2021 16.09.2020	मजदूरी	सन्तराम शान्ती	15600.00 30000.00
13.	44556506 प्रा० विद्यालय में भवन मरम्मत कार्य	07.09.2020 02.09.2020	मजदूरी	राम नरेश भगवानदीन	17648.00 14243.00
14.	43205387 पशु शव निस्तारण	24.03.2021 24.03.2021	मजदूरी	अजय गौतम अजय गौतम	13000.00 14500.00
15.	45037503 सी०सी० रोड नाली निर्माण	11.12.2020 05.11.2020	मजदूरी	शान्ती शान्ती	12282.00 10080.00
				योग	528552.00

उक्त कार्य के सापेक्ष लेखापरीक्षा में कोई मूल व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया जबकि ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8[क] के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से किया जाना चाहिए। उ०प्र० पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256(1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार दुरुपयोग की गयी कुल धनराशि रु० 1592098.00 (पंद्रह लाख बानवे हजार अट्ठानवे रुपये) में से ग्राम प्रधान से रु० 796049.00 (सात लाख छायानवे हजार उनचास रुपये) और पंचायत सचिव रु० 796049.00 (सात लाख छायानवे हजार उनचास रुपये) की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 20

ग्राम पंचायत- धर्तीगरा की वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखापरीक्षा में पाया गया है कि विभिन्न तिथियों में मजदूरी /सामग्री हेतु कुल रु0 1545169.00 आहरित किया गया, जिसके सन्दर्भ में आपत्ति के प्रमुख बिन्दु निम्नलिखित हैं-

(1)कार्य आपूर्ति बिल से वैधानिक कटौती की रीकवरी न किया जाना-

आय कर अधिनियम 1961 यथा संशोधित की धारा 194 सी के अनुसार आपूर्तिकर्ता के बिल से भुगतान की गई धनराशि से 2% टीडीएस काटकर सम्यक लेखा शीर्ष में चालान के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए। इसी प्रकार जी एस टी अधिनियम 2017 के अंतर्गत धारा 51 में स्रोत पर टी डी एस कटौती करके सम्यक लेखा शीर्ष में चालान के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए था परंतु पंचायत द्वारा उक्त कटौतियां न करके राजकोष को क्षति पहुंचाई।

2)सामग्री क्रय हेतु सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित न करना-

ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 5 एवं शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-08-1586 दिनांक 23.09.08 के अनुसार रु0100000.00 से अधिक की सामग्री क्रय सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित करके किया जायेगा, निविदाएं आमंत्रित करने में वस्तु का नाम, वस्तु की मात्रा, अनुमानित लागत, निविदाएं प्राप्त करने का समय एवं तिथि, निविदाएं खोलने की तिथि एवं समय इत्यादि का उल्लेख किया जाएगा। इच्छुक ठेकेदार को निविदा के साथ धरोहर की धनराशि जमा करना है। निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली फर्म सामग्री की अधिकृत विक्रेता/निर्माता होना चाहिये एवं फर्म की वित्तीय स्थिति जानने के लिए उनसे इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना चाहिए। पंचायत द्वारा उपरोक्त किसी प्रक्रिया का पालन नहीं करते हुए विभिन्न तिथियों में कुल रु0 1280101.00 की सामग्री क्रय किया गया।

(3) पत्रावली प्रस्तुत न करना- ग्राम पंचायत धर्तीगरा की वर्ष 2020-21 की लेखापरीक्षा में पाया गया की विभिन्न तिथियों मजदूरी /सामग्री हेतु कुल रु0 1545169.00 आहरित किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित हैं-

क्र0स0	कार्य आई0डी0/विवरण	तिथि	मद	आहरणकर्ता	धनराशि (रु0)
1.	43806728 हैंडपंप मरम्मत	26.03.2021 23.03.2021 04.11.2020 16.08.2020	सामग्री क्रय "	स्काई लार्क इन्टरप्राइज़ वैभव लक्ष्मी ट्रेडर्स " "	25300.00 15200.00 12500.00 12500.00
2.	13986184 हैंडपंप मरम्मत	21.04.2020 23.04.2020	" "	वैभव लक्ष्मी ट्रेडर्स स्पार्क एनर्जी	17000.00 79810.00
3.	13986186 ह्यूमपाइप क्रय	06.05.2020 06.05.2020	"	माँ सरस्वती ट्रेडर्स माँ सरस्वती ट्रेडर्स	40976.00 49785.00
4.	43298312	23.03.2021	"	माँ सरस्वती ट्रेडर्स	24175.00
5.	13986163 पंचायत भवन में साज सज्जा	18.06.2020 18.06.2020 04.07.2020	"	माँ सरस्वती ट्रेडर्स माँ सरस्वती ट्रेडर्स एवरेडी न्यूज	18280.00 26904.00 4200.00

6.	43402397	08.07.2020 02.08.2020	"	माँ सरस्वती ट्रेडर्स स्पार्क एनर्जी	26550.00 8000.00
7.	20926095 पंचायत भवन में समरसेबल व अनुरक्षण कार्य	08.07.2020 08.07.2020	"	माँ सरस्वती ट्रेडर्स वैभव लक्ष्मी ट्रेडर्स	33705.00 40000.00
8.	433300114 नाली निर्माण	15.08.2020	"	रेशमा ट्रेडर्स	78178.00
9.	43304964 नाली निर्माण	15.08.2020 15.08.2020	"	रेशमा ट्रेडर्स स्काई लार्क इन्टरप्राइज़	62784.00 59991.00
10.	43304746 नाली निर्माण	10.11.2020	"	एम0एस0इन्टरप्राइज़	47565.00
11.	45084431 नाली निर्माण	10.11.2020	"	एम0एस0इन्टरप्राइज़	68827.00
12.	43304746 नाली निर्माण	10.11.2020	"	माँ सरस्वती ट्रेडर्स	48896.00
13.	44655223सामुदायिक शौचालय	16.09.2020 16.09.2020 16.09.2020	"	रेशमा ट्रेडर्स एम0एस0इन्टरप्राइज़ वैभव लक्ष्मी ट्रेडर्स	96777.00 69898.00 28500.00
14.	45084433 सामुदायिक शौचालय	23.03.2021 23.03.2021 23.03.2021 23.03.2021	"	रेशमा ट्रेडर्स स्काईलार्क इन्टरप्राइज़ वैभव लक्ष्मी ट्रेडर्स माँ सरस्वती ट्रेडर्स	90388.00 99377.00 22461.00 59504.00
15.	13986183	27.05.2020	"	सरला पेट्रोलियम	12070.00
योग					1280101.00
क्र0	कार्य आई0डी0	तिथि	मद	आहरणकर्ता	धनराशि (रु0)
1.	43297611 ग्राम पंचायत में सफाई कार्य	26.03.2020 09.12.2020 23.04.2021	मजदूरी " "	भगवान दीन " "	11780.00 8060.00 14880.00
2.	43806728	04.11.2020	"	भगवान दीन	13400.00
3.	43806755	30.06.2020 13.07.2020	"	शिव दुलारी	7000.00 9600.00
4.	13986184	21.04.2020	"	शिव दुलारी	14000.00
5.	13986180	21.04.2020	"	शिव दुलारी	10500.00
6.	43402371	10.11.2020 23.03.2021	"	शिव दुलारी "	24500.00 6322.00
7.	27236016	18.06.2020	"	शिव दुलारी	10066.00
8.	43298312	24.03.2021	"	भानु प्रताप	7210.00
9.	20926095	08.07.2020	"	शिव दुलारी	9576.00

10.	43300114	15.08.2020	"	शिव दुलारी	12033.00
11.	43304964	15.08.2020	"	शिव दुलारी	19806.00
12.	43304746	10.11.2020	"	शिव दुलारी	11435.00
13.	44655223	16.09.2020	"	शिव दुलारी	28800.00
14.	45084433	24.03.2021	"	भानु प्रताप	32500.00
		24.03.2021	"	"	13600.00
				योग	265068.00

उक्त कार्यों से संबंधित स्थलवार विवरण ,मानक शासनादेश ,विभागीय परिपत्र ,पीडबल्यूडी द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र ,निर्देशो इत्यादि से लेखापरीक्षक अवगत नहीं हो सका। निदेशक पंचायतीराज लखनउ ३०प्र० के पत्रांक 4/175/2015-4/81/2015 दिनांक 20 जून 2016 के प्रस्तर-3 के अनुसार प्रत्येक कार्य हेतु ग्राम पंचायत चरणबद्ध फोटा अनिवार्य रूप से संरक्षित करेगा परन्तु लेखा परीक्षा में कोई फोटो प्रस्तुत नहीं किया गया इससे स्पष्ट नहीं हो सका कि कार्य वास्तविक है या नहीं ।

(4) माप पुस्तिका व प्राक्कलन न प्रस्तुत किया जाना-

३०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152 एवं 154 के अनुसार सार्वजनिक कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन एवं मानचित्र ग्रामसभा से स्वीकृत होगा। अग्रेतर शासनदेश संख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के प्रस्तर 2(ब) तकनीकी परीक्षण 2 लाख तक ग्राम पंचायत, 2 से 2.5 लाख तक अवर अभियंता द्वारा तथा 2.5 लाख से ऊपर अभियंता जिला पंचायत द्वारा किया जाएगा । लेखा परीक्षा में चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से कराए गए कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन एवं मानचित्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया। इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। विवरण निम्नवत है -

क्र०स०	कार्य आई०डी०/विवरण	तिथि	मद	आहरणकर्ता	धनराशि (रु०)
1.	43806728 हैंडपंप मरम्मत	26.03.2021 23.03.2021 04.11.2020 16.08.2020	सामग्री क्रय "	स्काई लार्क इन्टरप्राइज़ वैभव लक्ष्मी ट्रेडर्स "	25300.00 15200.00 12500.00 12500.00
2.	13986184 हैंडपंप मरम्मत	21.04.2020 23.04.2020	" "	वैभव लक्ष्मी ट्रेडर्स स्पार्क एनर्जी	17000.00 79810.00
3.	13986186 ह्यूमपाइप क्रय	06.05.2020 06.05.2020	"	माँ सरस्वती ट्रेडर्स माँ सरस्वती ट्रेडर्स	40976.00 49785.00
4.	43298312	23.03.2021	"	माँ सरस्वती ट्रेडर्स	24175.00
5.	13986163 पंचायत भवन में साज सज्जा	18.06.2020 18.06.2020 04.07.2020	"	माँ सरस्वती ट्रेडर्स माँ सरस्वती ट्रेडर्स एवरेडी न्यूज	18280.00 26904.00 4200.00
6.	43402397	08.07.2020 02.08.2020	"	माँ सरस्वती ट्रेडर्स स्पार्क एनर्जी	26550.00 8000.00
7.	20926095 पंचायत भवन में समरसेबल व अनुरक्षण कार्य	08.07.2020 08.07.2020	"	माँ सरस्वती ट्रेडर्स वैभव लक्ष्मी ट्रेडर्स	33705.00 40000.00

8.	433300114 नाली निर्माण	15.08.2020	"	रेशमा ट्रेडर्स	78178.00
9.	43304964 नाली निर्माण	15.08.2020 15.08.2020	"	रेशमा ट्रेडर्स स्काई लार्क इन्टरप्राइज़	62784.00 59991.00
10.	43304746 नाली निर्माण	10.11.2020	"	एम0एस0इन्टरप्राइज़	47565.00
11.	45084431 नाली निर्माण	10.11.2020	"	एम0एस0इन्टरप्राइज़	68827.00
12.	43304746 नाली निर्माण	10.11.2020	"	माँ सरस्वती ट्रेडर्स	48896.00
13.	44655223 सामुदायिक शौचालय	16.09.2020 16.09.2020 16.09.2020	"	रेशमा ट्रेडर्स एम0एस0इन्टरप्राइज़ वैभव लक्ष्मी ट्रेडर्स	96777.00 69898.00 28500.00
14.	45084433 सामुदायिक शौचालय	23.03.2021 23.03.2021 23.03.2021 23.03.2021	"	रेशमा ट्रेडर्स स्काईलार्क इन्टरप्राइज़ वैभव लक्ष्मी ट्रेडर्स माँ सरस्वती ट्रेडर्स	90388.00 99377.00 22461.00 59504.00
15.	13986183	27.05.2020	"	सरला पेट्रोलियम	12070.00
				योग	1280101.00
क्र0स0	कार्य आई0डी0	तिथि	मद	आहरणकर्ता	धनराशि (रु0)
1.	43297611 ग्राम पंचायत में सफाई कार्य	26.03.2020 09.12.2020 23.04.2021	मजदूरी " "	भगवान दीन " "	11780.00 8060.00 14880.00
2.	43806728	04.11.2020	"	भगवान दीन	13400.00
3.	43806755	30.06.2020 13.07.2020	"	शिव दुलारी	7000.00 9600.00
4.	13986184	21.04.2020	"	शिव दुलारी	14000.00
5.	13986180	21.04.2020	"	शिव दुलारी	10500.00
6.	43402371	10.11.2020 23.03.2021	"	शिव दुलारी "	24500.00 6322.00
7.	27236016	18.06.2020	"	शिव दुलारी	10066.00
8.	43298312	24.03.2021	"	भानु प्रताप	7210.00
9.	20926095	08.07.2020	"	शिव दुलारी	9576.00
10.	43300114	15.08.2020	"	शिव दुलारी	12033.00
11.	43304964	15.08.2020	"	शिव दुलारी	19806.00
12.	43304746	10.11.2020	"	शिव दुलारी	11435.00
13.	44655223	16.09.2020	"	शिव दुलारी	28800.00
14.	45084433	24.03.2021 24.03.2021	"	भानु प्रताप "	32500.00 13600.00

				योग	265068.00

उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 157 एवं समय-समय पर जारी निदेशक पंचायती राज के परिपत्रों एवं शासनादेशों के अनुसार बिना कार्य के माप-जोख के कोई भुगतान नहीं होगा। परन्तु लेखापरीक्षा में कार्य से सम्बन्धित मापपुस्तिका प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। । उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए।

(5) मास्टरोल प्रस्तुत नहीं-

ग्राम पंचायत धर्तीगरा की वर्ष 2020-21 की लेखापरीक्षा में पाया गया की विभिन्न तिथियों मजदूरी हेतु कुल रु० 265068.00 आहरित किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित है-

क्र०स०	कार्य आई०डी०	तिथि	मद	आहरणकर्ता	धनराशि (रु०)
1.	43297611 ग्राम पंचायत में सफाई कार्य	26.03.2020 09.12.2020 23.04.2021	मजदूरी " "	भगवान दीन " "	11780.00 8060.00 14880.00
2.	43806728	04.11.2020	"	भगवान दीन	13400.00
3.	43806755	30.06.2020 13.07.2020	"	शिव दुलारी	7000.00 9600.00
4.	13986184	21.04.2020	"	शिव दुलारी	14000.00
5.	13986180	21.04.2020	"	शिव दुलारी	10500.00
6.	43402371	10.11.2020 23.03.2021	"	शिव दुलारी "	24500.00 6322.00
7.	27236016	18.06.2020	"	शिव दुलारी	10066.00
8.	43298312	24.03.2021	"	भानु प्रताप	7210.00
9.	20926095	08.07.2020	"	शिव दुलारी	9576.00
10.	43300114	15.08.2020	"	शिव दुलारी	12033.00
11.	43304964	15.08.2020	"	शिव दुलारी	19806.00
12.	43304746	10.11.2020	"	शिव दुलारी	11435.00
13.	44655223	16.09.2020	"	शिव दुलारी	28800.00
14.	45084433	24.03.2021 24.03.2021	"	भानु प्रताप "	32500.00 13600.00
				योग	265068.00

उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 210 के अनुसार दैनिक मजदूरी पर कार्यरत मजदूरों की दैनिक उपस्थिति आदि के विवरण हेतु एक दैनिक उपस्थिति रजिस्टर रूप पत्र -22 पर तैयार किया जाएगा। लेखा परीक्षा वर्ष में पंचायत द्वारा रु० 265068.00 मजदूरी पर व्यय किया गया जिसका भुगतान ग्राम प्रधान को किया गया है जबकि कार्यरत मजदूरों को करना चाहिए। परन्तु दैनिक उपस्थिति रजिस्टर रूप पत्र -22 पर तैयार नहीं करने के कारण उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं हो सका। उक्त धनराशि को लेखा परीक्षा में गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है।

(6) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं-

उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 209 के अनुसार कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य ग्राम प्रधान या उसके अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत के किसी सदस्य को जिसे ग्राम पंचायत नियुक्त करे, वह जारी करता है। वह

प्रमाणित करता है की कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार पूर्ण हुआ, यदि विचलन है तो उल्लेख करेगा। लेखापरीक्षा में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार नहीं हुआ है। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। उ०प्र० पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए।

(7) व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया-

ग्राम पंचायत धर्तीगंरा की वर्ष 2020-21 की लेखापरीक्षा में पाया गया की विभिन्न तिथियों मजदूरी /सामग्री हेतु कुल रु० 1545169.00 आहरित किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित हैं-

क्र०स०	कार्य आई०डी०/विवरण	तिथि	मद	आहरणकर्ता	धनराशि (रु०)
1.	43806728 हैंडपंप मरम्मत	26.03.2021 23.03.2021 04.11.2020 16.08.2020	सामग्री क्रय " " "	स्काई लार्क इन्टरप्राइज़ वैभव लक्ष्मी ट्रेडर्स " "	25300.00 15200.00 12500.00 12500.00
2.	13986184 हैंडपंप मरम्मत	21.04.2020 23.04.2020	" "	वैभव लक्ष्मी ट्रेडर्स स्पार्क एनर्जी	17000.00 79810.00
3.	13986186 ह्यूमपाइप क्रय	06.05.2020 06.05.2020	"	माँ सरस्वती ट्रेडर्स माँ सरस्वती ट्रेडर्स	40976.00 49785.00
4.	43298312	23.03.2021	"	माँ सरस्वती ट्रेडर्स	24175.00
5.	13986163 पंचायत भवन में साज सज्जा	18.06.2020 18.06.2020 04.07.2020	"	माँ सरस्वती ट्रेडर्स माँ सरस्वती ट्रेडर्स एवरेडी न्यूज	18280.00 26904.00 4200.00
6.	43402397	08.07.2020 02.08.2020	"	माँ सरस्वती ट्रेडर्स स्पार्क एनर्जी	26550.00 8000.00
7.	20926095 पंचायत भवन में समरसेबल व अनुरक्षण कार्य	08.07.2020 08.07.2020	"	माँ सरस्वती ट्रेडर्स वैभव लक्ष्मी ट्रेडर्स	33705.00 40000.00
8.	433300114 नाली निर्माण	15.08.2020	"	रेशमा ट्रेडर्स	78178.00
9.	43304964 नाली निर्माण	15.08.2020 15.08.2020	"	रेशमा ट्रेडर्स स्काई लार्क इन्टरप्राइज़	62784.00 59991.00
10.	43304746 नाली निर्माण	10.11.2020	"	एम०एस०इन्टरप्राइज़	47565.00
11.	45084431 नाली निर्माण	10.11.2020	"	एम०एस०इन्टरप्राइज़	68827.00
12.	43304746 नाली निर्माण	10.11.2020	"	माँ सरस्वती ट्रेडर्स	48896.00

13.	44655223सामुदायिक शौचालय	16.09.2020 16.09.2020 16.09.2020	"	रेशमा ट्रेडर्स एम0एस0इन्टरप्राइज़ वैभव लक्ष्मी ट्रेडर्स	96777.00 69898.00 28500.00
14.	45084433 सामुदायिक शौचालय	23.03.2021 23.03.2021 23.03.2021 23.03.2021	"	रेशमा ट्रेडर्स स्काईलार्क इन्टरप्राइज़ वैभव लक्ष्मी ट्रेडर्स माँ सरस्वती ट्रेडर्स	90388.00 99377.00 22461.00 59504.00
15.	13986183	27.05.2020	"	सरला पेट्रोलियम	12070.00
				योग	1280101.00
क्र०स ०	कार्य आई0डी0	तिथि	मद	आहरणकर्ता	धनराशि (रु०)
1.	43297611 ग्राम पंचायत में सफाई कार्य	26.03.2020 09.12.2020 23.04.2021	मजदूरी " "	भगवान दीन " "	11780.00 8060.00 14880.00
2.	43806728	04.11.2020	"	भगवान दीन	13400.00
3.	43806755	30.06.2020 13.07.2020	"	शिव दुलारी	7000.00 9600.00
4.	13986184	21.04.2020	"	शिव दुलारी	14000.00
5.	13986180	21.04.2020	"	शिव दुलारी	10500.00
6.	43402371	10.11.2020 23.03.2021	"	शिव दुलारी "	24500.00 6322.00
7.	27236016	18.06.2020	"	शिव दुलारी	10066.00
8.	43298312	24.03.2021	"	भानु प्रताप	7210.00
9.	20926095	08.07.2020	"	शिव दुलारी	9576.00
10.	43300114	15.08.2020	"	शिव दुलारी	12033.00
11.	43304964	15.08.2020	"	शिव दुलारी	19806.00
12.	43304746	10.11.2020	"	शिव दुलारी	11435.00
13.	44655223	16.09.2020	"	शिव दुलारी	28800.00
14.	45084433	24.03.2021 24.03.2021	"	भानु प्रताप "	32500.00 13600.00
				योग	265068.00

उक्त कार्य के सापेक्ष लेखापरीक्षा में कोई मूल व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया जबकि ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8[क] के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से किया जाना चाहिए। उ०प्र०पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256(1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार दुरुपयोग की गयी कुल धनराशि रु० 1545169.00 (पंद्रह लाख पैंतालीस हजार एक सौ उनहत्तर रुपये) में से ग्राम प्रधान से रु० 772584.50 (सात लाख बहत्तर हजार पाँच सौ चौरासी रुपये पचास पैसे) और पंचायत सचिव रु० 772584.50 (सात लाख बहत्तर हजार पाँच सौ चौरासी रुपये पचास पैसे) की वसूली क्यों न किया जाना

अपेक्षित है।।

ग्राम पंचायत -भतोईया , विकास खंड -मलीहाबाद, जनपद-लखनऊ

वर्ष -2020-21

प्रस्तर संख्या- 21

ग्राम पंचायत- भतोईया में वित्तीय वर्ष 2020-21 में विकास एवं अन्य कार्यों पर कुल रु0 1557255.00 व्यय किया गया जिससे संबंधित निम्न लिखित आपत्तियाँ दर्शित हैं -

(1)सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित न करना-

ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 5 एवं शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-08-1586 दिनांक 23.09.08 के अनुसार रु0100000.00 से अधिक की सामग्री क्रय सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित करके किया जायेगा, निविदाएं आमंत्रित करने में वस्तु का नाम ,वस्तु की मात्रा , अनुमानित लागत ,निविदाएं प्राप्त करने का समय एवं तिथि ,निविदाएं खोलने की तिथि एवं समय इत्यादि का उल्लेख किया जाएगा । इच्छुक ठेकेदार को निविदा के साथ धरोहर की धनराशि जमा करना है । निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली फर्म सामग्री की अधिकृत विक्रेता/निर्माता होना चाहिये एवं फर्म की वित्तीय स्थिति जानने के लिए उनसे इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना चाहिए ।पंचायत द्वारा उपरोक्त किसी प्रक्रिया का पालन नहीं करते हुए विभिन्न तिथियों में कुल रु0 1157377.00 की सामग्री क्रय किया गया ।

(2)पत्रावली प्रस्तुत नहीं -

कार्यों से संबंधित स्थलवार विवरण ,मानक,शासनदेश ,विभागीय परिपत्र ,पीडब्ल्यूडी द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र ,निर्देशो इत्यादि से लेखापरीक्षक अवगत नहीं हो सका निदेशक पंचायतीराज लखनऊ उ0प्र0 के पत्रांक4/175/2015-4/81/2015 दिनांक 20जून 2016 के प्रस्तर-3 के अनुसार प्रत्येक कार्य हेतु ग्राम पंचायत चरणबद्ध फोटो अनिवार्य रूप से संरक्षित करेगा परन्तु लेखा परीक्षा में कोई फोटो प्रस्तुत नहीं किया गया इससे स्पष्ट नहीं हो सका कि कार्य वास्तविक है या नहीं

(3)माप पुस्तिका व प्राक्कलन न प्रस्तुत किया जाना-

ग्राम पंचायत- भतोईया का वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में विभिन्न कार्यों के सापेक्ष कुल रु01557255.00 आहरित किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है -

क्र० सं	कार्य का नाम	कार्य आईडी	कुल व्यय
1	कार्य का नाम अंकित नहीं है	19501845	94082
2	कार्य का नाम अंकित नहीं है	19501850	62996
3	कार्य का नाम अंकित नहीं है	19501849	117000
4	कार्य का नाम अंकित नहीं है	36607675	126920
5	कार्य का नाम अंकित नहीं है	13647595	12500
6	प्रशासनिक व्यय	36605897	43285
7	इंद्रजीत के घर से श्याम लाल के घर नाली निर्माण	44278703	74808
8	डामर रोड से राम नरेश के घर तक नाली निर्माण	44449216	97480
9	ओमप्रकाश के घर से कल्लू के घर तक नाली निर्माण	44295167	71368
10	कार्य का नाम अंकित नहीं है	13647620	49000
11	सामुदायिक शौचालय	41687153	452800
12	भतोईया बाजार में चबूतरा मरम्मत कार्य	45421604	121970
13	कार्य का नाम अंकित नहीं है	19501859	31780
14	कार्य का नाम अंकित नहीं है	19501840	53326
15	भतोईया बाजार में खड़जा निर्माण	45423260	147940

योग	1557255

उ०प्र०पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152 एवं 154 के अनुसार सार्वजनिक कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन एवं मानचित्र ग्रामसभा से स्वीकृत होगा। अग्रेतर शासनदेश संख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के प्रस्तर 2(ब) तकनीकी परीक्षण 2 लाख तक ग्राम पंचायत, 2 से 2.5 लाख तक अवर अभियंता द्वारा तथा 2.5 लाख से ऊपर अभियंता जिला पंचायत द्वारा किया जाएगा। लेखा परीक्षा में उक्त कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन एवं मानचित्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

उ०प्र०पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 157 एवं समय-समय पर जारी निदेशक पंचायती राज के परिपत्रों एवं शासनादेशों के अनुसार बिना कार्य के माप-जोख के कोई भुगतान नहीं होगा। परन्तु लेखापरीक्षा में कार्य से सम्बन्धित मापपुस्तिका प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी।। उ०प्र०पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार दुरुपयोग की गयी कुल धनराशि रु0 1557255.00 (पंद्रह लाख सत्तावन हजार दो सौ पचपन) में से प्रधान श्री राजेन्द्र सिंह से रु0 778627.50 (सात लाख अठहत्तर हजार छ सौ सत्ताईस रुपये पचास पैसे) से और पंचायत सचिव श्री अमरदीप वर्मा से रु0 778627.5 (सात लाख अठहत्तर हजार छ सौ सत्ताईस रुपये पचास पैसे) की वसूली किया जाना अपेक्षित है।।

(4) मास्टर रोल प्रस्तुत नहीं करना -

ग्राम पंचायत- भतोईया का वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में विभिन्न कार्यों के सापेक्ष कुल मजदूरी का भुगतान रु0 399878.00 किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है -

क्र० सं	कार्य का नाम	कार्य आईडी	कुल व्यय
1	कार्य का नाम अंकित नहीं है	19501850	31696
2	कार्य का नाम अंकित नहीं है	19501849	33040
3	कार्य का नाम अंकित नहीं है	36607675	126920
4	कार्य का नाम अंकित नहीं है	13647595	12500
5	प्रशासनिक व्यय	36605897	34650
6	इंद्रजीत के घर से श्याम लाल के घर नाली निर्माण	44278703	13848
7	डामर रोड से राम नरेश के घर तक नाली निर्माण	44449216	24480
8	ओमप्रकाश के घर से कल्लू के घर तक नाली निर्माण	44295167	13848
9	कार्य का नाम अंकित नहीं है	13647620	49000
10	सामुदायिक शौचालय	41687153	134640
11	भतोईया बाजार में चबूतरा मरम्मत कार्य	45421604	9070
12	कार्य का नाम अंकित नहीं है	19501859	31780
13	कार्य का नाम अंकित नहीं है	19501840	11326
14	भतोईया बाजार में खड़जा निर्माण	45423260	102440
	योग		399878

उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 210 के अनुसार दैनिक मजदूरी पर कार्यरत मजदूरों की दैनिक उपस्थिति आदि के विवरण हेतु एक दैनिक उपस्थिति रजिस्टर रूप पत्र -22 पर तैयार किया जाएगा। लेखापरीक्षा में मास्टर रोल प्रस्तुत नहीं करने से उक्त व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी उ०प्र०पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए।

(5) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करना -

ग्राम पंचायत- भतोईया का वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में विभिन्न कार्यों के सापेक्ष कुल रु0 1557255.00 आहरित किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है -

क्र०	कार्य का नाम	कार्य आईडी	कुल व्यय

सं			
1	कार्य का नाम अंकित नहीं है	19501845	94082
2	कार्य का नाम अंकित नहीं है	19501850	62996
3	कार्य का नाम अंकित नहीं है	19501849	117000
4	कार्य का नाम अंकित नहीं है	36607675	126920
5	कार्य का नाम अंकित नहीं है	13647595	12500
6	प्रशासनिक व्यय	36605897	43285
7	इंद्रजीत के घर से श्याम लाल के घर नाली निर्माण	44278703	74808
8	डामर रोड से राम नरेश के घर तक नाली निर्माण	44449216	97480
9	ओमप्रकाश के घर से कल्लू के घर तक नाली निर्माण	44295167	71368
10	कार्य का नाम अंकित नहीं है	13647620	49000
11	सामुदायिक शौचालय	41687153	452800
12	भतोईया बाजार में चबूतरा मरम्मत कार्य	45421604	121970
13	कार्य का नाम अंकित नहीं है	19501859	31780
14	कार्य का नाम अंकित नहीं है	19501840	53326
15	भतोईया बाजार में खड़जा निर्माण	45423260	147940
	योग		1557255

उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 209 के अनुसार कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य ग्राम प्रधान या उसके अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत के किसी सदस्य को जिसे ग्राम पंचायत नियुक्त करे वह जारी करता है

वह यह प्रमाणित करता है की कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार पूर्ण हुआ है। यदि विचलन है तो उसका उल्लेख करेगा।

लेखापरीक्षा में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार नहीं हुआ है। उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए।

(6) व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया -

ग्राम पंचायत-भतोईया का वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में कुल रु०1557255 आहरित किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है

क्र०स०	कार्य का नाम	कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
1	कार्य का नाम अंकित नहीं है	19501845	एवन ट्रेडर्स	3.4.2020	56133
			विमला इंडस्ट्रीज	19.05.2020	26700
			विमला इंडस्ट्रीज	18.09.2020	11249
2	कार्य का नाम अंकित नहीं है	19501850	एवन ट्रेडर्स	03.04.2020	31300
			रेखा सिंह	08.04.2020	31696
3	कार्य का नाम अंकित नहीं है	19501849	एवन ट्रेडर्स	04.04.2020	83960
			मोतीलाल	08.04.2020	33040
4	कार्य का नाम अंकित नहीं है	36607675	अवधेश इंटरप्राइजेज	21.07.2020	67620
			अवधेश इंटरप्राइजेज	26.08.2020	59300
5	कार्य का नाम अंकित नहीं है	13647595	जगदीश	11.05.2020	7540
			विनोद कुमार	19.05.2020	4960
6	प्रशासनिक व्यय	36605897	रेखा सिंह	29.07.2020	10000
			सुजीत	29.07.2020	4900
			श्रवण	30.07.2020	3100
			अनंत फार्मा	07.08.2020	4435

			श्रवण	24.08.2020	6650
			श्रवण	24.08.2020	10000
			एवरेडी न्यूज	19.12.2020	4200
7	इंद्रजीत के घर से श्याम लाल के घर	44278703	अर्तिका ट्रेडर्स	26.08.2020	60960
			श्रवण	26.08.2020	13848
8	डामर रोड से राम नरेश के घर तक नाली निर्माण	44449216	श्रवण	26.08.2020	24480
			ए आर इंटरप्राइजेज	16.03.2020	73000
9	ओमप्रकाश के घर से कल्लू के घर तक नाली निर्माण	44295167	ए आर इंटरप्राइजेज	12.10.2020	57520
			राहुल कुमार	12.10.2020	13848
10	कार्य का नाम अंकित नहीं है	13647620	राहुल कुमार	13.11.2020	24500
			राहुल कुमार	18.11.2020	19500
			राहुल कुमार	04.12.2020	5000
11	सामुदायिक शौचालय	41687153	ए आर इंटरप्राइजेज	04.12.2020	135000
			ए आर इंटरप्राइजेज	24.12.2020	90000
			ए आर इंटरप्राइजेज	19.12.2020	55865
			राहुल	19.03.2021	24120
			ए आर इंटरप्राइजेज	19.03.2021	99555
			कमल	26.03.2021	10260
					27740
			कमल	26.03.2021	10260
12	भतोईया बाजार में चबूतरा मरम्मत कार्य	45421604	ए आर इंटरप्राइजेज	17.12.2020	45000
			ए आर इंटरप्राइजेज	23.12.2020	40000
			राहुल	24.12.2020	9070
			ए आर इंटरप्राइजेज	24.12.2020	27900
13	कार्य का नाम अंकित नहीं है	19501859	राहुल	07.12.2020	10800
			राहुल	07.12.2020	10200
			राहुल	14.12.2020	10780
14	कार्य का नाम अंकित नहीं है	19501840	राहुल	11.12.2020	11326
			ए आर इंटरप्राइजेज	14.12.2020	42000
15	भतोईया बाजार में खड़जा निर्माण	45423260	राहुल	24.12.2020	48240
			राहुल	24.12.2020	54200
			ए आर इंटरप्राइजेज	24.12.2020	45500
	योग				1557255

क्रमांक 1 से 5 व 13,14 पर अंकित कार्य वर्ष 2020-21 की ऑनलाईन फ़िडेड कार्य योजना पर दर्शित नहीं और न ही ऑनलाईन फ़िडेड प्रमाणकों में कार्य का नाम ही अंकित है ।

क्रमांक 1 व 4 पर दर्शित कार्य के सापेक्ष मात्र सामग्री क्रय दर्शित है क्रमांक 5,10 व 13 पर दर्शित कार्य के सापेक्ष मात्र मजदूरी का भुगतान किया गया है जो आपत्तिजनक है ।

क्रमांक 6 पर अंकित प्रशासनिक व्यय चतुर्थ वित्त आयोग की संस्तुति से प्राप्त धनराशि से किया गया जबकि शासनदेश संख्या 4/2019/125/33-1-2019-175 म0एस0 /2016 टी0 सी0 दिनांक 31.01.2019 के अनुसार आनुषांगिक व्यय की वार्षिक सीमा रु0 1740 तक व्यय किया जा सकता है।जबकि उक्तमद में रु 043285.00 व्यय किया गया । साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त व्यय किस प्रयोजन हेतु किया गया यह लेखा परीक्षा में अनुत्तरित रहा ।

क्रमांक 9 से 15 तक के कार्यों के सापेक्ष मजदूरी का भुगतान राहुल को किया गया है लेखा परीक्षा में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं होने से यह स्पष्ट नहीं हो सका कि आहारणकर्ता राहुल मजदूर है कौन है ।
 उक्त कार्य के सापेक्ष लेखापरीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया। जबकि ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8[क] के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से किया जाना चाहिए। उ०प्र० पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए। अतः कुल व्यय की गई धनराशि रु0 1557255.00 (पंद्रह लाख सत्तावन हजार दो सौ पचपन) में से प्रधान श्री राजेन्द्र सिंह व तत्कालीन प्रशासक - सहायक विकास अधिकारी (दिनांक 25-12-2020 से 31-03-2021) से रु0 778627.50 (सात लाख अठहत्तर हजार छ सौ सत्ताईस रुपये पचास पैसे) से और पंचायत सचिव श्री अमरदीप वर्मा से रु0 778627.50 (सात लाख अठहत्तर हजार छ सौ सत्ताईस रुपये पचास पैसे) की वसूली किया जाना अपेक्षित है।।

ग्राम पंचायत -मनकौटी विकास खंड -मलीहाबाद वर्ष -2020-21

प्रस्तर संख्या-22

ग्राम पंचायत- मनकौटी में वित्तीय वर्ष 2020-21 में विकास एवं अन्य कार्यों पर कुल रु0 1891913.00 व्यय किया गया जिससे संबंधित निम्न लिखित आपत्तियाँ दर्शित हैं-

(1)सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित न करना-

ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 5 एवं शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-08-1586 दिनांक 23.09.08 के अनुसार रु0 100000.00 से अधिक की सामग्री क्रय सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित करके किया जायेगा, निविदाएं आमंत्रित करने में वस्तु का नाम, वस्तु की मात्रा, अनुमानित लागत, निविदाएं प्राप्त करने का समय एवं तिथि, निविदाएं खोलने की तिथि एवं समय इत्यादि का उल्लेख किया जाएगा। इच्छुक ठेकेदार को निविदा के साथ धरोहर की धनराशि जमा करना है। निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली फर्म सामग्री की अधिकृत विक्रेता/निर्माता होना चाहिये एवं फर्म की वित्तीय स्थिति जानने के लिए उनसे इनकम टैक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेट लेना चाहिए। पंचायत द्वारा उपरोक्त किसी प्रक्रिया का पालन नहीं करते हुए विभिन्न तिथियों में कुल रु 1695999.00 की सामग्री क्रय किया गया।

(2)नियम विरुद्ध स्ट्रीट लाईट स्थापित किया जाना -

ग्राम पंचायत-मनकौटी का वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि स्ट्रीट लाईट मरम्मत हेतु रु0 96000.00 ए आर इंटरप्राइजेज को भुगतान किया गया है।

शासनादेश संख्या 51/2018/1701/33-3-2018-40/2018 दिनांक 13.06.18 के अनुसार उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन से वैध कनेक्शन के बाद ही स्ट्रीट लाईट स्थापित किया जाना चाहिए। स्ट्रीट लाईट की कीमत जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

निदेशक पंचायतीराज उ०प्र० के पत्रांक 04/175/2015-4/81/2015 दिनांक 20 जून 2016 के प्रस्तर-3 के अनुसार ग्राम पंचायत प्रत्येक कार्य हेतु चरणबद्ध फोटो, माप पुस्तिका, कार्यपुर्ति प्रमाणपत्र इत्यादि संरक्षित रखेगा। ग्राम पंचायत-मनकौटी का वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि स्ट्रीट लाईट मरम्मत हेतु रु0 96000.00 ए आर इंटरप्राइजेज को भुगतान किया गया है।

परन्तु लेखापरीक्षा में चरणबद्ध फोटो सहित कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे उपरोक्त आदेशों के अनुपालन की स्थिति अज्ञात रही जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। उ०प्र० पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए।

(3)नियम विरुद्ध हैडपंप मरम्मत /रिबोर करवाना -

ग्राम पंचायत-मनकौटी का वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि हैडपंप मरम्मत पर रु0 192910.00 व्यय किया गया है। शासनादेश सं० 1138/अडतीस-5-56-सम/2010 दिनांक 29 जून 2011 के प्रस्तर-1 के अनुसार इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प स्थापना के बाद ग्रामपंचायत को रखरखाव हेतु हस्तान्तरित किया जायेगा प्रस्तर-2 के अनुसार हस्तान्तरित हैण्डपम्प ग्रामपंचायत के खुली बैठक में अनुमोदनोपरान्त परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा परन्तु लेखापरीक्षा में परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं करने यह स्पष्ट नहीं हो सका कि हैण्डपम्प हस्तान्तरित है या नहीं। हैडपंप मरम्मत का स्थलवार विवरण, प्राक्कलन, चरणबद्ध फोटो, कार्यपुर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत

किया जाता है। उ०प्र०पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए।

(4)पत्रावली प्रस्तुत नहीं -

पंचायत- मनकौटि का वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों विभिन्न कार्यों के सापेक्ष कुल रु० 1891913.00 व्यय किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है -

क्र०सं०	कार्य का नाम	कार्य आईडी	कार्य का योग
1	हैन्ड पंप मरम्मत	36876701	101430
2	हैन्डपंप रिबोर	42542206	91480
3	सफाई किट ठेलिया मरम्मत	42546005	18410
4	अखिलेश के घर से श्याम विहारी के घर तक यू टाईप नाली	42545139	125014
5	सफाई	42545837	24000
6	प्रशासनिक व्यय	36878313	50980
7	अखिलेश के घर से श्याम विहारी के घर तक इंटरलॉकिंग सड़क	49280812	180040
8	सामुदायिक भवन मरम्मत	42545618	67367
9	सामुदायिक शौचालय	36878683	621857
10	सामुदायिक शौचालय प्रांगण की चार दीवारी	42543890	81600
11	पूर्व मा० वि० में इंटरलॉकिंग	36880065	235212
12	स्ट्रीट लाईट मरम्मत	42546142	96000
13	डामर रोड से गुरुचरण के घर तक इंटरलॉकिंग	49280812	198523
	योग		1891913

कार्यों से संबंधित स्थलवार विवरण ,मानक,शासनदेश ,विभागीय परिपत्र ,पीडब्ल्यूडी द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र ,निर्देशो इत्यादि से लेखापरीक्षक अवगत नहीं हो सका निदेशक पंचायतीराज लखनउ उ०प्र० के पत्रांक4/175/2015-4/81/2015 दिनांक 20जून 2016 के प्रस्तर-3 के अनुसार प्रत्येक कार्य हेतु ग्राम पंचायत चरणबद्ध फोटा अनिवार्य रूप से संरक्षित करेगा परन्तु लेखा परीक्षा में कोई फोटो प्रस्तुत नहीं किया गया इससे स्पष्ट नहीं हो सका कि कार्य वास्तविक है या नहीं ।

(5)माप पुस्तिका व प्राक्कलन न प्रस्तुत किया जाना-

पंचायत- मनकौटि का वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों विभिन्न कार्यों के सापेक्ष कुल रु० 1891913.00 व्यय किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है

क्र०सं०	कार्य का नाम	कार्य आईडी	कार्य का योग
1	हैन्ड पंप मरम्मत	36876701	101430
2	हैन्डपंप रिबोर	42542206	91480
3	सफाई किट ठेलिया मरम्मत	42546005	18410
4	अखिलेश के घर से श्याम विहारी के घर तक यू टाईप नाली	42545139	125014
5	सफाई	42545837	24000
6	प्रशासनिक व्यय	36878313	50980
7	अखिलेश के घर से श्याम विहारी के घर तक इंटरलॉकिंग सड़क	49280812	180040
8	सामुदायिक भवन मरम्मत	42545618	67367
9	सामुदायिक शौचालय	36878683	621857

10	सामुदायिक शौचालय प्रांगण की चार दीवारी	42543890	81600
11	पूर्व मा0 वि0 में इंटरलॉकिंग	36880065	235212
12	स्ट्रीट लाईट मरम्मत	42546142	96000
13	डामर रोड से गुरुचरण के घर तक इंटरलॉकिंग	49280812	198523
	योग		1891913

उ०प्र०पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152 एवं 154 के अनुसार सार्वजनिक कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन एवं मानचित्र ग्रामसभा से स्वीकृत होगा।अग्रेतर शासनदेश संख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के प्रस्तर 2(ब) तकनीकी परीक्षण 2 लाख तक ग्राम पंचायत , 2 से 2.5 लाख तक अवर अभियंता द्वारा तथा 2.5 लाख से ऊपर अभियंता जिला पंचायत द्वारा किया जाएगा । लेखा परीक्षा में उक्त कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन एवं मानचित्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

उ०प्र०पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 157 एवं समय-समय पर जारी निदेशक पंचायती राज के परिपत्रों एवं शासनादेशों के अनुसार बिना कार्य के माप-जोख के कोई भुगतान नहीं होगा।परन्तु लेखापरीक्षा में कार्य से सम्बन्धित मापपुस्तिका प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। । उ०प्र०पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार दुरुपयोग की गयी कुल धनराशि रु0 1891913.00(अठारह लाख इक्यानवे हजार नौ सौ तेरह रुपये) में से ग्राम प्रधान श्री राम स्वरूप व तत्कालीन प्रशासक -सहायक विकास अधिकारी (दिनांक 25-12-2020 से 31-03-2021) से रु0 945956.50 (नौ लाख पैतालीस हजार नौ सौ छप्पन रुपये पचास पैसे) और ग्राम पंचायत सचिव श्री अमरदीप वर्मा से रु0 945956.50 (नौ लाख पैतालीस हजार नौ सौ छप्पन रुपये पचास पैसे) की वसूली किया जाना अपेक्षित है।।

(6)मास्टररोल प्रस्तुत नहीं करना -

ग्राम पंचायत- मनकौटि का वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में विभिन्न कार्यों के सापेक्ष कुल मजदूरी भुगतान रु0 195914.00 किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है -

क्र०सं०	कार्य का नाम	कार्य आईडी	कार्य का योग
1	सफाई किट ठेलिया मरम्मत	42546005	18410
2	अखिलेश के घर से श्याम विहारी के घर तक यू टाईप नाली	42545139	30514
3	सफाई	42545837	24000
4	प्रशासनिक व्यय	36878313	22780
5	अखिलेश के घर से श्याम विहारी के घर तक इंटरलॉकिंग सड़क	49280812	12600
6	सामुदायिक शौचालय	36878683	40500
7	पूर्व मा0 वि0 में इंटरलॉकिंग	36880065	27447
8	डामर रोड से गुरुचरण के घर तक इंटरलॉकिंग	49280812	19663
	योग		195914

उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 210 के अनुसार दैनिक मजदूरी पर कार्यरत मजदूरों की दैनिक उपस्थिति आदि के विवरण हेतु एक दैनिक उपस्थिति रजिस्टर रूप पत्र -22 पर तैयार किया जाएगा। लेखापरीक्षा में मस्टर रोल प्रस्तुत नहीं करने से उक्त व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी उ०प्र०पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए।

(7)कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करना -

ग्राम पंचायत- मनकौटि का वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों विभिन्न कार्यों के सापेक्ष कुल रु0 1891913.00 व्यय किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है

क्र०सं०	कार्य का नाम	कार्य आईडी	कार्य का योग
1	हैन्ड पंप मरम्मत	36876701	101430
2	हैन्डपंप रिबोर	42542206	91480
3	सफाई किट ठेलिया मरम्मत	42546005	18410
4	अखिलेश के घर से श्याम विहारी के घर तक यू टाईप नाली	42545139	125014
5	सफाई	42545837	24000
6	प्रशासनिक व्यय	36878313	50980
7	अखिलेश के घर से श्याम विहारी के घर तक इंटरलॉकिंग सड़क	49280812	180040
8	सामुदायिक भवन मरम्मत	42545618	67367
9	सामुदायिक शौचालय	36878683	621857
10	सामुदायिक शौचालय प्रांगण की चार दीवारी	42543890	81600
11	पूर्व मा० वि० में इंटरलॉकिंग	36880065	235212
12	स्ट्रीट लाइट मरम्मत	42546142	96000
13	डामर रोड से गुरुचरण के घर तक इंटरलॉकिंग	49280812	198523
	योग		1891913

उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 209 के अनुसार कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य ग्राम प्रधान या उसके अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत के किसी सदस्य को जिसे ग्राम पंचायत नियुक्त करे वह जारी करता है वह यह प्रमाणित करता है की कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार पूर्ण हुआ है। यदि विचलन है तो उसका उल्लेख करेगा।

लेखापरीक्षा में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार नहीं हुआ है। उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए।

(8) व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया -

ग्राम पंचायत-मनकौटि का वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में कुल रु० 1891913.00 आहरित किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है

क्र०सं०	कार्य का नाम	कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि	कार्य का योग
1	हैन्ड पंप मरम्मत	36876701	ए आर इंटरप्राइजेज	25.06.2020	68630	101430
			अवधेश इंटरप्राइजेज	29.10.2020	32800	
2	हैन्डपंप रिबोर	42542206	ए आर इंटरप्राइजेज	25.06.2020	91480	91480
3	सफाई किट ठेलिया मरम्मत	42546005	प्रकाश	29.07.2020	18410	18410
4	अखिलेश के घर से श्याम विहारी के घर तक यू टाईप नाली	42545139	श्रवण	29.07.2020	30514	125014
			ए आर इंटरप्राइजेज	29.07.2020	94500	
5	सफाई	42545837	श्रवण	29.07.2020	24000	24000
6	प्रशासनिक व्यय	36878313	श्रवण	29.07.2020	7800	50980

			श्रवण	29.07.2020	10000	
			अर्तिका ट्रेडर्स	29.07.2020	18200	
			राहुल	29.07.2020	4980	
			ए आर इंटरप्राइजेज	29.07.2020	10000	
7	अखिलेश के घर से श्याम विहारी के घर तक इंटरलॉकिंग सड़क	49280812	ए आर इंटरप्राइजेज	29.07.2020	63070	180040
			ए आर इंटरप्राइजेज	29.07.2020	24000	
			राहुल	29.07.2020	12600	
			अनामिका इंटरप्राइजेज	29.07.2020	49500	
			एवन ट्रेडर्स	25.09.2020	30870	
8	सामुदायिक भवन मरम्मत	42545618	ए आर इंटरप्राइजेज	29.07.2020	20000	67367
			अवधेश इंटरप्राइजेज	10.11.2020	47367	
9	सामुदायिक शौचालय	36878683	एवन ट्रेडर्स	26.09.2020	290000	621857
			अवधेश इंटरप्राइजेज	07.03.2021	57915	
			अवधेश इंटरप्राइजेज	07.03.2021	36278	
			अवधेश इंटरप्राइजेज	07.03.2021	66342	
			अवधेश इंटरप्राइजेज	12.03.2021	77319	
			मान सिंह	12.03.2021	20500	
			अवधेश इंटरप्राइजेज	12.03.2021	16000	
			अवधेश इंटरप्राइजेज	12.03.2021	37503	
			दिनेश	12.03.2021	10000	
			राजकिशोर	12.03.2021	10000	
10	सामुदायिक शौचालय प्रांगण की चार दीवारी	42543890	अवधेश इंटरप्राइजेज	17.12.2020	18000	81600
			अवधेश इंटरप्राइजेज	25.12.2020	44000	
			एवन ट्रेडर्स	25.12.2020	12000	
			अवधेश इंटरप्राइजेज	25.12.2020	7600	
11	पूर्व मा0 वि0 में इंटरलॉकिंग	36880065	अवधेश	24.07.2020	3618	235212
			विमला इंडस्ट्रीज	24.07.2020	138164	
			राजकिशोर	24.07.2020	9000	
			रोहित	24.07.2020	2211	
			एवन ट्रेडर्स	24.07.2020	69601	
			दिनेश	24.07.2020	9000	
			ललित	24.07.2020	3618	

12	स्ट्रीट लाईट मरम्मत	42546142	ए इंटरप्राइजेज आर	25.12.2020	96000	96000
13	डामर रोड से गुरुचरण के घर तक इंटरलॉकिंग	49280812	ए इंटरप्राइजेज आर	25.02.2021	64900	198523
			विमला इंडस्ट्रीज	25.02.2021	113960	
			राहुल	27.02.2021	19663	
	योग					1891913

क्रमांक 4 व 7 पर अंकित कार्य “अखिलेश के घर से श्याम विहारी के घर तक” एक ही है। जिसे दो भागों में बाटकर एक बार इंटरलॉकिंग के लिए कार्य आईडी बनाया गया दूसरी बार नाली के लिए कार्य आईडी बनाकर कार्य कराया गया। दोनों कार्यों पर कुल रु 305054.00 व्यय किया गया सक्षम स्तर से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त करने से बचने के लिए किया गया। शासनदेश संख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के प्रस्तर 2(ब) तकनीकी परीक्षण 2 लाख तक ग्राम पंचायत, 2 से 2.5 लाख तक अवर अभियंता द्वारा तथा 2.5 लाख से ऊपर अभियंता जिला पंचायत द्वारा किया जाएगा।

क्रमांक 4 पर अंकित कार्य “अखिलेश के घर से श्याम विहारी के घर तक यू टाईप नाली निर्माण के सापेक्ष मजदूरी हेतु समस्त भुगतान रु 0 30514.00 श्रवण को किया गया। श्रवण को भुगतान करने का औचित्य लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं हो सका

क्रमांक 6 पर अंकित प्रशासनिक व्यय चतुर्थ वित्त आयोग की संस्तुति से प्राप्त धनराशि से किया गया जबकि शासनदेश संख्या 4/2019/125/33-1-2019-175 म0एस0 /2016 टी0 सी0 दिनांक 31.01.2019 के अनुसार आनुषांगिक व्यय की वार्षिक सीमा रु 1740 तक व्यय किया जा सकता है। जबकि उक्त मद में रु 050980.00 व्यय किया गया। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त व्यय किस प्रयोजन हेतु किया गया यह लेखा परीक्षा में अनुत्तरित रहा।

क्रमांक 10 पर स्थित कार्य सामुदायिक शौचालय प्रांगण की चार दीवारी निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष में मात्र सामग्री क्रय हेतु भुगतान दर्शित मजदूरी का भुगतान क्यों नहीं हुआ यह लेखा परीक्षा में अनुत्तरित रहा। मजदूरी का अधिकांश भुगतान मात्र श्रवण व राहुल को ही क्यों किया इसका औचित्य लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं हो सका।

उक्त कार्य के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया। जबकि ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8[क] के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से किया जाना चाहिए। उ0प्र0 पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए। अतः कुल व्यय की गई धनराशि रु 1891913.00 (अठारह लाख इक्यानबे हजार नौ सौ तेरह) में से ग्राम प्रधान श्री राम स्वरूप व तत्कालीन प्रशासक -सहायक विकास अधिकारी (दिनांक 25-12-2020 से 31-03-2021) से रु 945956.50 (नौ लाख पैतालीस हजार नौ सौ छप्पन रुपये पचास पैसे) और ग्राम पंचायत सचिव श्री अमरदीप वर्मा से रु 945956.50 (नौ लाख पैतालीस हजार नौ सौ छप्पन रुपये पचास पैसे) की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -तरौना विकास खंड -मलीहाबाद जनपद-लखनऊ वर्ष -2020-21

प्रस्तर संख्या- 23

ग्राम पंचायत- तरौना में वित्तीय वर्ष 2020-21 में विकास एवं अन्य कार्यों पर कुल रु 2495910.00 व्यय किया गया जिससे संबंधित निम्न लिखित आपत्तियाँ दर्शित हैं -

(1)सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित न करना-

ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 5 एवं शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-08-1586 दिनांक 23.09.08 के अनुसार रु 100000.00 से अधिक की सामग्री क्रय सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित करके किया जायेगा, निविदा आमन्त्रित करने में वस्तु का नाम, वस्तु की मात्रा, अनुमानित लागत, निविदाएं प्राप्त करने का समय एवं तिथि, निविदाएं खोलने की तिथि एवं समय इत्यादि का उल्लेख किया जाएगा। इच्छुक ठेकेदार को निविदा के साथ धरोहर की धनराशि जमा करना है। निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली फर्म सामग्री की अधिकृत विक्रेता/निर्माता होना चाहिये एवं फर्म की वित्तीय स्थिति जानने के लिए उनसे इनकम टैक्स क्लियरेंस

सर्टिफिकेट लेना चाहिए। पंचायत द्वारा उपरोक्त किसी प्रक्रिया का पालन नहीं करते हुए विभिन्न तिथियों में कुल रु 0 2129276.00 (इक्कीस लाख उन्तीस हजार दो सौ छिहत्तर) की सामग्री क्रय किया गया उ०प्र० पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए। इस संबंध में स्पष्टीकरण आवश्यक है।

(2)नियम विरुद्ध स्ट्रीट लाईट स्थापित किया जाना --

ग्राम पंचायत- तरौना का वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में सोलर लाईट क्रय के सापेक्ष कुल रु0 233902.00 आहरित किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है

क्र० सं	कार्य का नाम	कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
1	सोलर लाईट	36887980	माँ इंटरप्राइजेज	03.11.2020	85600
			माँ इंटरप्राइजेज	26.02.2021	148302
	योग				233902

33/2017/977/45-वि 2017 दिनांक 29 अगस्त 2017 के अनुसार सोलर लाईट का क्रय यूपी नेडा से ही किया जाएगा जिससे सोलर लाईट का मानक एवं गुणवत्ता सुनिश्चित रहे। निदेशक पंचायतीराज उ०प्र० के पत्रांक 04/175/2015-4/81/2015 दिनांक 20 जून 2016 के प्रस्तर-3 के अनुसार ग्राम पंचायत प्रत्येक कार्य हेतु चरणबद्ध फोटो, माप पुस्तिका, कार्यपुर्ति प्रमाणपत्र इत्यादि संरक्षित रखेगा परन्तु लेखापरीक्षा में चरणबद्ध फोटो सहित कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा माँ इंटरप्राइजेज जैसे फर्म से सोलर लाईट का क्रय किया गया जो यूपी नेडा से अधिकृत नहीं है इसलिए सोलर लाईट की गुणवत्ता एवं मानक की पुष्टि नहीं की जा सकती है। साथ ही कार्य से संबंधित चरणबद्ध फोटो, माप पुस्तिका, कार्यपुर्ति प्रमाणपत्र इत्यादि का लेखा परीक्षा में न प्रस्तुत किया गया। उ०प्र० पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए।

(3)नियम विरुद्ध हैण्डपंप मरम्मत /रिबोर करवाना -

ग्राम पंचायत -तरौना का वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि हैण्डपंप मरम्मत /रिबोर पर रु0 327022 व्यय किया गया है।

क्र० सं	कार्य का नाम	कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
1	हैण्डपंप मरम्मत	43400815	अवधेश इंटरप्राइजेज	31.07.2020	38530
			अवधेश इंटरप्राइजेज	27.08.2020	20110
			अवधेश इंटरप्राइजेज	30.09.2020	44661
			अवधेश इंटरप्राइजेज	30.09.2020	47902
2	हैण्डपंप रिबोर	36887697	अवधेश इंटरप्राइजेज	11.10.2020	24735
			अवधेश इंटरप्राइजेज	11.10.2020	24854
			अवधेश इंटरप्राइजेज	11.10.2020	24562
			अवधेश इंटरप्राइजेज	11.10.2020	24887
			अवधेश इंटरप्राइजेज	11.10.2020	24901
			अवधेश इंटरप्राइजेज	11.10.2020	24880
			रवींद्र	20.10.2020	4500*6 =27000
	योग				327022.00

क्रमांक 1 पर अंकित हैण्डपंप मरम्मत के कार्य आईडी पर मात्र अवधेश इंटरप्राइजेज को सामग्री क्रय के सापेक्ष भुगतान दर्शित है मजदूरी का कोई भुगतान नहीं किया गया और न ही स्टॉक रजिस्टर में लेखांकन किया गया। शासनादेश सं०1138/अडतीस-5-56-सम/2010 दिनांक 29 जून 2011 के प्रस्तर-1 के अनुसार इण्डिया मार्क-2 हैण्डपंप स्थापना के बाद ग्रामपंचायत को रखरखाव हेतु हस्तान्तरित किया जायेगा प्रस्तर-2 के अनुसार हस्तान्तरित हैण्डपंप ग्रामपंचायत के खुली बैठक में अनुमोदनोपरान्त परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा परन्तु लेखापरीक्षा में परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं करने यह स्पष्ट नहीं हो सका कि हैण्डपंप हस्तान्तरित है या नहीं। हैण्डपंप

मरम्मत का स्थलवार विवरण ,प्राक्कलन ,चरणबद्ध फोटो ,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । उ०प्र०पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए।

(4)पत्रावली प्रस्तुत नहीं -

ग्राम पंचायत- तरौना का वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में विभिन्न कार्यों के सापेक्ष कुल रु० 2481910.00 व्यय किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र०सं०	कार्य का नाम	कार्य आईडी	व्यय की गई धनराशि
1	कार्य का नाम अंकित नहीं है	13739182	111335
2	कार्य का नाम अंकित नहीं है	13739223	188231
3	कार्य का नाम अंकित नहीं है	17739180	43998
4	कार्य का नाम अंकित नहीं है	13739225	125112
5	कार्य का नाम अंकित नहीं है	20956668	2700
6	कार्य का नाम अंकित नहीं है	13739227	138372
7	हैन्डपंप मरम्मत	43400815	151203
8	प्रशासनिक व्यय	36888337	85227
9	सामुदायिक शौचालय	43426932	629834
10	डस्टबिन	43400754	33500
11	सफाई किट	36888617	48670
12	प्रा 0 स्कूल में वाउन्ड्रीवाल मरम्मत व निर्माण कार्य	43399303	216687
13	हैन्डपंप रिबोर	36887697	175819
14	ह्यूम पाईप	36888099	111523
15	प्रशासनिक व्यय	43392985	83040
16	पंचायत घर का शौचालय मरम्मत	43400950	102757
17	सोलर लाईट	36887980	233902
	योग		2481910

उपरोक्त कार्यों से संबंधित स्थलवार विवरण ,मानक,शासनदेश ,विभागीय परिपत्र ,पीडबल्यूडी द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र ,निर्देशो इत्यादि से लेखापरीक्षक अवगत नहीं हो सका निदेशक पंचायतीराज लखनउ उ०प्र० के पत्रांक4/175/2015-4/81/2015 दिनांक 20जून 2016 के प्रस्तर-3 के अनुसार प्रत्येक कार्य हेतु ग्राम पंचायत चरणबद्ध फोटो अनिवार्य रूप से संरक्षित करेगा परन्तु लेखा परीक्षा में कोई फोटो प्रस्तुत नहीं किया गया इससे स्पष्ट नहीं हो सका कि कार्य वास्तविक है या नहीं ।

(5)माप पुस्तिका व प्राक्कलन न प्रस्तुत किया जाना-

ग्राम पंचायत- तरौना का वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में विभिन्न कार्यों के सापेक्ष कुल रु० 2481910.00 व्यय किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र०सं०	कार्य का नाम	कार्य आईडी	व्यय की गई धनराशि
1	कार्य का नाम अंकित नहीं है	13739182	111335
2	कार्य का नाम अंकित नहीं है	13739223	188231
3	कार्य का नाम अंकित नहीं है	17739180	43998
4	कार्य का नाम अंकित नहीं है	13739225	125112
5	कार्य का नाम अंकित नहीं है	20956668	2700
6	कार्य का नाम अंकित नहीं है	13739227	138372

7	हैन्डपंप मरम्मत	43400815	151203
8	प्रशासनिक व्यय	36888337	85227
9	सामुदायिक शौचालय	43426932	629834
10	डस्टबिन	43400754	33500
11	सफाई किट	36888617	48670
12	प्रा 0 स्कूल में वाउन्ड्रीवाल मरम्मत व निर्माण कार्य	43399303	216687
13	हैन्डपंप रिबोर	36887697	175819
14	ह्यूम पाईप	36888099	111523
15	प्रशासनिक व्यय	43392985	83040
16	पंचायत घर का शौचालय मरम्मत	43400950	102757
17	सोलर लाईट	36887980	233902
	योग		2481910

उ०प्र०पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152 एवं 154 के अनुसार सार्वजनिक कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन एवं मानचित्र ग्रामसभा से स्वीकृत होगा। अग्रेतर शासनदेश संख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के प्रस्तर 2(ब) तकनीकी परीक्षण 2 लाख तक ग्राम पंचायत , 2 से 2.5 लाख तक अवर अभियंता द्वारा तथा 2.5 लाख से ऊपर अभियंता जिला पंचायत द्वारा किया जाएगा । लेखा परीक्षा में उक्त कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन एवं मानचित्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

उ०प्र०पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 157 एवं समय-समय पर जारी निदेशक पंचायती राज के परिपत्रों एवं शासनादेशों के अनुसार बिना कार्य के माप-जोख के कोई भुगतान नहीं होगा। परन्तु लेखापरीक्षा में कार्य से सम्बन्धित मापपुस्तिका प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। । उ०प्र०पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार दुरुपयोग की गयी कुल धनराशि रु० 2481910.00 (चौबीस लाख इक्यासी हजार नौ सौ दस रुपये) में से ग्राम प्रधान श्रीमती कंचन से रु० 1247955.00 (बारह लाख सैतालिस हजार नौ सौ पचपन रुपये) और ग्राम पंचायत सचिव श्री संजय चौधरी से रु० 1247955.00 (बारह लाख सैतालिस हजार नौ सौ पचपन रुपये) की वसूली किया जाना अपेक्षित है।।

(6) मास्टर रोल प्रस्तुत नहीं करना --

ग्राम पंचायत- तरौना का वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में विभिन्न कार्यों के सापेक्ष कुल रु० 366634.00 मजदूरी भुगतान किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र० सं	कार्य का नाम	कार्य आईडी	व्यय की गई धनराशि
1	कार्य का नाम अंकित नहीं है	13739182	35376
2	कार्य का नाम अंकित नहीं है	13739223	35979
3	कार्य का नाम अंकित नहीं है	17739180	15075
4	कार्य का नाम अंकित नहीं है	13739225	10854
5	कार्य का नाम अंकित नहीं है	20956668	00
6	कार्य का नाम अंकित नहीं है	13739227	75375
7	हैन्डपंप मरम्मत	43400815	00
8	प्रशासनिक व्यय	36888337	5000
9	सामुदायिक शौचालय	43426932	44800
10	डस्टबिन	43400754	00
11	सफाई किट	36888617	00

12	प्रा 0 स्कूल में वाउन्डीवाल मरम्मत व निर्माण कार्य	43399303	33660
13	हैन्डपंप रिबोर	36887697	27000
14	ह्यूम पाईप	36888099	00
15	प्रशासनिक व्यय	43392985	29915
16	पंचायत घर का शौचालय मरम्मत	43400950	53600
17	सोलर लाईट	36887980	00
	योग		366634

उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 210 के अनुसार दैनिक मजदूरी पर कार्यरत मजदूरों की दैनिक उपस्थिति आदि के विवरण हेतु एक दैनिक उपस्थिति रजिस्टर रूप पत्र -22 पर तैयार किया जाएगा। लेखापरीक्षा में मस्टर रोल प्रस्तुत नहीं करने से उक्त व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए।

(7) कार्यपूति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करना -

ग्राम पंचायत- तरौना का वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में विभिन्न कार्यों के सापेक्ष कुल रु० 2481910.00 व्यय किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र० सं	कार्य का नाम	कार्य आईडी	व्यय की गई धनराशि
1	कार्य का नाम अंकित नहीं है	13739182	111335
2	कार्य का नाम अंकित नहीं है	13739223	188231
3	कार्य का नाम अंकित नहीं है	17739180	43998
4	कार्य का नाम अंकित नहीं है	13739225	125112
5	कार्य का नाम अंकित नहीं है	20956668	2700
6	कार्य का नाम अंकित नहीं है	13739227	138372
7	हैन्डपंप मरम्मत	43400815	151203
8	प्रशासनिक व्यय	36888337	85227
9	सामुदायिक शौचालय	43426932	629834
10	डस्टबिन	43400754	33500
11	सफाई किट	36888617	48670
12	प्रा 0 स्कूल में वाउन्डीवाल मरम्मत व निर्माण कार्य	43399303	216687
13	हैन्डपंप रिबोर	36887697	175819
14	ह्यूम पाईप	36888099	111523
15	प्रशासनिक व्यय	43392985	83040
16	पंचायत घर का शौचालय मरम्मत	43400950	102757
17	सोलर लाईट	36887980	233902
	योग		2481910

उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 209 के अनुसार कार्यपूति प्रमाण पत्र कार्य ग्राम प्रधान या उसके अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत के किसी सदस्य को जिसे ग्राम पंचायत नियुक्त करे वह जारी करता है

वह यह प्रमाणित करता है की कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार पूर्ण हुआ है। यदि विचलन है तो उसका उल्लेख करेगा।

लेखापरीक्षा में कार्यपूति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार नहीं हुआ है। उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए।

(8) व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया -

ग्राम पंचायत- तरौना का वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में कुल रु0 2495910.00 आहरित किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है

क्र0सं0	कार्य का नाम	कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
1	कार्य का नाम अंकित नहीं है	13739182	एवन ट्रेडर्स	20.04.2020	71540
			एस के पेंट्स	20.04.2020	4419
			अनिल	25.04.2020	10050
			आनंद	25.04.2020	10050
			राजकिशोर	27.04.2020	15276
2	कार्य का नाम अंकित नहीं है	13739223	एवन ट्रेडर्स	23.04.2020	19507
			अवधेश इंटरप्राइजेज	23.04.2020	132745
			विपिन	12.05.2020	15879
			अनिल	12.05.2020	10050
			आनंद	12.05.2020	10050
3	कार्य का नाम अंकित नहीं है	17739180	अवधेश इंटरप्राइजेज	27.07.2020	28923
			अवधेश गुप्ता	27.07.2020	15075
4	कार्य का नाम अंकित नहीं है	13739225	एवन ट्रेडर्स	12.05.2020	72951
			देव इंटरप्राइजेज	14.05.2020	41307
			राज किशोर	11.06.2020	8040
			विपिन	11.06.2020	2814
5	कार्य का नाम अंकित नहीं है	20956668			2700
6	कार्य का नाम अंकित नहीं है	13739227	अवधेश इंटरप्राइजेज	03.07.2020	23600
			विपिन	03.07.2020	15678
			अजय	03.07.2020	29949
			एस के पेंट्स	03.07.2020	8345
			एम एस ट्रेडर्स	03.07.2020	31052
			रामू व सविता	05.07.2020	14874
			हरद्वारी लाल	05.07.2020	14874
7	हैन्डपंप मरम्मत	43400815	अवधेश इंटरप्राइजेज	31.07.2020	38530
			अवधेश इंटरप्राइजेज	27.08.2020	20110
			अवधेश इंटरप्राइजेज	30.09.2020	44661
			अवधेश इंटरप्राइजेज	30.09.2020	47902
8	प्रशासनिक व्यय	36888337	अनंत फार्मा	07.08.2020	4435
			मो 0 खालिद	16.11.2020	5000
			आस्था इंटरप्राइजेज	25.11.2020	25882
			जे एम मैक्स एनर्जी	30.11.2020	49910
9	सामुदायिक शौचालय	43426932	एवन ट्रेडर्स	31.08.2020	150100
			एवन ट्रेडर्स	27.09.2020	166812

			एवन ट्रेडर्स	27.09.2020	91841
			दिनेश	04.10.2020	2800
			नरेंद्र	04.10.2020	2800
			संजय	04.10.2020	2800
			आस्था इंटरप्राईजेज	06.11.2020	43156
			आस्था इंटरप्राईजेज	06.11.2020	17820
			अवधेश इंटरप्राईजेज	06.11.2020	68987
			एवन ट्रेडर्स	06.11.2020	18518
			आनंद	12.11.2020	4800
			अनिल	12.11.2020	4800
			महेश	12.11.2020	4800
			नरेंद्र	12.11.2020	4800
			चंदन	24.11.2020	5200
			महेंद्र	13.03.2021	12000
					2400
					2400
			राजेश	13-03-2021	23000
10	डस्टबिन	43400754	सचिन कॅन्सट्रक्शन एंड सप्लायर	05.10.2020	33500
11	सफाई किट	36888617	शीतल इंटरप्राईजेज	05.10.2020	48670
12	प्रा0 स्कूल में वाउन्ड्रीवाल मरम्मत व निर्माण कार्य	43399303	एवन ट्रेडर्स	06.10.2020	66828
			एवन ट्रेडर्स	08.10.2020	23434
			एवन ट्रेडर्स	18.10.2020	40272
			अवधेश इंटरप्राईजेज	18.10.2020	6769
			अवधेश इंटरप्राईजेज	11.03.2021	21582
			एवन ट्रेडर्स	11.03.2021	26554
			दिनेश	20.10.2020	4800
			संजय	20.10.2020	4800
			महेश		4800
			अनिल ,शिवम	20.10.2020	2412
			शिव कुमार ,कमलेश		2412
					2412
					2412
					3600
					3600
13	हैन्डपंप रिबोर	36887697	अवधेश इंटरप्राईजेज	11.10.2020	24735
			अवधेश इंटरप्राईजेज	11.10.2020	24854
			अवधेश इंटरप्राईजेज	11.10.2020	24562
			अवधेश इंटरप्राईजेज	11.10.2020	24887
			अवधेश इंटरप्राईजेज	11.10.2020	24901
			अवधेश इंटरप्राईजेज	11.10.2020	24880

			रवींद्र	20.10.2020 4500*6-27000	27000
14	ह्यूम पाईप	36888099	आस्था इंटरप्राइजेज	11.10.2020	37125
			आस्था इंटरप्राइजेज	11.10.2020	74398
15	प्रशासनिक व्यय	43392985	अवध इंटरप्राइजेज	18.10.2020	53125
			इकबाल अहमद	18.10.2020	14550
			इकबाल अहमद	18.10.2020	9180
			इकबाल अहमद	18.10.2020	6185
16	पंचायत घर का शौचालय मरम्मत	43400950	शिव सीमेंट स्टोर	30.11.2020	49157
			रवींद्र कुमार	30.11.2020	53600
17	सोलर लाईट	36887980	माँ इंटरप्राइजेज	03.11.2020	85600
			माँ इंटरप्राइजेज	26.02.2021	148302
	मानदेय			31-07-2020	14000
	योग				2495910

क्रमांक 1 से 6 पर अंकित कार्य वर्ष 2020-21 की ऑनलाईन फ़िडेड कार्य योजना पर दर्शित नहीं और न ही ऑनलाईन फ़िडेड प्रमाणकों में कार्य का नाम ही अंकित है।

क्रमांक 8 पर अंकित प्रशासनिक व्यय चतुर्थ वित्त आयोग की संस्तुति से प्राप्त धनराशि से किया गया जबकि शासनदेश संख्या 4/2019/125/33-1-2019-175 म0एस0 /2016 टी0 सी0 दिनांक 31.01.2019 के अनुसार आनुषांगिक व्यय की वार्षिक सीमा रु0 1740 तक व्यय किया जा सकता है।जबकि उक्तमद में रु 085227.00 व्यय किया गया।पुनः क्रमांक 15 पर अंकित प्रशासनिक व्यय पंचम वित्त आयोग की संस्तुति से प्राप्त अनुदान से किया गया।।साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त व्यय किस प्रयोजन हेतु किया गया यह लेखा परीक्षा में अनुत्तरित रहा।

क्रमांक 14 पर अंकित ह्यूम पाईप कार्य हेतु मात्र ह्यूम क्रय हेतु आस्था इंटरप्राइजेज को भुगतान किया गया है इसमें कोई मजदूरी एवं अन्य सामग्री क्रय दर्शित नहीं जिसके वगैर ह्यूम पाईप कार्य नहीं हो सकता। उक्त कार्य के सापेक्ष लेखापरीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया।जबकि ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8[क] के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से किया जाना चाहिए। उ0प्र0पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार दुरुपयोग की गयी कुल धनराशि रु0 2495910.00 (चौबीस लाख पंचानबे हजार नौ सौ दस रुपये) में से ग्राम प्रधान श्रीमती कंचन व तत्कालीन प्रशासक -सहायक विकास अधिकारी (दिनांक25-12-2020 से 31-03-2021)से रु0 1247955.00(बारह लाख सैतालिस हजार नौ सौ पचपन रुपये) और ग्राम पंचायत सचिव श्री संजय चौधरी से रु0 1247955.00 (बारह लाख सैतालिस हजार नौ सौ पचपन रुपये) की वसूली किया जाना अपेक्षित है।।

ग्राम पंचायत -दौलतपुर विकास खंड -मलीहाबाद जनपद-लखनऊ वर्ष -2020-21

प्रस्तर संख्या-24

ग्राम पंचायत- दौलतपुर में वित्तीय वर्ष 2020-21 में विकास एवं अन्य कार्यों पर कुल रु0 858230.00 व्यय किया गया जिससे संबंधित निम्न लिखित आपत्तियाँ दर्शित हैं-

(1)सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित न करना-

ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 5 एवं शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-08-1586 दिनांक23.09.08 के अनुसार रु0100000.00 से अधिक की सामग्री क्रय सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित करके किया जायेगा, निविदाएं आमंत्रित करने में वस्तु का नाम ,वस्तु की मात्रा , अनुमानित लागत ,निविदाएं प्राप्त करने का समय एवं तिथि ,निविदाएं खोलने की तिथि एवं समय इत्यादि का उल्लेख किया जाएगा। इच्छुक ठेकेदार को निविदा के साथ धरोहर की धनराशि जमा करना है। निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली फर्म सामग्री की

अधिकृत विक्रेता/निर्माता होना चाहिये एवं फर्म की वित्तीय स्थिति जानने के लिए उनसे इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना चाहिए। पंचायत द्वारा उपरोक्त किसी प्रक्रिया का पालन नहीं करते हुए विभिन्न तिथियों में कुल रु 0534934.00 की सामग्री क्रय किया गया

(2)नियम विरुद्ध हैण्डपंप मरम्मत /रिबोर करवाना -

ग्राम पंचायत-दौलतपुर का वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि हैण्डपंप मरम्मत पर रु0 137405.00 व्यय किया गया है। शासनादेश सं01138/अडतीस-5-56-सम/2010 दिनांक29जून2011के पस्तर-1 के अनुसार इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प स्थापना के बाद ग्रामपंचायत को रखरखाव हेतु हस्तान्तरित किया जायेगा प्रस्तर-2 के अनुसार हस्तान्तरित हैण्डपम्प ग्रामपंचायत के खुली बैठक में अनुमोदनोपरान्त परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा परन्तु लेखापरीक्षा में परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं करने यह स्पष्ट नहीं हो सका कि हैण्डपम्प हस्तान्तरित है या नहीं। हैण्डपंप मरम्मत का स्थलवार विवरण ,प्राक्कलन ,चरणबद्ध फोटो ,कार्यपूति प्रमाण पत्र इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उ0प्र0पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए।

(3)पत्रावली प्रस्तुत नहीं -

कार्यों से संबंधित स्थलवार विवरण ,मानक,शासनदेश ,विभागीय परिपत्र ,पीडब्ल्यूडी द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र ,निर्देशो इत्यादि से लेखापरीक्षक अवगत नहीं हो सका निदेशक पंचायतीराज लखनउ उ0प्र0 के पत्रांक4/175/2015-4/81/2015 दिनांक 20जून 2016 के प्रस्तर-3 के अनुसार प्रत्येक कार्य हेतु ग्राम पंचायत चरणबद्ध फोटो अनिवार्य रूप से संरक्षित करेगा परन्तु लेखा परीक्षा में कोई फोटो प्रस्तुत नहीं किया गया इससे स्पष्ट नहीं हो सका कि कार्य वास्तविक है या नहीं।

(4)माप पुस्तिका व प्राक्कलन न प्रस्तुत किया जाना-

ग्राम पंचायत- दौलतपुर का वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में विभिन्न कार्यों के सापेक्ष कुल रु0 663059.00 आहरित किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है -

क्र0सं 0	कार्य का नाम	कार्य आईडी	व्यय की गई धनराशि
1	पशु आश्रय में पशु हेतु त्रिपाल कार्य	42405985	142361
2	हैण्ड पंप मरम्मत	42407271	137405
3	सामुदायिक शौचालय	42422085	330558
4	प्रशासनिक व्यय	36547091	49235
5	कार्य का नाम अंकित नहीं	13628171	3500
	योग		663059

उ0प्र0पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152 एवं 154 के अनुसार सार्वजनिक कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन एवं मानचित्र ग्रामसभा से स्वीकृत होगा।अग्रेतर शासनदेश संख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के प्रस्तर 2(ब) तकनीकी परीक्षण 2 लाख तक ग्राम पंचायत , 2 से 2.5 लाख तक अवर अभियंता द्वारा तथा 2.5 लाख से ऊपर अभियंता जिला पंचायत द्वारा किया जाएगा। लेखा परीक्षा में उक्त कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन एवं मानचित्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

उ0प्र0पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 157 एवं समय-समय पर जारी निदेशक पंचायती राज के परिपत्रों एवं शासनादेशों के अनुसार बिना कार्य के माप-जोख के कोई भुगतान नहीं होगा।परन्तु लेखापरीक्षा में कार्य से सम्बन्धित मापपुस्तिका प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी।। उ0प्र0पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार दुरुपयोग की गयी कुल धनराशि में से रु0663059.00 प्रधान श्री सुलेमान बेग रु0331529.5 से और पंचायत सचिव श्री संजय चौधरी से रु0331529.5 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।।

(5)मास्टररोल प्रस्तुत नहीं करना -

ग्राम पंचायत- दौलतपुर का 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में विभिन्न कार्यों के सापेक्ष कुल मजदूरी भुगतान रु0 323296.00 किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है -

क्र0सं 0	कार्य का नाम	कार्य आईडी	मजदूरी पर व्यय की गई धनराशि
1	पशु आश्रय में पशु हेतु त्रिपाल कार्य	42405985	31232
2	हैन्ड पंप मरम्मत	42407271	45000
3	सामुदायिक शौचालय	42422085	32618
4	प्रशासनिक व्यय	36547091	15735
5	कार्य का नाम अंकित नहीं	13628171	3500
6	पशुपालक मानदेय	42423363	195171
	योग		323256

उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 210 के अनुसार दैनिक मजदूरी पर कार्यरत मजदूरों की दैनिक उपस्थिति आदि के विवरण हेतु एक दैनिक उपस्थिति रजिस्टर रूप पत्र -22 पर तैयार किया जाएगा। लेखापरीक्षा में मस्टर रोल प्रस्तुत नहीं करने से उक्त व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी उ0प्र0पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए। इस संबंध में स्पष्टीकरण आवश्यक है।

(6)कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करना -

ग्राम पंचायत- दौलतपुर का वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में विभिन्न कार्यों के सापेक्ष कुल रु0 663059.00 आहरित किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है -

क्र0 सं	कार्य का नाम	कार्य आईडी	व्यय की गई धनराशि
1	पशु आश्रय में पशु हेतु त्रिपाल कार्य	42405985	142361
2	हैन्ड पंप मरम्मत	42407271	137405
3	सामुदायिक शौचालय	42422085	330558
4	प्रशासनिक व्यय	36547091	49235
5	कार्य का नाम अंकित नहीं	13628171	3500
	योग		663059

उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 209 के अनुसार कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य ग्राम प्रधान या उसके अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत के किसी सदस्य को जिसे ग्राम पंचायत नियुक्त करे वह जारी करता है

वह यह प्रमाणित करता है की कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार पूर्ण हुआ है। यदि विचलन है तो उसका उल्लेख करेगा।

लेखापरीक्षा में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार नहीं हुआ है। उ0प्र0पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए। इस संबंध में स्पष्टीकरण आवश्यक है।

(7)व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया --

ग्राम पंचायत-दौलतपुर का वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में कुल रु0858230 आहरित किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है

क्र0 सं	कार्य का नाम	कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
1	पशु आश्रय में पशु हेतु त्रिपाल कार्य	42405985	एवन ट्रेडर्स	15.07.20	106265
			वीर कुमार	22.07.20	8400
			देवी प्रसाद	22.07.20	4824

			उस्मान वेग	22.07.20	4824 4824
			सूफियान वेग	22.07.20	4824
			शिव नंदन	31.07.20	8400
2	हैन्ड पंप मरम्मत	42407271	नेशनल एग्रीकल्चर स्टोर	19-08-20	63550
			नेशनल एग्रीकल्चर स्टोर	20.08.20	28855
			रमेश कुमार	21-08-20	34500
			रमेश	25.08.20	10500
3	सामुदायिक शौचालय	42422085	एवन ट्रेडर्स	18.09.20	166812
			एवन ट्रेडर्स	18.09.20	91841
			कमलेश	20.09.20	8400
			रामलाल	20.09.20	8400
			एवन ट्रेडर्स	30.09.20	39287
			सुखराम	30.09.20	15818
4	पशुपालक का मानदेय	42423363	सोनू	दिनांक	195171
			मातादिन	19.10.20 से	
			राम	27.02.21 तक	
			मो0 सलीम		
			इजहार		
			फरहान वेग		
			फरहान वेग		
			वकील		
5	प्रशासनिक व्यय	36547091	सचिन कॉन्सट्रक्शन एंड सप्लायर	16.11.20	33500
			मो0 खालिद	23.12.20	7185
				25.12.20	8550
6	कार्य का नाम अंकित नहीं	13628171	सुलेमान	25.12.20	3500
	योग				858230

क्रमांक 4 पर अंकित पशुपालक मानदेय को भुगतान से संबंधित कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया ।

क्रमांक 5 पर अंकित प्रशासनिक व्यय पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुति से प्राप्त अनुदानसे किया गया है रु 0 33500.00 प्रशासनिक व्यय के रूप में भुगतान सचिन कॉन्सट्रक्शन एंड सप्लायर को किस प्रयोजन हेतु किया गया प्रश्न लेखा परीक्षा में अनुत्तरित रहा । साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त व्यय किस प्रयोजन हेतु किया गया यह लेखा परीक्षा में अनुत्तरित रहा ।

उक्त कार्य के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया। जबकि ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8[क] के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से किया जाना चाहिए। उ0प्र0पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए। अतः कुल व्यय की गई धनराशि में से रु0858230 प्रधान श्री सुलेमान बेग व तत्कालीन प्रशासक -सहायक विकास अधिकारी (दिनांक 25-12-2020 से 31-03-2021) से रु0 429115.00 और पंचायत सचिव श्री संजय चौधरी से रु0429115.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।।

ग्राम पंचायत -फतेहपुर

विकास खंड -मलीहाबाद

वर्ष -2020-21

प्रस्तर संख्या-25

ग्राम पंचायत- फतेहपुर में वित्तीय वर्ष 2020-21 में विकास एवं अन्य कार्यों पर कुल रु0 624585.00 व्यय किया गया जिससे संबंधित निम्न लिखित आपत्तियाँ दर्शित हैं -

(1)सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित न करना-

ग्राम पंचायत हेतु वित्त एंव लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 5 एंव शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-08-1586 दिनांक23.09.08 के अनुसार रू0100000.00 से अधिक की सामग्री क्रय सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित करके किया जायेगा, निविदाएं आमंत्रित करने में वस्तु का नाम ,वस्तु की मात्रा , अनुमानित लागत ,निविदाएं प्राप्त करने का समय एवं तिथि ,निविदाएं खोलने की तिथि एवं समय इत्यादि का उल्लेख किया जाएगा । इच्छुक ठेकेदार को निविदा के साथ धरोहर की धनराशि जमा करना है । निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली फर्म सामग्री की अधिकृत विक्रेता/निर्माता होना चाहिये एवं फर्म की वित्तीय स्थिति जानने के लिए उनसे इनकम टैक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेट लेना चाहिए ।पंचायत द्वारा उपरोक्त किसी प्रक्रिया का पालन नहीं करते हुए विभिन्न तिथियों में कुल रु 0550385.00 की सामग्री क्रय किया गया

(2)नियम विरुद्ध हैण्डपंप मरम्मत /रिबोर करवाना -

ग्राम पंचायत- फतेहपुर का वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि हैण्डपंप मरम्मत पर रु0206581.00 व्यय किया गया है । शासनादेश सं01138/अडतीस-5-56-सम/2010 दिनांक29जून2011के पस्तर-1 के अनुसार इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प स्थापना के बाद ग्रामपंचायत को रखरखाव हेतु हस्तान्तरित किया जायेगा प्रस्तर-2 के अनुसार हस्तान्तरित हैण्डपम्प ग्रामपंचायत के खुली बैठक में अनुमोदनोपरान्त परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा परन्तु लेखापरीक्षा में परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं करने यह स्पष्ट नहीं हो सका कि हैण्डपम्प हस्तान्तरित है या नहीं । हैण्डपंप मरम्मत का स्थलवार विवरण ,प्राक्कलन ,चरणबद्ध फोटो ,कार्यपूति प्रमाण पत्र इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। उ0प्र0पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए। इस संबंध में स्पष्टीकरण आवश्यक है।

कार्यों से संबंधित स्थलवार विवरण ,मानक,शासनदेश ,विभागीय परिपत्र ,पीडबल्यूडी द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र ,निर्देशो इत्यादि से लेखापरीक्षक अवगत नहीं हो सका निदेशक पंचायतीराज लखनउ उ0प्र0 के पत्रांक4/175/2015-4/81/2015 दिनांक 20जून 2016 के प्रस्तर-3 के अनुसार प्रत्येक कार्य हेतु ग्राम पंचायत चरणबद्ध फोटा अनिवार्य रूप से संरक्षित करेगा परन्तु लेखा परीक्षा में कोई फोटो प्रस्तुत नहीं किया गया इससे स्पष्ट नहीं हो सका कि कार्य वास्तविक है या नहीं । जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है।

(3)पत्रावली प्रस्तुत नहीं -

ग्राम पंचायत-फतेहपुर का वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में कुल रु0 645585 आहरित किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है

क्र0 सं	कार्य का नाम	योजना का नाम	कार्य आईडी	कुल व्यय
1	ह्यूम पाईप	5वां	36889664	72765
2	हैन्ड पंप रिबोर	5वां	36889765	83469
3	हैन्ड पंप मरम्मत		36889878	123112
4	प्रशासनिक व्यय	4वां	36889459	50000
5	सामुदायिक शौचालय	15वां	42926895	250339
6	कार्य का नाम अंकित नहीं है	14वां	17395981	44900
	योग			624585

उ0प्र0पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152 एंव 154 के अनुसार सार्वजनिक कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन एवं मानचित्र ग्रामसभा से स्वीकृत होगा।अग्रेतर शासनदेश संख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के प्रस्तर 2(ब) तकनीकी परीक्षण 2 लाख तक ग्राम पंचायत , 2 से 2.5 लाख तक अवर अभियंता द्वारा तथा 2.5 लाख से ऊपर अभियंता जिला पंचायत द्वारा किया जाएगा । लेखा परीक्षा में उक्त कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन एवं मानचित्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

उ०प्र०पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 157 एवं समय-समय पर जारी निदेशक पंचायती राज के परिपत्रों एवं शासनादेशों के अनुसार बिना कार्य के माप-जोख के कोई भुगतान नहीं होगा। परन्तु लेखापरीक्षा में कार्य से सम्बन्धित मापपुस्तिका प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। । उ०प्र०पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार दुरुपयोग की गयी कुल धनराशि रु० 624585.00 में से ग्राम प्रधान श्री पंकज से रु० 312292.5 और ग्राम पंचायत सचिव श्री संजय चौधरी से रु० 312292.5 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।।

(4)मास्टररोल प्रस्तुत नहीं करना -

ग्राम पंचायत-फतेहपुर का वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में मजदूरी पर कुल रु० 74200.00 आहरित किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है

क्र० सं	कार्य का नाम	योजना का नाम	कार्य आईडी	कुल व्यय
1	हैन्ड पंप रिबोर	5 th	36889765	9000
2	हैन्ड पंप मरम्मत		36889878	25000
3	प्रशासनिक व्यय	4th	36889459	24000
4	सामुदायिक शौचालय	15 th	42926895	16200
	योग			74200

उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 210 के अनुसार दैनिक मजदूरी पर कार्यरत मजदूरों की दैनिक उपस्थिति आदि के विवरण हेतु एक दैनिक उपस्थिति रजिस्टर रूप पत्र -22 पर तैयार किया जाएगा। लेखापरीक्षा में मस्टर रोल प्रस्तुत नहीं करने से उक्त व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी उ०प्र०पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए। इस संबंध में स्पष्टीकरण आवश्यक है।

(5)कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करना -

ग्राम पंचायत-फतेहपुर का वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में कुल रु० 624585 आहरित किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है

क्र० सं	कार्य का नाम	योजना का नाम	कार्य आईडी	कुल व्यय
1	ह्यूम पाईप	5 वां	36889664	72765
2	हैन्ड पंप रिबोर	5 वां	36889765	83469
3	हैन्ड पंप मरम्मत		36889878	123112
4	प्रशासनिक व्यय	4 वां	36889459	50000
5	सामुदायिक शौचालय	15 वां	42926895	250339
6	कार्य का नाम अंकित नहीं है	14 वां	17395981	44900
	योग			624585

उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 209 के अनुसार कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य ग्राम प्रधान या उसके अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत के किसी सदस्य को जिसे ग्राम पंचायत नियुक्त करे वह जारी करता है वह यह प्रमाणित करता है की कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार पूर्ण हुआ है । यदि विचलन है तो उसका उल्लेख करेगा ।

लेखापरीक्षा में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार नहीं हुआ है। उ०प्र०पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए।

(6)व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया -

ग्राम पंचायत-फतेहपुर का वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में कुल रु० 624585 आहरित किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है

क्र 0 सं0	कार्य का नाम	योजना का नाम	कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि	योग
1	ह्यूम पाईप	5 th	36889664	नेशनल एग्रीकल्चर स्टोर	9.11.20	72765	72765
2	हैन्ड पंप रिबोर	5 th	36889765	आस्था इंटरप्राइजेज	06.11.20	24880	83469
				आस्था इंटरप्राइजेज	06.11.20	24735	
				आस्था इंटरप्राइजेज	06.11.20	24854	
				राजकुमार	09.11.20	4500	
				राजकुमार	09.11.20	4500	
3	हैन्ड पंप मरम्मत		36889878	नेशनल एग्रीकल्चर स्टोर	31.07.20	98112	123112
				राजकुमार	14.08.20	25000	
4	प्रशासनिक व्यय	4 th	36889459	इकबाल	31.07.20	13250	50000
				इकबाल	31.07.20	7180	
				इकबाल	31.07.20	2415	
				एवन	14.08.20	26000	
				मो 0 खालिद	24.11.20	1155	
5	सामुदायिक शौचालय	15 th	42926895	एवन ट्रेडर्स	20.09.20	108524	250339
				एवन ट्रेडर्स	20.09.20	47619	
				मयंक ट्रेडर्स	20.09.20	77996	
				सुनील	20.09.20	5400	
				पप्पू	20.09.20	5400	
				अल्लाफ	20.09.20	5400	
6	कार्य का नाम अंकित नहीं है	14 th	17395981	आस्था इंटर प्राइजेज	14.08.20	44900	44900
	योग					624585	624585

क्रमांक 1 पर अंकित ह्यूम पाईप कार्य हेतु मात्र ह्यूम क्रय हेतु नेशनल एग्रीकल्चर स्टोर को भुगतान किया गया है इसमें कोई मजदूरी एवं अन्य सामग्री क्रय दर्शित नहीं जिसके वगैर ह्यूम पाईप कार्य नहीं हो सकता ।

क्रमांक 4 पर अंकित प्रशासनिक व्यय चतुर्थ वित्त आयोग की संस्तुति से प्राप्त धनराशि से किया गया जबकि शासनदेश संख्या 4/2019/125/33-1-2019-175 म0एस0 /2016 टी0 सी0 दिनांक 31.01.2019 के अनुसार आनुषांगिक व्यय की वार्षिक सीमा रु0 1740 तक व्यय किया जा सकता है। जबकि उक्तमद में रु 0 50000.00 व्यय किया गया । साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त व्यय किस प्रयोजन हेतु किया गया यह लेखा परीक्षा में अनुत्तरित रहा ।

क्रमांक 6 पर अंकित कार्य वर्ष 2020-21 के ई ग्राम स्वराज वेवसाइट पर फ़िडेड मुख्य एवं पूरक कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है और न ही ऑनलाईन फ़िडेड प्रमाणको में कार्य का नाम अंकित नहीं है ।

क्रमांक 2 पर अंकित कार्य के सापेक्ष कोई मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया केवल सामग्री का भुगतान किया गया हैं बिना मजदूरी के सामग्री क्रय का भुगतान करना वित्तीय औचित्य के सिद्धांत का उल्लंघन है ।

उक्त कार्य के सापेक्ष लेखापरीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया। जबकि ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8[क] के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से किया जाना चाहिए। उ०प्र० पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए। अतः कुल व्यय की गई धनराशि रु० 624585.00 में से ग्राम प्रधान श्री पंकज व तत्कालीन प्रशासक -सहायक विकास अधिकारी (दिनांक 25-12-2020 से 31-03-2021) से रु० 312292.5 और ग्राम पंचायत सचिव श्री संजय चौधरी से रु० 312292.5 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -महदोईया विकास खंड -मलीहाबाद जनपद-लखनऊ

वर्ष -2020-21

प्रस्तर संख्या-26

ग्राम पंचायत- महदोईया में वित्तीय वर्ष 2020-21 में विकास एवं अन्य कार्यों पर कुल रु० 1022155.00 व्यय किया गया जिससे संबंधित निम्न लिखित आपत्तियाँ दर्शित हैं -

(1)सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित न करना-

ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 5 एवं शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-08-1586 दिनांक 23.09.08 के अनुसार रु० 100000.00 से अधिक की सामग्री क्रय सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित करके किया जायेगा, निविदाएं आमन्त्रित करने में वस्तु का नाम, वस्तु की मात्रा, अनुमानित लागत, निविदाएं प्राप्त करने का समय एवं तिथि, निविदाएं खोलने की तिथि एवं समय इत्यादि का उल्लेख किया जाएगा। इच्छुक ठेकेदार को निविदा के साथ धरोहर की धनराशि जमा करना है। निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली फर्म सामग्री की अधिकृत विक्रेता/निर्माता होना चाहिये एवं फर्म की वित्तीय स्थिति जानने के लिए उनसे इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना चाहिए। पंचायत द्वारा उपरोक्त किसी प्रक्रिया का पालन नहीं करते हुए विभिन्न तिथियों में कुल रु० 0742370.00 की सामग्री क्रय किया गया

(2)पत्रावली प्रस्तुत नहीं -

कार्यों से संबंधित स्थलवार विवरण, मानक, शासनदेश, विभागीय परिपत्र, पीडब्ल्यूडी द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र, निर्देशो इत्यादि से लेखापरीक्षक अवगत नहीं हो सका निदेशक पंचायतीराज लखनऊ उ०प्र० के पत्रांक 4/175/2015-4/81/2015 दिनांक 20 जून 2016 के प्रस्तर-3 के अनुसार प्रत्येक कार्य हेतु ग्राम पंचायत चरणबद्ध फोटा अनिवार्य रूप से संरक्षित करेगा परन्तु लेखा परीक्षा में कोई फोटो प्रस्तुत नहीं किया गया इससे स्पष्ट नहीं हो सका कि कार्य वास्तविक है या नहीं। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है

(3)माप पुस्तिका व प्राक्कलन न प्रस्तुत किया जाना-

ग्राम पंचायत- महदोईया का वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में विभिन्न कार्यों के सापेक्ष कुल रु० 1022155.00 आहरित किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है -

क्र० सं	कार्य का नाम	कार्य आईडी	कुल व्यय
1	कार्य का नाम अंकित नहीं हैं	13682413	78880
2	कार्य का नाम अंकित नहीं हैं	42268241	238000
3	कार्य का नाम अंकित नहीं हैं	43072619	156390
4	गोपालक मानदेय	43072447	61506
5	कार्य का नाम अंकित नहीं हैं	18893027	96878
6	कार्य का नाम अंकित नहीं हैं	42268241	184037
7	कार्य का नाम अंकित नहीं हैं	45068721	29748
8	कार्य का नाम अंकित नहीं हैं	49722500	60126
9	पंचायत भवन मरम्मत	43086687	116590
	योग		1022155

उ०प्र०पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152 एवं 154 के अनुसार सार्वजनिक कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन एवं मानचित्र ग्रामसभा से स्वीकृत होगा।अग्रेतर शासनदेश संख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के प्रस्तर 2(ब) तकनीकी परीक्षण 2 लाख तक ग्राम पंचायत , 2 से 2.5 लाख तक अवर अभियंता द्वारा तथा 2.5 लाख से ऊपर अभियंता जिला पंचायत द्वारा किया जाएगा । लेखा परीक्षा में उक्त कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन एवं मानचित्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

उ०प्र०पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 157 एवं समय-समय पर जारी निदेशक पंचायती राज के परिपत्रों एवं शासनादेशों के अनुसार बिना कार्य के माप-जोख के कोई भुगतान नहीं होगा।परन्तु लेखापरीक्षा में कार्य से सम्बन्धित मापपुस्तिका प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। । उ०प्र०पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार दुरुपयोग की गयी कुल धनराशि रु0 1022155 में से ग्राम प्रधान श्री राजेश सिंह व तत्कालीन प्रशासक -सहायक विकास अधिकारी (दिनांक 25-12-2020 से 31-03-2021)से रु0 511077.5 और ग्राम पंचायत सचिव श्री सुनील मौर्या से रु0 511077.5 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।।

(4)पत्रावली प्रस्तुत नहीं -

ग्राम पंचायत- महदोईया का वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में विभिन्न कार्यों के सापेक्ष कुल मजदूरी भुगतान रु0 279785.00 किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है -

क्र० सं	कार्य का नाम	कार्य आईडी	मजदूरी पर कुल व्यय
1	कार्य का नाम अंकित नहीं हैं	13682413	24120
2	कार्य का नाम अंकित नहीं हैं	42268241	52655
3	गोपालक मानदेय	43072447	61506
4	कार्य का नाम अंकित नहीं हैं	18893027	96878
5	कार्य का नाम अंकित नहीं हैं	45068721	29748
6	कार्य का नाम अंकित नहीं हैं	49722500	7200
7	पंचायत भवन मरम्मत	43086687	7678
	योग		279785

उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 210 के अनुसार दैनिक मजदूरी पर कार्यरत मजदूरों की दैनिक उपस्थिति आदि के विवरण हेतु एक दैनिक उपस्थिति रजिस्टर रूप पत्र -22 पर तैयार किया जाएगा। लेखापरीक्षा में मस्टर रोल प्रस्तुत नहीं करने से उक्त व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी उ०प्र०पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए।

(5)कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करना -

ग्राम पंचायत- महदोईया का वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में विभिन्न कार्यों के सापेक्ष कुल रु01022155.00 आहरित किया गया है। जिसका विवरण निम्नवत है -

क्र० सं	कार्य का नाम	कार्य आईडी	कुल व्यय
1	कार्य का नाम अंकित नहीं हैं	13682413	78880
2	कार्य का नाम अंकित नहीं हैं	42268241	422037
3	कार्य का नाम अंकित नहीं हैं	43072619	156390
4	गोपालक मानदेय	43072447	61506
5	कार्य का नाम अंकित नहीं हैं	18893027	96878
7	कार्य का नाम अंकित नहीं हैं	45068721	29748
8	कार्य का नाम अंकित नहीं हैं	49722500	60126

9	पंचायत भवन मरम्मत	43086687	116590
	योग		1022186

उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 209 के अनुसार कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य ग्राम प्रधान या उसके अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत के किसी सदस्य को जिसे ग्राम पंचायत नियुक्त करे वह जारी करता है

वह यह प्रमाणित करता है की कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार पूर्ण हुआ है। यदि विचलन है तो उसका उल्लेख करेगा।

लेखापरीक्षा में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार नहीं हुआ है। उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए।

(6) व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया -

ग्राम पंचायत- महदोईया का वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में कुल रु०1022155.00 आहरित किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है

क्र० सं	कार्य का नाम	कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
1	कार्य का नाम अंकित नहीं है	13682413	ऍम यस ट्रेडर्स	7.05.20	23760
			राजेश सिंह	7.05.20	24120
			मो० जमील	7.05.20	31000
2	कार्य का नाम अंकित नहीं है	42268241	ऍम यस ट्रेडर्स	26.09.20	65582
			अजय ब्रिक	26.09.20	83643
			अजय ब्रिक	16.10.20	38570
			ऍम यस ट्रेडर्स	16.10.20	50205
			प्रमोद	22.12.20	5000
			ऍम यस ट्रेडर्स	22.12.20	58419
			ऍम यस ट्रेडर्स	24.03.21	46589
			न्यू भारत पेंट्स	24.03.21	9754
			न्यू हिंदुस्तान इलेक्ट्रिक	24.03.21	16620
			राज कुमार	24.03.21	8400
			विमला	24.03.21	16355
			राम आसरे	24.03.21	12400
			अमित	24.03.21	10500
3	कार्य का नाम अंकित नहीं है	43072619	पवन ट्रेडर्स	26.11.20	83740
			यादव हार्डवेयर एंड सेनेटरी	26.11.20	25260
			यादव हार्डवेयर एंड सेनेटरी	12.12.20	22980
			पवन ट्रेडर्स	12.12.20	9420
			आसिया ट्रेडर्स	12.12.20	14990
4	गोपालक मानदेय	43072447		24.11.20	61506
5	कार्य का नाम अंकित नहीं है	18893027	नसीम	02.11.20	3500
			नसीम	02.11.20	14196
			ऍम यस ट्रेडर्स	02.11.20	79182

6	कार्य का नाम अंकित नहीं है	45068721	हरेश चंद्र	24.03.21	15276
			विजय बहादुर	24.03.21	14472
7	कार्य का नाम अंकित नहीं है	49722500	भारत ट्रेडर्स	26.03.21	52926
			राम आसरे	26.03.21	7200
8	पंचायत भवन मरम्मत	43086687	भारत ट्रेडर्स	26.03.21	70498
			न्यू भारत पेंट्स	26.03.21	26126
			न्यू भारत पेंट्स	26.03.21	1156
			यादव हार्डवेयर एंड सेनेटरी	26.03.21	11172
			राजकुमार	26.03.21	7638
	योग				1022155

क्रमांक 1,2,3,5,6,7 व 8 पर अंकित कार्य वर्ष 2020-21 के ई ग्राम स्वराज वेवसाइट पर फ़िडेड मुख्य एवं पूरक कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है और न ही ऑनलाईन फ़िडेड प्रमाणको में कार्य का नाम अंकित नहीं है । क्रमांक 2 पर अंकित कार्य के सापेक्ष कोई मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया केवल सामग्री का भुगतान किया गया है बिना मजदूरी के सामग्री क्रय का भुगतान करना वित्तीय औचित्य के सिद्धांत का उल्लंघन है । उक्त कार्य के सापेक्ष लेखापरीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया। जबकि ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8[क] के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से किया जाना चाहिए। उ०प्र० पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए। अतः कुल व्यय की गई धनराशि रु० 1022155.00 में से ग्राम प्रधान श्री राजेश सिंह व तत्कालीन प्रशासक -सहायक विकास अधिकारी (दिनांक 25-12-2020 से 31-03-2021) से रु० 511077.5 और ग्राम पंचायत सचिव श्री सुनील मौर्या से रु० 511077.5 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -ढेढेमाऊ विकास खंड -मलीहाबाद जनपद-लखनऊ वर्ष -2020-21

प्रस्तर संख्या-27

ग्राम पंचायत- ढेढेमाऊ में वित्तीय वर्ष 2020-21 में विकास एवं अन्य कार्यों पर कुल रु० 1368779.00 व्यय किया गया जिससे संबंधित निम्न लिखित आपत्तियाँ दर्शित हैं -

(1)सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित न करना-

ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 5 एवं शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-08-1586 दिनांक 23.09.08 के अनुसार रु० 100000.00 से अधिक की सामग्री क्रय सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित करके किया जायेगा, निविदाएं आमंत्रित करने में वस्तु का नाम, वस्तु की मात्रा, अनुमानित लागत, निविदाएं प्राप्त करने का समय एवं तिथि, निविदाएं खोलने की तिथि एवं समय इत्यादि का उल्लेख किया जाएगा । इच्छुक ठेकेदार को निविदा के साथ धरोहर की धनराशि जमा करना है । निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली फर्म सामग्री की अधिकृत विक्रेता/निर्माता होना चाहिये एवं फर्म की वित्तीय स्थिति जानने के लिए उनसे इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना चाहिए । पंचायत द्वारा उपरोक्त किसी प्रक्रिया का पालन नहीं करते हुए विभिन्न तिथियों में कुल रु० 01160128.00 की सामग्री क्रय किया गया ।

(2)नियम विरुद्ध हैंडपंप मरम्मत /रिबोर करवाना -

ग्राम पंचायत- ढेढेमाऊ का वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में कुल रु० 218561.00 आहरित किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है

क्र० सं	कार्य का नाम	कार्य आईडी	व्यय की गई धनराशि
1	हैन्ड पंप मरम्मत	36965393	131975

2	हैन्ड पंप मरम्मत	36965094	86586
	योग		218561

शासनादेश सं01138/अडतीस-5-56-सम/2010 दिनांक29जून2011के पस्तर-1 के अनुसार इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प स्थापना के बाद ग्रामपंचायत को रखरखाव हेतु हस्तान्तरित किया जायेगा प्रस्तर-2 के अनुसार हस्तान्तरित हैण्डपम्प ग्रामपंचायत के खुली बैठक में अनुमोदनोपरान्त परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा परन्तु लेखापरीक्षा में परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं करने यह स्पष्ट नहीं हो सका कि हैण्डपम्प हस्तान्तरित है या नहीं । हैन्डपंप मरम्मत का स्थलवार विवरण ,प्राक्कलन ,चरणबद्ध फोटो ,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। उ0प्र0पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए।

(3)पत्रावली प्रस्तुत नहीं -

कार्यों से संबंधित स्थलवार विवरण ,मानक,शासनदेश ,विभागीय परिपत्र ,पीडबल्यूडी द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र ,निर्देशो इत्यादि से लेखापरीक्षक अवगत नहीं हो सका निदेशक पंचायतीराज लखनउ उ0प्र0 के पत्रांक4/175/2015-4/81/2015 दिनांक 20जून 2016 के प्रस्तर-3 के अनुसार प्रत्येक कार्य हेतु ग्राम पंचायत चरणबद्ध फोटो अनिवार्य रूप से संरक्षित करेगा परन्तु लेखा परीक्षा में कोई फोटो प्रस्तुत नहीं किया गया इससे स्पष्ट नहीं हो सका कि कार्य वास्तविक है या नहीं ।

(4)माप पुस्तिका व प्राक्कलन न प्रस्तुत किया जाना-

ग्राम पंचायत- देढ़ेमाउ का वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में कुल रु01368779 आहरित किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है

क्र0 सं	कार्य का नाम	कार्य आईडी	व्यय की गई धनराशि
1	हैन्ड पंप मरम्मत	36965393	131975
2	हैन्ड पंप मरम्मत	36965094	86586
4	प्रशानिक व्यय	42412060	80135
5	कब्रिस्तान बाउंड्री वाल	425234427	175060
6	कुढ़ा उठवाई	42656638	85000
7	जग्गू के घर से तालाब तक इंटरलॉकिंग	435735812	24642
8	सामुदायिक शौचालय	43573767	624011
9	कस्तूरबा गांधी स्कूल से दंगल मेला तक बाउंड्री वाल व गेट निर्माण	42427639	161370
	योग		1368779

उ0प्र0पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152 एवं 154 के अनुसार सार्वजनिक कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन एवं मानचित्र ग्रामसभा से स्वीकृत होगा। अग्रेतर शासनदेश संख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के प्रस्तर 2(ब) तकनीकी परीक्षण 2 लाख तक ग्राम पंचायत , 2 से 2.5 लाख तक अवर अभियंता द्वारा तथा 2.5 लाख से ऊपर अभियंता जिला पंचायत द्वारा किया जाएगा । लेखा परीक्षा में उक्त कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन एवं मानचित्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

उ0प्र0पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 157 एवं समय-समय पर जारी निदेशक पंचायती राज के परिपत्रों एवं शासनादेशों के अनुसार बिना कार्य के माप-जोख के कोई भुगतान नहीं होगा।परन्तु लेखापरीक्षा में कार्य से सम्बन्धित मापपुस्तिका प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। । उ0प्र0पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए। अतः व्यय की गई कुल धनराशि रु0 1368779.00 में से ग्राम प्रधान श्री मदन बहादुर सिंह से रु0684389.5 और पंचायत सचिव श्री संजय चौधरी से रु0684389.5 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।।

(5)मस्टररोल प्रस्तुत नहीं करना -

ग्राम पंचायत- ढेढ़ेमाउ का वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न कार्यों के सापेक्ष विभिन्न तिथियों में कुल रु0 208651.00 मजदूरी के रूप में धनराशि आहरित किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है

क्र० सं	कार्य का नाम	कार्य आईडी	मजदूरी पर व्यय की गई धनराशि
1	हैन्ड पंप मरम्मत	36965393	48000
2	हैन्ड पंप मरम्मत	36965094	14000
3	कब्रिस्तान बाउंड्री वाल	425234427	80561
4	कुढ़ा उठवाई	42656638	18000
5	सामुदायिक शौचालय	43573767	12000
6	कस्तूरबा गांधी स्कूल से दंगल मेला तक बाउंड्री वाल व गेट निर्माण	42427639	36090
	योग		208651

(6)उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 210 के अनुसार दैनिक मजदूरी पर कार्यरत मजदूरों की दैनिक उपस्थिति आदि के विवरण हेतु एक दैनिक उपस्थिति रजिस्टर रूप पत्र -22 पर तैयार किया जाएगा। लेखापरीक्षा में मस्टर रोल प्रस्तुत नहीं करने से उक्त व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी उ0प्र0पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए।

(7)कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करना -

ग्राम पंचायत- ढेढ़ेमाउ का वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में कुल रु01368779 आहरित किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य आईडी	व्यय की गई धनराशि
1	हैन्ड पंप मरम्मत	36965393	131975
2	हैन्ड पंप मरम्मत	36965094	86586
4	प्रशानिक व्यय	42412060	80135
5	कब्रिस्तान बाउंड्री वाल	425234427	175060
6	कुढ़ा उठवाई	42656638	85000
7	जग्गू के घर से तालाब तक इंटरलॉकिंग	435735812	24642
8	सामुदायिक शौचालय	43573767	624011
9	कस्तूरबा गांधी स्कूल से दंगल मेला तक बाउंड्री वाल व गेट निर्माण	42427639	161370
	योग		1368779

उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 209 के अनुसार कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य ग्राम प्रधान या उसके अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत के किसी सदस्य को जिसे ग्राम पंचायत नियुक्त करे वह जारी करता है।

वह यह प्रमाणित करता है की कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार पूर्ण हुआ है । यदि विचलन है तो उसका उल्लेख करेगा ।

लेखापरीक्षा में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार नहीं हुआ है। उ0प्र0पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए।

(8)व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया -

ग्राम पंचायत- ढेढ़ेमाउ का वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में कुल रु01368779 आहरित किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है

क्र०	कार्य का नाम	कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि

सं०					
1	हैन्ड पंप मरम्मत	36965393	यादव ट्रेडर्स	30.6.20	35803
			यादव ट्रेडर्स	02.07.20	18107
			सुरेन्द्र कुमार	04.07.20	24000
			सुरेन्द्र कुमार	04.07.20	12000
			यादव ट्रेडर्स	07.07.20	18290
			सुरेन्द्र कुमार	07.07.20	12000
			आस्था इंटरप्राइजेज	08.11.20	11775
2	हैन्ड पंप मरम्मत	36965094	यादव ट्रेडर्स	30-06-20	19928
			यादव ट्रेडर्स	30.6.20	24546
			राजबहादुर	4.07.20	14000
			यादव ट्रेडर्स	15.09.20	28112
3	प्रशानिक व्यय	42412060	मदन बहादुर सिंह	30.06.20	5000
			मो० खालिद	30.06.20	5400
			सुरेन्द्र साईकील स्टोर	08.07.20	19800
			आस्था इंटरप्राइजेज	15.11.20	34820
			आस्था इंटरप्राइजेज	18.03.21	8115
			गंगा स्वयं सहायता समूह	24.03.21	7000
4	कब्रिस्तान बाउंड्री वाल	425234427	पिन्नु ट्रेडर्स	30.06.20	79794
			पिन्नु ट्रेडर्स	2.07.20	14705
			विभिन्न मजदूरों को मजदूरी		80561
5	कुढ़ा उठवाई	42656638	पिन्नु ट्रेडर्स	15.09.20	36000
			राजकुमार	4.07.20	18000
			सचिन कॉन्स्ट्रक्सन	06.11.20	31000
6	जग्गू के घर से तालाब तक इंटरलॉकिंग	435735812	अनामिका इंटरप्राइजेज	29-06-20	24642
7	सामुदायिक शौचालय	43573767	चारु ब्रिक फील्ड	29-06-20	49285
			जनता ट्रेडर्स	29-06-20	156921
			जनता ट्रेडर्स	29-06-20	59246
			न्यू जनता ट्रेडर्स	14.10.20	47025
			न्यू जनता ट्रेडर्स	14.10.20	48972
			नवीन कुमार	16.10.20	6000
			विमल कुमार	16.10.20	6000
			आस्था इंटरप्राइजेज	20.10.20	86807
			गोपाल ईट उद्योग	06.11.20	10678
			शीतल इंटरप्राइजेज	19.03.21	78293
			शीतल इंटरप्राइजेज	19.03.21	59934
			शीतल इंटरप्राइजेज	19.03.21	14850
8	कस्तूरबा गांधी स्कूल से दंगल मेला तक बाउंड्री वाल व गेट निर्माण	42427639	अर्तिका ट्रेडर्स	15.10.20	46284
			पिन्नु ट्रेडर्स	15.10.20	52679

		अर्तिका ट्रेडर्स	28.10.20	15428
		पिन्टू ट्रेडर्स	28.10.20	10889
		राम कुमार		3015
		राम लखन		6000
		सुरेन्द्र कुमार		6000
		प्रिया सिंह		3015
		विमल		3015
		सुनीता		3015
		संजय		3015
		नवीन		3015
		आशीष		6000
	योग			1368779

क्रमांक 3 पर अंकित प्रशासनिक व्यय चतुर्थ वित्त आयोग की संस्तुति से प्राप्त धनराशि से किया गया जबकि शासनदेश संख्या 4/2019/125/33-1-2019-175 म0एस0 /2016 टी0 सी0 दिनांक 31.01.2019 के अनुसार आनुषांगिक व्यय की वार्षिक सीमा रु0 1740 तक व्यय किया जा सकता है। जबकि उक्तमद में रु 0 80135.00 व्यय किया गया । साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त व्यय किस प्रयोजन हेतु किया गया यह लेखा परीक्षा में अनुत्तरित रहा ।

क्रमांक-5 पर अंकित कुढ़ा उठवाई एवं सफाई मद में पिन्टू ट्रेडर्स व सचिन कॉन्सट्रक्शन को भुगतान किस प्रयोजन हेतु किया गया प्रश्न लेखा परीक्षा में अनुत्तरित रहा ।

क्रमांक -7 पर अंकित कार्य सामुदायिक शौचालय र 31-03-2021 तक किये गए कुल व्यय रु0 624011.00 में मजदूरी पर केवल रु0 12000.00 व्यय क्या गया है जो क्रय की गई सामग्री के सापेक्ष बहुत कम है इससे स्पष्ट है की आवश्यकता से अधिक सामग्री क्रय करके वित्तीय औचित्य के नियम का पालन नहीं किया गया । उक्त कार्य के सापेक्ष लेखापरीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया।जबकि ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8[क] के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से किया जाना चाहिए। उ0प्र0पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए। अतः व्यय की गई कुल धनराशि रु0 1368779.00 में से ग्राम प्रधान श्री मदन बहादुर सिंह व तत्कालीन प्रशासक -सहायक विकास अधिकारी (दिनांक 25-12-2020 से 31-03-2021)से रु0684389.5 और पंचायत सचिव श्री संजय चौधरी से रु0684389.50 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।।

ग्राम पंचायत -भदेसरमऊ विकास खंड -मलीहाबाद जनपद-लखनऊ वर्ष -2020-21

प्रस्तर संख्या-28

ग्राम पंचायत- भदेसरमऊ में वित्तीय वर्ष 2020-21 में विकास एवं अन्य कार्यों पर कुल रु0 743003.00 व्यय किया गया जिससे संबंधित निम्न लिखित आपत्तियाँ दर्शित हैं-

(1) सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित न करना-

ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 5 एवं शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-08-1586 दिनांक 23.09.08 के अनुसार रु0100000.00 से अधिक की सामग्री क्रय सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित करके किया जायेगा, निविदाएं आमंत्रित करने में वस्तु का नाम ,वस्तु की मात्रा, अनुमानित लागत,निविदाएं प्राप्त करने का समय एवं तिथि ,निविदाएं खोलने की तिथि एवं समय इत्यादि का उल्लेख किया जाएगा । इच्छुक ठेकेदार को निविदा के साथ धरोहर की धनराशि जमा करना है । निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली फर्म सामग्री की अधिकृत विक्रेता/निर्माता होना चाहिये एवं फर्म की वित्तीय स्थिति जानने के लिए उनसे इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना चाहिए ।पंचायत द्वारा उपरोक्त किसी प्रक्रिया का पालन नहीं करते हुए विभिन्न तिथियों में कुल रु 0634753.00 की सामग्री क्रय किया गया।

(2)नियम विरुद्ध स्ट्रीट लाईट स्थापित किया जाना -

33/2017/977/45-वि 2017 दिनांक 29 अगस्त 2017 के अनुसार सोलर लाईट का क्रय यूपी नेडा से ही किया जाएगा जिससे सोलर लाईट का मानक एवं गुणवत्ता सुनिश्चित रहे । परंतु ग्राम पंचायत द्वारा अवधेश इंटरप्राइजेज फर्म से रु0 75480.00 सोलर लाईट का क्रय किया गया जो यूपी नेडा से अधिकृत नहीं है इसलिए सोलर लाईट की गुणवत्ता एवं मानक की पुष्टि नहीं की जा सकती है । निदेशक पंचायतीराज उ0प्र0 के पत्रांक 04/175/2015-4/81/2015 दिनांक 20जून 2016 के प्रस्तर-3 के अनुसार ग्राम पंचायत प्रत्येक कार्य हेतु चरणबद्ध फोटो,माप पुस्तिका,कार्यपुर्ति प्रमाणपत्र इत्यादि संरक्षित रखेगा परन्तु लेखापरीक्षा में चरणबद्ध फोटो सहित कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया ।जिससे उक्त कार्य की पुष्टि नहीं किया जा सकता है

(3)नियम विरुद्ध हैडपंप मरम्मत /रिबोर करवाना -

ग्राम पंचायत-भदेसर मऊ का वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि हैडपंप मरम्मत पर रु0 130740.00 व्यय किया गया है-

क्र0 सं0	कार्य का नाम	कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
2	हैड पंप मरम्मत	36440714	मौर्या इन्जिनियरिंग	13-08-2020	70240
			मुरली (मजदूरी)	18-08-20	6500
6	हैड पंप मरम्मत	44887834	मौर्या इन्जिनियरिंग	14.10.20	6500
			मुरली (मजदूरी)	14-10-20	47500
	योग				130740

शासनादेश सं01138/अडतीस-5-56-सम/2010 दिनांक29जून2011के पस्तर-1 के अनुसार इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प स्थापना के बाद ग्रामपंचायत को रखरखाव हेतु हस्तान्तरित किया जायेगा प्रस्तर-2 के अनुसार हस्तान्तरित हैण्डपम्प ग्रामपंचायत के खुली बैठक में अनुमोदनोपरान्त परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा परन्तु लेखापरीक्षा में परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं करने यह स्पष्ट नहीं हो सका कि हैण्डपम्प हस्तान्तरित है या नहीं । हैडपंप मरम्मत का स्थलवार विवरण ,प्राक्कलन ,चरणबद्ध फोटो ,कार्यपुर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। उ0प्र0पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए। इस संबंध में स्पष्टीकरण आवश्यक है।

(4)पत्रावली प्रस्तुत नहीं -

कार्यों से संबंधित स्थलवार विवरण ,मानक,शासनदेश ,विभागीय परिपत्र ,पीडबल्यूडी द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र ,निर्देशो इत्यादि से लेखापरीक्षक अवगत नहीं हो सका निदेशक पंचायतीराज लखनउ उ0प्र0 के पत्रांक4/175/2015-4/81/2015 दिनांक 20जून 2016 के प्रस्तर-3 के अनुसार प्रत्येक कार्य हेतु ग्राम पंचायत चरणबद्ध फोटो अनिवार्य रूप से संरक्षित करेगा परन्तु लेखा परीक्षा में कोई फोटो प्रस्तुत नहीं किया गया इससे स्पष्ट नहीं हो सका कि कार्य वास्तविक है या नहीं ।

(5)माप पुस्तिका व प्राक्कलन न प्रस्तुत किया जाना-

ग्राम पंचायत- भदेसरमऊ का वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में विभिन्न कार्यों के सापेक्ष कुल रु0743003.00 आहरित किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है -

क्र0 सं	कार्य का नाम	कार्य आईडी	कुल व्यय
1	पंचायत ऑफिस में फर्नीचर	36441466	65500
2	हैड पंप मरम्मत	36440714	76740
3	प्रशासनिक व्यय	36439142	67575
4	कार्य का नाम अंकित नहीं	13501345	2500
5	कार्य का नाम अंकित नहीं	13501349	6500
6	हैड पंप मरम्मत	44887834	54000
7	सामुदायिक शौचालय	44992976	209858
8	सोलर लाईट	36439257	75480

9	सफाई कार्य	36441016	66750
10	कार्य का नाम अंकित नहीं	20397850	118100
	योग		743003

उ0प्र0पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152 एवं 154 के अनुसार सार्वजनिक कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन एवं मानचित्र ग्रामसभा से स्वीकृत होगा। अग्रेतर शासनदेश संख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के प्रस्तर 2(ब) तकनीकी परीक्षण 2 लाख तक ग्राम पंचायत, 2 से 2.5 लाख तक अवर अभियंता द्वारा तथा 2.5 लाख से ऊपर अभियंता जिला पंचायत द्वारा किया जाएगा। लेखा परीक्षा में उक्त कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन एवं मानचित्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

उ0प्र0पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 157 एवं समय-समय पर जारी निदेशक पंचायती राज के परिपत्रों एवं शासनादेशों के अनुसार बिना कार्य के माप-जोख के कोई भुगतान नहीं होगा। परन्तु लेखापरीक्षा में कार्य से सम्बन्धित मापपुस्तिका प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी।। उ0प्र0पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार दुरुपयोग की गयी कुल धनराशि रु 0774503 में से ग्राम प्रधान श्री दिनेश से रु0 387251.50 और पंचायत सचिव श्री तेज कुमार से रु0 387251.50 की वसूली क्यों न किया जाना अपेक्षित है।।

(6) मस्टर रोल प्रस्तुत नहीं करना -

ग्राम पंचायत- भदेसरमऊ का वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में विभिन्न कार्यों के सापेक्ष कुल रु0 108250.00 मजदूरी के रूप में भुगतान किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है -

क्र0 सं	कार्य का नाम	कार्य आईडी	कुल व्यय
1	हैंड पंप मरम्मत	36440714	6500
2	कार्य का नाम अंकित नहीं	13501345	2500
3	कार्य का नाम अंकित नहीं	13501349	6500
4	हैंड पंप मरम्मत	44887834	6500
5	सफाई कार्य	36441016	66750
6	कार्य का नाम अंकित नहीं	20397850	19500
	योग		108250

उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 210 के अनुसार दैनिक मजदूरी पर कार्यरत मजदूरों की दैनिक उपस्थिति आदि के विवरण हेतु एक दैनिक उपस्थिति रजिस्टर रूप पत्र -22 पर तैयार किया जाएगा। लेखापरीक्षा में मस्टर रोल प्रस्तुत नहीं करने से उक्त व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी उ0प्र0पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए।

(7) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करना -

ग्राम पंचायत- भदेसरमऊ का वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में विभिन्न कार्यों के सापेक्ष कुल रु0743003 आहरित किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है -

क्र0 सं	कार्य का नाम	कार्य आईडी	कुल व्यय
1	पंचायत ऑफिस में फर्नीचर	36441466	65500
2	हैंड पंप मरम्मत	36440714	76740
3	प्रशासनिक व्यय	36439142	67575
4	कार्य का नाम अंकित नहीं	13501345	2500

5	कार्य का नाम अंकित नहीं	13501349	6500
6	हैंड पंप मरम्मत	44887834	54000
7	सामुदायिक शौचालय	44992976	209858
8	सोलर लाईट	36439257	75480
9	सफाई कार्य	36441016	66750
10	कार्य का नाम अंकित नहीं	20397850	118100
	योग		743003

उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 209 के अनुसार कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य ग्राम प्रधान या उसके अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत के किसी सदस्य को जिसे ग्राम पंचायत नियुक्त करे वह जारी करता है

वह यह प्रमाणित करता है की कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार पूर्ण हुआ है। यदि विचलन है तो उसका उल्लेख करेगा।

लेखापरीक्षा में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार नहीं हुआ है। उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए। इस संबंध में स्पष्टीकरण आवश्यक है।

(8) व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया -

ग्राम पंचायत- भदेसरमऊ का वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में कुल रु0 743003 आहरित किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है -

क्र0 सं	कार्य का नाम	कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
1	पंचायत ऑफिस में फर्नीचर	36441466	अवधेश इंटरप्राइजेज	13-08-2020	65500
2	हैंड पंप मरम्मत	36440714	मौर्या इंजिनियरिंग	13-08-2020	70240
			मुरली (मजदूरी)	18-08-20	6500
3	प्रशासनिक व्यय	36439142	इंटरप्राइजेज	13-08-2020	30590
			अवधेश इंटरप्राइजेज	13-08-2020	29500
			अनंत फार्मा अवधेश	13-08-2020	4435
			दिशा लीगल सर्विस	30.11.20	3050
4	कार्य का नाम अंकित नहीं	13501345	मुरली (मजदूरी)	18-08-20	2500
5	कार्य का नाम अंकित नहीं	13501349	मुरली (मजदूरी)	18-08-20	6500
6	हैंड पंप मरम्मत	44887834	मौर्या इंजिनियरिंग	14.10.20	6500
			मुरली (मजदूरी)	14-10-20	47500
7	सामुदायिक शौचालय	44992976	गोलू इंटरप्राइजेज	28.10.20	98717
			गोलू इंटरप्राइजेज	06.11.20	111141
8	सोलर लाईट	36439257	अवधेश इंटरप्राइजेज	10.11.20	75480
9	सफाई कार्य	36441016	अवधेश इंटरप्राइजेज	05.12.20	35000
			अवधेश इंटरप्राइजेज	24.12.20	31750
10	कार्य का नाम अंकित नहीं	20397850	मौर्या इंजिनियरिंग	08.05.20	51650
			दिनेश	08.05.20	10500
			मौर्या इंजिनियरिंग	13.06.20	46950
			दिनेश	17.06.20	9000

	योग			743003

क्रमांक 4,5 व 10 पर अंकित कार्य वर्ष 2020-21 के ई ग्राम स्वराज वेबसाइट पर फ़िडेड मुख्य एवं पूरक कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है

क्रमांक 3 पर अंकित प्रशासनिक व्यय चतुर्थ वित्त आयोग की संस्तुति से प्राप्त धनराशि से किया गया जबकि शासनदेश संख्या 4/2019/125/33-1-2019-175 म0एस0 /2016 टी0 सी0 दिनांक 31.01.2019 के अनुसार आनुषांगिक व्यय की वार्षिक सीमा रु0 1740 तक व्यय किया जा सकता है। जबकि उक्त मद में रु 0 67575 व्यय किया गया। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त व्यय किस प्रयोजन हेतु किया गया यह लेखा परीक्षा में अनुत्तरित रहा।

क्रमांक 07 पर अंकित कार्य हेतु मात्र सामग्री क्रय किया गया है तथा चार माह तक किसी प्रकार की मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाना आपत्तिजनक है

क्रमांक 9 पर अंकित सफाई कार्य हेतु अवधेश इंटरप्राइजेज को भुगतान किया गया है जबकि सफाई कार्य से संबंधित चरणबद्ध फ़ोटो, मस्टररोल प्रार्थनापत्र इत्यादि लेखा परीक्षा में न प्रस्तुत किया जाना आपत्तिजनक है।

उक्त कार्य के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया। जबकि ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-

8[क] के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से किया जाना चाहिए। उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए। अतः कुल व्यय की गई धनराशि रु0 743003.00 में से ग्राम प्रधान श्री दिनेश व तत्कालीन प्रशासक -सहायक विकास अधिकारी (दिनांक 25-12-2020 से 31-03-2021) से रु0 371501.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री तेज कुमार से रु0 371501.50 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।।

ग्राम पंचायत - आदमपुर विकास खण्ड- माल जनपद - लखनऊ वर्ष -2020-21

प्रस्तर संख्या - 29

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आयव्ययक विवरण यथा कैशबुक-डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षाआ/0रि0/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 15.65 लाख से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख / प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु 15.65 लाख उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री सुधाकर सिंह तथा प्रधान श्री शिवपाल उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - अहिंडर विकास खण्ड- माल जनपद - लखनऊ वर्ष -2020-21

प्रस्तर संख्या - 30

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय व्ययक विवरण यथा कैशबुक-, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षाआ/0रि0/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में

संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 32.18 लाख से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख / प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु 32.18 लाख उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री ओमवीर सिंह तथा प्रधान श्रीमती लक्ष्मी सिंह उत्तरदायी हैं नियमानुसार इनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - अटारी विकास खण्ड- माल जनपद - लखनऊ वर्ष -2020-21

प्रस्तर संख्या - 31

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय व्ययक विवरण यथा कैशबुक-, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षाआ/0रि0/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 26.05 लाख से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख / प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु 26.05 लाख उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री सुनील कुमार सिंह तथा प्रधान श्रीमती जय देवी उत्तरदायी हैं नियमानुसार इनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - अऊमऊ विकास खण्ड- माल जनपद - लखनऊ वर्ष -2020-21

प्रस्तर संख्या - 32

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय व्ययक विवरण यथा कैशबुक-, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षाआ/0रि0/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 15.12 लाख से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख / प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु 15.12 लाख उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री सुधाकर सिंह तथा प्रधान श्री राम सिंह उत्तरदायी हैं । नियमानुसार इनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या - 33

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय व्ययक विवरण यथा कैशबुक-, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षाआ/0रि0/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 15.46 लाख से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख / प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु 15.46 लाख उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री पवन कुमार विमल तथा प्रधान श्रीमती राजरानी उत्तरदायी हैं । नियमानुसार इनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - आंटगढ़ी सौरा विकास खण्ड- माल जनपद - लखनऊ वर्ष -2020-21

प्रस्तर संख्या - 34

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय व्ययक विवरण यथा कैशबुक-, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षाआ/0रि0/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 32.74 लाख से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख / प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु 32.74 लाख उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री पवन कुमार वर्मा तथा प्रधान श्रीमती गीता उत्तरदायी हैं । नियमानुसार इनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - बड़खोरवा विकास खण्ड- माल जनपद - लखनऊ वर्ष -2020-21

प्रस्तर संख्या - 35

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय व्ययक विवरण यथा कैशबुक-, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षाआ/0रि0/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में

संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 22.94 लाख से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख / प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु 22.94 लाख उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री पवन कुमार विमल तथा प्रधान श्री मो० असद उत्तरदायी हैं । नियमानुसार इनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - बहिर विकास खण्ड- माल जनपद - लखनऊ वर्ष -2020-21

प्रस्तर संख्या - 36

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय व्ययक विवरण यथा कैशबुक-, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षाआ/०१०/०९-०९ दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 19.24 लाख से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख / प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु 19.24 लाख उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री अमित कुमार तथा प्रधान श्री अनीस उत्तरदायी हैं । नियमानुसार इनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - दनौर विकास खण्ड- माल जनपद - लखनऊ वर्ष -2020-21

प्रस्तर संख्या - 37

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय व्ययक विवरण यथा कैशबुक-, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षाआ/०१०/०९-०९ दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 19.80 लाख से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख / प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु 19.80 लाख उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री अमित कुमार तथा प्रधान श्री सुरेन्द्र सिंह उत्तरदायी हैं । नियमानुसार इनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - गहदों विकास खण्ड- माल जनपद - लखनऊ वर्ष -2020-21

प्रस्तर संख्या - 38

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय व्ययक विवरण यथा कैशबुक-, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षाआ/०१०/०९-०९ दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 34.85 लाख से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख / प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु 34.85 लाख उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री पवन कुमार विमल तथा प्रधान श्रीमती सुनीता देवी उत्तरदायी हैं | नियमानुसार इनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - गौरैया विकास खण्ड- माल जनपद - लखनऊ वर्ष -2020-21

प्रस्तर संख्या - 39

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय व्ययक विवरण यथा कैशबुक-, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षाआ/०१०/०९-०९ दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 15.44 लाख से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख / प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु 15.44 लाख उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री संतोष कुमार सिंह तथा प्रधान श्री शिव बालक उत्तरदायी हैं | नियमानुसार इनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - गोड़वा बरौकी विकास खण्ड- माल जनपद - लखनऊ वर्ष -2020-21

प्रस्तर संख्या - 40

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय व्ययक विवरण यथा कैशबुक-, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षाआ/०१०/०९-०९ दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में

संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 21.36 लाख से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख / प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु 21.36 लाख उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री ओमवीर सिंह तथा प्रधान श्री राम कुमार उत्तरदायी हैं । नियमानुसार इनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - गोपालपुर विकास खण्ड- माल जनपद - लखनऊ वर्ष -2020-21

प्रस्तर संख्या - 41

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय व्ययक विवरण यथा कैशबुक-, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षाआ/0रि0/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 38.35 लाख से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख / प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु 38.35 लाख उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री पंकज वर्मा तथा प्रधान श्रीमती रेखा उत्तरदायी हैं । नियमानुसार इनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - जमोलिया विकास खण्ड- माल जनपद - लखनऊ वर्ष -2020-21

प्रस्तर संख्या - 42

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय व्ययक विवरण यथा कैशबुक-, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षाआ/0रि0/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 20.67 लाख से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख / प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु 20.67 लाख उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में

अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री सत्यप्रकाश तथा प्रधान श्री सुल्तान अहमद उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - करैद विकास खण्ड- माल जनपद - लखनऊ वर्ष -2020-21

प्रस्तर संख्या - 43

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय व्ययक विवरण यथा कैशबुक-, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षाआ/०रि०/०९-०९ दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 42.76 लाख से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख / प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु 42.76 लाख उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री सत्यप्रकाश तथा प्रधान श्री राजेन्द्र उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - खण्डसरा विकास खण्ड- माल जनपद - लखनऊ वर्ष -2020-21

प्रस्तर संख्या - 44

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय व्ययक विवरण यथा कैशबुक-, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षाआ/०रि०/०९-०९ दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 46.98 लाख से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख / प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु 46.98 लाख उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री पवन कुमार विमल तथा प्रधान श्री इरफान उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - कोलवा भनौरा विकास खण्ड- माल जनपद - लखनऊ वर्ष -2020-21

प्रस्तर संख्या - 45

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय व्ययक विवरण यथा कैशबुक-, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षाआ/०रि०/०९-०९ दिनांक 15 जनवरी 2009 की

अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 20.89 लाख से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख / प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु 20.89 लाख उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री सुधाकर सिंह तथा प्रधान श्री सुन्दर लाल उत्तरदायी हैं । नियमानुसार इनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - लतीफपुर विकास खण्ड- माल जनपद - लखनऊ वर्ष -2020-21

प्रस्तर संख्या - 46

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय व्ययक विवरण यथा कैशबुक-, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षाआ/0रि0/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 6.75 लाख से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख / प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु 6.75 लाख उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री विवेक शर्मा तथा प्रधान श्रीमती श्वेता सिंह उत्तरदायी हैं । नियमानुसार इनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - मुड़ियारा विकास खण्ड- माल जनपद - लखनऊ वर्ष -2020-21

प्रस्तर संख्या - 47

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय व्ययक विवरण यथा कैशबुक-, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षाआ/0रि0/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 26.32 लाख से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख / प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु 26.32 लाख उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में

अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री सुनील कुमार सिंह तथा प्रधान श्रीमती रामदेई उत्तरदायी हैं | नियमानुसार इनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - पतौना विकास खण्ड- माल जनपद - लखनऊ वर्ष -2020-21

प्रस्तर संख्या - 48

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय व्ययक विवरण यथा कैशबुक-, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षाआ/0रि0/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 32.63 लाख से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख / प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु 32.63 लाख उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री पवन कुमार वर्मा तथा प्रधान श्री गंगाराम उत्तरदायी हैं | नियमानुसार इनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - रहटा विकास खण्ड- माल जनपद - लखनऊ वर्ष -2020-21

प्रस्तर संख्या - 49

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय व्ययक विवरण यथा कैशबुक-, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षाआ/0रि0/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 15.18 लाख से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख / प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु 15.18 लाख उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री उबैर सईद तथा प्रधान श्री प्रमोद कुमार उत्तरदायी हैं | नियमानुसार इनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - रूदानखेड़ा विकास खण्ड- माल जनपद - लखनऊ वर्ष -2020-21

प्रस्तर संख्या - 50

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय व्ययक विवरण यथा कैशबुक-, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षाआ/0रि0/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में

संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 13.41 लाख से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख / प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु 13.41 लाख उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री सुनील कुमार सिंह तथा प्रधान श्री राम कुमार उत्तरदायी हैं । नियमानुसार इनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - सालेहनगर विकास खण्ड- माल जनपद - लखनऊ वर्ष -2020-21

प्रस्तर संख्या - 51

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय व्ययक विवरण यथा कैशबुक-, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षाआ/0रि0/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 28.23 लाख से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख / प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु 28.23 लाख उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री सुधाकर सिंह तथा प्रधान श्रीमती शान्ति उत्तरदायी हैं । नियमानुसार इनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - सैबसी विकास खण्ड- माल जनपद - लखनऊ वर्ष -2020-21

प्रस्तर संख्या - 52

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय व्ययक विवरण यथा कैशबुक-, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षाआ/0रि0/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 15.77 लाख से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख / प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु 15.77 लाख उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री संतोष कुमार सिंह तथा प्रधान श्रीमती शिव दुलारी उत्तरदायी हैं । नियमानुसार इनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - सरथरा विकास खण्ड- माल जनपद - लखनऊ वर्ष -2020-21

प्रस्तर संख्या - 53

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय व्ययक विवरण यथा कैशबुक-, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षाआ/0रि0/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 18.26 लाख से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख / प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु 18.26 लाख उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री सतगुर प्रसाद तथा प्रधान श्री रहीस उत्तरदायी हैं | नियमानुसार इनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - ससपन विकास खण्ड- माल जनपद - लखनऊ वर्ष -2020-21

प्रस्तर संख्या - 54

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय व्ययक विवरण यथा कैशबुक-, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षाआ/0रि0/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 33.70 लाख से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख / प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु 33.70 लाख उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री सत्यप्रकाश तथा प्रधान श्रीमती मीरा उत्तरदायी हैं | नियमानुसार इनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -शाहमऊ नौबस्ता विकास खण्ड-माल जनपद -लखनऊ वर्ष -2020-21

प्रस्तर संख्या - 55

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय व्ययक विवरण यथा कैशबुक-, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षाआ/0रि0/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 15.68 लाख से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख / प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर

रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु 15.68 लाख उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री सतगुर प्रसाद तथा प्रधान श्रीमती विजयलक्ष्मी उत्तरदायी हैं | नियमानुसार इनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - शंकरपुर विकास खण्ड- माल जनपद - लखनऊ वर्ष -2020-21

प्रस्तर संख्या - 56

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय व्ययक विवरण यथा कैशबुक-, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षाआ/0रि0/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 34.51 लाख से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख / प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु 34.51 लाख उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री सुधाकर सिंह तथा प्रधान श्रीमती गीता देवी उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - सिसवारा विकास खण्ड- माल जनपद - लखनऊ वर्ष -2020-21

प्रस्तर संख्या - 57

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय व्ययक विवरण यथा कैशबुक-, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षाआ/0रि0/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 7.94 लाख से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख / प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु 7.94 लाख उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री पवन कुमार वर्मा तथा प्रधान श्रीमती मुन्नी उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - तिलन विकास खण्ड- माल जनपद - लखनऊ वर्ष -2020-21

प्रस्तर संख्या - 58

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय व्ययक विवरण यथा कैशबुक-, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षाआ/0रि0/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 13.21 लाख से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख / प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु 13.21 लाख उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री सत्यप्रकाश तथा प्रधान श्रीमती आयशा उत्तरदायी हैं । नियमानुसार इनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - उमरावल विकास खण्ड- माल जनपद - लखनऊ वर्ष -2020-21

प्रस्तर संख्या - 59

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय व्ययक विवरण यथा कैशबुक-, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षाआ/0रि0/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 32.39 लाख से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख / प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु 32.39 लाख उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री सत्यप्रकाश तथा प्रधान श्री रामगुलाम उत्तरदायी हैं । नियमानुसार इनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - पारा भदराही विकास खण्ड- माल जनपद - लखनऊ वर्ष -2020-21

प्रस्तर संख्या - 60

ग्राम पंचायत पारा भदराही के ग्राम निधि खाता प्रथम (राज्य वित्त तथा केंद्रीय वित्त) में वर्ष 2020-21 में किए गए व्यय से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के सुसंगत अभिलेख यथा वित्तीय स्वीकृति, एम° बी° , एस्टीमेट ,कार्ययोजना , कैश बुक , बैंक पासबुक , स्टॉक पंजिका , चल अचल संपत्ति पंजिका , उपभोग प्रमाण पत्र , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र , व्यय प्रमाणक , समेकित सार रजिस्टर ,कोटेशन / टेण्डर संबंधी पत्रावली ,क्रयादेश , मानदेय भुगतान संबंधी

पंजिका , विकास हेतु गठित समितियों संबंधी पत्रावली आदि महत्वपूर्ण अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए , जबकि अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु विभिन्न तिथियों में पत्राचार किया गया (पत्र की प्रति प्रतिवेदन के साथ संलग्न) । अभिलेखों के अभाव में ई ग्राम स्वराज वैबसाइट पर दर्शित व्यय रु **2051580.00** का व्यय अपुष्ट रहा । ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में प्राविधानित नियम के अनुसार व्यय धनराशि को अपहरण / गबन मानते हुए उक्त धनराशि में से आधी धनराशि रु 1025790.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कल्पना यादव तथा प्रशासक (दिनांक 25/12/20 से 31/03/21 तक स्वीकृत एवं भुगतानित व्यय हेतु) व आधी धनराशि रु 1025790.00 की वसूली पंचायत सचिव श्री ओमवीर सिंह से किया जाना अपेक्षित है । वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाना अपेक्षित है । वर्ष में किए गए व्यय का विवरण निम्नवत है -

क्र° सं°	दिनांक	भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि रु° में	
1	13/04/20	कल्पना यादव	21000	
2	13/04/2020	पी एस पारा इंटर इंटरलौकिंग	242,669	
		गोपाल ईट उद्योग		23,627
		साक्षी एंटरप्राइसेस		15,244
		श्री राम		16,810
		अशोक कुमार		6,733
		साक्षी एंटरप्राइसेस		85,759
		साक्षी एंटरप्राइसेस		42,116
		साक्षी एंटरप्राइसेस		39,936
		श्री राम	12,444	
3	27/05/2020	साक्षी एंटरप्राइसेस	38,758	
4	29/05/2020	नासिर टू छोटन इंटरलौकिंग	80,163	
	अशोक कुमार	6,804		
	साक्षी एंटरप्राइसेस	73,359		
5	29/05/2020	महादेव से शिवलाल हाउस नाली	29,763	
	श्री राम	13,622		
	साक्षी एंटरप्राइसेस	16,141		
6	29/05/2020	मोहनलाल हाउस से विनोद हाउस नाली	20,031	
	साक्षी एंटरप्राइसेस	18,239		
	अशोक कुमार	1,792		
7	24/06/2020	श्री राम	3,500	
8	25/06/2020	कल्पना यादव	7,000	
9	26/06/2020	अशोक कुमार 3,500	44,814	

		श्री राम 4,914 साक्षी एंटरप्राइसेस 36,400	
10	2/7/2020	श्री रामरती ट्रेडर्स	44,352
11	18/07/2020	साक्षी एंटरप्राइसेस	46,780
12	21/07/2020	साक्षी एंटरप्राइसेस	89,100
13	22/07/2020	शिवम कुमार लेबर	8,554
14	6/8/2020	शिवम कुमार	5,600
15	6/8/2020	शिवम कुमार	11,700
16		हैंडपम्प रिपेयर पेमेंट दयाराम ट्रेडर्स 68,839	
	22/08/2020	शिवम कुमार 8,550	77,389
17	6/9/2020	साक्षी एंटरप्राइसेस	74,793
18	11/9/2020	साक्षी एंटरप्राइसेस	88,334
19	17/09/2020	रामसनेही से शंकरी इंटरलॉकिंग बृजेन्द्र कुमार यादव	17,154
20		मटेरियल सी टी	
	20/09/2020	साक्षी एंटरप्राइसेस 24,800 साक्षी एंटरप्राइसेस 87,379 गोपाल ईट उद्योग 87,317	199,496
21	2/10/2020	साक्षी एंटरप्राइसेस	200,178
22		शंभू	
	12/10/2020	शिवम कुमार 3,150 बृजेन्द्र कुमार यादव 4,623 साक्षी एंटरप्राइसेस 22,952	30,725
23	13/10/2020	साक्षी एंटरप्राइसेस	96,129
24		नीरज 13,065 अविनेश कुमार 17,688 काशी प्रसाद 11,256 संतोष कुमार 5,628 राम प्रसाद 9,648 सुनील 11,256	68,541
25	23/11/2020	कल्पना यादव	17,500
26		काशी प्रसाद 16,281 सुनील 16,281 अविनेश कुमार 16,281	48,843
27		रिबोर वर्क	
	24/11/2020	श्री रामरती ट्रेडर्स 65,200 कृष्णा एंटरप्राइसेस 65,200	130,400
28	4/12/2020	कल्पना यादव	25,200

29		मजदूरी		
		राम चरण	10,500	
		बृजेन्द्र कुमार यादव	19,250	
	11/12/2020			29,750
30		दयाराम ट्रेडर्स	88,468	
	17/12/2020	श्री राम	9,775	98,243
31		श्री राम	9,775	
		साक्षी एंटरप्राइसेस	19,418	
	21/12/2020	दयाराम ट्रेडर्स	67,652	96,845
32	24/12/2020	श्री राम		7,350
33	24/12/2020	शिवम कुमार		2,100
34	24/12/2020	बाल गोविंद		30,884
35		बाल गोविंद	3,038	
	24/12/2020	साक्षी एंटरप्राइसेस	14,904	17,942
		योग		2051580.00

प्रस्तर संख्या - 61

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय व्ययक विवरण यथा कैशबुक-, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षाआ/0रि0/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 11.29 लाख से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख / प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है ऐसी स्थिति में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु 11.29 लाख उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री ओमवीर सिंह तथा प्रधान श्रीमती कल्पना यादव उत्तरदायी हैं। वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - सैदापुर विकास खण्ड- माल जनपद - लखनऊ वर्ष -2020-21

प्रस्तर संख्या - 62

ग्राम पंचायत सैदापुर के ग्राम निधि खाता प्रथम (राज्य वित्त तथा केंद्रीय वित्त) में वर्ष 2020-21 में किए गए व्यय से संबंधित किसी भी प्रकार के सुसंगत अभिलेख यथा वित्तीय स्वीकृति, एम° बी° , एस्टीमेट ,कार्ययोजना , कैश बुक , बैंक पासबुक , स्टॉक पंजिका , चल अचल संपत्ति पंजिका , उपभोग प्रमाण पत्र , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र , व्यय प्रमाणक , समेकित सार रजिस्टर ,कोटेशन / टेण्डर संबंधी पत्रावली ,क्रयादेश , मानदेय भुगतान संबंधी पंजिका , विकास हेतु गठित समितियों संबंधी पत्रावली आदि महत्वपूर्ण अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए , जबकि अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु विभिन्न तिथियों में पत्राचार किया गया (पत्र की प्रति प्रतिवेदन के साथ संलग्न)। अभिलेखों के अभाव में ई ग्राम स्वराज वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 1580822.00 का व्यय अपुष्ट रहा। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में प्राविधानित नियम के अनुसार व्यय धनराशि को अपहरण / गबन मानते हुए उक्त धनराशि में से आधी धनराशि रु 790411.00 की

वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शान्ति देवी तथा प्रशासक(दिनांक 25/12/20 से 31/03/21 तक स्वीकृत एवं भुगतानित व्यय हेतु)व आधी धनराशि रु 790411.00 की वसूली पंचायत सचिव श्री ऊबैर सईद से किया जाना अपेक्षित है । वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाना अपेक्षित है । वर्ष में किए गए व्यय का विवरण निम्नवत है -

क्र° सं°	दिनांक	भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि रु° में
1	28/07/2020	ह्यूम पाइप के लिए अंशु एंटरप्राइजेज	95,000
2	28/07/2020	ह्यूम पाइप के लिए अंशु एंटरप्राइजेज	95,000
3	28/07/2020	कृष्णा इंटरप्राइजेज रीबोर हैंडपंप	19,000
4	28/07/2020	कृष्णा इंटरप्राइजेज-लेबर भुगतान इंटरलॉकिंग	19,800
5	28/07/2020	हैंडपंप रिबोर में मिस्त्री भुगतान- मोनजिम	31,500
6	31/07/2020	ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाइट परचेस-श्री रामरती ट्रेडर्स	33,241
7	1/8/2020	फॉर्गिंग मशीन परचेस श्री रामरती ट्रेडर्स	44,352
8	2/8/2020	छिडकाव जी पी में - मोनजिम	25,000
9	7/8/2020	ग्राम पंचायत मे प्रशासनिक कार्य- श्री रामरती ट्रेडर्स	19,500
10	7/8/2020	ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाइट परचेस-श्री रामरती ट्रेडर्स	30,684
11	8/8/2020	ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाइट रिपेयर -श्री रामरती ट्रेडर्स	76,710
12	24/08/2020	ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाइट परचेस-श्री रामरती ट्रेडर्स	48,097
13	21/09/2020	राज ट्रेडर्स	94,690
14	21/09/2020	राज ट्रेडर्स	54,690
15	21/09/2020	मोनजिम – लेबर पेमेंट	40,000
16	21/09/2020	कृष्ण एंटरप्राइजेस	85,000
17	8/10/2020	श्री रामरती ट्रेडर्स	40,000
18	8/10/2020	श्री रामरती ट्रेडर्स	20,000
19	10/10/2020	मोनजिम	20,000
20	28/10/2020	अरुण राजपूत मेटेरियल भुगतान	33,000
21	28/10/2020	अरुण राजपूत मेटेरियल भुगतान	26,000
22	28/10/2020	अरुण राजपूत मेटेरियल भुगतान	18,600
23	28/10/2020	अरुण राजपूत मेटेरियल भुगतान	22,400
24	28/10/2020	अरुण राजपूत मेटेरियल भुगतान	50,000
25	11/11/20	अरुण राजपूत	46500
26	1/12/2020	राज ट्रेडर्स – फॉर पाइप	40,000
27	1/12/2020	राज ट्रेडर्स	30,000
28	1/12/2020	राज ट्रेडर्स	30,000
29	1/12/2020	अरुण राजपूत मेटेरियल भुगतान	10,500
30	1/12/2020	अरुण राजपूत मेटेरियल भुगतान	10,500
31	1/12/2020	अरुण राजपूत मेटेरियल भुगतान	14,500
32	1/12/2020	अरुण राजपूत मेटेरियल भुगतान	14,500
33	1/12/2020	अरुण राजपूत मेटेरियल भुगतान	10,500
34	1/12/2020	अरुण राजपूत मेटेरियल भुगतान	12,600
35	1/12/2020	अरुण राजपूत मिट्टी क्रय	6,500
36	1/12/2020	अरुण राजपूत मिट्टी क्रय	6,500
37	1/12/2020	गोलू ट्रेडर्स-पेमेंट लेबर	15,000
38	1/12/2020	गोलू ट्रेडर्स-पेमेंट लेबर	15,000

39	1/12/2020	अरुण राजपूत पेमेंट लेबर	15,000
40	1/12/2020	अरुण राजपूत पेमेंट लेबर	15,000
41	1/12/2020	अरुण राजपूत मेटेरियल भुगतान	10,500
42	18/12/2020	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य के लिए श्री रामरती ट्रेडर्स को भुगतान	70,000
43	24/12/2020	एवरीडे समाचार	4,200
44	24/12/2020	दिशा लीगल सर्विस	3,050
45	24/12/2020	दिशा लीगल सर्विस	1,708
46	24/12/2020	अरुण राजपूत	31,500
47	24/12/2020	देव एंटरप्राइजेस	50,000
48	24/12/2020	अरुण राजपूत	50,000
49	24/12/2020	मोनजिम	55,000
50	24/12/2020	कृष्णा इंटरप्राइजेज	50,000
51	24/12/2020	कृष्णा इंटरप्राइजेज	50,000
52	रिजेक्टेड 13/12/2020	अतिरिक्त भुगतान की वापसी 15 एफसी /2020-21 / आर /06	(-)15000.00
53	रिजेक्टेड 15/12/2020	अतिरिक्त भुगतान की वापसी 15 एफसी /2020-21 / आर /08 अतिरिक्त भुगतान की वापसी	(-)15000.00
54	रिजेक्टेड 25/12/2020	अतिरिक्त भुगतान की वापसी 15 एफसी /2020-21 / आर / 12	(-)50000.00
55	28/03/21	अंशू इंटरप्राइजेज	220000
56	रिजेक्टेड 31/03/2020	अतिरिक्त भुगतान की वापसी 15 एफसी /2020-21 / आर / 14	(-)50000.00
57	रिजेक्टेड 31/03/2020	अतिरिक्त भुगतान की वापसी 15 एफसी /2020-21 / आर / 15	(-)220000.00
		योग	1580822.00

प्रस्तर संख्या - 63

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय व्ययक विवरण यथा कैशबुक-, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षाआ/0रि0/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 22.60 लाख से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख / प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है ऐसी स्थिति में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु 22.60 लाख उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री ऊबैर सईद तथा प्रधान श्रीमती शान्ति देवी उत्तरदायी हैं। वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - थरी विकास खण्ड- माल जनपद - लखनऊ वर्ष -2020-21

प्रस्तर संख्या - 64

ग्राम पंचायत थरी के ग्राम निधि खाता प्रथम (राज्य वित्त तथा केंद्रीय वित्त) में वर्ष 2020-21 में किए गए व्यय से संबंधित किसी भी प्रकार के सुसंगत अभिलेख यथा वित्तीय स्वीकृति, एम° बी° , एस्टीमेट ,कार्ययोजना , कैश बुक , बैंक पासबुक , स्टॉक पंजिका , चल अचल संपत्ति पंजिका , उपभोग प्रमाण पत्र , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ,

व्यय प्रमाणक , समेकित सार रजिस्टर ,कोटेशन / टेण्डर संबंधी पत्रावली ,क्रयादेश , मानदेय भुगतान संबंधी पंजिका , विकास हेतु गठित समितियों संबंधी पत्रावली आदि महत्वपूर्ण अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए , जबकि अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु विभिन्न तिथियों में पत्राचार किया गया (पत्र की प्रति प्रतिवेदन के साथ संलग्न) । अभिलेखों के अभाव में ई ग्राम स्वराज वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु **4143360.00** का व्यय अपुष्ट रहा । ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में प्राविधानित नियम के अनुसार व्यय धनराशि को अपहरण / गबन मानते हुए उक्त धनराशि में से आधी धनराशि रु 2071680.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अनीशा तथा प्रशासक (दिनांक 25/12/20 से 31/03/21 तक स्वीकृत एवं भुगतानित व्यय हेतु) व आधी धनराशि रु 2071680.00 की वसूली पंचायत सचिव श्री ओमवीर सिंह से किया जाना अपेक्षित है । वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाना अपेक्षित है । वर्ष में किए गए व्यय का विवरण निम्नवत है -

क्र° सं°	दिनांक	भुगतान प्राप्तकर्ता		धनराशि रु° में
1	06/04/20	शान मोहम्मद	10,952	240174.00
		रहमत ट्रेडर्स	16,262	
		शान मोहम्मद	30,018	
		रहमत ट्रेडर्स	53,009	
		श्री राम	20,194	
		शान मोहम्मद	42,800	
		रहमत ट्रेडर्स	65,939	
		निर्भय मिश्रा	1,000	
2	17/04/20	खड़ंजा मरम्मत		93410.00
अनंत ब्रिक फील्ड		75,429		
श्री राम		17,981		
3	29/05/20	शान मोहम्मद		28672.00
4	16/06/2020	रहमत ट्रेडर्स		8444
5	16/06/2020	शान मोहम्मद		5000
6	24/06/2020	नौशाद अली		17712
7	10/8/2020	हैंडपम्प रिपेयर पेमेंट		97358
		श्री राम	9,775	
		रहमत ट्रेडर्स	87,583	
8	17/08/2020	हैंडपम्प मरम्मत वर्क		131720
		रहमत ट्रेडर्स	59,095	
		मौर्या एंटरप्राइसेस	59,400	
		शिवम कुमार	13,225	
9	17/09/2020	नवी से नादिर हाउस इंटरलॉकिंग	18,656	117655
		साक्षी एंटरप्राइसेस		
		रहमत ट्रेडर्स	61,287	
		रहमत ट्रेडर्स	22,665	
10	17/09/2020	नौशाद अली	15,047	65789
		निर्मल हाउस से डामर रोड	53,199	
		नाली रहमत ट्रेडर्स		
11	21/09/2020	गुड्डू	12,590	102427
		शकील से सुलेमान इंटरलॉकिंग	10,448	

		साक्षी एंटरप्राइसेस		
		रहमत ट्रेडर्स	78,637	
		शान मोहम्मद	13,342	
12	21/09/2020	श्री राम	5,000	
		शिवम कुमार	3,000	8000
13	21/09/2020	साक्षी एंटरप्राइसेस		64000
14	27/09/2020	प्रशासनिक कार्य -अनीशा		11500
15	27/09/2020	साक्षी एंटरप्राइसेस		63360
16	30/09/2020	रहमत ट्रेडर्स	47,520	
		साक्षी एंटरप्राइसेस	15,840	63360
17	7/10/2020	रहमत ट्रेडर्स	83,160	
		रहमत ट्रेडर्स	83,160	
		शान मोहम्मद	23,718	
		नौशाद अली	12,950	
		रहमत ट्रेडर्स	82,051	
		रहमत ट्रेडर्स	65,226	
		साक्षी एंटरप्राइसेस	67,303	417568
18	7/10/2020	रहमत ट्रेडर्स	73,180	
		रहमत ट्रेडर्स	83,160	
		गुड्डू	16,800	
		बरकत उल्ला	29,145	
		रहमत ट्रेडर्स	83,160	
		रहमत ट्रेडर्स	62,646	
		रहमत ट्रेडर्स	95,748	443839
19	7/10/2020	रीबोर भुगतान		
		रहमत ट्रेडर्स	65,082	
		रहमत ट्रेडर्स	97,623	
		रहमत ट्रेडर्स	65,082	227787
20	14/10/2020	रहमत ट्रेडर्स	46,927	
		मोहनलाल	26,733	
		साक्षी एंटरप्राइसेस	28,843	
		सनवास	15,400	
		रहमत ट्रेडर्स	83,160	
		रहमत ट्रेडर्स	95,803	
		रहमत ट्रेडर्स	83,160	
		रहमत ट्रेडर्स	64,310	444336
21	14/10/2020	सनवास	12,950	
		रहमत ट्रेडर्स	42,029	
		रहमत ट्रेडर्स	57,994	
		मोहनलाल	22,110	
		रहमत ट्रेडर्स	84,435	
		रहमत ट्रेडर्स	23,160	242678
22	14/10/2020	रहमत ट्रेडर्स	77,460	479947

		साक्षी एंटरप्राइसेस	44,331	
		रहमत ट्रेडर्स	54,758	
		गुड्डू	31,155	
		रहमत ट्रेडर्स	83,160	
		रहमत ट्रेडर्स	83,160	
		रहमत ट्रेडर्स	87,373	
		बरकत उल्ला	18,550	
23	रिजेक्टेड 08/10/20	अतिरिक्त भुगतान की वापसी		(-)63360
24	रिजेक्टेड 08/10/20	अतिरिक्त भुगतान की वापसी		(-)47520
25	रिजेक्टेड 08/10/20	अतिरिक्त भुगतान की वापसी		(-)15840
26	5/11/2020	साक्षी एंटरप्राइसेस	24,552	399326
		रहमत ट्रेडर्स	87,317	
		रहमत ट्रेडर्स	39,797	
		रहमत ट्रेडर्स	87,379	
		रहमत ट्रेडर्स	80,586	
		रहमत ट्रेडर्स	79,695	
27	9/11/2020	साक्षी एंटरप्राइसेस	31,680	221760
		रहमत ट्रेडर्स	95,040	
		रहमत ट्रेडर्स	95,040	
28	9/11/2020	मोहनलाल	8,625	246258
		मोहनलाल	16,100	
		रहमत ट्रेडर्स	72,127	
		रहमत ट्रेडर्स	77,279	
		रहमत ट्रेडर्स	72,127	
29	25/03/21	अनीषा- मानदेय		28000
		योग		4143360.00

प्रस्तर संख्या - 65

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय व्ययक विवरण यथा कैशबुक-, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षाआ/0रि0/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 33.76 लाख से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख / प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है ऐसी स्थिति में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु 33.76 लाख उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री ओमवीर सिंह तथा प्रधान श्रीमती अनीशा उत्तरदायी हैं। वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - माल विकास खण्ड- माल जनपद - लखनऊ वर्ष -2020-21

प्रस्तर संख्या - 66

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय व्ययक विवरण यथा कैशबुक-, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षाआ/0रि0/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 29.44 लाख से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख / प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु 29.44 लाख उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री सतगुर प्रसाद तथा प्रधान श्रीमती गायत्री सिंह उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - बहरौरा विकास खण्ड- माल जनपद - लखनऊ वर्ष -2020-21

प्रस्तर संख्या - 67

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय व्ययक विवरण यथा कैशबुक-, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षाआ/0रि0/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 39.24 लाख से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख / प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु 39.24 लाख उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे । जिस हेतु सचिव श्री अरुण गुप्ता तथा प्रधान श्री मनोज कुमार सिंह उत्तरदायी हैं । आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - अकबरपुर विकास खण्ड- माल जनपद - लखनऊ वर्ष -2020-21

प्रस्तर संख्या - 68

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय व्ययक विवरण यथा कैशबुक-, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षाआ/0रि0/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 10.83 लाख से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख / प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर

रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु 10.83 लाख उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री रवि कुमार तिवारी तथा प्रधान श्रीमती राम दुलारी उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - बदैया विकास खण्ड- माल जनपद - लखनऊ वर्ष -2020-21

प्रस्तर संख्या - 69

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय व्ययक विवरण यथा कैशबुक-, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षाआ/0रि0/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 30.88 लाख से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख / प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु 30.88 लाख उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे । जिस हेतु सचिव श्री आलोक सक्सेना तथा प्रधान श्रीमती रोली उत्तरदायी हैं । आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - बसंतपुर विकास खण्ड- माल जनपद - लखनऊ वर्ष -2020-21

प्रस्तर संख्या - 70

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय व्ययक विवरण यथा कैशबुक-, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षाआ/0रि0/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 35.32 लाख से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख / प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु 35.32 लाख उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री सुनील कुमार सिंह तथा प्रधान श्री राजवीर सिंह उत्तरदायी हैं । आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - भानपुर विकास खण्ड- माल जनपद - लखनऊ वर्ष -2020-21

प्रस्तर संख्या - 71

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय व्ययक विवरण यथा कैशबुक-, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षाआ/0रि0/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 1.90 लाख से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख / प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु 1.90 लाख उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे | जिस हेतु सचिव श्री विवेक शर्मा तथा प्रधान श्री अमृतलाल उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - चंदवारा विकास खण्ड- माल जनपद - लखनऊ वर्ष -2020-21

प्रस्तर संख्या - 72

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय व्ययक विवरण यथा कैशबुक-, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षाआ/0रि0/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 13.75 लाख से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख / प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु 13.75 लाख उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री अमित कुमार तथा प्रधान श्री बेचालाल उत्तरदायी हैं | आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - देवरी भारत विकास खण्ड- माल जनपद - लखनऊ वर्ष -2020-21

प्रस्तर संख्या - 73

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय व्ययक विवरण यथा कैशबुक-, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षाआ/0रि0/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की

अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 6.18 लाख से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख / प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु 6.18 लाख उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री राजेन्द्र कुमार तथा प्रधान श्री विनोद उत्तरदायी हैं । आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - देवरी गजा विकास खण्ड- माल जनपद - लखनऊ वर्ष -2020-21

प्रस्तर संख्या - 74

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय व्ययक विवरण यथा कैशबुक-, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षाआ/०१०/०९-०९ दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 47.00 लाख से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख / प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु 47.00 लाख उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री विवेक शर्मा तथा प्रधान श्री मनोज सिंह उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - ढकवा विकास खण्ड- माल जनपद - लखनऊ वर्ष -2020-21

प्रस्तर संख्या - 75

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय व्ययक विवरण यथा कैशबुक-, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षाआ/०१०/०९-०९ दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 15.28 लाख से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख/ प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग

उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु 15.28 लाख उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री पंकज कुमार वर्मा तथा प्रधान श्री बराती उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - गुमसेना विकास खण्ड- माल जनपद - लखनऊ वर्ष -2020-21

प्रस्तर संख्या - 76

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय व्ययक विवरण यथा कैशबुक-, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षाआ/0रि0/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 22.48 लाख से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख / प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु 22.48 लाख उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री राजेन्द्र कुमार तथा प्रधान श्री जोगराज उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -हसनापुर विकास खण्ड- माल जनपद - लखनऊ वर्ष -2020-21

प्रस्तर संख्या - 77

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय व्ययक विवरण यथा कैशबुक-, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षाआ/0रि0/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 67.47 लाख से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख / प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु 67.47 लाख उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री विवेक शर्मा तथा प्रधान श्री इकबाल उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -जिंदाना विकास खण्ड- माल जनपद - लखनऊ वर्ष -2020-21

प्रस्तर संख्या - 78

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय व्ययक विवरण यथा कैशबुक-, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षाआ/0रि0/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 18.59 लाख से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख / प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु 18.59 लाख उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री रवि कुमार तिवारी तथा प्रधान श्री लल्लू उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -कमालपुर लोधीरा विकास खण्ड-माल जनपद - लखनऊ वर्ष -2020-21

प्रस्तर संख्या - 79

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय व्ययक विवरण यथा कैशबुक-, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षाआ/0रि0/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 33.78 लाख से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख / प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु 33.78 लाख उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री अरुण गुप्ता तथा प्रधान श्री वेद प्रकाश उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - मड़वाना विकास खण्ड- माल जनपद - लखनऊ वर्ष -2020-21

प्रस्तर संख्या - 80

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय व्ययक विवरण यथा कैशबुक-, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षाआ/0रि0/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 25.34 लाख से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख / प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर

रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु 25.34 लाख उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री आलोक सक्सेना तथा प्रधान श्रीमती सुशीला सिंह उत्तरदायी हैं | आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -मझौवा विकास खण्ड-माल जनपद - लखनऊ वर्ष -2020-21

प्रस्तर संख्या - 81

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय व्ययक विवरण यथा कैशबुक-, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षाआ/0रि0/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 16.62 लाख से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख / प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु 16.62 लाख उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री राजेंद्र कुमार तथा प्रधान श्री शिवबालक उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -मंझी निकरोजपुर विकास खण्ड-माल जनपद - लखनऊ वर्ष -2020-21

प्रस्तर संख्या - 82

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय व्ययक विवरण यथा कैशबुक-, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षाआ/0रि0/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 7.65 लाख से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख / प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है, ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु 7.65 लाख उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री आलोक सक्सेना तथा प्रधान श्रीमती पुष्पा सिंह उत्तरदायी हैं | आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - मसीढ़ा हमीर विकास खण्ड- माल जनपद - लखनऊ वर्ष -2020-21

प्रस्तर संख्या - 83

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय व्ययक विवरण यथा कैशबुक-, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षाआ/०१०/०९-०९ दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 43.71 लाख से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख / प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है, ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु 43.71 लाख उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री पंकज कुमार वर्मा तथा प्रधान श्री श्रीकृष्ण उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -मसीढ़ा रतन विकास खण्ड- माल जनपद - लखनऊ वर्ष-2020-21

प्रस्तर संख्या - 84

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय व्ययक विवरण यथा कैशबुक-, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षाआ/०१०/०९-०९ दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 20.15 लाख से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख / प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है, ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु 20.15 लाख उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री अमित कुमार तथा प्रधान श्री हरद्वार प्रसाद उत्तरदायी हैं । आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - मवईखुर्द विकास खण्ड- माल जनपद - लखनऊ वर्ष -2020-21

प्रस्तर संख्या - 85

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय व्ययक विवरण यथा कैशबुक-, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षाआ/०१०/०९-०९ दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 24.06 लाख से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख / प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका,

रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है, ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु 24.06 लाख उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री रवि कुमार तिवारी तथा प्रधान श्री छोटेलाल उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -नई बस्ती भितौरा विकास खण्ड-माल जनपद -लखनऊ वर्ष -2020-21

प्रस्तर संख्या - 86

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय व्ययक विवरण यथा कैशबुक-, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षाआ/0रि0/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 14.37 लाख से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख / प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है, ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु 14.37 लाख उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री संतोष कुमार सिंह तथा प्रधान श्रीमती रामदुलारी उत्तरदायी हैं । आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -पकरा बाज़ार गाँव विकास खण्ड-माल जनपद -लखनऊ वर्ष -2020-21

प्रस्तर संख्या - 87

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय व्ययक विवरण यथा-कैश बुक , डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षाआ/0रि0/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 09.15 लाख से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख / प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है, ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु 09.15 लाख उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री संतोष कुमार सिंह तथा प्रधान श्रीमती रामकुमारी उत्तरदायी हैं । आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -पिपरी कुराखर विकास खण्ड-माल जनपद - लखनऊ वर्ष -2020-21

प्रस्तर संख्या - 88

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय व्ययक विवरण यथा कैशबुक-, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षाआ/0रि0/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 27.42 लाख से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख / प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है, ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु 27.42 लाख उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री आलोक सक्सेना तथा प्रधान श्री सुंदरलाल वर्मा उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -रायपुर विकास खण्ड- माल जनपद - लखनऊ वर्ष -2020-21

प्रस्तर संख्या - 89

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय व्ययक विवरण यथा कैशबुक-, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षाआ/0रि0/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 14.38 लाख से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख / प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है, ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु 14.38 लाख उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री रवि कुमार तिवारी तथा प्रधान श्री सियाराम उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -रामनगर विकास खण्ड- माल जनपद - लखनऊ वर्ष -2020-21

प्रस्तर संख्या - 90

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय व्ययक विवरण यथा कैशबुक-, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षाआ/0रि0/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 16.19 लाख से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख /

प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है, ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु 16.19 लाख उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री पवन कुमार वर्मा तथा प्रधान श्री बैजनाथ उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -रनिपारा विकास खण्ड- माल जनपद - लखनऊ वर्ष -2020-21

प्रस्तर संख्या - 91

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय व्ययक विवरण यथा कैशबुक-, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षाआ/0रि0/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 10.19 लाख से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख / प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है, ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु 10.19 लाख उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री संतोष कुमार सिंह तथा प्रधान श्रीमती पुष्पा देवी उत्तरदायी हैं । आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -शाहपुर गोडवा विकास खण्ड-माल जनपद - लखनऊ वर्ष-2020-21

प्रस्तर संख्या - 92

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय व्ययक विवरण यथा कैशबुक-, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षाआ/0रि0/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 16.66 लाख से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख / प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है, ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु 16.66 लाख उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में

अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता तथा प्रधान श्रीमती पूनम उत्तरदायी हैं | आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -टिकरीकला विकास खण्ड- माल जनपद - लखनऊ वर्ष -2020-21

प्रस्तर संख्या - 93

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय व्ययक विवरण यथा कैशबुक-, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षाआ/०१०/०९-०९ दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 14.89 लाख से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख / प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है, ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु 14.89 लाख उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री आलोक सक्सेना तथा प्रधान श्री रामकिशोर उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - वीरपुर विकास खण्ड- माल जनपद - लखनऊ वर्ष -2020-21

प्रस्तर संख्या - 94

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय व्ययक विवरण यथा कैशबुक-, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षाआ/०१०/०९-०९ दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 25.10 लाख से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख / प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है, ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु 25.10 लाख उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता तथा प्रधान श्री विनोद कुमार उत्तरदायी हैं | आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - अमलौली विकास खण्ड- माल जनपद - लखनऊ वर्ष -2020-21

प्रस्तर संख्या - 95

ग्राम पंचायत अमलौली के ग्राम निधि खाता प्रथम (राज्य वित्त तथा केंद्रीय वित्त) में वर्ष 2020-21 में किए गए व्यय से संबंधित किसी भी प्रकार के सुसंगत अभिलेख यथा वित्तीय स्वीकृति, एम° बी° , एस्टीमेट ,कार्ययोजना , कैश बुक , बैंक पासबुक , स्टॉक पंजिका , चल अचल संपत्ति पंजिका , उपभोग प्रमाण पत्र , कार्यपूति प्रमाण पत्र , व्यय प्रमाणक , समेकित सार रजिस्टर ,कोटेशन / टेण्डर संबंधी पत्रावली ,क्रयादेश , मानदेय भुगतान संबंधी

पंजिका , विकास हेतु गठित समितियों संबंधी पत्रावली आदि महत्वपूर्ण अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए , जबकि अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु विभिन्न तिथियों में पत्राचार किया गया (पत्र की प्रति प्रतिवेदन के साथ संलग्न) । अभिलेखों के अभाव में ई ग्राम स्वराज वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 2814496.00 का व्यय अपुष्ट रहा । ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में प्राविधानित नियम के अनुसार व्यय धनराशि को अपहरण / गबन मानते हुए उक्त धनराशि में से आधी धनराशि रु 1407248.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रमा सिंह तथा प्रशासक (दिनांक 25/12/20 से 31/03/21 तक स्वीकृत एवं भुगतानित व्यय हेतु) व आधी धनराशि रु 1407248.00 की वसूली पंचायत सचिव श्री सतगुर प्रसाद से किया जाना अपेक्षित है । वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाना अपेक्षित है । वर्ष में किए गए व्यय का विवरण निम्नवत है -

क्र° सं°	दिनांक	भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि रु° में
1	26/05/20	मोहित सिंह को हैंडपम्प मरम्मत के लिए भुगतान किया मोहित सिंह	120000.00
2	26/05/20	अमलौली में तालाब सफाई कार्य के लिए मोहित सिंह को भुगतान- मोहित सिंह	20000.00
3	22/07/2020	हैंडपम्प रीबोर वर्क के लिए बीआर एंटरप्राइजेज को भुगतान	234,710
4	22/07/2020	श्रमिक को भुगतान हैंडपम्प रिबोर कार्य के लिए मोहित सिंह	7,638
5	29/07/2020	तालाब सफाई कार्य के लिए जेसीबी चालक को भुगतान - मोहित सिंह	80,000
6	29/07/2020	मिट्टी पटाई कार्य के लिए ट्रैक्टर चालक को भुगतान मोहित सिंह	60,000
7	4/8/2020	मिट्टी पटाई कार्य के लिए श्रमिकों को भुगतान-धीरेंद्र कुमाई रावत	48,000
8	4/8/2020	मिट्टी पटाई कार्य के लिए श्रमिकों को भुगतान- मोहित सिंह स#47ओ विश्वेश्वर सिंह-	10,050
9	4/8/2020	तालाब सफाई कार्य के लिए जेसीबी चालक को भुगतान - मोहित सिंह एस	80,000
10	8/8/2020	पिट्ट हाउस से तालाब - नाली निर्माण कार्य के लिए मजदूरों को भुगतान-- मोहित सिंह	27,294
11	8/8/2020	अनुज ट्रेडर्स को नाली निर्माण कार्य सीताराम हाउस से जीवन हाउस के लिए भुगतान	20,290
12	8/8/2020	अनुज ट्रेडर्स को नाली निर्माण कार्य सीताराम हाउस से जीवन हाउस के लिए भुगतान	31,601
13	8/8/2020	नाली निर्माण कार्य के लिए श्रमिकों को भुगतान सीताराम हाउस से जीवन हाउस- मोहित सिंह	18,554

14	8/8/2020	नाली निर्माण कार्य पिंटू हाउस से तालाब के लिए अनुज ट्रेडर्स को भुगतान	9,537
15	8/8/2020	नाली निर्माण कार्य पिंटू हाउस से तालाब के लिए अनुज ट्रेडर्स को भुगतान	16,988
16	8/8/2020	पिंटू हाउस से तालाब - नाली निर्माण कार्य पिंटू हाउस के लिए मजदूरों को भुगतान- मोहित सिंह	9,024
17	8/8/2020	अनुज ट्रेडर्स को खड़जा निर्माण कार्य बाबू हाउस से सुनील हाउस के लिए भुगतान	116,424
18	11/8/2020	तालाब सफाई कार्य के लिए मजदूरों को भुगतान- धीरेंद्र कुमाई रावत	29,547
19	11/8/2020	राम सिंह मोहित सिंह	14,000
20	11/8/2020	किशन कल्याण केंद्र को सेनेटाइजर कार्य के लिए भुगतान	29,132
21	11/8/2020	हैंडपंप मरम्मत कार्य के लिए बीआर एंटरप्राइजेस को भुगतान	173,250
22	11/8/2020	हंदपुर मरम्मत कार्य के लिए मजदूरों को भुगतान- मोहित सिंह	19,100
23	3/9/2020	विनायक टाइल्स को ह्यूम पाइप खरीद और फिटिंग कार्य के लिए भुगतान किया गया	116,462
24	8/9/2020	फर्नीचर खरीद के लिए किसान कल्याण केंद्र को भुगतान	20,000
25	8/9/2020	मजदूर सफाई और सैनिटाइजर के काम का भुगतान- मोहित सिंह	20,000
26	16/09/2020	श्री रामरती ट्रेडर्स को स्ट्रीट लाइट खरीद के लिए भुगतान	116,900
27	16/09/2020	श्री रामरती ट्रेडर्स को स्ट्रीट लाइट खरीद के लिए भुगतान	114,523
28	16/09/2020	स्ट्रीट लाइट फिटिंग कार्य के लिए श्रमिकों को भुगतान-धीरेंद्र कुमार रावत	14,209
29	19/09/2020	हैंडपंप रिबोर कार्य के लिए श्रमिकों को भुगतान- मोहित सिंह	4,962
30	19/09/2020	हैंडपंप रीबोर वर्क के लिए बीआर एंटरप्राइजेज को भुगतान	181,800
31	8/10/2020	नाली निर्माण कार्य के लिए मजदूरों को भुगतान शिवबरन हाउस से तालाब-धीरेंद्र कुमार रावत	34,045
32	8/10/2020	तालाब निर्माण शिवबरन हाउस से तालाब निर्माण कार्य के लिए विशाल ट्रेडर्स को भुगतान	40,160
33	8/10/2020	नदी निर्माण कार्य शिवबरन हाउस से तालाब के लिए अनुपम ट्रेडर्स को भुगतान	91,384
34	8/10/2020	अनुपम ट्रेडर्स को सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य के लिए भुगतान	96,593
35	8/10/2020	अनुपम ट्रेडर्स को सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य के लिए भुगतान	73,500
36	8/10/2020	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य के लिए श्रमिक को भुगतान- मोहित सिंह	17,850
37	19/10/2020	हैंडपंप मरम्मत के लिए बीआर एंटरप्राइजेज को भुगतान	63,112
38	19/10/2020	हैंडपंप मरम्मत के लिए बीआर एंटरप्राइजेज को भुगतान	47,965
39	24/10/2020	कोविड -19 संबंध उपकरण के लिए अनंत फरमा को भुगतान किया गया	4,435

40	3/11/2020	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य के लिए श्रमिक को भुगतान- मोहित सिंह	22,950
41	7/11/2020	ठेलिया मरम्मत और सफाई सामग्री के लिए अनुपम ट्रेडर्स को भुगतान	20,000
42	7/11/2020	श्रम का भुगतान ग्राम पंचायत में सफाई कार्य के लिए- मोहित सिंह	42,210
43	7/11/2020	श्रम का भुगतान ग्राम पंचायत में सफाई कार्य के लिए- मोहित सिंह	44,220
44	7/11/2020	श्रम का भुगतान ग्राम पंचायत में सफाई कार्य के लिए- मोहित सिंह	30,150
45	7/11/2020	प्रशासनिक हेतु अनुपम ट्रेडर्स को भुगतान	6,650
46	10/11/2020	राम सिंह मोहित सिंह	7,000
47	10/11/2020	गैजिंग कार्य के लिए श्रम को भुगतान किया- धीरेंद्र कुमार रावत	24,000
48	10/11/2020	अनुपम ट्रेडर्स को फॉर्गिंग और छिडकाव कार्य के लिए भुगतान	26,150
49	10/11/2020	फॉर्गिंग और छिडकाव के काम के लिए मजदूरों को भुगतान- मोहित सिंह	27,000
50	3/12/2020	मोहित सिंह	9,000
51	3/12/2020	जीएसटी के लिए दिशा लीगल सर्विस	3,050
52	3/12/2020	मोहित सिंह को प्रशासनिक खर्च के लिए भुगतान	7,220
53	23/12/2020	हैंडपंप की मरम्मत के लिए श्रमिक को भुगतान- मोहित सिंह	41,000
54	11/2/2021	अनुपम ट्रेडर्स को सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य के लिए भुगतान	39,780
55	17/02/2021	अनुपम ट्रेडर्स को सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य के लिए भुगतान	102,403
56	17/02/2021	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य के लिए देव एंटरप्राइजेज को भुगतान	34,304
57	6/3/2021	हैंडपंप की मरम्मत के लिए अनुपम ट्रेडर्स को भुगतान	42,000
58	6/3/2021	हैंडपंप की मरम्मत के लिए अनुपम ट्रेडर्स को भुगतान	53,000
59	25/03/2021	हैंडपंप की मरम्मत के लिए अनुपम ट्रेडर्स को भुगतान	39,150
60	25/03/2021	अनुपम ट्रेडर्स को सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य के लिए भुगतान	39,120
61	रिजेक्टेड 07/03/2021	अतिरिक्त भुगतान की वापसी	(-) 39780.00
62	रिजेक्टेड 26/03/2021	अतिरिक्त भुगतान की वापसी	(-) 39120.00
		योग	2814496.00

प्रस्तर संख्या - 96

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय व्ययक विवरण यथा कैशबुक-, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षाआ/0रि0/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 27.70 लाख से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख / प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए

गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है, ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु 27.70 लाख उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री सतगुर प्रसाद तथा प्रधान श्रीमती रमा सिंह उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - केडौरा विकास खण्ड- माल जनपद - लखनऊ वर्ष -2020-21

प्रस्तर संख्या - 97

ग्राम पंचायत केडौरा के ग्राम निधि खाता प्रथम (राज्य वित्त तथा केंद्रीय वित्त) में वर्ष 2020-21 में किए गए व्यय से संबन्धित किसी भी प्रकार के सुसंगत अभिलेख यथा वित्तीय स्वीकृति, एम° बी° , एस्टीमेट ,कार्ययोजना , कैश बुक , बैंक पासबुक , स्टॉक पंजिका , चल अचल संपत्ति पंजिका , उपभोग प्रमाण पत्र , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र , व्यय प्रमाणक , समेकित सार रजिस्टर ,कोटेशन / टेण्डर संबंधी पत्रावली ,क्रयादेश , मानदेय भुगतान संबंधी पंजिका , विकास हेतु गठित समितियों संबंधी पत्रावली आदि महत्वपूर्ण अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए , जबकि अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु विभिन्न तिथियों में पत्राचार किया गया (पत्र की प्रति प्रतिवेदन के साथ संलग्न)। अभिलेखों के अभाव में ई ग्राम स्वराज वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 2911380.00 का व्यय अपुष्ट रहा। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में प्राविधानित नियम के अनुसार व्यय धनराशि को अपहरण / गबन मानते हुए उक्त धनराशि में से आधी धनराशि रु 1455690.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती जय देवी तथा प्रशासक (दिनांक 25/12/20 से 31/03/21 तक स्वीकृत एवं भुगतानित व्यय हेतु) व आधी धनराशि रु 1455690.00 की वसूली पंचायत सचिव श्री सतगुर प्रसाद से किया जाना अपेक्षित है। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाना अपेक्षित है। वर्ष में किए गए व्यय का विवरण निम्नवत है -

क्र° सं°	दिनांक	भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि रु° में
1	27/05/2020	सोलर लाइट खरीद के लिए श्री रामरती ट्रेडर्स को भुगतान	94,050
2	27/05/2020	सोलर लाइट खरीद के लिए श्री रामरती ट्रेडर्स को भुगतान	94,050
3	27/05/2020	सोलर लाइट खरीद के लिए श्री रामरती ट्रेडर्स को भुगतान	56,340
4	9/6/2020	हैंडपंप रिबोर कार्य के लिए कृष्णा एंटरप्राइजेज को भुगतान	155,925
5	13/06/2020	शंकर इंजीनियरिंग को भुगतान और हैंडपंप मरम्मत का काम	19,886
6	27/06/2020	हैंडपंप मरम्मत के लिए किसन ट्रेडर्स को भुगतान	40,125
7	27/06/2020	हैंडपंप मरम्मत कार्य के लिए कृष्णा एंटरप्राइजेज को भुगतान	74,120
8	25/07/2020	जय देवी	10500.00
9	25/07/2020	जय देवी	14000.00
10	08/08/20	हैंडपंप मरम्मत कार्य के लिए कृष्णा एंटरप्राइजेज को भुगतान	55120.00
11	3/9/2020	खड़ंगा मरम्मत के लिए विमला ब्रिक फील्ड का भुगतान मटरू हाउस से दुल्लार हाउस	39,690
12	3/9/2020	खड़ंगा मरम्मत के लिए मजदूरी भुगतान मटरू हाउस से दुल्लार हाउस -दलबीर सिंह	24,830
13	5/9/2020	थर्मल स्कैनर और पल्स ऑक्सीमीटर खरीद के लिए अनंत फार्मा एजेंसियों को भुगतान किया गया	4,435
14	8/9/2020	खड़ंगा मरम्मत के लिए मजदूरी भुगतान मटरू हाउस से दुल्लार हाउस -दलबीर सिंह	48,350

15	8/9/2020	खड़जा मरम्मत गोलू एंटरप्राइजेज मटरू हाउस से दुल्लार हाउस	20,207
16	14/09/2020	सामुदायिक शौचालय निर्माण के लिए अनंत ब्रिक फील्ड को भुगतान	77,751
17	14/09/2020	गोलू एंटरप्राइजेज सामुदायिक शौचालय निर्माण	62,116
18	18/09/2020	मिस्त्री भुगतान -सामुदायिक शौचालय निर्माण दलबीर सिंह	17,850
19	28/09/2020	जय देवी	14,000
20	28/09/2020	नाला सफाई वर्क लेबर रामजीवन को भुगतान किया	15,075
21	28/09/2020	हैंडपंप मरम्मत के लिए किसन ट्रेडर्स को भुगतान	42,669
22	28/09/2020	हैंडपंप मरम्मत के लिए किसन ट्रेडर्स को भुगतान	53,469
23	28/09/2020	हैंडपंप मरम्मत के लिए राकेश लेबर को भुगतान	6,000
24	17/10/2020	निविदा सूचना प्रकाशन के लिए धर्मेन्द्र सिंह को भुगतान किया गया	3,000
25	21/10/2020	गोलू एंटरप्राइजेज सामुदायिक शौचालय निर्माण	77,017
26	24/10/2020	श्री रामरती ट्रेडर्स को स्ट्रीट लाइट खरीद के लिए भुगतान	98,725
27	2/11/2020	सोलर लाइट मरम्मत के लिए श्री रामरती ट्रेडर्स को भुगतान	30,000
28	3/11/2020	सोलर लाइट मरम्मत के लिए श्री रामरती ट्रेडर्स को भुगतान	10,000
29	3/11/2020	गोलू एंटरप्राइजेज सामुदायिक शौचालय निर्माण	62,000
30	8/11/2020	कृष्णा एंटरप्राइजेज को कोविड -19 संबंध कार्य के लिए भुगतान	40,000
31	1/12/2020	हैंडपम्प की मरम्मत के लिए कृष्णा एंटरप्राइज को भुगतान	45,150
32	1/12/2020	पंचायत भवन निर्माण कार्य के लिए गोलू एंटरप्राइजेज को भुगतान	193,546
33	1/12/2020	पंचायत भवन निर्माण कार्य के लिए गोलू एंटरप्राइजेज को भुगतान	183,665
34	6/12/2020	पंचायत भवन निर्माण कार्य के लिए दलबीर सिंह को भुगतान - लेबर	49,725
35	6/12/2020	पंचायत भवन निर्माण कार्य के लिए राम जीवन को भुगतान -लेबर	49,725
36	6/12/2020	पंचायत भवन निर्माण कार्य के लिए गोलू एंटरप्राइजेज को भुगतान	150,855
37	10/12/2020	श्री रामरती ट्रेडर्स को सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य के लिए भुगतान	17,917
38	17/12/2020	पंचायत भवन निर्माण कार्य के लिए गोलू एंटरप्राइजेज को भुगतान	161,695
39	17/12/2020	पंचायत भवन निर्माण कार्य के लिए एचडीएस ब्रिक फील्ड को भुगतान	116,944
40	17/12/2020	पंचायत भवन निर्माण कार्य के लिए अशोक को भुगतान -लेबर	29,800
41	23/12/2020	गोलू एंटरप्राइजेज सामुदायिक शौचालय निर्माण	106,759
42	24/12/2020	हैंडपम्प की मरम्मत के लिए कृष्णा एंटरप्राइज को भुगतान	53,460
43	24/02/2021	पंचायत भवन निर्माण कार्य के लिए एचडीएस ब्रिक फील्ड को भुगतान	116944.00
44	23/03/2021	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य के लिए देव एंटरप्राइजेज को भुगतान	57414.00
45	25/03/2021	पंचायत भवन निर्माण कार्य के लिए गोलू एंटरप्राइजेज को भुगतान	216481.00

		योग	2911380.00

प्रस्तर संख्या - 98

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय व्ययक विवरण यथा कैशबुक-, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षाआ/0रि0/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 12.61 लाख से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख / प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है ऐसी स्थिति में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क)में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु 12.61 लाख उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री सतगुर प्रसाद तथा प्रधान श्रीमती जय देवी उत्तरदायी हैं आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - नारायणपुर विकास खण्ड- माल जनपद - लखनऊ वर्ष -2020-21

प्रस्तर संख्या - 99

ग्राम पंचायत नारायणपुर के ग्राम निधि खाता प्रथम (राज्य वित्त तथा केंद्रीय वित्त) में वर्ष 2020-21 में किए गए व्यय से संबंधित किसी भी प्रकार के सुसंगत अभिलेख यथा वित्तीय स्वीकृति, एम° बी° , एस्टीमेट ,कार्ययोजना , कैश बुक , बैंक पासबुक , स्टॉक पंजिका , चल अचल संपत्ति पंजिका , उपभोग प्रमाण पत्र , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र , व्यय प्रमाणक , समेकित सार रजिस्टर ,कोटेशन / टेण्डर संबंधी पत्रावली ,क्रयादेश , मानदेय भुगतान संबंधी पंजिका , विकास हेतु गठित समितियों संबंधी पत्रावली आदि महत्वपूर्ण अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए , जबकि अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु विभिन्न तिथियों में पत्राचार किया गया (पत्र की प्रति प्रतिवेदन के साथ संलग्न) । अभिलेखों के अभाव में ई ग्राम स्वराज वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु **2221107.00** का व्यय अपुष्ट रहा । ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में प्राविधानित नियम के अनुसार व्यय धनराशि को अपहरण / गबन मानते हुए उक्त धनराशि में से आधी धनराशि रु 1110553.50 की वसूली ग्राम प्रधान श्री पच्चा यादव तथा प्रशासक (दिनांक 25/12/20 से 31/03/21 तक स्वीकृत एवं भुगतानित व्यय हेतु) व आधी धनराशि रु 1110553.50 की वसूली पंचायत सचिव श्री ऊबैर सईद से किया जाना अपेक्षित है । वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाना अपेक्षित है । वर्ष में किए गए व्यय का विवरण निम्नवत है -

क्र° सं°	दिनांक	भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि रु° में
1	22/04/2020	लाइट्स के लिए सचिन इंटरप्राइजेज भुगतान	93,492
2	22/04/2020	लाइट्स के लिए सचिन इंटरप्राइजेज भुगतान	93,492
3	22/04/2020	लाइट्स के लिए सचिन इंटरप्राइजेज भुगतान	56,095
4	22/04/2020	अनामिका इंटरप्राइजेज	23,000
5	22/04/2020	एसआर ब्रिक्स फील्ड	40,000
6	22/04/2020	पच्चा यादव- श्रम के लिए भुगतान	20,748
7	25/04/2020	दिशा लीगल सर्विस	3,050

8	25/04/2020	अनामिका इंटरप्राइजेज	85,000
9	25/04/2020	मोहम्मद नज़ीम	46,800
10	25/04/2020	कृष्णा इंटरप्राइजेज	90,000
11	25/04/2020	सचिन इंटरप्राइजेज	8,400
12	27/04/2020	अनामिका इंटरप्राइजेज	50,500
13	27/04/2020	एसआर ब्रिक्स फील्ड	12,220
14	27/04/2020	पच्चा यादव- श्रम के लिए भुगतान	10,136
15	27/04/2020	अनामिका इंटरप्राइजेज	14,323
16	27/04/2020	एसआर ब्रिक्स फील्ड	8,115
17	27/04/2020	पच्चा यादव- श्रम के लिए भुगतान	34,933
18	05/05/20	सचिन इंटरप्राइजेज	21908
19	05/05/20	अनामिका इंटरप्राइजेज	41895
20	23/07/20	पच्चा यादव	21000
21	23/07/20	श्रम भुगतान-विजय कुमार	7000
22	23/07/20	एडमिन खर्च-पच्चा यादव	50000
23	23/07/20	मोहम्मद नज़ीम- एडमिन खर्च	30000
24	23/07/20	अनामिका इंटरप्राइजेज	18000
25	8/9/2020	मोहम्मद नज़ीम	40,000
26	8/9/2020	यादव ट्रेडर्स	165,000
27	8/9/2020	पच्चा यादव- श्रम के लिए भुगतान	80,000
28	8/9/2020	यादव ट्रेडर्स	115,000
29	8/9/2020	अनामिका इंटरप्राइजेज कोविड 19 के लिए	40,000
30	8/9/2020	अनामिका इंटरप्राइजेज कोविड 19 के लिए	40,000
31	8/9/2020	अनामिका इंटरप्राइजेज कोविड 19 के लिए	40,000
32	8/9/2020	कोविड 19 के लिए भुगतान - पच्चा यादव	50,000
33	21/09/2020	पच्चा यादव	10,500
34	29/10/2020	पच्चा यादव	17,500
35	29/10/2020	पच्चा यादव	10,500
36	29/10/2020	सैनटाइजर-मो० नज़ीम के लिए भुगतान	30,000
37	30/10/2020	यादव ट्रेडर्स	200,000
38	30/10/2020	अवधेश- श्रम	6,000
39	30/10/2020	एसआर ब्रिक्स फील्ड	106,000
40	30/10/2020	कृष्णा इंटरप्राइजेज	58,000
41	रिजेक्टेड 11/11/20	अतिरिक्त भुगतान की वापसी	(-) 200000.0 0
42	3/11/2020	यादव ट्रेडर्स सामग्री के लिए भुगतान	65,000
43	3/11/2020	यादव ट्रेडर्स सामग्री के लिए भुगतान	70,000
44	3/11/2020	अवधेश- श्रम भुगतान	34,000
45	3/11/2020	कृष्णा इंटरप्राइजेज	65,000

46	11/11/2020	कृष्णा इंटरप्राइजेज हैंडपम्प रिपेयर	55,000
47	11/11/2020	एडमिन खर्च -पच्चा यादव	40,000
48	12/11/2020	कृष्णा इंटरप्राइजेज	17,000
49	12/11/2020	कृष्णा इंटरप्राइजेज	35,000
50	12/11/2020	अंशु इंटरप्राइजेज	80,000
51	22/12/2020	कृष्णा इंटरप्राइजेज	8,500
52	23/12/2020	पच्चा यादव- मिसलेनियस खर्च	64,000
53	23/12/2020	कृष्णा इंटरप्राइजेज	7,500
54	रिजेक्टेड 31/03/2021	अतिरिक्त भुगतान की वापसी	(-)8,500
55	रिजेक्टेड 31/03/2021	अतिरिक्त भुगतान की वापसी	(-)155,000
56	28/03/21	अंशु इंटरप्राइजेज	155,000
		योग	2221107.00

उल्लेखनीय है कि क्रम संख्या 6 पर रु 20748.00 का भुगतान श्री पच्चा यादव को पेमेंट फॉर लेबर , क्रम संख्या 14 पर रु 10136.00 का भुगतान श्री पच्चा यादव को पेमेंट फॉर लेबर, क्रम संख्या 17 पर रु 34933.00 का भुगतान श्री पच्चा यादव को पेमेंट फॉर लेबर, क्रम संख्या 27 पर रु 80000.00 का भुगतान श्री पच्चा यादव को पेमेंट फॉर लेबर, क्रम संख्या 32 पर रु 50000.00 का भुगतान श्री पच्चा यादव को पेमेंट फॉर कोविड 19 , क्रम संख्या 47 पर रु 40000.00 का भुगतान श्री पच्चा यादव को एडीएम एक्स्पेंसेस , क्रम संख्या 52 पर रु 64000.00 का भुगतान श्री पच्चा यादव को मिसलेनियस एक्स्पेंसेस के रूप में किया गया है । इस प्रकार का भुगतान मजदूर तथा सामग्री आपूर्तिकर्ता को उनके खाते में न किया जाना पूर्णतया अनियमित रहा ।

प्रस्तर संख्या - 100

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय व्ययक विवरण यथा कैशबुक-, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षाआ/010/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 18.9 लाख से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख / प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है ऐसी स्थिति में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु 18.9 लाख उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री ऊबैर सईद तथा प्रधान श्री पच्चा यादव उत्तरदायी हैं आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - नवीपनाह विकास खण्ड- माल जनपद - लखनऊ वर्ष -2020-21

प्रस्तर संख्या - 101

ग्राम पंचायत नवीपनाह के ग्राम निधि खाता प्रथम (राज्य वित्त तथा केंद्रीय वित्त) में वर्ष 2020-21 में किए गए व्यय से संबंधित किसी भी प्रकार के सुसंगत अभिलेख यथा वित्तीय स्वीकृति, एम° बी° , एस्टीमेट ,कार्ययोजना , कैश बुक , बैंक पासबुक , स्टॉक पंजिका , चल अचल संपत्ति पंजिका , उपभोग प्रमाण पत्र , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र

, व्यय प्रमाणक , समेकित सार रजिस्टर ,कोटेशन / टेण्डर संबंधी पत्रावली ,क्रयादेश , मानदेय भुगतान संबंधी पंजिका , विकास हेतु गठित समितियों संबंधी पत्रावली आदि महत्वपूर्ण अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए , जबकि अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु विभिन्न तिथियों में पत्राचार किया गया (पत्र की प्रति प्रतिवेदन के साथ संलग्न) । अभिलेखों के अभाव में ई ग्राम स्वराज वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 4529306.00 का व्यय अपुष्ट रहा । ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में प्राविधानित नियम के अनुसार व्यय धनराशि को अपहरण / गबन मानते हुए उक्त धनराशि में से आधी धनराशि रु 2264653.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती छोटी तथा प्रशासक (दिनांक 25/12/20 से 31/03/21 तक स्वीकृत एवं भुगतानित व्यय हेतु) व आधी धनराशि रु 2264653.00 की वसूली पंचायत सचिव श्री सतगुर प्रसाद से किया जाना अपेक्षित है । वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाना अपेक्षित है । वर्ष में किए गए व्यय का विवरण निम्नवत है -

क्र° सं°	दिनांक	भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि रु° में
1	10/04/22	शंकर इंजीनियरिंग वर्क्स हैंडपंप की मरम्मत के लिए शंकर एजेंसी को भुगतान	64,122
2	10/04/22	शंकर इंजीनियरिंग वर्क्स हैंडपंप की मरम्मत के लिए शंकर एजेंसी को भुगतान	68,260
3	10/04/22	शंकर इंजीनियरिंग वर्क्स हैंडपंप की मरम्मत के लिए शंकर एजेंसी को भुगतान	68,102
4	10/04/22	श्री रामरती ट्रेडर्स ग्राम पंचायत में बिजली कनेक्शन का भुगतान	9,662
5	19/04/22	राजा इंटरप्राइजेज जीपी नाली निर्माण मेटिरियल के लिए एजेंसी राजा को भुगतान	42,532
6	19/04/22	राजा इंटरप्राइजेज जीपी नाली निर्माण मेटिरियल के लिए एजेंसी राजा को भुगतान	57,590
7	19/04/22	सुनील एस#470 दयाशंकर जीपी नाली निर्माण मजदूर के लिए एजेंसी राजा को भुगतान	30,782
8	19/04/22	सुनील एस#470 दयाशंकर जीपी नाली निर्माण मजदूर के लिए एजेंसी राजा को भुगतान	30,964
9	19/04/22	न्यू यादव साइकल वर्क्स ठेलिया परचेस के लिए	16,500
10	19/04/22	राजा इंटरप्राइजेज मंदिर से भोरे नाली निर्माण सामग्री के लिए एजेंसी राजा को भुगतान	41,563
11	19/04/22	राजा इंटरप्राइजेज मंदिर से भोरे नाली निर्माण सामग्री के लिए एजेंसी राजा को भुगतान	55,923
12	19/04/22	सुनील एस#470 दयाशंकर भोरे नाली निर्माण मजदूर को मंदिर के लिए सुनील को भुगतान	29,836
13	19/04/22	सुनील एस#470 दयाशंकर भोरे नाली निर्माण मजदूर को मंदिर के लिए सुनील को भुगतान	29,836
14	30/04/22	अर्थ इंटरप्राइजेज	33,207
15	30/04/22	अर्थ इंटरप्राइजेज	30,459
16	30/04/22	अर्थ इंटरप्राइजेज	36,727
17	30/04/22	अर्थ इंटरप्राइजेज	34,025
18	30/04/22	अर्थ इंटरप्राइजेज	33,060
19	11/5/2020	अनामिका इंटरप्राइज़	29,802
20	11/5/2020	राजा इंटरप्राइजेज राजा एजेंसी को सेनेटाइजेशन के लिए भुगतान	15,750
21	11/5/2020	अनामिका इंटरप्राइज़	21,000

22	11/5/2020	राजा इंटरप्राइजेज पंचायत में सफाई कार्य के लिए राजा एजेंसी को भुगतान	23,800
23	11/5/2020	अनामिका इंटरप्राइज दीवार पेंटिंग के लिए अनामिका को भुगतान	22,750
24	11/5/2020	अनामिका इंटरप्राइज	31,500
25	11/5/2020	राजा इंटरप्राइजेज	29,009
26	12/5/2020	छोटी बानो	7,000
27	25/06/2020	शंकर इंजीनियरिंग कार्य हैंडपम्प मरम्मत के लिए कार्य	46322
28	27/06/2020	श्री रामरती ट्रेडर्स सोलर लाइट फिटिंग कार्य के लिए श्री रामरती ट्रेडर्स को भुगतान	94050
29	29/07/2020	शंकर इंजीनियरिंग कार्य हैंडपम्प मरम्मत के लिए कार्य	99680
30	29/07/2020	शंकर इंजीनियरिंग कार्य हैंडपम्प मरम्मत के लिए कार्य	98060
31	31/07/2020	शंकर इंजीनियरिंग कार्य हैंडपम्प मरम्मत के लिए कार्य	48510
32	8/8/2020	सुनील एस#470 दयाशंकर सुनील ट्रैक्टर चालक को सेनिटाइज़र कार्य के लिए	24,000
33	8/8/2020	पंचायत में सेनिटाइज़र कार्य के लिए रज्जन लाल	18,000
34	8/8/2020	थर्मल स्कैनर और पल्स ऑक्सीमीटर के लिए अनंत फार्मा एजेंसियां	2,800
35	8/8/2020	छोटी बानो	14,000
36	8/8/2020	प्रशासनिक खर्च के लिए सूरज भान	19,500
37	8/8/2020	कंप्यूटर और प्रिंटर की मरम्मत के लिए सूरजभान को भुगतान	17,000
38	8/9/2020	इंटरलॉकिंग कार्य के लिए राजा एंटरप्राइज श्याम हाउस से श्रीचंद्र हाउस	28,440
39	8/9/2020	इंटरलॉकिंग कार्य के लिए राजा एंटरप्राइज श्याम हाउस से श्रीचंद्र हाउस	28,657
40	8/9/2020	सुनील एस #470 दयाशंकर इंटरलॉकिंग कार्य के लिए श्रम का भुगतान श्रीचंद्र से श्याम के घर तक	20,663
41	8/9/2020	इंटरलॉकिंग कार्य के लिए राजा इंटरप्राइजेज को भुगतान लाला हाउस से शंकर हाउस तक	27,395
42	8/9/2020	इंटरलॉकिंग कार्य के लिए राजा इंटरप्राइजेज को भुगतान लाला हाउस से शंकर हाउस तक	28,523
43	8/9/2020	रमेश कुमार एस#470 चुन्नीलाल लाला हाउस से शंकर हाउस इंटरलॉकिंग कार्य के लिए मजदूरों को भुगतान	20,060
44	8/9/2020	देव इंटरप्राइजेज को भुगतान इंटरलॉकिंग कार्य लाला हाउस से शंकर तक	90,085
45	8/9/2020	श्याम हाउस से श्रीचंद्र हाउस तक इंटरलॉकिंग कार्य के लिए देव इंटरप्राइजेज को भुगतान	95,296
46	2/10/2020	सुनील एस #470 दयाशंकर सुनील को कोविड 19 से संबंधित छिड़काव	24,000
47	8/10/2020	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य के लिए एचडीएफसी ब्रिक फील्ड को भुगतान	73,500
48	8/10/2020	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य के लिए राजा इंटरप्राइजेज को भुगतान	96,553
49	8/10/2020	सामाजिक शौचालय निर्माण के लिए मिस्त्री को भुगतान रमेश कुमार एस#470 चुन्नीलाल	29,750
50	17/10/2020	ठेलिया मरम्मत के लिए न्यू यादव साइकिल वर्क्स को भुगतान	10,000
51	17/10/2020	ठेलिया खरीद के लिए न्यू यादव साइकिल वर्क्स को भुगतान	16,500
52	17/10/2020	मोहम्मद शरीफ -नाला सफाई कार्य के लिए मजदूरी भुगतान	29,949

53	17/10/2020	धर्मेन्द्र सिंह को टेंडर नोटिस प्रकाशन के लिए भुगतान	3,000
54	29/10/2020	शंकर इंजीनियरिंग कार्य हैंडपम्प मरम्मत के लिए कार्य	66,140
55	29/10/2020	शंकर इंजीनियरिंग कार्य हैंडपम्प रीबोर मटेरियल के लिए कार्य	66,140
56	29/10/2020	शंकर इंजीनियरिंग कार्य हैंडपम्प रीबोर मटेरियल के लिए कार्य	60,000
57	29/10/2020	विद्युतीकरण कार्य / सामुदायिक शौचालय कार्य के लिए श्री रामरती ट्रेडर्स को भुगतान	20,065
58	29/10/2020	पुट्टी पुताई कार्य में सामुदायिक शौचालय कार्य के लिए राजा इंटरप्राइजेज को भुगतान	12,713
59	29/10/2020	सामुदायिक शौचालय निर्माण के लिए एचडीएस ब्रिक फील्ड को भुगतान	53,216
60	29/10/2020	मिस्त्री / सामुदायिक शौचालय निर्माण के लिए रमेश को भुगतान	34,900
61	29/10/2020	साइन बोर्ड और लेखन कार्य में सामुदायिक शौचालय निर्माण के लिए राजा ट्रेडर्स को भुगतान - छोटी बानो	6,980
62	29/10/2020	टाइल्स क्रय / सामुदायिक शौचालय निर्माण के लिए देव इंटरप्राइजेज को भुगतान	52,281
63	29/10/2020	सीमेंट मौरंग / सामुदायिक शौचालय निर्माण के लिए राजा इंटरप्राइजेज को भुगतान	104,405
64	29/10/2020	समरसेबुल और प्लंबर / सामुदायिक शौचालय निर्माण के लिए शंकर इंजीनियरिंग वर्क्स का भुगतान	117,222
65	4/11/2020	सूरज भान को कोविड-19 कार्य का भुगतान	10,000
66	4/11/2020	सूरज भान को सफाई कार्य का भुगतान	10,500
67	12/11/2020	राजा इंटरप्राइजेज को ह्यूम पाइप के लिए भुगतान	147,470
68	12/11/2020	ह्यूम पाइप फिटिंग कार्य के लिए श्रमिकों को भुगतान- रमेश कुमार एस # 470 चुन्नीलाल	11,362
69	12/11/2020	राजा इंटरप्राइजेज को नाली निर्माण कार्य के लिए भुगतान ओमप्रकाश हाउस से शिवकुमार हाउस	99,994
70	12/11/2020	नाली निर्माण कार्य के लिए मजदूरों को भुगतान ओमप्रकाश हाउस से शिवकुमार हाउस- रमेश कुमार एस#470 चुन्नीलाल	30,070
71	12/11/2020	राजा इंटरप्राइजेज को नाली निर्माण कार्य खगेश्वर हाउस से मुन्ना हाउस के लिए भुगतान	109,817
72	12/11/2020	नाली निर्माण कार्य के लिए मजदूरों को भुगतान ओमप्रकाश हाउस से शिवकुमार हाउस-सुनील एस #470 दयाशंकर	30,070
73	24/11/2020	राजा इंटरप्राइजेज को नाली निर्माण कार्य खगेश्वर हाउस से मुन्ना हाउस के लिए भुगतान	31,273
74	24/11/2020	नाली निर्माण कार्य के लिए मजदूरों को भुगतान खगेश्वर हाउस से मुन्ना हाउस- सुनील एस#470 दयाशंकर	24,897
75	24/11/2020	राजा इंटरप्राइजेज को भुगतान किया गया नल निर्माण कार्य के लिए ओमप्रकाश हाउस शिवकुमार को	30,849
76	24/11/2020	श्रम मिस्त्री को भुगतान नाली निर्माण के लिए ओमप्रकाश के घर से शिवकुमार के घर- रमेश कुमार एस # 470 चुन्नीलाल	21,000
77	3/12/2020	शंकर इंजीनियरिंग कार्य हैंडपम्प मरम्मत के लिए कार्य	97,261
78	3/12/2020	शंकर इंजीनियरिंग कार्य हैंडपम्प मरम्मत के लिए कार्य	97,261
79	3/12/2020	पशु आश्रय स्थल में पिलर जाली निर्माण कार्य के लिए राजा इंटरप्राइजेज को भुगतान	52,607
80	3/12/2020	पशु आश्रय स्थल में पिलर जाली निर्माण कार्य के लिए राजा इंटरप्राइजेज को भुगतान	159,810

81	3/12/2020	पशु आश्रय स्थल में पिलर जाली निर्माण कार्य के लिए मजदूरों को भुगतान	19,045
82	17/12/2020	सीसी रोड निर्माण कार्य के लिए राजा इंटरप्राइजेज को भुगतान मुकेश हाउस टू चंद्रपाल हाउस	37,099
83	17/12/2020	सीसी रोड निर्माण कार्य मुकेश हाउस से चंद्रपाल हाउस तक लेबर को भुगतान-रमेश कुमार एस#470 चुन्नीलाल	7,819
84	17/12/2020	सीसी रोड निर्माण कार्य के लिए राजा इंटरप्राइजेज को भुगतान मुकेश हाउस टू चंद्रपाल हाउस	37,099
85	17/12/2020	खड़जा के काम के लिए एचडीएस ब्रिक फील्ड को भुगतान जोधा हाउस चेता	108,405
86	17/12/2020	खड़जा काम के लिए मजदूरों को भुगतान जोधा हाउस चेता-संदीप कुमार को	20,000
87	17/12/2020	राजा इंटरप्राइजेज को इंटरलॉकिंग कार्य के लिए भुगतान बाबू हाउस से मैकू हाउस	21,994
88	17/12/2020	विमला इंडस्ट्रीज को इंटरलॉकिंग कार्य के लिए भुगतान बाबू हाउस से मैकू हाउस	23,760
89	17/12/2020	बाबू हाउस से मैकू हाउस तक इंटरलॉकिंग कार्य के लिए मजदूरों को भुगतान-रमेश कुमार एस#470 चुन्नीलाल	9,025
90	17/12/2020	ग्राम पंचायत में नाली निर्माण कार्य के लिए राजा इंटरप्राइजेज को भुगतान	102,626
91	17/12/2020	ग्राम पंचायत में नाली निर्माण कार्य के लिए श्रमिकों को भुगतान-सुनील एस #470 दयाशंकर	45,000
92	17/12/2020	राजा इंटरप्राइजेज को नाली निर्माण कार्य माता हाउस से डमरू हाउस के लिए भुगतान	102,626
93	17/12/2020	नाली निर्माण कार्य के लिए मजदूरों को भुगतान माता हाउस से डमरू हाउस-रमेश कुमार एस#470 चुन्नीलाल	45,000
94	24/12/2020	गौ शाला में जाली निर्माण के लिए राजा इंटरप्राइजेज को भुगतान	57,820
95	24/12/2020	गौ शाला में जाली निर्माण के लिए मजदूरी का भुगतान-रमेश कुमार एस#470 चुन्नीलाल	1,590
96	24/12/2020	सामुदिक शौचालय में बाँड़ी दीवार इंटरलॉकिंग और पेंटिंग कार्य के लिए विमला इंडस्ट्रीज को भुगतान	43,541
97	24/12/2020	राजा इंटरप्राइजेज को इंटरलॉकिंग कार्य के लिए भुगतान बाबू हाउस से मैकू हाउस	1,912
98	24/12/2020	राजा इंटरप्राइजेज को इंटरलॉकिंग कार्य के लिए भुगतान बाबू हाउस से मैकू	4,277
99	24/12/2020	इंटरलॉकिंग कार्य के लिए श्रमिक को भुगतान बाबू हाउस से मैकू -रमेश कुमार एस#470 चुन्नीलाल	2,605
100	24/12/2020	विमला को भुगतान किया गया इंटरलॉकिंग कार्य के लिए बाबू हाउस से मैकू	5,430
101	24/12/2020	राजा इंटरप्राइजेज को इंटरलॉकिंग कार्य के लिए भुगतान बाबू हाउस से मैकू	7,576
102	24/12/2020	ग्राम पंचायत में नदी निर्माण के लिए राजा इंटरप्राइजेज को भुगतान	37,402
103	24/12/2020	ग्राम पंचायत में नाली निर्माण के लिए श्रम का भुगतान- सुनील	11,031
104	24/12/2020	खड़जा के काम के लिए एचडीएस ब्रिक फील्ड को भुगतान जोधा हाउस से चेता खेत	40,818
105	24/12/2020	खड़जा कार्य जोधा हाउस से चेता खेत-सुनील एस#470 दयाशंकर के लिए श्रमिक भुगतान	15,236
106	24/12/2020	सामुदिक शौचालय में बाँड़ी की दीवार इंटरलॉकिंग और पेंटिंग के काम के लिए राजा इंटरप्राइजेज को भुगतान	120,206

107	24/12/2020	राजा इंटरप्राइजेज को नाली निर्माण कार्य के लिए भुगतान माता दीन हाउस से डमरू हाउस	34,607
108	24/12/2020	नाली निर्माण कार्य के लिए मजदूर को भुगतान माता दीन हाउस से डमरू हाउस-रमेश कुमार एस#470 चुन्नीलाल	9,400
		योग	4529306.00

प्रस्तर संख्या - 102

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय व्ययक विवरण यथा कैशबुक-, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षाआ/०१०/०९-०९ दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 32.00 लाख से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख / प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है ऐसी स्थिति में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु 32.00 लाख उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री सतगुर प्रसाद तथा प्रधान श्रीमती छोटी उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -डिघारी

विकास खंड - मोहनलालगंज

वर्ष -2020-21

प्रस्तर संख्या- 103

ग्राम पंचायत- डिघारी में वित्तीय वर्ष 2020-21 में विकास एवं अन्य कार्यों पर कुल रु0 881668.00 व्यय किया गया जिससे संबंधित निम्न लिखित आपत्तियाँ दर्शित हैं -

(1)सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित न करना

ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 5 एवं शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-08-1586 दिनांक23.09.08 के अनुसार रु0100000.00 से अधिक की सामग्री क्रय सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित करके किया जायेगा, निविदाएं आमंत्रित करने में वस्तु का नाम ,वस्तु की मात्रा , अनुमानित लागत ,निविदाएं प्राप्त करने का समय एवं तिथि ,निविदाएं खोलने की तिथि एवं समय इत्यादि का उल्लेख किया जाएगा । इच्छुक ठेकेदार को निविदा के साथ धरोहर की धनराशि जमा करना है । निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली फर्म सामग्री की अधिकृत विक्रेता/निर्माता होना चाहिये एवं फर्म की वित्तीय स्थिति जानने के लिए उनसे इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना चाहिए ।पंचायत द्वारा उपरोक्त किसी प्रक्रिया का पालन नहीं करते हुए विभिन्न तिथियों में कुल रु 720233.00 की सामग्री क्रय किया गया

(2)नियम विरुद्ध हैडपंप मरम्मत /रिबोर करवाना

ग्राम पंचायत-डिघारी का वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि हैडपंप मरम्मत/रिबोर पर रु0 201520.00 व्यय किया गया है । जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र० सं	कार्य का नाम	कार्य आईडी	कार्य का योग

1	हैन्डपंप मरम्मत	42761242	45500
2	हैन्डपंप मरम्मत	42763018	41880
3	हैन्डपंप रिबोर	42761631	114140
	योग		201520

शासनादेश सं01138/अडतीस-5-56-सम/2010 दिनांक29जून2011के पस्तर-1 के अनुसार इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प स्थापना के बाद ग्रामपंचायत को रखरखाव हेतु हस्तान्तरित किया जायेगा प्रस्तर-2 के अनुसार हस्तान्तरित हैण्डपम्प ग्रामपंचायत के खुली बैठक में अनुमोदनोपरान्त परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा परन्तु लेखापरीक्षा में परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं करने यह स्पष्ट नहीं हो सका कि हैण्डपम्प हस्तान्तरित है या नहीं । हैन्डपंप मरम्मत का स्थलवार विवरण ,प्राक्कलन ,चरणबद्ध फोटो ,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। उ0प्र0पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए।

(3)पत्रावली प्रस्तुत नहीं -

ग्राम पंचायत- डिघारी का वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों विभिन्न कार्यों के सापेक्ष कुल रु0 881668.00 व्यय किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है

क्र0 सं	कार्य का नाम	कार्य आईडी	कार्य का योग
1	पंचायत में सफाई कार्य	42762001	55206
2	प्रधान मानदेय	42767295	10500
3	कार्य का नाम अंकित नहीं है	14627579	9400
4	हैन्डपंप मरम्मत	42761242	45500
5	कार्य का नाम अंकित नहीं है	14627548	40154
6	कार्य का नाम अंकित नहीं है	17551625	27113
7	कार्य का नाम अंकित नहीं है	17551623	29948
8	प्रशासनिक व्यय	42767408	50000
9	नाली सफाई कार्य	42761822	49995
10	हैन्डपंप मरम्मत	42763018	41880
11	सामुदायिक शौचालय निर्माण	42764944	407832
12	हैन्डपंप रिबोर	42761631	114140
	योग		881668

कार्यों से संबंधित स्थलवार विवरण ,मानक,शासनदेश ,विभागीय परिपत्र ,पीडब्ल्यूडी द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र ,निर्देशो इत्यादि से लेखापरीक्षक अवगत नहीं हो सका निदेशक पंचायतीराज लखनउ उ0प्र0 के पत्रांक4/175/2015-4/81/2015 दिनांक 20जून 2016 के प्रस्तर-3 के अनुसार प्रत्येक कार्य हेतु ग्राम पंचायत चरणबद्ध फोटो अनिवार्य रूप से संरक्षित करेगा परन्तु लेखा परीक्षा में कोई फोटो प्रस्तुत नहीं किया गया इससे स्पष्ट नहीं हो सका कि कार्य वास्तविक है या नहीं ।

(4)माप पुस्तिका व प्राक्कलन न प्रस्तुत किया जाना-

ग्राम पंचायत- डिघारी का वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों विभिन्न कार्यों के सापेक्ष कुल रु0 871168.00 व्यय किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र0 सं	कार्य का नाम	कार्य आईडी	कार्य का योग
1	पंचायत में सफाई कार्य	42762001	55206
3	कार्य का नाम अंकित नहीं है	14627579	9400
4	हैन्डपंप मरम्मत	42761242	45500
5	कार्य का नाम अंकित नहीं है	14627548	40154

6	कार्य का नाम अंकित नहीं है	17551625	27113
7	कार्य का नाम अंकित नहीं है	17551623	29948
8	प्रशासनिक व्यय	42767408	50000
9	नाली सफाई कार्य	42761822	49995
10	हैन्डपंप मरम्मत	42763018	41880
11	सामुदायिक शौचालय निर्माण	42764944	407832
12	हैन्डपंप रिबोर	42761631	114140
	योग		871168

उ०प्र०पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152 एवं 154 के अनुसार सार्वजनिक कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन एवं मानचित्र ग्रामसभा से स्वीकृत होगा। अग्रेतर शासनदेश संख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के प्रस्तर 2(ब) तकनीकी परीक्षण 2 लाख तक ग्राम पंचायत, 2 से 2.5 लाख तक अवर अभियंता द्वारा तथा 2.5 लाख से ऊपर अभियंता जिला पंचायत द्वारा किया जाएगा। लेखा परीक्षा में उक्त कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन एवं मानचित्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

उ०प्र०पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 157 एवं समय-समय पर जारी निदेशक पंचायती राज के परिपत्रों एवं शासनादेशों के अनुसार बिना कार्य के माप-जोख के कोई भुगतान नहीं होगा। परन्तु लेखापरीक्षा में कार्य से सम्बन्धित मापपुस्तिका प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी।। उ०प्र०पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार दुरुपयोग की गयी कुल धनराशि रु० 871168.00 (आठ लाख इकहत्तर हजार एक सौ अड़सठ रुपये) में से ग्राम प्रधान श्री ज्ञान प्रकाश से रु० 435584.00 (चार लाख पैंतीस हजार पाँच सौ चौरासी रुपये) और ग्राम पंचायत सचिव श्री दीप कुमार से रु० 435584.00 (चार लाख पैंतीस हजार पाँच सौ चौरासी रुपये) की वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।।

(5) मास्टर रोल प्रस्तुत नहीं करना -

ग्राम पंचायत- डिघारी का वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों विभिन्न कार्यों के सापेक्ष कुल रु० 191430.00 मजदूरी पर व्यय किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र० सं	कार्य का नाम	कार्य आईडी	कार्य का योग
1	पंचायत में सफाई कार्य	42762001	10000
2	हैन्डपंप मरम्मत	42761242	14000
3	कार्य का नाम अंकित नहीं है	14627548	5000
4	कार्य का नाम अंकित नहीं है	17551625	5000
5	कार्य का नाम अंकित नहीं है	17551623	5000
6	नाली सफाई कार्य	42761822	29995
7	हैन्डपंप मरम्मत	42763018	25895
8	सामुदायिक शौचालय निर्माण	42764944	44000
9	हैन्डपंप रिबोर	42761631	52540
	योग		191430

उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 210 के अनुसार दैनिक मजदूरी पर कार्यरत मजदूरों की दैनिक उपस्थिति आदि के विवरण हेतु एक दैनिक उपस्थिति रजिस्टर रूप पत्र -22 पर तैयार किया जाएगा। लेखापरीक्षा में मास्टर रोल प्रस्तुत नहीं करने से उक्त व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी उ०प्र०पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए।

(6) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं-

ग्राम पंचायत- डिघारी का वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों विभिन्न कार्यों के सापेक्ष कुल रु0 871168.00 व्यय किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र० सं	कार्य का नाम	कार्य आईडी	कार्य का योग
1	पंचायत में सफाई कार्य	42762001	55206
2	कार्य का नाम अंकित नहीं है	14627579	9400
3	हैन्डपंप मरम्मत	42761242	45500
4	कार्य का नाम अंकित नहीं है	14627548	40154
5	कार्य का नाम अंकित नहीं है	17551625	27113
6	कार्य का नाम अंकित नहीं है	17551623	29948
7	प्रशासनिक व्यय	42767408	50000
8	नाली सफाई कार्य	42761822	49995
9	हैन्डपंप मरम्मत	42763018	41880
10	सामुदायिक शौचालय निर्माण	42764944	407832
11	हैन्डपंप रिबोर	42761631	114140
	योग		871168

उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 209 के अनुसार कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य ग्राम प्रधान या उसके अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत के किसी सदस्य को जिसे ग्राम पंचायत नियुक्त करे वह जारी करता है

वह यह प्रमाणित करता है की कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार पूर्ण हुआ है। यदि विचलन है तो उसका उल्लेख करेगा।

लेखापरीक्षा में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार नहीं हुआ है। उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए।

(7) व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया-

ग्राम पंचायत-डिघारी का वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में कुल रु0 881668.00 आहरित किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है

क्र० सं	कार्य का नाम	कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि	कार्य का योग
1	पंचायत में सफाई कार्य	42762001	महाराजा ट्रेडर्स	01.07.2020	19986	55206
			महाराजा ट्रेडर्स	22.07.2020	15220	
			ज्ञान प्रकाश	17.08.2020	10000	
			रामेश्वर इंटरप्राइजेज	19.08.2020	10000	
2	प्रधान मानदेय	42767295	ज्ञान प्रकाश	06.07.2020	10500	10500
3	कार्य का नाम अंकित नहीं है	14627579	जय दुर्गा महिला स्वयं सहायता समूह	20.7.2020	1400	9400
			स्वतंत्र भारत मीडिया	21.07.2020	3000	
			सरस ग्रुप	21.07.2020	3500	
			दीप कुमार गांबुसीया मछली	20.07.2020	1500	
4	हैन्डपंप मरम्मत	42761242	शुक्ला इंटरप्राइजेज	22.07.2020	31500	45500
			ज्ञान प्रकाश	22.07.2020	14000	

5	कार्य का नाम अंकित नहीं है	14627548	ज्ञान प्रकाश	17.08.2020	5000	40154
			रामेश्वर इंटरप्राइजेज	24.08.2020	35154	
6	कार्य का नाम अंकित नहीं है	17551625	ज्ञान प्रकाश	17.08.2020	5000	27113
			नवीन ब्रिक फील्ड	24.08.2020	22113	
7	कार्य का नाम अंकित नहीं है	17551623	ज्ञान प्रकाश	17.08.2020	5000	29948
			नवीन ब्रिक फील्ड	24.08.2020	24948	
8	प्रशासनिक व्यय	42767408	रामेश्वर इंटरप्राइजेज	19.08.2020	25000	50000
			रामेश्वर इंटरप्राइजेज	19.08.2020	25000	
9	नाली सफाई कार्य	42761822	ज्ञान प्रकाश	08.09.2020	29995	49995
			रामेश्वर इंटरप्राइजेज	08.09.2020	20000	
10	हैंडपंप मरम्मत	42763018	ज्ञान प्रकाश	08.09.2020	25895	41880
			रामेश्वर इंटरप्राइजेज	08.09.2020	15985	
11	सामुदायिक शौचालय निर्माण	42764944	नवीन ब्रिक फील्ड	09.11.2020	44100	407832
			श्रवण	09.11.2020	44000	
			माँ वैष्णो ट्रेडर्स	13.11.2020	4092	
			माँ वैष्णो ट्रेडर्स	13.11.2020	11130	
			माँ वैष्णो ट्रेडर्स	13.11.2020	8061	
			माँ वैष्णो ट्रेडर्स	13.11.2020	4251	
			माँ वैष्णो ट्रेडर्स	13.11.2020	7128	
			माँ वैष्णो ट्रेडर्स	13.11.2020	19454	
			माँ वैष्णो ट्रेडर्स	13.11.2020	11800	
			माँ वैष्णो ट्रेडर्स	13.11.2020	3816	
			अंश इंटरप्राइजेज	12.03.2021	250000	
12	हैंडपंप रिबोर	42761631	ज्ञान प्रकाश	17.12.2020	15500	114140
			विवेक	24.12.2020	18520	
			विवेक	24.12.2020	18520	
			शुक्ला इंटरप्राइजेज	25.12.2020	19200	
			शुक्ला इंटरप्राइजेज	25.12.2020	19200	
			शुक्ला इंटरप्राइजेज	25.12.2020	19200	
			शुक्ला इंटरप्राइजेज	25.12.2020	4000	
	योग					881668

क्रमांक 3,5 से 7 पर अंकित कार्य विभागीय वेबसाइट पर फ़िडेड वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कार्य योजना में दर्शित नहीं

क्रमांक 8 पर अंकित प्रशासनिक व्यय चतुर्थ वित्त आयोग की संस्तुति से प्राप्त धनराशि से किया गया जबकि शासनदेश संख्या 4/2019/125/33-1-2019-175 म0एस0 /2016 टी0 सी0 दिनांक 31.01.2019 के अनुसार आनुषांगिक व्यय की वार्षिक सीमा रु0 1740 तक व्यय किया जा सकता है।जबकि उक्तमद में रु 050000.00

व्यय किया गया। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त व्यय किस प्रयोजन हेतु किया गया यह लेखा परीक्षा में अनुत्तरित रहा।

मजदूरी का अधिकांश भुगतान ज्ञान प्रकाश को ही क्यों किया इसका औचित्य लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं हो सका।

उक्त कार्य के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया। जबकि ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8[क] के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से किया जाना चाहिए। उ०प्र० पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए। अतः कुल व्यय की गई धनराशि रु० 881668.00 (आठ लाख इक्कासी हजार छ सौ अड़सठ रुपये) में से ग्राम प्रधान श्री ज्ञान प्रकाश व तत्कालीन प्रशासक -सहायक विकास अधिकारी (दिनांक 25-12-2020 से 31-03-2021) से रु० 440834.00 (चार लाख चालीस हजार आठ सौ चौतीस रुपये) और ग्राम पंचायत सचिव श्री दीप कुमार से रु० 440834.00 (चार लाख चालीस हजार आठ सौ चौतीस रुपये) की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -बलसिंहखेड़ा विकास खंड - मोहनलाल गंज वर्ष -2020-21

प्रस्तर संख्या- 104

ग्राम पंचायत- बलसिंहखेड़ा में वित्तीय वर्ष 2020-21 में विकास एवं अन्य कार्यों पर कुल रु० 1364168.00 व्यय किया गया जिससे संबंधित निम्न लिखित आपत्तियाँ दर्शित हैं -

(1)सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित न करना -

ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 5 एवं शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-08-1586 दिनांक 23.09.08 के अनुसार रु० 100000.00 से अधिक की सामग्री क्रय सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित करके किया जायेगा, निविदाएं आमंत्रित करने में वस्तु का नाम, वस्तु की मात्रा, अनुमानित लागत, निविदाएं प्राप्त करने का समय एवं तिथि, निविदाएं खोलने की तिथि एवं समय इत्यादि का उल्लेख किया जाएगा। इच्छुक ठेकेदार को निविदा के साथ धरोहर की धनराशि जमा करना है। निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली फर्म सामग्री की अधिकृत विक्रेता/निर्माता होना चाहिये एवं फर्म की वित्तीय स्थिति जानने के लिए उनसे इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना चाहिए। पंचायत द्वारा उपरोक्त किसी प्रक्रिया का पालन नहीं करते हुए विभिन्न तिथियों में कुल रु० 1135352.00 की सामग्री क्रय किया गया।

(2)पत्रावली प्रस्तुत नहीं -

ग्राम पंचायत- बलसिंहखेड़ा का वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों विभिन्न कार्यों के सापेक्ष कुल रु० 1364168.00 व्यय किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है

क्र० सं	कार्य का नाम	कार्य आईडी	कार्य का योग
1	कार्य का नाम अंकित नहीं है	20966483	27972
2	कार्य का नाम अंकित नहीं है	14302905	29598
3	कार्य का नाम अंकित नहीं है	14302923	10000
4	कार्य का नाम अंकित नहीं है	1597962	15145
5	हैंडपंप मरम्मत	1597997	5000
6	कार्य का नाम अंकित नहीं है	20913097	36000
7	कार्य का नाम अंकित नहीं है	38408293	95000
8	कार्य का नाम अंकित नहीं है	43292692	6650
9	सामुदायिक शौचालय	43298351	625403
10	पंचायत भवन का बाउंड्री वाल निर्माण	43295901	172900
11	प्रा० वि० बलसिंह खेड़ा में मरम्मत व टाईल कार्य	43296943	196000
12	नया हैंडपंप लगवाने हेतु	43298244	90000
13	कार्य का नाम अंकित नहीं है	43292609	30000

14	प्रधान मानदेय	43294875	24500
	योग		1364168

कार्यों से संबंधित स्थलवार विवरण ,मानक,शासनदेश ,विभागीय परिपत्र ,पीडब्ल्यूडी द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र ,निर्देशो इत्यादि से लेखापरीक्षक अवगत नहीं हो सका निदेशक पंचायतीराज लखनउ उ०प्र० के पत्रांक4/175/2015-4/81/2015 दिनांक 20जून 2016 के प्रस्तर-3 के अनुसार प्रत्येक कार्य हेतु ग्राम पंचायत चरणबद्ध फोटो अनिवार्य रूप से संरक्षित करेगा परन्तु लेखा परीक्षा में कोई फोटो प्रस्तुत नहीं किया गया इससे स्पष्ट नहीं हो सका कि कार्य वास्तविक है या नहीं ।

(3)माप पुस्तिका व प्राक्कलन न प्रस्तुत किया जाना- -

ग्राम पंचायत- बलसिंहखेड़ा का वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों विभिन्न कार्यों के सापेक्ष कुल रु० 1339668.00 व्यय किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र० सं	कार्य का नाम	कार्य आईडी	कार्य का योग
1	कार्य का नाम अंकित नहीं है	20966483	27972
2	कार्य का नाम अंकित नहीं है	14302905	29598
3	कार्य का नाम अंकित नहीं है	14302923	10000
4	कार्य का नाम अंकित नहीं है	1597962	15145
5	हैंडपंप मरम्मत	1597997	5000
6	कार्य का नाम अंकित नहीं है	20913097	36000
7	कार्य का नाम अंकित नहीं है	38408293	95000
8	कार्य का नाम अंकित नहीं है	43292692	6650
9	सामुदायिक शौचालय	43298351	625403
10	पंचायत भवन का बाउंड्री वाल निर्माण	43295901	172900
11	प्रा० वि० बलसिंह खेड़ा में मरम्मत व टाईल कार्य	43296943	196000
12	नया हैंडपंप लगवाने हेतु	43298244	90000
13	कार्य का नाम अंकित नहीं है	43292609	30000
	योग		1339668

उ०प्र०पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152 एवं 154 के अनुसार सार्वजनिक कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन एवं मानचित्र ग्रामसभा से स्वीकृत होगा।अग्रेतर शासनदेश संख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के प्रस्तर 2(ब) तकनीकी परीक्षण 2 लाख तक ग्राम पंचायत , 2 से 2.5 लाख तक अवर अभियंता द्वारा तथा 2.5 लाख से ऊपर अभियंता जिला पंचायत द्वारा किया जाएगा । लेखा परीक्षा में उक्त कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन एवं मानचित्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

उ०प्र०पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 157 एवं समय-समय पर जारी निदेशक पंचायती राज के परिपत्रों एवं शासनादेशों के अनुसार बिना कार्य के माप-जोख के कोई भुगतान नहीं होगा।परन्तु लेखापरीक्षा में कार्य से सम्बन्धित मापपुस्तिका प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। । उ०प्र०पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार दुरुपयोग की गयी कुल धनराशि रु० 1339668.00 में से ग्राम प्रधान श्री फुलचंद व तत्कालीन प्रशासक -सहायक विकास अधिकारी (दिनांक 25-12-2020 से 31-03-2021) से रु० 669834.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री विनोद गौड़ से रु० 669834.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।।

(4)मास्टररोल प्रस्तुत नहीं करना -

ग्राम पंचायत- बलसिंहखेड़ा का वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में विभिन्न कार्यों के सापेक्ष कुल मजदूरी भुगतान रु0 204316.00 किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है -

क्र० सं	कार्य का नाम	कार्य आईडी	कार्य का योग
1	कार्य का नाम अंकित नहीं है	20966483	27972
2	कार्य का नाम अंकित नहीं है	14302905	9296
3	कार्य का नाम अंकित नहीं है	14302923	10000
4	कार्य का नाम अंकित नहीं है	1597962	9000
5	हैंडपंप मरम्मत	1597997	5000
6	सामुदायिक शौचालय	43298351	63048
7	पंचायत भवन का बाउंड्री वाल निर्माण	43295901	45000
8	प्रा० वि० बलसिंह खेड़ा में मरम्मत व टाईल कार्य	43296943	23000
9	कार्य का नाम अंकित नहीं है	43292609	12000
	योग		204316

उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 210 के अनुसार दैनिक मजदूरी पर कार्यरत मजदूरों की दैनिक उपस्थिति आदि के विवरण हेतु एक दैनिक उपस्थिति रजिस्टर रूप पत्र -22 पर तैयार किया जाएगा। लेखापरीक्षा में मस्टर रोल प्रस्तुत नहीं करने से उक्त व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए।

(5) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं-

ग्राम पंचायत- बलसिंहखेड़ा का वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में विभिन्न कार्यों के सापेक्ष कुल रु0 1339668.00 व्यय किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र० सं	कार्य का नाम	कार्य आईडी	कार्य का योग
1	कार्य का नाम अंकित नहीं है	20966483	27972
2	कार्य का नाम अंकित नहीं है	14302905	29598
3	कार्य का नाम अंकित नहीं है	14302923	10000
4	कार्य का नाम अंकित नहीं है	1597962	15145
5	हैंडपंप मरम्मत	1597997	5000
6	कार्य का नाम अंकित नहीं है	20913097	36000
7	कार्य का नाम अंकित नहीं है	38408293	95000
8	कार्य का नाम अंकित नहीं है	43292692	6650
9	सामुदायिक शौचालय	43298351	625403
10	पंचायत भवन का बाउंड्री वाल निर्माण	43295901	172900
11	प्रा० वि० बलसिंह खेड़ा में मरम्मत व टाईल कार्य	43296943	196000
12	नया हैंडपंप लगवाने हेतु	43298244	90000
13	कार्य का नाम अंकित नहीं है	43292609	30000
	योग		1339668

उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 209 के अनुसार कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य ग्राम प्रधान या उसके अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत के किसी सदस्य को जिसे ग्राम पंचायत नियुक्त करे वह जारी करता है

वह यह प्रमाणित करता है की कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार पूर्ण हुआ है। यदि विचलन है तो उसका उल्लेख करेगा।

लेखापरीक्षा में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार नहीं हुआ है। उ०प्र०पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए।

(6)व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया-

ग्राम पंचायत-बलसिंहखेड़ा का वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में कुल रु० 1364168.00 आहरित किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है

क्र० सं	कार्य का नाम	कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि	कार्य का योग
1	कार्य का नाम अंकित नहीं है	20966483	फुलचंद	09.04.2020	27972	27972
2	कार्य का नाम अंकित नहीं है	14302905	सूरज ट्रेडर्स	09.04.2020	11402	29598
			कुरैसी इंटरप्राइजेज	09.04.2020	8900	
			फुलचंद	09.04.2020	9296	
3	कार्य का नाम अंकित नहीं है	14302923	फुलचंद	14.07.2020	10000	10000
4	कार्य का नाम अंकित नहीं है	1597962	महादेव	23.07.2020	9000	15145
			विद्या इंटरप्राइजेज	01.10.2020	2995	
			एवरेडी न्यूज	06.10.2020	3150	
5	हैंडपंप मरम्मत	1597997	सत्रोहन	23.07.2020	5000	5000
6	कार्य का नाम अंकित नहीं है	20913097	कुरैसी इंटरप्राइजेज	23.07.2020	36000	36000
7	कार्य का नाम अंकित नहीं है	38408293	सूरज ट्रेडर्स	23.07.2020	95000	95000
8	कार्य का नाम अंकित नहीं है	43292692	सरस ग्रुप	04.09.2020	3050	6650
			विद्या इंटरप्राइजेज	11.11.2020	3600	
9	सामुदायिक शौचालय	43298351	सूरज ट्रेडर्स	21.09.2020	97740	625403
			विकाश ब्रिक फील्ड	21.09.2020	48090	
			कुरैसी इंटरप्राइजेज	21.09.2020	25000	
			फुलचंद	21.09.2020	24000	
			अभिषेक	11.11.2020	5000	
			सूरज ट्रेडर्स	11.11.2020	15000	
			कुरैसी इंटरप्राइजेज	11.11.2020	54000	
			विकाश ब्रिक फील्ड	11.11.2020	73500	
			कुरैसी इंटरप्राइजेज	12.12.2020	20000	
			कुरैसी इंटरप्राइजेज	12.12.2020	35000	
			सानू	12.12.2020	18000	
			कुरैसी इंटरप्राइजेज	27.03.2021	91500	
			माँ भगवती ब्रिक फील्ड	27.03.2021	11025	

			सूरज ट्रेडर्स	27.03.2021	85000	
			पार्थ इंटरप्राइजेज	27.03.2021	6500	
			महादेव	27.03.2021	16048	
10	पंचायत भवन का बाउंड्री वाल निर्माण	43295901	महादेव	21.10.2020	45000	172900
			विकाश ब्रिक फील्ड	21.10.2020	102900	
			सूरज ट्रेडर्स	11.11.2020	25000	
11	प्रधान मानदेय	43294875	फुलचंद	21.10.2020	21000	24500
				11.11.2020	3500	
12	प्रा0 वि0 बलसिंह खेड़ा में मरम्मत व टाईल कार्य	43296943	कुरैसी इंटरप्राइजेज	21.10.2020	128000	196000
			सूरज ट्रेडर्स	21.10.2020	45000	
			फुलचंद	21.10.2020	23000	
13	नया हैंडपंप लगवाने हेतु	43298244	कुरैसी इंटरप्राइजेज	21.10.2020	30000	90000
			कुरैसी इंटरप्राइजेज	21.10.2020	30000	
			कुरैसी इंटरप्राइजेज	21.10.2020	30000	
14	कार्य का नाम अंकित नहीं है	43292609	कुरैसी इंटरप्राइजेज	12.12.2020	18000	30000
			सत्रोहन	12.12.2020	12000	
	योग					1364168

क्रमांक 1 से 4 व 6 से 8 तथा 14 पर अंकित कार्य विभागीय वेबसाइट पर फिडेड वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कार्य योजना में दर्शित नहीं

क्रमांक 13 पर अंकित कार्य नया हैंडपंप लगवाने हेतु व्यय किया गया है जबकि शासनादेश सं01138/अडतीस-5-56-सम/2010 दिनांक 29 जून 2011 के प्रस्तर-1 के अनुसार इण्डिया मार्का-2 हैंडपम्प कार्य दायी संस्था (उ0 प्र0 जल निगम /यू 0 पी0 एग्री लि0) द्वारा स्थापना के बाद ग्रामपंचायत को रखरखाव मजदूरी का अधिकांश भुगतान फुलचंद को ही क्यों किया इसका औचित्य लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं हो सका। उक्त कार्य के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया। जबकि ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8[क] के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से किया जाना चाहिए। उ0 प्र0 पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए। अतः कुल व्यय की गई धनराशि रु0 1364168.00 (तेरह लाख चौसठ हजार एक सौ अड़सठ रुपये) में से ग्राम प्रधान श्री फुलचंद व तत्कालीन प्रशासक -सहायक विकास अधिकारी (दिनांक 25-12-2020 से 31-03-2021) से रु0 682084.00 (छ लाख बयासी हजार चौरासी रुपये) और ग्राम पंचायत सचिव श्री विनोद गौड़ से रु0 682084.00 (छ लाख बयासी हजार चौरासी रुपये) की वसूली किया जाना अपेक्षित है।।

ग्राम पंचायत -मीरखनगर विकास खंड - मोहनलाल गंज वर्ष -2020-21

प्रस्तर संख्या- 105

ग्राम पंचायत- मीरखनगर में वित्तीय वर्ष 2020-21 में विकास एवं अन्य कार्यों पर कुल रु 0 3171204.00 व्यय किया गया जिससे संबंधित निम्न लिखित आपत्तियाँ दर्शित हैं-

(1)सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित न करना-

ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 5 एवं शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-08-1586 दिनांक 23.09.08 के अनुसार रु0100000.00 से अधिक की सामग्री क्रय सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित

करके किया जायेगा, निविदाएं आमंत्रित करने में वस्तु का नाम ,वस्तु की मात्रा , अनुमानित लागत ,निविदाएं प्राप्त करने का समय एवं तिथि ,निविदाएं खोलने की तिथि एवं समय इत्यादि का उल्लेख किया जाएगा । इच्छुक ठेकेदार को निविदा के साथ धरोहर की धनराशि जमा करना है । निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली फर्म सामग्री की अधिकृत विक्रेता/निर्माता होना चाहिये एवं फर्म की वित्तीय स्थिति जानने के लिए उनसे इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना चाहिए ।पंचायत द्वारा उपरोक्त किसी प्रक्रिया का पालन नहीं करते हुए विभिन्न तिथियों में कुल रु 2629778.00 की सामग्री क्रय किया गया ।

(2)नियम विरुद्ध हैडपंप मरम्मत /रिबोर करवाना -

ग्राम पंचायत-मीरखनगर का वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि हैडपंप मरम्मत/रिबोर पर रु0 311000.00 व्यय किया गया है । जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र 0 सं	कार्य का नाम	कार्य आईडी	कार्य का योग
12	हैडपंप रिबोर	43288745	175000
13	हैडपंप रिबोर	43288841	136000
	योग		311000

शासनादेश सं01138/अडतीस-5-56-सम/2010 दिनांक29जून2011के पस्तर-1 के अनुसार इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प स्थापना के बाद ग्रामपंचायत को रखरखाव हेतु हस्तान्तरित किया जायेगा प्रस्तर-2 के अनुसार हस्तान्तरित हैण्डपम्प ग्रामपंचायत के खुली बैठक में अनुमोदनोपरान्त परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा परन्तु लेखापरीक्षा में परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं करने यह स्पष्ट नहीं हो सका कि हैण्डपम्प हस्तान्तरित है या नहीं । हैडपंप मरम्मत का स्थलवार विवरण ,प्राक्कलन ,चरणबद्ध फोटो ,कार्यपूति प्रमाण पत्र इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। उ0प्र0पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए।

(3)पत्रावली प्रस्तुत नहीं -

ग्राम पंचायत- मीरखनगर का वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों विभिन्न कार्यों के सापेक्ष कुल रु0 3171204.00 व्यय किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र0 सं	कार्य का नाम	कार्य आईडी	व्यय की गई धनराशि
1	सामुदायिक केंद्र के बाउंड्री का निर्माण	14125750	25000
2	कार्य का नाम अंकित नहीं है	20406262	20500
3	कार्य का नाम अंकित नहीं है	14125733	14000
4	अंजनी के घर से पेहुनके घर तक नाली व खड़जा निर्माण	20406270	248570
5	प्रा0 वि0 मीरखनगर में अतिरिक्त कक्ष का मरम्मत	20406278	122860
6	पशु आश्रय केंद्र में तीन शेड व नांद निर्माण	43300035	191896
7	सफाई कार्य	28705903	11055
8	पशु आश्रय केंद्र में भूसा घर का निर्माण	43300199	244679
9	सामुदायिक शौचालय	43292264	736833
10	हैडपंप मरम्मत	43288987	50000
11	प्रा0 वि0 काशीमपुर	43298565	150000
12	हैडपंप रिबोर	43288745	175000
13	हैडपंप रिबोर	43288841	136000
14	मुन्नी के घर से माईनर तक नाली निर्माण	43294487	138640

15	पानी की टंकी का निर्माण	43292878	86570
16	कार्य का नाम अंकित नहीं है	43300519	35900
17	कार्य का नाम अंकित नहीं है	43297762	66000
18	कार्य का नाम अंकित नहीं है	45419879	57000
19	कार्य का नाम अंकित नहीं है	43291924	22500
20	पू0 मा0 वि0में अतिरिक्त कक्ष निर्माण	43297612	177000
21	कार्य का नाम अंकित नहीं है	43297434	100750
22	पशु आश्रय केंद्र चौकीदार	43299831	80400
23	प्रशासनिक व्यय	43293250	77741
24	गो वंश आश्रय स्थल चौकीदार मानदेय	43484704	177810
25	प्रधान मानदेय	43299689	24500
			3171204

कार्यों से संबंधित स्थलवार विवरण ,मानक,शासनदेश ,विभागीय परिपत्र ,पीडब्ल्यूडी द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र ,निर्देशो इत्यादि से लेखापरीक्षक अवगत नहीं हो सका निदेशक पंचायतीराज लखनउ उ0प्र0 के पत्रांक4/175/2015-4/81/2015 दिनांक 20जून 2016 के प्रस्तर-3 के अनुसार प्रत्येक कार्य हेतु ग्राम पंचायत चरणबद्ध फोटा अनिवार्य रूप से संरक्षित करेगा परन्तु लेखा परीक्षा में कोई फोटो प्रस्तुत नहीं किया गया इससे स्पष्ट नहीं हो सका कि कार्य वास्तविक है या नहीं ।

(4)भाप पुस्तिका व प्राक्कलन न प्रस्तुत किया जाना- -

ग्राम पंचायत- मीरखनगर का वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों विभिन्न कार्यों के सापेक्ष कुल रु0 2880098.00 व्यय किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र0 सं	कार्य का नाम	कार्य आईडी	व्यय की गई धनराशि
1	सामुदायिक केंद्र के बाउंड्री का निर्माण	14125750	25000
2	कार्य का नाम अंकित नहीं है	20406262	20500
3	कार्य का नाम अंकित नहीं है	14125733	14000
4	अंजनी के घर से पेहुनके घर तक नाली व खड़जा निर्माण	20406270	248570
5	प्रा0 वि0 मीरखनगर में अतिरिक्त कक्ष का मरम्मत	20406278	122860
6	पशु आश्रय केंद्र में तीन शेड व नांद निर्माण	43300035	191896
7	पशु आश्रय केंद्र में भूसा घर का निर्माण	43300199	244679
8	सामुदायिक शौचालय	43292264	736833
9	हैन्डपंप मरम्मत	43288987	50000
10	प्रा0 वि0 काशीमपुर	43298565	150000
11	हैन्डपंप रिबोर	43288745	175000
12	हैन्डपंप रिबोर	43288841	136000
13	मुन्नी के घर से माईनर तक नाली निर्माण	43294487	138640
14	पानी की टंकी का निर्माण	43292878	86570
15	कार्य का नाम अंकित नहीं है	43300519	35900
16	कार्य का नाम अंकित नहीं है	43297762	66000
17	कार्य का नाम अंकित नहीं है	45419879	57000
18	कार्य का नाम अंकित नहीं है	43291924	22500

19	पू0 मा0 वि0में अतिरिक्त कक्ष निर्माण	43297612	177000
20	कार्य का नाम अंकित नहीं है	43297434	100750
21	पशु आश्रय केंद्र चौकीदार	43299831	80400
			2880098

उ0प्र0पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152 एवं 154 के अनुसार सार्वजनिक कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन एवं मानचित्र ग्रामसभा से स्वीकृत होगा। अग्रेतर शासनदेश संख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के प्रस्तर 2(ब) तकनीकी परीक्षण 2 लाख तक ग्राम पंचायत, 2 से 2.5 लाख तक अवर अभियंता द्वारा तथा 2.5 लाख से ऊपर अभियंता जिला पंचायत द्वारा किया जाएगा। लेखा परीक्षा में उक्त कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन एवं मानचित्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

उ0प्र0पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 157 एवं समय-समय पर जारी निदेशक पंचायती राज के परिपत्रों एवं शासनादेशों के अनुसार बिना कार्य के माप-जोख के कोई भुगतान नहीं होगा। परन्तु लेखापरीक्षा में कार्य से सम्बन्धित मापपुस्तिका प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। उ0प्र0पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार दुरुपयोग की गयी कुल धनराशि रु0 2880098.00 (इकतीस लाख इकहत्तर हजार दो सौ चार रुपये) में से ग्राम प्रधान श्रीमती सरला देवी व तत्कालीन प्रशासक -सहायक विकास अधिकारी (दिनांक 25-12-2020 से 31-03-2021) से रु0 1440049.00 (चौदह लाख चालीस हजार उनचास रुपये) और ग्राम पंचायत सचिव श्री विनोद गौड़ से रु0 1440049.00 (चौदह लाख चालीस हजार उनचास रुपये) की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(5) मास्टर रोल प्रस्तुत नहीं करना -

ग्राम पंचायत- मीरखनगर का वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों विभिन्न कार्यों के सापेक्ष कुल रु0 261375.00 मजदूरी पर व्यय किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र0 सं	कार्य का नाम	कार्य आईडी	व्यय की गई धनराशि
1	सामुदायिक केंद्र के बाउंड्री का निर्माण	14125750	21000
2	कार्य का नाम अंकित नहीं है	14125733	14000
3	अंजनी के घर से पेहुनके घर तक नाली व खडंजा निर्माण	20406270	27460
4	प्रा0 वि0 मीरखनगर में अतिरिक्त कक्ष का मरम्मत	20406278	62860
5	सामुदायिक शौचालय	43292264	68500
6	कार्य का नाम अंकित नहीं है	43300519	10500
7	कार्य का नाम अंकित नहीं है	43297762	31000
8	कार्य का नाम अंकित नहीं है	43297434	15000
9	सफाई		11055
			261375

उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 210 के अनुसार दैनिक मजदूरी पर कार्यरत मजदूरों की दैनिक उपस्थिति आदि के विवरण हेतु एक दैनिक उपस्थिति रजिस्टर रूप पत्र -22 पर तैयार किया जाएगा। लेखापरीक्षा में मास्टर रोल प्रस्तुत नहीं करने से उक्त व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी उ0प्र0पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए।

(6) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करना -

ग्राम पंचायत- मीरखनगर का वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों विभिन्न कार्यों के सापेक्ष कुल रु0 2880098.00 व्यय किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र0 सं	कार्य का नाम	कार्य आईडी	व्यय की गई धनराशि

1	सामुदायिक केंद्र के बाउंड्री का निर्माण	14125750	25000
2	कार्य का नाम अंकित नहीं है	20406262	20500
3	कार्य का नाम अंकित नहीं है	14125733	14000
4	अंजनी के घर से पेहुनके घर तक नाली व खड़जा निर्माण	20406270	248570
5	प्रा0 वि0 मीरखनगर में अतिरिक्त कक्ष का मरम्मत	20406278	122860
6	पशु आश्रय केंद्र में तीन शेड व नांद निर्माण	43300035	191896
7	पशु आश्रय केंद्र में भूसा घर का निर्माण	43300199	244679
8	सामुदायिक शौचालय	43292264	736833
9	हैन्डपंप मरम्मत	43288987	50000
10	प्रा0 वि0 काशीमपुर	43298565	150000
11	हैडपंप रिबोर	43288745	175000
12	हैडपंप रिबोर	43288841	136000
13	मुन्नी के घर से माईनर तक नाली निर्माण	43294487	138640
14	पानी की टंकी का निर्माण	43292878	86570
15	कार्य का नाम अंकित नहीं है	43300519	35900
16	कार्य का नाम अंकित नहीं है	43297762	66000
17	कार्य का नाम अंकित नहीं है	45419879	57000
18	कार्य का नाम अंकित नहीं है	43291924	22500
19	पू0 मा0 वि0में अतिरिक्त कक्ष निर्माण	43297612	177000
20	कार्य का नाम अंकित नहीं है	43297434	100750
21	पशु आश्रय केंद्र चौकीदार	43299831	80400
			2880098

उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 209 के अनुसार कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य ग्राम प्रधान या उसके अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत के किसी सदस्य को जिसे ग्राम पंचायत नियुक्त करे वह जारी करता है

वह यह प्रमाणित करता है की कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार पूर्ण हुआ है। यदि विचलन है तो उसका उल्लेख करेगा।

लेखापरीक्षा में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार नहीं हुआ है। उ0प्र0पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए।

(7)व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया -

ग्राम पंचायत- मीरखनगर का वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में कुल रु0 3171204.00 आहरित किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है

क्र 0 सं	कार्य का नाम	कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि	कार्य का योग
1	सामुदायिक केंद्र के बाउंड्री का निर्माण	14125750	संदीप कुमार	01.04.2020	21000	25000
			कुरैसी इंटरप्राइजेज	01.04.2020	4000	
2	कार्य का नाम अंकित नहीं है	20406262	सूरज ट्रेडर्स	01.04.2020	20500	20500
3	कार्य का नाम अंकित नहीं है	14125733	सरला देवी	13.04.2020	14000	14000
4	अंजनी के घर से पेहुनके घर तक नाली व खड़जा निर्माण	20406270	अनिल	13.04.2020	27460	248570
			माँ भगवती ब्रिक	13.04.2020	36540	

			PSS ट्रेडिंग कंपनी	13.04.2020	161070	
			सूरज ट्रेडिंग कंपनी	13.04.2020	23500	
5	प्रा0 वि0 मीरखनगर में अतिरिक्त कक्ष का मरम्मत	20406278	संदीप कुमार	13.04.2020	31920	122860
			सुखदेव	13.04.2020	30940	
			सूरज ट्रेडिंग कंपनी	13.04.2020	35000	
			साई ट्रेडर्स	13.04.2020	25000	
6	पशु आश्रय केंद्र में तीन शेड व नांद निर्माण	43300035	सूरज ट्रेडिंग कंपनी	27.08.2020	141140	191896
			साई ट्रेडर्स	27.08.2020	19256	
			माँ भगवती ब्रिक	27.08.2020	31500	
7	सफाई कार्य	28705903	सरला	11.07.2020	11055	11055
8	पशु आश्रय केंद्र में भूसा घर का निर्माण	43300199	साई ट्रेडर्स	27.08.2020	42458	244679
			माँ भगवती ब्रिक	27.08.2020	80434	
			सूरज ट्रेडर्स	27.08.2020	20000	
			सूरज ट्रेडर्स	27.08.2020	54697	
			साई ट्रेडर्स	04.09.2020	47090	
9	सामुदायिक शौचालय	43292264	माँ भगवती ब्रिक	30.09.2020	92088	736833
			शिखा ब्रिक फील्ड	30.09.2020	33390	
			साई ट्रेडर्स	30.09.2020	90000	
			सूरज ट्रेडर्स	30.09.2020	155740	
			अनिल कुमार	30.09.2020	24000	
			सिंह ट्रेडर्स	21.10.2020	45000	
			दीपू	12.11.2020	6000	
			साई ट्रेडर्स	23.12.2020	30000	
			कुरैसी ट्रेडर्स	23.12.2020	84000	
			रामेश्वर	23.12.2020	19000	
			कुरैसी ट्रेडर्स	27.03.2021	36500	
			माँ भगवती ब्रिक	27.03.2021	6615	
			कुरैसी इंटरप्राइजेज	27.03.2021	35000	
			शुक्ला इंटरप्राइजेज	27.03.2021	60000	
			संजु	27.03.2021	19500	
10	हैंडपंप मरम्मत	43288987	सिंह ट्रेडर्स	21.10.2020	35000	50000
			कुरैसी इंटरप्राइजेज	21.10.2020	15000	
11	प्रा0 वि0 काशीमपुर	43298565	चौधरी इंजी0 वर्क	21.10.2020	150000	150000
12	हैंडपंप रिबोर	43288745	सिंह ट्रेडर्स	21.10.2020	175000	175000
13	हैंडपंप रिबोर	43288841	कुरैसी इंटरप्राइजेज	03.11.2020	136000	136000
14	मुन्नी के घर से माईनर तक नाली निर्माण	43294487	साई ट्रेडर्स	23.12.2020	68500	138640
			माँ भगवती ब्रिक	23.12.2020	70140	
15	पानी की टंकी का निर्माण	43292878	सूरज ट्रेडर्स	28.03.2021	36000	86570
			माँ भगवती ब्रिक	28.03.2021	50570	
16	कार्य का नाम अंकित नहीं है	43300519	सूरज ट्रेडर्स	28.03.2021	25400	35900

			अनिल	28.03.2021	10500	
17	कार्य का नाम अंकित नहीं है	43297762	सूरज ट्रेडर्स	28.03.2021	35000	66000
			अनिल	28.03.2021	16000	
			रामेश्वर	28.03.2021	15000	
18	कार्य का नाम अंकित नहीं है	45419879	शुक्ला इंटरप्राइजेज	28.03.2021	57000	57000
19	कार्य का नाम अंकित नहीं है	43291924	कुरैसी इंटरप्राइजेज	28.03.2021	22500	22500
20	पू० मा० वि०में अतिरिक्त कक्ष निर्माण	43297612	सूरज ट्रेडर्स	28.03.2021	42000	177000
			Jsm इंटरप्राइजेज	30.03.2021	70000	
			कुरैसी इंटरप्राइजेज	30.03.2021	65000	
21	कार्य का नाम अंकित नहीं है	43297434	माँ भगवती ब्रिक	28.03.2021	47750	100750
			साई ट्रेडर्स	28.03.2021	38000	
			रामेश्वर	28.03.2021	15000	
22	पशु आश्रय केंद्र चौकीदार	43299831	आरती	13.03.2021	22311	80400
			ज्ञानवती	13.03.2021	22311	
			आरती	27.03.2021	5628	
			आरती	27.03.2021	5628	
			राजकुमार	30.03.2021	24522	
23	प्रशासनिक व्यय	43293250	सरस ग्रुप	04.09.2020	3050	77741
			राजकुमार	30.09.2020	47315	
			एवरेडी न्यूज	21.10.2020	3150	
			विद्या इंटरप्राइजेज	21.10.2020	2995	
			रामफेर	12.11.2020	6231	
			कुरैसी इंटरप्राइजेज	12.11.2020	15000	
24	गो वंश आश्रय स्थल चौकीदार मानदेय	43484704	रामसरण	04.07.2020	25794	177810
			रामकुमार		34853	
			रामफेर		15852	
			आरती		22817	
			ज्ञानवती		22817	
			रामफेर		12462	
			ज्ञानवती		18492	
			आरती		18492	
			राजकुमार		6231	
25	मानदेय	43299689	सरला	21.10.2020	21000	24500
				21.10.2020	3500	
	योग					3171204

क्रमांक 2,3,16 से 19, व 21 पर अंकित कार्य विभागीय वेबसाईट पर फिडेड वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कार्य योजना में दर्शित नहीं ।

क्रमांक 2,6,8,10,11 से 15 तक 18 से 20 तक अंकित कार्यों के सापेक्ष कोई मजदूरी का भुगतान दर्शित नहीं है यह गंभीर प्रकरण है

उक्त कार्य के सापेक्ष लेखापरीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया। जबकि ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8[क] के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से किया जाना चाहिए। उ०प्र० पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए। अतः कुल व्यय की गई धनराशि रु० 3171204.00 (इकतीस लाख इकहत्तर हजार दो सौ चार रुपये) में से ग्राम प्रधान श्रीमती सरला देवी व तत्कालीन प्रशासक -सहायक विकास अधिकारी (दिनांक 25-12-2020 से 31-03-2021) से रु० 1585602.00 (पंद्रह लाख पिच्चासी हजार छ सौ दो रुपये) और ग्राम पंचायत सचिव श्री विनोद गौड़ से रु० 1585602.00 (पंद्रह लाख पिच्चासी हजार छ सौ दो रुपये)की वसूली किया जाना अपेक्षित है।।

ग्राम पंचायत- रामपुरगढ़ी जमुनी विकास खंड - मोहनलाल गंज वर्ष -2020-21

प्रस्तर संख्या- 106

ग्राम पंचायत- रामपुरगढ़ी जमुनी में वित्तीय वर्ष 2020-21 में विकास एवं अन्य कार्यों पर कुल रु० 1291510.00 व्यय किया गया जिससे संबंधित निम्न लिखित आपत्तियाँ दर्शित हैं -

(1)सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित न करना-

ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 5 एवं शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-08-1586 दिनांक 23.09.08 के अनुसार रु० 100000.00 से अधिक की सामग्री क्रय सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित करके किया जायेगा, निविदाएं आमंत्रित करने में वस्तु का नाम, वस्तु की मात्रा, अनुमानित लागत, निविदाएं प्राप्त करने का समय एवं तिथि, निविदाएं खोलने की तिथि एवं समय इत्यादि का उल्लेख किया जाएगा। इच्छुक ठेकेदार को निविदा के साथ धरोहर की धनराशि जमा करना है। निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली फर्म सामग्री की अधिकृत विक्रेता/निर्माता होना चाहिये एवं फर्म की वित्तीय स्थिति जानने के लिए उनसे इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना चाहिए। पंचायत द्वारा उपरोक्त किसी प्रक्रिया का पालन नहीं करते हुए विभिन्न तिथियों में कुल रु 806434.00 की सामग्री क्रय किया गया

(2)नियम विरुद्ध हैण्डपंप मरम्मत /रिबोर करवाना -

ग्राम पंचायत-रामपुरगढ़ी जमुनी का वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि हैण्डपंप मरम्मत/रिबोर पर रु० 276211.00 व्यय किया गया है। जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र० सं	कार्य का नाम	कार्य आईडी	कार्य का योग
1	हैण्डपंप रिबोर	42777830	226350
2	हैण्डपंप मरम्मत	42776638	49861
	योग		276211

शासनादेश सं० 1138/अडतीस-5-56-सम/2010 दिनांक 29 जून 2011 के प्रस्तर-1 के अनुसार इण्डिया मार्क-2 हैण्डपंप स्थापना के बाद ग्रामपंचायत को रखरखाव हेतु हस्तान्तरित किया जायेगा प्रस्तर-2 के अनुसार हस्तान्तरित हैण्डपंप ग्रामपंचायत के खुली बैठक में अनुमोदनोपरान्त परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा परन्तु लेखापरीक्षा में परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं करने यह स्पष्ट नहीं हो सका कि हैण्डपंप हस्तान्तरित है या नहीं। हैण्डपंप मरम्मत का स्थलवार विवरण, प्राक्कलन, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूति प्रमाण पत्र इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। उ०प्र० पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए।

(3)पत्रावली प्रस्तुत नहीं -

ग्राम पंचायत- रामपुरगढ़ी जमुनी का वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों विभिन्न कार्यों के सापेक्ष कुल रु0 1210890.00 व्यय किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र० सं	कार्य का नाम	कार्य आईडी	कार्य धनराशि का योग
1	हैन्डपंप रिबोर	42777830	226350
2	कार्य का नाम अंकित नहीं है	42777930	75595
3	पक्की सड़क से राम आशरे के बाग तक कच्ची सड़क मरम्मत	42779414	100000
4	हैन्डपंप मरम्मत	42776638	49861
5	कार्य का नाम अंकित नहीं है	42775770	70000
6	पंचायत भवन मरम्मत	42780864	120000
7	कार्य का नाम अंकित नहीं है	17552694	1400
8	कार्य का नाम अंकित नहीं है	31736617	21700
9	कार्य का नाम अंकित नहीं है	17552693	25000
10	कार्य का नाम अंकित नहीं है	14171395	10000
11	कार्य का नाम अंकित नहीं है	14171372	50000
12	सामुदायिक शौचालय निर्माण	4276101	460984
	योग		1210890

कार्यों से संबंधित स्थलवार विवरण ,मानक,शासनदेश ,विभागीय परिपत्र ,पीडब्ल्यूडी द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र ,निर्देशो इत्यादि से लेखापरीक्षक अवगत नहीं हो सका निदेशक पंचायतीराज लखनउ उ०प्र० के पत्रांक4/175/2015-4/81/2015 दिनांक 20जून 2016 के प्रस्तर-3 के अनुसार प्रत्येक कार्य हेतु ग्राम पंचायत चरणबद्ध फोटा अनिवार्य रूप से संरक्षित करेगा परन्तु लेखा परीक्षा में कोई फोटो प्रस्तुत नहीं किया गया इससे स्पष्ट नहीं हो सका कि कार्य वास्तविक है या नहीं ।

(4)माप पुस्तिका व प्राक्कलन न प्रस्तुत किया जाना- -

ग्राम पंचायत- रामपुरगढ़ी जमुनी का वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों विभिन्न कार्यों के सापेक्ष कुल रु0 1210890.00 व्यय किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र० सं	कार्य का नाम	कार्य आईडी	कार्य का योग
1	हैन्डपंप रिबोर	42777830	226350
2	कार्य का नाम अंकित नहीं है	42777930	75595
3	पक्की सड़क से राम आशरे के बाग तक कच्ची सड़क मरम्मत	42779414	100000

4	हैन्डपंप मरम्मत	42776638	49861
5	कार्य का नाम अंकित नहीं है	42775770	70000
6	पंचायत भवन मरम्मत	42780864	120000
7	कार्य का नाम अंकित नहीं है	17552694	1400
8	कार्य का नाम अंकित नहीं है	31736617	21700
9	कार्य का नाम अंकित नहीं है	17552693	25000
10	कार्य का नाम अंकित नहीं है	14171395	10000
11	कार्य का नाम अंकित नहीं है	14171372	50000
12	सामुदायिक शौचालय निर्माण	4276101	460984
	योग		1210890

उ०प्र०पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152 एवं 154 के अनुसार सार्वजनिक कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन एवं मानचित्र ग्रामसभा से स्वीकृत होगा। अग्रेतर शासनदेश संख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के प्रस्तर 2(ब) तकनीकी परीक्षण 2 लाख तक ग्राम पंचायत, 2 से 2.5 लाख तक अवर अभियंता द्वारा तथा 2.5 लाख से ऊपर अभियंता जिला पंचायत द्वारा किया जाएगा। लेखा परीक्षा में उक्त कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन एवं मानचित्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

उ०प्र०पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 157 एवं समय-समय पर जारी निदेशक पंचायती राज के परिपत्रों एवं शासनादेशों के अनुसार बिना कार्य के माप-जोख के कोई भुगतान नहीं होगा। परन्तु लेखापरीक्षा में कार्य से सम्बन्धित मापपुस्तिका प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी।। उ०प्र०पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार दुरुपयोग की गयी कुल धनराशि रु० 1210890.00 (बारह लाख दस हजार आठ सौ नब्बे रुपये) में से ग्राम प्रधान श्री ज्ञान प्रकाश व तत्कालीन प्रशासक -सहायक विकास अधिकारी (दिनांक 25-12-2020 से 31-03-2021) व तत्कालीन प्रशासक -सहायक विकास अधिकारी (दिनांक 25-12-2020 से 31-03-2021) से रु० 605445.00 (छ लाख पाँच हजार पैतालीस रुपये) और ग्राम पंचायत सचिव श्री दीप कुमार से रु० 605445.00 (छ लाख पाँच हजार पैतालीस रुपये) की वसूली किया जाना अपेक्षित है।।

(5) मास्टररोल प्रस्तुत नहीं करना -

ग्राम पंचायत- रामपुरगढ़ी जमुनी का वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों विभिन्न कार्यों के सापेक्ष कुल रु० 453576.00 मजदूरी पर व्यय किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र० सं	कार्य का नाम	कार्य आईडी	मजदूरी पर किया गया व्यय
1	हैन्डपंप रिबोर	42777830	111120
2	कार्य का नाम अंकित नहीं है	42777930	52500
3	पक्की सड़क से राम आशरे के बाग तक कच्ची सड़क मरम्मत	42779414	100000

4	हैन्डपंप मरम्मत	42776638	30756
5	कार्य का नाम अंकित नहीं है	42775770	30000
6	पंचायत भवन मरम्मत	42780864	60000
7	कार्य का नाम अंकित नहीं है	31736617	15200
8	कार्य का नाम अंकित नहीं है	14171395	10000
9	कार्य का नाम अंकित नहीं है	14171372	25000
10	सफाई	42777417	19000
	योग		453576

उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 210 के अनुसार दैनिक मजदूरी पर कार्यरत मजदूरों की दैनिक उपस्थिति आदि के विवरण हेतु एक दैनिक उपस्थिति रजिस्टर रूप पत्र -22 पर तैयार किया जाएगा। लेखापरीक्षा में मस्टर रोल प्रस्तुत नहीं करने से उक्त व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए।

(6) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करना -

ग्राम पंचायत- रामपुरगढ़ी जमुनी का वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों विभिन्न कार्यों के सापेक्ष कुल रु० 1210890.00 व्यय किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र० सं	कार्य का नाम	कार्य आईडी	कार्य का योग
1	हैन्डपंप रिबोर	42777830	226350
2	कार्य का नाम अंकित नहीं है	42777930	75595
3	पक्की सड़क से राम आशरे के बाग तक कच्ची सड़क मरम्मत	42779414	100000
4	हैन्डपंप मरम्मत	42776638	49861
5	कार्य का नाम अंकित नहीं है	42775770	70000
6	पंचायत भवन मरम्मत	42780864	120000
7	कार्य का नाम अंकित नहीं है	17552694	1400
8	कार्य का नाम अंकित नहीं है	31736617	21700
9	कार्य का नाम अंकित नहीं है	17552693	25000
10	कार्य का नाम अंकित नहीं है	14171395	10000

11	कार्य का नाम अंकित नहीं है	14171372	50000
12	सामुदायिक शौचालय निर्माण	4276101	460984
	योग		1210890

उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 209 के अनुसार कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य ग्राम प्रधान या उसके अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत के किसी सदस्य को जिसे ग्राम पंचायत नियुक्त करे वह जारी करता है वह यह प्रमाणित करता है की कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार पूर्ण हुआ है। यदि विचलन है तो उसका उल्लेख करेगा।

लेखापरीक्षा में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार नहीं हुआ है। उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए।

(7) व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया --

ग्राम पंचायत-रामपुरगढ़ी जमुनी का वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में कुल रु० 1291510.00 आहरित किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है

क्र 0 सं	कार्य का नाम	कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि	कार्य का योग
1	हैन्डपंप रिबोर	42777830	शुक्ला इंटरप्राइजेज	01.07.2020	19205	226350
			शुक्ला इंटरप्राइजेज	01.07.2020	19205	
			शुक्ला इंटरप्राइजेज	01.07.2020	19205	
			शुक्ला इंटरप्राइजेज	01.07.2020	19205	
			शुक्ला इंटरप्राइजेज	01.07.2020	19205	
			शुक्ला इंटरप्राइजेज	01.07.2020	19205	
			बहादुर	01.07.2020	18520	
			दिनेश	06.07.2020	18520	
			दिनेश	06.07.2020	18520	
			विवेक	20.07.2020	18520	
			विवेक	07.08.2020	18520	
2	प्रधान मानदेय	42767295	बहादुर	06.07.2020	10500	31500
			बहादुर	24.12.2020	21000	
3	कार्य का नाम अंकित नहीं है	42777930	बहादुर	26.09.2020	20000	75595
			रामेश्वर इंटरप्राइजेज	26.09.2020	23095	
			विवेक	23.10.2020	32500	
4	सफाई कार्य	42777417	बहादुर	16.09.2020	19000	49120
			अंश इंटरप्राइजेज	16.09.2020	30120	
5	पक्की सड़क से राम आशरे के बाग तक कच्ची सड़क मरम्मत	42779414	बहादुर	18.09.2020	20000	100000
			बहादुर	18.09.2020	20000	
			बहादुर	18.09.2020	20000	
			बहादुर	18.09.2020	40000	
6	हैन्डपंप मरम्मत	42776638	बहादुर	16.12.2020	19636	49861
			विवेक	17.12.2020	11120	

			रामेश्वर इंटरप्राइजेज	24.12.2020	19105	
7	कार्य का नाम अंकित नहीं है	42775770	रामेश्वर इंटरप्राइजेज	24.12.2020	20000	70000
			विवेक	24.12.2020	30000	
			रामेश्वर इंटरप्राइजेज	24.12.2020	20000	
8	पंचायत भवन मरम्मत	42780864	रामेश्वर इंटरप्राइजेज	24.12.2020	30000	120000
			बहादुर	24.12.2020	20000	
			बहादुर	24.12.2020	20000	
			रामेश्वर इंटरप्राइजेज	24.12.2020	30000	
			विवेक	24.12.2020	20000	
9	कार्य का नाम अंकित नहीं है	17552694	जय दुर्गा महिला स्वयं सहायता समूह	20.07.2020	1400	1400
10	कार्य का नाम अंकित नहीं है	31736617	स्वतंत्र प्रभात मीडिया प्रा0	20.07.2020	3000	21700
			सरस ग्रुप	21.07.2020	3500	
			अमित	07.08.2020	3200	
			विवेक	07.08.2020	12000	
11	कार्य का नाम अंकित नहीं है	17552693	रामेश्वर इंटरप्राइजेज	17.08.2020	25000	25000
12	कार्य का नाम अंकित नहीं है	14171395	विवेक	17.08.2020	10000	10000
13	कार्य का नाम अंकित नहीं है	14171372	रामेश्वर इंटरप्राइजेज	17.08.2020	25000	50000
			विवेक	24.12.2020	15000	
			बहादुर	24.12.2020	10000	
14	सामुदायिक शौचालय निर्माण	42776101	अंश इंटरप्राइजेज	16.09.2020	29680	460984
			अंश इंटरप्राइजेज	16.09.2020	26870	
			अंश इंटरप्राइजेज	16.09.2020	11340	
			अंश इंटरप्राइजेज	16.09.2020	17820	
			अंश इंटरप्राइजेज	16.09.2020	29164	
			अंश इंटरप्राइजेज	16.09.2020	17700	
			अंश इंटरप्राइजेज	16.09.2020	7560	
			अंश इंटरप्राइजेज	16.09.2020	80850	
			अंश इंटरप्राइजेज	16.09.2020	150000	
			अंश इंटरप्राइजेज	16.09.2020	50000	
			अंश इंटरप्राइजेज	16.09.2020	40000	
	योग					1291510

क्रमांक 2,7,8 से 13 तक पर अंकित कार्य विभागीय वेबसाइट पर फ़िडेड वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कार्य योजना में दर्शित नहीं ।

क्रमांक 5 पर अंकित कार्य कच्ची सड़क मरम्मत के सापेक्ष मजदूरी हेतु बहादुर को किया भुगतान क्यों किया गया ? कच्ची सड़क मरम्मत हेतु 15 वे वित्त आयोग के अनुदान की धनराशि उपयोग किस शासनादेश के अनुपालन में किया गया ?यह लेखा परीक्षा में अनुत्तरित रहा।

क्रमांक 14 पर अंकित सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु भुगतान केवल सामग्री क्रय हेतु रु 0 460984 का भुगतान माह जुलाई 2020 में अंश इंटरप्राइजेज किया गया परंतु वर्षांत तक मजदूरी हेतु कोई भुगतान नहीं किया गया यह प्रश्न लेखा परीक्षा में अनुत्तरित रहा।

मजदूरी का अधिकांश भुगतान विवेक व बहादुर को ही क्यों किया इसका औचित्य लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं हो सका ।

उक्त कार्य के सापेक्ष लेखापरीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया। जबकि ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8[क] के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से किया जाना चाहिए। उ०प्र० पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए। अतः कुल व्यय की गई धनराशि रु० 1291510.00 (बारह लाख इक्यानबे हजार पाँच सौ दस रुपये) में से ग्राम प्रधान श्री ज्ञान प्रकाश व तत्कालीन प्रशासक -सहायक विकास अधिकारी (दिनांक 25-12-2020 से 31-03-2021) से रु० 645755.00 (छ लाख पैतालीस हजार सात सौ पचपन रुपये) और ग्राम पंचायत सचिव श्री दीप कुमार से रु० 645755.00 (छ लाख पैतालीस हजार सात सौ पचपन रुपये) की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

जनपद-रायबरेली

मण्डल-लखनऊ।

प्रस्तर-1 ग्राम पंचायत-बहुतई विकास खण्ड-डीह आपत्ति सं० 2
आलोच्य वर्ष 2020-21 में कैशबुक ग्रा०नि०-1 के अनुसार-राज्य वित्त/15वां वित्त आयोग मद से विभिन्न तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री क्रय हेतु कुल रु० 261338.00 साईं टेडर्स को भुगतान किया जाना दर्शाया गया है किन्तु उक्त की पुष्टि में अपेक्षित कोई भी अभिलेख यथा जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति से सम्बन्धित कार्यवाही पंजिका स्थलवार सूची हैण्डपम्प के लाभार्थियों के द्वारा हैण्डपम्प के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत के मांग सम्बन्धी प्रपत्र व्यय-प्रमाणक (बिल-वाउचर) समक्ष अधिकारी से प्रशासनिक वितीय एवं तकनीकी स्वीकृति तथा फोटोग्राफी कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र स्कैप की प्रविष्टिपूर्वक स्टाक पंजिका आदि अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिससे इसकी सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता कि यह कार्य सिर्फ कागजों तक ही सीमित हो। अतएव कैशबुक में हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री क्रय हेतु दर्शित व्यय-भुगतान के औचित्य की पुष्टि न की जा सकी। स्पष्ट है कि रु० 261338.00 प्रमाणक विहीन व्यय किया गया है जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-7 एवं खण्ड-8(क) व 8(ख) एवं उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 की धारा-27 के अन्तर्गत अपहरण के योग्य है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती गायत्री देवी व ग्रा०वि०अधि० श्री ब्रजेश मौर्य से रु० 261338.00 के अपहृत धनराशि की समानुपातिक समानुपातिक वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-2 ग्राम पंचायत-बहुतई विकास खण्ड -डीह आपत्ति सं० 3
प्रवर आलोच्य वर्ष 2020-21 में कैशबुक ग्रा.नि.-1 के अनुसार-राज्य वित्त/ 15वां वित्त आयोग मद से निर्माण कार्यों पर सामग्री क्रय हेतु कुल रु० 180491-00 शिव ब्रिक फील्ड एवं कान्हा इन्फ्रा को भुगतान किया गया है किन्तु उक्त से सम्बन्धित कार्यों पर वर्ष में मजदूरी पर कोई व्यय नहीं किया गया है जिससे कार्य के सम्पन्न होने की पुष्टि नहीं होती। उक्त कार्यों से सम्बन्धित कार्यवाही रजिस्टर. कार्य योजना. निर्माण कार्य समिति की अनुमोदनपंजिका प्राक्कलन. सार्वजनिक निर्माण कार्य का स्टॉक रजिस्टर. तकनीकी प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति रजिस्टर सामग्री क्रय का वाउचर. मस्टररोल एमबी कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र भी नहीं प्रस्तुत नहीं किया जा सका जिससे इस बात की पुष्टि हो जाती है कि कार्य नहीं कराये गये।
स्पष्ट है कि रु० 180491 00 प्रमाणक विहीन व्यय किया गया है जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-7 एवं खण्ड 8 (क) व 8 (ख) एवं उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण के योग्य है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती गायत्री देवी व ग्रा.वि.अधि. श्री ब्रजेश मौर्य से रु० 180491- 00 के अपहृत धनराशि की समानुपातिक वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-3 ग्राम पंचायत-बहुतई विकास खण्ड -डीह आपति सं0 01

आलोच्य वर्ष 2020-21 में हैण्डपम्प रिबोर हेतु सामग्री क्रय करके बिना अलग अलग आई०डी० जनरेट किए रु० 181297.00 व्यय करके पंचायती राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 51/201/1211/33.4.3.2017.46/2015 दिनांक 19.06.2017 का उल्लंघन किया गया है व हैण्डपम्प रिबोर की गाइड लाइन के अनुसार जल निगम की प्रतीक्षा सूची और जल निगम की मार्गदर्शिका भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। तकनीकी अनुश्रवण का कार्य जे०ई०एम०आई० आर०ई०डी०/ मण्डी परिषद / जिला पंचायत एवं जिलाधिकारी के द्वारा नामित अधिकारी के द्वारा किये जाने एवं कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु जी०पी०डी०पी० के अन्तर्गत जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की पत्रावली प्रस्तुत न कर गाइड लाइन का उल्लंघन किया गया है।

उपर्युक्त से सम्बन्धित क्रय सामग्री का बिल वाउचर प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कार्यपूति प्रमाणपत्र, स्ट्रैप की प्रविष्टिपूर्वक स्टॉक पंजिका आदि अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जा सके। जिससे इसकी सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता कि यह कार्य सिर्फ कागजों तक ही सीमित हो। अतएव कैशबुक में हैण्डपम्प रिबोर सामग्री क्रय हेतु दर्शित व्यय- भुगतान के औचित्य की पुष्टि न की जा सकी। स्पष्ट है कि रु० 181297-00 प्रमाणक विहीन व्यय किया गया है जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-7 एवं खण्ड 8 (क) व 8 (ख) एवं उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण के योग्य है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती गायत्री देवी व ग्रा.वि.अधि. श्री ब्रजेश मौर्य से रु० 181297-00 के अपहृत धनराशि की वसूली समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-4 ग्राम पंचायत-सिरसी विकास खण्ड -डीह आपति सं0 01

वर्ष 2020-21 में हैण्डपम्प रिबोर हेतु रु० 240924-00 से सामग्री क्रय करके बिना अलग. अलग आई०डी० जनरेट किए रु० 240924-00 हैण्डपम्प रिबोर मद पर व्यय करके पंचायती राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 51/201/1211/33- 4-3-2017-46/2015 दिनांक 19-06-2017का उल्लंघन किया गया है व हैण्डपम्प रिबोर की गाइड लाइन के अनुसार जल निगम की प्रतीक्षा सूची और जल निगम की मार्गदर्शिका भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। तकनीकी अनुश्रवण का कार्य जे०ई०एम०आई०/ आर०ई०डी०/मण्डी परिषद / जिला पंचायत एवं जिलाधिकारी के द्वारा नामित अधिकारी के द्वारा किये जाने एवं कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु जी०पी०डी०पी० के अन्तर्गत जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की पत्रावली प्रस्तुत न कर गाइड लाइन का उल्लंघन किया गया है।

उपर्युक्त से सम्बन्धित क्रय सामग्री का बिल वाउचर प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी प्रमाणपत्र, स्वीकृति, कार्यपूति स्ट्रैप की प्रविष्टिपूर्वक स्टॉक पंजिका आदि अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जा सके। जिससे इसकी सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता कि यह कार्य सिर्फ कागजों तक ही सीमित हो। अतएव कैशबुक में हैण्डपम्प रिबोर सामग्री क्रय हेतु दर्शित व्यय-भुगतान के औचित्य की पुष्टि न की जा सकी। स्पष्ट है कि रु० 240924-00 प्रमाणक विहीन व्यय किया गया है जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-7 एवं खण्ड 8 (क) व 8 (ख) एवं उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण के योग्य है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामकिशुन व ग्रा.वि.अधि. श्री रामेश्वर गुप्ता से रु० 240924-00 के अपहृत धनराशि की वसूली समानुपातिक रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-5 ग्राम पंचायत-सिरसी विकास खण्ड -डीह आपति सं0 02

आलोच्य वर्ष 2020-21 के केन्द्रीय वित्त कोष बही में दिनांक 09-09-2020 को आई०डी०सं० 40588289 पर सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु विभिन्न तिथियों में कुल रु० 331356-00 से सामग्री व मजदूरी का भुगतान किया गया है किन्तु उक्त कार्य से सम्बन्धित कार्यवाही रजिस्टर कार्य योजना निर्माण कार्य समिति की अनुमोदन पंजिका प्राक्कलन, सार्वजनिक निर्माण कार्य का स्टॉक रजिस्टर तकनीकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति रजिस्टर

सामग्री क्रय का वाउचर मस्टररोल एमबी कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जा सका जिससे इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी कि कार्य कराया गया है। स्पष्ट है कि रु0 331356-00 प्रमाणक विहीन व्यय किया गया है जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-7 एवं खण्ड 8 (क) व 8 (ख) एवं उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण के योग्य है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामकिशुन व ग्रा.वि.अधि. श्री रामेश्वर गुप्ता से रु० 331356-00 के अपहृत धनराशि की वसूली समानुपातिक रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-6ग्राम पंचायत-सिरसी विकास खण्ड-डीह आपति सं0 03

आलोच्य वर्ष 2020-21 में कैशबुक के अनुसार राज्य वित्त/15वां वित्त आयोग मद से हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री क्रय हेतु कुल रु0 466417-00 साईं ट्रेडर्स को भुगतान किया गया है। किन्तु आई०डी०सं० 40584177 पर दिनांक 03-10-2020 को रु० 13018-00 हैण्डपम्प मरम्मत पर एवं उसी आई०डी० सं० 40584177 पर ही विभिन्न तिथियों में रु0 466417-00 से 9 नग हैण्डपम्प रिबोर मद पर व्यय करके एक ही आई०डी० पर हैण्डपम्प मरम्मत एवं रिबोर करके अनियमितता की गयी है।

उक्त के अतिरिक्त व्यय की पुष्टि में अपेक्षित कोई भी अभिलेख यथा जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति से सम्बन्धित कार्यवाही पंजिका, स्थलवार सूची, हैण्डपम्प के लाभार्थियों के द्वारा हैण्डपम्प के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत के मांग सम्बन्धी प्रपत्र क्रय से सम्बन्धित वाउचर सक्षम अधिकारी से प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति तथा फोटोग्राफी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, स्कैप की प्रविष्टिपूर्वक स्टॉक पंजिका आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिससे इसकी सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता कि यह कार्य सिर्फ कागजों तक ही सीमित हो। अतएव स्पष्ट है कि रु0 466417=100 प्रमाणक विहीन व्यय किया गया है जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-7 एवं खण्ड 8 (क) व 8 (ख) एवं उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण के योग्य है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामकिशुन व ग्रा.वि.अधि. श्री रामेश्वर गुप्ता से रु0 466417-00 के अपहृत धनराशि की वसूली समानुपातिक रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-7ग्राम पंचायत-दिलावलपुरविकास खण्ड-डीह आपति सं0 21

आलोच्य वर्ष 2020-21 में कैशबुक अनुसार 15वें वित्त आयोग मद से दिनांक 25-09-2020 को 1 वर्ष का प्रधान मानदेय रु० 42000-00 दिया जाना कोषांकित है। ध्यातव्य है कि मानदेय मद की आई०डी० सं० 043911060 5वे रा०वि० से सृजित की गयी थी जबकि उक्त मानदेय का भुगतान 15वें वित्त आयोग हेतु सृजित आई०डी० सं० 43911100 पर किया गया है।

उपर्युक्तानुसार 5वे वित्त से दी जाने वाली धनराशि 15वें वित्त से देकर भारत सरकार के पत्र सं० एफ०सं० जी० - 39011/2/2017- एफ०डी० दिनांक 2020 जो 15वें वित्त से चुने हुए प्रतिनिधियों को मानदेय दिए जाने से प्रतिबन्धित किए जाने विषयक है का उल्लंघन किया गया है। इस प्रकार विशिष्ट उद्देश्य हेतु प्राप्त अनुदान को अन्य मद पर हुए अनियमितता के प्रकरण को विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। उक्त अनियमितता के लिए पंचायत सचिव श्री रामेश्वर गुप्ता तथा ग्राम प्रधान श्री नरेन्द्र सिंह उत्तरदायी हैं। उक्त के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-8ग्राम पंचायत-दिलावलपुरविकास खण्ड-डीह आपति सं0 02

बिना अलग-अलग आई०डी० जनरेट किए रु० 177838-00 हैण्डपम्प रिबोर मद पर व्यय करके पंचायती राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 51/201/1211/33-4-3-2017-46/2015 दिनांक 19-06-2017 का उल्लंघन किया गया है व आई०डी०सं० 43914516 पर ही क्रमशः दिनांक 03-11-2020 को रु० 16596-00 तथा दिनांक 07-11-2020 को रु० 12504-00 का हैण्डपम्प व्यय मरम्मत मद पर व्यय दर्शित है। इस प्रकार एक ही आई०डी० पर हैण्डपम्प मरम्मत एवं रिबोर कराया जाना अनियमित रहा हैण्डपम्प रिबोर की गाइड लाइन के अनुसार जल

निगम की प्रतीक्षा सूची और जल निगम की मार्गदर्शिका भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। तकनीकी अनुश्रवण का व्यय कार्य जे०ई०एम०आई०आर०ई०डी०/मण्डी परिषद/जिला पंचायत एवं जिलाधिकारी के द्वारा नामित अधिकारी के द्वारा किये जाने एवं कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु जी०पी०डी०पी० के अन्तर्गत जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की पत्रावली प्रस्तुत न कर गाइड लाइन का उल्लंघन किया गया है। उपर्युक्त से सम्बन्धित क्रय सामग्री का बिल- वाउचर प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति- कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, स्क्रेप की प्रविष्टिपूर्वक स्टाक पंजिका आदि अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जा सके। जिससे इसकी सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता कि यह कार्य सिर्फ कागजों तक ही सीमित हो। अतएव कैशबुक में हैण्डपम्प रिबोर सामग्री क्रय हेतु दर्शित व्यय-भुगतान के व्यय औचित्य की पुष्टि न की जा सकी। स्पष्ट है कि रु० 177838-00 प्रमाणक विहीन व्यय किया गया है जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-7 एवं खण्ड 8 (क) व 8 (ख) एवं 30 प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण के योग्य है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री नारेन्द्र सिंह व गा.वि.अधि. श्री रामेश्वर गुप्ता से रु० 177838-00 के अपहृत धनराशि की वसूली समानुपातिक रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-9 ग्राम पंचायत-दिलावलपुरविकास खण्ड-डीह आपत्ति सं० 04

आलोच्य वर्ष 2020-21 में कैशबुक के अनुसार- राज्य वित्त/15वां वित्त आयोग मद से हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री क्रय हेतु कुल रु० 173836-00 यश ट्रेडर्स को भुगतान किया जाना दर्शाया गया है किन्तु 14वें वित्त के आई०डी० सं० 14155097 पर क्रमशः दिनांक 04-04-2020 को रु० 19800 व दिनांक 20-10-2020 को रु० 10200-00 हैण्डपम्प मरम्मत पर एवं उसी आई०डी० सं० (14155097) पर दिनांक 04-04-2020 को रु० 26081-00 हैण्डपम्प रिबोर मद पर व्यय दर्शित है। इसी प्रकार चतुर्थ वित्त के आई०डी० सं० 43914516 पर क्रमशः दिनांक 03-11-2020 को रु० 16596-00 एवं दिनांक 07-11-2020 को रु० 12504.00 हैण्डपम्प मरम्मत पर तथा उसी आई०डी० सं० 43914516 पर ही क्रमशः दिनांक 03-11-2020 ज्व 26496-00 व 12-11-2020 को रु० 26496-00 एवं दिनांक 17-03-2021 को रु० 24900-00 हैण्डपम्प रिबोर मद पर व्यय दर्शित है। इस प्रकार एक ही आई०डी० पर हैण्डपम्प मरम्मत एवं रिबोर कराया जाना अनियमित एवं संदिग्ध हो जाता है।

उक्त के अतिरिक्त व्यय की पुष्टि में अपेक्षित कोई भी अभिलेख यथा जल प्रबन्धन समिति की द्य संस्तुति से सम्बन्धित कार्यवाही पंजिका, स्थलवार सूची, हैण्डपम्प के लाभार्थियों के द्वारा हैण्डपम्प के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत के मांग सम्बन्धी प्रपत्र, व्यय प्रमाणक (बिल वाउचर) सक्षम अधिकारी से प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति तथा फोटोग्राफी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, स्क्रेप की प्रविष्टिपूर्वक स्टाक पंजिका आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिससे इसकी सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता कि यह कार्य सिर्फ कागजों तक ही सीमित हो। अतएव स्पष्ट है कि रु० 173836 प्रमाणक विहीन व्यय किया गया है जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-7 एवं खण्ड 8 (क) व 8 (ख) एवं 30 प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण के योग्य है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री नारेन्द्र सिंह व गा.वि.अधि. श्री रामेश्वर गुप्ता से रु० 173836-00 के अपहृत धनराशि की समानुपातिक वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-10 ग्राम पंचायत-जरिया विकास खण्ड-सतांव आपत्ति सं० 02

ग्राम पंचायत जरिया के वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में राज्य वित्त/14वा वित्त व 15वा वित्त से रुपये 979349.00 का व्यय किया गया है।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है- ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करावें। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति वित्तीय स्वीकृति आई०डी० मापी कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय

प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व ही सहायक विकास अधिकारी) पंचायत (के माध्यम से ग्रा0वि0/पं0 अधिकारी से समस्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध कराये जाने को सूचित किया गया था। उक्त क्रम में 23.09.21 को लेखा परीक्षा कार्यक्रम लगाया गया परन्तु ग्राम पंचायत में राज्य वित्त/14वा वित्त व 15वा वित्त से सम्बन्धित कोष बही बैंक स्टेटमेन्ट के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभिलेख कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। उक्त लेखा परीक्षा प्रारम्भ किये जाने के पूर्व सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से आडिट हेतु वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत कराने को सूचित किया गया था फिर भी अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहे। तत्पश्चात लेखापरीक्षा समाप्ति की सूचना ग्राम पंचायत अधिकारी को दी गयी थी इसके बाद भी अभिलेख नहीं उपलब्ध कराये गए अत एव लेखा परीक्षा सम्पन्न कर दी गयी। इस प्रकार उक्त कार्य की पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा ग्राम विकास अधिकारी से की जायेगी।

अतः अभिलेख/निर्माणकार्य पत्रावलियां/व्ययप्रमाणकप्रस्तुत कर दर्शित व्यय की पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है। अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में दर्शित व्यय धनराशि रु0 979349.00 की नियमानुसार वसूली समानुपातिक वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-11 ग्राम पंचायत-डिघिया विकास खण्ड-अमावां आपत्ति सं0 01

01- उक्त ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत मद में प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0 सं0	आहरणकर्ता/व्यक्ति का नाम	आई0डी0 नम्बर	दिनांक	व्यय की गयी धनराशि
1	फरीद इन्टरप्राइजेज	29099189	27.06.2020	47750.00
2	अलाउद्दीन	29099189	27.06.2020	19992.00
	योग-			67742.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- ग्राम प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।” व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निविदा/कोटेशन सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु.67742.00 में से ग्राम प्रधान श्री/मोहम्मद सईद से रु. 33871.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री अतीक अहमद से रु.33871.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा० आ० सं० 01)

प्रस्तर-12 ग्राम पंचायत-डिघिया विकास खण्ड-अमावां आपति सं0 02
02- उक्त ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प रिबोर मद में प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0 सं0	आहरणकर्ता/व्यक्ति का नाम	आई0डी0 नम्बर	दिनांक	व्यय की गयी धनराशि
1	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	29099237	27.06.2020	24700.00
2	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	29099237	27.06.2020	23520.00
3	श्याम इन्टरप्राइजेज	32675119	28.06.2020	23650.00
4	श्याम इन्टरप्राइजेज	32675119	28.06.2020	23850.00
5	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	43476992	24.12.2020	23500.00
6	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	43476992	24.12.2020	25500.00
	योग-			144720.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प रिबोर पर दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- ग्राम प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी। व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निविदा/कोटेशन सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु.144720.00 में से ग्राम प्रधान श्री/ मोहम्मद सईद से रु.72360.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री अतीक अहमद....से रु. 72360.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-13 ग्राम पंचायत-डिघिया विकास खण्ड-अमावां

उक्त ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय के निर्माण मद में प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0 सं0	आहरणकर्ता/व्यक्ति का नाम	आई0डी0 नम्बर	दिनांक	व्यय की गयी धनराशि
1	आर0एस0 इन्टरप्राइजेज	43477875	01.12.2020	34000.00
2	अली ट्रेडर्स	43477875	16.12.2020	58312.00
3	अफीफा ब्रिक फील्ड	43477875	18.12.2020	62370.00
4	अफीफा ब्रिक फील्ड	43477875	24.12.2020	4851.00
5	आर0एस0 इन्टरप्राइजेज	43477875	24.12.2020	6000.00
6	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	43477875	24.12.2020	80673.00

7	अली ट्रेडर्स	43477875	24.12.2020	36286.00
	योग-			282492.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित उक्त व्यय सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य हेतु एक बड़ी धनराशि का व्यय दर्शित है। जिसके सम्बन्ध में व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।^{३३} व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निविदा/कोटेशन सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 282492.00 में से ग्राम प्रधान श्री मोहम्मद सईद से रु. 141246.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री अतीक अहमद से रु. 141246.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-14 ग्राम पंचायत-डिघिया विकास खण्ड-अमावां

उक्त ग्राम पंचायत में ह्यूम पाईप मद में प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	आहरणकर्ता/व्यक्ति का नाम	आईडी नम्बर	दिनांक	व्यय की गयी धनराशि
1	आर०एस० इन्टरप्राइजेज	36738516	11.08.2020	72180.00
	योग-			72180.00

ह्यूम पाईप मद में एक मुश्त बड़ी धनराशि का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी ह्यूम पाईप का कार्य कराया गया एवं प्रति ह्यूम पाईप व्यय कितना है। एक लाख रुपये से कम की खरीद पर कोटेशन आमंत्रित किया जाना चाहिए था। लेखा परीक्षा में कोटेशन पत्रावली एवं ग्राम पंचायत का प्रस्ताव एवं ह्यूम पाईप स्थापना के स्थान की सूची प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था जो कि नहीं किया गया।

जल निकासी हेतु ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर स्थापना हेतु क्रय दर्शित है जो नियमों के विपरीत है क्योंकि ग्राम पंचायत में प्रस्तावित कार्ययोजना में दर्शित कार्यों के इतर किसी भी प्रकार से ह्यूम पाइप का क्रय किया जाना धनराशि का दुरुपयोग किया जाना है। उक्त क्रय ह्यूम पाइप की स्थापना पर मजदूरी का भुगतान भी नहीं किया गया है। उपरोक्त क्रय प्रमाणक विहीन एवं विवरणविहीन हैं। ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।^{३३} व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति

निविदा/कोटेशन सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 72180.00 में से ग्राम प्रधान श्री / मोहम्मद सईद से रु.36090.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री अतीक अहमद से रु. 36090.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-15 ग्राम पंचायत-डिघिया विकास खण्ड-अमावां

उक्त ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0 सं0	आहरणकर्ता/व्यक्ति का नाम	आई0डी0 नम्बर	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	अली ट्रेडर्स	43469546	23.12.2020	26310.00
2	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	43469546	23.12.2020	21480.00
3	कुरैशी ट्रेडर्स	43469546	23.12.2020	48000.00
4	कुरैशी ट्रेडर्स	43469546	23.12.2020	10219.00
5	अफीफा ब्रिक फील्ड	43469546	23.12.2020	9931.00
	योग-			115940.00

विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि विद्यालय में कराए गये निर्माण/मरम्मत कार्य के कराए जाने की मांग एवं पुष्टि विद्यालय द्वारा की गयी थी अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी। व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निविदा/कोटेशन सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 115940.00 में से ग्राम प्रधान श्री मोहम्मद सईद से रु.57970.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री अतीक अहमद से रु. 57970.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-16 ग्राम पंचायत-डिघिया विकास खण्ड-अमावां

उक्त ग्राम पंचायत में इन्टरलाकिंग निर्माण मद में प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	आहरणकर्ता/व्यक्ति का नाम	आई0डी0 नम्बर	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	साहिल टाइल्स अद्योग	45359261	16.12.2020	141766.00
	योग-			141766.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में भुगतान का किया जाना दर्शित है इतनी बड़ी धनराशि से कराए गये निर्माण कार्य तथा मरम्मत कार्य जिसमें समतलीकरण करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना किये गये कार्य एवं उसके व्यय की शुचिता पर संदेह उत्पन्न करता है वैसे भी इन्टरलाकिंग निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैश बुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जांच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी। व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निविदा/कोटेशन सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 141766.00 में से ग्राम प्रधान श्री/मोहम्मद सईद से रु. 70883.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री अतीक अहमद से रु. 70883.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-17 ग्राम पंचायत-डिघिया विकास खण्ड-अमावां

प्रशासक के कार्यकाल का भुगतान (इंटरलॉकिंग)

क्र० सं०	आहरणकर्ता/व्यक्ति का नाम	आई0डी0 नम्बर	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	आर0एस0 इन्टरप्राइजेज	45359315	17/03/2021	104217.00
2	अफीफा ब्रिक फील्ड	45359315	17/03/2021	22480.00
3	अली ट्रेडर्स	45359315	17/03/2021	24787.00
4	आर0एस0 इन्टरप्राइजेज	45359287	17/03/2021	93456.00
5	अफीफा ब्रिक फील्ड	45359287	17/03/2021	28128.00
6	अली ट्रेडर्स	45359287	17/03/2021	26179.00
7	आर0एस0 इन्टरप्राइजेज	45359315	20/03/2021	56000.00
			योग	355247.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में भुगतान का किया जाना दर्शित है इतनी बड़ी धनराशि से कराए गये निर्माण कार्य तथा मरम्मत कार्य जिसमें समतलीकरण करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना किये गये कार्य एवं उसके व्यय की शुचिता पर संदेह उत्पन्न करता है वैसे भी इन्टरलाकिंग निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैश बुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जांच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निविदा/कोटेशन सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान /मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु.355247.00 में से प्रशासक श्री सईद अहमद सहायक विकास अधिकारी पंचायत से रु. 177623.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री अतीक अहमद से रु.177623.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-18 ग्राम पंचायत-डिघिया विकास खण्ड-अमावां

उक्त ग्राम पंचायत में अन्य विभिन्न कार्यों पर प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0 सं0	आहरणकर्ता/व्यक्ति का नाम	आई0डी0 नम्बर	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	मोहम्मद सईद-प्रधान मानदेय	30732230	08/07/2020	21000.00
2	राधेलाल	30732211	08/07/2020	5000.00
	योग-			26000.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी। व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निविदा/कोटेशन सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन

चरणों की फोटो कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की धनराशि रु. 26000.00 में से ग्राम प्रधान श्री/मोहम्मद सईद 13000.00 से रु. और ग्राम पंचायत सचिव श्री अतीक अहमद से रु. 13000.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-19 ग्राम पंचायत-डिडौली विकास खण्ड-अमावां

उक्त ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर मद में प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	आहरणकर्ता/व्यक्ति का नाम	आई0डी0 नम्बर	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	37456780	07/07/2020	24500.00
2	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	37456780	07/07/2020	25600.00
3	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	37456700	07/07/2020	64260.00
4	राधेलाल	37456700	07/08/2020	4998.00
5	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	37456780	18/12/020	18430.00
6	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	45129948	18/12/2020	25320.00
7	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	45129976	18/12/2020	26780.00
8	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	45129976	18/12/2020	20340.00
9	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	37456700	19/12/2020	26990.00
10	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	45130137	19/12/020	50000.00
11	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	45129948	19/12/020	40200.00
		योग-		327418.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर पर दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- ग्राम प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निविदा/कोटेशन सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार धनराशि रु. 327418.00 में से ग्राम प्रधान श्री/श्रीमती पूनम सिंह से रु0 163709 तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री अतीक अहमद से रु.163709.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-20 ग्राम पंचायत-डिडौली विकास खण्ड-अमावां

उक्त ग्राम पंचायत में नाली निर्माण/मरम्मत मद में प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	आहरणकर्ता/व्यक्ति का नाम	आईडी0 नम्बर	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	31644804	12/06/2020	7361.00
2	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	31644804	12/06/2020	7938.00
3	मजदूरी	31644804	29/06/2020	8736.00
		योग-		24035.00

नाली निर्माण हेतु उपरोक्त व्यय प्रिया साफ्ट की कैश बुक में अंकित किया गया है। उपरोक्त नाली मरम्मत कार्य हेतु मात्र सामग्री की खरीद दर्शित है खरीदी गयी सामग्री के उपभोग पर मजदूरी व्यय नहीं किया गया है। अतः खरीदी गयी सामग्री अप्रयुक्त है जो स्टॉक बुक में प्रदर्शित होनी चाहिये थी। स्टॉक बुक प्रस्तुत न किये जाने एवं मजदूरी व्यय शून्य होने के कारण उपरोक्त धनराशि का स्पष्टतः अपहरण / गबन किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि- “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी” व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निविदा/कोटेशन सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के आगणित अपहरण की अनुसार धनराशि कुल रु. 24035.00 में से ग्राम प्रधान श्री/श्रीमती पूनम सिंह से रु. 12017.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री अतीक अहमद से रु. 12017.50 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-21 ग्राम पंचायत-डिडौली विकास खण्ड-अमावां

उक्त ग्राम पंचायत में खड़जा निर्माण मद में प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	आहरणकर्ता/व्यक्ति का नाम	आईडी0 नम्बर	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	14833307	12/06/2020	44100.00
2	मजदूरी	29674785	29/06/2020	18016.00
		योग-		62116.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशि से कराए गये निर्माण कार्य तथा खड़जा मरम्मत कार्य जिसमें खड़जे को उखाड़ना एवं समतलीकरण करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना किये गये कार्य एवं उसके व्यय पर संदेह उत्पन्न करता है वैसे भी खड़जा निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैश बुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जांच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।^{३३} व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निविदा/कोटेशन सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 62116.00 में से ग्राम प्रधान श्री/श्रीमती पूनम सिंह से रु. 31058.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री/श्रीमती अतीक अहमद से रु. 31058.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-22 ग्राम पंचायत-डिडौली विकास खण्ड-अमावां

उक्त ग्राम पंचायत में पंचायत भवन के निर्माण मद में प्रशासक के कार्यकाल में प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	आहरणकर्ता/व्यक्ति का नाम	आई0डी0 नम्बर	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	फरीद इन्टरप्राइजेज	5044175	19/03/2021	23960.00
2	फरीद इन्टरप्राइजेज	5044175	19/03/2021	18876.00
3	फरीद इन्टरप्राइजेज	5044175	19/03/2021	34692.00
4	फरीद इन्टरप्राइजेज	5044175	19/03/2021	61947.00
5	फरीद इन्टरप्राइजेज	5044175	19/3/2021	11480.00
6	फरीद इन्टर प्राइजेज	5044175	19/03/021	5000.00
		योग-		155955.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित उक्त व्यय पंचायत भवन (ग्राम सचिवालय) निर्माण कार्य हेतु एक बड़ी धनराशि का व्यय दर्शित है। जिसके सम्बन्ध में व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-^{३३} यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।^{३३} व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निविदा/कोटेशन सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः

लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 155955.00 में से प्रशासक श्री सईद अहमद से रु. 77977.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री/ अतीक अहमद से रु. 77977.50 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-23 ग्राम पंचायत-डिडौली विकास खण्ड-अमावां

उक्त ग्राम पंचायत में ह्यूम पाईप मद में प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	आहरणकर्ता/व्यक्ति का नाम	आई0डी0 नम्बर	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	31644804	12/06/2020	22743.00
2	शिव ब्रिक फील्ड उद्योग	3506731	29/6/020	29376.00
3	साहिल टाइल्स उद्योग	45130004	17/11/2020	95076.00
4	साहिल टाइल्स उद्योग	45130004	17/11/2020	95076.00
5	साहिल टाइल्स उद्योग	45130104	19/12/2020	95076.00
		योग-		337347.00

ह्यूम पाईप मद में एक मुश्त बड़ी धनराशि का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी ह्यूम पाईप का कार्य कराया गया एवं प्रति ह्यूम पाईप व्यय कितना है। एक लाख रु० से अधिक की खरीद पर टेण्डर आमंत्रित किया जाना चाहिए था। लेखा परीक्षा में टेण्डर पत्रावली एवं ग्राम पंचायत का प्रस्ताव एवं ह्यूम पाईप स्थापना के स्थान की सूची प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था जो कि नहीं किया गया।

जल निकासी हेतु ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर स्थापना हेतु क्रय दर्शित है जो नियमों के विपरीत है क्योंकि ग्राम पंचायत में प्रस्तावित कार्ययोजना में दर्शित कार्यों के इतर किसी भी प्रकार से ह्यूम पाइप का क्रय किया जाना धनराशि का दुरुपयोग किया जाना है। उक्त क्रय ह्यूम पाइप की स्थापना पर मजदूरी का भुगतान भी नहीं किया गया है। उपरोक्त क्रय प्रमाणक विहीन एवं विवरणविहीन हैं। ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी। श्रव्य पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निविदा/कोटेशन सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु.337347.00 में से ग्राम प्रधान श्री/श्रीमतीपूनम सिंह से रु. 168673.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्रीअतीक अहमद से रु. 168673.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-24 ग्राम पंचायत-डिडौली विकास खण्ड-अमावां

उक्त ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालय में प्रशासक के कार्यकाल में कराए गये निर्माण कार्यों पर प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	आहरणकर्ता/व्यक्ति का नाम	आई0डी0 नम्बर	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	फरीद इन्टरप्राइजेज	50440504	19/03/2021	50169.00
2	फरीद इन्टरप्राइजेज	50440504	19/03/2021	112748.00
3	फरीद इन्टरप्राइजेज	50440882	19/03/2021	49290.00
4	फरीद इन्टरप्राइजेज	50440882	19/03/2021	110993.00
		योग-		323200.00

विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि विद्यालय में कराए गये निर्माण/मरम्मत कार्य के कराए जाने की मांग एवं पुष्टि विद्यालय द्वारा की गयी थी अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि- 'यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।' व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निविदा/कोटेशन सामग्री क्रय बिलों / डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु.323200.00 में से प्रशासक श्री सईद अहमद से रु.161600.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री अतीक अहमद से रु 161600.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-25 ग्राम पंचायत-डिडौली विकास खण्ड-अमावां

उक्त ग्राम पंचायत में इन्टरलाकिंग निर्माण मद में प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	आहरणकर्ता/व्यक्ति का नाम	आई0डी0 नम्बर	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	चौहान इंफ्रा सप्लायर	20037491	11/06/2020	10011.00
2	अवध ट्रेडर्स	20037491	11/06/2020	135456.00
3	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	33116881	11/06/2020	247800.00
4	मजदूरी	20037491	29/06/2020	91294.00
5	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	20037489	29/06/2020	90372.00
6	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	20037489	18/12/2020	75300.00
7	मजदूरी	20037491	18/12/2020	37534.00
8	चौहान इंफ्रा सप्लायर	20037489	11/06/2020	157353.00
9	अवध ट्रेडर्स	20037489	11/06/2020	50390.00
		योग -		895510.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है इतनी बड़ी धनराशि से कराए गये निर्माण कार्य तथा मरम्मत कार्य जिसमें समतलीकरण करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना किये गये कार्य एवं उसके व्यय की पुष्टि पर संदेह उत्पन्न करता है वैसे भी इन्टरलाकिंग निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैश बुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जांच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि- श्रृंखला दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी। व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निविदा/कोटेशन सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 895510.00 में से ग्राम प्रधान श्री/श्रीमती पूनम सिंह से रु. 447755.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री अतीक अहमद से रु. 447755.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-26 ग्राम पंचायत-डिडौली

विकास खण्ड-अमावां

उक्त ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय मद में प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	आहरणकर्ता/व्यक्ति का नाम	आई0डी0 नम्बर	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	44701620	24/09/2020	39000.00
2	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	44701620	17/11/2020	77962.00
3	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	44701620	17/11/2020	109169.00
4	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	44701620	17/11/2020	39230.00
		योग -		265361.00

इस मद में एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान करना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है। निर्माण कार्य में सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग प्रदर्शित न किये जाने के कारण उपरोक्त कार्यों पर हुये व्यय का परीक्षण नहीं किया जा सका।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक

तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्रामपंचायत सचिव से की जायेगी।^{११} व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निविदा/ कोटेशन सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु.265361.00 में से ग्राम प्रधान श्री/श्रीमती पूनम सिंह से रु. 132680.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री अतीक अहमद से रु. 132680.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-27 ग्राम पंचायत-डिडौली विकास खण्ड-अमावां

उक्त ग्राम पंचायत में भवन /आंगनवाड़ी/सामुदायिक केन्द्र रिपेयरिंग वर्क मद में प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	आहरणकर्ता/व्यक्ति का नाम	आईडी0 नम्बर	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	साहिल टाइल्स उद्योग	45130049	19/12/2020	98054.00
2	साहिल टाइल्स उद्योग	45130049	19/12/2020	25671.00
3	साहिल टाइल्स उद्योग	45130049	19/12/2020	48000.00
4	साहिल टाइल्स उद्योग	45130049	19/12/2020	20000.00
5	साहिल टाइल्स उद्योग	45130049	19/12/2020	8000.00
		योग -		199725.00

इस मद में एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान करना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है। निर्माण कार्य में सामग्री क्रय एवं लेवर व्यय को अलग-अलग दर्शित न किये जाने के कारण उपरोक्त कार्यों पर हुये व्यय का परीक्षण नहीं किया जा सका।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-^{११} यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।^{११} व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निविदा/कोटेशन सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु.199725.00 में से ग्राम प्रधान श्री/श्रीमती

पूनम सिंह से रु. 99862.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री अतीक अहमद से रु.99862.50 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-28 ग्राम पंचायत-डिडौली विकास खण्ड-अमावां

उक्त ग्राम पंचायत में अन्य विभिन्न कार्यों पर प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	आहरणकर्ता/व्यक्ति का नाम	आई0डी0 नम्बर	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज-कुर्सी मेज क्रय	37436904	07/7/2020	50000.00
2	राष्ट्रीय स्वरूप-निविदा प्रकाशन	37456904	31/10/2020	5000.00
3	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	43385130	19/12/2020	90120.00
		योग-		145120.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।^{३३} व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निविदा/कोटेशन सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है लेखा परीक्षा प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु.145120.00 में से ग्राम प्रधान श्री/श्रीमती पूनम सिंह से रु.72560.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री अतीक अहमद से रु.72560.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-29 ग्राम पंचायत-बावनबुजुर्ग बल्ला विकास खण्ड-अमावां

गंभीर आपत्ति का महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि ग्राम पंचायत बावन बुजुर्ग बल्ला में केन्द्रीय वित्त एवं राज्य वित्त मद से रु० 7569081.00 खर्च किया जाना दर्शित है किन्तु कोई भी प्रमाणक एवं सुसंगत अभिलेख जैसे कार्यवाही रजिस्टर कार्य योजना प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति एस्टिमेट एम.बी. बुक स्टॉक रजिस्टर परिसंपत्ति रजिस्टर कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एवं बैंक स्टेटमेंट तथा कैश बुक लेखा परीक्षा के लिए बार बार लिखित एवं मौखिक अनुरोध के बाद भी उपलब्ध नहीं कराए गये। स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के द्वारा बिना प्रमाणक एवं सुसंगत अभिलेख के समस्त धनराशि रु० 7569081.00 का अपहरण किया गया है जिसमे से ग्राम पंचायत सचिव श्री अतीक अहमद एवं ग्राम प्रधान श्रीमती कमलेश कुमारी के द्वारा सम्मिलित रूप से रु 6679975.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी समान मात्रा में रु०3339987.00 श्री अतीक अहमद से तथा शेष रु० 3339987.00 श्रीमती कमलेश कुमारी से मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

इसी प्रकार प्रशासनिक आदेश द्वारा ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त किए गये थे जिनको जरूरी खर्च की स्वीकृति एवं डोंगल भुगतान का अधिकार था लेकिन ग्राम पंचायत बावन बुजुर्ग बल्ला में सहायक विकास अधिकारी पंचायत प्रशासक श्री सईद अहमद एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अतीक अहमद के द्वारा मार्च 2021 में रु0 889106.00

का भुगतान किया गया था। उक्त व्यय से संबंधित सुसंगत अभिलेख एवं प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये।

पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 बिन्दु 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। इस प्रकार उक्त धन का भी अपहरण कर लिया गया। इस धन में से रु० 444553.00 की वसूली प्रशासक श्री सईद अहमद से एवं शेष धनराशि रु० 444553.00 की वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री अतीक अहमद से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-30 ग्राम पंचायत-हिरयावाँ विकास खण्ड-अमावां

उक्त ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर मद में प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	आहरणकर्ता/व्यक्ति का नाम	आई0डी0 नम्बर	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	संगम हार्डवेयर	28586094	04/07/2020	21300.00
2	संगम हार्डवेयर	28586094	04/07/2020	20950.00
3	संगम हार्डवेयर	28586094	04/07/2020	49200.00
4	राधेलाल	26586477	25/07/2020	4998.00
5	आर0एस0 इन्टरप्राइजेज	36680816	28/8/2020	24500.00
6	आर0एस0 इन्टरप्राइजेज	36680816	28/08/2020	25400.00
7	आर0एस0 इन्टरप्राइजेज	43347455	05/10/2020	24300.00
8	फरीद इन्टरप्राइजेज	36680816	11/11/2020	25570.00
9	फरीद इन्टरप्राइजेज	36680816	11/11/2020	24800.00
10	आर0एस0 इन्टरप्राइजेज	36680565	01/12/020	45000.00
11	संगलम हार्डवेयर	36680565	16/12/2020	23264.00
		योग -		289282.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-
 “ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-
 “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।
 व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निविदा/कोटेशन सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 289282.00 में से ग्राम प्रधान

श्री/श्रीमती शांति देवी से रु.144641.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री अतीक अहमद से रु. 144641.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-31 ग्राम पंचायत- हरियाँवा कास खण्ड-अमावां

हैण्डपम्प रिबोर प्रशासक कार्यकाल:-

क्र० सं०	आहरणकर्ता/व्यक्ति का नाम	आई0डी0 नम्बर	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	फरीद इन्टरप्राइजेज	36680565	06/03/2021	26320.00
		योग-		26320.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प रिबोर पर दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-ग्राम प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।” व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निविदा/कोटेशन सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी प्रशासक एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु... 26320.00 में से प्रशासक श्री सईद अहमद से रु. 13160.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री अतीक अहमद से रु. 13160.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-32 ग्राम पंचायत-हरियावाँ विकास खण्ड-अमावां

उक्त ग्राम पंचायत में ह्यूम पाईप मद में प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	आहरणकर्ता/व्यक्ति का नाम	आई0डी0 नम्बर	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	आर0एस0 इन्टरप्राइजेज	36679903	25/07/2020	79695.00
2	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	44791115	23/12/2020	53523.00
		योग-		133227.00

ह्यूम पाईप मद में एक मुश्त बड़ी धनराशि का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि- कितनी ह्यूम पाईप का कार्य कराया गया एवं प्रति ह्यूम पाईप व्यय कितना है एक लाख रु० से अधिक की खरीद पर टेण्डर आमंत्रित किया जाना चाहिए था। लेखा परीक्षा में टेण्डर पत्रावली एवं ग्राम पंचायत का प्रस्ताव एवं ह्यूम पाईप स्थापना के स्थान की सूची प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था जो कि नहीं किया गया।

जल निकासी हेतु ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर स्थापना हेतु क्रय दर्शित हैं जो नियमों के विपरीत हैं क्योंकि ग्राम पंचायत में प्रस्तावित कार्ययोजना में दर्शित कार्यों के इतर किसी भी प्रकार से ह्यूम पाइप का क्रय किया जाना धनराशि का दुरुपयोग किया जाना है। उक्त क्रय ह्यूम पाइप की स्थापना पर मजदूरी का भुगतान भी नहीं किया गया है। उपरोक्त क्रय प्रमाणक विहीन एवं विवरणविहीन हैं। ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय

प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी। व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निविदा/कोटेशन सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. ...133227.00 में से ग्राम प्रधान श्री/श्रीमती शांति देवी से रु. 66613.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्रीअतीक अहमद से रु. 66613.50 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-33 ग्राम पंचायत- हरियाँवा कास खण्ड-अमावां

उक्त ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	आहरणकर्ता/व्यक्ति का नाम	आई0डी0 नम्बर	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	4957474	20/03/2021	25852.00
2	संगम हार्डवेयर	49574856	20/03/2021	160259.00
3	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	49575193	20/03/2021	9329.00
4	संगम हार्डवेयर	49574745	20/03/2021	45765.00
5	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	43348341	20/03/2021	32006.00
6	संगम हार्डवेयर	43348341	20/03/2021	115563.00
7	मजदूरी	43348341	20/03/2021	29087.00
8	मजदूरी	43348341	27/03/2021	19872.00
		योग-		437733.00

विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि विद्यालय में कराए गये निर्माण/मरम्मत कार्य के कराए जाने की मांग एवं पुष्टि विद्यालय द्वारा की गयी थी अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निविदा/कोटेशन सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण

पत्र सम्मिलित है लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी प्रशासक एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 437733.00 में से प्रशासक श्री सईद अहमद से रु.218866.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री अतीक अहमद से रु. 218866.50 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-34 ग्राम पंचायत-हरियावां विकास खण्ड-अमावां

उक्त ग्राम पंचायत में स्थित सामुदायिक शौचालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0 सं0	आहरणकर्ता/व्यक्ति का नाम	आई0डी0 नम्बर	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	विमला ब्रिक फील्ड	44782660	16/12/2020	65743.00
2	संगम हार्डवेयर	44782660	16/12/2020	136000.00
3	सिंह गुरुदेव ट्रेडर्स	44782660	17/12/2020	83706.00
		योग -		285449.00

सामुदायिक शौचालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है।

ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय में दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।” व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निविदा/कोटेशन सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु.285449.00 में से ग्राम प्रधान श्री/श्रीमती शांति देवी से रु. 142724.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री अतीक अहमद से रु.142724.50 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-35 ग्राम पंचायत-हरियावां विकास खण्ड-अमावां

उक्त ग्राम पंचायत में अन्य विभिन्न कार्यों पर प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0 सं0	आहरणकर्ता/व्यक्ति का नाम	आई0डी0 नम्बर	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	रामफेर-वाल पेंटिंग	14093164	04/07/2020	7000.00
2	श्रीमती शांति देवी-प्रधान मानदेय	28598449	25/07/2020	38500.00
		योग -		45500.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी। व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निविदा/कोटेशन सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 45500.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती शांति देवी से रु. 22750.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री अतीक अहमद से रु. 22750.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-36 ग्राम पंचायत-बीबीपुर तालुके हसन विकास खण्ड-अमावां

उक्त ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर मद में प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	आहरणकर्ता/व्यक्ति का नाम	आईडी नम्बर	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	हिंदुस्तान इंटरप्राइजेज	38846083	27/06/2020	24220.00
2	हिंदुस्तान इंटरप्राइजेज	38846083	27/06/2020	26540.00
3	धनपति ट्रेडर्स	38846033	27/06/2020	44520.00
4	मजदूरी राधेलाल	28171662	10/07/2020	5000.00
5	फरीद इंटरप्राइजेज	42991309	29/09/2020	24760.00
6	फरीद इंटरप्राइजेज	42991309	29/09/2020	17298.00
7	फरीद इंटरप्राइजेज	44708080	07/12/2020	23550.00
8	फरीद इंटरप्राइजेज	44708080	07/12/2020	24740.00
9	फरीद इंटरप्राइजेज	44708080	07/12/2020	22210.00
10	फरीद इंटरप्राइजेज	42991309	23/12/2020	25280.00
11	श्री श्याम इंटरप्राइजेज	42991281	23/12/2020	27520.00
12	मजदूरी राधेलाल	42991281	25/12/2020	14525.00
	योग-			280163.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-ग्राम प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी। व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति

निविदा/कोटेशन सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये । जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु.280163.00 में से ग्राम प्रधान श्री हरिकेश यादव से रु. 140081.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री अतीक अहमद से रु.140081.50 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-37 ग्राम पंचायत-बीबीपुर तालुके हसन विकास खण्ड-अमावां

प्रशासक के कार्यकाल का हैण्डपम्प मरम्मत/ रिबोर व्यय:-

क्र० सं०	आहरणकर्ता/व्यक्ति का नाम	आई0डी0 नम्बर	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	फरीद इन्टरप्राइजेज	42991281	06/03/2021	20200.00
2	धनपति ट्रेडर्स	42991281	20/03/2021	19500.00
3	फरीद इन्टरप्राइजेज	38846033	26/03/2021	32662.00
4	फरीद इन्टरप्राइजेज	42991309	26/03/2021	32662.00
5	फरीद इन्टरप्राइजेज	44708080	26/03/2021	24120.00
6	फरीद इन्टरप्राइजेज	44708080	26/03/2021	23400.00
7	फरीद इन्टरप्राइजेज	44708080	26/03/2021	24260.00
		योग -		176804.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर पर दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी। व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निविदा/कोटेशन सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान /मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 176804.00 में से प्रशासक श्री सईद अहमद से रु. 88402.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री/श्रीमती अतीक अहमद से रु. 88402.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-38 ग्राम पंचायत-बीबीपुर तालुके हसन विकास खण्ड-अमावां

उक्त ग्राम पंचायत में प्रशासक कार्यकाल में नाली निर्माण/मरम्मत मद में प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0 सं0	आहरणकर्ता/व्यक्ति का नाम	आई0डी0 नम्बर	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	छवि ट्रेडर्स	50533071	20/03/2021	17652.00
2	मेसर्स खन्ना ब्रिक फील्ड	50533071	20/03/2021	26806.00
3	छवि ट्रेडर्स	36542868	20/03/2021	12480.00
4	मेसर्स खन्ना ब्रिक फील्ड	36542868	20/03/2021	23951.00
5	छवि ट्रेडर्स	50533197	20/03/2021	8116.00
6	मेसर्स खन्ना ब्रिक फील्ड	50533197	20/03/2021	4832.00
7	छवि ट्रेडर्स	50532879	20/03/2021	8325.00
8	मेसर्स खन्ना ब्रिक फील्ड	50532879	20/03/2021	12881.00
		योग-		115043.00

नाली निर्माण हेतु उपरोक्त व्यय प्रिया साफ्ट की कैश बुक में अंकित किया गया है। उपरोक्त नाली मरम्मत कार्य हेतु मात्र सामग्री की खरीद दर्शित है खरीदी गयी सामग्री के उपभोग पर मजदूरी व्यय नहीं किया गया है। अतः खरीदी गयी सामग्री अप्रयुक्त है जो स्टॉक बुक में प्रदर्शित होनी चाहिये थी। स्टॉक बुक प्रस्तुत न किये जाने एवं मजदूरी व्यय शून्य होने के कारण उपरोक्त धनराशि का स्पष्टतः अपहरण/गबन किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निविदा/कोटेशन सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु.115043.00 में से प्रशासक श्री सईद अहमद से रु. 57521.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री अतीक अहमदसे रु. 57521.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-39 ग्राम पंचायत-बीबीपुर तालुके हसन विकास खण्ड-अमावां

उक्त ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय के निर्माण मद में प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0 सं0	आहरणकर्ता/व्यक्ति का नाम	आई0डी0 नम्बर	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	आर0एस0 इन्टरप्राइजेज	44708041	25/09/2020	38000.00
2	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	44708041	18/11/2020	98546.00
3	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	44708041	23/12/2020	77484.00
4	मे0 खन्ना ब्रिक फील्ड	44708041	23/12/2020	69300.00
		योग-		283330.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित उक्त व्यय सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य हेतु एक बड़ी धनराशि का व्यय दर्शित है। जिसके सम्बन्ध में व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी। व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निविदा/कोटेशन सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 283330.00 में से ग्राम प्रधान श्री हरिकेश यादव से रु. 141665.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री अतीक अहमद से रु.141665.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-40 ग्राम पंचायत-बीबीपुर तालुके हसन विकास खण्ड-अमावां

उक्त ग्राम पंचायत में अन्य विभिन्न कार्यों पर प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	आहरणकर्ता/व्यक्ति का नाम	आई0डी0 नम्बर	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	रायफेर	28118293	27/06/2020	1000.00
2	प्रधान मानदेय श्री हरिकेश यादव	15211263	29/09/2020	10500.00
		योग -		11500.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-ग्राम-प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निविदा/कोटेशन सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के आगणित अपहरण की अनुसार धनराशि रु.11500.00 में से ग्राम प्रधान श्री हरिकेश यादव से रु. 5750.00 कुल और ग्राम पंचायत सचिव श्री अतीक अहमद से रु.5750.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-41 ग्राम पंचायत-जेतुआ टप्पे बिड़वन विकास खण्ड-अमावां

उक्त ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत मद में प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0 सं0	आहरणकर्ता/व्यक्ति का नाम	आई0डी0 नम्बर	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	आर0एस0 इन्टरप्राइजेज	30734669	05/07/2020	55000.00
2	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	20908846	05/07/2020	62050.00
3	राधेलाल मजदूरी	20908846	05/07/2020	5712.00
4	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	28978922	05/07/2020	25600.00
5	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	28978922	05/07/2020	23780.00
6	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	28978922	05/07/2020	26900.00
7	आर0एस0 इन्टरप्राइजेज	42942930	24/08/2020	24520.00
8	आर0एस0 इन्टरप्राइजेज	42942930	24/08/2020	25600.00
9	फरीद इन्टरप्राइजेज	42964421	22/10/2020	22450.00
10	फरीद इन्टरप्राइजेज	42964221	22/10/2020	26425.00
11	श्री श्याम इन्टरप्राइजेज	42966198	15/12/2020	55510.00
12	आर0एस0 इन्टरप्राइजेज	42964221	25/12/2020	98600.00
	योग-			452147.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निविदा/कोटेशन सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये । जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की धनराशि रु. 452147.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती प्रेमलता से रु. 226073.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री अतीक अहमद से रु. 226073.50 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-42 ग्राम पंचायत-जेतुआ टप्पे बिड़वन विकास खण्ड-अमावां

उक्त ग्राम पंचायत में स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत सामुदायिक शौचालय में प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0 सं0	आहरणकर्ता/व्यक्ति का नाम	आई0डी0 नम्बर	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	आर0एस0 इन्टरप्राइजेज	4293800	23/09/2020	128270.00
2	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	4293800	23/09/2020	32000.00
3	अफीफा ब्रिक फील्ड	4293800	26/09/2020	110880.00
4	आर0एस0 इन्टरप्राइजेज	42938001	23/10/2020	30459.00

5	आर0एस0 इन्टरप्राइजेज	42938001	23/10/2020	11097.00
	योग-			312706.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित उक्त व्यय सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य हेतु एक बड़ी धनराशि का व्यय दर्शित है। जिसके सम्बन्ध में व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- ग्राम प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी। व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निविदा/कोटेशन सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि क. 312706.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती प्रेमलता से रु. 156353.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री अतीक अहमद से रु. 156353.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है

प्रस्तर-43 ग्राम पंचायत-जेतुआ टप्पे बिड़वन विकास खण्ड-अमावां

उक्त ग्राम पंचायत में नाला निर्माण/मरम्मत मद में प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0 सं0	आहरणकर्ता/व्यक्ति का नाम	आई0डी0 नम्बर	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	अफीफा ब्रिक फील्ड	42945999	08/11/2020	55400.00
2	आर0एस0 इन्टरप्राइजेज	42945999	08/11/2020	78600.00
	योग -			134040.00

नाला निर्माण हेतु उपरोक्त व्यय प्रिया साफ्ट की कैश बुक में अंकित किया गया है। उपरोक्त नाला मरम्मत कार्य हेतु मात्र सामग्री की खरीद दर्शित है खरीदी गयी सामग्री के उपभोग पर मजदूरी व्यय नहीं किया गया है। अतः खरीदी गयी सामग्री अप्रयुक्त है जो स्टॉक बुक में प्रदर्शित होनी चाहिये थी। स्टॉक बुक प्रस्तुत न किये जाने एवं मजदूरी व्यय शून्य होने के कारण उपरोक्त धनराशि का स्पष्टतः अपहरण/गबन किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निविदा/कोटेशन सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली

उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 134040.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती प्रेमलता से रु. 67020.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री अतीक अहमद से रु. 67020.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-44 ग्राम पंचायत-जेतुआ टप्पे बिझवन विकास खण्ड-अमावां

उक्त ग्राम पंचायत में पंचायत भवन के निर्माण मद में प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0 सं0	आहरणकर्ता/व्यक्ति का नाम	आई0डी0 नम्बर	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	आर0एस0 इन्टरप्राइजेज	43195223	27/06/2020	45045.00
2	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	43195223	27/06/2020	95072.00
3	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	43195223	27/06/2020	184366.00
4	मजदूरी	43195223	27/06/2020	47572.00
	योग-			372055.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित उक्त व्यय पंचायत भवन (ग्राम सचिवालय) निर्माण कार्य हेतु एक बड़ी धनराशि का व्यय दर्शित है। जिसके सम्बन्ध में व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निविदा/कोटेशन सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 372055.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती प्रेमलता से रु. 186027.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री अतीक अहमद से रु. 186027.50 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-45 ग्राम पंचायत-जेतुआ टप्पे बिझवन विकास खण्ड-अमावां

उक्त ग्राम पंचायत में हयूम पाईप मद में प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0 सं0	आहरणकर्ता/व्यक्ति का नाम	आई0डी0 नम्बर	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	45010422	27/11/2020	47754.00
2	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	45010422	25/12/2020	77500.00
3	आर0एस0 इन्टरप्राइजेज	45010422	25/12/2020	71182.00
	योग-			196436.00

हयूम पाईप मद में एक मुश्त बड़ी धनराशि का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी हयूम पाईप का कार्य कराया गया एवं प्रति हयूम पाईप व्यय कितना है। एक लाख रु0 से अधिक की खरीद पर टेण्डर आमंत्रित किया जाना चाहिए

था। लेखा परीक्षा में टेण्डर पत्रावली एवं ग्राम पंचायत का प्रस्ताव एवं ह्यूम पाइप स्थापना के स्थान की सूची प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था जो कि नहीं किया गया।

जल निकासी हेतु ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर स्थापना हेतु क्रय दर्शित है जो नियमों के विपरीत है क्योंकि ग्राम पंचायत में प्रस्तावित कार्ययोजना में दर्शित कार्यों के इतर किसी भी प्रकार से ह्यूम पाइप का क्रय किया जाना धनराशि का दुरुपयोग किया जाना है। उक्त क्रय ह्यूम पाइप की स्थापना पर मजदूरी का भुगतान भी नहीं किया गया है। उपरोक्त क्रय प्रमाणक विहीन एवं विवरणविहीन हैं। ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी। व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निविदा/कोटेशन सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट लैन्डमार्क युक्त शर्करा की तीन चरणों की फोटो कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 196436.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती प्रेमलता से रु. 98218.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री अतीक अहमद से रु. 98218.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-46 ग्राम पंचायत-जेतुआ टप्पे बिझवन विकास खण्ड-अमावां

उक्त ग्राम पंचायत में स्थित प्राथमिक विद्यालय में कराए गये कार्याकल्प निर्माण कार्यों पर प्रिया साफ्ट के अनुसार निम्नांकित व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	आहरणकर्ता/व्यक्ति का नाम	आई0डी0 नम्बर	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	आर०एस० इन्टरप्राइजेज	48981165	16/03/2021	34874.00
2	फरीद इन्टरप्राइजेज	48981165	16/03/2021	83666.00
3	आर०एस० इन्टरप्राइजेज	49447116	16/03/2021	12531.00
4	फरीद इन्टरप्राइजेज	49447116	16/03/2021	104790.00
5	फरीद इन्टरप्राइजेज	49447116	16/03/2021	54293.00
6	फरीद इन्टरप्राइजेज	48981165	16/03/2021	45000.00
7	मजदूरी	48981165	25/03/2021	23874.00
8	मजदूरी	49447116	25/03/2021	13344.00
	योग-			372372.00

विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर एक मुश्त बड़ी धनराशि का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि विद्यालय में कराए गये निर्माण/मरम्मत कार्य के कराए जाने की मांग एवं पुष्टि विद्यालय द्वारा की गयी थी अथवा नहीं। ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध

में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी। व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निविदा/कोटेशन सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 372372.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती प्रेमलता से रु. 186186.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री अतीक अहमद से रु 186186.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-47 ग्राम पंचायत-जेतुआ टप्पे बिझवन विकास खण्ड-अमावां
प्रशासक के कार्यकाल के विविध व्यय:-

क्र० सं०	आहरणकर्ता/व्यक्ति का नाम	आई0डी0 नम्बर	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	फरीद इन्टरप्राइजेज	42946198	05/03/2021	25600.00
2	अफीफा ब्रिक फील्ड	36607427	05/03/2021	44576.00
3	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	36607427	05/03/2021	9444.00
4	अफीफा ब्रिक फील्ड	44773319	05/03/2021	136576.00
	योग-			216196.00

इस मद में एक मुश्त बड़ी धनराशि का भुगतान करना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है। निर्माण कार्य में सामग्री क्रय एवं लेवर व्यय को अलग-अलग प्रदर्शित न किये जाने के कारण उपरोक्त कार्यों पर हुये व्यय का परीक्षण नहीं किया जा सका।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निविदा/कोटेशन s सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 216196.00 में से प्रकाशक श्री सईद अहमद से रु. 108098.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री अतीक अहमद से रु. 108098.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-48 ग्राम पंचायत-जेतुआ टप्पे बिझवन विकास खण्ड-अमावां
उक्त ग्राम पंचायत में अन्य विभिन्न कार्यों पर प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	आहरणकर्ता/व्यक्ति का नाम	आई०डी० नम्बर	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	मजदूरी इन्टरलॉकिंग	20908841	27/05/2020	19278.00
2	फरीद इन्टरप्राइजेज	30734669	05/07/2020	10000.00
3	शिव इन्टरप्राइजेज	3661045	23/09/2020	9889.00
4	आर०एस० इन्टरप्राइजेज	44699649	22/10/2020	45000.00
5	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	42946198	15/12/2020	24715.00
6	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	42961400	02/07/2020	96222.00
7	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	42961400	02/07/2020	25200.00
	योग-			230304.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निविदा/कोटेशन सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट बैंडमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु.230304.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती प्रेमलता से रु. 115152.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री अतीक अहमद से रु. 115152.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-49 ग्राम पंचायत-ताजपुर विकास खण्ड-अमावां

उक्त ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	आहरणकर्ता/व्यक्ति का नाम	आई०डी० नम्बर	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	आर०एस० इन्टरप्राइजेज	36865900	24/09/2020	16925.00
2	संगम हार्डवेयर	36865900	03/11/2020	19567.00
3	संगम हार्डवेयर	43343526	23/12/2020	32880.00
4	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	37769015	29/6/2020	25250.00
5	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	37769015	29/06/2020	25350.00
6	संगम हार्डवेयर	36865540	03/11/2020	26850.00
7	संगम हार्डवेयर	36865540	23/12/2020	24500.00
8	संगम हार्डवेयर	36865540	23/12/2020	24500.00
9	संगम हार्डवेयर	36865540	23/12/2020	23480.00

		योग-		219302.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत/ रिबोर पर दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा में नुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये एवं खण्ड कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की 8 में प्राविधान है कि-यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निविदा/कोटेशन सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 219302.00 में से ग्राम प्रधान श्री गंगाराम से रु.109651.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री अतीक अहमद से रु.109651.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-50 ग्राम पंचायत-ताजपुर विकास खण्ड-अमावां

प्रशासक के समय का हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर का भुगतान

क्र० सं०	आहरणकर्ता/व्यक्ति का नाम	आई0डी0 नम्बर	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	संगम हार्डवेयर	36865540	30/03/2020	23820.00
2	संगम हार्डवेयर	36865540	30/03/2020	24325.00
3	संगम हार्डवेयर	43343526	30/03/2020	34130.00
		योग-		82275.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत/ रिबोर पर दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा में नुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी। व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निविदा/कोटेशन सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार

आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 82275.00 में से प्रशासक सईद अहमद से रु.41137.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री अतीक अहमद से रु.41137.50 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-51 ग्राम पंचायत-ताजपुर विकास खण्ड-अमावां

उक्त ग्राम पंचायत में पंचायत भवन के निर्माण मद में प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0 सं0	आहरणकर्ता/व्यक्ति का नाम	आई0डी0 नम्बर	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	विमला श्री ब्रिक फील्ड	43617405	07/08/2020	155925.00
2	विमला श्री ब्रिक फील्ड	43617405	07/08/2020	113400.00
3	सिंह गुरुदेव ट्रेडर्स	43617405	07/08/2020	181180.00
4	सिंह गुरुदेव ट्रेडर्स	43617405	07/08/2020	166320.00
5	सिंह गुरुदेव ट्रेडर्स	43617405	07/08/2020	198520.00
6	सिंह गुरुदेव ट्रेडर्स	43617405	08/09/2020	128052.00
7	सिंह गुरुदेव ट्रेडर्स	43617405	05/10/2020	70150.00
	योग -			1013547.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित उक्त व्यय पंचायत भवन (ग्राम सचिवालय) निर्माण कार्य हेतु एक बड़ी धनराशि का व्यय दर्शित है। जिसके सम्बन्ध में व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा में नुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा में नुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निविदा/कोटेशन सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 1013547.00 में से ग्राम प्रधान श्री गंगाराम से रु.506773.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री अतीक अहमद से रु. 506773.50 की वसूली किया जाना अपेक्षित

प्रस्तर-52 ग्राम पंचायत-ताजपुर विकास खण्ड-अमावां

उक्त ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0 सं0	आहरणकर्ता/व्यक्ति का नाम	आई0डी0 नम्बर	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	आर0एस0 इन्टरप्राइजेज	43356456	01/10/2020	34000.00
2	सिंह गुरुदेव ट्रेडर्स	43356456	04/11/2020	54779.00

3	विमला श्री ब्रिक फील्ड	43356456	04/11/2020	69300.00
4	विमला श्री ब्रिक फील्ड	43356456	23/12/2020	10395.00
5	सिंह गुरुदेव ट्रेडर्स	43356456	23/12/2020	41545.00
6	संगम हार्डवेयर	43356456	23/12/2020	70546.00
	योग -			280583.00

सामुदायिक शौचालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि सामुदायिक शौचालय में कराए गये निर्माण/मरम्मत कार्य के कराए जाने की मांग एवं पुष्टि सामुदायिक शौचालय द्वारा की गयी थी अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा में नुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-ग्राम-प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी। व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निविदा/कोटेशन सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट बैंडमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 280583.00 में से ग्राम प्रधान श्री गंगाराम से रु.140291.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री अतीक अहमद से रु. 140291.50 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-53 ग्राम पंचायत-ताजपुर विकास खण्ड-अमावां

उक्त ग्राम पंचायत में अन्य विभिन्न कार्यों पर प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	आहरणकर्ता/व्यक्ति का नाम	आई0डी0 नम्बर	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	गंगाराम प्रधान मानदेय	43345103	15/09/2020	21000.00
2	शिव इन्टरप्राइजेज पी पी ई किट	36865210	15/09/2020	7199.00
	योग -			28199.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा में नुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निविदा/कोटेशन सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों माप पुस्तिका में की गयी

कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा धनराशि रु. 28199.00 में से ग्राम प्रधान श्री गंगाराम से रु.14099.50 और ग्राम पंचायत परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल सचिव श्री अतीक अहमद से रु.14099.50 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-54 ग्राम पंचायत-उबरनी विकास खण्ड-डलमऊ

ग्राम प्रधान को अधिक मानदेय का भुगतान:-

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	प्रधान मानदेय	27/08/2020	42000.00
2	प्रधान मानदेय	30/03/2021	31000.00
	योग -		73000.00

1- शासनादेश सं० 3/2016/3038/33-1-2016 के अनुसार ग्राम प्रधानों का मानदेय 3500/- (तीन हजार पाँच सौ रुपये) प्रतिमाह किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त शासनादेश के अनुसार ग्राम पंचायत प्रधान का बारह महीने का मानदेय 42000/- अक्षरन बयालीस हजार रुपये बनता है किन्तु ग्राम पंचायत उबरनी में ग्राम प्रधान का मानदेय कुल 73000/- अक्षरन तिहत्तर हजार रुपये दिया गया है जो 31000/- अक्षरन इक्कीस हजार रुपये अधिक है। साक्ष्य के रूप में मानदेय पंजिका एवं पिछले वित्तीय वर्ष की कैश बुक एवं सुसंगत प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये। जिस से यह ज्ञात नहीं हो सका कि मानदेय भुगतान की वास्तविक स्थिति क्या है। इस प्रकार 31000/- का अधिक भुगतान कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है जिसके लिए ग्राम पंचायत सचिव अशोक कुमार यादव एवं तत्कालीन प्रशासक सहायक विकास अधिकारी (पंचायत)श्री श्रवण कुमार श्रीवास्तव समान रूप से उत्तरदायी हैं।

1- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 ऑडिट के वृहद बिन्दु-11 के अनुसार संप्रेक्षण के दौरान ग्राम प्रधान तथा सचिव के द्वारा संप्रेक्षण दल को निम्नलिखित बिंदुओं पर सूचना दी जाएगी

क- ग्राम पंचायत द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया नियमावली के किसी नियम अथवा संविधान के किसी अनुच्छेद के विपरीत नहीं है ।

ख- किये गए व्यय में वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का उल्लंघन नहीं हुआ है ।

2- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 5 वित्तीय औचित्य के सिद्धान्त बिन्दु 3 के अनुसार व्यय करते समय यह भी देखना अति आवश्यक है कि वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। वित्तीय औचित्य के सिद्धान्त निम्नलिखित हैं-

क- निधि से किसी मद में उतनी ही धनराशि व्यय की जाए जितनी उस समय आवश्यक है । व्यय करते समय उतनी सावधानी एवं सतर्कता बरती जाए जितनी एक सामान्य बुद्धि एवं विवेकशील व्यक्ति द्वारा अपनी स्वयं की धनराशि व्यय करने में बरती जाती है।

ख- निधि से व्यय किसी व्यक्ति विशेष वर्ग विशेष अथवा समुदाय विशेष के लाभ के लिए न होकर सभी के हितार्थ हो ।

ग- प्रश्नगत व्यय स्वीकृतकर्ता व्यक्ति/ प्राधिकारी के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभार्थ न हो। तात्पर्य यह है कि यदि स्वीकृतकर्ता अधिकारी प्रस्तावित व्यय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होता है तो इस स्थिति में प्रस्तावित व्यय का भुगतान किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितता होगी ।

घ- भत्ते आदि के रूप में किए जाने वाले भुगतान में यह भी देखा जाना आवश्यक है कि उक्त भत्ता भुगतान प्राप्तकर्ता के लाभ का स्रोत न हो अर्थात् इस तरह के भुगतानों में यह सुनिश्चित किया जाना है कि भुगतान उतना

ही किया जाए जितना वास्तव में व्यय किया गया है जिससे प्रतिपूर्ति वास्तव में व्यय की गई धनराशि से अधिक न हो और लाभ का साधन न बने ।

उक्त के संदर्भ में उल्लेखनीय बिन्दु यह है कि ग्राम प्रधान मानदेय 3500.00 रुपये प्रतिमाह की दर से 12 महीने का 42000/- बनता है जबकि रु0 42000.00 के स्थान पर के स्थान पर रु0 73000/- प्राप्त कराया गया है जो कि ग्राम प्रधान के अवैध लाभ का साधन बन रही है। बार बार लिखित एवं मौखिक अनुरोध के बाद ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा यह अवगत कराया गया कि मानदेय पिछले वर्ष का बकाया भुगतान कराया गया है लेकिन अपने कथन की पुष्टि हेतु सुसंगत साक्ष्य लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए जैसे वेतन पंजिका वर्ष 2019-20 की कैश बुक एवं भुगतान प्राप्ति से संबंधित वाउचर आदि। इस प्रकार शासनादेश एवं वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 5 के वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का उल्लंघन कर 31000/- अधिक भुगतान किया गया जिसके लिए ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अशोक यादव एवं तत्कालीन प्रशासक सहायक विकास अधिकारी पंचायत श्री श्रवण कुमार श्रीवास्तव एक साथ एवं अलग अलग उत्तरदायी हैं। रु0 15500/- श्री अशोक कुमार यादव से तथा रु0 15500/- मय ब्याज श्री श्रवण कुमार श्रीवास्तव से वसूल किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर-55 ग्राम पंचायत-मोन विकास खण्ड-महराजगंज

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-"ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु लेखा परीक्षा में कतिपय कार्यों/मदों से सम्बन्धित पत्रावलियां (कार्यवाही पंजिका अनुमोदित कार्य योजना प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति मापी कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र स्टॉक रजिस्टर परिसंपत्ति रजिस्टर) एवं उन पर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्यों पर दर्शित व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	कार्य का नाम	दिनांक	दर्शित व्यय धनराशि	फर्म जिसको भुगतान किया गया जाना
1	ग्राम पंचायत में खुली नालियों पर पट्टा ढलाई	11.5.2020	42750.00	जायेश एण्ड कंपनी
2	खड़जा निर्माण सत्यनारायन के घर से वरवलिया सड़क तक	28.5.2020	89544.00	मजदूरी
3	जल निकासी हेतु हूयमपाइप खरीद	4.6.2020	87360.00	जायेश एण्ड कंपनी
4	नाली निर्माण मोन में जंग के दरवाजे से पीपल तलिया तक	11.6.2020 11.6.2020 30.6.2020	92880.00 46592.00 35000.00	जायेश एण्ड कंपनी मजदूरी सिंह ट्रेडर्स
5	नाली निर्माण प्रा0 वि0 वाउन्डरीवाल से इनहोना रोड तक	4.9.2020 10.9.2020 15.9.2020	49890.00 49380.00 26029.00	सिंह ट्रेडर्स जायेश एण्ड कंपनी जायेश एण्ड कंपनी
6	नाली निर्माण राधे कुम्हार के दरवाजे पुलिया से राम नेवाज के खेत तक	15.9.2020 7.10.2020 12.10.2020	41938.00 98350.00 25793.00	सिंह ट्रेडर्स सिंह ट्रेडर्स जायेश एण्ड कंपनी
7	नाली निर्माण ललित पंडित के घर से अमरेन्द्र के दरवाजे तक	3.10.2020 7.10.2020 5.11.2020 4.1.2021	56450.00 87075.00 98150.00 63250.00	जायेश एण्ड कंपनी जायेश एण्ड कंपनी जायेश एण्ड कंपनी जायेश एण्ड कंपनी
8	खड़जा निर्माण हैदरगढ़ रोड से राम सजीवन के खेत तक	6.11.2020 4.1.2021	49725.00 86350.00	शुक्ला ट्रेडर्स जायेश एण्ड कंपनी

9	सोखता गड्ढा निर्माण ग्राम पंचायत में	6.11.2020 6.11.2020	84500.00 66300.00	शुक्ला ट्रेडर्स जायेश एण्ड कंपनी
10	पंचायत भवन एवं शौचालय मरम्मत	5.10.2020 16.10.2020	78950.00 10000.00	शुक्ला ट्रेडर्स शुक्ला ट्रेडर्स
11	खड़जा निर्माण कुसुधीसागर पुर मोड से तेज बहादुर के घर के आगे तक	5.10.2020 7.10.2020	93525.00 80625.00	बजरंग ब्रिक फील्ड बजरंग ब्रिक फील्ड
12	खड़जा निर्माण अशोक यादव के घर से राम सजीवन के खेत तक	5.10.2020	90300.00	बजरंग ब्रिक फील्ड
13	खड़जा निर्माण भगवान दिन पासी शाहगंज के दरवाजे से शिव दुलारी के खेत तक	5.10.2020 5.10.2020	96750.00 83850.00	बजरंग ब्रिक फील्ड बजरंग ब्रिक फील्ड
14	खड़जा निर्माण नरायनपुर पक्की सड़क से नहारिया पुलिया तक	7.10.2020 12.10.2020	99975.00 72437.00	बजरंग ब्रिक फील्ड जायेश एण्ड कंपनी
15	खड़जा निर्माण पक्की सड़क से प्रा० वि० नरायनपुर तक	7-10-2020	99975.00	लक्ष्मी ब्रिक फील्ड

इस प्रकार उक्त कार्यो से सम्बन्धित पत्रावलियां एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। यह भी उल्लेखनिय है की प्रस्तुत कोष बही के अनुसार निर्माण कार्य क्रमांक 2 व 4 को छोड़कर श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान भी नहीं किया गया है। इस प्रकार लेखा परीक्षा में कार्य का कराया जाना प्रमाणित नहीं रहा। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8 (क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।" इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु. 2083693.00 लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अन्तर्गत अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है जिसके लिए गा0वि0अधिकारी श्री अरुण कुमार तथा ग्राम प्रधान सरोजनी सिंह उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रु० 2083693.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रु० 1041846.50 गा0वि0अधिकारी श्री अरुण कुमार से तथा रु० 1041846.50 ग्राम प्रधान राजेश्वरी सिंह से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-56 ग्राम पंचायत-पखनपुर विकास खण्ड-महाराजगंज

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-"ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा हैन्ड पम्प मरम्मत पर दर्शित व्यय का विवरण निम्नवत है-

दिनांक	भुगतान प्राप्तकर्ता--- फर्म / मिस्त्री	दर्शित व्यय धनराशि
04.06.2020	श्री श्याम इंटर प्राइजेज -सामग्री खरीद	53780.00
22.06.2020	श्री श्याम इंटर प्राइजेज -सामग्री खरीद	53300.00
22.09.2020	कंधई मिस्त्री हैन्डपम्प मरम्मत मजदूरी	6000.00
31.12.2020	श्री श्याम इंटर प्राइजेज -सामग्री खरीद	42110.00
	योग	155190.00

उक्त व्यय धनराशि रुपये 155190.00 की पुष्टि में लेखा परीक्षा में केवल व्यय प्रमाणक-खरीद बिल व मिस्त्री की मजदूरी प्राप्ति रसीद ही प्रस्तुत रहे परन्तु सम्बन्धित कार्य पत्रावलियां-खराब हैन्ड पंपों की स्थलवार सूची व प्रार्थना पत्र जल प्रबंध समिति की स्वीकृति, अनुमानित व्यय-प्राक्कलन वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति एम.बी. तीनों स्तर के

फोटोग्राफ्स व कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र तथा खराब व क्रय सामानों के लेखा संबंधी डेड स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। इसके अलावा उक्त के संदर्भ में शासनादेश संख्या आर. जी. एस. ए. /197/2019-4/379/2015 लखनऊ दिनांक 02 मई 2019 के अनुसार -जी पी डी पी की तैयार कार्ययोजना को प्लान प्लस पर अपलोड की समीक्षा के बिन्दु -2 में स्पष्ट निर्देश है कि रुपये बीस हजार या इससे कम लागत के कई हैंड पंपों की एक ग्रुप आई डी बनाकर कार्य संपादित किया जाना है किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नियमों/निर्देशों के विपरीत एक या अधिक आई डी विकसित कर अनियमित व मनमाने ढंग से निर्धारित धनराशि से अधिक व्यय भुगतान किया गया है। स्पष्ट है कि हैंड पंप मरम्मत कार्य को बिना प्राक्कलन तैयार किये तथा अनुमानित व्यय की बिना सक्षम स्तर से नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त किये कराया गया है तथा बिना कार्य की माप किये ही काल्पनिक आधार पर उक्त भुगतान किया गया है। उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 156 के अनुसार किसी भी निर्माण कार्य को आरम्भ करने के पूर्व योजना मानचित्र और अनुमानित व्यय की नियमानुसार स्वीकृति लिया जाना आवश्यक है एवं नियम 157 (ख) के अनुसार निर्माण कार्य कराये जाने के उपरान्त भुगतान के लिए निर्धारित अधिकारी/विशेषज्ञ द्वारा कार्य की नाप-जोख / माप किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार स्पष्ट है कि नियमों की अनदेखी करते हुये उक्त दर्शित धनराशि ₹0 155190.00 का ग्राम निधि प्रथम भुगतान /आहरण कर व्यय दर्शित किया गया है जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256(2)-(क) के अन्तर्गत अनियमित व्यय है/गंभीर अनियमितता है जिसके लिए ग्रा0वि0अधिकारी श्रीमती निहारिका तथा ग्राम प्रधान श्री शत्रोहन उत्तरदायी हैं। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-57 ग्राम पंचायत-पखनपुर विकास खण्ड-महराजगंज

समीक्ष्य वर्ष 2020-21 में कराये गये इण्टरलाकिंग (रमेश मिस्त्री के घर से बुद्ध लाल के घर तक) कार्य पर व्यय/माप पुस्तिका में अंकित ₹0 241672.00 के सापेक्ष ₹0 241195.00 का भुगतान दिनांक- 11.11.2020 को (₹0 204265.00 शिव इण्टर प्राइजेज को तथा ₹0 36930.00 मजदूरी का) किया गया। पुनः इसी कार्य के लिए शिव इण्टर प्राइजेज को दिनांक-11.11.2020 को ₹0 28172.00 का भुगतान कर धन का अपहरण किया गया है अपहरित धनराशि ₹0 28172.00 की वसूली शिव इण्टर प्राइजेज से की जाय। तथा वसूली न होने की दशा में इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान श्री रमाशंकर एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री अजय कुमार से समान रूप की जानी अपेक्षित है तथा इस प्रकार के कृत्य पर रोक लगाये जाने हेतु उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-58 ग्राम पंचायत-जलालपुर विकास खण्ड-बछरावां

समीक्ष्य वर्ष 2020-21 में निर्मित सामुदायिक शौचालय निर्माण में प्रयुक्त समरसेबुल के बिल संख्या-425 दिनांक- 08.11.2020 में प्रताप इण्टर प्राइजेज को दिनांक-08.12.2020 को ₹0 44191.00 का भुगतान गया है। पुनः इसी बिल के सापेक्ष दिनांक-13.12.2020 को ₹0 44191.00 का भुगतान कर धन का अपहरण किया गया है। अतः अपहरित धनराशि ₹0 44191.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री कृष्णपाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी कु० सुमन सोनी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-59 ग्राम पंचायत-रामगढ टिकरिया विकास खण्ड-जगतपुर

वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ₹ 2185890.00 (ई-ग्रामस्वराज के अनुसार) व्यय किया गया है। पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-" ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति वित्तीय स्वीकृति आई0डी0 मापी कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व ही सहायक विकास अधिकारी) पंचायत (के

माध्यम से ग्रा0वि0/पं (अधिकारी से समस्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध कराये जाने को सूचित किया गया था। उक्त क्रम में 15-09-2021 में लेखा परीक्षा कार्यक्रम लगाया गया परन्तु ग्राम पंचायत से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। उक्त क्रम में पुनः सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से आडिट हेतु वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत कराने को सूचित किया गया फिर भी अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहे। तत्पश्चात ई- ग्रामस्वराज से उपलब्ध आंकड़ों का अवलोकन कर लेखापरीक्षा 24-02-2022 को समाप्ति की सूचना ग्राम पंचायत अधिकारी को दी गयी। इस प्रकार उक्त कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। अतः अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत कर दर्शित व्यय की पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है। अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में दर्शित व्यय धनराशि रु0 2185890.00(ई- ग्रामस्वराज के अनुसार) की नियमानुसार वसूली 25 दिसम्बर 2020 तक का व्यय रुपये 1878934.00 ग्रामपंचायत सचिव श्री कौशल यादव व प्रधान श्रीमती कमला देवी से बराबर बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित है एवम 25 दिसम्बर 2020 के बाद का व्यय रुपये 306956.00 सचिव श्री कौशल यादव व प्रशासक श्री कमलेश बहादुर सिंह से बराबर बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर-60 ग्राम पंचायत-बैरिहार विकास खण्ड-जगतपुर

वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में रु 361381.00(ई-ग्रामस्वराज के अनुसार) व्यय किया गया हैं

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति वित्तीय स्वीकृति आई0 डी0 मापी कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व ही सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) (के माध्यम से ग्रा0वि0/पं0 अधिकारी से समस्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध कराये जाने को सूचित किया गया था। उक्त क्रम में 29-09-2021 में लेखा परीक्षा कार्यक्रम लगाया गया परन्तु ग्राम पंचायत से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। उक्त क्रम में पुनः सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से आडिट हेतु वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत कराने को सूचित किया गया फिर भी अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहे। तत्पश्चात ई- ग्रामस्वराज से उपलब्ध आंकड़ों का अवलोकन कर लेखापरीक्षा 21-03-2022 को समाप्ति की सूचना ग्राम पंचायत अधिकारी को दी गयी। इस प्रकार उक्त कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। अतः अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत कर दर्शित व्यय की पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है। अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में दर्शित व्यय धनराशि रु० 361381.00 की नियमानुसार वसूली किये जाने हेतु प्रकरण विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। उक्त धनराशि रु0 361381.00 की वसूली समानुपातिक रूप से ग्राम प्रधान श्रीमती राजदेई तथा सचिव कौशल यादव से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-61 ग्राम पंचायत-शंकरपुर

विकास खण्ड-जगतपुर

वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में रु 438248.00(ईग्रामस्वराज के अनुसार) व्यय किया गया हैं

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-“ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।” परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां प्राक्कलन) तकनीकी स्वीकृति वित्तीय स्वीकृति आई0डी0 मापी कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र एवं आदि की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहे। लेखा परीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व ही सहायक विकास अधिकारी) पंचायत (के माध्यम से ग्रा0वि0/पं अधिकारी से समस्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध कराये जाने को सूचित किया गया था। उक्त क्रम में 29-10-2021 में लेखा परीक्षा कार्यक्रम लगाया गया परन्तु ग्राम पंचायत से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत उक्त क्रम में पुनः सहायक विकास अधिकारी पंचायत से आडिट हेतु वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत कराने को सूचित किया गया फिर भी अभिलेख/कार्य पत्रावलियां व्यय प्रमाणक प्रस्तुत रहे। तत्पश्चात ईग्रामस्वराज से उपलब्ध आंकड़ों का अवलोकन कर लेखापरीक्षा 28-03-2022 को समाप्ति की सूचना ग्राम पंचायत अधिकारी को दी गयी इस प्रकार उक्त कार्य पत्रावलियां व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद- 8 (क) के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।” अतः /अभिलेखकार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर दर्शित व्यय की पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है। अभिलेखकार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में दर्शित व्यय धनराशि रु0 438248.00 (ईग्रामस्वराज के अनुसार) की नियमानुसार वसूली 25 दिसम्बर 2020 तक का व्यय रु0 417298.00 ग्राम पंचायत सचिव कौशल यादव व प्रधान श्रीमती शान्ती से बराबर बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित है एवम 25 दिसम्बर 2020 के बाद का व्यय रुपये 20950.00 सचिव श्री कौशल यादव व प्रशासक श्री कमलेश बहादुर सिंह से बराबर बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर-62 ग्राम पंचायत-पूरबगांव

विकास खण्ड-जगतपुर

वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में रु 801923.00(ई-ग्रामस्वराज के अनुसार) व्यय किया गया हैं

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-“ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख तकनीकी स्वीकृति उपलब्ध करायें।” परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन वित्तीय स्वीकृति आई0 डी0 मापी कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व ही सहायक विकास अधिकारी) पंचायत (के माध्यम से ग्रा0वि0/पं0 अधिकारी से समस्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध कराये जाने को सूचित किया गया था। उक्त क्रम में 14-09-2021 में लेखा परीक्षा कार्यक्रम लगाया गया परन्तु ग्राम पंचायत से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। उक्त क्रम में पुनः सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से आडिट हेतु वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत कराने को सूचित किया गया फिर भी अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहे। तत्पश्चात ई- ग्रामस्वराज से उपलब्ध आंकड़ों का अवलोकन कर लेखापरीक्षा 22-02-2022 को समाप्ति की सूचना ग्राम पंचायत अधिकारी को दी गयी इस प्रकार उक्त कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।” अतः अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर दर्शित व्यय की पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है। अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में दर्शित व्यय धनराशि रु०

801923.00(ई- ग्रामस्वराज के अनुसार) की नियमानुसार वसूली किये जाने हेतु प्रकरण विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। उक्त धनराशि रु0 801923.00 की वसूली समानुपातिक रूप से ग्राम प्रधान श्री अब्दुल गफ़ार एवं सचिव श्री कौशल यादव से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-63 ग्राम पंचायत-धूता विकास खण्ड-जगतपुर

वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में रु 2245512.00(ई-ग्रामस्वराज के अनुसार) व्यय किया गया हैं

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-" ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति वित्तीय स्वीकृति आई0 डी0 मापी कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व ही सहायक विकास अधिकारी) पंचायत (के माध्यम से ग्रा0वि0/पं0 अधिकारी से समस्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध कराये जाने को सूचित किया गया था। उक्त क्रम में 17-08-2021 में लेखा परीक्षा कार्यक्रम लगाया गया परन्तु ग्राम पंचायत से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। उक्त क्रम में पुनः सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से आडिट हेतु वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत कराने को सूचित किया गया फिर भी अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहे। तत्पश्चात ई- ग्रामस्वराज से उपलब्ध आंकड़ों का अवलोकन कर लेखा परीक्षा 08-02-2022 को समाप्ति की सूचना ग्राम पंचायत अधिकारी को दी गयी इस प्रकार उक्त कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।" अतः अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर दर्शित व्यय की पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है। अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में दर्शित व्यय धनराशि रु0 2245512.00(ई- ग्रामस्वराज के अनुसार) की नियमानुसार वसूली 25 दिसम्बर 2020 तक का व्यय रुपये 1879172.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री कौशल यादव व प्रधान श्रीमती रामपती से बराबर बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित है एवम 25 दिसम्बर 2020 के बाद का व्यय रुपये 366340.00 सचिव श्री कौशल यादव व प्रशासक कमलेश बहादुर सिंह से बराबर बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर-64 ग्राम पंचायत-डिघौरा सोममउ विकास खण्ड-हरचन्दपुर

वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में रु 1661408.00 व्यय किया गया हैं।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-" ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति वित्तीय स्वीकृति आई0 डी0 मापी कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व ही सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से ग्रा0वि0/पं0 अधिकारी से समस्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध कराये जाने को सूचित किया गया था। उक्त क्रम में 16-07-2021 में लेखा परीक्षा कार्यक्रम लगाया गया परन्तु ग्राम पंचायत से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। उक्त क्रम में पुनः सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से आडिट हेतु वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत कराने को सूचित किया गया फिर भी अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहे। तत्पश्चात लेखा परीक्षा 28-12-2021 को समाप्ति की सूचना ग्राम पंचायत अधिकारी को दी गयी थी

इसके बाद भी अभिलेख नहीं उपलब्ध कराये गए... इस प्रकार उक्त कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8 (क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।" अतः अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत कर दर्शित व्यय की पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है। अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में दर्शित व्यय धनराशि ₹0 1661408.00 की नियमानुसार वसूली योग्य है जिसकी वसूली 25 दिसम्बर 2020 तक का व्यय रुपये 1378655.00 ग्रामपंचायत सचिव श्री रामशीष व प्रधान श्रीमती गिरिजा देवी से बराबर बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित है एवम 25 दिसम्बर 2020 के बाद का व्यय रुपये 282753.00 सचिव श्री रामशीष व श्री रामबहादुर यादव प्रशासक से बराबर बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित है "

प्रस्तर-65 ग्राम पंचायत-छतौना विकास खण्ड-सरेनी

ग्राम पंचायत छतौना ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न तारीखों में हयूम पाइप खरीद पर व्यय किये हैं जिसका विवरण इस प्रकार है-

क्र० सं०	दिनांक	फर्म जिसको पेमेंट (पीएफएमएस) किया गया	धनराशि	पीएफएमएस खाता
1	05.06.2020	इन्डियन सीमेंट पाइप एजेन्सी	97510.00	राज्य वित्त
2	09.06.2020	कमला सीमेंट पाइप एजेन्सी	84289.00	राज्य वित्त
3	03.07.2020	इन्डियन सीमेंट पाइप एजेन्सी	99158.00	राज्य वित्त
4	01.10.2020	इन्डियन सीमेंट पाइप एजेन्सी	97500.00	राज्य वित्त
5	08.03.2021	जय मां वैष्णो इंटरप्राइजेज	98204.00	केन्द्रीय वित्त
6	08.03.2021	जय मां वैष्णो इंटरप्राइजेज	99501.00	केन्द्रीय वित्त
7	08.03.2021	जय मां वैष्णो इंटरप्राइजेज	40199.00	केन्द्रीय वित्त
		योग-	616361.00	

हयूमपाइप खरीद पर निम्नलिखित आपत्तियां हैं-

- 1- हयूम पाइप की स्थापना के सन्दर्भ में मजदूरी पर शून्य रुपये / कुछ भी व्यय नहीं किया गया है। मजदूर के अभाव में किसी भी कार्य के होने की प्रासंगिकता के संदिग्ध होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। किन स्थानों पर या किन किन कार्यों में इस हयूम पाइप की स्थापना की यह भी अस्पष्ट रहा दुसरे शब्दों में कार्य के स्पष्ट विवरण को अंकित नहीं किया गया है। स्थान की पुष्टि हेतु त्रिस्तरीय फोटो भी उपलब्ध नहीं करायी गयी हयूम पाइप की स्थापना में बालू सीमेंट ईट गिट्टी आदि सामग्री का कुछ भी प्रयोग नहीं किया गया है।
- 2- हयूम पाइप खरीद के सापेक्ष क्रय के बिल बाउचर तथा पत्रावलियां मांगे जाने पर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जा सके जिसके कारण व्यय की पुष्टि न की जा सकी। अतः बाउचर विहीन किया गया कुल भुगतान रुपये 616361.00 पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी "ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी " के अंतर्गत प्रमाणक विहीन किया गया व्यय धनराशि अधिभार योग्य है जिसकी वसूली 25 दिसम्बर 2020 तक का व्यय रुपये 378457.00 ग्रामपंचायत सचिव श्री विद्या सागर व श्री राजबहादुर प्रधान से बराबर बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित है एवम 25 दिसम्बर 2020 के बाद का व्यय रुपये 237904.00 सचिव श्री विद्या सागर व श्री के० के० वर्मा प्रशासक से बराबर बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर-66 ग्राम पंचायत-हिलालगंज विकास खण्ड-हरचन्दपुर

वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ₹ 1122411.00 व्यय किया गया हैं

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-"ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति वित्तीय स्वीकृति आई0डी0 मापी कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व ही सहायक विकास अधिकारी (पंचायत (के माध्यम से ग्रा0वि0/पं0 अधिकारी से समस्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध कराये जाने को सूचित किया गया था। उक्त क्रम में 11-10-2021 में लेखा परीक्षा कार्यक्रम लगाया गया परन्तु ग्राम पंचायत से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। उक्त क्रम में पुनः सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से आडिट हेतु वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत कराने को सूचित किया गया फिर भी अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहे। तत्पश्चात लेखापरीक्षा 24-02-2022 को समाप्ति की सूचना ग्राम पंचायत अधिकारी को दी गयी थी इसके बाद भी अभिलेख नहीं उपलब्ध कराये गए... इस प्रकार उक्त कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।" अतः अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर दर्शित व्यय की पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है। अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में दर्शित व्यय धनराशि ₹0 1122411.00 की नियमानुसार वसूली किये जाने हेतु प्रकरण विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। उक्त धनराशि ₹0 1122411=00 की वसूली समानुपातिक रूप से ग्राम प्रधान श्री रमेश कुमार तथा सचिव श्री रामशीष से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-67 ग्राम पंचायत-चौहनियां विकास खण्ड-हरचन्दपुर आपत्ति सं0

4- वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ₹ 481314.00 व्यय किया गया हैं

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-"ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति वित्तीय स्वीकृति आई0डी0 मापी कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व ही सहायक विकास अधिकारी (पंचायत (के माध्यम से ग्रा0वि0/पं (अधिकारी से समस्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध कराये जाने को सूचित किया गया था। उक्त क्रम में 12-10-2021 में लेखा परीक्षा कार्यक्रम लगाया गया परन्तु ग्राम पंचायत से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। उक्त क्रम में पुनः सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से आडिट हेतु वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत कराने को सूचित किया गया फिर भी अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहे। तत्पश्चात लेखापरीक्षा 25-02-2022 को समाप्ति की सूचना ग्राम पंचायत अधिकारी को दी गयी थी इसके बाद भी अभिलेख नहीं उपलब्ध कराये गए... इस प्रकार उक्त कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8 (क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।" अतः अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर दर्शित व्यय की पुष्टि कराया जाना

अपेक्षित है। अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में दर्शित व्यय धनराशि रु0 481314.00 की नियमानुसार वसूली किये जाने हेतु प्रकरण विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। उक्त धनराशि रु0 481314=00 की वसूली समानुपातिक रूप से ग्राम प्रधान श्री शतोहन लाल वर्मा तथा सचिव श्री रामशीष से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-68 ग्राम पंचायत-बरगदहा विकास खण्ड-हरचन्दपुर

वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में रु 285855.00(ई-ग्रामस्वराज के अनुसार) व्यय किया गया है।

पंचायती राज विभागउत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-“ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।” परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति वित्तीय स्वीकृति आई0 डी0 मापी कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व ही सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) (के माध्यम से ग्रा0वि0/पं0 अधिकारी से समस्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध कराये जाने को सूचित किया गया था। उक्त क्रम में 12-07-2021 में लेखा परीक्षा कार्यक्रम लगाया गया परन्तु ग्राम पंचायत से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। उक्त क्रम में पुनः सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से आडिट हेतु वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत कराने को सूचित किया गया फिर भी अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहे। तत्पश्चात ई- ग्रामस्वराज से उपलब्ध आंकड़ों का अवलोकन कर लेखापरीक्षा 24-12-2021 को समाप्ति की सूचना ग्राम पंचायत अधिकारी को दी गयी। इस प्रकार उक्त कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद- 8(क) के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।” अतः अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत कर दर्शित व्यय की पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है। अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में दर्शित व्यय धनराशि रु0 285855.00 की नियमानुसार वसूली किये जाने हेतु प्रकरण विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। उक्त धनराशि रु0 285855 =00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री कौशल सिंह से रु0 142927=50 तथा सचिव श्री रामशीष से रु0 119348 =00 श्री जोगेश शुक्ला से रु0 23579=50 की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-69 ग्राम पंचायत-बाला विकास खण्ड-हरचन्दपुर

वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में रु 2587959.00 व्यय किया गया है। पंचायती राज विभाग.उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है- “ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।” परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति वित्तीय स्वीकृति आई0 डी0 मापी कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व ही सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से ग्रा0वि0/पं0 अधिकारी से समस्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध कराये जाने को सूचित किया गया था। उक्त क्रम में 30-06-2021 में लेखा परीक्षा कार्यक्रम लगाया गया परन्तु ग्राम पंचायत से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। उक्त क्रम में पुनः सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से आडिट हेतु वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत कराने को सूचित किया गया फिर भी अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहे। तत्पश्चात लेखापरीक्षा 24-12-2021 को समाप्ति की सूचना ग्राम पंचायत अधिकारी को दी गयी थी इसके बाद भी अभिलेख नहीं उपलब्ध कराये गए... इस प्रकार उक्त कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत

न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8 (क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।" अतः अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत कर दर्शित व्यय की पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है। अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में दर्शित व्यय धनराशि ₹0 2587959.00 की नियमानुसार वसूली योग्य है जिसकी वसूली 25 दिसम्बर 2020 तक का व्यय रुपये 2367959.00 ग्रामपंचायत सचिव श्री रामशीष व प्रधान श्रीमती लीलावती से बराबर बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित है एवम 25 दिसम्बर 2020 के बाद का व्यय रुपये 220000.00 सचिव श्री रामशीष व प्रशासक रामबहादुर यादव से बराबर बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर-70 ग्राम पंचायत-हरचन्दपुर विकास खण्ड-हरचन्दपुर

वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ₹ 3348228.00 व्यय किया गया हैं

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-"ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति वित्तीय स्वीकृति आई0 डी0 मापी कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व ही सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से गा0वि0/पं (अधिकारी से समस्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध कराये जाने को सूचित किया गया था। उक्त क्रम में 24-07-2021 में लेखा परीक्षा कार्यक्रम लगाया गया परन्तु ग्राम पंचायत से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। उक्त क्रम में पुनः सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से आडिट हेतु वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत कराने को सूचित किया गया फिर भी अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहे। तत्पश्चात लेखा परीक्षा 03-02-2022 को समाप्ति की सूचना ग्राम पंचायत अधिकारी को दी गयी थी इसके बाद भी अभिलेख नहीं उपलब्ध कराये गए... इस प्रकार उक्त कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।" अतः अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत कर दर्शित व्यय की पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है। अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में दर्शित व्यय धनराशि ₹0 3348228.00 की नियमानुसार वसूली किये जाने हेतु प्रकरण विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। उक्त धनराशि ₹0 3348228 =00 की वसूली समानुपातिक रूप से ग्राम प्रधान श्रीमती मृदुला श्रीवास्तव एवं सचिव श्री रामशीष से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-71 ग्राम पंचायत-समोधा विकास खण्ड-सरेनी आपत्ति सं0

4- वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में रुपये 2031496.00 व्यय किया गया है।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है- "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति वित्तीय स्वीकृति आई0 डी0 मापी कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व ही सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के माध्यम

से ग्रा0वि0/पं0 अधिकारी से समस्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था। उक्त क्रम में दिनांक 27-11-2021 में ऑनलाइन लेखा परीक्षा कार्यक्रम लगाया गया परन्तु ग्राम पंचायत से सम्बन्धित कोष बही बैंक स्टेटमेंट/अन्य कोई भी अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। उक्त क्रम में पुनः सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से आडिट हेतु वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत कराने को सूचित किया गया था फिर भी अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहे। दिनांक 26-03-2022 को लेखापरीक्षा समाप्ति की सूचना ग्राम पंचायत अधिकारी को दी गयी थी इसके बाद भी अभिलेख नहीं उपलब्ध कराये गए... इस प्रकार उक्त कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।” अतः अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत कर दर्शित व्यय की पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है। अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में वसूली योग्य है जिसकी वसूली 25 दिसम्बर 2020 तक का व्यय रुपये 1545756.00 ग्रामपंचायत सचिव श्री अजय मिश्रा व प्रधान श्रीमती सुनीता देवी से बराबर बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित है एवम 25 दिसम्बर 2020 के बाद का व्यय रुपये 485740.00 सचिव अजय मिश्रा व प्रशासक के0के0 वर्मा से बराबर बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर-73 ग्राम पंचायत-उत्तरागौरी विकास खण्ड-लालगंज आपति सं0

गंभीर आपति का महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि ग्राम पंचायत उत्तरागौरी में केन्द्रीय वित्त एवं राज्य वित्त मद से रु० 2332408.00 खर्च किया जाना दर्शित है किन्तु कोई भी प्रमाणक एवं सुसंगत अभिलेख जैसे कार्यवाही रजिस्टर कार्य योजना प्रशासनिक वितीय एवं तकनीकी स्वीकृति एस्टिमेट एम.बी. बुक स्टॉक रजिस्टर परिसंपत्ति रजिस्टर कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एवं बैंक स्टेटमेंट तथा कैश बुक लेखा परीक्षा के लिए बार बार लिखित एवं मौखिक अनुरोध के बाद भी उपलब्ध नहीं कराए गये। स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के द्वारा बिना प्रमाणक एवं सुसंगत अभिलेख के समस्त धनराशि रु० 2332408.00 का अपहरण किया गया है जिसमें से ग्राम पंचायत सचिव श्री फूलचंद एवं ग्राम प्रधान श्री गंगासागर के द्वारा सम्मिलित रूप से रु० 2129164.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी समान मात्रा में रु० 1064582.00 श्री फूलचंद से तथा शेष रु० 1064582.00 श्री गंगा सागर से मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

इसी प्रकार प्रशासनिक आदेश द्वारा ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त किए गये थे जिनको जरूरी खर्च की स्वीकृति एवं डोंगल से भुगतान का अधिकार था लेकिन ग्राम पंचायत उत्तरागौरी में सहायक विकास अधिकारी पंचायत प्रशासक श्री अनिल कुमार पाण्डेय एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री फूलचंद के द्वारा मार्च 2021 में रु० 203244.00.00 का भुगतान किया गया था। उक्त व्यय से संबंधित सुसंगत अभिलेख एवं प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये।

इस प्रकार उक्त धन का भी अपहरण कर लिया गया। इस धन में से रु.101622.00 की वसूली प्रशासक श्री अनिल कुमार पाण्डेय से एवं शेष धनराशि रु० 101622.00 की वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री फूलचंद से किया जाना अपेक्षित है। पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 बिन्दु 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।

प्रस्तर-74 ग्राम पंचायत-बहाई विकास खण्ड-लालगंज

गंभीर आपति का महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि ग्राम पंचायत बहाई में केन्द्रीय वित्त एवं राज्य वित्त मद से रु० 7128819.00 खर्च किया जाना दर्शित है किन्तु कोई भी प्रमाणक एवं सुसंगत अभिलेख जैसे कार्यवाही रजिस्टर कार्य योजना प्रशासनिक वितीय एवं तकनीकी स्वीकृति एस्टिमेट एम.बी. बुक स्टॉक रजिस्टर परिसंपत्ति रजिस्टर कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एवं बैंक स्टेटमेंट तथा कैश बुक लेखा परीक्षा के लिए बार बार लिखित एवं मौखिक अनुरोध के बाद भी उपलब्ध नहीं कराए गये। स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के द्वारा बिना प्रमाणक एवं सुसंगत अभिलेख के

समस्त धनराशि रु० 7128819.00 का अपहरण किया गया है जिसमें से ग्राम पंचायत सचिव श्री फूलचंद एवं ग्राम प्रधान श्रीमती अर्चना के द्वारा सम्मिलित रूप से रु 5520123.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी समान मात्रा में रु० 2760061.50 श्री फूलचंद से तथा शेष रु० 2760060.50 श्रीमती अर्चना से मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

इसी प्रकार प्रशासनिक आदेश द्वारा ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त किए गये थे जिनको जरूरी खर्च की स्वीकृति एवं डोंगल से भुगतान का अधिकार था लेकिन ग्राम पंचायत बहाई में सहायक विकास अधिकारी पंचायत प्रशासक श्री अनिल कुमार पाण्डेय एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री फूलचंद के द्वारा मार्च 2021 में रु० 1608696.00.00 का भुगतान किया गया था। उक्त व्यय से संबंधित सुसंगत अभिलेख एवं प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये।

इस प्रकार उक्त धन का भी अपहरण कर लिया गया। इस धन में से रु० 804348.00 की वसूली प्रशासक श्री अनिल कुमार पाण्डेय से एवं शेष धनराशि रु० 804348.00 की वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री फूलचंद से किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 बिन्दु 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।

प्रस्तर-75 ग्राम पंचायत-हिलगी विकास खण्ड-अमावां

उक्त ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत/ रिबोर मद में प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	आहरणकर्ता का नाम	आई डी नंबर	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	श्री बालाजी हार्डवेयर एण्ड मशीनरी स्टोर	36442310	11.07.2020	20640.00
2	श्री राधेला	36442310	11.07.2020	5614.00
3	श्री श्याम इन्टरप्राइजेज	26642540	11.07.2020	25932.00
4	अभी इन्टरप्राइजेज	44791414	12.11.2020	28044.00
		योग-		80230.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत/ रिबोर पर दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी ।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निविदा / कोटेशन सामग्री क्रय बिलों / डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये । जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 80230.00 में से ग्राम प्रधान श्री/श्रीमती रामऔतार

से रु. 40115.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री/श्रीमती अतीक अहमद से रु. 40115.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-76 ग्राम पंचायत-हिलगी विकास खण्ड-अमावां

उक्त ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत/ रिबोर मद में प्रशासक के कार्य काल में प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	आहरणकर्ता का नाम	आई डी नंबर	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	श्री श्याम इन्टरप्राइजेज	44791414	24.03.2021	35250.00
2	श्री श्याम इन्टरप्राइजेज	44791414	24.03.2021	24598.00
3	श्री श्याम इन्टरप्राइजेज	44791414	24.03.2021	25435.00
		योग-		84283.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत/ रिबोर पर दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निविदा / कोटेशन सामग्री क्रय बिलों / डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 84283.00 में से प्रशासक श्री सईद अहमद से रु. 42141.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री अतीक अहमद से रु. 42141.50 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-77 ग्राम पंचायत-हिलगी विकास खण्ड-अमावां

उक्त ग्राम पंचायत में खड़जा निर्माण मद में प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	आहरणकर्ता का नाम	आई डी नंबर	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	लक्ष्मी ब्रिक फील्ड	19727484	11.07.2020	32970.00
		योग-		32970.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशि से कराए गये निर्माण कार्य तथा खड़जा मरम्मत कार्य जिसमें खड़जे को उखाड़ना एवं समतलीकरण करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं उनको मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है मात्र ईंट की खरीद की गई दर्शित है। यह किये गये कार्य एवं उसके व्यय पर संदेह उत्पन्न करता है। यह कूटरचित व्यय करके धन का अपहरण किया गया है। वैसे भी खड़जा निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया

गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैश बुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जांच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निविदा/कोटेशन सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 32970.00 में से ग्राम प्रधान श्री रामऔतार से रु. 16485.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री अतीक अहमद से रु. 16485.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-78 ग्राम पंचायत-हिलगी विकास खण्ड-अमावां

उक्त ग्राम पंचायत में पंचायत भवन के निर्माण मद में प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	आहरणकर्ता का नाम	आई डी नंबर	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	39965334	05.10.2020	60760.00
2	श्री बालाजी हार्डवेयर एण्ड मशीनरी स्टोर	39965334	05.10.2020	38350.00
3	छवि ट्रेडर्स	39965334	05.10.2020	138600.00
4	छवि ट्रेडर्स	39965334	05.10.2020	157400.00
5	छवि ट्रेडर्स	39965334	05.10.2020	191500.00
6	कान्हा ब्रिक फील्ड	39965334	05.10.2020	113400.00
7	कान्हा ब्रिक फील्ड	39965334	05.10.2020	181440.00
8	छवि ट्रेडर्स	39965334	29.10.2020	102592.00
9	मजदूरी	39965334	07.12.2020	63200.00
		योग-		1047242.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित उक्त व्यय पंचायत भवन (ग्राम सचिवालय) निर्माण कार्य हेतु एक बड़ी धनराशि का व्यय दर्शित है। जिसके सम्बन्ध में व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति

निविदा / कोटेशन सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान /मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 1047242.00 में से ग्राम प्रधान श्री रामऔतार से रु.523621.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री अतीक अहमद से रु. 523621.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-79 ग्राम पंचायत-हिलगी विकास खण्ड-अमावां

उक्त ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय मद में प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	आहरणकर्ता का नाम	आई डी नंबर	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	श्री बालाजी हार्डवेयर एण्ड मशीनरी स्टोर	44791464	29.10.2020	28704.00
2	अभी इन्टरप्राइजेज	44791464	29.10.2020	40000.00
3	छवि ट्रेडर्स	44791464	29.10.2020	48707.00
4	लक्ष्मी ब्रिक फील्ड	44791464	29.10.2020	74779.00
5	छवि ट्रेडर्स	44791464	29.10.2020	28685.00
6	मजदूरी	44791464	29.10.2020	14000.00
	योग-			234875.00

इस मद में एक मुश्त बड़ी धनराशि का भुगतान करना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है। निर्माण कार्य में सामग्री क्रय एवं लेवर व्यय को अलग-अलग प्रदर्शित न किये जाने के कारण उपरोक्त कार्यों पर हुये व्यय का परीक्षण नहीं किया जा सका।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निविदा / कोटेशन सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु.234875.00 में से ग्राम प्रधान श्रीराम औतार से रु. 117437.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री अतीक अहमदसे रु. 117437.50 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-80 ग्राम पंचायत-हिलगी

विकास खण्ड-अमावां

उक्त ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय मद में प्रशासक के कार्यकाल में प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	आहरणकर्ता का नाम	आई डी नंबर	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	अभी इंटरप्राइजेज	44791464	24.03.2020	19583.00
2	श्री बालाजी हार्डवेयर एण्ड मशीनरी स्टोर	44791464	24.03.2020	5000.00
3	रामफेर-दीवार लिखाई	44791464	24.03.2020	6000.00
4	अभी इंटरप्राइजेज	44791464	24.03.2020	24955.00
		योग-		55538.00

इस मद में एक मुश्त बड़ी धनराशि का भुगतान करना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है। निर्माण कार्य में सामग्री क्रय एवं लेवर व्यय को अलग-अलग प्रदर्शित न किये जाने के कारण उपरोक्त कार्यों पर हुये व्यय का परीक्षण नहीं किया जा सका।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निविदा/कोटेशन • सामग्री क्रय बिलों / डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट लैन्डमार्क युक्त 'कार्य की तीन चरणों की फोटो कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु.55538.00 में से प्रशासक श्री सईद अहमद से रु.27769.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री अतीक अहमद से रु. 27769.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-81 ग्राम पंचायत-हिलगी विकास खण्ड-अमावां

प्रशासक के कार्यकाल में किए गये कार्य :-

क्र० सं०	आहरणकर्ता का नाम	आई डी नंबर	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	मजदूरी	36389124	24.03.2020	7017.00
		योग-		7017.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को न मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निविदा / कोटेशन सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट लैन्डमार्क युक्त 'कार्य की तीन चरणों की फोटो कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र

सम्मिलित है लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी प्रशासक एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु.7017.00 में से प्रशासक श्री सईद अहमद से रु.3508.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री अतीक अहमद से रु.3508.50 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-82 ग्राम पंचायत-हिलगी विकास खण्ड-अमावां

उक्त ग्राम पंचायत में अन्य विभिन्न कार्यों पर प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	आहरणकर्ता का नाम	आई डी नंबर	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	आर०एस० इन्टरप्राइजेज	36442975	06.10.2020	34500.00
2	छवि ट्रेडर्स	36389124	12.11.2020	4799.00
3	लक्ष्मी ब्रिक फील्ड	36389124	12.11.2020	6889.00
4	छवि ट्रेडर्स	36389124	12.11.2020	8979.00
5	लक्ष्मी ब्रिक फील्ड	36389124	12.11.2020	14083.00
		योग-		69250.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलिओं जिसमें व्यय प्रमाणक ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निविदा/कोटेशन सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 69250.00 में से ग्राम प्रधान श्री राम औतार से रु. 34625.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री श्री अतीक अहमद से रु.34625.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-83 ग्राम पंचायत-ओनई जंगल विकास खण्ड-अमावां

उक्त ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर मद में प्रशासक के कार्यकाल में प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	आहरणकर्ता का नाम	आई डी नंबर	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	फरीद इन्टरप्राइजेज	42323873	25.03.2021	20775.00
2	फरीद इन्टरप्राइजेज	49572505	25.03.2021	25820.00
3	फरीद इन्टरप्राइजेज	49572505	25.03.2021	24200.00
		योग-		70795.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत/ रिबोर पर दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निविदा / कोटेशन सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान /मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 70795.00 में से प्रशासक श्री सईद अहमद से रु. 35397.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री अतीक अहमद से रु. 35397.50 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-84 ग्राम पंचायत-ओनई जंगल विकास खण्ड-अमावां

उक्त ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत/ रिबोर मद में प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	आहरणकर्ता का नाम	आई डी नंबर	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	जयप्रकाश यादव	42313961	04.07.2020	18564.00
2	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	42313961	11.07.2020	28720.00
3	राधेलाल	42313961	11.07.2020	5614.00
4	आर०एस० इन्टरप्राइजेज	28794763	11.07.2020	25000.00
5	आर०एस० इन्टरप्राइजेज	42326272	28.08.2020	26500.00
6	राधेलाल	1710790	24.09.2020	2406.00
7	दुर्गाशंकर	42313961	05.11.2020	13634.00
8	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	42322873	23.12.2020	49960.00
		योग-		170398.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत/ रिबोर पर दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निविदा/कोटेशन सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान /मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की

जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 170398.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती सुशीला से रु.85199.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री अतीक अहमद से रु.85199.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-85 ग्राम पंचायत-ओनई जंगल विकास खण्ड-अमावां

उक्त ग्राम पंचायत में खड़जा मरम्मत/निर्माण मद में प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	आहरणकर्ता व्यक्ति/फर्म का नाम	आई डी नंबर	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	त्रिमूर्ति ब्रिक फील्ड	42312746	14.08.2020	33337.00
2	जयप्रकाश यादव	42312746	14.08.2020	2604.00
3	मजदूरी मस्टर रोल	42312746	14.08.2020	10920.00
4	कान्हा ब्रिक फील्ड	42320063	10.11.2020	10500.00
5	मजदूरी मस्टर रोल	42320063	10.11.2020	2730.00
		योग-		60091.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी धनराशि से कराए गये निर्माण कार्य तथा खड़जा मरम्मत कार्य जिसमें खड़जे को उखाड़ना एवं समतलीकरण करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना किये गये कार्य एवं उसके व्यय पर संदेह उत्पन्न करता है वैसे भी खड़जा निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैश बुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जांच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निविदा/कोटेशन सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 60091.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती सुशीला से रु. 30045.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री अतीक अहमद से रु.30045.50 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-86 ग्राम पंचायत-ओनई जंगल विकास खण्ड-अमावां

उक्त ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय मद में प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	आहरणकर्ता व्यक्ति/फर्म का नाम	आई डी नंबर	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	आर०एस० इन्टरप्राइजेज	42314671	23.09.2020	38000.00
2	आर०एस० इन्टरप्राइजेज	42314671	08.10.2020	24321.00
3	अफीफा ब्रिक फील्ड	42314671	08.10.2020	48510.00
4	अफीफा ब्रिक फील्ड	42314671	23.12.2020	17214.00
5	आर०एस० इन्टरप्राइजेज	42314671	23.12.2020	91683.00
6	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	42314671	23.12.2020	67095.00
		योग-		286823.00

इस मद में एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान करना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है। निर्माण कार्य में सामग्री क्रय एवं लेवर व्यय को अलग-अलग प्रदर्शित न किये जाने के कारण उपरोक्त कार्य पर हुये व्यय का परीक्षण नहीं किया जा सका।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निविदा/कोटेशन • सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान /मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 286823.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती सुशीला से रु. 143411.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री अतीक अहमद से रु. 143411.50 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-87 ग्राम पंचायत-ओनई जंगल विकास खण्ड-अमावां

उक्त ग्राम पंचायत में अन्य विभिन्न कार्यों पर प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	आहरणकर्ता व्यक्ति/फर्म का नाम	आई डी नंबर	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	श्रीमती सुशीला प्रधान मानदेय	42499674	05.11.2020	38500.00
2	कान्हा ब्रिक फील्ड	42320857	10.11.2020	24675.00
3	मजदूरी	42320857	10.11.2020	7644.00
4	कान्हा ब्रिक फील्ड	42321893	10.11.2020	12075.00
5	मजदूरी	42321893	10.11.2020	3822.00
		योग-		86716.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा

नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निविदा / कोटेशन सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान /मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु.86716.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती सुशीला से रु.43358.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री अतीक अहमद से रु.43358.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-88 ग्राम पंचायत-सारीपुर विकास खण्ड-अमावां

उक्त ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत/ रिबोर मद में प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0 सं0	आहरणकर्ता व्यक्ति/फर्म का नाम	आई डी नंबर	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	रेहान	37705942	31.07.2020	19292.00
2	राधे	37705942	31.07.2020	4998.00
3	श्याम इन्टरप्राइजेज	36601083	18.08.2020	24500.00
4	आर0एस0 इन्टरप्राइजेज	36601083	28.08.2020	24600.00
5	आर0एस0 इन्टरप्राइजेज	36601083	28.08.2020	24300.00
6	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	36600585	21.12.2020	16810.00
		योग-		114500.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत/ रिबोर पर दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड / में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निविदा/कोटेशन सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये । जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 114500.00 में से ग्राम प्रधान श्री अजय कुमार श्रीवास्तव से रु. 57250.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री अतीक अहमद से रु. 57250.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-89 ग्राम पंचायत-सारीपुर विकास खण्ड-अमावां

उक्त ग्राम पंचायत में ह्यूम पाईप मद में प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	आहरणकर्ता व्यक्ति/फर्म का नाम	आई डी नंबर	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	आर०एस० इन्टरप्राइजेज	15523139	10.08.2020	72184.00
2	आर०एस० इन्टरप्राइजेज	43050486	21.12.2020	84566.00
		योग-		156750.00

ह्यूम पाईप मद में एक मुश्त बड़ी धनराशि का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी ह्यूम पाईप का कार्य कराया गया एवं प्रति ह्यूम पाईप व्यय कितना है। एक लाख रु० से अधिक की खरीद पर टेण्डर आमंत्रित किया जाना चाहिए था। लेखा परीक्षा में टेण्डर पत्रावली एवं ग्राम पंचायत का प्रस्ताव एवं ह्यूम पाईप स्थापना के स्थान की सूची प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था जो कि नहीं किया गया। जल निकासी हेतु ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर स्थापना हेतु क्रय दर्शित है जो नियमों के विपरीत है क्योंकि ग्राम पंचायत में प्रस्तावित कार्ययोजना में दर्शित कार्यों के इतर किसी भी प्रकार से ह्यूम पाइप का क्रय किया जाना धनराशि का दुरुपयोग किया जाना है। उक्त क्रय ह्यूम पाइप की स्थापना पर मजदूरी का भुगतान भी नहीं किया गया है। उपरोक्त क्रय प्रमाणक विहीन एवं विवरणविहीन हैं। ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निविदा/कोटेशन सामग्री क्रय बिलों / डिलीवरी चालान /मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 156750.00 में से ग्राम प्रधान श्री अजय कुमार श्रीवास्तव से रु. 78375.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री अतीक अहमद से रु. 78375.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-90 ग्राम पंचायत-सारीपुर विकास खण्ड-अमावां

उक्त ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय मद में प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	आहरणकर्ता व्यक्ति/फर्म का नाम	आई डी नंबर	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	आर०एस० इन्टरप्राइजेज	43050905	26.09.2020	38000.00
2	मां विध्यवासिनी ब्रिक फील्ड	43050905	19.11.2020	55440.00
3	अंसल ट्रेडर्स	43050905	19.11.2020	63543.00
4	अंसल ट्रेडर्स	43050905	25.12.2020	64727.00
5	मां विध्यवासिनी ब्रिक फील्ड	43050905	25.12.2020	55440.00
6	अंसल ट्रेडर्स	43050905	25.12.2020	46560.00
		योग-		323710.00

इस मद में एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान करना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है। निर्माण कार्य में सामग्री क्रय एवं लेवर व्यय को अलग-अलग प्रदर्शित न किये जाने के कारण उपरोक्त कार्यों पर हुये व्यय का परीक्षण नहीं किया जा सका।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि- "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निविदा/कोटेशन सामग्री क्रय बिलों / डिलीवरी चालान /मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु.323710.00 में से ग्राम प्रधान श्री अजय कुमार श्रीवास्तव से रु. 161855.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री अतीक अहमद से रु.161855.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-91 ग्राम पंचायत-सारीपुर विकास खण्ड-अमावां

उक्त ग्राम पंचायत में प्रशासक के कार्यकाल में सामुदायिक शौचालय मद में प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	आहरणकर्ता व्यक्ति/फर्म का नाम	आई डी नंबर	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	मां विध्यवासिनी ब्रिक फील्ड	43050905	22.03.2021	20790.00
2	पाल ट्रेडर्स	43050905	22.03.2021	33652.00
3	पाल ट्रेडर्स	43050905	22.03.2021	26570.00
		योग-		81012.00

इस मद में एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान करना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है। निर्माण कार्य में सामग्री क्रय एवं लेवर व्यय को अलग-अलग प्रदर्शित न किये जाने के कारण उपरोक्त कार्यों पर हुये व्यय का परीक्षा नहीं किया जा सका।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि- "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय

प्रमाणक ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निविदा/कोटेशन सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 81012.00 में से प्रशासक श्री सईद अहमद से रु. 40506.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री अतीक अहमद से रु. 40506 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-92 ग्राम पंचायत-सारीपुर विकास खण्ड-अमावां

उक्त ग्राम पंचायत में अन्य विभिन्न कार्यों पर प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	आहरणकर्ता व्यक्ति/फर्म का नाम	आई डी नंबर	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव मानदेय	15523159	19.07.2020	38500.00
2	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव मानदेय	43050372	26.09.2020	21000.00
3	सिंह इन्टरप्राइजेज पी पी ई किट	3660415	26.09.2020	7199.00
	योग-			66699.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निविदा / कोटेशन सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 66699.00 में से ग्राम प्रधान श्री अजय कुमार श्रीवास्तव से रु. 33349.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री अतीक अहमद से रु. 33350.50 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-93 ग्राम पंचायत-हरदासपुर विकास खण्ड-अमावां

उक्त ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर मद में प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	आहरणकर्ता व्यक्ति/फर्म का नाम	आई डी नंबर	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	आर0एस0 इन्टरप्राइजेज	13770664	23.06.2020	50000.00
2	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	27446576	23.06.2020	26800.00
3	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	27446576	23.06.2020	25220.00
4	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	27446491	23.06.2020	41750.00

5	श्याम इन्टरप्राइजेज	31892397	28.06.2020	11000.00
6	आर0एस0 इन्टरप्राइजेज	36730710	28.06.2020	26154.00
7	आर0एस0 इन्टरप्राइजेज	36730710	28.06.2020	24200.00
8	धनपति ट्रेडर्स	36730481	15.09.2020	40100.00
9	फरीद इन्टरप्राइजेज	36730710	11.11.2020	24520.00
10	फरीद इन्टरप्राइजेज	36730710	11.11.2020	23480.00
11	आर0एस0 इन्टरप्राइजेज	36730710	01.12.2020	45000.00
12	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	36730481	22.12.2020	72530.00
13	आर0एस0 इन्टरप्राइजेज	43419470	22.12.2020	75000.00
14	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	44707905	23.12.2020	23500.00
15	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	44707905	23.12.2020	24150.00
16	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	44707905	23.12.2020	23500.00
17	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	44707905	23.12.2020	24720.00
18	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	3193308	25.12.2020	25410.00
19	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	17904588	25.12.2020	25460.00
	योग-			632494.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत/ रिबोर पर दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है। ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निविदा / कोटेशन सामग्री क्रय बिलों / डिलीवरी चालान /मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये । जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 632494.00 में से ग्राम प्रधान श्री/श्रीमती वासुदेव से रु. 316247.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री/श्रीमती अतीक अहमद से रु.316247.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-94 ग्राम पंचायत-हरदासपुर विकास खण्ड-अमावां

उक्त ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत/ रिबोर मद में प्रशासक के कार्यकाल में प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	आहरणकर्ता व्यक्ति/फर्म का नाम	आई डी नंबर	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	फरीद इन्टरप्राइजेज	36730481	06.03.21	26500.00
2	फरीद इन्टरप्राइजेज	44707905	25.03.21	25720.00
3	फरीद इन्टरप्राइजेज	26/03/21	26.03.21	24500.00

4	फरीद इन्टरप्राइजेज	26/03/21	26.03.21	23558.00
5	फरीद इन्टरप्राइजेज	26/03/21	26.03.21	24898.00
6	फरीद इन्टरप्राइजेज	26/03/21	26.03.21	22820.00
			योग-	147996.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत/ रिबोर पर दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन हैं तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि- "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निविदा/कोटेशन सामग्री क्रय बिलों / डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट मार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 147996.00 में से प्रशासक श्री सईद अहमद रु. 73998.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री/श्रीमती अतीक अहमद से रु. 73998.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-95 ग्राम पंचायत-हरदासपुर विकास खण्ड-अमावां

उक्त ग्राम पंचायत में नाली निर्माण/मरम्मत मद में प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	आहरणकर्ता व्यक्ति/फर्म का नाम	आई डी नंबर	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	आकाश इन्टरप्राइजेज	43419582	25.12.20	11291.00
2	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	43419582	25.12.20	10318.00
3	आकाश इन्टरप्राइजेज	43419871	25.12.20	11240.00
4	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	43419871	25.12.20	8225.00
		योग-		41074.00

नाली निर्माण हेतु उपरोक्त व्यय प्रिया साफ्ट की कैश बुक में अंकित किया गया है। उपरोक्त नाली मरम्मत कार्य हेतु मात्र सामग्री की खरीद दर्शित है खरीदी गयी सामग्री के उपभोग पर मजदूरी व्यय नहीं किया गया है। अतः खरीदी गयी सामग्री अप्रयुक्त है जो स्टॉक बुक में प्रदर्शित होनी चाहिये थी। स्टॉक बुक प्रस्तुत न किये जाने एवं मजदूरी व्यय शून्य होने के कारण उपरोक्त धनराशि का स्पष्टतः अपहरण / गबन किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय

प्रमाणक ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निविदा/कोटेशन सामग्री क्रय बिलों / डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है लेखा परीक्षा प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 41074.00 में से ग्राम प्रधान श्री वासुदेव से रु.20537.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री अतीक अहमद से रु. 20537.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-96 ग्राम पंचायत-हरदासपुर विकास खण्ड-अमावां

उक्त ग्राम पंचायत में नाली निर्माण/मरम्मत मद में प्रशासक के कार्यकाल में प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	आहरणकर्ता व्यक्ति/फर्म का नाम	आई डी नंबर	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	मजदूरी	45408848	25.03.21	7224.00
2	मजदूरी	43419871	25.03.21	4812.00
3	मजदूरी	43419582	25.03.21	9232.00
		योग-		21268.00

नाली निर्माण हेतु उपरोक्त व्यय प्रिया साफ्ट की कैश बुक में अंकित किया गया है। उपरोक्त नाली मरम्मत कार्य हेतु मात्र सामग्री की खरीद दर्शित है खरीदी गयी सामग्री के उपभोग पर मजदूरी व्यय नहीं किया गया है। अतः खरीदी गयी सामग्री अप्रयुक्त है जो स्टॉक बुक में प्रदर्शित होनी चाहिये थी। स्टॉक बुक प्रस्तुत न किये जाने एवं मजदूरी व्यय शून्य होने के कारण उपरोक्त धनराशि का स्पष्टतः अपहरण / गबन किया गया है। ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निविदा / कोटेशन सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है लेखा परीक्षा प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 21268.00 में से प्रशासक श्री सईद अहमद से रु. 10634.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री/श्रीमती अतीक अहमद से रु. 10634.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-97 ग्राम पंचायत-हरदासपुर विकास खण्ड-अमावां

उक्त ग्राम पंचायत में खड़जा निर्माण मद में प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	आहरणकर्ता व्यक्ति/फर्म का नाम	आई डी नंबर	दिनांक	व्यय की धनराशि

1	लक्ष्मी ब्रिक फील्ड	43827103	14.07.21	91456.00
2	लक्ष्मी ब्रिक फील्ड	43838544	16.07.21	62656.00
3	अरविन्द मौर्य	43838544	11.11.20	19367.00
4	अरविन्द मौर्य	43827103	11.11.20	28272.00
5	आकाश इन्टरप्राइजेज	45408766	16.12.20	12049.00
6	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	45408766	16.12.20	115249.00
7	अरविन्द मौर्य	45408766	16.12.2020	6898.00
			योग-	335947.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशि से कराए गये निर्माण कार्य तथा खड़जा मरम्मत कार्य जिसमें खड़जे को उखाड़ना एवं समतलीकरण करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना किये गये कार्य एवं उसके व्यय पर संदेह उत्पन्न करता है वैसे भी खड़जा निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैश बुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण तुलनात्मक जांच किया जाना सम्भव नहीं है। विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निविदा / कोटेशन सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान /मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 335947.00 में से ग्राम प्रधान श्री वासुदेव से रु. 167973.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री अतीक अहमद से रु. 167973.50 की वसूली किया जाना अपेक्षित है

प्रस्तर-98 ग्राम पंचायत-हरदासपुर विकास खण्ड-अमावां

उक्त ग्राम पंचायत में पंचायत भवन के निर्माण मद में प्रशासक के कार्यकाल में प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	आहरणकर्ता व्यक्ति/फर्म का नाम	आई डी नंबर	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	आकाश इन्टरप्राइजेज	49461263	17.03.21	65119.00
2	आकाश इन्टरप्राइजेज	49461719	17.03.21	20529.00
3	आकाश इन्टरप्राइजेज	49461719	17.03.21	43942.00
4	आकाश इन्टरप्राइजेज	43421825	17.03.21	20355.00
5	अफीफा ब्रिक फील्ड	43421825	17.03.21	12611.00

6	आकाश इन्टरप्राइजेज	43421825	17.03.21	62439.00
7	आकाश इन्टरप्राइजेज	49461263	17.03.21	21212.00
8	आकाश इन्टरप्राइजेज	49461263	17.03.21	57662.00
9	आकाश इन्टरप्राइजेज	49461263	17.03.21	18000.00
			योग-	321869.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित उक्त व्यय पंचायत भवन (ग्राम सचिवालय) निर्माण कार्य हेतु एक बड़ी धनराशि का व्यय दर्शित है। जिसके सम्बन्ध में व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निविदा / कोटेशन सामग्री क्रय बिलों / डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 321869.00 में से प्रशासक श्री सईद अहमद से रु.160934.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री अतीक अहमद से रु.160934.50 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-99 ग्राम पंचायत-हरदासपुर विकास खण्ड-अमावां

- उक्त ग्राम पंचायत में ह्यूम पाईप मद में प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0 सं0	आहरणकर्ता व्यक्ति/फर्म का नाम	आई डी नंबर	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	आर0एस0 इन्टरप्राइजेज	36729587	25.07.20	83725.00
2	हिमांशु कान्क्रीट	36729587	11.11.20	95076.00
3	आर0एस0 इन्टरप्राइजेज	45538970	23.12.20	95250.00
		योग-		274051.00

ह्यूम पाईप मद में एक मुश्त बड़ी धनराशि का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि- कितनी ह्यूम पाईप का कार्य कराया गया एवं प्रति ह्यूम पाईप व्यय कितना है। एक लाख रु0 से अधिक की खरीद पर टेण्डर आमंत्रित किया जाना चाहिए था । लेखा परीक्षा में टेण्डर पत्रावली एवं ग्राम पंचायत का प्रस्ताव एवं ह्यूम पाईप स्थापना के स्थान की सूची प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था जो कि नहीं किया गया।

जल निकासी हेतु ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर स्थापना हेतु क्रय दर्शित है जो नियमों के विपरीत है क्योंकि ग्राम पंचायत में प्रस्तावित कार्ययोजना में दर्शित कार्यों के इतर किसी भी प्रकार से ह्यूम पाइप का क्रय किया जाना धनराशि का दुरुपयोग किया जाना है। उक्त क्रय में ह्यूम पाइप की स्थापना पर मजदूरी का भुगतान भी नहीं किया गया है। उपरोक्त क्रय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन हैं। इस प्रकार वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख

उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को न मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निविदा / कोटेशन सामग्री क्रय बिलों / डिलीवरी चालान /मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 274051.00 में से ग्राम प्रधान श्री वासुदेव से रु. 137025.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री अतीक अहमद से रु. 137025.50 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-100 ग्राम पंचायत-हरदासपुर विकास खण्ड-अमावां

उक्त ग्राम पंचायत में इन्टरलाकिंग निर्माण मद में प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	आहरणकर्ता व्यक्ति/फर्म का नाम	आई डी नंबर	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	लक्ष्मी ब्रिक फील्ड	13770664	03.06.20	31185.00
2	आकाश इन्टरप्राइजेज	27325251	14.07.20	84956.00
3	मजदूरी	27325251	14.07.20	67592.00
4	साहिल टाइल्स उद्योग	27325251	14.07.20	35931.00
		योग-		219664.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है इतनी बड़ी धनराशि से कराए गये निर्माण कार्य तथा मरम्मत कार्य जिसमें समतलीकरण करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना किये गये कार्य एवं उसके व्यय की शुचिता पर संदेह उत्पन्न करता है वैसे भी इन्टरलाकिंग निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैश बुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जांच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-"ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निविदा / कोटेशन सामग्री क्रय बिलों / डिलीवरी चालान /मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः

लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 219664.00 में से ग्राम प्रधान श्री वासुदेव से रु. 109832.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री अतीक अहमद से रु. 109832.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-101 ग्राम पंचायत-हरदासपुर विकास खण्ड-अमावां

उक्त ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय मद में प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0 सं0	आहरणकर्ता व्यक्ति/फर्म का नाम	आई डी नंबर	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	आर0एस0 इन्टरप्राइजेज	44707836	24.09.20	38000.00
2	आकाश इन्टरप्राइजेज	44707836	31.10.20	64867.00
3	अफीफा ब्रिक फील्ड	44707836	05.11.20	103950.00
4	आकाश इन्टरप्राइजेज	44707836	16.12.20	167730.00
5	अफीफा ब्रिक फील्ड	44707836	18.12.20	34650.00
6	आकाश इन्टरप्राइजेज	44707836	18.12.20	63399.00
		योग-		472596.00

इस मद में एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान करना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है। निर्माण कार्य में सामग्री क्रय एवं लेवर व्यय को अलग-अलग प्रदर्शित न किये जाने के कारण उपरोक्त कार्यों पर हुये व्यय का परीक्षण नहीं किया जा सका। ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निविदा / कोटेशन सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 472596.00 में से ग्राम प्रधान श्री वासुदेव से रु. 236298.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री अतीक अहमद से रु. 236298.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-102 ग्राम पंचायत-हरदासपुर विकास खण्ड-अमावां

उक्त ग्राम पंचायत में अन्य विभिन्न कार्यों पर प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0 सं0	आहरणकर्ता व्यक्ति/फर्म का नाम	आई डी नंबर	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	राधेलाल	31892315	14.07.2020	5000.00
2	शिव इन्टरप्राइजेज	36729001	15.09.2020	7199.00
3	वासुदेव प्रसाद प्रधान मानदेय	43421443	31.10.2020	38500.00
4	आकाश इन्टरप्राइजेज	45408848	16.12.2020	20645.00
5	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	45408848	16.12.2020	13243.00
6	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	36729001	20.12.2020	40345.00

		योग-	124932.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि- "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निविदा / कोटेशन सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है लेखा परीक्षा प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में कलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 124932.00 में से ग्राम प्रधान श्री वासुदेव से रु. 62466.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री अतीक अहमद से रु. 62466.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-103 ग्राम पंचायत-हरदासपुर विकास खण्ड-अमावां
प्रशासक के कार्यकाल में किए गये विविध कार्य :-

क्र० सं०	आहरणकर्ता व्यक्ति/फर्म का नाम	आई डी नंबर	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	आकाश इन्टरप्राइजेज	45609868	13.03.2021	92500.00
2	फरीद इन्टरप्राइजेज	44707836	25.03.2021	57500.00
		योग-		150000.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है। ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि महु इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निविदा/कोटेशन सामग्री क्रय बिलों / डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये । जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी प्रशासक एवं ग्राम पंचायत

सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु.150000.00 में से प्रशासक श्री सईद अहमद से रु. 75000.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री अतीक अहमद से रु.75000.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-104 ग्राम पंचायत-पहरेमउ विकास खण्ड-अमावां

उक्त ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर मद में प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	आहरणकर्ता व्यक्ति/फर्म का नाम	आई डी नंबर	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	29100362	23.06.2020	81550.00
2	आर०एस० इन्टरप्राइजेज	29100362	23.06.2020	50000.00
3	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	29100325	23.06.2020	25150.00
4	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	29100325	26.06.2020	26500.00
5	मो० जाबिर	42738434	31.07.2020	19292.00
6	आर०एस० इन्टरप्राइजेज	36891096	28.08.2020	23500.00
7	आर०एस० इन्टरप्राइजेज	36891096	28.08.2020	24300.00
8	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	36890544	02.10.2020	35740.00
9	श्याम इन्टरप्राइजेज	45086476	10.11.2020	26450.00
10	श्याम इन्टरप्राइजेज	45086476	10.11.2020	22600.00
11	श्याम इन्टरप्राइजेज	36891096	10.11.2020	15700.00
12	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	4508647	18.12.2020	24520.00
13	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	4508647	18.12.2020	24600.00
14	फरीद इन्टरप्राइजेज	42738634	18.12.2020	22500.00
15	आर०एस० इन्टरप्राइजेज	45086821	18.12.2020	40000.00
16	मो० जाबिर	45086476	24.12.2020	28848.00
17	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	36890544	25.12.2020	42500.00
18	मजदूरी	36890544	25.12.2020	24040.00
19	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	45514988	25.12.2020	73300.00
		योग-		904967.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत/ रिबोर पर दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है। ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि- "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निविदा/कोटेशन सामग्री क्रय बिलों / डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः

लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 904967.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती ललिता कुमारी से रु. 452483.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री अतीक अहमद से रु. 452483.50 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-105 ग्राम पंचायत-पहरेमउ विकास खण्ड-अमावां

- उक्त ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत/ रिबोर मद में प्रशासक के कार्यकाल में प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	आहरणकर्ता व्यक्ति/फर्म का नाम	आई डी नंबर	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	श्याम इन्टरप्राइजेज	45086476	18.03.2021	25600.00
2	फरीद इन्टरप्राइजेज	36890544	18.03.2021	25200.00
3	फरीद इन्टरप्राइजेज	49579341	26.03.2021	51270.00
4	फरीद इन्टरप्राइजेज	49579402	26.03.2021	21024.00
5	फरीद इन्टरप्राइजेज	49579402	26.03.2021	18550.00
		योग-		141644.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत/ रिबोर पर दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है। ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक में ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निविदा/कोटेशन सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट लैन्डमार्क कार्य की तीन चरणों की फोटो कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये । जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के प्रशासक अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 141644.00 में से श्री सईद अहमद (प्रशासक) से रु. 70822.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री अतीक अहमद से रु. 70822.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-106 ग्राम पंचायत-पहरेमउ विकास खण्ड-अमावां

- उक्त ग्राम पंचायत में नाली निर्माण / मरम्मत मद में प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	आहरणकर्ता व्यक्ति/फर्म का नाम	आई डी नंबर	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	43950111	23.07.2020	27720.00
2	मजदूरी	43950111	23.07.2020	18055.00
3	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	41620237	18.08.2020	12474.00
4	आर०एस० इन्टरप्राइजेज	41620237	18.08.2020	9163.00
5	मजदूरी	41620237	18.08.2020	5222.00
6	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	41619886	18.08.2020	10489.00

7	आर0एस0 इन्टरप्राइजेज	41619886	18.08.2020	7280.00
8	मजदूरी	41619886	18.08.2020	4326.00
9	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	14524743	18.08.2020	4536.00
10	आर0एस0 इन्टरप्राइजेज	14524743	18.08.2020	3486.00
11	मजदूरी	14524743	18.08.2020	8156.00
12	मजदूरी	14524744	18.08.2020	27783.00
13	आर0एस0 इन्टरप्राइजेज	14524744	18.08.2020	18979.00
14	मजदूरी	14524744	18.08.2020	11130.00
15	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	45515462	22.12.2020	48510.00
16	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	45515462	22.12.2020	28123.00
	योग-			239432.00

नाली निर्माण हेतु उपरोक्त व्यय प्रिया साफ्ट की कैश बुक में अंकित किया गया है। उपरोक्त नाली मरम्मत कार्य हेतु मात्र सामग्री की खरीद दर्शित है खरीदी गयी सामग्री के उपभोग पर मजदूरी व्यय नहीं किया गया है। अतः खरीदी गयी सामग्री अप्रयुक्त है जो स्टॉक बुक में प्रदर्शित होनी चाहिये थी। स्टॉक बुक प्रस्तुत न किये जाने एवं मजदूरी व्यय शून्य होने के कारण उपरोक्त धनराशि का स्पष्टतः अपहरण / गबन किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निविदा/कोटेशन सामग्री क्रय बिलों / डिलीवरी चालान /मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 239432.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती ललिता कुमारी से रु. 119716.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री अतीक अहमद से रु. 119716.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-107 ग्राम पंचायत-पहरेमउ विकास खण्ड-अमावां

उक्त ग्राम पंचायत में खड़जा निर्माण मद में प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0 सं0	आहरणकर्ता व्यक्ति/फर्म का नाम	आई डी नंबर	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	14524722	14.08.2020	24412.00
2	मजदूरी	14524722	14.08.2020	18564.00
	योग-			42976.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशि से कराए गये निर्माण कार्य तथा खड़जा मरम्मत कार्य जिसमें खड़जे को उखाड़ना एवं समतलीकरण करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना किये गये कार्य

एवं उसके व्यय पर संदेह उत्पन्न करता है वैसे भी खड़जा निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैश बुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जांच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि- "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को न मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निविदा/कोटेशन सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु.42976.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती ललिता कुमारी से रु. 21488.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री अतीक अहमद से रु.21488.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-108 ग्राम पंचायत-पहरेमउ विकास खण्ड-अमावां

उक्त ग्राम पंचायत में इन्टरलाकिंग निर्माण मद में प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0 सं0	आहरणकर्ता व्यक्ति/फर्म का नाम	आई डी नंबर	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	आर0एस0 इन्टरप्राइजेज	41549058	26.06.2020	64034.00
2	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	41549058	29.06.2020	48100.00
3	साहिल ईट उद्योग	41549058	29.06.2020	198240.00
4	साहिल ईट उद्योग	41606721	30.06.2020	173460.00
5	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	41606721	30.06.2020	47250.00
6	आर0एस0 इन्टरप्राइजेज	41606721	30.06.2020	69784.00
7	साहिल ईट उद्योग	43329779	30.06.2020	185850.00
8	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	43329779	30.06.2020	44415.00
9	आर0एस0 इन्टरप्राइजेज	43329443	30.06.2020	28641.00
10	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	43329443	30.06.2020	9733.00
11	साहिल ईट उद्योग	43329443	30.06.2020	72555.00
12	आर0एस0 इन्टरप्राइजेज	43329779	30.06.2020	60770.00
13	मजदूरी	43329779	13.10.2020	57183.00
14	मजदूरी	41549058	13.10.2020	21871.00
15	मजदूरी	41549058	13.10.2020	60196.00
16	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	41611355	22.12.2020	30859.00
17	आर0एस0 इन्टरप्राइजेज	41611355	22.12.2020	67911.00

18	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	4551595	22.12.2020	30859.00
19	आर0एस0 इन्टरप्राइजेज	4551595	22.12.2020	67911.00
20	मजदूरी	41611355	24.12.2020	29296.00
		योग-		1366918.00

प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में समस्त भुगतान का किया जाना दर्शित है इतनी बड़ी धनराशि से कराए गये निर्माण कार्य तथा मरम्मत कार्य जिसमें समतलीकरण करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित होते हैं उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना किये गये कार्य एवं उसके व्यय की शुचिता पर संदेह उत्पन्न करता है वैसे भी इन्टरलाकिंग निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैश बुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जांच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निविदा / कोटेशन सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 1366918.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती ललिता कुमारी से रु. 683459.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री अतीक अहमद से रु. 683459.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-109 ग्राम पंचायत-पहरेमउ विकास खण्ड-अमावां

उक्त ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय मद में प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0 सं0	आहरणकर्ता व्यक्ति/फर्म का नाम	आई डी नंबर	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	फरीद इन्टरप्राइजेज	41621182	01.10.2020	21383.00
2	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	4161182	02.10.2020	32250.00
3	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	41621182	24.12.2020	28172.00
4	फरीद इन्टरप्राइजेज	41621182	24.12.2020	7750.00
5	हिंदुस्तान इन्टरप्राइजेज	41621182	24.12.2020	5117.00
6	मजदूरी	41621182	24.12.2020	16000.00
		योग-		110726.00

इस मद में एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान करना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है। निर्माण कार्य में सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग प्रदर्शित न किये जाने के कारण उपरोक्त कार्यों पर हुये व्यय का परीक्षण नहीं किया जा सका ।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निविदा / कोटेशन सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान /मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 110726.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती ललिता कुमारी से रु. 55363.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री अतीक अहमदसे रु.55363.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-110 ग्राम पंचायत-पहरेमउ विकास खण्ड-अमावां

प्रशासक के कार्यकाल में किए गये विविध कार्य :-

क्र० सं०	आहरणकर्ता व्यक्ति/फर्म का नाम	आई डी नंबर	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	फरीद इन्टरप्राइजेज	50886463	26.03.2022	41250.00
		योग-		41250.00

ग्राम पंचायत में दर्शित ग्राम पंचायत में दर्शित प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निविदा/कोटेशन सामग्री क्रय बिलों / डिलीवरी चालान /मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी प्रशासक एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु.41250.00 में से प्रशासक श्री सईद अहमद से रु.20625.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री अतीक अहमद से रु. 20625.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-111 ग्राम पंचायत-पहरेमउ विकास खण्ड-अमावां

उक्त ग्राम पंचायत में अन्य विभिन्न कार्यों पर प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	आहरणकर्ता व्यक्ति/फर्म का नाम	आई डी नंबर	दिनांक	व्यय की धनराशि

1	राधेलाल मजदूरी	29091595	24.07.2020	5000.00
2	श्रीमती ललिता कुमारी प्रधान मानदेय	45086613	01.12.2020	38500.00
3	ओम फर्नीचर एण्ड इलेक्ट्रिक स्टोर	45087278	09.12.2020	40000.00
4	फरीद इन्टरप्राइजेज	45087278	18.12.2020	18000.00
		योग-		101500.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि- "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना कार्य का स्टीमेट कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति निविदा/कोटेशन सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान / मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेंट लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो कार्य पूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध है। उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 101500.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती ललिता कुमारी से रु. 50750.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री अतीक अहमद से रु. 50750.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-112 ग्राम पंचायत-कोंडरस बुजुर्ग विकास खण्ड-अमावां

ग्राम पंचायत कोंडरस बुजुर्ग में केन्द्रीय वित्त एवं राज्य वित्त मद से रु० 2006415.00 खर्च किया जाना दर्शित है किन्तु कोई भी प्रमाणक एवं सुसंगत अभिलेख जैसे कार्यवाही रजिस्टर कार्य योजना प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति एस्टिमेट एम.बी. बुक स्टॉक रजिस्टर परिसंपत्ति रजिस्टर कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एवं बैंक स्टेटमेंट तथा कैश बुक लेखा परीक्षा के लिए बार बार लिखित एवं मौखिक अनुरोध के बाद भी उपलब्ध नहीं कराए गये। स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के द्वारा बिना प्रमाणक एवं सुसंगत अभिलेख के समस्त धनराशि रु० 2006415.00 का अपहरण किया गया है जिसमें से ग्राम पंचायत सचिव श्री अतीक अहमद एवं ग्राम प्रधान श्री पृथ्वीराज सिंह के द्वारा सम्मिलित रूप से रु 1165633.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी समान मात्रा में रु० 582816.50 श्री अतीक अहमद से तथा शेष रु० 582816.50 श्री पृथ्वीराज सिंह से मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

इसी प्रकार प्रशासनिक आदेश द्वारा ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त किए गये थे जिनको जरूरी खर्च की स्वीकृति एवं डोंगल से भुगतान का अधिकार था लेकिन ग्राम पंचायत बावन बुजुर्ग बल्ला में सहायक विकास अधिकारी पंचायत प्रशासक श्री सईद अहमद एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अतीक अहमद के द्वारा मार्च 2021 में रु० 840782.00 का भुगतान किया गया था। उक्त व्यय से संबंधित सुसंगत अभिलेख एवं प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये।

पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 बिन्दु 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।

इस प्रकार उक्त धन का भी अपहरण कर लिया गया। इस धन में से रु० 420391.00 की वसूली प्रशासक श्री सईद अहमद से एवं शेष धनराशि रु० 420391.00 की वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री अतीक अहमद से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-113 ग्राम पंचायत-ओसाह विकास खण्ड-शिवगढ़

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के अनुच्छेद -7 में स्पष्ट प्रावधान है कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।" लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्यों पर दर्शित व्यय का विवरण निम्नवत है -

क्रम संख्या	कार्य का नाम	दिनांक	भुगतान प्राप्तकर्ता	व्यय धनराशि
1	ह्यूमपाइप राज्य वित्त	04.06.20	गया प्रसाद ट्रेडिंग	99158.00
2	ह्यूमपाइप केन्द्रीय वित्त	06.10.20	गया प्रसाद ट्रेडिंग	99158.00
			योग	198316.00

(i) शासनादेश संख्या आर.जी.एस.ए. /197/2019-4/379/2015 लखनऊ दिनांक 2 मई 2019 जी पी डी पी के अंतर्गत बिंदु तीन में कार्य स्थल विहीन और कार्य विवरण विहीन कार्य को संदिग्ध माना गया है। ऐसे में किन - किन स्थानों या कार्यों में ह्यूमपाइप की स्थापना की गई प्रमाणकों के अभाव में अस्पष्ट रहा।

इस प्रकार उक्त कार्य से सम्बंधित पत्रावलियां यथा प्राक्कलन तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति माप पुस्तिका त्रिस्तरीय फोटो कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र एवं व्यय वाउचर आदि प्रस्तुत नहीं रहे। उक्त कार्यों से सम्बंधित पत्रावलियां एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गए व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के अनुच्छेद - 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि कि वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु 198316.00 लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के अनुच्छेद - 8(क) के अंतर्गत अपहरण है तथा अधिभार योग्य है जिसके लिए ग्रामविकास अधिकारी श्री अरुण कुमार तथा ग्रामप्रधान श्रीमती सुनीता उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रु 198316.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से रु 99158.00 ग्रामविकास अधिकारी श्री अरुण कुमार से तथा रु 99158.00 ग्रामप्रधान श्रीमती सुनीता से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-114 ग्राम पंचायत-जरियारी विकास खण्ड-राही

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।" लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्यों पर दर्शित व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्रम संख्या	कार्य का नाम	दिनांक	भुगतान प्राप्तकर्ता	व्यय धनराशि
1	सीसी रोड	25.11.2020	अभयदत्त ब्रिक फील्ड	39690.00
2	जल निकासी हेतु ह्यूम पाइप	30.11.2020	नेशनल आरसीसीस्पून पाइप	86616.00
			योग-	126306.00

(1) क्रम संख्या 01 में सी सी रोड निर्माण में दिनांक 25.11.2020 को ईट क्रय हेतु रु 39690.00 का भुगतान किया जाना कैशबुक में दर्शित है साथ ही उक्त भुगतान वर्ष 2019-20 में किये गये कार्य हेतु किया जाना दर्शित है किन्तु उक्त भुगतान से सम्बंधित कार्य पत्रावलियां यथा प्राक्कलन तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति माप पुस्तिका त्रिस्तरीय फोटो कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि एवं उन पर किये गए व्ययों कि पुष्टि में अपेक्षित वाउचर / व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे।

(ii) क्रम संख्या 02 में जल निकासी हेतु ह्यूमपाइप में दिनांक 30.11.2020 को ह्यूमपाइप क्रय हेतु रु 86616.00 का भुगतान किया जाना कैशबुक में दर्शित है किन्तु उक्त भुगतान से सम्बंधित कार्य पत्रावलियां यथा प्राक्कलन तकनीकी

एवं वित्तीय स्वीकृति माप पुस्तिका त्रिस्तरीय फोटो कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि एवं उन पर किये गए व्ययों कि पुष्टि में अपेक्षित वाउचर / व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे ।

इस प्रकार उक्त कार्यों से सम्बंधित पत्रावलियां एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गए व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के अनुच्छेद - 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि कि वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी । इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु 126306.00 लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद - 8(क) के अंतर्गत अपहरण है तथा अधिभार योग्य है जिसके लिए ग्रामविकास अधिकारी श्री दिनेश श्रीवास्तव तथा ग्रामप्रधान श्री अनिल कुमार उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि रु 126306.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से रु 63153.00 ग्रामविकास अधिकारी श्री दिनेश श्रीवास्तव से तथा रु 63153.00 ग्रामप्रधान श्री अनिल कुमार से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-115 ग्राम पंचायत-कोरचन्दामउ विकास खण्ड-राही

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ऑनलाइन प्रिया साफ्ट / ई ग्राम स्वराज पर अनुरक्षित कैश बुक के अनुसार ग्राम पंचायत कोरचन्दामउ द्वारा वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि प्रथम एवं केन्द्रीय वित्त से निम्नलिखित निर्माण/अनुरक्षण कार्यों में प्रयुक्त मजदूरी प्रशासनिक मानदेय तथा अन्य कार्यों/पर व्यय किए गए है जिसका विवरण निम्नवत है।

क0 सं0	दिनांक	वर्क आईडी	कार्य	भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि
1	07/06/2020	38446110	नाली निर्माण शिवबहादुर से रामधनी सीमेन्ट कोरसेंड फाइन सेंड का भुगतान	शान्तनू बिल्डिंग मटेरियल	34600
2	08/06/2020	38446127	स्टेशनरी व्यय	नेट कैफे	6500
3	18/06/2020	29235152	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री क्रय	अंश इन्टरप्राइजेज	29530
4	17/08/2020	14802348	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी	गीता देवी	9530
5	06/08/2020	43962613	हयूमपाइप का भुगतान	कृष्णा इन्टरप्राइजेज	58960
6	23/09/2020	14802369	स्टेशनरी क्रय	कान्हा इन्टरप्राइजेज	375
7	26/10/2020	43962798	स्टेशनरी क्रय	नेट कैफे	4475
8	03/11/2020	43962521	सामुदायिक शौचालय सीमेन्ट आदि भुगतान	शान्तनू बिल्डिंग मटेरियल	128620
9	03/11/2020		ब्रिक्स का भुगतान	अभयदाता ब्रिक्स फील्ड	110512
10	03/11/2020		मिस्त्री मजदूरी भुगतान	राम ककोरे	13920
11	03/11/2020		मिस्त्री मजदूरी भुगतान	राज कुमार द्विवेदी	9120
12	21/11/2020		सीमेन्ट मोरंग आदि का भुगतान	सन्तनू बिल्डिंग मटेरियल	128620
13	25/11/2020		मिस्त्री का भुगतान	राम ककोरे	4800
14	25/11/2020		मिस्त्री का भुगतान	राज कुमार द्विवेदी	4800
15	27/11/2020	14802354	ईट का भुगतान	अभयदाता ब्रिक्स फील्ड	89250
16	27/11/2020	14802354	मिट्टी ढुलाई भाडा भुगतान	शिखा	21200

17	24/12/2020	14802354	मजदूरी	राज कुमार दीक्षा केशकली सुखीराम किरन छेदी सीता देवी बंशीलाल राज कुमार द्विवेदी राजू विपति रामककोरे भूपेन्द्र कुमार अवस्थी राजेश राम प्रकाश जागेश्वर मंशाराम रामराज सुरेश कुमार अफसर अली	35014
18	17/12/2020	43962495	ईंट का भुगतान	अभयदाता ब्रिक फील्ड	43092
19	24/12/2020	43962495	मजदूरी	दीक्षा छेदी मंशाराम राम ककोरे राज कुमार द्विवेदी राज कुमार	11492
20	17/12/2020	43962804	स्टेशनरी भुगतान	नेट कैफे	6500
21	17/12/2020	43962804	प्रधानमानदेय	अनिल कुमार	35000
22	27/11/2020	43962810	प्रधानमानदेय	अनिल कुमार	3500
				कुल	789470
				रिजेक्ट धनराशि	287881
				कुल धनराशि	501589

नोट- ग्राम पंचायत द्वारा कुल भुगतान ₹0 789470.00 का किया गया है जिसमें से ₹0 287881.00 पेमेन्ट कैन्सलेशन/रिजेक्टेड श्रेणी का था। अतः वास्तविक भुगतान ₹0 501589.00 का किया गया।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के अनुच्छेद -7 में स्पष्ट प्रावधान है कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।" ग्राम पंचायत कोरचन्दामऊ के ग्राम निधि खाता प्रथम एवं केन्द्रीय वित्त में वर्ष 2020-21 में किये गए व्यय से सम्बंधित किसी भी प्रकार के सुसंगत अभिलेख यथा वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति कार्ययोजना इस्टीमेट एम.बी. तीन चरणों की फोटो मस्टररोल स्टॉक पंजिकाचल अचल संपत्ति पंजिकाव्यय प्रमाणक कार्यपूर्ति प्रमाण पत्रउपभोग प्रमाण विकास पत्रसमेकित सार रजिस्टर टैंडर /कोटेशन सम्बन्धी पत्रावलियां क्रयादेश मानदेय भुगतान संबंधी पंजिका हेतु गठित समितियों संबंधी पत्रावली आदि महत्वपूर्ण अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जबकि अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु विभिन्न तिथियों में पत्राचार किया गया था। इस प्रकार उक्त कार्यों से सम्बंधित पत्रावलियां एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गए व्यय ₹ 501589.00 का व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहा। लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के अनुच्छेद -8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि कि वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि ₹ 501589.00 लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के अनुच्छेद 8(क) के अंतर्गत अपहरण है तथा अधिभार योग्य है जिसके लिए ग्रामविकास अधिकारी श्री शिवबरन तथा ग्रामप्रधान श्री मुन्नालाल उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि ₹ 501589.00 की वसूली

उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से रु 250794.50 ग्रामविकास अधिकारी श्री शिवबरन से तथा रु 250794.50 ग्रामप्रधान श्री मुन्नालाल से अद्यावधि ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-116 ग्राम पंचायत-भखरवारा विकास खण्ड-राही

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ऑनलाइन प्रिया साफ्ट ई ग्राम स्वरोज पर अनुरक्षित कैश बुक के अनुसार ग्राम/पंचायत भखरवारा द्वारा वर्ष 2020-21 में ग्राम निधि प्रथम एवं केन्द्रीय वित्त से निम्नलिखित निर्माण अनुरक्षण कार्य/में प्रयुक्त मजदूरी प्रशासनिक मानदेय तथा अन्य कार्य/पर व्यय किए गए हैं जिसका विवरण निम्नवत है।

क0 सं0	दिनांक	वर्क आईडी	कार्य	भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि
1	08/06/2020	20488647	मिटटी ढुलाई विद्यालय	शिवम कुमार	8008
2	08/06/2020		मिटटी ढुलाई विद्यालय	शिव करन	1274
3	08/06/2020		मिटटी ढुलाई विद्यालय	रामू	8190
4	08/06/2020		प्राइमरी विद्यालय में मिटटी भराई मजदूरी	धर्मेन्द्र कुमार	8190
5	08/06/2020		मिटटी ढुलाई विद्यालय	रामऔतार	8190
6	08/06/2020		मिटटी ढुलाई विद्यालय	महेश कुमार	8190
7	08/06/2020		मिटटी ढुलाई विद्यालय	पुष्पेन्द्र कुमार	8190
8	08/06/2020		मिटटी ढुलाई विद्यालय	छिटटन	8190
9	08/06/2020		मिटटी ढुलाई विद्यालय	राजेश कुमार	8190
10	08/06/2020		मिटटी ढुलाई विद्यालय	कामता प्रसाद	8190
11	08/06/2020		मिटटी ढुलाई विद्यालय	सुनीता	8008
12	08/06/2020	29603011	स्टेशनरी व्यय	नेट कैफे	6500
13	19/09/2020	36896226	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी भुगतान	रामलाल	12220
14			हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी भुगतान	शिवम कुमार	5226
15			हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी भुगतान	राम औतार	5226
16			हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी भुगतान	महेश कुमार	5226
17			हैण्डपम्प मरम्मत	कान्हा इन्टरप्राइजेज	49135
18	29/10/2020	43560427	ग्राम के विभिन्न स्थलों में मिटटी भराई कार्य मिटटी ढुलाई मजदूरी भुगतान	महेश कुमार	2613
19				राजेश कुमार	2412
20				राजेश कुमार	19000
21				छिटटन	2613
22	02/11/2020	43657572	सामुदायिक शौचालय सीमेन्ट आदि का भुगतान	शान्तनू बिल्डिंग मटेरियल	128620
23	02/11/2020		सामुदायिक शौचालय ईट का भुगतान	आर आर ब्रिक फील्ड	110512

24	02/11/2020		सामुदायिक शौचालय मजदूरी	सुंदर लाल	9120
25	05/11/2020		मजदूरी	भूपति कुमार	9120
26	25/11/2020		मिस्त्री का भुगतान	रामचन्द्र	7200
27	25/11/2020		मिस्त्री का भुगतान	श्रीकुमार	7200
28	21/12/2020		ईंट का भुगतान	आर आर ब्रिक फील्ड	44263
29	21/12/2020		समरसेबुल बिजली कार्य का भुगतान	कान्हा इन्टरप्राइजेज	58750
16	05/12/2020	43558741	नाली निर्माण विनोद के घर से गढ़ही तक सीमेंट ईंट आदि का भुगतान	आर आर ब्रिक फील्ड	12500
17	05/12/2020			शान्तनू बिल्डिंग मटेरियल	64500
18	16/12/2020	43560935	खडंजा मरम्मत बिहारी के घर से बाबू लाल के घर तक मजदूरी	जवाहर लाल	3618
19	16/12/2020			शिवम	3618
20	16/12/2020			महेश कुमार	3618
21	16/12/2020		ईंट का भुगतान	आर आर ब्रिक फील्ड	17934
22	20/12/2020		मजदूरी मिटटी ढुलाई भुगतान	छिटटन	1900
23	20/12/2020			रामऔतार	1900
24	20/12/2020			सुनीता	4311
25	20/12/2020			शिव करन	3618
26	16/12/2020	14810395	मजदूरी	रामू	3640
27	16/12/2020		मजदूरी	शिव करन	3458
28	14/07/2020		मजदूरी	राम औतार	3640
29	17/12/2020	36896088	प्रशासनिक व्यय	नेट कैफे	6500
30	26/10/2020	36896088	स्टेशनरी क्रय	नेट कैफे	4370
31	08/06/2020	29277741	ग्राम प्रधान मानदेय	बुद्धी लाल	17500
32	06/08/2020	37302557	ग्राम प्रधान मानदेय	बुद्धी लाल	17000
33	02/10/2020	43558121	ग्राम प्रधान मानदेय	बुद्धी लाल	7000
34	04/12/2020	45275464	ग्राम प्रधान मानदेय	बुद्धी लाल	7000
				कुल योग -	745391=00

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के अनुच्छेद -7 में स्पष्ट प्रावधान है कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षेपण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।" ग्राम पंचायत भखरवारा के ग्राम निधि खाता प्रथम एवं केन्द्रीय वित्त में वर्ष 2020-21 में किये गए व्यय से सम्बंधित किसी भी प्रकार के सुसंगत अभिलेख यथा वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति कार्ययोजना इस्टीमेट एम .बी. तीन चरणों की फोटो मस्टररोल स्टॉक पंजिका चल अचल संपत्ति पंजिकाव्यय प्रमाणक कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र उपभोग प्रमाण पत्र समेकित सार रजिस्टर टैंडर /कोटेशन सम्बन्धी पत्रावलियां क्रयादेश मानदेय भुगतान संबंधी पंजिका विकास हेतु गठित समितियों संबंधी पत्रावली आदि महत्वपूर्ण अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जबकि अभिलेख उपलब्ध

कराये जाने हेतु विभिन्न तिथियों में पत्राचार किया गया था। इस प्रकार उक्त कार्यों से सम्बंधित पत्रावलियां एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गए व्यय रु 745391.00 का व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहा। लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के अनुच्छेद - 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि कि वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु 745391.00 लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के अनुच्छेद - 8(क) के अंतर्गत अपहरण है तथा अधिभार योग्य है जिसके लिए ग्रामविकास अधिकारी श्री शिवबरन तथा ग्रामप्रधान श्रीमती चन्द्रकली उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि रु 745391.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से रु 372695.50 ग्रामविकास अधिकारी श्री शिवबरन से तथा रु 372695.50 ग्रामप्रधान श्रीमती चन्द्रकली से अद्यावधि ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-117 ग्राम पंचायत-गौरा हरदो विकास खण्ड-दीनशाह गौरा

आलोच्य वर्ष में कैशबुक ग्राम निधि - 1व ई ग्राम स्वराज के अनुसार - रा वि व 14/15 वां वित्त आयोग मद से दर्शित व्यय भुगतान कि कुल धनराशि 7891775=50 व्यय-प्रमाणकों एवं निर्माण कार्य पत्रावलियों (कार्य योजना अनुमानित व्यय प्राक्कलन तकनीकी प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृत वर्क आई.डी. कैश मेमो /विल वाउचर्स व्यय प्रमाणक माप पुस्तिका मस्टर रोल कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र फोटोग्राफ मानदेय पंजिका स्टाक रजिस्टर सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर हैंडपंप मरम्मत प्रार्थना पत्र हैंडपंप रिबोर जल निगम द्वारा सत्यापित सूची टेण्डर / कोटेशन पत्रावली सक्षम द्वारा वित्तीय स्वीकृत आदि अभिलेख लेखा परीक्षा / समीक्षा के दौरान अप्रस्तुत रहा) अन्य सम्यक अभिलेखों के अभाव में अपुष्ट रही। अतएव उक्त के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुये सम्यक अभिलेखों से पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में उ०प्र० पंचायती राज लेखा मैनुअल पृ. सं-36 के पैरा -8(क) में दी गई व्ययस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुये इसकी वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती प्रेमा सिंह व प्रशासक श्री कमलेश कुमार तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री राम बरन यादव से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-118 ग्राम पंचायत-कुरौली बुधकर विकास खण्ड-दीनशाह गौरा

आलोच्य वर्ष में कैशबुक ग्राम निधि -1 के अनुसार - रावि व 14/15 वां वित्त आयोग मद से दर्शित व्यय भुगतान कि कुल धनराशि 2226733=00 व्यय- प्रमाणकों एवं निर्माण कार्य पत्रावलियों (कार्य योजना • अनुमानित व्यय प्राक्कलन तकनीकी प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृत वर्क आई .डी कैश मेमो विल वाउचर्स व्यय प्रमाणकमाप पुस्तिकामस्टर रोल कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र फोटोग्राफ मानदेय पंजिका स्टाक रजिस्टर सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर हैंडपंप मरम्मत प्रार्थना पत्र हैंडपंप रिबोर जल निगम द्वारा सत्यापित सूची टेण्डर/कोटेशन पत्रावली सक्षम द्वारा वित्तीय स्वीकृत आदि अभिलेख लेखा परीक्षा / समीक्षा के दौरान अप्रस्तुत रहा) अन्य सम्यक अभिलेखों के अभाव में अपुष्ट रही। अतएव उक्त के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुये सम्यक अभिलेखों से पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में उ०प्र० पंचायती राज लेखा मैनुअल पृ. सं-36 के पैरा -8 (क) में दी गई व्ययस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुये इसकी वसूली तत्कालीन प्रधान श्री धुन्नी लाल व प्रशासक श्री कमलेश कुमार तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री राम बदन यादव से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-119 ग्राम पंचायत-कुसण्डी विकास खण्ड-खीरों

क्र. सं.	वर्क आई. डी.	कार्य का नाम/भुगतान प्राप्त कर्ता	दिनांक	धनराशि
1	20517410	हिंदुस्तान ट्रेडर्स	2/10/20	17326.00
2	-----	मजदूरी	--	0.00
		योग-		17326.00

आलोच्य वर्ष 2020-21 में कैश बुक के अनुसार राज्यवित्त / 14 वा वित्त आयोग मद से नाली निर्माण हेतु सामग्री भुगतान रु 17326.00 व्यय किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय भुगतान के संबंध में निर्माण कार्य पत्रावली यथा -कार्ययोजना कार्यवाही रजिस्टर अनुमानित व्यय प्राक्कलन वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति

कोटेशन माप पुस्तिका व्यय प्रमाणक-कैश मेमो / बिल वाउचर मस्टर रोल स्टॉक बुक त्रिस्तरीय फोटोग्राफी व कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी लेखा परीक्षा में जाँच-समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए । उपरोक्त कार्य के सापेक्ष कोई भी मजदूरी व्यय कैश बुक में दर्शित नहीं है इस सम्बंध में दिनांक 16/06/21 06/08/21 11/11/21 07/12/21 11/01/22 को पत्राचार भी किया गया. अतएव उक्त के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी आपेक्षित है । अन्यथा की स्थिति में "लेखा मैनुअल पृष्ठ संख्या 36 के पैरा - 8 (क)" में दी गई व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि रु0 17326 को गबन मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन प्रधान श्री अशोक कुमार त्रिवेदी से रु0 8663 व ग्रा.पं.अधि. श्री दयाराम से रु0 8663 समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-120 ग्राम पंचायत-कुसण्डी विकास खण्ड-खीरों

क्र. सं.	वर्क आई. डी.	कार्य का नाम/भुगतान प्राप्त कर्ता	दिनांक	धनराशि
1	43400084	साधना ट्रेडर्स	30/10/20	243655.00
2		साधना ट्रेडर्स	8/11/20	164169.00
3		साधना ट्रेडर्स	16/3/21	44276.00
4	---	मजदूरी	--	00.00
		योग-		452100.00

आलोच्य वर्ष 2020-21 में कैश बुक के अनुसार राज्यवित्त/ 14 वा वित्त आयोग मद से सामुदायिक शौचालय सामग्री / निर्माण हेतु कुल रु 452100.00 व्यय भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय भुगतान के संबंध में निर्माण कार्य पत्रावली यथा -कार्ययोजना कार्यवाही रजिस्टर अनुमानित व्यय प्राक्कलन वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति कोटेशन/ टेण्डर माप पुस्तिका व्यय प्रमाणक-कैश मेमो/बिल वाउचर मस्टर रोल स्टॉक बुक त्रिस्तरीय फोटोग्राफी व कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि बार- बार मांगे जाने के उपरांत भी लेखा परीक्षा में जाँच-समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए । उपरोक्त कार्य के सापेक्ष कोई भी मजदूरी व्यय केंद्रीय वित्त से कैश बुक में दर्शित नहीं है इस सम्बंध में दिनांक 16/06/21 06/08/21 11/11/21 07/12/21 11/01/22 को पत्राचार भी किया गया. अतएव उक्त के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी आपेक्षित है । अन्यथा की स्थिति में "लेखा मैनुअल पृष्ठ संख्या 36 के पैरा - 8 (क)" में दी गई व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि रु0 452100 को गबन मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन प्रधान श्री अशोक कुमार त्रिवेदी रु0 226050 व ग्रा.पं.अधि. श्री दयाराम से रु0 226050 समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-121 ग्राम पंचायत-कुसण्डी विकास खण्ड-खीरों

क्र. सं.	वर्क आई. डी.	कार्य का नाम/भुगतान प्राप्त कर्ता	दिनांक	धनराशि
1	43399635	चौरसिया मशीनरी स्टोर	1/12/20	19650.00
2		चौरसिया मशीनरी स्टोर	23/12/20	19900.00
		योग-		39550.00

आलोच्य वर्ष 2020-21 में कैश बुक के अनुसार राज्यवित्त आयोग मद से हैंड पम्प मरम्मत हेतु विभिन्न तिथियों में कुल रु 39550.00 व्यय भुगतान किया जाना दर्शाया गया है । किन्तु उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय भुगतान के संबंध में अपेक्षित अभिलेख यथा -कार्ययोजना कार्यवाही रजिस्टर अनुमानित व्यय प्राक्कलन वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति कोटेशन माप पुस्तिका व्यय प्रमाणक-कैश मेमो/बिल-वाउचर मस्टर रोल स्टॉक बुक डेड स्टॉक रजिस्टर त्रिस्तरीय फोटोग्राफी खराब हैंड पंपों की स्थलवार सूची शिकायती पत्र व कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी लेखा परीक्षा में जाँच-समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए। इस सम्बंध में दिनांक 16/06/21 06/08/21 11/11/21 07/12/21 11/01/22 को पत्राचार भी किया गया. इसके अलावा उक्त के संदर्भ में शासनादेश संख्या -आर.जी.एस.ए./197/2019-4/379/2015 लखनऊ दिनांक 2 मई 2019 के अनुसार जी.पी.डी.पी. की तैयार

कार्ययोजना को प्लान प्लस पर अपलोड की समीक्षा के बिन्दु-2 में स्पष्ट निर्देश है कि रु बीस हजार (20000.00) या इससे कम लागत के कई हैंड पम्पों की एक ग्रुप आई.डी. बनाकर कार्य संपादित किया जाना है। किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नियमों/निर्देशों के विपरीत एक ही वर्क आई.डी. विकसित कर अनियमित व मनमाने ढंग से व्यय भुगतान किए गए हैं। अतएव उक्त के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी आपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में "लेखा मैनुअल पृष्ठ संख्या - 36 के पैरा -8 (क)" में दी गई व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि रु0 39550 को गबन मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन प्रधान श्री अशोक कुमार त्रिवेदी रु0 19775 व ग्रा.पं.अधि. श्री दयाराम से रु0 19775 समान रूप से की जानी आपेक्षित है।

प्रस्तर-122 ग्राम पंचायत-कुसण्डी विकास खण्ड-खीरों

क्र. सं.	वर्क आई. डी.	कार्य का नाम/भुगतान प्राप्त कर्ता	दिनांक	धनराशि
1	43447957	आरजी इंटर प्राइसेस	23/12/20	21255.00
2		आरजी इंटर प्राइसेस		84900.00
3		आनंदी ट्रेडर्स		31804.00
4		आर जी ब्रिक फील्ड		26980.00
5	---	मजदूरी	--	00.00
		योग -		164909.00

आलोच्य वर्ष 2020-21 में कैश बुक के अनुसार राज्यवित्त/14 वा वित्त आयोग मद से इन्टरलॉकिंग निर्माण हेतु कुल रु 164909.00 व्यय भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय भुगतान के संबंध में निर्माण कार्य पत्रावली यथा -कार्ययोजना कार्यवाही रजिस्टर अनुमानित व्यय प्राक्कलन वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति कोटेशन/ टेण्डर माप पुस्तिका व्यय प्रमाणक-कैश मेमो/बिल-वाउचर मस्टर रोल स्टॉक बुक त्रिस्तरीय फोटोग्राफी व कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि बार- बार मांगे जाने के उपरांत भी लेखा परीक्षा में जाँच-समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए। उपरोक्त कार्य के सापेक्ष कोई भी मजदूरी व्यय कैश बुक में दर्शित नहीं है इस सम्बंध में दिनांक 16/06/21 06/08/21 11/11/21 07/12/21 11/01/22 को पत्राचार भी किया गया। अतएव उक्त के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी आपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में "लेखा मैनुअल पृष्ठ संख्या -36 के पैरा 8(क)" में दी गई व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि रु0 164909 को गबन मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन प्रधान श्री अशोक कुमार त्रिवेदी रु0 84454.50 व ग्रा.पं.अधि. श्री दयाराम से रु0 84454.50 समान रूप से की जानी आपेक्षित है।

प्रस्तर-123 ग्राम पंचायत-भीतरी विकास खण्ड-खीरों

क्र. सं.	वर्क आई. डी.	कार्य का नाम/भुगतान प्राप्त कर्ता कैशबुक में अंकन नहीं	दिनांक	धनराशि
1	--	कैशबुक के अनुसार प्रारम्भिक अवशेष	01/04/20	1397451.00
2		बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्रारम्भिक अवशेष	01/04/20	1465529.00
		अंतर -	--	68078.00

आलोच्य वर्ष 2020-21 में कैश बुक के अनुसार प्रारम्भिक अवशेष दिनांक 01/04/20 को रु 1397451.00 दर्शित है जबकि बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्रारम्भिक अवशेष दिनांक 01/04/20 को रु 1465529.00 दर्शित है इस प्रकार कुल रु 68078.00 का अंतर है बैंक स्टेटमेंट के अनुसार राज्यवित्त / 14 / 15 वा वित्त आयोग मद से कुल रु 68078.00 व्यय भुगतान दिनांक 03/04/20 को किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु इन व्यय भुगतान का अंकन कैश बुक में नहीं किया गया है व्यय भुगतान का अंकन कैश बुक में न करना अपहरण की श्रेणी में आता है अतः इस संबंध में समस्त कार्य पत्रावली यथा -कार्ययोजना कार्यवाही रजिस्टर अनुमानित व्यय प्राक्कलन वित्तीय / प्रशासनिक स्वीकृति कोटेशन/ टेण्डर माप पुस्तिका व्यय प्रमाणक - कैश मेमो / बिल- वाउचर मस्टर रोल स्टॉक बुक त्रिस्तरीय

स्थलवार फोटोग्राफी व कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में जाँच व समीक्षा हेतु प्रस्तुत करके स्पष्टीकरण आपेक्षित है। "लेखा मैन्युअल पृष्ठ संख्या - 36 के पैरा -7 के अनुसार सचिव व ग्राम प्रधान दोनों का यह सयुक्त दायित्व है कि लेखा दल को समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये परंतु दोनों अभिलेख उपलब्ध कराने में असफल रहे अतः पैरा 8 (क)" में दी गई व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि ₹0 68078 को गबन मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती अनीता शुक्ला ₹0 34039 व ग्रा.वि.अधि. श्री अमर बहादुर सिंह से ₹0 34039 समान रूप से की जानी चाहिये।

प्रस्तर-124 ग्राम पंचायत-भीतरी विकास खण्ड-खीरों

क्र. सं.	वर्क आई. डी.	कार्य का नाम/भुगतान प्राप्त कर्ता कैशबुक में अंकन नहीं	दिनांक	धनराशि
1	44448775	केवल छः लेबरों को भुगतान किया गया	11/10/20	11658.00
2		केवल पांच लेबरों को भुगतान किया गया	11/10/20	10618.00
3		केवल पांच लेबरों को भुगतान किया गया	12/10/20	11256.00
4		केवल पांच लेबरों को भुगतान किया गया	12/10/20	8324.00
		योग-	--	41856.00

आलोच्य वर्ष 2020-21 में प्रिया सॉफ्ट / कैश बुक के अनुसार राज्यवित्त आयोग मद से कुल ₹ 41856.00 मजदूरी व्यय भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु दर्शित व्यय भुगतान के सापेक्ष कोई भी सामग्री क्रय दर्शित नहीं है जिससे कार्य की पुष्टि की जा सके सामग्री क्रय न करना समस्त कार्य को संदेह की श्रेणी में लाता है अतः इस संबंध में समस्त कार्य पत्रावली यथा कार्ययोजना कार्यवाही रजिस्टर अनुमानित व्यय प्राक्कलन वित्तीय / प्रशासनिक स्वीकृति कोटेशन / टेण्डर माप पुस्तिका व्यय प्रमाणक-कैश मेमो / बिल वाउचर मस्टर रोल स्टॉक बुक त्रिस्तरीय स्थलवार फोटोग्राफी व कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि परीक्षा में जाँच व समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए। इस सम्बंध में दिनांक 16/06/21 06/08/21 11/11/21 07/12/21 11/01/22 को पत्राचार भी किया गया। अतः "लेखा मैन्युअल पृष्ठ संख्या -36 के पैरा -7 के अनुसार सचिव व ग्राम प्रधान दोनों का यह सयुक्त दायित्व है कि लेखा दल को समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये परंतु दोनों अभिलेख उपलब्ध कराने में असफल रहे। अतः पैरा 8 (क)" में दी गई व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि ₹0 41856 को गबन मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती शुक्ला ₹0 20928 व ग्रा.वि.अधि. श्री अमर बहादुर सिंह ₹0 20928 से समान रूप से की जानी चाहिये।

प्रस्तर-125 ग्राम पंचायत-भीतरी विकास खण्ड-खीरों

क्र. सं.	वर्क आई. डी.	कार्य का नाम/भुगतान प्राप्त कर्ता कैशबुक में अंकन नहीं	दिनांक	धनराशि
1	43555392	साई इन्टरप्राइजेज	01/12/20	251513.00
2		साई इन्टरप्राइजेज	19/03/21	121218.00
3		साई इन्टरप्राइजेज	19/03/21	90727.00
		योग-	--	463458.00

आलोच्य वर्ष 2020-21 में प्रिया सॉफ्ट / कैश बुक के अनुसार केंद्रीयवित्त आयोग मद से सामुदायिक शौचालय हेतु कुल ₹ 463458.00 सामग्री क्रय भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु दर्शित व्यय भुगतान के सापेक्ष कोई भी मजदूरी दर्शित नहीं है मजदूरी न देना समस्त कार्य को संदेह की श्रेणी में लाता है अतः इस संबंध में समस्त कार्य पत्रावली यथा - कार्ययोजना कार्यवाही रजिस्टर अनुमानित व्यय प्राक्कलन वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति कोटेशन/ टेण्डर माप पुस्तिका व्यय प्रमाणक-कैश मेमो / बिल वाउचर मस्टर रोल स्टॉक बुक त्रिस्तरीय स्थलवार फोटोग्राफी व कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में जाँच व समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए। इस सम्बंध में दिनांक 16/06/21 06/08/21 11/11/21 07/12/21 11/01/22 को पत्राचार भी किया गया। अतः "लेखा मैन्युअल पृष्ठ संख्या 36 के पैरा -7 के अनुसार सचिव व ग्राम प्रधान दोनों का यह सयुक्त दायित्व है कि लेखा दल को समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये परंतु दोनों अभिलेख उपलब्ध कराने में असफल रहे अतः पैरा 8 (क)" में दी गई व्यवस्थानुसार

सम्पूर्ण धनराशि ₹0 463458 को गबन मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती अनीता शुक्ला ₹0 231729 व ग्रा.वि.अधि. श्री अमर बहादुर सिंह से ₹0 231729 समान रूप से की जानी चाहिये ।

प्रस्तर-126 ग्राम पंचायत-भीतरी विकास खण्ड-खीरों

क्र. सं.	वर्क आई. डी.	कार्य का नाम/भुगतान प्राप्त कर्ता कैशबुक में अंकन नहीं	दिनांक	धनराशि
1	44448890	साहू ट्रेडर्स	16/12/20	25305.00
2		लाखनपुर ब्रिक फील्ड	16/12/20	26365.00
3		एमएस जी आर इन्टरप्राइजेज	21/12/20	96220.00
		योग-	--	147890.00

आलोच्य वर्ष 2020-21 में प्रिया सॉफ्ट / कैश बुक के अनुसार केंद्रीय वित्त आयोग मद से इण्टर लॉकिंग- श्रीपाल के घर से जबलपुर मार्ग तक कुल ₹ 147890.00 सामग्री क्रय भुगतान किया जाना दर्शाया गया है । किन्तु दर्शित व्यय भुगतान के सापेक्ष कोई भी मजदूरी दर्शित नहीं है जिससे कार्य की पुष्टि की जा सके मजदूरी न देना समस्त कार्य को संदेह की श्रेणी में लाता है अतः इस संबंध में समस्त कार्य पत्रावली यथा -कार्ययोजना कार्यवाही रजिस्टर अनुमानित व्यय प्राक्कलन वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति कोटेशन/ टेण्डर माप पुस्तिका व्यय प्रमाणक - कैश मेमो / बिल वाउचर मस्टर रोल स्टॉक बुक त्रिस्तरीय स्थलवार फोटोग्राफी व कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में जाँच व समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए । इस सम्बंध में दिनांक 16/06/21 06/08/21 11/11/21 07/12/21 11/01/22 को पत्राचार भी किया गया. अतः "लेखा मैनुअल पृष्ठ संख्या -36 के पैरा -7 के अनुसार सचिव व ग्राम प्रधान दोनों का यह संयुक्त दायित्व है कि लेखा दल को समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये परंतु दोनों अभिलेख उपलब्ध कराने में असफल रहे अतः पैरा 8 (क)" में दी गई व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि ₹0 147890 को गबन मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती अनीता शुक्ला ₹0 73945 व ग्रा.वि.अधि. श्री अमर बहादुर सिंह से ₹0 73945 समान रूप से की जानी चाहिये।

प्रस्तर-127 ग्राम पंचायत-जसउमउ विकास खण्ड-खीरों

क्र. सं.	वर्क आई. डी.	कार्य का नाम/भुगतान प्राप्त कर्ता कैशबुक में अंकन नहीं	दिनांक	धनराशि
1	20192164	साई इन्टरप्राइजेज	30/07/20	30363.00
2	--	मजदूरी	---	00.00
		योग-	--	30363.00

आलोच्य वर्ष 2020-21 में कोष बही के अनुसार 14 वा वित्त आयोग मद से दिनांक 30/07/2020 को हुयम पाइप हेतु कुल ₹ 30363.00 व्यय भुगतान किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय भुगतान के संबंध में निर्माण कार्य पत्रावली यथा -कार्ययोजना कार्यवाही रजिस्टर अनुमानित व्यय प्राक्कलन वित्तीय / प्रशासनिक स्वीकृति कोटेशन माप पुस्तिका व्यय प्रमाणक - कैश मेमो / बिल वाउचर मस्टर रोल (मजदूरी हेतु) स्टॉक बुक त्रिस्तरीय स्थलवार फोटोग्राफी व कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी लेखा परीक्षा में जाँच - समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए । जिससे संबंधित हुयम पाइप के आने एवं उपयोग संबंधी स्थिति अज्ञात रही । अतएव उक्त के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी आपेक्षित है । अन्यथा की स्थिति में "लेखा मैनुअल पृष्ठ संख्या - 36 के पैरा - 8 (क)" में दी गई व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि ₹0 30363 को गबन मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती रानी देवी ₹0 5181.50 व ग्रा.वि.अधि. श्री पुष्पराज ₹0 5181.50 समान रूप से की जानी आपेक्षित है।

प्रस्तर-128 ग्राम पंचायत-बकुलिहा विकास खण्ड-खीरों

क्र. सं.	वर्क आई. डी.	कार्य का नाम/भुगतान प्राप्त कर्ता कैशबुक में अंकन नहीं	दिनांक	धनराशि

1	43401013	सामग्री विक्रम ट्रेडर्स	1/9/20	63471.00
2	43401130	सामग्री विक्रम ट्रेडर्स		47753.00
3	43401013	सामग्री विक्रम ट्रेडर्स		48909.00
4	43401130	मजदूरी विक्रम ट्रेडर्स		31886.00
		योग -		192019.00

आलोच्य वर्ष 2020-21 में कैश बुक के अनुसार राज्यवित्त आयोग मद से नाली निर्माण हेतु कुल भुगतान 192019.00 व्यय किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उपरोक्तानुसार दर्शित नाली निर्माण (गोवर्धन के घर से ठाकुरदीन के घर तक) कार्य की मजदूरी रु 31886.00 का भुगतान मजदूरी के खाते में न करके विक्रम ट्रेडर्स को किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा नियमों/निर्देशों के विपरीत एक ही वर्क की दो आई.डी. (43401013/43401130) विकसित कर अनियमित व मनमाने ढंग से व्यय भुगतान किए गया है। इस सम्बंध में दिनांक 16/06/21 06/08/21 11/11/21 07/12/21 11/01/22 को पत्राचार भी किया गया। अतएव उक्त के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में "लेखा मैनुअल पृष्ठ संख्या-36 के पैरा - 8 (क)" में दी गई व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि रु 31886 को गबन मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती गनेशा त्रिवेदी रु 15943 व ग्रा.वि.अधि. श्री सतीश कुशवाहा से रु 15943=00 समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-129 ग्राम पंचायत-बकुलिहा विकास खण्ड-खीरों

क्र. सं.	वर्क आई. डी.	कार्य का नाम/भुगतान प्राप्त कर्ता कैशबुक में अंकन नहीं	दिनांक	धनराशि
1	43400595	सामग्री विक्रम ब्रिक फील्ड	2/11/20	72849.00
2		सामग्री विक्रम ब्रिक फील्ड		49984.00
3		मजदूरी अमित कुमार	10/11/20	26602.00
4	43401130	मजदूरी अमित कुमार		18658.00
		योग -		168093.00

आलोच्य वर्ष 2020-21 में कैश बुक के अनुसार राज्यवित्त आयोग मद से नाली निर्माण (अतुल के घर से शंकर के घर तक) हेतु सामग्री भुगतान रु 168093.00 व्यय किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उपरोक्तानुसार दर्शित नाली निर्माण कार्य की मजदूरी रु (26602.00+18658.00) = 45260.00 का भुगतान मजदूरी के खाते में न करके श्री अमित कुमार को किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा नियमों/निर्देशों के विपरीत एक ही वर्क की दो आई.डी. (43400595/43401130) विकसित कर अनियमित व मनमाने ढंग से व्यय भुगतान किए गया है। इस सम्बंध में दिनांक 16/06/21 06/08/21 11/11/21 07/12/21 11/01/22 को पत्राचार भी किया गया। अतएव उक्त के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में "लेखा मैनुअल पृष्ठ संख्या-36 के पैरा - 8 (क)" में दी गई व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि रु 45260 को गबन मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती गनेशा त्रिवेदी रु 22630 व ग्रा.वि.अधि. श्री सतीश कुशवाहा रु 22630 से समान रूप से की अपेक्षित है।

प्रस्तर-130 ग्राम पंचायत-बकुलिहा विकास खण्ड-खीरों

क्र. सं.	वर्क आई. डी.	कार्य का नाम/भुगतान प्राप्त कर्ता कैशबुक में अंकन नहीं	दिनांक	धनराशि
1	--	सामग्री	--	00.00
2	43401013	मजदूरी अमित कुमार	9/11/20	26088.00
		योग -		26088.00

आलोच्य वर्ष 2020-21 में कैश बुक के अनुसार राज्यवित्त आयोग मद से नाली निर्माण (झूरी के घर से केस के घर तक) हेतु सामग्री भुगतान रु 00.00 व्यय किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उपरोक्तानुसार दर्शित नाली

निर्माण कार्य की मजदूरी रु 26088.00 का भुगतान मजदूरी के खाते में न करके श्री अमित कुमार को किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा सामग्री क्रय न कर अनियमित व मनमाने ढंग से केवल मजदूरी व्यय भुगतान किए गया है। इस सम्बंध में दिनांक 16/06/21 06/08/21 11/11/21 07/12/21 11/01/22 को पत्राचार भी किया गया. अतएव उक्त के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में "लेखा मैनुअल पृष्ठ संख्या-36 के पैरा - 8 (क)" में दी गई व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती गनेशा त्रिवेदी रु0 13044 व गा.वि.अधि. श्री सतीश कुशवाहा से रु0 13044 समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-131 ग्राम पंचायत-बकुलिहा विकास खण्ड-खीरों

क्र. सं.	वर्क आई. डी.	कार्य का नाम/भुगतान प्राप्त कर्ता कैशबुक में अंकन नहीं	दिनांक	धनराशि
1	45352763	सामग्री विक्रम ब्रिक फील्ड	14/12/20	113985.00
2		मजदूरी अमित कुमार	16/12/20	8844.00
3		मजदूरी अमित कुमार	16/12/20	6400.00
		योग -		129229.00

आलोच्य वर्ष 2020-21 में कैश बुक के अनुसार राज्यवित्त आयोग मद से खड्जा निर्माण (महावीर के घर से जंगली के घर तक) हेतु सामग्री भुगतान रु 129229.00 व्यय किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु उपरोक्तानुसार दर्शित खड्जा निर्माण कार्य की मजदूरी रु (8844.00+6400.00) = 15244.00 का भुगतान मजदूरी के खाते में न करके श्री अमित कुमार को किया गया है। इस सम्बंध में दिनांक 16/06/21 06/08/21 11/11/21 07/12/21 11/01/22 को पत्राचार भी किया गया. अतएव उक्त के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में "लेखा मैनुअल पृष्ठ संख्या-36 के पैरा - 8 (क)" में दी गई व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि रु0 15244 को गबन मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती गनेशा त्रिवेदी व गा.वि.अधि. श्री सतीश कुशवाहा से रु0 7622=00 समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-132 ग्राम पंचायत-सवैया हसन विकास खण्ड-उंचाहार

4- वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित कार्यों पर व्यय किये गये हैं जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्रम सं०	कार्य का नाम	वर्क आई0डी0	व्यय धनराशि	दिनांक
1	हैडपंप रिबोर	19776527	38116.00	19/5/20
		13865845	32538.00	19/5/20
		योग -	70654.00	
2	हैडपंप रिबोर	32748096	65287.00	6/6/20
		43501636	65287.00	10/9/0
		43517150	90445.00	23/12/0
		43517150	19500.00	11/3/21
		43517150	19500.00	11/3/21
		व्यय का योग	260019.00	
3	स्वच्छता सामग्री पर व्यय	43501684	15115.00	10/9/20
		43501684	15050.00	10/9/20
		व्यय का योग	30165.00	
4	नाम का उल्लेख नहीं	1385853	53245.00	6/6/20

		1385853	3841.00	6/6/20
		व्यय का योग	57086.00	
5	प्रशासनिक व्यय	43501778	11380.00	6/6/20
		43501778	9370.00	6/6/20
		व्यय का योग	20750.00	
6	प्रधान मानदेय		7000.00	10/11/20
7	हयूम पाइप खरीद	43501198	99895.00	10/9/20
8		45005888	108831.00	7/11/20
		45005888	8075.00	8/11/20
		45005888	133542.00	9/11/20
		45005888	10625.00	11/11/20
		45005888	14855.00	23/12/20
		45005888	87532.00	23/12/20
		व्यय का योग	363460.00	
	सभी कार्यों के व्यय का योग		909029.00	

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है- "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति वित्तीय स्वीकृति आई0 डी0 मापी कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर / व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व ही सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से ग्रा0वि0/पं 0 अधिकारी से समस्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था। उक्त क्रम में दिनांक 15-11-2021 में ऑनलाइन लेखा परीक्षा कार्यक्रम लगाया गया परन्तु ग्राम पंचायत से सम्बन्धित कोष बही बैंक स्टेटमेन्ट / अन्य कोई भी अभिलेख / कार्य पत्रावलियां / व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। उक्त क्रम में पुनः सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से आडिट हेतु वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत कराने को सूचित किया गया था फिर भी अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहे। दिनांक 31-03-2022 को लेखापरीक्षा समाप्ति की सूचना ग्राम पंचायत अधिकारी को दी गयी थी इसके बाद भी अभिलेख नहीं उपलब्ध कराये गए... इस प्रकार उक्त कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद- 8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।" अतः अभिलेख / कार्य पत्रावलियां/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत कर दर्शित व्यय की पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है। अभिलेख / कार्य पत्रावलियां / व्ययप्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में ग्राम विकास अधिकारी श्री राम बहादुर यादव तथा ग्राम प्रधान स्व० एजाज अहमद के देहावसान पश्चात् कार्यवाहक प्रधान नियुक्त श्रीमती महिदुन्निसा से उक्त धनराशि रु0 909029.00 की वसूली संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-133 ग्राम पंचायत-दौलतपुर विकास खण्ड-उंचाहार

दिनांक 1-09-2020 को यस पी इंटरप्राइजेज से रुपये 84050.00 हयूम पाइप खरीद पर व्यय किये गए हैं लेकिन इस हयूम पाइप की स्थापना के सन्दर्भ में मजदूरी पर शून्य रुपये / कुछ भी व्यय नहीं किया गया है। मजदूर के अभाव में किसी भी कार्य के होने की प्रासंगिकता के संदिग्ध होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। किन स्थानों पर या किन किन कार्यों में इस हयूम पाइप की स्थापना की यह भी अस्पष्ट रहा दूसरे शब्दों में कार्य के स्पष्ट विवरण को अंकित नहीं किया गया है। स्थान की पुष्टि हेतु त्रिस्तरीय फोटो भी उपलब्ध नहीं कराया गया।

हयुम पाइप की स्थापना में बालू सीमेंट ईट गिट्टी आदि सामग्री का कुछ भी प्रयोग नहीं किया गया है. हयुम पाइप खरीद के सापेक्ष क्रय के बिल बाउचर तथा पत्रावलियां मांगे जाने पर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जा सके जिसके कारण व्यय की पुष्टि न की जा सकी। अतः बाउचर विहीन किया गया कुल भुगतान रुपये 84050.00 पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी " ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैनुअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान श्रीमती राजवती एवं सचिव श्री संजय कुमार से बराबर मात्रा में की जाएगी " के अंतर्गत प्रमाणक विहीन किया गया व्यय धनराशि अधिभार योग्य है जिसकी वसूली ग्रामपंचायत सचिव श्री संजय कुमार सिंह व प्रधान श्रीमती राजवती से बराबर बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित है "

प्रस्तर-134 ग्राम पंचायत-चंदावाहीपुर विकास खण्ड-छतोह

ग्राम पंचायत चंदावाहीपुर के वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में रुपये 1529070.20 का व्यय किया गया है ।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है - " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति वित्तीय स्वीकृति आई0 डी0 मापी कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर / व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व ही सहायक विकास अधिकारी) पंचायत (के माध्यम से ग्रा०वि० / पं (अधिकारी से समस्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध कराये जाने को सूचित किया गया था। उक्त क्रम में 22-07-2021 को लेखा परीक्षा कार्यक्रम लगाया गया परन्तु ग्राम पंचायत से सम्बन्धित कोष बही बैंक स्टेटमेन्ट / अन्य कोई भी अभिलेख / कार्य पत्रावलियां / व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। उक्त क्रम में पुनः सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से आडिट हेतु वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत कराने को सूचित किया गया था फिर भी अभिलेख / कार्य पत्रावलियां / व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहे । तत्पश्चात लेखापरीक्षा समाप्ति की सूचना ग्राम पंचायत अधिकारी को दी गयी थी इसके बाद भी अभिलेख नहीं उपलब्ध कराये गए अतः 19-02-2022 को लेखापरीक्षा समाप्त कर दी गयी इस प्रकार उक्त कार्य पत्रावलियां/ व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद - 8 (क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।" अतः अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत कर दर्शित व्यय की पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है। अभिलेख / कार्य पत्रावलियां/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में दर्शित व्यय धनराशि रु0 1529070.20 की नियमानुसार वसूली 25 दिसम्बर 2020 तक व्यय धनराशि 1354817.20 रुपये की प्रधान व सचिव श्रीमती उषा देवी श्री दिलीप कुमार सिंह से व 25 दिसम्बर 2020 के बाद व्यय धनराशि 174253.00 रुपये की सचिव श्री दिलीप कुमार सिंह व मो0 अख्तर सिद्दीकी व प्रशासक से की जानी अपेक्षित है । ग्राम प्रधान श्रीमती उषा देवी से रु0 677408=60 एवं प्रशासक मो0 अख्तर सिद्दीकी से रु0 87126=50 तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री दिलीप कुमार सिंह से रु0 764535=10 की वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-135 ग्राम पंचायत-पदुमपुर विकास खण्ड-छतोह

4. ग्राम पंचायत पदुमपुर के वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में रुपये 1929970.20 का व्यय किया गया है ।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है - " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति वितीय स्वीकृति आई0 डी0 मापी कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर / व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व ही सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से ग्रा०वि० / पं (अधिकारी से समस्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध कराये जाने को सूचित किया गया था। उक्त क्रम में 11-08-2021 को लेखा परीक्षा कार्यक्रम लगाया गया परन्तु ग्राम पंचायत से सम्बन्धित कोष बही बैंक स्टेटमेंट / अन्य कोई भी अभिलेख / कार्य पत्रावलियां / व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। उक्त क्रम में पुनः सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से आडिट हेतु वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत कराने को सूचित किया गया था फिर भी अभिलेख / कार्य पत्रावलियां/ व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहे। तत्पश्चात लेखापरीक्षा समाप्ति की सुचना ग्राम पंचायत अधिकारी को दी गयी थी इसके बाद भी अभिलेख नहीं उपलब्ध कराये गए अतः 31-03-2022 को लेखापरीक्षा समाप्त कर दी गयी इस प्रकार उक्त कार्य पत्रावलियां/ व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद - 8 (क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी ।" अतः अभिलेख / कार्य पत्रावलियां/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत कर दर्शित व्यय की पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है। अभिलेख / कार्य पत्रावलियां/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में दर्शित व्यय धनराशि रु0 1929970.20 की नियमानुसार वसूली ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दिलीप कुमार सिंह से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-136 ग्राम पंचायत-ममुनी विकास खण्ड-सलोन

आलोच्य वर्ष में बैंकस्टेटमेंट ग्राम निधि -1 के अनुसार - रावि व 14/15 वां वित्त आयोग मद से दर्शित व्यय भुगतान की कुल धनराशि 709221=00 कोषबही व्यय-प्रमाणकों एवं निर्माण कार्य पत्रावलियों (कार्य योजना अनुमानित व्यय प्राक्कलन तकनीकी प्रशासनिक वितीय स्वीकृत वर्क आई. डी. कैश मेमो / विल वाउचर्स व्यय प्रमाणक माप पुस्तिका मस्टर रोल कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र फोटोग्राफ मानदेय पंजिका स्टाक रजिस्टर सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर हैंडपंप मरम्मत प्रार्थना पत्र हैंडपंप रिबोर जल निगम द्वारा सत्यापित सूची टेण्डर / कोटेशन पत्रावली सक्षम द्वारा वितीय स्वीकृत आदि अभिलेख लेखा परीक्षा / समीक्षा के दौरान अप्रस्तुत रहा) अन्य सम्यक अभिलेखों के अभाव में अपुष्ट रही। अतएव उक्त के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते सम्यक अभिलेखों से पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। उ० प्र० पंचायती राज लेखा मैनुअल पृ. सं- 36 के पैरा -8 (क) में दी गई व्ययस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुये इसकी वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती शिवदेवी से रु0 35461=50 तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री शीतान्शु रु0 354610=00 से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-137 ग्राम पंचायत-बगहा विकास खण्ड-सलोन

ग्राम पंचायत बगहा के वितीय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत की ऑनलाइन / ऑफलाइन लेखा परीक्षा में विभिन्न मदों राज्य वित्त / 14वा वित्त व 15वा वित्त से रुपये 1434755.00 का व्यय किया गया है। पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के पृष्ठ संख्या 36 के पैरा 8(क) के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-" ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित कैशबुक/व्यय पत्रावलियां (प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति वितीय स्वीकृति आई0डी० एम०बी० स्थलवार

फोटोग्राफी कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) स्टॉक एवं निर्माण रजिस्टर टेन्डर कोटेशन पत्रावलियाँ शासकीय रॉयल्टी /जीएसटी/ उपकर (सेस श्रम) आदि की कटौती एवं जमा संबंधित पत्रावलियाँ सहित उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर / व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गए। लेखा परीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व ही सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से ग्रा0वि0/पं अधिकारी से समस्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध कराये जाने को सूचित किया गया था। उक्त क्रम में 13.08.21 को लेखा परीक्षा कार्यक्रम लगाया गया परन्तु ग्राम पंचायत में राज्य वित्त / 14वा वित्त व 15वा वित्त से सम्बन्धित बैंक स्टेटमेन्ट के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख/कार्य पत्रावलियाँ/व्यय प्रमाणक स्टॉक एवं निर्माण रजिस्टर टेन्डर कोटेशन पत्रावलियाँ शासकीय रॉयल्टी /जीएसटी/ उपकर (सेस श्रम) आदि की कटौती एवं जमा संबंधित पत्रावलियाँ प्रस्तुत नहीं रहे। उक्त क्रम में पुनः सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से आडिट हेतु वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत कराने हेतु माह अक्टूबर 2021 को सूचित किया गया था फिर भी अभिलेख/कार्य पत्रावलियाँ/ व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहे। तत्पश्चात लेखापरीक्षा समाप्ति की सूचना ग्राम पंचायत अधिकारी को दी गयी थी इसके बाद भी अभिलेख नहीं उपलब्ध कराये गए अतएव लेखापरीक्षा सम्पन्न कर दी गयी इस प्रकार उक्त कार्य पत्रावलियाँ/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा ग्राम विकास अधिकारी से की जायेगी।" अतः अभिलेख / निर्माण कार्य पत्रावलियाँ/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत कर दर्शित व्यय की पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है। अभिलेख/कार्य पत्रावलियाँ/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में दर्शित व्यय धनराशि रु0 1434755.00 की नियमानुसार वसूली किये जाने हेतु प्रकरण विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती विमला देवी से रु0 663039=50 एवं प्रशासक श्री जय शंकर तिवारी से रु0 54338=00 तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री सुनील भादकर से रु0 717377=50 से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-138 ग्राम पंचायत-पारी विकास खण्ड-सलोन

ग्राम पंचायत पारी के वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत की ऑनलाइन / ऑफलाइन लेखा परीक्षा में विभिन्न मदों राज्य वित्त/ 14वा वित्त व 15वा वित्त से रुपये 3154517.00 का व्यय किया गया है।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के पृष्ठ संख्या 36 के पैरा 8(क) के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-" ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित व्ययपत्रावलियाँ (प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति वित्तीय स्वीकृति आई० डी० एम०बी० स्थलवार फोटोग्राफी कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) स्टॉक एवं निर्माण रजिस्टर टेन्डर कोटेशन पत्रावलियाँ शासकीय रॉयल्टी /जीएसटी/ उपकर (सेस श्रम) आदि की कटौती एवं जमा संबंधित पत्रावलियाँ सहित उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गए। लेखा परीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व ही सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से ग्रा0वि0/पं 0 अधिकारी से समस्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध कराये जाने को सूचित किया गया था। उक्त क्रम में 30.09.21 को लेखा परीक्षा कार्यक्रम लगाया गया परन्तु ग्राम पंचायत में राज्य वित्त/ 14वा वित्त व 15वा वित्त से सम्बन्धित बैंक स्टेटमेन्ट के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख / कार्य पत्रावलियाँ/व्यय प्रमाणक स्टॉक एवं निर्माण रजिस्टर टेन्डर कोटेशन पत्रावलियाँ शासकीय रॉयल्टी /जीएसटी/ उपकर (सेस श्रम) आदि की कटौती एवं जमा संबंधित पत्रावलियाँ प्रस्तुत नहीं रहे। उक्त क्रम में पुनः सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से आडिट हेतु वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत कराने हेतु माह दिसम्बर 2021 को सूचित किया गया था फिर भी अभिलेख/कार्य पत्रावलियाँ/व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहे। तत्पश्चात लेखापरीक्षा समाप्ति की सूचना ग्राम पंचायत अधिकारी को दी गयी थी इसके बाद भी अभिलेख नहीं उपलब्ध कराये गए अतएव लेखापरीक्षा ई-ग्राम स्वराज पर दर्शित व्यय के आधार पर सम्पन्न

कर दी गयी इस प्रकार उक्त कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8 (क) 1 के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि न मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा ग्राम विकास अधिकारी से की जायेगी।" अतः अभिलेख / निर्माण कार्य पत्रावलियां/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत कर दर्शित व्यय की पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है। अभिलेख / कार्य पत्रावलियां/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में दर्शित व्यय धनराशि ₹0 3154517.00 की नियमानुसार वसूली किये जाने हेतु प्रकरण विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। तथा इसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती शांती देवी से ₹0 1364295=00 एवं जय शंकर तिवारी से ₹0 212963=50 तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुनील भादकर से ₹0 1577258=50 की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-139 ग्राम पंचायत-सलोन देहात विकास खण्ड-सलोन

ग्राम पंचायत सलोन देहात के वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत की ऑनलाइन / ऑफलाइन लेखा परीक्षा में विभिन्न मदों राज्य वित्त / 14वा वित्त व 15वा वित्त से रुपये 3841915.00 का व्यय किया जाना दर्शित है उक्त व्यय के सापेक्ष ऑनलाइन उपलब्ध निर्माण कार्य पत्रावलियों व अन्य ऑनलाइन व्यय कार्यों के व्यय प्रमाणकों से ग्राम प्रधान के परिवार के सदस्यों द्वारा संचालित निजी फर्मों चंदन इन्टरप्राइजेज सलोन व पटेल सिमेन्ट पाइप एवं ब्रिक्स उद्योग सलोन में क्रमशः- ₹0 3198303.00 व ₹0 126900 इसप्रकार कुल ₹0- 3325203.00 का व्यय भुगतान दर्शित रहा।

ऑफलाइन लेखा परीक्षा में उक्त व्यय के सापेक्ष अपेक्षित अभिलेख प्राक्कलन व्यय प्रमाणक बिल वाउचर वित्तीय तकनीकी प्रशासनिक स्वीकृति एम बी कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र स्टॉक एवं निर्माण रजिस्टर टेन्डर कोटेशन पत्रावली शासकीय रॉयल्टी जीएसटी श्रम उपकर सेस आदि की कटौती एवं जमा संबंधी पत्रावलियाँ आदि अभिलेख जांच समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके अभाव में आलोच्य वर्ष में उक्त मदों में उक्त फर्मों को भुगतानित धनराशियों की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतएव सम्यक अभिलेखों से उक्त पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है अन्यथा कि स्थिति में जिला पंचायत सेवा नियमावली 1970 के पैरा के 54 के अनुसार "पिता- पितामह ससुर चाचा या मामा पुत्र पौत्र भाई भतीजा या भांजा सगा चचेरा मेरा या पत्नी का भाई और बहनोई पति पति का भाई पत्नी की बहन पुत्री पौत्री भांजी भतीजी मामी चाची आदि परिवार/संबंधी किसी के फर्मों को आपूर्ति अथवा अन्य कार्य हेतु बेन्डर के रूप में पंजीकरण प्रतिषेधित है" का व्यतिक्रम किया जाना सम्पूर्ण भुगतानित धनराशि को गबन / अपहरण मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं प्रशासक और ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी से दायित्वानुरूप की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-140 ग्राम पंचायत-सलोन देहात विकास खण्ड-सलोन

ग्राम पंचायत सलोन देहात के वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत की ऑनलाइन / ऑफलाइन लेखा परीक्षा में विभिन्न मदों राज्य वित्त / 14वा वित्त व 15वा वित्त से रुपये 3841915.00 का व्यय किया गया है।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के पृष्ठ संख्या 36 के पैरा 8(क) के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है- "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां (प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति वित्तीय स्वीकृति आई0 डी0 एम०बी० स्थलवार फोटोग्राफी कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) स्टॉक एवं निर्माण रजिस्टर टेन्डर कोटेशन पत्रावलियाँ शासकीय रॉयल्टी /जीएसटी/ उपकर (सेस श्रम) आदि की कटौती एवं जमा संबंधित पत्रावलियाँ सहित उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गए। लेखा परीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व ही सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से गा0वि0/पं0 0 अधिकारी से समस्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध कराये जाने को सूचित किया गया था। उक्त क्रम में 20.11.21 को लेखा परीक्षा कार्यक्रम लगाया गया परन्तु ग्राम पंचायत में राज्य वित्त/14 वा वित्त व 15वा वित्त से सम्बन्धित

बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक स्टॉक एवं निर्माण रजिस्टर टेन्डर कोटेशन पत्रावलियाँ शासकीय रॉयल्टी / जीएसटी/ उपकर (सेस श्रम) आदि की कटौती एवं जमा संबंधित पत्रावलियाँ प्रस्तुत नहीं रहे। उक्त क्रम में पुनः सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से आडिट हेतु वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत कराने हेतु माह दिसम्बर 2021 को सूचित किया गया था फिर भी अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहे। तत्पश्चात लेखापरीक्षा समाप्ति की सूचना ग्राम पंचायत अधिकारी को दी गयी थी इसके बाद भी अभिलेख नहीं उपलब्ध कराये गए अतएव लेखापरीक्षा सम्पन्न कर दी गयी इस प्रकार उक्त कार्य पत्रावलियां / व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8 (क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा ग्राम विकास अधिकारी से की जायेगी।" अतः अभिलेख/निर्माण कार्य पत्रावलियां/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत कर दर्शित व्यय की पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है। अभिलेख / कार्य पत्रावलियां / व्ययप्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में दर्शित व्यय धनराशि ₹0 3841915.00 की नियमानुसार • वसूली किये जाने हेतु प्रकरण विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। तथा इसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती गेंदा देवी एवं प्रशासक श्री जय शंकर तिवारी से ₹0 148075=50 तथा ग्राम पंचायत श्री सुनील भादकर से ₹0 1920957=50 से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-141 ग्राम पंचायत-खैरहनी पहाड़गढ़ विकास खण्ड-सलोन

ग्राम पंचायत खैरानी पहाड़गढ़ के वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत की ऑनलाइन / ऑफलाइन लेखा परीक्षा में विभिन्न मदों राज्य वित्त / 14वा वित्त व 15वा वित्त से रुपये 2213178.00 का व्यय किया गया है।

पंचायती राज विभागउत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के पृष्ठ संख्या 36 के पैरा 8 (क) के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-"ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये।" परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां (प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति वित्तीय स्वीकृति आई0 डी0 एम०बी० स्थलवार फोटोग्राफी कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) स्टॉक एवं निर्माण रजिस्टर टेन्डर कोटेशन पत्रावलियाँ शासकीय रॉयल्टी / जीएसटी/ उपकर (सेस श्रम) आदि की कटौती एवं जमा संबंधित पत्रावलियाँ सहित उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर / व्यय प्रमाणक व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गए। लेखा परीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व ही सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से ग्रा0वि0/पं0 अधिकारी से समस्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध कराये जाने को सूचित किया गया था। उक्त क्रम में 13.08.21 को लेखा परीक्षा कार्यक्रम लगाया गया परन्तु ग्राम पंचायत में राज्य वित्त / 14वा वित्त व 15वा वित्त से सम्बन्धित बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख / कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक स्टॉक एवं निर्माण रजिस्टर टेन्डर कोटेशन पत्रावलियाँ शासकीय रॉयल्टी / जीएसटी/ उपकर (सेस श्रम) आदि की कटौती एवं जमा संबंधित पत्रावलियाँ प्रस्तुत नहीं रहे। उक्त क्रम में पुनः सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से आडिट हेतु वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत कराने हेतु माह अक्टूबर 2021 को सूचित किया गया था फिर भी अभिलेख / कार्य पत्रावलियां / व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहे। तत्पश्चात लेखापरीक्षा समाप्ति की सूचना ग्राम पंचायत अधिकारी को दी गयी थी इसके बाद भी अभिलेख नहीं उपलब्ध कराये गए अतएव लेखापरीक्षा सम्पन्न कर दी गयी इस प्रकार उक्त कार्य पत्रावलियां/ व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8 (क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा ग्राम विकास अधिकारी से की जायेगी।" अतः अभिलेख / निर्माण कार्य पत्रावलियां / व्ययप्रमाणक प्रस्तुत कर दर्शित व्यय की पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है। अभिलेख/कार्य पत्रावलियां / व्ययप्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में दर्शित व्यय धनराशि ₹0 2213178.00 की नियमानुसार वसूली किये जाने हेतु प्रकरण विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। तथा इसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती प्रतिभा

शुक्ला एवं प्रशासक श्री जय शंकर तिवारी से रु0 236143=00 तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री आलोक से 1106580=00 की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-142 ग्राम पंचायत-बघौला विकास खण्ड-सलोन

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत की ऑनलाइन/ऑफलाइन लेखा परीक्षा में निम्नांकित तालिका (01) में वर्णित ह्यूमपाइप क्रय हेतु व्यय रु. 409857.00 के सापेक्ष अपेक्षित अभिलेख प्राक्कलन व्यय प्रमाणक बिल वाउचर वित्तीय तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति एम बी कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र स्टॉक एवं निर्माण रजिस्टर कोटेशन/टेंडर पत्रावली जीएसटी स्थलवार फोटोग्राफी लाभार्थी की सूची पत्रावलियाँ आदि अभिलेख जांच समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके अभाव में आलोच्य वर्ष में ह्यूमपाइप के ग्राम पंचायत में आने एवं उपयोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। अन्यथा की स्थिति में लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8 (क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री हरिमोहन से रु0 204928=50 तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री आलोक रंजना सिंह से रु0 204928=50 की जानी अपेक्षित है।

तालिका - 01

क्र.	दिनांक	कार्य की आई.डी.	कार्य का विवरण	व्यय भुगतान की धनराशि	भुगतानित राशि की फर्म / व्यक्ति	अभियुक्ति
1	15/06/2020	25099938	ह्यूमपाप क्रय	132251.00	सिंह स्पन पाइप उद्योग सलोन	
2	10/08/2020	13257859	ह्यूमपाप क्रय	60435.00	सिंह स्पन पाइप उद्योग सलोन	
3	10/09/2020	20420209	ह्यूमपाप क्रय	92401.00	सिंह स्पन पाइप उद्योग सलोन	
4	29/10/2020	13257841	ह्यूमपाप क्रय	59517.00	सिंह स्पन पाइप उद्योग सलोन	
5	15/10/2020	13257841	ह्यूमपाप क्रय	65253.00	भारत सिमेन्ट पाइप उद्योग	
	योग			409857.00		

अतएव अभिलेख / निर्माण कार्य पत्रावलियां/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत कर दर्शित व्यय की पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है। अभिलेख / कार्य पत्रावलियां / व्ययप्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में दर्शित व्यय धनराशि रु0409857.00 की नियमानुसार वसूली किये जाने हेतु प्रकरण विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। तथा इसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री हरी मोहन ले रु 204928.50 तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री आलोक रंजन सिंह से रु 204928.50 की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-143 ग्राम पंचायत-लहरेपुर विकास खण्ड-सलोन

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में उक्त व्यय के सापेक्ष अपेक्षित अभिलेख प्राक्कलन व्यय प्रमाणक बिल वाउचर वित्तीय तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति एम बी कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र स्टॉक एवं निर्माण रजिस्टर कोटेशन पत्रावली जीएसटी स्थलवार फोटोग्राफी लाभार्थी कि सूची पत्रावलियाँ आदि अभिलेख जांच समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके अभाव में आलोच्य वर्ष में ह्यूमपाइप के ग्राम पंचायत में आने एवं उपयोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। अन्यथा की स्थिति में लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8 (क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी से की जायेगी।" अतः अभिलेख/निर्माण कार्य पत्रावलियां/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत कर दर्शित व्यय की पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है। अभिलेख/कार्य पत्रावलियां/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में दर्शित व्यय धनराशि रु0 136538.00 की नियमानुसार

वसूली किये जाने हेतु प्रकरण विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। तथा इसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं प्रशासक तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से दायित्वानुसार की जानी अपेक्षित है।

क्र.	दिनांक	कार्य की आई.डी.	कार्य का विवरण	व्यय भुगतान की धनराशि	भुगतानित राशि की फर्म / व्यक्ति	अभियुक्ति
1	11/11/2020	37170654	हयूमपाप क्रय	77126.00	जगदीश इन्टरप्राइजेज	
2	10/12/2020	44505770	हयूमपाप क्रय	59412.00	जगदीश इन्टरप्राइजेज	
	योग			136538.00		

अतएव सम्यक अभिलेखों से उक्त व्यय की पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है अन्यथा कि स्थिति में जिला पंचायत सेवा नियमावली 1970 के पैरा के 54 के अनुसार "पिता- पितामह ससुर चाचा या मामा पुत्र पौत्र भाई भतीजा या भांजा सगा चचेरा ममेरा या पत्नी का भाई और बहनोई पति पति का भाई पत्नी की बहन पुत्री पौत्री भांजी भतीजी मामी चाची आदि परिवार/संबंधी किसी के फर्मों को आपूर्ति अथवा अन्य कार्य हेतु बेन्डर के रूप में पंजीकरण प्रतिषेधित है" के विपरीत अपनी पारिवारिक फर्म जगदीश इन्टरप्राइजेज सलोन को किया गया है अतएव सम्पूर्ण भुगतानित धनराशि को गबन / अपहरण मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रमेश बहादुर सिंह से रु0 68269=00 और ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी शीतांशु प्रकाश से रु0 68269= 50 समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-144 ग्राम पंचायत-रंजीतपुर लोनारी विकास खण्ड-डलमऊ आपति सं०

आपति - केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि ग्राम पंचायत के खाते में न भेजकर व्यक्तिगत खाते में भेजना

1- 15 वें वित्त आयोग की धनराशि की कार्य योजना क्रियान्वयन व भुगतान के संबंध में दिशा निर्देश पंचायती राज अनुभाग -3 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के शासनादेश सं 0 1817/33-3-2020-33/2020 दिनांक 24 जुलाई 2020 के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं द्वारा 15 वें वित्त आयोग की धनराशि की कार्य योजना क्रियान्वयन भुगतान आदि की कार्यवाही पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर (ई ग्राम स्वराज) के माध्यम से की जाएगी ।

2- शासनादेश उपरोक्त के बिन्दु 6.1 के अनुसार यह धनराशि 15 व वित्त आयोग के लिए खोले गये बैंक खाते में ही भेजी जाएगी। परंतु ग्राम पंचायत रंजीतपुर लोनारी वि० ख० डलमऊ में 15 वें वित्त आयोग की धनराशि ग्राम पंचायत के खाता सं० 48370100011265 में हस्तांतरित न होकर श्री राहुल मौर्य पुत्र श्री राम आधार मौर्य निवासी ग्राम पंचायत गोविन्दपुर भीरा के खाता सं० 48370100011262 में समस्त धनराशि रु 0 474289.00 अक्षरन चार लाख चौहत्तर हजार दो सौ नवासी रुपया हस्तांतरित कर दिया गया । यह स्पष्ट रूप से उक्त शासनादेश का उल्लंघन है। यह गंभीर वित्तीय अनियमितता का भी द्योतक है।

3- ग्राम पंचायत रंजीतपुर लोनारी का केन्द्रीय वित्त से धनराशि प्राप्त करने का खाता सं 48370100011265 है किन्तु खाता सं० 48370100011262 में केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि प्राप्त हो रही है। उक्त खाता ग्राम पंचायत रंजीतपुर लोनारी का केन्द्रीय वित्त खाता न होकर श्री राहुल मौर्य पुत्र श्री राम आधार मौर्य निवासी गोविन्दपुर भीरा के नाम पर है। ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रेमचंद्र एवं सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) श्री श्रवण कुमार श्रीवस्ताव के द्वारा यह अवगत कराया गया की खाते की मैपिंग त्रुटिवश हो गई है। परिणामस्वरूप वर्ष 2020-21 में केन्द्रीय वित्त की सम्पूर्ण धनराशि श्री राहुल मौर्य पुत्र श्री राम आधार मौर्य निवासी गोविन्दपुर भीरा उपरोक्त के खाते में प्राप्त होती रही है।

खाता संख्या 48370100011262 श्री राहुल मौर्य पुत्र श्री राम आधार मौर्य का विवरण

दिनांक	धनराशि

09/07/2020	117676.00
29/07/2020	117949.00
01/08/2020	209.00
04/11/2020	1166.00
01/02/2021	07.00
12/02/2021	118641.00
31/03/2021	118641.00
वर्षांत अवशेष	474289.00

ग्राम निधि केन्द्रीय वित्त खाता संख्या 48370100011265 का विवरण

ग्राम पंचायत रंजीतपुर लोनारी में खाता संख्या 48370100011262 से प्राप्त हस्तांतरित धनराशि

दिनांक	धनराशि
19/10/2020	192834.00
08/11/2020	188.00
05/02/2021	1336.00
26/03/2021	118641.00
वर्षांत अवशेष	312999.00

इस प्रकार कथित त्रुटिवश मैपिंग के कारण केन्द्रीय वित्त की धनराशि वर्ष 2020-21 में 50 474289.00 अक्षरन चार लाख चौहत्तर हजार दो सौ नवासी रुपया राहुल मौर्य उपरोक्त के खाता सं0 48370100011262 में प्राप्त हुई और पुनः राहुल मौर्य के खाते से विभिन्न तारीखों में मात्र रु0 312999.00 अक्षरन तीन लाख बारह हजार नौ सौ निन्यानबे रुपये ग्राम पंचायत रंजीतपुर लोनारी केन्द्रीय वित्त खाता सं0 48370100011265 में हस्तांतरित किए गये इस प्रकार शेष रुपया 161290.00 अक्षरन एक लाख इकसठ हजार दो सौ नब्बे रुपये 31 मार्च 2021 तक ग्राम पंचायत रंजीतपुर लोनारी को प्राप्त नहीं हुए। इस त्रुटि एवं खाते की गलत मैपिंग के कारण ग्राम पंचायत के खाते में पैसा प्राप्त नहीं हुआ। जिसके लिए ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रेमचंद्र सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) श्री श्रवण कुमार श्रीवास्तव एवं तत्कालीन जिला पंचायत राज अधिकारी श्री उपेन्द्र राज उत्तरदायी हैं। इन समस्त अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि त्रुटिवश खाते की मैपिंग हो गई जो कि कार्य के प्रति उदासीनता एवं गंभीर वित्तीय अनुशासन का उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त कथित त्रुटि को दूर करने और उक्त व्यक्ति से समस्त सरकारी धनराशि को वसूल करने हेतु कोई प्रभावी और सार्थक प्रयास श्री उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा किया जाना परिलक्षित नहीं होता है। उक्त कथित त्रुटि का ज्ञान होते ही खाते को सीज करने अथवा त्रुटि दूर होने तक खाते से धनराशि लेन देन रोकने की भी कार्यवाही परिलक्षित नहीं होती है। इस गंभीर वित्तीय अनियमितता के कारण ग्राम पंचायत के विकास कार्यों पर निम्न प्रभाव पड़ा

- 1) वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत रंजीतपुर लोनारी में पंद्रहवें वित्त आयोग से प्राप्त एक भी पैसा विकास कार्य के लिए खर्च नहीं हुआ ।
- 2) सरकार की महत्वपूर्ण योजना (खुले में शौच से मुक्ति का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सका। ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय निर्माण का कार्य पूर्ण नहीं हो पाया ।
- 3) सरकार की मंशा के विपरीत ग्राम पंचायत के विकास हेतु प्रदत्त धनराशि जिम्मेदारों के हाथों में पेंडुलम की भांति इधर से उधर होती रह गई।

1-ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 ऑडिट के वृहद बिन्दु-11 के अनुसार संप्रेक्षण के दौरान ग्राम प्रधान तथा सचिव के द्वारा संप्रेक्षण दल को निम्नलिखित बिंदुओं पर सूचना दी जाएगी

क- ग्राम पंचायत द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया नियमावली के किसी नियम अथवा संविधान के किसी अनुच्छेद के विपरीत नहीं है।

ख- किये गए व्यय में वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का उल्लंघन नहीं हुआ है।

2- ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 5 वित्तीय औचित्य के सिद्धान्त बिन्दु 3 के अनुसार व्यय करते

समय यह भी देखना अति आवश्यक है कि वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। वित्तीय औचित्य के सिद्धान्त निम्नलिखित हैं -

क- निधि से किसी मद में उतनी ही धनराशि व्यय की जाए जितनी उस समय आवश्यक है। व्यय करते समय उतनी सावधानी एवं सतर्कता बरती जाए जितनी एक सामान्य बुद्धि एवं विवेकशील व्यक्ति द्वारा अपनी स्वयं की धनराशि व्यय करने में बरती जाती है।

ख- निधि से व्यय किसी व्यक्ति विशेष, वर्ग विशेष अथवा समुदाय विशेष के लाभ के लिए न होकर सभी के हितार्थ हो ।

ग- प्रश्नगत व्यय स्वीकृतकर्ता व्यक्ति / प्राधिकारी के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभार्थ न हो। तात्पर्य यह है कि यदि स्वीकृतकर्ता अधिकारी प्रस्तावित व्यय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होता है तो इस स्थिति में प्रस्तावित व्यय का भुगतान किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितता होगी। अतः आदि के रूप में किए जाने वाले भुगतान में यह भी देखा जाना आवश्यक है कि उक्त भता भुगतान प्राप्तकर्ता के लाभ का सौतन ही अर्थात् इस तरह के भुगतानों में यह सुनिश्चित किया जाना है कि भुगतान उतना ही किया जाए जितना वास्तव में व्यय किया गया है जिससे प्रतिपूर्ति वास्तव में व्यय की गई धनराशि से अधिक न हो और लाभ का साधन न बने। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि रु0 161290.00 की वसूली मय ब्याज समान मात्रा में ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रेमचंद्र सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) श्री श्रवण कुमार श्रीवास्तव तथा तत्कालीन जिला पंचायत राज अधिकारी श्री उपेन्द्र राज से अपेक्षित है। कथित बुटिवश खाता मैपिंग के लिए इन सभी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। इस तरफ उच्चाधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है की उक्त वित्तीय हेर-फेर की धनराशि रु0 161290.00 को समान मात्र में श्री उपेन्द्र राज जिला पंचायत राज अधिकारी से रु 53763.00 सहायक विकास अधिकारी श्री श्रवण कुमार श्रीवास्तव से रु 53763.00 तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रेमचंद से रु 53763.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-145 ग्राम पंचायत- सिकंदरपुर विकास खण्ड-महाराजगंज आपति सं०

1- पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-"ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" परन्तु लेखा परीक्षा में कतिपय कार्य/मदों से सम्बन्धित पत्रावलि (कार्यवाही पंजिका अनुमोदित कार्य योजना प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति मापी कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र स्टॉक रजिस्टर परिसंपत्ति रजिस्टर) एवं उन पर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्यों पर दर्शित व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	कार्य का नाम	दिनांक	दर्शित व्यय धनराशि	फर्म जिसको भुगतान किया गया जाना

1	नाली निर्माण काली के थान से शिवाले नाला तक	11.05.2020	64750.00	जायेश एण्ड कंपनी
2	नाली निर्माण ओम प्रकाश के घर से डामर रोड तक	27.05.2020	88250.00	जायेश एण्ड कंपनी
3	नाली निर्माण औसान के दरवाजे से खलिहान तक	08.06.2020	96018.00	जायेश एण्ड कंपनी
4	नाली मरम्मत आकाश के घर से शिवाला तालाब तक	03.09.2020	56380.00	सिंह ट्रेडर्स
5	कायाकल्प प्राथमिक विड्यालय मूंगताल	03.09.2020	86780.00	जायेश एण्ड कंपनी
6	नाली निर्माण डामर रोड से पौधशाला तालाब तक	04.11.2020 04.11.2020	48250.00 84700.00	जायेश एण्ड कंपनी जायेश एण्ड कंपनी
7	नाली निर्माण अनिल तिवारी के घर से तालाब तक	13.11.2020	98950.00	जायेश एण्ड कंपनी
8	नाली निर्माण रामेश्वर के घर से तालाब तक	04.01.2021	98475.00	जायेश एण्ड कंपनी
	क्रम 1 से 8 तक राज्य वित्त मद से	योग	722553.00	
9	खडंजा निर्माण अमर सिंह के दरवाजे से काली माता मंदिर तक	03.10.2020	96750.00	खान ब्रिक फील्ड
10	खडंजा निर्माण डामर रोड से हरिजन बस्ती तक	03.10.2020	96750.00	खान ब्रिक फील्ड
11	नाली निर्माण छंगु के घर से नाला तक	03.10.2020 03.10.2020	92350.00 97020.00	संजय ट्रेडर्स खान ब्रिक फील्ड
12	नाली निर्माण शिवबालक के घर से डामर रोड तक	06.10.2020	73890.00	जायेश एण्ड कंपनी
13	नाली निर्माण बैजनाथ के घर से रामपाल तक	06.10.2020	93950.00	सिंह ट्रेडर्स
14	नाली निर्माण गणेश शंकर के घर से तलिया तक	06.10.2020	97450.00	जायेश एण्ड कंपनी
15	कूप मरम्मत रामकुमार आदि	15.10.2020	79900.00	जायेश एण्ड कंपनी
	क्रम 9 से 15 तक केन्द्रीय वित्त मद से		728060.00	
		कुल योग	1450613.00	

इस प्रकार उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। यह भी उल्लेखनिय है की प्रस्तुत कोष बही के अनुसार निर्माण कार्य क्रमांक 2 व 4 को छोड़कर श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान भी नहीं किया गया है। इस प्रकार लेखा परीक्षा में कार्य का कराया जाना प्रमाणित नहीं रहा। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8 (क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।" इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रु. 2083693.00 लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अन्तर्गत अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है जिसके लिए ग्रा0वि0अधिकारी श्री अरुण कुमार तथा ग्राम प्रधान सरोजनी सिंह उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रु० 2083693.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रु० 1041846.50

ग्रा0वि0अधिकारी श्री अरुण कुमार से तथा रू0 1041846.50 ग्राम प्रधान राजेश्वरी सिंह से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

जनपद सीतापुर

ग्राम पंचायत- जैनपुर सोहरैय्या

विकास खंड- खैराबाद

प्रस्तर संख्या -01- आलोच्य वर्ष में पासबुक के अनुसार दिनांक 30/03/2021 को खाता संख्या 59001288057 से रु 49837=00 का आहरण /ट्रांसफर किया जाना अंकित है, किन्तु कोषबही में उक्त आहरण की प्रविष्टि नहीं की गई है। जिसके कारण आहरित धनराशि कैश बुक के बाहर रही। प्रतीत होता है कि उक्त धनराशि निजी खाते में हस्तांतरित करके उक्त धनराशि का आहरण कर अपहरण कर लिया गया है जिसके लिए सचिव श्री --दिनेश चन्द्र मिश्रा एवं प्रधानश्री जागुरता संयुक्त रूप से --उत्तरदायी है। जिसकी वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- भवानीपुर विलियम साहब

विकास खंड- खैराबाद

प्रस्तर संख्या -02- भवानीपुर विलियम साहब की वर्ष - 2020-21 की लेखा परीक्षा में कोष बही में निम्न विवरण के अनुसार विभिन्न मदों पर व्यय किया जाना दर्शित है, परंतु उक्त व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक एवं सम्बन्धित पत्रावलियाँ नियमानुसार लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। फलस्वरूप आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त व्यय की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैश बुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किए गए व्ययों का विवरण निम्नवत है।

क्रम संख्या	कैशबुक व्यय क्रमांक	दिनांक	धनराशि	भुगतान का मद
1.	11	21/11/2020	5600=00	ठेलिया मरम्मत हेतु भुगतान।
2.	21	09/12/2020	34550=00	प्रा० वि० भवानीपुर में मरम्मत कार्य हेतु गनी ट्रेडर्स को भुगतान।
3.	34	10/12/2020	15600=00	अवध इलेक्ट्रानिक्स को कुर्सी मेज क्रय हेतु भुगतान।
4.	35	10/12/2020	48400=00	बालाजी कॉन्सट्रक्शन को डस्टबिन क्रय हेतु भुगतान।
		योग	104150=00	

"ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए"। एवं खंड 8-क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी"। आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में उपरोक्त व्यय ₹ 104150=00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही जो कि उत्तरप्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन की श्रेणी में आता है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री कुलदीप श्रीवास्तव और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री दिनेश चन्द्र मिश्रा उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधा-आधा किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- अकबरपुर

विकास खंड- बेहटा

प्रस्तर संख्या -03- अकबरपुर की वर्ष - 2020-21 की लेखा परीक्षा में कोष बही में निम्न विवरण के अनुसार विभिन्न मदों पर व्यय किया जाना दर्शित है, परंतु उक्त व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक एवं सम्बन्धित पत्रावलियाँ नियमानुसार लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। फलस्वरूप आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा

उक्त व्यय की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैश बुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किए गए व्ययों का विवरण निम्नवत है।

क्रम संख्या	कैशबुक व्यय क्रमांक	दिनांक	धनराशि	भुगतान का मद
1.	अंकित नहीं	02/07/2020	76000=00	खड़जा मरम्मत हेतु देव ट्रेडिंग कंपनी को भुगतान ।
2.	अंकित नहीं	04/10/2020	21000=00	हैण्डपम्प रिबोर हेतु भुगतान ।
3.	अंकित नहीं	19/10/2020	50000=00	प्रशासनिक व्यय हेतु भुगतान ।
4.	अंकित नहीं	26/08/2020	200000=00	ग्राम पंचायत में पंचायत भवन नि० हेतु देव ट्रेडिंग कंपनी को किया गया भुगतान ।
5.	अंकित नहीं	13/10/2020	40000=000	ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाइट स्थापना पर व्यय ।
		योग	3,87,000=00	

"ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षेपण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए"। एवं खंड 8-क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी"। आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में उपरोक्त व्यय ₹3,87,000=00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही जो कि उत्तरप्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन की श्रेणी में आता है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सरवर जहां और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री साजिद अली उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधा-आधा किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- औरंगाबाद

विकास खंड- बेहटा

प्रस्तर संख्या -04- औरंगाबाद की वर्ष - 2020-21 की लेखा परीक्षा में कोष बही में निम्न विवरण के अनुसार विभिन्न मदों पर व्यय किया जाना दर्शित है, परंतु उक्त व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक एवं सम्बन्धित पत्रावलियाँ नियमानुसार लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए । फलस्वरूप आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त व्यय की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैश बुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किए गए व्ययों का विवरण निम्नवत है।

क्रम संख्या	कैशबुक व्यय क्रमांक	दिनांक	धनराशि	भुगतान का मद
1.	अंकित नहीं	09/07/2020	50016=00	हैण्डपम्प रिबोर हेतु भुगतान ।
2.	अंकित नहीं	26/07/2020	99360=00	ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाइट स्थापना पर व्यय ।
3.	अंकित नहीं	02/08/2020	90000=00	ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाइट स्थापना पर व्यय ।
4.	अंकित नहीं	19/10/2020	480000=00	ग्राम पंचायत द्वारा कृषि यंत्र खरीद हेतु किया गया भुगतान ।
		योग	7,19,376=00	

"ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षेपण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए"। एवं खंड 8-क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी"। आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में उपरोक्त व्यय ₹ 7,19,376=00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही जो कि उत्तरप्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन की श्रेणी में आता है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री चेताराम और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री साजिद अली उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधा-आधा किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- गडौसा

विकास खंड- बेहटा

प्रस्तर संख्या -05- गडौसा की वर्ष - 2020-21 की लेखा परीक्षा में कोष बही में निम्न विवरण के अनुसार विभिन्न मदों पर व्यय किया जाना दर्शित है, परंतु उक्त व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक एवं सम्बन्धित पत्रावलियाँ नियमानुसार लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। फलस्वरूप आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त व्यय की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैश बुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किए गए व्ययों का विवरण निम्नवत है।

क्रम संख्या	कैशबुक व्यय क्रमांक	दिनांक	धनराशि	भुगतान का मद
1.	पी-06,07	05/12/2020	119000=00	ग्राम प्रधान मानदेय हेतु भुगतान 2) वर्ष (माह 10
2.	पी-10,11,12	27/12/2020	95212=00	इन्टर लॉकिंग कार्य हेतु भुगतान राम नरेश के मकान से राम) (प्रकाश के मकान तक
3.	पी-05,10	29/03/2021	108700=00	इंडिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर हेतु भुगतान
4.	पी-11	06/12/2020	300000=00	ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय नि० हेतु सामग्री क्रय भुगतान
		योग	6,22,912=00	

"ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षेपण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए"। एवं खंड 8-क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी"। आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में उपरोक्त व्यय ₹ 6,22,912=00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही जो कि उत्तरप्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन की श्रेणी में आता है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती जमुना देवी और

तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री धर्मेन्द्र कुमार उत्तरदायी हैं।नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधा-आधा किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- गौर चौखरिया

विकास खंड- बेहटा

प्रस्तर संख्या -06- गौर चौखरिया की वर्ष - 2020-21 की लेखा परीक्षा में कोष बही में निम्न विवरण के अनुसार विभिन्न मदों पर व्यय किया जाना दर्शित है, परंतु उक्त व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक एवं सम्बन्धित पत्रावलियाँ नियमानुसार लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। फलस्वरूप आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त व्यय की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैश बुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किए गए व्ययों का विवरण निम्नवत है।

क्रम संख्या	कैशबुक व्यय क्रमांक	दिनांक	धनराशि	भुगतान का मद
1.	अंकित नहीं	29/06/2020	59540=00	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु भुगतान।
2.	अंकित नहीं	15/07/2020	81466=00	इंडिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर हेतु मौर्या इन्टर प्रा० को भुगतान।
.3	अंकित नहीं	03/11/2020	178000=00	खड़जा मरम्मत हनीम के मकान) (से बरकत अली के मकान तक)
.4	अंकित नहीं	05/12/2020	35000=00	प्रशासनिक व्यय भुगतान।
.5	अंकित नहीं	07/10/2020	300000=00	ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय नि० हेतु भुगतान।
		योग	654006=00	

"ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए"। एवं खंड 8-क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी"। आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में उपरोक्त व्यय **₹6,54,006=00** के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही जो कि उत्तरप्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन की श्रेणी में आता है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान **श्रीमती मैना देवी** और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव **श्री साजिद अली** उत्तरदायी हैं।नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधा-आधा किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- चंदीभानपुर

विकास खंड- बेहटा

प्रस्तर संख्या -07- चंदीभानपुर की वर्ष - 2020-21 की लेखा परीक्षा में कोष बही में निम्न विवरण के अनुसार विभिन्न मदों पर व्यय किया जाना दर्शित है, परंतु उक्त व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक एवं सम्बन्धित पत्रावलियाँ नियमानुसार लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। फलस्वरूप आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त व्यय की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैश बुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किए गए व्ययों का विवरण निम्नवत है।

क्रम संख्या	कैशबुक व्यय क्रमांक	दिनांक	धनराशि	भुगतान का मद
1.	अंकित नहीं	20/04/2020	189000=00	इंडिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर हेतु देव ट्रेडिंग कंपनी को भुगतान।

2.	अंकित नहीं	25/08/2020	250000=00	ग्राम पंचायत मे सामुदायिक शौचालय नि० हेतु देव ट्रेडिंग कंपनी को किया गया भुगतान ।
		योग	00=4,39,000	

"ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षेपण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए"। एवं खंड 8-क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी"। आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में उपरोक्त व्यय ₹439000=00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही जो कि उत्तरप्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन की श्रेणी में आता है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राम सिंह और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री साजिद अली उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधा-आधा किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- डयोरिडीह

विकास खंड- बेहटा

प्रस्तर संख्या -08- डयोरिडीह की वर्ष - 2020-21 की लेखा परीक्षा में कोष बही में निम्न विवरण के अनुसार विभिन्न मदों पर व्यय किया जाना दर्शित है, परंतु उक्त व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक एवं सम्बन्धित पत्रावलियाँ नियमानुसार लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए । फलस्वरूप आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त व्यय की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैश बुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किए गए व्ययों का विवरण निम्नवत है।

क्रम संख्या	कैशबुक व्यय क्रमांक	दिनांक	धनराशि	भुगतान का मद
1.	अंकित नहीं	30/04/2020	93000=00	इंडिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर हेतु शिवानी ट्रेडिंग कंपनी को भुगतान ।
2.	अंकित नहीं	19/10/2020	50000=00	प्रशासनिक व्यय हेतु भुगतान ।
3.	अंकित नहीं	07/11/2020	35000=00	इंडिया ब्रिक फील्ड को भुगतान ।
4.	अंकित नहीं	11/09/2020	100000=00	ग्राम पंचायत मे सामुदायिक शौचालय नि० हेतु देव ट्रेडिंग कंपनी को किया गया भुगतान ।
5.	अंकित नहीं	11/10/2020	40500=00	ग्राम पंचायत मे सामुदायिक शौचालय नि० हेतु अब्दुल रहमान को किया गया मजदूरी भुगतान ।
		योग	3,18,500=00	

"ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षेपण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए"। एवं खंड 8-क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी"। आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में उपरोक्त व्यय ₹3,18,500 =00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही जो कि उत्तरप्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा

प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन की श्रेणी में आता है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती जहीरुन निशा और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री साजिद अली उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधा-आधा किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- बसंतापुर

विकास खंड- बेहटा

प्रस्तर संख्या -09- बसंतापुर की वर्ष - 2020-21 की लेखा परीक्षा में कोष बही में निम्न विवरण के अनुसार विभिन्न मदों पर व्यय किया जाना दर्शित है, परंतु उक्त व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक एवं सम्बन्धित पत्रावलियाँ नियमानुसार लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। फलस्वरूप आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त व्यय की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैश बुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किए गए व्ययों का विवरण निम्नवत है।

क्रम संख्या	कैशबुक व्यय क्रमांक	दिनांक	धनराशि	भुगतान का मद
1.	अंकित नहीं	12/05/2020	84000=00	ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाइट स्थापना पर व्यय।
2.	अंकित नहीं	05/12/2020	30000=00	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु भुगतान।
.3	अंकित नहीं	29/03/2021	49900=00	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु मौर्या इन्टर प्राइसेस को भुगतान।
.4	अंकित नहीं	04/10/2020	350000=00	ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय नि० हेतु ओम साई इन्टर प्रा० को भुगतान।
5.	अंकित नहीं	29/03/2021	41000=00	हैण्डपम्प रिबोर हेतु भुगतान।
		योग	5,54,900=00	

"ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए"। एवं खंड 8-क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी"। आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में उपरोक्त व्यय **₹5,54,900=00** के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन की श्रेणी में आता है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती हसरततुन निशा और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री साजिद अली उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधा-आधा किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- राय मंडोर

विकास खंड- बेहटा

प्रस्तर संख्या -10- राय मंडोर की वर्ष - 2020-21 की लेखा परीक्षा में कोष बही में निम्न विवरण के अनुसार विभिन्न मदों पर व्यय किया जाना दर्शित है, परंतु उक्त व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक एवं सम्बन्धित पत्रावलियाँ नियमानुसार लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। फलस्वरूप आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा

उक्त व्यय की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैश बुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किए गए व्ययों का विवरण निम्नवत है।

क्रम संख्या	कैशबुक व्यय क्रमांक	दिनांक	धनराशि	भुगतान का मद
1.	अंकित नहीं	08/06/2020	55000=00	प्रशासनिक व्यय हेतु देव इन्फो टेक को भुगतान ।
2.	अंकित नहीं	21/06/2020	20000=00	प्रशासनिक व्यय हेतु देव इन्फो टेक को भुगतान ।
3.	अंकित नहीं	29/06/2020	30000=00	प्रशासनिक व्यय हेतु देव इन्फो टेक को भुगतान ।
4.	अंकित नहीं	20/12/2020	79497=00	हैण्डपम्प रिबोर हेतु भुगतान ।
5.	अंकित नहीं	26/12/2020	90000=00	ग्राम पंचायत में खड़जा मरम्मत हेतु भुगतान ।
6.	अंकित नहीं	09/09/2020	300000=00	सामुदायिक शौ० नि० हेतु ओम साई इन्टर प्रा० को भुगतान ।
		योग	5,74,497=00	

"ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए"। एवं खंड 8-क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी"। आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में उपरोक्त व्यय ₹ 5,74,497=00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही जो कि उत्तरप्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन की श्रेणी में आता है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती बनिया देवी और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री साजिद अली उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधा-आधा किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- सिकरी बेहटा

विकास खंड- बेहटा

प्रस्तर संख्या -11-- सिकरी बेहटा की वर्ष - 2020-21 की लेखा परीक्षा में कोष बही में निम्न विवरण के अनुसार विभिन्न मदों पर व्यय किया जाना दर्शित है, परंतु उक्त व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक एवं सम्बन्धित पत्रावलियाँ नियमानुसार लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए । फलस्वरूप आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त व्यय की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैश बुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किए गए व्ययों का विवरण निम्नवत है।

क्रम संख्या	कैशबुक व्यय क्रमांक	दिनांक	धनराशि	भुगतान का मद
1.	अंकित नहीं	24/06/2020	94600=00	ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाइट स्थापना पर व्यय ।
2.	अंकित नहीं	24/07/2020	95000=00	ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाइट स्थापना पर व्यय ।
3.	अंकित नहीं	11/11/2020	73970=00	ग्राम पंचायत में खड़जा नि० हेतु सामग्री क्रय ।
4.	अंकित नहीं	29/09/2020	341000=00	सामुदायिक शौ० नि० हेतु देव ट्रेडिंग कंपनी को भुगतान ।
5.	अंकित नहीं	29/09/2020	40500=00	सामुदायिक शौ० नि० हेतु मजदूरी भुगतान ।
		योग	6,45,070=00	

"ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में

अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए"। एवं खंड 8-क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी"। आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में उपरोक्त व्यय ₹ 6,45,070=00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही जो कि उत्तरप्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन की श्रेणी में आता है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती माया और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री साजिद अली उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधा-आधा किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- सेतुही

विकास खंड- बेहटा

प्रस्तर संख्या -12- सेतुही की वर्ष - 2020-21 की लेखा परीक्षा में कोष बही में निम्न विवरण के अनुसार विभिन्न मदों पर व्यय किया जाना दर्शित है, परंतु उक्त व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक एवं सम्बन्धित पत्रावलियाँ नियमानुसार लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। फलस्वरूप आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त व्यय की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैश बुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किए गए व्ययों का विवरण निम्नवत है।

क्रम संख्या	कैशबुक व्यय क्रमांक	दिनांक	धनराशि	भुगतान का मद
1.	अंकित नहीं	26/07/2020	58800=00	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु शिवानी ट्रेडिंग कंपनी को भुगतान।
2.	अंकित नहीं	19/09/2020	30000=00	स्टेशनरी व प्रशासनिक व्यय हेतु महादेव इन्टर प्रा० को भुगतान।
.3	अंकित नहीं	11/10/2020	170000=00	ग्राम पंचायत हेतु नाव खरीद पर व्यय।
.4	अंकित नहीं	19/12/2020	322000=00	ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु ओम साई इन्टर प्रा० को भुगतान।
		योग	5,80,800=00	

"ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए"। एवं खंड 8-क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी"। आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में उपरोक्त व्यय ₹5,80,800=00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही जो कि उत्तरप्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन की श्रेणी में आता है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती उषा भार्गव और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री साजिद अली उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधा-आधा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या -13- गुनिया खुर्द की वर्ष - 2020-21 की लेखा परीक्षा में कोष बही में निम्न विवरण के अनुसार विभिन्न मदों पर व्यय किया जाना दर्शित है, परंतु उक्त व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक एवं सम्बन्धित पत्रावलियाँ नियमानुसार लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। फलस्वरूप आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त व्यय की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैश बुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किए गए व्ययों का विवरण निम्नवत है।

क्रम संख्या	कैशबुक क्रमांक	दिनांक	धनराशि	भुगतान का मद
1.	पी-03	28/04/2020	35000=00	ग्राम पंचायत में प्रशासनिक कार्य हेतु भुगतान।
2.	पी-05,06	02/11/2020	50000=00	इंडिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर हेतु भुगतान।
3.	पी-22	27/12/2020	52200=00	इंडिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर हेतु भुगतान।
4.	पी-15	27/12/2020	35000=00	ग्राम पंचायत में खड़जा मरम्मत हेतु सामग्री क्रय भुगतान।
.5	पी-02	14/10/2020	300000=00	ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय नि० हेतु सामग्री क्रय भुगतान।
.6	पी-04	31/10/2020	50000=00	ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय नि० हेतु मजदूरी भुगतान।
		योग	5,222,00=00	

"ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रमाण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए"। एवं खंड 8-क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी"। आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में उपरोक्त व्यय ₹ 522200=00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही जो कि उत्तरप्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन की श्रेणी में आता है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कमला भारती और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री धर्मेन्द्र कुमार उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधा-आधा किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- किशुनपुर

विकास खंड- लहरपुर

प्रस्तर संख्या -14- आलोच्य वर्ष- 2020 21 में ग्राम पंचायत- किशुनपुर की कोषबही में निम्न विवरण के अनुसार व्यय अंकित किए गए हैं, परन्तु व्यय / व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक एवं संबंधित पत्रावलियाँ आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। जिससे दर्शित व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी।

क्र. सं.	दिनांक	प्र. संख्या	धनराशि	व्यय का विवरण
1	20-04-2020	05	4450=00	साधन सह सामि मरमत हेतु निविदा भुगतान।

2	19-09-2020	13	31016=00	सामग्री क्रय हेतु कटियार बिल्डिंग मटिरियल को भुगतान
3	24-11-2020	32	20880=00	वाल पेंटिंग हेतु स्टार ट्रेडिंग कंपनी को भुगतान ।
4	22-11-2020	22	100000=00	सामग्री क्रय हेतु शम्स ट्रेडर्स को भुगतान।
		कुल योग	156346=00	

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन, नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीक होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है। कि “ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेषण हेतु संप्रेषण दल को व्यय की समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि - यदि दर्शाया गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं किया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी।” उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रवालिया, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि 156346=00 को गबन में आकलित किया जाता है। जो उपरोक्त पत्रविधानों के अंतर्गत अधिभार योग है। अतः प्रमाणक विहीन किए गए व्यय की वसूली की जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्री अमरीश एवं ग्राम पंचायत तत्कालीन सचिव मो. साकीब से बराबर भाग वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- किशुनपुर

विकास खंड- लहरपुर

प्रस्तर संख्या -15- पंचायतराज अनुभाग-1 के आदेश संख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22-11-2016 के बिन्दु 2अ के अनुसार ग्राम प्रधान का मानदेय रु.2500/ माह से बढ़ा कर रु.3500/ माह कर दिया गया है। जिसका भुगतान ग्राम निधि प्रथम से किया जा रहा है। लेकिन मासिक भुगतान हेतु पंजिका का निर्माण नहीं किया जा रहा है, जिससे आलोच्य वर्ष में 42000=00 प्रधान मानदेय के रूप में भुगतान किया गया, लेखा परीक्षा में भुगतान की अवधि अज्ञात रही। जिससे किया गया भुगतान अपुष्ट रहा। आलोच्य वर्ष के साथ पूर्व के वर्षों में दिये गए मानदेय और बकाया मानदेय की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस संदर्भ में मानदेय दिये जाने में दोहराव की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है, विभागीय अधिकारियों ध्यान में मानदेय पंजिका के उपलब्ध कराये जाने की ओर आकृष्ट किया जाता है। सक्षम अधिकारी से जाँच कराते हुये अपहरित मानदेय की वसूली प्रधान श्री अमरीश एव सचिव मो. साकीब से बराबर-बराबर अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- जगमालपुर

विकास खंड- लहरपुर

प्रस्तर संख्या -16- आलोच्य वर्ष- 2020 21 में ग्राम पंचायत- जगमालपुर की कोषबही में निम्न विवरण के अनुसार व्यय अंकित किए गए हैं, परन्तु व्यय / व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक एवं संबंधित पत्रवालिया आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। जिससे दर्शित व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी।

क्र. स.	दिनांक	प्र. संख्या	धनराशि	व्यय का विवरण
1	07-08-2020	06	3500=00	प्रशा. व्यय हेतु शम्स ट्रेडर्स को भुगतान।
2	07-08-2020	07	40090=00	मिट्टी पटाई हेतु शम्स ट्रेडर्स को भुगतान।
3	23-11-2020	16	22141=00	सामग्री क्रय हेतु कटियार बिल्डिंग मटिरियल को भुगतान

4	23-11-2020	17	22148=00	सामग्री क्रय हेतु कटियार बिल्डिंग मटिरियल को भुगतान
5	24-11-2020	19	5240=00	प्रशा. व्यय हेतु शम्स ट्रेडर्स को भुगतान।
		कुल योग	93119=00	

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन, नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीक होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है। कि “ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेषण हेतु संप्रेषण दल को व्यय की समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि - यदि दर्शाया गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं किया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी।” उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रवालिया, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि 93119=00 को गबन में आकलित किया जाता है। जो उपरोक्त पत्रविधानों के अंतर्गत अधिभार योग है। अतः प्रमाणक विहीन किए गए व्यय की वसूली की जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्री इन्द्रबलि एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव मो. साकीब से बराबर भाग वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- जगमालपुर

विकास खंड- लहरपुर

प्रस्तर संख्या -17- पंचायतराज अनुभाग-1 के आदेश संख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22-11-2016 के बिन्दु2अ के अनुसार ग्राम प्रधान का मानदेय रु.2500/ माह से बढ़ा कर रु.3500/ माह कर दिया गया है। जिसका भुगतान ग्राम निधि प्रथम से किया जा रहा है। लेकिन मासिक भुगतान हेतु पंजिका का निर्माण नहीं किया जा रहा है, जिससे आलोच्य वर्ष में 10500=00 प्रधान मानदेय के रूप में भुगतान किया गया, लेखा परीक्षा में भुगतान की अवधि अज्ञात रही। जिससे किया गया भुगतान अपुष्ट रहा। आलोच्य वर्ष के साथ पूर्व के वर्षों में दिये गए मानदेय और बकाया मानदेय की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस संदर्भ में मानदेय दिये जाने में दोहराव की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है, विभागीय अधिकारियों ध्यान में मानदेय पंजिका के उपलब्ध कराये जाने की ओर आकृष्ट किया जाता है। सक्षम अधिकारी से जाँच कराते हुये अपहरित मानदेय की वसूली प्रधान श्री इन्द्रबलि एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव मो. साकीब से बराबर-बराबर अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- ढकेहरा

विकास खंड- लहरपुर

प्रस्तर संख्या -18- आलोच्य वर्ष- 2020 21 में ग्राम पंचायत- ढकेहरा की कोषबही में निम्न विवरण के अनुसार व्यय अंकित किए गए हैं, परन्तु व्यय / व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक एवं संबंधित पत्रवालियां आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। जिससे दर्शित व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी।

क्र. स.	दिनांक	प्र. संख्या	धनराशि	व्यय का विवरण
1	27-07-2020	03	28050=00	सीतापुर पब्लिसिटी को भुगतान ।
2	30-07-2020	05	24850=00	अजय फॉटोशॉप को भुगतान
3	04-10-2020	15	5750=00	दशमेश एजसी को भुगतान ।
		कुल योग	58650=00	

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन, नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीक होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है। कि “ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेषण हेतु संप्रेषण

दल को व्यय की समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि - यदि दर्शाया गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं किया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी। “उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रवालिया, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि 58650=00 को गबन में आकलित किया जाता है। जो उपरोक्त पत्रवालियों के अंतर्गत अधिभार योग है। अतः प्रमाणक विहीन किए गए व्यय की वसूली की जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्री सुधाकर मिश्रा एवं ग्राम पंचायत तत्कालीन सचिव श्री राजेश से बराबर भाग वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- ढकेहरा

विकास खंड- लहरपुर

प्रस्तर संख्या -19- पंचायतराज अनुभाग-1 के आदेश संख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के बिंदु 2अ के अनुसार ग्राम प्रधान का मानदेय 2500/- रुपये से बढ़ा कर रुपये 3500/- मासिक किया गया जिसका भुगतान ग्रामनिधि प्रथम से किया जा रहा है। लेकिन मासिक भुगतान हेतु पंजिका का निर्माण नहीं किया जा रहा है आलोच्य वर्ष में रुपए 150500=00 प्रधान मानदेय के रूप में भुगतान किया गया लेखा परीक्षा में भुगतान की अवधि अज्ञात रही जिससे किया गया भुगतान अपुष्टित रहा। फलतः आलोच्य वर्ष के साथ पूर्व के वर्षों में दिए गए मानदेय और बकाया मानदेय की पुष्टि नहीं की जा सकी इस सन्दर्भ में मानदेय दिए जाने में दुहराव संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। जोकि गम्भीर अनियमितता है जिसके लिये ग्राम प्रधान श्री सुधाकर मिश्रा व पंचायत सचिव श्री राजेश जिम्मेदार है . विभागीय अधिकारियों से जांच कराते हुये आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित रही .

ग्राम पंचायत- माकनपुर

विकास खंड- लहरपुर

प्रस्तर संख्या -20- आलोच्य वर्ष- 2020 21 में ग्राम पंचायत- makanपीur की कोषबही में निम्न विवरण के अनुसार व्यय अंकित किए गए हैं, परन्तु व्यय / व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक एवं संबंधित पत्रवालियां आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। जिससे दर्शित व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी।

क्र. स.	दिनांक	प्र. संख्या	धनराशि	व्यय का विवरण
1	04-05-2020	13	24994=00	प्रशा. व्यय हेतु संजय जायसवाल को भुगतान।
2	09-07-2020	16	3500=00	प्रशा. व्यय हेतु ग्लोबल कम्युनिकेशन को भुगतान।
3	09-07-2020	17	10822=00	प्रशा. व्यय हेतु शम्स ट्रेडर्स को भुगतान।
4	05-12-2020	27	16515=00	सफाई पर व्यय ।
		कुल योग	55831=00	

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन, नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीक होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है। कि “ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेषण हेतु संप्रेषण दल को व्यय की समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि - यदि दर्शाया गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं किया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी। “उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रवालिया, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए

जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि 55831=00 को गबन में आकलित किया जाता है। जो उपरोक्त पप्रविधानों के अंतर्गत अधिभार योग है। अतः प्रमाणक विहीन किए गए व्यय की वसूली की जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्री शुभम श्रीवास्तव एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव मो. शाकीब से बराबर भाग वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- माकनपुर

विकास खंड- लहरपुर

प्रस्तर संख्या -21- पंचायतराज अनुभाग-1 के आदेश संख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22-11-2016 के बिन्दु2अ के अनुसार ग्राम प्रधान का मानदेय रु.2500/ माह से बढ़ा कर रु.3500/ माह कर दिया गया है। जिसका भुगतान ग्राम निधि प्रथम से किया जा रहा है। लेकिन मासिक भुगतान हेतु पंजिका का निर्माण नहीं किया जा रहा है, जिससे आलोच्य वर्ष में 80500=00 प्रधान मानदेय के रूप में भुगतान किया गया, लेखा परीक्षा में भुगतान की अवधि अज्ञात रही। जिससे किया गया भुगतान अपुष्ट रहा। आलोच्य वर्ष के साथ पूर्व के वर्षों में दिये गए मानदेय और बकाया मानदेय की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस संदर्भ में मानदेय दिये जाने में दोहराव की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है, विभागीय अधिकारियों ध्यान में मानदेय पंजिका के उपलब्ध कराये जाने की ओर आकृष्ट किया जाता है। सक्षम अधिकारी से जाँच कराते हुये अपहरित मानदेय की वसूली ग्राम प्रधान श्री शुभम श्रीवास्तव एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव मो. शाकीब से बराबर भाग वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम

पंचायत- केदारपुर

विकास खंड- महमूदाबाद

प्रस्तर संख्या -22- पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित नियमों की अवहेलना करता हूँ, जिसमें ये उल्लेख किया गया है "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षण हेतु संप्रक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ", परन्तु लेखा परीक्षा में कतिपय कार्यों पर किये गए व्यय की पुष्टि में अपेक्षित व्यय प्रमाणक संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, मापपुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैश बुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किये गए व्यय का विवरण निम्नवत हैं -

क्रम संख्या	प्रमाणक संख्या	दिनांक	फर्म	धनराशि	कार्य का नाम
1	32	26/10/20	माँ वैष्णो ब्रिक फील्ड	83002	नाली निर्माण
2	33	26/10/20	सुशील ट्रेडर्स	101576	
3	34	10/11/20	चमन ब्रिक फील्ड	73027	खंडजाआर सी सी निर्माण /
			कुल	257605	

इस प्रकार उक्त व्यय से सम्बंधित व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, मापपुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गए व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8 (क) के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत तथा प्रधान ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी"। इस प्रकार उक्त धनराशि रु 257605=00 की वसूली बराबर बराबर ग्राम पंचायत सचिव श्री हरदासी एवं प्रधान श्रीमती यशोदा देवी से की जानी अपेक्षित हैं।

ग्राम पंचायत- जयरामपुर

विकास खंड- महमूदाबाद

प्रस्तर संख्या -23- पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित नियमों की अवहेलना करता है, जिसमें ये उल्लेख किया गया है "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए",

परन्तु लेखा परीक्षा में कतिपय कार्यों पर किये गए व्यय की पुष्टि में अपेक्षित व्यय प्रमाणक संबंधितपत्रावलियाँ,मस्टररोल,मापपुस्तिकाएं,संपत्ति रजिस्टर,कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र,तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि प्रस्तुत नहीं रहे।लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैश बुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किये गए व्यय का विवरण निम्नवत हैं –

क्रम संख्या	प्रमाणक संख्या	दिनांक	फर्म	धनराशि	कार्य का नाम
1	03	04/10/20	लकी कंस्ट्रक्शन	28357=00	हैंडपंप रिबोर
2	04	11/10/20	दयाल ट्रेडर्स	30182=00	राम सिंह के घर से राम प्रसाद के घर तक नाली उच्चोकरण / पत्थर
3	06	11/10/20	मजदूरी भुगतान	2800=00	
4	07	11/10/20	शिवनरायन ब्रिक फील्ड	6531=00	
5	08	11/10/20	मजदूरी भुगतान	4623=00	कुल व्यय रु 44136=00
6	12	08/12/20	मजदूरी भुगतान	22827=00	सा शौचालय से लक्ष्मी नारायण . के खेत तक इंटर लाकिंग कार्य
7	13	08/12/20	कुमार टाइल्स	92158=00	
8	14	08/12/20	मजदूरी भुगतान	18568=00	
9	15	08/12/20	दयाल ट्रेडर्स	25225=00	कुल व्यय रु242175 . =00
10	16	08/12/20	शिवनरायन ब्रिक फील्ड	33227=00	
11	18	13/12/20	दयाल ट्रेडर्स	14340=00	
12	19	13/12/20	कुमार टाइल्स	31930=00	
13	21	13/12/20	संदीप कुमार	3900=00	
			कुल योग	31466=00	

इस प्रकार उक्त व्यय से सम्बंधित व्यय प्रमाणक, संबंधितपत्रावलियाँ,मस्टररोल,मापपुस्तिकाएं,संपत्ति रजिस्टर,कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र,तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गए व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे।

लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8 (क) के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत तथा प्रधान ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी"। इस प्रकार उक्त धनराशि रु 314668=00 की वसूली बराबर बराबर ग्राम पंचायत सचिव श्री हरदासी एवं प्रधान श्रीमती कुसुमा देवी से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- मुबारकपुर कला

विकास खंड- महमूदाबाद

प्रस्तर संख्या -24- पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित नियमों की अवहेलना करता है, जिसमें ये उल्लेख किया गया है "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए",

परन्तु लेखा परीक्षा में कतिपय कार्यों पर किये गए व्यय की पुष्टि में अपेक्षित व्यय प्रमाणक संबंधितपत्रावलियाँ,मस्टररोल,मापपुस्तिकाएं,संपत्ति रजिस्टर,कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र,तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि प्रस्तुत नहीं रहे।लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैश बुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किये गए व्यय का विवरण निम्नवत हैं –

क्रम संख्या	प्रमाणक संख्या	दिनांक	फर्म	धनराशि	कार्य का नाम
1	01	15/07/20	शिवनारायन ब्रिक फील्ड	18165	अयोध्या के घर से रामचारित के घर तक इंटर लाकिंग कुल व्यय रु 00=93882
2	02	15/07/20	निविदा प्रकाशन	2100	
3	08	16/07/20	मजदूरी भुगतान	24024	
4	09	16/07/20	सुशील ट्रेडर्स	49593	
5	12	26/07/20	प्रिंस इंटर प्राइजेज	17895	पानी की टंकी
6	14	31/08/20	मांगल्या इंटर प्राइजेज	28000	ग्राम पंचायत सेनेटाइजेशन
7	19	01/10/20	लकी कंस्ट्रक्शन	60114	रवींद्र के घर से मेन नाला तक आर सी सी कवर कुल व्यय रु 00=66888
8	20	01/10/20	मजदूरी भुगतान	6774	
9	21	01/10/20	ओम प्रकाश वर्मा (सामग्री)	19850	हैंड पंप मरम्मत
10	22	04/10/20	सुरेश चंद्र (मजदूरी)	4600	कुल व्यय रु 00=24450
			कुल योग	231115	

इस प्रकार उक्त व्यय से सम्बंधित व्यय प्रमाणक, संबंधितपत्रावलियाँ,मस्टररोल,मापपुस्तिकाएं,संपत्ति रजिस्टर,कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र,तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गए व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे।

लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8 (क) के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशी की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत तथा प्रधान ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी"। इस प्रकार उक्त धनराशि रु 231115=00 की वसूली बराबर बराबर ग्राम पंचायत सचिव श्री हरदासी एवं प्रधान श्री राजेश कुमार से की जानी अपेक्षित हैं।

ग्राम पंचायत- सुकईपुर

विकास खंड- महमूदाबाद

प्रस्तर संख्या -25- पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित नियमों की अवहेलना करता है, जिसमें ये उल्लेख किया गया है "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए",

परन्तु लेखा परीक्षा में कतिपय कार्यों पर किये गए व्यय की पुष्टि में अपेक्षित व्यय प्रमाणक संबंधितपत्रावलियाँ,मस्टररोल,मापपुस्तिकाएं,संपत्ति रजिस्टर,कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र,तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत

का प्रस्ताव आदि प्रस्तुत नहीं रहे | लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैश बुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किये गए व्यय का विवरण निम्नवत हैं –

क्रम संख्या	प्रमाणक संख्या	दिनांक	फर्म	धनराशि	कार्य का नाम
1	02	07/07/20	सिंह स्पन पाइप	95130	ह्यूम पाइप
2	05	15/07/20	मजदूरी भुगतान	15960	प्राथमिक विद्यालय बाछिलपुर में इंटरलाकिंग कुल व्यय रु 230573
3	07	15/07/20	मजदूरी भुगतान	15310	
4	08	15/07/20	शिवशक्ति ब्रिक फील्ड	27712	
5	09	15/07/20	लकी कंस्ट्रक्शन	129800	
6	10	15/07/20	ग्लोबल ट्रेडर्स	41791	
7	17	26/07/20	मांगल्या इंटर प्राइजेज	33600	ग्राम पंचायत में सेनेटाइजेशन
8	18	26/07/20	प्रिंस इंटरप्राइजेज	17895	पानी की टंकी कुल व्यय रु 35790
9	19	26/07/20	प्रिंस इंटरप्राइजेज	17895	
10	29	19/10/20	मजदूरी भुगतान	17688	पंचायत भवन रगाई पुताई कुल व्यय रु 52426
11	30	19/10/20	पंकज पेंट हार्डवेयर	34738	
12	06	15/07/20	बबलू मशीनरी स्टोर	20200	हैंड पंप मरम्मत कार्य कुल व्यय रु 48950
13	11	15/07/20	बबलू मशीनरी स्टोर	3500	
14	24	29/09/20	बबलू मशीनरी स्टोर	19650	
15	25	29/09/20	बबलू मशीनरी स्टोर	5600	
			कुल योग	496469	

इस प्रकार उक्त व्यय से सम्बंधित व्यय प्रमाणक, संबंधितपत्रावलियाँ, मस्टररोल, मापपुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गए व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे ।

लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8 (क) के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत तथा प्रधान ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी"। इस प्रकार उक्त धनराशि रु 496469=00 की वसूली बराबर बराबर ग्राम पंचायत सचिव श्री हरदासी एवं प्रधान श्रीमती गुड्डी देवी से की जानी अपेक्षित हैं । .

ग्राम पंचायत- घूरीपुर

विकास खंड- पहला

प्रस्तर संख्या -26- पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित नियमों की अवहेलना करता है, जिसमें ये उल्लेख किया गया है "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षेपण हेतु संप्रक्षेपण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए",।

परन्तु लेखा परीक्षा में कतिपय कार्यों पर किये गए व्यय की पुष्टि में अपेक्षित व्यय प्रमाणक संबंधितपत्रावलियाँ, मस्टररोल, मापपुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि प्रस्तुत नहीं रहे | लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैश बुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किये गए व्यय का विवरण निम्नवत हैं –

क्रम संख्या	प्रमाणक संख्या	दिनांक	फर्म	धनराशि	कार्य का नाम
1	01	05/04/20	अज्ञात	3020=00	हैंड पंप मरम्मत कुल व्यय रु 44330=
2	03	24/04/20	जगदीश मिस्त्री	3620=00	
3	06	25/06/20	सिंह प्लाई पेंट एण्ड आयरन	15250=00	
4	35	13/12/20	जगदीश मिस्त्री	4200=00	
5	38	22/12/20	सिंह प्लाई पेंट एण्ड आयरन	18240=00	
6	07	05/07/20	आयश ब्रिक फील्ड	32077=00	वीरशाह में आरसीसी रोड से सदाशिव के खेत तक खड़जा निर्माण कुल व्यय रु 45046=
7	08	05/07/20	मजदूरी	9045=00	
8	13	05/07/20	मिट्टी	3924=00	
9	14	06/7/20	सुंदरलाल कंस्ट्रक्शन	29260=00	ह्यूम पाइप रु 29260
10	15	06/7/20	रंजीत कुमार	15196=00	राजेश के घर से तालाब तक नाली मरम्मत कुल व्यय रु 51803
11	16	06/7/20	आयश ब्रिक फील्ड	15897=00	
12	18	06/7/20	यादव ट्रेडर्स	20710=00	
13	20,21	15/7/20	संदीप ट्रेडिंग कंपनी	83684 व 98406	स्ट्रीट लाइट कुल व्यय 182090
14	25	26/07/20	सिंह प्लाई पेंट एण्ड आयरन	29850=00	हैंड पंप रिबोरकुल व्यय 29850
15	33	13/12/20	यादव ट्रेडर्स	22913=00	सियाराम के घर से सुरेश के घर तक पट्टा निर्माण रु 00=42592
16	36	19/12/20	मनोज कुमार	19679=00	
17	37	22/12/20	अजय पेंटर	19791=00	सामुदायिक शौचालय निर्माण कुल व्यय रु 00=19791
18	01से लेकर तक 10	/21/09/20 से 30/03/20 तक	-	261341=00	सामुदायिक शौचालय निर्माण कुल व्यय रु 261341=00, (15 वें वित्त से)
			कुल योग	706103=00	

इस प्रकार उक्त व्यय से सम्बंधित व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, मापपुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गए व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। इस प्रकार स्पष्ट है कि नियमों की अनदेखी करते हुए उक्त दर्शित व्यय रु 706103=00 का आहरण ग्राम निधि से किया गया है जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256(1) के अनुसार किए गए अपव्यय की वसूली प्रधान व सचिव से क्यों न की जाए, स्पष्टीकरण आवश्यक है। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8(क) के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत तथा प्रधान ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी"। इस प्रकार उक्त धनराशि रु 706103=00 की वसूली

बराबर बराबर ग्राम पंचायत सचिव श्री नरेंद्र कुमार यादव एवं प्रधान श्री प्रमेश कुमार से की जानी अपेक्षित हैं ।

ग्राम पंचायत- न्यामतपुर लबरहा

विकास खंड- पहला प्रस्तर

संख्या -27- पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित नियमों की अवहेलना करता है, जिसमें ये उल्लेख किया गया है "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए",

परन्तु लेखा परीक्षा में कतिपय कार्यों पर किये गए व्यय की पुष्टि में अपेक्षित व्यय प्रमाणक संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, मापपुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैश बुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किये गए व्यय का विवरण निम्नवत हैं -

क्रम संख्या	प्रमाणक संख्या	दिनांक	फर्म	धनराशि	कार्य का नाम
1	03	05/05/20	एस ई इंटर प्राइजेज	59653=00	जलालू के घर से विनोद के घर तक नाली निर्माण कुल व्यय , = 134902=00
2	05	05/05/20	सुपर ब्रिक फील्ड	47103=00	
3	6,7,8,9,11,12,13	10/05/20	मजदूरी	28146=00	
4	15	12/12/20	अज्ञात	29955=00	हैंड पंप मरम्मत कुल व्यय 77033 =
5	17	12/12/20	महबूब मिस्त्री		
6	18	21/12/20	महबूब मिस्त्री	3600=00	
7	19,23,24	22/12/20	अमीर नजीर व वर्मा लोहा भंडार	43478=00	
8	22	22/12/20	एस के पेंटर	9000=00	वाल पेंटिंग = कुल व्यय, 19000
9	26	25/12/20	अजय पेंटर	10000=00	
10	01 से लेकर 15 तक	21/09/20 से 24/12/20 तक	-	479698=00	सामुदायिक शौचालय निर्माण कुल व्यय रु 479698=00, वै वित्त से 15
11			कुल योग	710633=00	

इस प्रकार उक्त व्यय से सम्बंधित व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, मापपुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गए व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। इस प्रकार स्पष्ट है कि नियमों की अनदेखी करते हुए उक्त दर्शित व्यय रु 710633=00 का आहरण ग्राम निधि से किया गया है जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256(1) के अनुसार किए गए अपव्यय की वसूली प्रधान व सचिव से क्यों न की जाए, स्पष्टीकरण आवश्यक है। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8 (क) के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत तथा प्रधान ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी"। इस प्रकार उक्त धनराशि रु 710633=00 की वसूली बराबर बराबर ग्राम पंचायत सचिव श्री नरेंद्र कुमार यादव एवं प्रधान श्रीमती सुमैय्या खातून से की जानी अपेक्षित हैं ।

ग्राम पंचायत- भूडकुड़ा

विकास खंड- पहला

प्रस्तर संख्या -28- आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि ग्राम पंचायत भूडकुड़ा में पंचायत भवन मरम्मत कार्य कराया गया जिस पर कार्य से संबंधित इस्टिमेट के अनुसार सामग्री पर कुल रु 157924=00 व मजदूरी पर कुल रु 71926=00 प्रावधानिक था परंतु जब इस्टिमेट व एमबी का मिलान किया गया तो पाया गया कि कार्य से संबंधित प्रयुक्त सामग्री व मजदूरी में निम्नवत अंतर रहा-

क्रम संख्या	मद	इस्टिमेट के अनुसार धनराशि जी एस टी) (सहित	एमबी के अनुसार धनराशि जी एस टी) (सहित	अंतर धनराशि	प्रतिशत
1	सामग्री	00=176874	160099=00	)00=16775कम(	9.48%
2	मजदूरी	00=71926	86489=00	)00=14563अधिक (	20.24%
		00=248800	246588=00		

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि उक्त कार्य में प्रयुक्त सामग्री इस्टिमेट से 9.48% कम प्रयुक्त की गई है तथा उतने ही कार्य के लिए मजदूरी पर 20.24% अधिक व्यय किया गया है। जबकि कार्य की मात्रा के अनुरूप प्रयुक्त घटी हुई सामग्री के अनुपात में मजदूरी की मात्रा में भी कमी आनी चाहिए थी लेकिन प्रश्नगत कार्य में उल्टा अनुपात दर्शित है। जिससे स्पष्ट होता है कि कार्य में गंभीर अनियमितता बरती गई है। जोकि उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256(1) के अनुसार अनियमित रहा ,किए गए अपव्यय की वसूली प्रधान श्री केवला व सचिव श्री विमलेश तिवारी से क्यों न की जाए, स्पष्टीकरण आवश्यक है।

ग्राम पंचायत- मुसैदाबाद

विकास खंड- पहला

प्रस्तर संख्या -29- पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित नियमों की अवहेलना करता है, जिसमें ये उल्लेख किया गया है "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए",।

परन्तु लेखा परीक्षा में कतिपय कार्यों पर किये गए व्यय की पुष्टि में अपेक्षित व्यय प्रमाणक संबंधितपत्रावलियाँ,मस्टररोल,मापपुस्तिकाएं,संपत्ति रजिस्टर,कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र,तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि प्रस्तुत नहीं रहे।लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैश बुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किये गए व्यय का विवरण निम्नवत हैं –

क्रम संख्या	प्रमाणक संख्या	दिनांक	फर्म	धनराशि	कार्य का नाम
1	02	13-12-20	ज्योत्सना इंटरप्राइजेज	96558=00	अज्ञात
2	03	23-12-20	सुंदर लाल कंट्रक्शन	28630=00	रिबोर
3	04	24-12-20	सुंदर लाल कंट्रक्शन	14600=00	हैंड पंप मरम्मत
4	01,02,03	30-03-21	अज्ञात	25260+25198+22478 कुल रु =72936	गौ शाला के भूसा रूम में प्लास्टर
5	8	30-03-21	शिव सुंदर कंट्रक्शन	5250=00	गौ शाला डिस्प्ले बोर्ड
6	9	30-03-21	सुंदर लाल कंट्रक्शन	50489=00	अज्ञात
7	10	30-03-21	डिजिटल सेवा केंद्र	4650=00	स्टेशनरी
			योग	273113=00	

इस प्रकार उक्त व्यय से सम्बंधित व्यय प्रमाणक, संबंधितपत्रावलियाँ,मस्टररोल,मापपुस्तिकाएं,संपत्ति रजिस्टर,कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र,तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये

गए व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे । इस प्रकार स्पष्ट है कि नियमों की अनदेखी करते हुए उक्त दर्शित व्यय रु 987489=00 का आहरण ग्राम निधि से किया गया है जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256(1) के अनुसार किए गए अपव्यय की वसूली प्रधान व सचिव से क्यों न की जाए, स्पष्टीकरण आवश्यक है। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8 (क) के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत तथा प्रधान ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी"। इस प्रकार उक्त धनराशि रु273113=00 की वसूली बराबर बराबर ग्राम पंचायत सचिव श्री दिनेश वर्मा एवं प्रधान श्रीमती नीलम वर्मा से की जानी अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत- वाजिद नगर

विकास खंड- पहला

प्रस्तर संख्या -30- पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित नियमों की अवहेलना करता है, जिसमें ये उल्लेख किया गया है "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षेपण हेतु संप्रक्षेपण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए",।

परन्तु लेखा परीक्षा में कतिपय कार्यों पर किये गए व्यय की पुष्टि में अपेक्षित व्यय प्रमाणक संबंधितपत्रावलियाँ,मस्टररोल,मापपुस्तिकाएं,संपत्ति रजिस्टर,कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र,तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि प्रस्तुत नहीं रहे ।लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैश बुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किये गए व्यय का विवरण निम्नवत हैं –

क्रम संख्या	प्रमाणक संख्या	दिनांक	फर्म	धनराशि	कार्य का नाम
1	03	05/04/20	जगदीश मिस्त्री	3020=00	हैंड पंप मरम्मत कुल व्यय रु 161920=
2	20,21	29/06/20	जैन पंप स्टोर	15000व 15000	
3	23,24	19/07/20	जैन पंप स्टोर	15000व 15000	
4	37	07/11/20	जैन पंप स्टोर	15320=00	
5	41	10/11/20	जैन पंप स्टोर	15220=00	
6	48,49	19/12/20	सुंदरलाल कंस्ट्रक्शन	18280व 18620	
7	50	22/12/20	अज्ञात	15320	
8	53	24/12/20	जैन पंप स्टोर	15220	
9	13	28/06/20	मनोज कुमार	7884	साबिर के घर से मैं खंडजा तक नाली निर्माण कुल व्यय 29204
10	18	28/06/20	उर्वशी ब्रिक फील्ड	12148	
11	19	28/06/20	विनोद बिल्डिंग	9172	
12	22	05/7/20	सुंदरलाल कंस्ट्रक्शन	29260=00	हयूम पाइप रु 29260
13	14	28/06/20	रमजान	5628=00	मूर्तजा के घर से जगन्नाथ के कुआ तक सोलिडिंग निर्माण कुल व्यय 27818
14	15	28/06/20	रजीत कुमार	2398=00	
15	17	28/06/20	उर्वशी ब्रिक फील्ड	19792=00	
16	44,45	27/11/20	संदीप ट्रेडिंग कंपनी	78310 व 78310	स्ट्रीट लाइट कुल व्यय 156620

17	11	17/06/20	सुंदरलाल कंस्ट्रक्शन	29520=00	हैंड पंप रिबोर कुल व्यय 29520
18	32	19/10/20	सिंह ट्रेडर्स	28537	जूनियर विद्यालय के पश्चिम की तरफ बाउंड्री वाल निर्माण कुल व्यय 82041
19	36	27/10/20	मनोज कुमार	12939	
20	40	10/11/20	सुपर ब्रिक फील्ड	29981	
21	42	10/11/20	किरन टेंट कंपनी (गेट)	10584	
22	33	19/10/20	सिंह ट्रेडर्स	27010	जूनियर विद्यालय के दक्षिण की तरफ बाउंड्री वाल निर्माण कुल व्यय 82848
23	34	26/10/20	मनोज कुमार	11996	
24	38	10/11/20	सुपर ब्रिक फील्ड	32713	
25	39	10/11/20	जय माँ दुर्गे ट्रेडर्स	5225	
26	43	10/11/20	जय माँ दुर्गे ट्रेडर्स	5904	
27	54	30/03/21	अज्ञात	4000	अज्ञात कुल व्यय 18500
28	55	30/03/21	अज्ञात	4500	
29	56	30/03/21	अज्ञात	10000	
30	01से लेकर तक 12	/21/09/20 से 26/12/20 तक	-	369758=00	सामुदायिक शौचालय निर्माण कुल व्यय रु 369758=00, (15 वें वित्त से)
			कुल योग	987489=00	

इस प्रकार उक्त व्यय से सम्बंधित व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, मापपुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गए व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। इस प्रकार स्पष्ट है कि नियमों की अनदेखी करते हुए उक्त दर्शित व्यय रु 987489=00 का आहरण ग्राम निधि से किया गया है जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256(1) के अनुसार किए गए अपव्यय की वसूली प्रधान व सचिव से क्यों न की जाए, स्पष्टीकरण आवश्यक है। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8 (क) के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत तथा प्रधान ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी"। इस प्रकार उक्त धनराशि रु 987489=00 की वसूली बराबर बराबर ग्राम पंचायत सचिव श्री नरेंद्र कुमार यादव एवं प्रधान श्री अकबाल सिंह से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- शंकरपुर

विकास खंड- पहला

प्रस्तर संख्या -31- पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित नियमों की अवहेलना करता है, जिसमें ये उल्लेख किया गया है "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए",

परन्तु लेखा परीक्षा में कतिपय कार्यों पर किये गए व्यय की पुष्टि में अपेक्षित व्यय प्रमाणक संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, मापपुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैश बुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किये गए व्यय का विवरण निम्नवत है -

क्रम संख्या	प्रमाणक संख्या	दिनांक	फर्म	धनराशि	कार्य का नाम
1	2	24/4/20	जगदीश मिस्त्री	9220=00	हैंड पंप मरम्मत कुल व्यय रु 143360.00
2	7,8	29/6/20	सिंह ट्रेडर्स	13600व 14520	
3	11,12	19/7/20	जैन पंप स्टोर	15220व 14850	
4	16	10/10/20	सिंह प्लाई पेंट एण्ड आयरन	8120=00	
5	18	29/10/20	वर्मा लोहा भंडार	15220=00	
6	19	21/11/20	जय माँ दुर्गे ट्रेडर्स	15220=00	
7	22	22/12/20	वर्मा लोहा भंडार	15140=00	
8	23	22/12/20	सिंह प्लाई पेंट एण्ड आयरन	22250=00	
9	09	05/7/20	सुंदरलाल कंस्ट्रक्शन	29260=00	ह्यूम पाइप
10	15	16/09/20	सोमनाथ कंस्ट्रक्शन	1047270=00	पंचायत भवन निर्माण रु 10472700.00
11	01से लेकर तक 10	/21/09/20 से 22/12/20 तक	-	284726=00	सामुदायिक शौचालय निर्माण कुल व्यय 284726, वें वित्त से 15
			कुल योग	1504616=00	

इस प्रकार उक्त व्यय से सम्बंधित व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, मापपुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गए व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। इस प्रकार स्पष्ट है कि नियमों की अनदेखी करते हुए उक्त दर्शित व्यय रु 1504616=00 का आहरण ग्राम निधि से किया गया है जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256(1) के अनुसार किए गए अपव्यय की वसूली प्रधान व सचिव से क्यों न की जाए, स्पष्टीकरण आवश्यक है। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8 (क) के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत तथा प्रधान ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी"। इस प्रकार उक्त धनराशि रु 1504616=00 की वसूली बराबर बराबर ग्राम पंचायत सचिव श्री नरेंद्र कुमार यादव एवं प्रधान श्रीमती अमृता वर्मा से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- शिष्टीपुर

विकास खंड- पहला

प्रस्तर संख्या -32- आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि ग्राम प्रधान श्री सुनील कुमार को जनवरी 2020 से सितंबर 2020 तक कुल रु 45500=00 मानदेय के रूप में देय कैश बुक में दर्शित है। जिसका विवरण निम्नवत है-

क्रम संख्या	वाउचर संख्या	दिनांक	माह का विवरण	धनराशि
1	1	21/04/20	जनवरी से मार्च	10500.00

2	5	14/08/20	अप्रैल से जुलाई	14000.00
2	17	02/11/20	06गुणा 3500	21000.00
			योग	45500.00

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जनवरी से अक्टूबर 20 तक की अवधि कुल 10 माह की होती है जिसका रु 3500 प्रतिमाह के हिसाब से कुल रु 35000 ही होता है (3500गुणा10=35000)। इस प्रकार अंतर रु 10500का अधिक भुगतान ग्राम प्रधान को किया गया, जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256(1) के अनुसार अनियमित रहा, किए गए अपव्यय की वसूली प्रधान श्री सुनील कुमार व सचिव श्री संदीप भार्गव से क्यों न की जाए, स्पष्टीकरण आवश्यक है। साथ ही मानदेय पंजिका प्रस्तुत कर उक्त भुगतान की पुष्टि भी कराई जानी अपेक्षित रही।

ग्राम पंचायत- समशाबाद

विकास खंड- पहला

प्रस्तर संख्या -33- आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि दिनांक 10/08/20 को वाउचर संख्या 23 द्वारा ग्राम प्रधान श्रीमती आशा कुमारी को जून 2019 से जुलाई 2020 तक कुल रु 52500=00 मानदेय के रूप में देय कैश बुक में दर्शित है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि उक्त अवधि कुल 14 माह की होती है जिसका रु 3500 प्रतिमाह के हिसाब से कुल रु 49000 ही होता है (3500गुणा14=49000)। इस प्रकार अंतर रु 3500का अधिक भुगतान ग्राम प्रधान को किया गया, जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256(1) के अनुसार अनियमित रहा, किए गए अपव्यय की वसूली प्रधान श्रीमती आशा कुमारी व सचिव श्री विमलेश तिवारी से क्यों न की जाए, स्पष्टीकरण आवश्यक है। साथ ही मानदेय पंजिका प्रस्तुत कर उक्त भुगतान की पुष्टि भी कराई जानी अपेक्षित रही।

ग्राम पंचायत- कैमा

विकास खंड- कसमंडा

प्रस्तर संख्या -34- पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधक हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधक हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित नियमों की अवहेलना करता है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यहसयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षण हेतु संप्रक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये।” परन्तु लेखा परीक्षा में कतिपय कार्यों पर किये गए व्यय की पुष्टि में अपेक्षित व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियां, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र, आदि प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किये गए व्यय का विवरण निम्न है -

क्र सं	प्रमाणक सं	दिनांक	भुगतान प्राप्त कर्ता	धनराशि	कार्य का विवरण
1	1,2,4,5,7,8	9/6/20	हिंदुस्तान ब्रिक फील्ड	42525,75075,75075,34125,68250,52185	ईटक्रय का भुगतान (खंडजा वा नाली निर्माण कार्य हेतु) कुल व्यय-473050=00
2	35	14/9/20		44362	
3	45	12/12/20		81453	
4	11,12,14,15,16,	24/6/20	हनुमंत हार्ड वेयर	26200,26200,52400,26200,26200	हैण्ड पम्प रेबोर कार्य कुल व्यय-157200=00
5	17	7/7/20	क्रष्णा ट्रेडर्स	26200	

6	21	17/8/21	एस आर इन्टरप्राइजेज	19900	सेनिटाइजेशनकिट ,प्रशासनिक व्यय ,निविदा प्रकाशनकुल व्यय-31600=00
7	30	1/9/20	अस्वी ट्रेडर्स	7500	
8	46	12/12/20	प्रतिपल सवाद	4200	

योग - 661850=00

लेखामैन्युअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गवर्नर मानते हुए इस धनराशीकी वसूली सचिव ग्राम पंचायत तथा ग्राम प्रधान से संयुक्त रूप से की जाएगी "।इस प्रकार उक्त धनराशि रु. 661850=00की वसूली बराबर- बराबर ग्राम पंचायत सचिव श्री मयूरेश राय व ग्राम प्रधान श्री मती अनुराधा राजवंशी से की जानी अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत- नवागाँव

विकास खंड- कसमंडा

प्रस्तर संख्या -35- पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधक हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित नियमों की अवहेलना करता है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षेपण हेतु संप्रक्षेपण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये।" परन्तु लेखापरीक्षा में कतिपय कार्यों पर किये गए व्यय की पुष्टि में अपेक्षित व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलिया, मापपुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र आदि प्रस्तुत नहीं रहे। लेखापरीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किये गए व्यय का विवरण है -

क्र सं	प्रमाणक सं	दिनांक	भुगतान प्राप्त कर्ता	धनराशि	कार्य का विवरण
1	अज्ञात	5/12/20	बीएल मशीनरी स्टोर	46407	हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिवोर कार्य कुल व्यय -105207
2	अज्ञात	5/12/20	कमला मशीनरी स्टोर	22800	
3	अज्ञात	20/12/20	कमला मशीनरी स्टोर	9800,26200	
4	अज्ञात	5/12/20	ग्राम प्रधान	10500	प्रधान मानदेय कुल व्यय-10500
5	अज्ञात	20/12/20	बाजपेयी फोटोस्टेट	8593	स्टेशनरी वा फोटो कॉपी कार्य कुल व्यय-8593
			योग -	124300	

लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गवर्नर मानते हुए इस धनराशीकी वसूली सचिव ग्राम पंचायत तथा ग्राम प्रधान से संयुक्त रूप से की जाएगी "।इस प्रकार उक्त धनराशि रु.124300.00 की वसूली बराबर- बराबर ग्राम पंचायत सचिव श्री जितेन्द्र शुक्ला व ग्राम प्रधान श्री संजय सिंह से की जानी अपेक्षित है

ग्राम पंचायत- चौडिया

विकास खंड- कसमंडा

प्रस्तर संख्या -36- पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधक हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित नियमों की अवहेलना करता है, पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधक हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में जिसमें यह उल्लेख किया गया है ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। परन्तु लेखापरीक्षा में कतिपय कार्यों पर किये गए व्यय की पुष्टि में अपेक्षित व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, मापपुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र, आदि प्रस्तुत नहीं रहे। लेखापरीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किये गए व्यय का विवरण निम्न है -

क्र सं	प्रमाणक सं	दिनांक	भुगतान प्राप्त कर्ता	धनराशि	कार्य का विवरण
1	1,2	2/4/20	हिंदुस्तान ब्रिक फील्ड	26040,89302	ईट क्रय क भुगतान (इंटरलॉकिंग वा नाली निर्माण कार्य हेतु) कुल व्यय -355298=00
2	3,4	5/4/20		26040,26040	
3	8,14	7/7/20		37674,35752	
4	9	7/7/20	भार्गव ट्रेडर्स	27484	
5	11	7/7/20	कमल ट्रेडर्स	86966	
6	13,15,18	7/7/20	मजदूरी भुगतान	23478,23478,23478	इंटरलॉकिंग कार्य हेतु कुल व्यय -113120=00
7	20,22	26/7/20		20300,22386	
8	23	22/8/20	आतिश इन्टरप्राइजेज	26200	हैण्ड पम्प मरम्मत कार्यकुल व्यय - 92100=00
9	24	22/8/20	जगदीश नल मिस्त्री	10000	
10	33,35	13/11/20	बी एल मशीनरी स्टोर	26200,29700	
			योग -	560518=00	

लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गवर्न मानते हुए इस धनराशि की वसूली सचिव ग्राम पंचायत तथा ग्राम प्रधान से संयुक्त रूप से की जाएगी। इस प्रकार उक्त धनराशि रु. 560518.00 की वसूली बराबर- बराबर ग्राम पंचायत सचिव श्री मयूरेश राय व ग्राम प्रधान श्री जयकुमार सिंह से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- काशीपुर

विकास खंड- रेउसा

प्रस्तर संख्या -37- ग्राम पंचायत काशीपुर की वर्ष - 2020-21 की लेखा परीक्षा में कोष वही में निम्न विवरण के अनुसार विभिन्न मदों पर व्यय किया जाना दर्शित है, परन्तु उक्त व्ययों की पुष्टि मेव्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, व कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। फलस्वरूप आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त व्यय की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। विवरण निम्नवत है।

क्रम संख्या	व्यय प्रमाणक संख्या	दिनांक	धनराशि	भुगतान का मद
1.	28	08.11.20	366000.00	पंचायत घर मरम्मत कार्यसामग्री क्रय।

2.	06	08.11.20	220590.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य]
3.	37	18.12.20	99500.00	हैंडपंप रिबोरकार्य सामग्री क्रय]
4.	1,2,3	01.09.20	287400.00	ट्यूम पाईप क्रय
		योग	973490.00	

"ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षेपण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए"। एवं खंड 8-क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी"। आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में उपरोक्त व्यय रु 973490.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, व कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि (निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए | जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन की श्रेणी में आता है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मायादेवी और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री मुकेश त्रिवेदी व श्री रामस्वरूप उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से बराबर-बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- खरहरा

विकास खंड- रेउसा

प्रस्तर संख्या -38- ग्राम पंचायत खरहरा की वर्ष - 2020-21 की लेखा परीक्षा में कोष बही में निम्न विवरण के अनुसार विभिन्न मदों पर व्यय किया जाना दर्शित है, परंतु उक्त व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, व कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए | फलस्वरूप आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त व्यय की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। विवरण निम्नवत है |

क्रम संख्या	व्यय संख्या	दिनांक	धनराशि	भुगतान का मद
1.	10	2.10.20	81900.00	प्यारे के घर से राधे के घर तक खंडजा निर्माण सामग्री क्रय]
2.	19,21,22	8.10.20,10,10.10.20	837469.00	पंचायत भवन निर्माण कार्य सामग्री क्रय]
3.	25	01.11.20	41607.00	ट्यूम पाईप क्रय
4.	23	12.10.20	43759.00	सोकपिट निर्माण कार्य सामग्री क्रय]
5.	04,11	1.10.20,2.10.20	106551.00	प्रा विद्यालय जबदुआ में मिट्टी पटाई. कार्य मजदूरी भुगतान
		योग	1111286.00	

"ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षेपण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए"। एवं खंड 8-क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी"। आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में उपरोक्त व्यय रु 1111286.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, व कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि (निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए | जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन की श्रेणी में आता है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बसन्त और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेश बाबू शुक्ला उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से बराबर-बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- गुरुगुचपुर**विकास खंड- रेउसा**

प्रस्तर संख्या -39- ग्राम पंचायत गुरुगुचपुर की वर्ष 2020-21 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार लिखित एवं मौखिक रूप से मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। आनलाइन लेखा परीक्षा होने के कारण अभिलेख अप्राप्त की दशा में ई-ग्रामस्वराज पर अंकित व्यय पर अधिभार की कार्यवाही की जा रही है। ग्राम पंचायत गुरुगुचपुर की वर्ष **2020-21** तक के ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत है-

वर्ष	आय	व्यय
2020-21	7520143.00	1801144.00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8(क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. **1801144.00** की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुदामा एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री मुकेश त्रिवेदी व पंकज सागर से बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- गोविन्दापुर**विकास खंड- रेउसा**

प्रस्तर संख्या -40- ग्राम पंचायत गोविन्दापुर की वर्ष - 2020-21 की लेखा परीक्षा में कोष बही में निम्न विवरण के अनुसार विभिन्न मदों पर व्यय किया जाना दर्शित है, परंतु उक्त व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, व कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। फलस्वरूप आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त व्यय की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। विवरण निम्नवत है।

क्रम संख्या	व्यय प्रमाणक संख्या	दिनांक	धनराशि	भुगतान का मद
1.	39	12.12.20	440000.00	पंचायत घर मरम्मत कार्यसामग्री क्रय।
2.	03	16.06.20	134807.00	सोकपिट निर्माण कार्य सामग्री क्रय
3.	4,5,6,10,11	3.7.20,26.8.20,23.9.20	224905.00	हैंडपंप रिबोर कार्य सामग्री क्रय।
4.	11,42,43	2.9.20,15.12.20	287400.00	ह्यूम पाईप क्रय
		योग	1087112.00	

"ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं"। एवं खंड 8-क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी"। आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में उपरोक्त व्यय रु **1087112.00** के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, व कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि (निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। जो कि उत्तरप्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के

अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन की श्रेणी में आता है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती राजकुमारी देवी और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री रामस्वरूप व श्री सुकेश त्रिवेदी उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से बराबर-बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- चौसा

विकास खंड- रेउसा

प्रस्तर संख्या -41- ग्राम पंचायत चौसा की वर्ष - 2020-21 की लेखा परीक्षा में कोष बही में निम्न विवरण के अनुसार विभिन्न मदों पर व्यय किया जाना दर्शित है, परंतु उक्त व्ययों की पुष्टि मेव्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, व कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। फलस्वरूप आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त व्यय की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। विवरण निम्नवत है।

क्रम संख्या	व्यय प्रमाणक संख्या	दिनांक	धनराशि	भुगतान का मद
1.	02,33,35	4.7.20,12,13.11.20	100190.00	हैण्डपंप मरम्मत कार्य
2.	5,9,47,48	16.06.20	203850.00	हैण्डपंप रिबोर कार्य
3.	19,20,21	13.10.20	90270.00	ह्यूम पाईप क्रय
4.	37,53	13.11.20,1.12.20	173640.00	पैकरमा के घर से असगर के घर तक खडंजा निर्माण कार्य
5.	38	13.11.20	104472.00	राधेलाल के घर से श्यामलाल के घर तक खडंजा निर्माण
6.	44,54,57	1.12.20,12.12.20	171852.00	रामदास के घर सेमथुरा के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य
		योग	844274.00	

"ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ। एवं खंड 8-क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी।" आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में उपरोक्त व्यय रु **844274.00** के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, मापपुस्तिकाएं व कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि (निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली) नियमानुसार लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन की श्रेणी में आता है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सन्तराम और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेशबाबू शुक्ला उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से बराबर-बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- थानगाव

विकास खंड- रेउसा

प्रस्तर संख्या -42- ग्राम पंचायत थानगाव की वर्ष 2020-21 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार लिखित एवं मौखिक रूप से मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। आनलाइन लेखा परीक्षा के होने कारण अभिलेख अप्राप्त की दशा में ई-ग्राम स्वराज पर अंकित व्यय पर अधिभार की कार्यवाही की जा रही है। ग्राम पंचायत थानगाव की वर्ष **2020-21** तक के ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

वर्ष	आय	व्यय
2020-21	6046480.00	2042917.00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8(क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी” ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. **2042917.00** की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रामदेवी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री मुकेश त्रिवेदी व पंकज सागर से बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- दलपतपुर

विकास खंड- रेउसा

प्रस्तर संख्या -43- ग्राम पंचायत दलपतपुर की वर्ष - 2020-21 की लेखा परीक्षा में कोष बही में निम्न विवरण के अनुसार विभिन्न मदों पर व्यय किया जाना दर्शित है, परंतु उक्त व्ययों की पुष्टि मेव्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, व कार्यपूति प्रमाणपत्र आदिलेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। फलस्वरूप आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त व्यय की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। विवरण निम्नवत है।

क्रम संख्या	व्यय प्रमाणक संख्या	दिनांक	धनराशि	भुगतान का मद
1.	02	16.06.20	80105.00	शोकपिट निर्माण सामग्री क्रय
2.	04,05	16.06.20	31416.00	शोकपिट निर्माण मजदूरी
3.	06,07	05.08.20	60000.00	बालाजीट्रेडर्सलक्ष्मीकम्प्यूटर्स ट्रेडर्स,
4.	19,20	08.12.20	80976.00	सामुदायिक शौचालय समरसेबुल हेतु
		योग	252497.00	

"ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं"। एवं खंड 8-क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी"। आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में उपरोक्त व्यय रु. **252497.00** के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, व कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि नियमानुसारलेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। उत्तरप्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन की श्रेणी में आता है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अरुण कुमार और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रभाष बाजपेयी व श्री रामस्वरूप उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से बराबर-बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- नगरौली

विकास खंड- रेउसा

प्रस्तर संख्या -44- ग्राम पंचायत नगरौली की वर्ष - 2020-21 की लेखा परीक्षा में कोष बही में निम्न विवरण के अनुसार विभिन्न मदों पर व्यय किया जाना दर्शित है, परंतु उक्त व्ययों की पुष्टि मेव्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, व कार्यपूति प्रमाणपत्र आदिलेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। फलस्वरूप आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त व्यय की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। विवरण निम्नवत है।

क्रम संख्या	व्यय संख्या	दिनांक	धनराशि	भुगतान का मद
1.	01,02,06,17,18	23.09.20,05.10.20,08,20.12.20	353701.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य सामग्री क्रय।
2.	03,06,11	28.08,18.10,15.11.20	37875.00	फोटोकॉपी एवं स्टेशनरी क्रय।
3.	05	18.07.20	46750.00	सामुदायिक शौचालय में हैडपंप स्थापना कार्य सामग्री क्रय।
4.	08,10,14	01,02,11.11.20	99395.00	हैडपंप मरम्मत कार्य सामग्री क्रय।
		योग	537721.00	

"ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षेपण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।" एवं खंड 8-क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी।"। आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में उपरोक्त व्यय रु **537721.00** के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, व कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि (निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए | जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन की श्रेणी में आता है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जमील अहमद और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेश बाबू शुक्ला उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से बराबर-बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- पुरैनी

विकास खंड- रेउसा

प्रस्तर संख्या -45- ग्राम पंचायत पुरैनी की वर्ष - 2020-21 की लेखा परीक्षा में कोष बही में निम्न विवरण के अनुसार विभिन्न मदों पर व्यय किया जाना दर्शित है, परंतु उक्त व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, व कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए | फलस्वरूप आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त व्यय की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। विवरण निम्नवत है |

क्रम संख्या	व्यय संख्या	दिनांक	धनराशि	भुगतान का मद
1.	22,40,41,42	04.10.20,26.03.21	260587.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य सामग्री क्रय।
2.	2,4,5,9,13	16,25,29.06.20,07,18.07.20	339147.00	सोकपिट निर्माण कार्य सामग्री क्रय
3.	14	18.07.20	50940.00	हैडपंप रिबोर कार्य सामग्री क्रय।
4.	19,34,43	29.09,15.11.20,26.03.21	81590.00	हैडपंप मरम्मत कार्य सामग्री क्रय।
		योग	732264.00	

"ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षेपण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।" एवं खंड 8-क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी।"। आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में उपरोक्त व्यय रु **732264.00** के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, व कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि (निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए | जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन की श्रेणी में आता है

जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती विमला देवी और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेश बाबू शुक्ला उत्तरदायी हैं।नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से बराबर-बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- बजहा

विकास खंड- रेउसा

प्रस्तर संख्या -46- ग्राम पंचायत बजहा की वर्ष 2020-21 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार लिखित एवं मौखिक रूप से मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। आनलाइन लेखा परीक्षा होने के कारण अभिलेख अप्राप्त की दशा में ई-ग्रामस्वराज पर अंकित व्यय पर अधिभार की कार्यवाही की जा रही है। ग्राम पंचायत बजहा की वर्ष 2020-21 तक के ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

वर्ष	आय	व्यय
2020-21	2963899.00	882640.00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8(क)में प्राविधान है कि “यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 882640.00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेश बाबू शुक्ला (तत्कालीन) व राजेश कुमार सिंह (वर्तमान) से बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- बसन्तापुर

विकास खंड- रेउसा

प्रस्तर संख्या -47- ग्राम पंचायत बसन्तापुर की वर्ष - 2020-21 की लेखा परीक्षा में कोष बही में निम्न विवरण के अनुसार विभिन्न मदों पर व्यय किया जाना दर्शित है, परंतु उक्त व्ययों की पुष्टि मेव्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, व कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। फलस्वरूप आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त व्यय की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। विवरण निम्नवत है।

क्रम संख्या	व्यय प्रमाणक संख्या	दिनांक	धनराशि	भुगतान का मद
1.	10,14,24,27	21,29.10.20,23,24.12.20	534220.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य सामग्री क्रय।
2.	03,18	16.06.20,02.11.20	123537.00	सोकपिट निर्माण कार्य सामग्री क्रय
3.	04,16,17,23	26.06,02.11,23.12.20	153075.00	हैंडपंप रिबोरकार्य सामग्री क्रय।
4.	05,15	25.06.20,2.11.20	39050.00	हैंडपंप मरम्मत कार्य सामग्री क्रय।
5.	28,29	24.12.20	60180.00	ह्यूम पाईप क्रय
		योग	9110062.00	

"ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं"। एवं खंड 8-क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी"।

आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में उपरोक्त व्यय रु 9110062.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, व कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि (निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए | जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन की श्रेणी में आता है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री उत्कर्ष अवस्थी और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेश बाबू शुक्ला उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से बराबर-बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- भिठनापुर

विकास खंड- रेउसा

प्रस्तर संख्या -48- ग्राम पंचायत भिठनापुर की वर्ष 2020-21 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार लिखित एवं मौखिक रूप से मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही। आनलाइन लेखा परीक्षा के कारण अभिलेख अप्राप्त की दशा में ई-ग्राम स्वराज पर अंकित व्यय पर अधिभार की कार्यवाही की जा रही है। ग्राम पंचायत भिठनापुर की वर्ष 2020-21 तक के ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत हैं-

वर्ष	आय	व्यय
2020-21	4332815.00	1237224.00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -“ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं” एवं खंड 8(क) में प्राविधान है कि “यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी”।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में ऑकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन किए गए व्यय कुल धनराशि रु. 1237224.00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रामप्यारी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेश बाबू शुक्ला से बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- भिठनाकंला

विकास खंड- रेउसा

प्रस्तर संख्या -49- ग्राम पंचायत भिठनाकंला की वर्ष - 2020-21 की लेखा परीक्षा में कोष बही में निम्न विवरण के अनुसार विभिन्न मदों पर व्यय किया जाना दर्शित है, परंतु उक्त व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, व कार्यपूति प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। फलस्वरूप आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त व्यय की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। विवरण निम्नवत है।

क्रम संख्या	व्यय प्रमाणक संख्या	दिनांक	धनराशि	भुगतान का मद
1.	1,2,3,4	20.09,23.09,25.09.20	242652.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य सामग्री क्रय।
2.	05	18.07.20	80105.00	सोकपिट निर्माण कार्य सामग्री क्रय।
		योग	322757.00	

"ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं"। एवं खंड 8-क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी"। आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में उपरोक्त व्यय रु 322757.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित

पत्रावलियाँ, व कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि (निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन की श्रेणी में आता है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मीरादेवी और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेश बाबू शुक्ला (तत्कालीन) उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से बराबर-बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- दौदापुर

विकास खंड- सकरन

प्रस्तर संख्या -50- ग्राम पंचायत दौदापुर की वर्ष - 2020-21 की लेखा परीक्षा में कोष बही में निम्न विवरण के अनुसार विभिन्न मदों पर व्यय किया जाना दर्शित है, परंतु उक्त व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक एवं सम्बन्धित पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। फलस्वरूप आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त व्यय की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। विवरण निम्नवत है।

क्रम संख्या	कैशबुक क्रमांक	व्यय	दिनांक	धनराशि	भुगतान का मद
1.	अंकित नहीं		10/7/20	130289.00	इन्टरलार्किंग कार्य हामिद के घर से युनुस के घर तक
2.	अंकित नहीं		7/7, 7/11, 28/12/20	97606.00	हैण्डपम्प रिबोर
3.	अंकित नहीं		19/9/20	179247.00	सामुदायिक शौचालय
4.	अंकित नहीं		15, 18/12/20	100668.00	प्रा विद्यालय में बाउन्ड्री वाल कार्य
5.	अंकित नहीं		26/12/20	69600.00	ह्यूम पाइप क्रय
		योग		577410.00	

"ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेशन दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए"। एवं खंड 8-क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी"। आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में उपरोक्त व्यय रु 577410.00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन की श्रेणी में आता है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मो.एखलाक अंसारी और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अशोक कुमार उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- धरमपुर

विकास खंड- सकरन

प्रस्तर संख्या -51- ग्राम पंचायत धरमपुर की वर्ष - 2020-21 की लेखा परीक्षा में कोष बही में निम्न विवरण के अनुसार विभिन्न मदों पर व्यय किया जाना दर्शित है, परंतु उक्त व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक एवं सम्बन्धित पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। फलस्वरूप आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त व्यय की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। विवरण निम्नवत है।

क्रम संख्या	कैशबुक क्रमांक	व्यय	दिनांक	धनराशि	भुगतान का मद
1.	9		11/6/20	26000.00	स्ट्रीट लाईट मरम्मत।
2.	7, 23		11/6, 21/11/20	58500.00	हैण्डपम्प मरम्मत एवं रिबोर।
3.	2, 4, 5, 8, 9, 10		1, 2, 23/9/20	271655.00	सामुदायिक शौचालय।

4.	अंकित नहीं	11/6,8,10/9/20	62791.00	प्रशासनिक व्यय
		योग	418946.00	

"ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षेपण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए"। एवं खंड 8-क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी"। आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में उपरोक्त व्यय रु 418946.00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तरप्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन की श्रेणी में आता है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सोफिया बानो और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री संजीव कुमार उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- नसीरपुरअन्दूप

विकास खंड- सकरन

प्रस्तर संख्या -52- ग्राम पंचायत नसीरपुरअन्दूप की वर्ष - 2020-21 की लेखा परीक्षा में कोष बही में निम्न विवरण के अनुसार विभिन्न मदों पर व्यय किया जाना दर्शित है, परंतु उक्त व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक एवं सम्बन्धित पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। फलस्वरूप आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त व्यय की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। विवरण निम्नवत है।

क्रम संख्या	कैशबुक क्रमांक	व्यय	दिनांक	धनराशि	भुगतान का मद
1.	अंकित नहीं		15,21/11/20	198100.00	हैण्डपम्प रिबोर
2.	अंकित नहीं		8,29/11/20	96939.00	सामुदायिक शौचालय टायलीकरण
3.	अंकित नहीं		13,15,15/12/20	139216.00	इन्टरलॉकिंग कार्य अशोक के घर तक
		योग		434255.00	

"ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षेपण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए"। एवं खंड 8-क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी"। आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में उपरोक्त व्यय रु 434255.00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तरप्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन की श्रेणी में आता है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री पैकरमा और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती सोनम श्रीवास्तव उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – बसुदहा

विकास खण्ड – बिसवाँ

वर्ष 2020-21

प्र०सं०-53-

आलोच्य वर्ष के अभिलेख लिखित/मौखिक मांगे जाने पर भी लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किये गये। ग्राम पंचायत बसुदहा में वर्ष 2020-21 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित आय-व्यय के आंकड़े निम्नवत् हैं –

क्र०सं०	वर्ष	आय	व्यय
1-	2020-21	10954053.00	2662288.00
	योग –	10954053.00	2662288.00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, प्रमाणकविहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खण्ड-8(क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।"

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोशबही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, सम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय की कुल धनराशि ₹० **2662288.00** की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान **श्रीमती तबस्सुम** एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव **श्री आशीष कुमार रावत** से बराबर-बराबर भाग में ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – बुढ़नापुर

विकास खण्ड – बिसवाँ

वर्ष 2020-21

प्र०सं०-54

आलोच्य वर्ष के अभिलेख लिखित/मौखिक मांगे जाने पर भी लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किये गये। ग्राम पंचायत बुढ़नापुर में वर्ष 2020-21 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित आय-व्यय के आंकड़े निम्नवत् हैं –

क्र०सं०	वर्ष	आय	व्यय
1-	2020-21	3249828.00	971162.00
	योग –	3249828.00	971162.00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, प्रमाणकविहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खण्ड-8(क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।"

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोशबही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, सम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय की कुल धनराशि ₹० **971162.00** की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान **श्रीमती राजकुमारी** एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव **श्री मुनेन्द्र** से बराबर-बराबर भाग में ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – बजेहरा नसीरपुर

विकास खण्ड – बिसवाँ

वर्ष 2020-21

प्र०सं०-55-

आलोच्य वर्ष के अभिलेख लिखित/मौखिक मांगे जाने पर भी लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किये गये। ग्राम पंचायत बजेहरा नसीरपुर में वर्ष 2020-21 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित आय-व्यय के आंकड़े निम्नवत् हैं –

क्र०सं०	वर्ष	आय	व्यय

प्र०सं०-58- ग्राम पंचायत कल्याणपुर के वर्ष 2020-21 के अभिलेखों की लिखित व मौखिक बार-बार मांग की गई किन्तु लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किए गए जिससे ऑन लाइन हुए व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। वर्ष 2020-21 के ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत कल्याणपुर विकास खण्ड हरगाँव के आय-व्यय के आंकड़े निम्नवत् हैं –

क्र०सं०	वर्ष	आय	व्यय
1-	2020-21	5528907.00	1528356.00
	योग –	5528907.00	1528356.00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, प्रमाणकविहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खण्ड-8(क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।"

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोशबही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, सम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय की कुल धनराशि रू० **1528356.00** की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान **श्रीमती सुनीता देवी** एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव **श्री लवकुश भारती** से बराबर-बराबर भाग में ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – मल्लापुर

विकास खण्ड – हरगाँव

वर्ष 2020-21

प्र०सं०-59- आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत मल्लापुर की कोषबही में निम्न विवरण के अनुसार व्यय अंकित किये गये हैं, परन्तु व्यय/व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक एवं सम्बन्धित पत्रावलियाँ आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जिससे दर्शित व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी।

क्र०सं०	दिनांक	बाउचर संख्या	धनराशि	व्यय का विवरण
1-	07-04-20 से 20-12-20 तक	1 से 76 तक	1549403.00	चतुर्थ व पंचम बिल से व्यय हुई समस्त धनराशि
2-	21-09-20 से 25-12-20 तक	1 से 10 तक	906995.00	केन्द्रीय वित्त से व्यय हुई समस्त धनराशि
	योग –		2456398.00	

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, प्रमाणकविहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खण्ड-8(क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि रू० **2456398.00** गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणकविहीन किये गये व्यय की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान **श्रीमती नीलम** एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव **श्री प्रेयस गहोई** से बराबर-बराबर भाग में ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – मुद्रासन

विकास खण्ड – हरगाँव

वर्ष 2020-21

प्र०सं०-60 आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत मुद्रासन की कोषबही में निम्न विवरण के अनुसार व्यय अंकित किये गये हैं, परन्तु व्यय/व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक एवं सम्बन्धित पत्रावलियाँ आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जिससे दर्शित व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी।

क्र०सं०	दिनांक	बाउचर संख्या	धनराशि	व्यय का विवरण
1-	12-06-20 से 20-12-20 तक	1 से 22 तक	883180.00	चतुर्थ व पंचम बिल से व्यय हुई समस्त धनराशि

2-	17-09-20 से 26-12-20 तक	1 से 08 तक	866443.00	केन्द्रीय वित्त से व्यय हुई समस्त धनराशि
		योग -	1749623.00	

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, प्रमाणकविहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खण्ड-8(क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि रु० **1749623.00** गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अनतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणकविहीन किये गये व्यय की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान **श्री आशीष** एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव **श्री प्रेयस गहोई** से बराबर-बराबर भाग में ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - महादेव अटरा

विकास खण्ड - हरगाँव

वर्ष 2020-21

प्र०सं०-61- आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत **महादेव अटरा** की कोषबही में निम्न विवरण के अनुसार व्यय अंकित किये गये हैं, परन्तु व्यय/व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक एवं सम्बन्धित पत्रावलियाँ आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जिससे दर्शित व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी।

क्र०सं०	दिनांक	बाउचर संख्या	धनराशि	व्यय का विवरण
1-	13-04-2020	1	28500.00	हैण्डपम्प रिबारे
2-	13-04-2020	2	44024.00	सामग्री क्रय
3-	13-04-2020	3	49324.00	सामग्री क्रय
4-	13-04-2020	4	4500.00	निविदा प्रकाशन
5-	13-04-2020	5	50992.00	सामग्री क्रय
6-	13-04-2020	6	28500.00	हैण्डपम्प रिबोर
7-	13-04-2020	7	4500.00	निविदा प्रकाशन
8-	13-04-2020	8	44968.00	मजदूरी व्यय
9-	13-04-2020	9	25225.00	सामग्री क्रय
10-	22-04-2020	10	10140.00	सामग्री क्रय
11-	22-04-2020	11	24000.00	सामग्री क्रय
12-	12-06-2020	12	45841.00	सामग्री क्रय नाली निर्माण
13-	12-06-2020	13	49500.00	सामग्री क्रय नाली निर्माण
14-	15-06-2020	14	34244.00	सामग्री क्रय नाली निर्माण
15-	15-06-2020	15	49500.00	सामग्री क्रय नाली निर्माण
16-	15-06-2020	16	49500.00	कूड़ादान
17-	15-06-2020	17	49500.00	कूड़ादान
18-	15-06-2020	18	39683.00	सामग्री क्रय नाली निर्माण
19-	28-07-2020	19	28500.00	हैण्डपम्प रिबोर
20-	02-08-2020	20	4500.00	निविदा प्रकाशन
21-	02-08-2020	21	4500.00	निविदा प्रकाशन
22-	17-09-2020	22	9700.00	हैण्डपम्प मरम्मत
23-	07-10-2020	23	28500.00	हैण्डपम्प रिबोर
24-	13-10-2020	24	49324.00	सामग्री क्रय
25-	28-10-2020	25	49324.00	सामग्री क्रय
26-	28-10-2020	26	48538.00	सामग्री क्रय
27-	28-10-2020	27	40771.00	मजदूरी व्यय

28-	28-10-2020	28	48877.00	सामग्री क्रय
29-	29-10-2020	29	48877.00	सामग्री क्रय
30-	29-10-2020	30	41374.00	मजदूरी व्यय
31-	29-10-2020	31	48538.00	सामग्री क्रय
32-	09-11-2020	32	28200.00	सामग्री क्रय
33-	09-11-2020	33	28300.00	सामग्री क्रय
34-	09-11-2020	34	7773.00	मजदूरी व्यय
35-	09-11-2020	35	7572.00	मजदूरी व्यय
36-	09-11-2020	36	28205.00	मजदूरी व्यय
37-	09-11-2020	37	28539.00	मजदूरी व्यय
38-	09-11-2020	38	28200.00	मजदूरी व्यय
39-	26-11-2020	39	28200.00	मजदूरी व्यय
40-	26-11-2020	40	28300.00	हैण्डपम्प रिबोर
41-	25-12-2020	अज्ञात	10150.00	हैण्डपम्प मरम्मत
42-	16-09-20 से 31-12-20 तक	1 से 25 तक	1329057.00	15वें वित्त से सम्बन्धित समस्त व्यय
		योग -	2636260.00	

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, प्रमाणकविहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खण्ड-8(क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि ₹ 2636260.00 गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अनतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणकविहीन किये गये व्यय की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान **श्रीमती समीम बानो** एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव **श्री सुरेश वर्मा** से बराबर-बराबर भाग में ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - वजीरपुर

विकास खण्ड - हरगाँव

वर्ष 2020-21

प्र०सं०-62-आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत **वजीरपुर** की कोषबही में निम्न विवरण के अनुसार व्यय अंकित किये गये हैं, परन्तु व्यय/व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक एवं सम्बन्धित पत्रावलियाँ आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जिससे दर्शित व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी।

क्र०सं०	दिनांक	बाउचर संख्या	धनराशि	व्यय का विवरण
1-	26-04-2020	1	28500.00	हैण्डपम्प रिबोर
2-	18-06-2020	3	44362.00	सामग्री क्रय
3-	18-06-2020	4	44362.00	सामग्री क्रय
4-	29-06-2020	5	60300.00	मजदूरी व्यय
5-	29-06-2020	6	27709.00	अज्ञात
6-	29-06-2020	7	40200.00	अज्ञात

7-	05-11-2020	8	28500.00	हैण्डपम्प रिबोर
8-	05-11-2020	9	22366.00	अज्ञात
9-	06-11-2020	10	28500.00	हैण्डपम्प रिबोर
10-	06-11-2020	11	28500.00	हैण्डपम्प रिबोर
11-	07-11-2020	12	28500.00	हैण्डपम्प रिबोर
12-	28-04-20 व 24-11-20	2 व 13	45500.00	प्रधान मानदेय
13-	08-12-2020	14	28200.00	हैण्डपम्प रिबोर
14-	08-12-2020	15	28100.00	हैण्डपम्प रिबोर
15-	18-12-2020	16	28200.00	हैण्डपम्प रिबोर
16-	18-12-2020	17	18000.00	हैण्डपम्प मरम्मत
17-	21-09-20 से 08-12-20 तक	1 से 12 तक	536472.00	केन्द्रीय वित्त से व्यय हुई समस्त धनराशि
योग -			1066271.00	

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, प्रमाणकविहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खण्ड-8(क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि ₹० 1067271.00 गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अनतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणकविहीन किये गये व्यय की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान **श्री सुनील** एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव **श्री सुरेश वर्मा** से बराबर-बराबर भाग में ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - राजेपुर

विकास खण्ड - हरगाँव

वर्ष 2020-21

प्र०सं०-63-

आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत **राजेपुर** की कोषबही में निम्न विवरण के अनुसार व्यय अंकित किये गये हैं, परन्तु व्यय/व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक एवं सम्बन्धित पत्रावलियाँ आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जिससे दर्शित व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी।

क्र०सं०	दिनांक	बाउचर संख्या	धनराशि	व्यय का विवरण
1-	18-06-20 से 26-12-20 तक	1 से 27 तक	583858.00	चतुर्थ व पंचम वित्त से व्यय हुई समस्त धनराशि
2-	30-09-20 से 05-12-20 तक	1 से 06 तक	503007.00	केन्द्रीय वित्त से व्यय हुई समस्त धनराशि
योग -			1086865.00	

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, प्रमाणकविहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खण्ड-8(क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि ₹० 1086865.00 गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अनतर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणकविहीन किये गये व्यय की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान **श्रीमती पुष्पा देवी** एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव **श्री सुरेश वर्मा** से बराबर-बराबर भाग में ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - कुन्हेटा लच्छी रामपुर

विकास खण्ड - मछरेहटा

वर्ष 2020-21

प्र०सं०-64-

ग्राम की वर्ष 2020-21 लेखा परीक्षा में राज्य वित्त खाता संख्या 5900134716 से वर्ष में ₹० 611800.00 व्यय किये गये परन्तु लेखा परीक्षा में सिर्फ स्टेटमेन्ट ही प्रस्तुत किया गया कैशबुक व व्यय प्रमाणक व पत्रावलियाँ प्रस्तुत नहीं की गयी। इस प्रकार ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, प्रमाणकविहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के

समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खण्ड-8(क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" अतः व्यय धनराशि रू० **611800.00** की वसूली ग्राम प्रधान **श्री उमाशंकर** व सचिव **श्री लक्ष्मण तिवारी** से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्र०सं०-65- ग्राम पंचायत के वर्ष 2020-21 के पन्द्रहवें वित्त के खाता संख्या 50521920105 से वर्ष में रू० 689316.00 व्यय किये गये परन्तु लेखा परीक्षा में सिर्फ स्टेटमेन्ट प्रस्तुत किया गया कैशबुक व व्यय प्रमाणक व पत्रावलियाँ प्रस्तुत नहीं की गयी इस प्रकार उपरोक्त ग्राम पंचायत दर्शित व्यय प्रमाणकविहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खण्ड-8(क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" अतः व्यय धनराशि रू० **689316.00** की वसूली ग्राम प्रधान **श्री उमाशंकर** व सचिव **श्री लक्ष्मण तिवारी** से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - मिर्जापुर उत्तरी

विकास खण्ड - मछरेहटा

वर्ष 2020-21

प्र०सं०-66- वर्ष 2020-21 की कैशबुक से ज्ञात हुआ कि सामुदायिक शौचालय हेड प्रमाणक संख्या-01 से रू० 95951.00 रमेश ट्रेडर्स को दिनांक 21-09-2020 को भुगतान पुनः प्रमाणक संख्या-02 से रू० 89460.00 जनता ब्रिक फील्ड को भुगतान दिनांक 21-09-2020 स प्रमाणक संख्या-03 से रू० 67161.00 दिनांक 19-10-2020 को रमेश ट्रेडर्स को भुगतान किया गया, परन्तु लेखा परीक्षा में प्रमाणक अप्राप्त रहे। विवरण निम्नवत् है:-

क्र०सं०	बाउचर संख्या	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	01	21-09-2020	95951.00	रमेश ट्रेडर्स को भुगतान
2-	02	21-09-2020	89460.00	जनता ब्रिक फील्ड
3-	03	19-10-2020	67161.00	रमेश ट्रेडर्स को भुगतान
		योग -	252572.00	

लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार यदि व्यय धनराशि के सापेक्ष प्रमाणक अप्राप्त हो तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए व्यय धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से की जायेगी। अतः व्यय धनराशि रू० 252572.00 की वसूली ग्राम प्रधान **श्री राजू** व सचिव **श्री लक्ष्मण तिवारी** से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्र०सं०-67- ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में 5+4 राज्य वित्त के व्यय के सापेक्ष केवल स्टेटमेन्ट ही प्रस्तुत किये गये जबकि कुल व्यय धनराशि पूरे वर्ष की रू० 924724.00 थी। अतः लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार यदि व्यय धनराशि के सापेक्ष प्रमाणक अप्राप्त हो तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः व्यय धनराशि रू० 924724.00 को गबन मानते हुए, इसकी वसूली ग्राम प्रधान **श्री राजू** व सचिव **श्री लक्ष्मण तिवारी** से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - इटौवा

विकास खण्ड - मछरेहटा

वर्ष 2020-21

प्र०सं०-68- ग्राम पंचायत की वर्ष 2020-21 लेखा परीक्षा में राज्य वित्त खाता संख्या 50314400581 से वर्ष में रू० 1921374.00 व्यय किये गये परन्तु लेखा परीक्षा में सिर्फ स्टेटमेन्ट ही प्रस्तुत किया गया कैशबुक व व्यय प्रमाणक व पत्रावलियाँ प्रस्तुत नहीं की गयी। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खण्ड-8(क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" अतः व्यय धनराशि रू० **1921374.00** की वसूली ग्राम प्रधान **श्रीमती रजनी पाल** व सचिव **श्री लक्ष्मण तिवारी** से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्र०सं०-69- ग्राम पंचायत के वर्ष 2020-21 के पन्द्रहवें वित्त के खाता संख्या 50521597444 से वर्ष में रू० 433758.00 व्यय किये गये परन्तु लेखा परीक्षा में सिर्फ स्टेटमेन्ट प्रस्तुत किया गया कैशबुक व व्यय प्रमाणक व पत्रावलियाँ प्रस्तुत नहीं किये गये यह उपरोक्त ग्राम पंचायत दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणकविहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खण्ड-8(क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" अतः व्यय धनराशि रू० **433758.00** की वसूली ग्राम प्रधान **श्रीमती रजनी पाल** व सचिव **श्री लक्ष्मण तिवारी** से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – शाहपुर दलावल
विकास खण्ड – परसेण्डी
वर्ष 2020-21

प्र०सं०-70—आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत शाहपुर दलावल की कोषबही में निम्न विवरण के अनुसार व्यय अंकित किये गये हैं, परन्तु व्यय/व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक एवं सम्बन्धित पत्रावलियाँ आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जिससे दर्शित व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी।

क्र०सं०	दिनांक	प्रमाणक संख्या	धनराशि	व्यय का विवरण
1-	13-04-2020	2	173704.00	सामग्री क्रय, सी०सी० रोड
2-	13-04-2020	3	91895.00	मजदूरी व्यय, सी०सी० रोड
3-	13-04-2020	5	138373.00	सामग्री क्रय, सी०सी० रोड
4-	05-05-2020	6	92710.00	मजदूरी व्यय, सी०सी० रोड
5-	18-06-2020	7	21070.00	मजदूरी व्यय नाली निर्माण
6-	18-06-2020	8	64136.00	सामग्री क्रय
7-	18-06-2020	9	18220.00	समर वेल निर्माण
8-	18-07-2020	12	55000.00	हैण्डपम्प रिबोर
9-	08-12-2020	18	25125.00	मजदूरी व्यय
10-	08-12-2020	20	29346.00	मजदूरी व्यय
11-	08-12-2020	21	67400.00	सामग्री क्रय
12-	08-12-2020	23	58113.00	सामग्री क्रय
13-	22-09-2020	1	257516.00	सामग्री क्रय
		योग –	1092608.00	

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, प्रमाणकविहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खण्ड-8(क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि रु० **1092608.00** को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणकविहीन किये गये व्यय की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान **श्री पप्पू** एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव **श्री अनिलेश यादव** से बराबर-बराबर भाग में ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – मिर्किल्लीपुर
विकास खण्ड – परसेण्डी
वर्ष 2020-21

प्र०सं०-71—आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत मिर्किल्लीपुर की कोषबही में निम्न विवरण के अनुसार व्यय अंकित किये गये हैं, परन्तु व्यय/व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक एवं सम्बन्धित पत्रावलियाँ आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जिससे दर्शित व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी।

क्र०सं०	दिनांक	प्रमाणक संख्या	धनराशि	व्यय का विवरण
1-	06-06-2020	1	131482.00	सामग्री क्रय, इण्टर लॉकिंग, नाली
2-	04-07-2020	3	63620.00	सामग्री क्रय, खडन्जा
3-	04-07-2020	4	47106.00	सामग्री क्रय, खडन्जा
4-	04-07-2020	5	62767.00	सामग्री क्रय, खडन्जा नाली
5-	10-12-2020	10	71500.00	सामग्री क्रय, खडन्जा नाली
6-	10-12-2020	11	105300.00	सामग्री क्रय, खडन्जा नाली

7-	10-12-2020	12	50100.00	सामग्री क्रय, खडन्जा नाली
8-	10-12-2020	13	25700.00	सामग्री क्रय नाली
		योग -	557575.00	

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, प्रमाणकविहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खण्ड-8(क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि ₹ 557575.00 को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणकविहीन किये गये व्यय की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान **श्री जकिरून** एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव **श्री अनिलेश यादव** से बराबर-बराबर भाग में ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - धिमौरा

विकास खण्ड - परसेण्डी

वर्ष 2020-21

प्र०सं०-72-आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत **धिमौरा** की कोषबही में निम्न विवरण के अनुसार व्यय अंकित किये गये हैं, परन्तु व्यय/व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक एवं सम्बन्धित पत्रावलियाँ आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जिससे दर्शित व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी।

क्र०सं०	दिनांक	प्रमाणक संख्या	धनराशि	व्यय का विवरण
1-	04-07-2020	3	49913.00	सामग्री क्रय इण्टर लॉकिंग
2-	04-07-2020	4	49398.00	सामग्री क्रय
3-	04-07-2020	5	31605.00	मजदूरी व्यय
4-	04-10-2020	15	11570.00	ठेलिया क्रय
5-	04-11-2020	18	84300.00	हैण्डपम्प रिबोर
6-	13-12-2020	22	84300.00	हैण्डपम्प रिबोर
7-	21-12-2020	27	45479.00	सामग्री क्रय
8-	21-12-2020	28	47834.00	मजदूरी व्यय
9-	21-12-2020	29	40200.00	सामग्री क्रय
10-	21-12-2020	30	49973.00	सामग्री क्रय
11-	21-12-2020	35	38186.00	मजदूरी व्यय
		योग -	532758.00	

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, प्रमाणकविहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खण्ड-8(क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि ₹ 532758.00 को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणकविहीन किये गये व्यय की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान **श्री शशांक शुक्ल** एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव **श्री ओमप्रकाश** से बराबर-बराबर भाग में ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – जरेली**विकास खण्ड – परसेण्डी****वर्ष 2020-21**

प्र०सं०-73–आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत **जरेली** की कोषबही में निम्न विवरण के अनुसार व्यय अंकित किये गये हैं, परन्तु व्यय/व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक एवं सम्बन्धित पत्रावलियाँ आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जिससे दर्शित व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी।

क्र०सं०	दिनांक	प्रमाणक संख्या	धनराशि	व्यय का विवरण
1-	18-07-2020	3	126092.00	सामग्री व्यय
2-	18-07-2020	4	34665.00	मजदूरी व्यय
3-	18-07-2020	5	82500.00	हैण्डपम्प रिबोर
4-	03-08-2020	10	25116.00	मजदूरी व्यय
5-	03-08-2020	12	23856.00	मजदूरी व्यय
6-	03-08-2020	13	19110.00	मजदूरी व्यय
7-	03-08-2020	14	26390.00	मजदूरी व्यय
8-	03-08-2020	15	22750.00	मजदूरी व्यय
9-	03-08-2020	16	40950.00	मजदूरी व्यय
10-	06-11-2020	27	135321.00	सामग्री व्यय
11-	06-11-2020	28	135363.00	सामग्री व्यय
12-	06-11-2020	29	142029.00	सामग्री व्यय
13-	19-11-2020	37	88548.00	मजदूरी व्यय
14-	19-11-2020	38	406306.00	सामग्री व्यय
15-	19-11-2020	39	93651.00	सामग्री व्यय
16-	19-11-2020	40	138086.00	सामग्री व्यय
17-	19-11-2020	41	97396.00	सामग्री व्यय
18-	19-11-2020	42	22038.00	मजदूरी व्यय
		योग –	1660167.00	

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, प्रमाणकविहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खण्ड-8(क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि रु० **1660167.00** को गबन में ऑकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणकविहीन किये गये व्यय की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान **श्रीमती आबिदा खातून** एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव **श्री अनिलेश यादव** से बराबर-बराबर भाग में ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – कन्हेलिया**विकास खण्ड – परसेण्डी****वर्ष 2020-21**

प्र०सं०-74- आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत कन्हेलिया की कोषबही में निम्न विवरण के अनुसार व्यय अंकित किये गये हैं, परन्तु व्यय/व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक एवं सम्बन्धित पत्रावलियाँ आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जिससे दर्शित व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी।

क्र०सं०	दिनांक	प्रमाणक संख्या	धनराशि	व्यय का विवरण
1-	04-10-2020	7	52080.00	हयूम पाइप क्रय
2-	04-10-2020	8	82500.00	हैण्डपम्प रिबोर
3-	18-12-2020	10	56000.00	हैण्डपम्प रिबोर
4-	26-03-2021	11	19980.00	सामग्री क्रय हैण्डपम्प मरम्मत
5-	23-09-2020	1	222389.00	सामग्री क्रय सामु० शौ०
6-	29-03-2021	2	56327.00	मजदूरी व्यय
		योग -	489276.00	

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, प्रमाणकविहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खण्ड-8(क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि रू० **489276.00** को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणकविहीन किये गये व्यय की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान **श्री राजेश कुमार** एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव **श्री अनिलेश यादव** से बराबर-बराबर भाग में ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – शरीफपुर**विकास खण्ड – परसेण्डी****वर्ष 2020-21**

प्र०सं०-75- आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत शरीफपुर की कोषबही में निम्न विवरण के अनुसार व्यय अंकित

क्र०सं०	दिनांक	प्रमाणक संख्या	धनराशि	व्यय का विवरण
1-	07-04-2020	1	62479.00	अज्ञात
2-	07-04-2020	2	48676.00	अज्ञात
3-	09-04-2020	3	22067.00	अज्ञात
4-	28-08-2020	11	82500.00	हैण्डपम्प रिबोर
5-	04-10-2020	13	27500.00	हैण्डपम्प रिबोर
6-	04-10-2020	14	55000.00	हैण्डपम्प रिबोर
7-	26-03-2020	16	27700.00	सामग्री क्रय, हैण्डपम्प मरम्मत
		योग -	325922.00	

किये गये हैं, परन्तु व्यय/व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक एवं सम्बन्धित पत्रावलियाँ आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जिससे दर्शित व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, प्रमाणकविहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खण्ड-8(क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि ₹० 325922.00 को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणकविहीन किये गये व्यय की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान **श्री इसरार** एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव **श्री अनिलेश यादव** से बराबर-बराबर भाग में ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – मदनापुर

विकास खण्ड – परसेण्डी वर्ष 2020-21

प्र०सं०-76- आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत **शरीफपुर** की कोषबही में निम्न विवरण के अनुसार व्यय अंकित किये गये हैं, परन्तु व्यय/व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक एवं सम्बन्धित पत्रावलियाँ आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जिससे दर्शित व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी।

क्र०सं०	दिनांक	प्रमाणक संख्या	धनराशि	व्यय का विवरण
1-	07-07-2020	4	44710.00	हयूम पाइप क्रय
2-	31-08-2020	7	26632.00	सामग्री क्रय नाली
3-	31-08-2020	8	117173.00	सामग्री क्रय नाली
4-	31-08-2020	9	36512.00	मजदूरी व्यय
5-	31-08-2020	10	77663.00	सामग्री क्रय नाली
6-	15-09-2020	11	73874.00	सामग्री
7-	15-09-2020	12	17653.00	मजदूरी व्यय
8-	31-12-2020	17	178496.00	सामग्री क्रय
9-	29-03-2020	18	19890.00	सामग्री क्रय
		योग –	592603.00	

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, प्रमाणकविहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खण्ड-8(क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि ₹० 592603.00 को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणकविहीन किये गये व्यय की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान **श्री शान मोहम्मद** एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव **श्री अनिलेश यादव** से बराबर-बराबर भाग में ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – कला बहादुरपुर

विकास खण्ड – परसेण्डी

वर्ष 2020-21

प्र०सं०-77- आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत **कला बहादुरपुर** की कोषबही में निम्न विवरण के अनुसार व्यय अंकित किये गये हैं, परन्तु व्यय/व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक एवं सम्बन्धित पत्रावलियाँ आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जिससे दर्शित व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी।

क्र०सं०	दिनांक	प्रमाणक संख्या	धनराशि	व्यय का विवरण

1-	28-08-2020	2	63175.00	मजदूरी व्यय
2-	03-11-2020	4	82500.00	हैण्डपम्प रिबोर
3-	24-03-2021	7	19950.00	सामग्री क्रय हैण्डपम्प मरम्मत
4-	21-09-2020	1	257516.00	सामग्री क्रय सामुं शौं
5-	25-03-2021	2	165307.00	सामग्री क्रय सामुं शौं
6-	25-03-2021	3	56327.00	मजदूरी व्यय सामुं शौं
		योग -	644775.00	

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, प्रमाणकविहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खण्ड-8(क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि ₹० **644775.00** को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणकविहीन किये गये व्यय की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान **श्रीमती नीलम देवी** एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव **श्री अनिलेश यादव** से बराबर-बराबर भाग में ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - कैमहरा

विकास खण्ड - परसेण्डी

वर्ष 2020-21

प्र०सं०-78-आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत **कैमहरा** की कोषबही में निम्न विवरण के अनुसार व्यय अंकित किये गये हैं, परन्तु व्यय/व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक एवं सम्बन्धित पत्रावलियाँ आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जिससे दर्शित व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी।

क्र०सं०	दिनांक	प्रमाणक संख्या	धनराशि	व्यय का विवरण
1-	02-08-2020	5	27500.00	हैण्डपम्प रिबोर
2-	29-03-2020	10	27820.00	सामग्री क्रय हैण्डपम्प मरम्मत
3-	21-09-2020	1	257516.00	सामग्री क्रय सामुं शौं
4-	10-11-2020	2	57892.00	मजदूरी व्यय सामुं शौं
		योग -	370728.00	

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, प्रमाणकविहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खण्ड-8(क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि ₹० **370728.00** को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणकविहीन किये गये व्यय की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान **श्रीमती अमृता देवी** एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव **श्री अनिलेश यादव** से बराबर-बराबर भाग में ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - गुराईपुर

विकास खण्ड - परसेण्डी

वर्ष 2020-21

प्र०सं०-79-आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत **गुराईपुर** की कोषबही में निम्न विवरण के अनुसार व्यय अंकित किये गये हैं, परन्तु व्यय/व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक एवं सम्बन्धित पत्रावलियाँ आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जिससे दर्शित व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी।

क्र०सं०	दिनांक	प्रमाणक संख्या	धनराशि	व्यय का विवरण
1-	18-06-2020	1	47124.00	सामग्री क्रय, नाली निर्माण

2-	18-06-2020	2	52277.00	सामग्री क्रय
3-	18-06-2020	3	55597.00	सामग्री क्रय
4-	18-06-2020	4	10529.00	सामग्री क्रय
5-	18-06-2020	5	12933.00	मजदूरी व्यय
6-	08-12-2020	9	70873.00	सामग्री क्रय
7-	08-12-2020	10	21909.00	मजदूरी व्यय
8-	29-03-2020	12	27820.00	सामग्री क्रय
		योग -	299062.00	

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, प्रमाणकविहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खण्ड-8(क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि ₹० **299062.00** को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणकविहीन किये गये व्यय की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान **श्री अजय प्रकाश** एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव **श्री अनिलेश यादव** से बराबर-बराबर भाग में ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - अमौरा मोतीसिंह

विकास खण्ड - परसेण्डी

वर्ष 2020-21

प्र०सं०-80 - आलोच्य वर्ष **2020-21** में ग्राम पंचायत **अमौरा मोतीसिंह** की कोषबही में निम्न विवरण के अनुसार व्यय अंकित किये गये हैं, परन्तु व्यय/व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक एवं सम्बन्धित पत्रावलियाँ आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जिससे दर्शित व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी।

क्र०सं०	दिनांक	प्रमाणक संख्या	धनराशि	व्यय का विवरण
1-	19-09-2020	10	40950.00	सामग्री क्रय खडन्जा
2-	19-09-2020	11	40950.00	सामग्री क्रय खडन्जा
3-	19-09-2020	12	40950.00	सामग्री क्रय खडन्जा
4-	19-09-2020	13	36763.00	सामग्री क्रय खडन्जा
5-	17-11-2020	21	184569.00	सामग्री क्रय इण्टर लॉकिंग
6-	17-11-2020	22	184089.00	सामग्री क्रय इण्टर लॉकिंग
7-	17-11-2020	23	183824.00	सामग्री क्रय इण्टर लॉकिंग
8-	17-11-2020	25	71556.00	मजदूरी व्यय खडन्जा
9-	08-12-2020	33	194164.00	सामग्री क्रय इण्टर लॉकिंग
10-	13-12-2020	37	184569.00	सामग्री क्रय इण्टर लॉकिंग
11-	13-12-2020	38	40911.00	सामग्री क्रय इण्टर लॉकिंग
12-	13-12-2020	39	130946.00	सामग्री क्रय खडन्जा
13-	13-12-2020	40	37185.00	मजदूरी व्यय खडन्जा
		योग -	1371426.00	

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, प्रमाणकविहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खण्ड-8(क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि ₹ 1371426.00 को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणकविहीन किये गये व्यय की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान **श्री विमल सिंह** एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव **श्री अनिलेश यादव** से बराबर-बराबर भाग में ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – दसेलिया

विकास खण्ड – परसेण्डी

वर्ष 2020-21

प्र०सं०-81- आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत **दसेलिया** की कोषबही में निम्न विवरण के अनुसार व्यय अंकित किये गये हैं, परन्तु व्यय/व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक एवं सम्बन्धित पत्रावलियाँ आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जिससे दर्शित व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी।

क्र०सं०	दिनांक	प्रमाणक संख्या	धनराशि	व्यय का विवरण
1-	27-07-2020	4	27982.00	सामग्री क्रय
2-	27-07-2020	5	14943.00	मजदूरी व्यय
3-	27-07-2020	6	28160.00	सामग्री क्रय
4-	27-07-2020	7	18797.00	सामग्री क्रय
5-	27-07-2020	9	28695.00	सामग्री क्रय
6-	03-08-2020	13	57000.00	हैण्डपम्प रिबोर
7-	05-09-2020	17	34125.00	सामग्री क्रय खडन्जा
8-	05-09-2020	18	36855.00	सामग्री क्रय खडन्जा
9-	05-09-2020	20	42854.00	मजदूरी व्यय
10-	05-09-2020	21	40950.00	सामग्री क्रय
11-	14-10-2020	26	22982.00	सामग्री क्रय सी०सी०
12-	15-10-2020	27	49487.00	मजदूरी व्यय
13-	15-10-2020	28	46866.00	सामग्री क्रय
14-	15-10-2020	29	49960.00	सामग्री क्रय
15-	15-10-2020	30	42437.00	सामग्री क्रय
16-	15-10-2020	31	36480.00	सामग्री क्रय
17-	15-10-2020	33	85800.00	हैण्डपम्प रिबोर
18-	11-11-2020	36	40964.00	हयूम पाइप क्रय
19-	11-11-2020	37	40964.00	हयूम पाइप क्रय
20-	21-12-2020	41	37278.00	सामग्री क्रय नाली
21-	21-12-2020	43	55000.00	हैण्डपम्प रिबोर
22-	28-12-2020	47	152830.00	मजदूरी व्यय पंचायत भवन
		योग –	991409.00	

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, प्रमाणकविहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खण्ड-8(क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पुत्रावलियाँ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि रू० 991409.00 को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणकविहीन किये गये व्यय की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान **श्रीमती पुष्पा देवी** एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव **श्री ओमप्रकाश** से बराबर-बराबर भाग में ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – बरातपुर

विकास खण्ड – महोली

वर्ष 2020-21

प्र०सं०-82- पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 में उल्लिखित नियमों की अवहेलना करता है, जिसमें ये उल्लेख किया गया है "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।"

परन्तु लेखा परीक्षा में कतिपय कार्यों पर किये गये व्यय की पुष्टि में अपेक्षित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं है। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत **बरातपुर** में कराए गये कतिपय कार्यों पर किये गये व्यय का विवरण निम्नवत् है –

क्र०सं०	प्रमाणक संख्या	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि	फर्म का नाम
1-	अज्ञात	रिबोर	21-07-2020	74445.00	गायत्री ट्रेडर्स
2-	अज्ञात	रिबोर	11-10-2020	47800.00	बालाजी ट्रेडर्स
3-	अज्ञात	हयूम पाइप	17-12-2020	75650.00	बालाजी ट्रेडर्स
			योग:-	197895.00	

इस प्रकार उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गए व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे।

लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत तथा प्रधान ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी।" इस प्रकार उक्त धनराशि रू० 197895.00 की वसूली बराबर ग्राम विकास अधिकारी **श्री राजेश कुमार** एवं प्रधान **श्री विजय विक्रम सिंह** से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – महेवा

विकास खण्ड – महोली

वर्ष 2020-21

प्र०सं०-83- पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 में उल्लिखित नियमों की अवहेलना करता है, जिसमें ये उल्लेख किया गया है "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।"

परन्तु लेखा परीक्षा में कतिपय कार्यों पर किये गये व्यय की पुष्टि में अपेक्षित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं है। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत **महेवा** में कराए गये कतिपय कार्यों पर किये गये व्यय का विवरण निम्नवत् है –

क्र०सं०	प्रमाणक संख्या	दिनांक	धनराशि	फर्म का नाम
1-	अज्ञात	04-11-2020	63717.00	मजदूरी भुगतान
2-	अज्ञात	04-11-2020	51435.00	बालाजी ट्रेडर्स
3-	अज्ञात	04-11-2020	54390.00	सरस्वती ब्रिक फील्ड
			योग:-	169542.00

इस प्रकार उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गए व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे।

लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत तथा प्रधान ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी।" इस प्रकार उक्त धनराशि रू० 169542.00 की वसूली बराबर ग्राम विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार एवं प्रधान श्री अम्बे सिंह से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – पिपरावां

विकास खण्ड – महोली

वर्ष 2020-21

प्र०सं०-84- ग्राम पंचायत पिपरावां, विकास खण्ड महोली की वर्ष 2020-21 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्भव नहीं हो सकी। अतः ऑन लाइन लेखा परीक्षा होने के कारण, अभिलेख अप्राप्त होने की दशा में ई-ग्राम स्वराज पर दर्शित व्यय पर अधिभार प्रतिवेदन की कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 2020-21 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आंकड़े निम्नवत् हैं –

क्र०सं०	वर्ष	आय	व्यय
1-	2020-21	2500736.00	1398664.00
	योग:-	2500736.00	1398664.00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, प्रमाणकविहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खण्ड-8(क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।"

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोषबही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, सम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्तावआदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किये गये व्यय कुल धनराशि रू० 1398664.00 की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अनूप गुप्ता से बराबर-बराबर भाग में ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – लुकतहा

विकास खण्ड – महोली

वर्ष 2020-21

प्र०सं०-85- पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 में उल्लिखित नियमों की अवहेलना करता है, जिसमें ये उल्लेख किया गया है "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।"

परन्तु लेखा परीक्षा में कतिपय कार्यों पर किये गये व्यय की पुष्टि में अपेक्षित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं है। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत लुकतहा में कराए गये कतिपय कार्यों पर किये गये व्यय का विवरण निम्नवत् है –

क्र०सं०	प्रमाणक संख्या	दिनांक	धनराशि	फर्म का नाम
1-	अज्ञात	21-12-2020	26810.00	मजदूरी भुगतान
2-	अज्ञात	21-12-2020	103368.00	कनक इण्टर प्राइजेज
3-	अज्ञात	21-12-2020	29379.00	शिवशंकर ईट उद्योग
4-	अज्ञात	21-12-2020	25386.00	नवल किशोर सिंह
		योग:-	184943.00	

इस प्रकार उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गए व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे।

लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सेक्रेटरी ग्राम

पंचायत तथा प्रधान ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी।" इस प्रकार उक्त धनराशि रू० 184943.00 की वसूली बराबर-बराबर ग्राम विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार एवं प्रधान श्री परशुराम गुप्ता से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – सेमरावन

विकास खण्ड – महोली

वर्ष 2020-21

प्र०सं०-86- पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 में उल्लिखित नियमों की अवहेलना करता है, जिसमें ये उल्लेख किया गया है "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।"

परन्तु लेखा परीक्षा में कतिपय कार्यों पर किये गये व्यय की पुष्टि में अपेक्षित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं है। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत सेमरावन में कराए गये कतिपय कार्यों पर किये गये व्यय

क्र०सं०	प्रमाणक संख्या	दिनांक	धनराशि	फर्म का नाम
1-	अज्ञात	23-12-2020	36318.00	मजदूरी भुगतान
2-	अज्ञात	23-12-2020	119416.00	कनक इण्टर प्राइजेज
3-	अज्ञात	23-12-2020	23110.00	शिवशंकर ईट उद्योग
4-	अज्ञात	23-12-2020	31554.00	मिश्रा ट्रेडर्स
		योग:-	210398.00	

का विवरण निम्नवत् है -

इस प्रकार उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गए व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे।

लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत तथा प्रधान ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी।" इस प्रकार उक्त धनराशि रू० 210398.00 की वसूली बराबर-बराबर ग्राम विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार एवं प्रधान श्री अतुल मिश्रा से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – परसेहरा

विकास खण्ड – महोली

वर्ष 2020-21

प्र०सं०-87- ग्राम पंचायत परसेहरा, विकास खण्ड महोली की वर्ष 2020-21 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्भव नहीं हो सकी। अतः ऑन लाइन लेखा परीक्षा होने के कारण, अभिलेख अप्राप्त होने की दशा में ई-ग्राम स्वराज पर दर्शित व्यय पर अधिभार प्रतिवेदन की कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 2020-21 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आंकड़े निम्नवत् हैं -

क्र०सं०	वर्ष	आय	व्यय
1-	2020-21	3782444.00	699739.00
	योग:-	3782444.00	699739.00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, प्रमाणकविहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खण्ड-8(क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।"

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोषबही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, सम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूति प्रमाण-पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्तावआदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किये गये व्यय कुल धनराशि रू० 699739.00 की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्री सुशील कुमार एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अनूप गुप्ता से बराबर-बराबर भाग में ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – कुंवरपुरलच्छा**विकास खण्ड – महोली****वर्ष 2020-21**

प्र०सं०-88- पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 में उल्लिखित नियमों की अवहेलना करता है, जिसमें ये उल्लेख किया गया है "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।"

परन्तु वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत **कुंवरपुरलच्छा** में सम्पूर्ण कार्यों पर किये गये व्यय की पुष्टि में अपेक्षित व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ आदि प्रस्तुत नहीं है। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय का विवरण में अप्राप्त व्यय प्रमाणक निम्नवत् हैं –

क्र०सं०	प्रमाणक संख्या	दिनांक	फर्म	धनराशि	कार्य का नाम
1-	अज्ञात	02-12-2020	बालाजी इण्टर प्राइजेज	96150.00	सीमेन्ट पाइप क्रय
			योग:-	96150.00	

इस प्रकार उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गए व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। इस प्रकार स्पष्ट है कि नियमों की अनदेखी करते हुए उक्त दर्शित व्यय रू० **96150.00** का आहरण ग्राम निधि से किया गया है जो कि लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत तथा प्रधान ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी।" इस प्रकार उक्त धनराशि रू० **96150.00** की वसूली बराबर-बराबर ग्राम पंचायत सचिव **श्री राजेश कुमार सिंह** एवं प्रधान **श्रीमती रामकली** से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – मुड़िया**विकास खण्ड – महोली****वर्ष 2020-21**

प्र०सं०-89- ग्राम पंचायत **मुड़िया**, विकास खण्ड **महोली** की वर्ष **2020-21** के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्भव नहीं हो सकी। अतः ऑन लाइन लेखा परीक्षा होने के कारण, अभिलेख अप्राप्त होने की दशा में ई-ग्राम स्वराज पर दर्शित व्यय पर अधिभार प्रतिवेदन की कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 2020-21 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आंकड़े निम्नवत् हैं –

क्र०सं०	वर्ष	आय	व्यय
1-	2020-21	1705905.00	972385.00
	योग:-	1705905.00	972385.00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, प्रमाणकविहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खण्ड-8(क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।"

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोषबही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, सम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्तावआदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किये गये व्यय कुल धनराशि रू० **972385.00** की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान **श्री नवीन कुमार** एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव **श्री अनूप गुप्ता** से बराबर-बराबर भाग में ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – बीडनपुर**विकास खण्ड – महोली****वर्ष 2020-21**

प्र०सं०-90- पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 में उल्लिखित नियमों की अवहेलना करता है, जिसमें ये उल्लेख किया गया है "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।"

परन्तु वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत **बीडनपुर** में सम्पूर्ण कार्यों पर किये गये व्यय की पुष्टि में अपेक्षित व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ आदि प्रस्तुत नहीं है। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय का विवरण में अप्राप्त व्यय प्रमाणक निम्नवत् हैं –

क्र०सं०	प्रमाणक संख्या	दिनांक	फर्म	धनराशि	कार्य का नाम
1-	अज्ञात	27-07-2020	गायत्री ट्रेडर्स	47800.00	हैण्डपम्प रिबोर
2-	अज्ञात	03-09-2020	श्री रजनेश कुमार	13500.00	तालाब भाराई
			योग:-	61300.00	

इस प्रकार उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गए व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। इस प्रकार स्पष्ट है कि नियमों की अनदेखी करते हुए उक्त दर्शित व्यय रू० **61300.00** का आहरण ग्राम निधि से किया गया है जो कि लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत तथा प्रधान ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी।" इस प्रकार उक्त धनराशि रू० **61300.00** की वसूली बराबर-बराबर ग्राम पंचायत सचिव **श्री राजेश कुमार सिंह** एवं प्रधान **श्री सरोज कुमार** से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – भटपुरवा

विकास खण्ड – महोली

वर्ष 2020-21

प्र०सं०-91- ग्राम पंचायत **भटपुरवा** की वर्ष **2020-21** की लेखा परीक्षा में कोषबही में निम्न विवरण के अनुसार विभिन्न मदों पर व्यय किया जाना दर्शित है, परन्तु उक्त व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक एवं सम्बन्धित पत्रावलियाँ नियमानुसार लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। फलस्वरूप आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त व्यय की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किए गए व्ययों का विवरण निम्नवत् है।

क्र०सं०	कैशबुक व्यय क्रमांक	दिनांक	धनराशि	भुगतान का मद
1-	-	04-11-2020	96200.00	सीमेन्ट पाइप
		योग:-	96200.00	

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खण्ड-8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की की जायेगी।" आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में उपरोक्त व्यय रू० **96200.00** के सापेक्ष कोई भी बाउचर (निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम-256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8(क) के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणकविहीन व्यय गबन/अपहरण की श्रेणी में आता है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान **श्रीमती रामकली** और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव **श्री श्रीकान्त** उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधा-आधा किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – मदनिया

विकास खण्ड – महोली

वर्ष 2020-21

प्र०सं०-92- ग्राम पंचायत **मदनिया** की वर्ष **2020-21** की लेखा परीक्षा में कोषबही में निम्न विवरण के अनुसार विभिन्न मदों पर व्यय किया जाना दर्शित है, परन्तु उक्त व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक एवं सम्बन्धित पत्रावलियाँ नियमानुसार लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। फलस्वरूप आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त व्यय की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किए गए व्ययों का विवरण निम्नवत् है।

क्र०सं०	कैशबुक व्यय क्रमांक	दिनांक	धनराशि	भुगतान का मद
1-	5	22-09-2020	96150.00	सीमेन्ट पाइप
2-	7	22-09-2020	95600.00	रिबोर
		योग:-	191750.00	

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खण्ड-8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की की जायेगी।" आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में उपरोक्त व्यय रू० **191750.00** के सापेक्ष कोई भी बाउचर (निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही

जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम-256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8(क) के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणकविहीन व्यय गबन/अपहरण की श्रेणी में आता है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान **श्री राकेश कुमार वर्मा** और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव **श्रीमती सरिता वर्मा** उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधा-आधा किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – कुशौला

विकास खण्ड – महोली

वर्ष 2020-21

प्र०सं०-93- ग्राम पंचायत **कुशौला** की वर्ष **2020-21** की लेखा परीक्षा में कोषबही में निम्न विवरण के अनुसार विभिन्न मदों पर व्यय किया जाना दर्शित है, परन्तु उक्त व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक एवं सम्बन्धित पत्रावलियाँ नियमानुसार लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। फलस्वरूप आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त व्यय की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किए गए व्ययों का विवरण निम्नवत् है।

क्र०सं०	कैशबुक व्यय क्रमांक	दिनांक	धनराशि	भुगतान का मद
1-	27	26-12-2020	92820.00	सीमेन्ट पाइप
		योग:-	92820.00	

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खण्ड-8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी।" आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में उपरोक्त व्यय रू० **92820.00** के सापेक्ष कोई भी बाउचर (निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम-256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8(क) के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणकविहीन व्यय गबन/अपहरण की श्रेणी में आता है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान **श्रीमती आरती देवी** और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव **श्री श्रीकान्त वर्मा** उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधा-आधा किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – रौकलपुर

विकास खण्ड – गोंदलामऊ

वर्ष 2020-21

प्र०सं०-94- पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 में उल्लिखित नियमों की अवहेलना करता है, जिसमें ये उल्लेख किया गया है "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।"

परन्तु वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत **बीडनपुर** में सम्पूर्ण कार्यों पर किये गये व्यय की पुष्टि में अपेक्षित व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ आदि प्रस्तुत नहीं है। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय का विवरण में अप्राप्त व्यय प्रमाणक निम्नवत् हैं -

क्र०सं०	प्रमाणक संख्या	दिनांक	धनराशि	कार्य का नाम
1-	7	21-04-2020	19700.00	गौतम ट्रेडर्स को सामग्री क्रय हेतु भुगतान (कार्य का नाम कैशबुक में अंकित नहीं)
2-	10	06-05-2020	6496.00	मजदूरी हेतु भुगतान (कार्य का नाम कैशबुक में अंकित नहीं)
3-	12	06-05-2020	2730.00	
4-	16	06-05-2020	7546.00	
5-	19	06-05-2020	7546.00	
6-	20	06-05-2020	7546.00	
7-	18	06-05-2020	19860.00	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु मौर्या मशीनरी स्टोर
8-	35	21-11-2020	19992.00	

9-	37	29-03-2021	22750.00	
		योग:-	114166.00	

इस प्रकार उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गए व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।" इस प्रकार उक्त अपुष्ट धनराशि रू० **114166.00** की वसूली बराबर-बराबर तत्कालीन प्रधान **श्री अशोक** एवं पंचायत सचिव **श्री अमरेश गौतम** से की जानी अपेक्षित है।

प्र०सं०-95- ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में मिश्रा ब्रिक फील्ड को ईट क्रय बाबत रू० 90149.00 भुगतान किया गया। लेखा परीक्षा में मिश्रा ब्रिक फील्ड का स्वीकृत कोटेशन एवं आपूर्ति आदेश प्रस्तुत नहीं किया जा सका। शासनादेश संख्या ए-1-864(1)/दस-2008-15(1)86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 अनुसार सामग्री/ईट क्रय का निर्धारित प्रक्रिया पूरी न करते हुए मिश्रा ब्रिक फील्ड को अनियमित भुगतान किया गया जिस हेतु तत्कालीन सचिव **श्री अमरेश गौतम** उत्तरदायी हैं।

ग्राम पंचायत - बरोय

विकास खण्ड - गोंदलामऊ

वर्ष 2020-21

प्र०सं०-96- पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्राविधान है। कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।" परन्तु लेखा परीक्षा में कतिपय कार्यों पर किये गये व्यय की पुष्टि में अपेक्षित पत्रावली एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्ययों का विवरण निम्नवत् हैं -

क्र० सं०	प्रमाणक संख्या	दिनांक	धनराशि	व्यय का विवरण
1-	1, 2, 3 व 4	19, 25, 28-09-2020	288717.00	सामुदायिक शौचालय का निर्माण
2-	1,2 व 3	08-05-2020	206106.00	पीपल से पुलिया तक खडन्जा निर्माण
3-	19	25-12-2020	30133.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
4-	4, 5, 9, 12, 13, 14, 16, 17 एवं 18	15-07-2020 से 25-12-2020	152799.00	इण्डिया मार्का II हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
5-	6, 7, 8, 10 एवं 15	15-07-2020 एवं 22-08-2020 एवं 20-11-2020	16996.00	प्रशासनिक कार्य हेतु भुगतान
6-	11	28-11-2020	21000.00	प्रधान मानदेय मार्च 2020 से अगस्त 2020 तक
		योग:-	715751.00	

इस प्रकार उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावली व व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण प्राक्कलन स्वीकृत, टेण्डर, कोटेशन एवं भुगतान की स्थिति अप्रमाणित रही। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।" इस प्रकार उक्त अपुष्ट धनराशि रू० **715751.00** की वसूली बराबर-बराबर तत्कालीन प्रधान **श्री राजाराम** एवं पंचायत सचिव **श्री शैलेन्द्र भार्गव** से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – ढकवा**विकास खण्ड – रामपुरमथुरा****वर्ष 2020-21**

प्र०सं०-97- आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत ढकवा की कोषबही में निम्न विवरण के अनुसार व्यय अंकित किये गए हैं, परन्तु व्यय/व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक एवं सम्बन्धित पत्रावलियाँ आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जिससे दर्शित व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी।

क्र०सं०	दिनांक	प्रमा०संख्या	धनराशि	व्यय का विवरण
1-	02-04-2020	-	96900.00	सामग्री क्रय
2-	06-11-2020	-	26600.00	बैंक से आहरण की प्रविष्टि कोषबही में नहीं है।
3-	24-12-2020	-	107127.00	सामग्री क्रय
	योग -		230627.00	

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, प्रमाणकविहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खण्ड-8(क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि रु० 230627.00 को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणकविहीन किए गए व्यय की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान **श्री हृदय मिलानी** एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव **श्री संतोष कुमार** से बराबर-बराबर भाग में ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – रूदाइन**विकास खण्ड – रामपुरमथुरा****वर्ष 2020-21**

प्र०सं०-98- आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत रूदाइन की कोषबही में निम्न विवरण के अनुसार व्यय अंकित किये गए हैं, परन्तु व्यय/व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक एवं सम्बन्धित पत्रावलियाँ आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जिससे दर्शित व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी।

क्र०सं०	दिनांक	प्रमा०संख्या	धनराशि	व्यय का विवरण
1-	02-04-2020	1	68335.00	सामग्री क्रय
2-	31-10-2020	-	7000.00	बैंक से आहरण की प्रविष्टि कोषबही में नहीं है।
3-	10-11-2020	-	8737.00	बैंक से आहरण की प्रविष्टि कोषबही में नहीं है।
	योग -		84072.00	

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, प्रमाणकविहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खण्ड-8(क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि रु० 84072.00 को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणकविहीन किए गए व्यय की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान **श्रीमती नीता सिंह** एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव **श्री संतोष कुमार** से बराबर-बराबर भाग में ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – मोहम्मदपुर कदीम विकास खण्ड – रामपुरमथुरा वर्ष 2020-21
प्र०सं०-99- आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर कदीम की कोषबही में निम्न विवरण के अनुसार व्यय अंकित किये गए हैं, परन्तु व्यय/व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक एवं सम्बन्धित पत्रावलियाँ आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जिससे दर्शित व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी।

क्र०सं०	दिनांक	प्रमाणसंख्या	धनराशि	व्यय का विवरण
1-	03-09-2020	-	8990.00	बैंक से आहरण की प्रविष्टि कोषबही में नहीं है।
2-	06-12-2020	17	9876.00	सामग्री क्रय
3-	06-12-2020	18	22840.00	सामग्री क्रय
	योग -		41706.00	

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, प्रमाणकविहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खण्ड-8(क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि ₹० 41706.00 को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणकविहीन किए गए व्यय की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान **श्री बिन्द्रा प्रसाद** एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव **श्री संतोष कुमार** से बराबर-बराबर भाग में ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – मीरानगर विकास खण्ड – रामपुरमथुरा वर्ष 2020-21
प्र०सं०-100- आलोच्य वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत मीरानगर की कोषबही में निम्न विवरण के अनुसार व्यय अंकित किये गए हैं, परन्तु व्यय/व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक एवं सम्बन्धित पत्रावलियाँ आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जिससे दर्शित व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी।

क्र०सं०	दिनांक	प्रमाणसंख्या	धनराशि	व्यय का विवरण
1-	26-12-2020	1	39978.00	बैंक से आहरण की प्रविष्टि कोषबही में नहीं है।
	योग -		39978.00	

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, प्रमाणकविहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 में उल्लिखित है कि- "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खण्ड-8(क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि ₹० 39978.00 को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणकविहीन किए गए व्यय की वसूली जिम्मेदार ग्राम प्रधान **श्रीमती सुमन** एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव **श्री पवन कुमार** से बराबर-बराबर भाग में ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – अमरैया विकास खण्ड – पिसावां वर्ष 2020-21
प्र०सं०-101- पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्राविधान है कि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।" परन्तु लेखा परीक्षा में कतिपय कार्यों पर किये गये व्यय की पुष्टि में अपेक्षित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्ययों का विवरण निम्नवत् है -

क्र० सं०	प्रमाणक संख्या	दिनांक	धनराशि	व्यय का विवरण

1-	8	28-07-2020	40950.00	हैण्डपम्प रिबोर हेतु
2-	9	22-08-2020	17000.00	हैण्डपम्प रिबोर हेतु
3-	12	08-09-2020	32182.00	प्रा०विद्यालय निर्माण हेतु हारून सीमेन्ट स्टोर से सामग्री क्रय
4-	13	08-09-2020	25100.00	प्रा०विद्यालय निर्माण हेतु हारून सीमेन्ट स्टोर से सामग्री क्रय
5-	18	04-11-2020	85779.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु हारून सीमेन्ट स्टोर से सामग्री क्रय
6-	4	20-07-2020	31847.00	प्राथमिक विद्यालय शौचालय निर्माण हेतु साई बाबा ब्रिक से ईट क्रय
7-	19	04-11-2020	76850.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु साई बाबा ब्रिक से ईट क्रय
8-	30	25-12-2020	3231.00	साई बाबा ब्रिक से ईट क्रय
		योग:-	312939.00	

इस प्रकार उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रभावित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।"

इस प्रकार उक्त अपुष्टित धनराशि रू० **312939.00** की वसूली बराबर-बराबर तत्कालीन प्रधान **श्री प्रमोद कुमार अवस्थी** एवं पंचायत सचिव **श्री राजेश गुप्ता** से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - कपसाकलां

विकास खण्ड - पिसावां

वर्ष 2020-21

प्र०सं०-102- पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्राविधान है। कि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।" परन्तु लेखा परीक्षा में कतिपय कार्यों पर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्ययों का विवरण निम्नवत् हैं -

क्र० सं०	प्रमाणक संख्या	दिनांक	धनराशि	व्यय का विवरण
1-	6	28-07-2020	85500.00	हैण्डपम्प रिबोर हेतु भुगतान
2-	17	07-10-2020	12400.00	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु भुगतान
3-	21	21-11-2020	19720.00	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु भुगतान
4-	22	13-12-2020	6000.00	सामुदायिक शौचालय मरम्मत भुगतान
5-	23	13-12-2020	6000.00	सामुदायिक शौचालय मरम्मत भुगतान
6-	11	29-09-2020	76850.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु
7-	17	07-10-2020	12400.00	शिवा बिल्डिंग मैटेरियल को सामग्री हेतु
		योग:-	218870.00	

इस प्रकार उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रभावित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार "यदि दर्शाए गये

व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी।"

इस प्रकार उक्त अपुष्टित धनराशि रू० 218870.00 की वसूली बराबर-बराबर तत्कालीन प्रधान श्री विपिन कुमार एवं पंचायत सचिव श्री राजेश गुप्ता से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – चौकनिया

विकास खण्ड – पिसावां

वर्ष 2020-21

प्र०सं०-103- पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्राविधान है। कि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।" परन्तु लेखा परीक्षा में कतिपय कार्यों पर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्ययों का विवरण निम्नवत् हैं –

क्र० सं०	प्रमाणक संख्या	दिनांक	धनराशि	व्यय का विवरण
1-	1	22-09-2020	172905.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण सामग्री क्रय
2-	2	29-10-2020	120925.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण सामग्री क्रय
3-	4	28-12-2020	47645.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण सामग्री क्रय
4-	25	28-12-2020	53531.00	मजदूरी भुगतान
5-	4	16-04-2020	15905.00	सुरेश के मकान से हरपाल के मकान तक नाली निर्माण सामग्री क्रय
6-	5	16-04-2020	10036.00	सुरेश के मकान से हरपाल के मकान तक नाली निर्माण सामग्री क्रय
7-	8	16-04-2020	20900.00	मजदूरी भुगतान
8-	9	04-05-2020	23012.00	चौकनिया बारात घर बाउण्ड्री वॉल निर्माण सामग्री क्रय
9-	10	04-05-2020	22830.00	मजदूरी भुगतान
10-	11	04-05-2020	22830.00	मजदूरी भुगतान
11-	12	29-06-2020	19982.00	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री क्रय
12-	13	29-06-2020	19994.00	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री क्रय
13-	15	11-11-2020	19647.00	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री क्रय
14-	20	23-12-2020	18620.00	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री क्रय
		योग:-	588762.00	

इस प्रकार उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रभावित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी।"

इस प्रकार उक्त अपुष्टित धनराशि रू० 588762.00 की वसूली बराबर-बराबर तत्कालीन प्रधान श्रीमती मन्जू देवी एवं पंचायत सचिव श्री सर्वदानन्द गुप्ता से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – बिचपरिया

विकास खण्ड – पिसावां

वर्ष 2020-21

प्र०सं०-104- पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्राविधान है। कि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।" परन्तु लेखा परीक्षा

में कतिपय कार्यों पर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्ययों का विवरण निम्नवत् हैं –

क्र० सं०	प्रमाणक संख्या	दिनांक	धनराशि	व्यय का विवरण
1-	1	11-11-2020	5487.00	
2-	4	23-12-2020	19982.00	
3-	9	25-12-2020	19982.00	
4-	10	25-12-2020	28402.00	
5-	8	25-12-2020	86399.00	
6-	3	23-12-2020	6300.00	
7-	5	24-12-2020	6000.00	
8-	6	24-12-2020	5600.00	
		योग:-	178152.00	

इस प्रकार उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रभावित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी।"

इस प्रकार उक्त अपुष्टित धनराशि रू० **178152.00** की वसूली बराबर-बराबर तत्कालीन प्रधान **श्रीमती तेजा देवी** एवं पंचायत सचिव **श्री सर्वदानन्द गुप्ता** से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – पेन्दारी

विकास खण्ड – पिसावां

वर्ष 2020-21

प्र०सं०-105- पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्राविधान है। कि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।" परन्तु लेखा परीक्षा में कतिपय कार्यों पर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्ययों का विवरण निम्नवत् हैं –

क्र० सं०	प्रमाणक संख्या	दिनांक	धनराशि	व्यय का विवरण
1-	6	09-08-2020	83070.00	शिवा बिल्डिंग से हैण्डपम्प रिबोर सामग्री क्रय
2-	19	06-10-2020	18645.00	मिश्रा मशीनरी से हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री क्रय
3-	20	06-10-2020	17360.00	शिवा बिल्डिंग से हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री क्रय
4-	1	02-04-2020	4600.00	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु मिस्त्री को भुगतान
5-	3	05-04-2020	65280.00	प्रा०विद्यालय पेन्दारी बाउण्ड्री हेतु साईं ब्रिक से ईंट क्रय
6-	11	08-09-2020	45903.00	प्रा०विद्यालय पेन्दारी बाउण्ड्री हेतु साईं ब्रिक से ईंट क्रय
7-	10	08-09-2020	62344.00	पुलिया निर्माण हेतु साईं बाबा ब्रिक से ईंट क्रय
8-	17	29-09-2020	76850.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु साईं बाबा ब्रिक से ईंट क्रय
9-	27	29-11-2020	98639.00	परसादी से पकरिया सोलिंग हेतु साईं बाबा ब्रिक से ईंट क्रय
		योग:-	472691.00	

इस प्रकार उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रभावित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी।"

इस प्रकार उक्त अपुष्टित धनराशि रू० 472691.00 की वसूली बराबर-बराबर तत्कालीन प्रधान श्री रूप नारायण एवं पंचायत सचिव श्री राजेश गुप्ता से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – जलालनगर

विकास खण्ड – पिसावां

वर्ष 2020-21

प्र०सं०-106- पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्राविधान है। कि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।" परन्तु लेखा परीक्षा में कतिपय कार्यों पर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्ययों का विवरण निम्नवत् है –

क्र० सं०	प्रमाणक संख्या	दिनांक	धनराशि	व्यय का विवरण
1-	1	11-09-2020	283171.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण सामग्री क्रय
2-	3	13-12-2020	104306.00	नाली खडन्जा निर्माण सामग्री क्रय
3-	1	29-06-2020	19982.00	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री क्रय
4-	2	29-06-2020	18884.00	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री क्रय
5-	17	17-11-2020	6000.00	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री क्रय
6-	20	20-12-2020	18550.00	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री क्रय
7-	4	08-07-2020	294623.00	नजाकत के मकान से रमैकत के मकान तक इण्टर लॉकिंग हेतु सामग्री क्रय
8-	6	02-09-2020	134251.00	नजाकत के मकान से रमैकत के मकान तक इण्टर लॉकिंग हेतु सामग्री क्रय
9-	21	20-12-2020	52423.00	मजदूरी भुगतान
10-	5	28-08-2020	85500.00	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री क्रय
		योग:-	1017690.00	

इस प्रकार उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रभावित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी।"

इस प्रकार उक्त अपुष्टित धनराशि रू० 1017690.00 की वसूली बराबर-बराबर तत्कालीन प्रधान श्रीमती उजमा बेगम एवं पंचायत सचिव श्री सर्वदानन्द गुप्ता से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – पिसावां

विकास खण्ड – पिसावां

वर्ष 2020-21

प्र०सं०-107- पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्राविधान है। कि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।" परन्तु लेखा परीक्षा में कतिपय कार्यों पर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्ययों का विवरण निम्नवत् है –

क्र० सं०	प्रमाणक संख्या	दिनांक	धनराशि	व्यय का विवरण
1-	2	29-09-2020	282738.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण सामग्री क्रय
2-	5	08-11-2020	5959.00	फर्नीचर क्रय
3-	6	08-11-2020	5959.00	फर्नीचर क्रय
4-	3	08-11-2020	129151.00	पिसावां थाने में चेंजिंग रूम निर्माण सामग्री क्रय
5-	4	08-11-2020	31398.00	पिसावां थाने में चेंजिंग रूम निर्माण सामग्री क्रय
6-	9	14-12-2020	54322.00	पिसावां थाने में चेंजिंग रूम निर्माण सामग्री क्रय
7-	1	13-04-2020	121389.00	प्रा०विद्यालय दो (2) में टाइल्स क्रय
8-	11	15-06-2020	50729.00	प्रा०विद्यालय दो (2) में टाइल्स क्रय
9-	2	13-04-2020	205002.00	प्रा०विद्यालय दो (1) में टाइल्स क्रय
10-	9	15-06-2020	46995.00	प्रा०विद्यालय दो (1) में निर्माण सामग्री क्रय
11-	25	29-09-2020	39080.00	प्रा०विद्यालय दो (1) में मजदूरी व्यय
12-	4	27-04-2020	152839.00	पू०मा०वि० में टाइल्स व सामग्री क्रय
13-	19	03-07-2020	85500.00	हैण्डपम्प रिबोर
14-	29	09-11-2020	88968.00	हयूम पाइप क्रय
		योग:-	1300029.00	

इस प्रकार उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रभावित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी।"

इस प्रकार उक्त अपुष्टित धनराशि रू० **1300029.00** की वसूली बराबर-बराबर तत्कालीन प्रधान **श्रीमती दुलारी देवी** एवं पंचायत सचिव **श्री सर्वदानन्द गुप्ता** से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - बढनापुर

विकास खण्ड - पिसावां

वर्ष 2020-21

प्र०सं०-108- पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्राविधान है। कि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।" परन्तु लेखा परीक्षा में कतिपय कार्यों पर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्ययों का विवरण निम्नवत् है -

क्र० सं०	प्रमाणक संख्या	दिनांक	धनराशि	व्यय का विवरण

1-	7	15-06-2020	62589.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण सामग्री क्रय
2-	8	15-06-2020	30058.00	ईट क्रय
3-	9	15-06-2020	57848.00	सामग्री क्रय
4-	10	15-06-2020	32674.00	मजदूरी भुगतान
5-	4	01-05-2020	129435.00	प्राथमिक विद्यालय मरम्मत सामग्री क्रय
6-	5	01-05-2020	9091.00	ईट क्रय
7-	6	01-05-2020	6840.00	मजदूरी भुगतान
8-	13	08-09-2020	84621.00	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री क्रय
9-	15	08-09-2020	54214.00	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री क्रय
		योग:-	467370.00	

इस प्रकार उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रभावित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी।"

इस प्रकार उक्त अपुष्टित धनराशि ₹० **467370.00.00** की वसूली बराबर-बराबर तत्कालीन प्रधान **श्रीमती वहीद खाँ** एवं पंचायत सचिव **श्री राजेश गुप्ता** से की जानी अपेक्षित है।

जनपद- उन्नाव विकास खण्ड-बीघापुर

प्रस्तर संख्या-1

ग्राम पंचायत दुन्दपुर द्वीतीय में वर्ष-2020-21 के दौरान राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹०- 400303.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹०- 99687.00, केन्द्रीय वित्त अनुदान मद में व्यय ₹०- 966672.00, चौदहवे केन्द्रीय राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹०- 402232.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹०-1868894.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ०प्र० पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लंघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹०- 1868894.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री सरला, प्रधान व श्री मनीष चन्द्र, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-2

ग्राम पंचायत दुन्दपुर प्रथम में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹०- 427295.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹०- 24500.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹०- 843222.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख

व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 843222.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री दिग्पाल सिंह, प्रधान व पल्लवी शुक्ला, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-3

ग्राम पंचायत बे-गुलालखेड़ा में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 450544.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 210286.00, चौदहवें वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 101640.00, पंद्रहवें वित्त अनुदान मेव्यय ₹0- 691380.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1453850.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 1453850.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री अरूण सिंह, प्रधान व श्री सतीष चन्द्र, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-4

ग्राम पंचायत निहालीखेड़ा में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 106025.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 73765.00, चौदहवें वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 197323.00, पंद्रहवें वित्त अनुदान मेव्यय ₹0- 225662.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 602775.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 602775.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री भानुप्रताप सिंह, प्रधान व श्री सतीष चन्द्र, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-5

ग्राम पंचायत अर्दुजपुर में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 241535.00, चौदहवें वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 43011.00, पंद्रहवें वित्त अनुदान मेव्यय ₹0- 122589.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 407135.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0-407135.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री वीरेन्द्र सिंह, प्रधान व श्री अशित कुमार, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-6

ग्राम पंचायत परौरी चन्द्रिका बक्श में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 182984.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 168509.00, चौदहवें वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 680614.00, पंद्रहवें वित्त अनुदान मेव्यय ₹0- 382347.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट

के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1414454.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 1414454.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री प्रिसंका, प्रधान व श्री सतीष चन्द्र, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-7

ग्राम पंचायत सारुखेड़ा में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 271463.00, पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 393873.00, चौदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 211486.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 527731.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1404553.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 1404553.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री सरला, प्रधान व मनीष चन्द्र, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-8

ग्राम पंचायत भोगइता में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 337794.00, पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 186599.00, चौदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 166911.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 757267.00, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज मद में व्यय ₹0- 4305927.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 5754498.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0-5754498.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री सुशीला, प्रधान व श्री सतीष चन्द्र, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-9

ग्राम पंचायत घाटमपुर खुर्द में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 276185.00, पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 343739.00, चौदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 66550.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 638515.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1324989.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 1324989.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्रीमती सुशीला, प्रधान व श्री सतीष चन्द्र, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-10

ग्राम पंचायत रूझिहई में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 406154.00, पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 188916.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 547424.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 304124.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1446618.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 1446618.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री सुरेन्द्र सिंह, प्रधान व श्रीमती अनामिका, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-11

ग्राम पंचायत अमरपुर आव में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 593237.00, पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 339159.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 862077.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 438218.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 2232691.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 2232691.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री कैलाश संकर, प्रधान व श्रीमती पल्लवी शुक्ला, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-12

ग्राम पंचायत अलीपुर में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 2083027.00, पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 285284.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 94881.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 467650.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 2930842.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 2930842.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्रीमती बबली, प्रधान व श्री सतीष चन्द्र, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-13

ग्राम पंचायत दिग्विजयपुर में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 167527.00, पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 275064.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 231063.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 453261.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1126915.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत

न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 1126915.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री राजेन्द्र कुमार, प्रधान व श्री सतीष चन्द्र, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

विकास खण्ड-सुमेरपुर

प्रस्तर संख्या-14

ग्राम पंचायत बिहार में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 1079367.00, पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 354580.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 91600.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 926656.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 2452203.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 2452203.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्रीमती सविता सिंह, प्रधान व श्री अनूप कुमार, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

सुमेरपुर

प्रस्तर संख्या-15

ग्राम पंचायत रामपुर लोन में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 67162.00, पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 74032.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 126363.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 225173.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 492730.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 492730.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्रीमती फूलमती, प्रधान व श्री योगेश सिंह, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-16

ग्राम पंचायत पकराखुर्द में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 122129.00, पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 209463.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 122575.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 525303.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 979470.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 979470.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्रीमती मंजू देवी, प्रधान व श्री शैलेन्द्र कुमार भारती, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-17

ग्राम पंचायत डुलीखेड़ा में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 98500.00, पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 123400.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 132680.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 353400.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 707980.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 707980.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्रीमती रामलीला, प्रधान व श्री नवनीत गौतम, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-18

ग्राम पंचायत पोरई में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 313649.00, पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 980012.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 96631.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 681434.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 2071726.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 2071726.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्रीमती मीरा देवी, प्रधान व श्री शशीमोहन, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-19

ग्राम पंचायत कुन्दनपुर में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 255811.00, पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 348884.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 21500.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 626045.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1252240.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 1252240.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्रीमती सविता देवी, प्रधान व श्री शशीमोहन, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-20

ग्राम पंचायत कल्याणपुर-2 में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 18860.00, पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 267244.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 100.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 269753.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 555957.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त

धनराशि रू0- 555957.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री वीरेन्द्र सिंह, प्रधान व श्री शशीमोहन, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-21

ग्राम पंचायत अहिरौरा में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0- 146458.00, चौदहवें वित्त अनुदान मद में व्यय रू0- 84488.00, पंद्रहवें वित्त अनुदान में व्यय रू0- 314292.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल रू0- 545238.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लंघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0- 545238.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री मनी शंकर, प्रधान व श्री नवनीत गौतम, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-22

ग्राम पंचायत पोखरी में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0- 227607.00, पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0- 31512.00, चौदहवें वित्त अनुदान मद में व्यय रू0- 9192.00, पंद्रहवें वित्त अनुदान में व्यय रू0- 337000.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल रू0- 605311.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लंघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0- 605311.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री सुजीत कुमार, प्रधान व श्री शैलेन्द्र कुमार भारती, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-23

ग्राम पंचायत जपसरा में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0- 529245.00, पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0- 132758.00, चौदहवें वित्त अनुदान मद में व्यय रू0- 125777.00, पंद्रहवें वित्त अनुदान में व्यय रू0- 570517.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल रू0- 1358297.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लंघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0- 1358297.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री मोनू, प्रधान व श्री अनूप कुमार, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-24

ग्राम पंचायत सहिला में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0- 622517.00, पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0- 210820.00, चौदहवें वित्त अनुदान मद में व्यय रू0- 180600.00, पंद्रहवें वित्त अनुदान में व्यय रू0- 994709.00, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान मद व्यय रू0- 1756700.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल रू0- 3765346.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व

अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 3765346.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री किरण,प्रधान व श्री शैलेन्द्र कुमार भारती,सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-25

ग्राम पंचायत रछोलिया में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 181166.00, पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 10500.00,चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 25190.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 314292.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 531148.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 531148.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री महेन्द्र सिंह,प्रधान व श्री नवनीत गौतम,सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-26

ग्राम पंचायत धनकौली में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 409245.00, पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 287363.00,चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 133.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 814592.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1511633.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 1511633.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्रीमती अरुण देवी,प्रधान व श्री शशीमोहन,सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-27

ग्राम पंचायत मुबारकपुर में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 122282.00, पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 191427.00,चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 200.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 504492.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 818401.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 818401.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री संजय सिंह,प्रधान व श्री नवनीत गौतम,सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-28

ग्राम पंचायत कुतुबपुर में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 337204.00, पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 172644.00, चौदहवें वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 213226.00, पंद्रहवें वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 539038.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1262112.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लंघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 1262112.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री रामेश्वरम, प्रधान व श्री शैलेन्द्र कुमार, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-29

ग्राम पंचायत कोटवर में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 320945.00, पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 175216.00, चौदहवें वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 182006.00, पंद्रहवें वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 628122.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1306289.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लंघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 1306289.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री रमा कान्त, प्रधान व श्री शैलेन्द्र कुमार, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-30

ग्राम पंचायत कोडरा बख्त खेड़ा में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 290419.00, पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 7000.00, चौदहवें वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 9150.00, पंद्रहवें वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 346937.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 653506.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लंघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 653506.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्रीमती नीतू देवी, प्रधान व श्री नवनीत गौतम, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-31

ग्राम पंचायत खिड़ौली में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 223684.00, पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 3629.00, चौदहवें वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 172713.00, पंद्रहवें वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 316397.00, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज मद में व्यय ₹0- 1598897.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 2315320.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लंघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध

हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 2315320.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्रीमती राम दुलारी, प्रधान व श्री शैलेन्द्र कुमार, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-32

ग्राम पंचायत जगतपुर में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 344957.00, पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 55938.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 1360.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 647654.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1049909.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लंघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 1049909.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री मनोज कुमार, प्रधान व श्री शशीमोहन, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-33

ग्राम पंचायत बिसरामऊ में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 214704.00, पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 66152.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 2200.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 226910.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 509966.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लंघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 509966.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री परमानन्द, प्रधान व श्री शैलेन्द्र कुमार, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-34

ग्राम पंचायत दिवारा में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 140972.00, पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 192220.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 237340.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 354801.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 925333.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लंघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 925333.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री तरुण सिंह, प्रधान व श्री शशीमोहन, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-35

ग्राम पंचायत भदवारा में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 270770.00, पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 376935.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 100.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 445370.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1093175.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख

आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 1093175.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री कौशल सिंह, प्रधान व श्री शैलेन्द्र कुमार, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-36

ग्राम पंचायत हिश्यामपुर में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 12598.00, पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 160313.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 270496.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 264204.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 707611.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 707611.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री अंकुर सिंह, प्रधान व श्री शैलेन्द्र कुमार, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

विकास खण्ड-पुरवा

प्रस्तर संख्या-37

ग्राम पंचायत पकराबुजुर्ग में वर्ष-2020-21 के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय ₹0- 86038.00, सी0सी0 रोड निर्माण कार्य मद में व्यय ₹0- 338131.00, ग्राम प्रधान मानदेय मद में व्यय ₹0- 14000.00, खडंजा निर्माण कार्य मद प्रमाणकविहीन विवरणविहीन मद में व्यय ₹0- 52738.00, शौचालय निर्माण मद में व्यय ₹0- 295058.00, इन्टरलाँकिंग मद में व्यय ₹0- 662107.00, कन्टिजेंसी मद में व्यय ₹0- 23411.00, नाली निर्माण मद में व्यय ₹0- 40828.00, स्ट्रीट लाईट मद में व्यय ₹0- 177925.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1690236.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 1690236.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री राहुल कुमार, प्रधान व श्री शैलेन्द्र कुमार दिक्षीत, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-38

ग्राम पंचायत त्रिपुरारपुर में वर्ष-2020-21 के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय ₹0- 182667.00, सी0सी0 रोड निर्माण कार्य मद में व्यय ₹0- 409235.00, ग्राम प्रधान मानदेय मद में व्यय ₹0- 28000.00, नाली निर्माण कार्य मद प्रमाणक विहीन विवरणविहीन मद में व्यय ₹0- 64772.00, शौचालय निर्माण मद में व्यय ₹0- 431499.00, इन्टरलाँकिंग मद में व्यय ₹0- 1150449.00, प्रशासनिक मद में व्यय ₹0- 66590.00, गौ आश्रय स्थल निर्माण प्रमाणकविहीन विवरणविहीन मद में व्यय ₹0- 108855.00, सोलर लाईट मद में व्यय ₹0- 64500.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 2506567.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई

अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 2506567.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्रीमती सुमित देवी,प्रधान व श्री शर्वेश कुमार दिक्षित,सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-39

ग्राम पंचायत ऊचगांव किला में वर्ष-2020-21 के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय ₹0- 184155.00, स्ट्रीट लाईट मद में व्यय ₹0- 97057.00,शौचालय निर्माण मद में व्यय ₹0- 294733.00,नाली निर्माण कार्य मद में व्यय ₹0- 67944.00,खड्जा निर्माणमरम्मत मद में व्यय ₹0- 40498.00, प्रशासनिक कार्य मद में व्यय ₹0- 94120.00,हयूम पाईप मद में व्यय ₹0- 45432.00,ग्राम प्रधान मानदेयमद में व्यय ₹0- 56000.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 879939.00. का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 879939.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री दिलीप कुमार,प्रधान व श्री शर्वेश कुमार दिक्षित,सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-40

ग्राम पंचायत पलहरी में वर्ष-2020-21 के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय ₹0- 77340.00, ग्राम प्रधान मानदेयमद में व्यय ₹0- 45500.00, शौचालय निर्माण मद में व्यय ₹0- 277059.00,प्रशासनिक कन्टिजेंसी मद में व्यय ₹0- 70890.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 470789.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 470789.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री सोमवती,प्रधान व श्री पुत्तन लाल पाल,सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-41

ग्राम पंचायत कसरौर में वर्ष-2020-21 के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय ₹0- 201.00, आंगनवाड़ी केन्द्र रिपेयरिंग मद में व्यय ₹0- 212873.00,ग्राम प्रधान मानदेय मद में व्यय ₹0- 51900.00,सी0सी0 रोड निर्माण कार्य मद में व्यय ₹0- 237045.00,सामूहिक शौचालय निर्माण मद में व्यय ₹0- 804127.00,प्रशासनिक कार्य मद में व्यय ₹0- 18800.00, नाली निर्माण मद में व्यय ₹0- 254751.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1579697.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 1579697.00 को अधिभार योग्य माना जाता है

जिसकी वसूली श्री गुड्डडी सिंह, प्रधान व श्रीमती पुत्तन लाल पाल, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-42

ग्राम पंचायत नाथीखेड़ा में वर्ष-2020-21 के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय ₹0- 38600.00, सी0सी0 रोड निर्माण कार्य मद में व्यय ₹0- 206171.00, ग्राम प्रधान मानदेय मद में व्यय ₹0- 42000.00, खडंजा निर्माण कार्य मद प्रमाणकविहीन विवरणविहीन मद में व्यय ₹0- 59178.00, शौचालय निर्माण मद में व्यय ₹0- 694518.00, इन्टरलाकिंग मद में व्यय ₹0- 151178.00, कन्टिजेंसी मद में व्यय ₹0- 71055.00, गौ आश्रम स्थल में सोलर लाईट कार्य मद में व्यय ₹0- 48000.00, इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1310700.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186, 187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 1310700.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री राम कृष्ण, प्रधान व श्री पुत्तन लाल पाल, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-43

ग्राम पंचायत अड़गांव पासाखेड़ा में वर्ष-2020-21 के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय ₹0- 196475.00, ग्राम प्रधान मानदेय मद में व्यय ₹0- 28000.00, शौचालय निर्माण मद में व्यय ₹0- 295058.00, इन्टरलाकिंग निर्माण कार्य मद में व्यय ₹0- 433113.00, प्रशासनिक मद में व्यय ₹0- 170688.00, हयूम पाईप मद में व्यय ₹0- 27890.00, सोलर लाईट मद में व्यय ₹0- 86000.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1358098.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186, 187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 1358098.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्रीमती निर्मला, प्रधान व श्री शर्वेश कुमार दिक्षित, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-44

ग्राम पंचायत भदनांग में वर्ष-2020-21 के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय ₹0- 105700.00, सी0सी0रोड निर्माण मद में व्यय ₹0- 189032.00, ग्राम प्रधान मानदेय मद में व्यय ₹0- 31500.00, खडंजा निर्माण मद में व्यय ₹0- 135813.00, सामुहिक शौचालय निर्माण मद में व्यय ₹0- 429142.00, इन्टरलाकिंग निर्माण कार्य मद में व्यय ₹0- 978598.00, प्रशासनिक मद में व्यय ₹0- 21542.00, गौ आश्रम स्थल में सोलर लाईट निर्माण कार्य मद में व्यय ₹0- 451087.00, हयूम पाईप मद में व्यय ₹0- 105443.00, सोलर लाईट मद में व्यय ₹0- 90000.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 2537857.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186, 187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0-

2537857.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्रीमती चंद्रिका, प्रधान व श्री आशीष कुमार, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-45

ग्राम पंचायत असेहरू में वर्ष-2020-21 के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय ₹0- 23321.00, ग्राम प्रधान मानदेय मद में व्यय ₹0- 28000.00, सामुहिक शौचालय निर्माण मद में व्यय ₹0- 427815.00, प्रशासनिक मद में व्यय ₹0- 54861.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 533997.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लंघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 533997.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री रज्जन सिंह, प्रधान व श्री पुतन लाल पाल, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-46

ग्राम पंचायत फतेहगंज में वर्ष-2020-21 के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय ₹0- 2151.00, आंगनबाड़ी केन्द्र रिपेयरिंग मद में व्यय ₹0- 34616.00, ग्राम प्रधान मानदेय मद में व्यय ₹0- 31500.00, खड़जा निर्माण मद में व्यय ₹0- 7838.00, सामुहिक शौचालय निर्माण मद में व्यय ₹0- 404672.00, प्रशासनिक मद में व्यय ₹0- 70479.00, कूड़ागाड़ी मरम्मत मद में व्यय ₹0- 11300.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 562556.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लंघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 562556.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री श्रान शंकर, प्रधान व श्री पुतन लाल पाल, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

विकास खण्ड-हिलौली

प्रस्तर संख्या-47

ग्राम पंचायत बहवा में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 7000.00, पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 329132.00, चौदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 32326.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 654611.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1023069.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लंघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 1023069.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री गंगा देवी, प्रधान व श्री मुन्नी लाल, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-48

ग्राम पंचायत चकसरैया में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 95718.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 326044.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 269081.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 937384.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1628227.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 1628227.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री राम सजीवन, प्रधान व श्री अजय कुमार, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-49

ग्राम पंचायत बरवाकला में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 7000.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 175710.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 167716.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 474555.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 824981.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 824981.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री राम श्री, प्रधान व श्री मुन्नी लाल, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-50

ग्राम पंचायत असरीखेड़ा में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 7000.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 80635.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 177727.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 224076.0, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज मद में व्यय ₹0- 2195245.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 2684683.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 2684683.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री मुकेश, प्रधान व श्री मुन्नी लाल, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-51

ग्राम पंचायत गोनामऊ में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 637780.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 383340.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 3030100.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 694987.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 4746207.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त

धनराशि ₹0- 4746207.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री आशीष कुमार सिंह, प्रधान व श्री धर्मेन्द्र कुमार, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-52

ग्राम पंचायत पिंडुरी में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 36030.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 225573.00, चौदहवें वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 31620.00, पंद्रहवें वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 697910.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 991133.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186, 187 का उल्लंघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 991133.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री अमित वर्मा, प्रधान व श्री मुन्नी लाल, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-53

ग्राम पंचायत गुजौली में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 72000.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 434134.00, चौदहवें वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 1069764.00, पंद्रहवें वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 1430895.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 3006793.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186, 187 का उल्लंघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 3006793.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री राकेश कुमार, प्रधान व श्री सर्वेश बाजपेयी, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-54

ग्राम पंचायत खेरवा में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 465027.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 600007.00, चौदहवें वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 3010022.00, पंद्रहवें वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 754600.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 4829656.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186, 187 का उल्लंघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 4829656.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री रमेश, प्रधान व श्री धर्मेन्द्र श्रीवास्तव, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

विकास खण्ड-सिकन्दरपुर कर्ण

प्रस्तर संख्या-55

ग्राम पंचायत कठार में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 200425.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 64987.00, चौदहवें वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 273765.00, पंद्रहवें वित्त अनुदान

मे व्यय रू0- 311018.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल रू0- 850195.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0- 850195.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री राममूर्ती,प्रधान व श्रीकान्त,सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-56

ग्राम पंचायत टिकौली में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय रू0- 226052.00,पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय रू0- 170520.00,चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय रू0- 632422.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान मे व्यय रू0- 173760.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल रू0- 1202754.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0- 1202754.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्रमती प्रेमकुमारी,प्रधान व श्री श्रीकान्त,सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-57

ग्राम पंचायत बढियाखेड़ा में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय रू0- 88490.00,पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय रू0- 201306.00,चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय रू0- 631099.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान मे व्यय रू0- 346540.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल रू0- 1267435.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0- 1267435.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्रीमती तेजरानी,प्रधान व श्रीकान्त,सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-58

ग्राम पंचायत बैदरा में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय रू0- 194640.00,पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय रू0- 108340.00,चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय रू0- 56050.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान मे व्यय रू0- 451835.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल रू0- 810865.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0- 810865.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री कशाना,प्रधान व श्रीकान्त,सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-59

ग्राम पंचायत रानीपुर में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 295612.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 87392.00, चौदहवें वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 2653638.00, पंद्रहवें वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 302275.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 3338917.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लंघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 3338917.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री सिद्दीकी, प्रधान व श्रीकान्त, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

विकास खण्ड-नवाबगंज

प्रस्तर संख्या-60

ग्राम पंचायत सोहरामऊ में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 68372.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 81900.00, चौदहवें वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 745571.00, पंद्रहवें वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 315517.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1211360.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लंघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 1211360.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्रीमती गुड्डी देवी, प्रधान व श्री सुरेन्द्र सिंह, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-61

ग्राम पंचायत सिकन्दरपुर में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 273227.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 301877.00, चौदहवें वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 647410.00, पंद्रहवें वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 329626.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1552140.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लंघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 1552140.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री शिवशंकर, प्रधान व श्री रंजीत कुमार, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-62

ग्राम पंचायत शेखपुर में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 53759.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 130643.00, चौदहवें वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 726088.00, पंद्रहवें वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 263669.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1174159.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई

अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लंघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 1174159.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्रीमती मधू यादव, प्रधान व श्री राजेन्द्र सिंह, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-63

ग्राम पंचायत सरौसा में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 37000.00, पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 100.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 745877.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 312592.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1095569.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लंघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 1095569.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री राजकुमार, प्रधान व श्री आकाश वर्मा, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-64

ग्राम पंचायत सरायजोगा में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 38500.00, पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 248202.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 706084.95, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 1181418.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 2174204.95 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लंघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 2174204.95 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री नागेन्द्र कुमार, प्रधान व श्री गुड्डू श्रीवास्तव, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-65

ग्राम पंचायत रुदवारा में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 322607.00, पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 47900.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 150483.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 279224.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 800214.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लंघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 800214.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री मती कुसुम, प्रधान व श्री राजेन्द्र सिंह, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-66

ग्राम पंचायत रैनापुर में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 290660.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 100990.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 90000.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 314300.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 795950.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 795950.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री अजीजुर्रहमान, प्रधान व श्री अजीत सिंह, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-67

ग्राम पंचायत रायपुर खैलामऊ में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 32399.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 100.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 335186.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 333149.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 700834.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 700834.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री राम प्रताप, प्रधान व श्री चन्द्रजीत सिंह, सचिव से वसूली ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-68

ग्राम पंचायत पंथर में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 18500.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 62427.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 256251.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 378993.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 716171.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 716171.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री छोटे लाल, प्रधान व श्री अविरल श्रीवास्तव, सचिव से वसूली ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

विकास खण्ड-गंजमुरादाबाद

प्रस्तर संख्या-69

ग्राम पंचायत भिखारीपुर पतसिया गैर अहतमाली में वर्ष-2020-21 के दौरान इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 4776132.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट

1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0-4776132.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री गणेशा, प्रधान व श्री विनोद कुमार वर्मा, सचिव से वसूली ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-70

ग्राम पंचायत देवरिया में वर्ष-2020-21 के दौरान इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1182085.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 1182085.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री राम कृष्ण, प्रधान व श्री कुलदीप सिंह, सचिव से वसूली ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-71

ग्राम पंचायत असायस में वर्ष-2020-21 के दौरान इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 4734892.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 4734892.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्रीमती सरस्वती देवी, प्रधान व श्री रामेश्वर, सचिव से वसूली ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-72

ग्राम पंचायत गोसा प्रयागपुर में वर्ष-2020-21 के दौरान इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 969394.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 969394.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री मानवेन्द्र, प्रधान व श्री रामेश्वर, सचिव से वसूली ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-73

ग्राम पंचायत गोसा कुटुम्ब में वर्ष-2020-21 के दौरान इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1001460.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 1001460.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री रानी, प्रधान व श्री कौशल, सचिव से वसूली ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

विकास खण्ड-असोहा

प्रस्तर संख्या-74

ग्राम पंचायत सेवरईया में वर्ष-2020-21 के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत मद मे व्यय रू0- 231642.00, नालीधसामु0 शौचालय मद में व्यय रू0- 1704245.00, विविध कार्य प्रधानमानदेय, स्टेशनरी मद मे व्यय रू0- 91260.00, इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल रू0- 2027147.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0- 2027147.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री बाबूलाल, प्रधान व श्री सर्वेश वर्मा, सचिव से वसूली ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-75

ग्राम पंचायत सुरजापुर में वर्ष-2020-21 के दौरान ग्राम पंचायत भवन निर्माण मद मे व्यय रू0- 697187.00, खड़जा, सीसी0 रोड निर्माण स्टेशनरी प्रधान मानदेय चतुर्थ मद में व्यय रू0- 364426.00, पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0- 323008.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय रू0- 273330.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान मद में व्यय रू0- 434617.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल रू0- 2092568.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0- 2092568.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्रीमती गुलाबा, प्रधान व श्री ओमप्रकाश पटेल, सचिव से वसूली ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-76

ग्राम पंचायत सरवन में वर्ष-2020-21 के दौरान पंचम राज वित्त अनुदान हैण्ड पम्प मरम्मत मद मे व्यय रू0- 143000.00., चैदहवे राज वित्त अनुदान नालीधसी0सी0 रोडध मद में व्यय रू0- 1327560.00, पंद्रहवे राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0- 935024.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल रू0- 2405584.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0- 2405584.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्रीमती बिन्द्रा, प्रधान व श्री प्रदीप कुमार यादव, सचिव से वसूली ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-77

ग्राम पंचायत ओगरापुर में वर्ष-2020-21 के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत मद मे व्यय रू0- 159500.00, सामुहिक शौचालय निर्माण धजल निकासी नाला/खड़जा मरम्मत धजली निर्माण मद में व्यय रू0- 905973.00, प्रथमिक विद्यालय निर्माण कार्य मद मे व्यय रू0- 46500.00, अन्य विविध व्यय प्रधान मानदेय मद मे व्यय रू0- 66500.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के

दौरान कुल ₹0- 1178473.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 1178473.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री सर्वेश कुमार, प्रधान व श्री साजिद रिजवी, सचिव से वसूली ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-78

ग्राम पंचायत दरेहटा अचली में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 704514.00, पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 423098.00, चैदहवे राज वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 610763.00, पंद्रहवे राज वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 475992.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 2214367.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 2214367.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री रघुनाथ, प्रधान व श्रीमती रश्मी यादव, सचिव से वसूली ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-79

ग्राम पंचायत मनिकापुर में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 207614.00, पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 212187.00, पंद्रहवे राज वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 343222.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 763023.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 763023.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्रीमती रामदुलारी, प्रधान व श्री ओमप्रकाश पटेल, सचिव से वसूली ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-80

ग्राम पंचायत शानपुर बरहा में वर्ष-2020-21 के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत मद में व्यय ₹0- 118700.00, सामुहि शौचालय/पंचायत भवन/खड़जा निर्माण मद में व्यय ₹0- 727351.00, अन्य कार्य प्रधान मानदेय/स्टेशनरी/डिड स्टॉक मद में व्यय ₹0- 77000.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 923051.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 923051.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्रीमती कलावती, प्रधान व श्री साजिद रिजवी, सचिव से वसूली ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-81

ग्राम पंचायत गोमापुर में वर्ष-2020-21 के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत मद में व्यय ₹0- 194930.00, सोलर लाईट मद में व्यय ₹0- 21800.00, सामु0शौचालय\पंचायत भवन\खड़जा भवन मद में व्यय ₹0- 402279.00, अन्य कार्य प्रधान मानदेय पोषणाहार मद में व्यय ₹0- 106866.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 725875.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 725875.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री शैलेन्द्र कुमार, प्रधान व श्री साजिद रिजवी, सचिव से वसूली ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-82

ग्राम पंचायत चिलौली में वर्ष-2020-21 के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत मद में व्यय ₹0- 77410.00, निर्माण कार्य मद में व्यय ₹0- 565702.00, ह्यूम पाईप मद में व्यय ₹0- 100000.00, विभिन्न प्रकार के कार्य मद में व्यय ₹0- 54800.00, अन्य विविध कार्य/प्रधानमानदेय मद में व्यय ₹0- 68700.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 866612.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 866612.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री देश पाल, प्रधान व श्री साजिद रिजवी, सचिव से वसूली ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-83

ग्राम पंचायत बिलौरा में वर्ष-2020-21 के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत मद में व्यय ₹0- 104370.00, खड़जाधसी0सी0 रोड निर्माण\धनाली निर्माण मद में व्यय ₹0- 1001763.00, ह्यूम पाईप मद में व्यय ₹0- 95485.00, अन्य विविध कार्यध स्टेशनरी मद में व्यय ₹0- मद में व्यय ₹0- 76250.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1277868.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 1277868.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री सुरेश कुमार, प्रधान व श्री साजिद रिजवी, सचिव से वसूली ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-84

ग्राम पंचायत भवलिया में वर्ष-2020-21 के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत मद में व्यय ₹0- 177650.00, खड़जा मरम्मत\इन्टरलाकिंग निर्माण मद में व्यय ₹0- 827479.00, अन्य कार्यो पर व्यय ₹0- 81100.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1086229.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा

प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0-1086229.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री आनन्द सिंह, प्रधान व श्री सर्वेश वर्मा, सचिव से वसूली ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

विकास खण्ड-मियागंज

प्रस्तर संख्या-85

ग्राम पंचायत सुन्धारी खुर्द में वर्ष-2020-21 के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत मद में व्यय ₹0- 177858.00, स्ट्रीट लाईटधनाली निर्माण मद में व्यय ₹0- 744445.00, सामु0 शौचालय मद में व्यय ₹0- 1090541.00, बाऊड़ी वाल निर्माण मद में व्यय ₹0- 299949.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 2312793.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 2312793.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्रीमती पुष्पा, प्रधान व श्री अनिल राना, सचिव से वसूली ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-86

ग्राम पंचायत कुलहा अटौरा में वर्ष-2020-21 के दौरान राष्ट्रीय ग्राम स्वराज मद में व्यय ₹0- 3816424.00, पंद्रहवे राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 339987.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 4156411.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 4156411.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली मुनेश्वर सिंह, प्रधान व श्री अनिल राना, सचिव से वसूली ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-87

ग्राम पंचायत मखदूमपुर शाहसफी में वर्ष-2020-21 के दौरान इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 2159845.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 2159845.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री अर्पित शुक्ला, प्रधान व श्री सुरेश सिंह, सचिव से वसूली ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-88

ग्राम पंचायत कोरारी कला में वर्ष-2020-21 के दौरान इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 4179378.40 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय

प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 4179378.40 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्रीमती पुनीता कुमारी ,प्रधान व श्री सर्वेश कुमार, सचिव से वसूली ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-89

ग्राम पंचायत गोबरी में वर्ष-2020-21 के दौरान व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध ₹0- 167933.00 व ₹0- 429457.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 597390.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 597390.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्रीमती रीता, प्रधान व श्री सुरेश सिंह, सचिव से वसूली ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-90

ग्राम पंचायत कोटरहा में वर्ष-2020-21 के दौरान व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध ₹0- 1989049.80 व ₹0- 536814.40 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 2525864.20 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 2525864.20 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री रविन्द्र कुमार, प्रधान व श्री अर्पित शुक्ला, सचिव से वसूली ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

विकास खण्ड- सफीपुर

प्रस्तर संख्या-91

ग्राम पंचायत पीखी में वर्ष-2020-21 के दौरान इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 3459480.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 3459480.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्रीमती सबीहा खातून, प्रधान व श्री गंगा बक्श भारतीय, सचिव से वसूली ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-92

ग्राम पंचायत निहालपुर में वर्ष-2020-21 के दौरान इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1136541.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम

186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 1136541.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री धर्मराज, प्रधान व श्री विजय कुमार, सचिव से वसूली ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-93

ग्राम पंचायत खरगौरा में वर्ष-2020-21 के दौरान इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 2547305.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 2547305.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री सारिका सिंह, प्रधान व श्री विजय कुमार, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-94

ग्राम पंचायत देवगांव में वर्ष-2020-21 के दौरान इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 4089427.22 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 4089427.22 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री सरजू पाल, प्रधान व श्री शिवांक शुक्ला, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-95

ग्राम पंचायत जटपुरवा में वर्ष-2020-21 के दौरान इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 822459.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 822459.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री सरला, प्रधान व श्री शिवांक शुक्ला, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-96

ग्राम पंचायत सालेहनगर में वर्ष-2020-21 के दौरान इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1406747.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 1406747.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री बाबू, प्रधान व श्री शिवांक शुक्ला, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

विकास खण्ड-फतेहपुर चैरासी

प्रस्तर संख्या-97

ग्राम पंचायत कठिघरा में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 256068.00, पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 163836.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 106648.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 347799.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 874351.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 874351.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री धर्मराज, प्रधान व श्री विजय कुमार, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-98

ग्राम पंचायत अहमदाबाद माथर में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 297290.00, पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 49830.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 431505.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 365254.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1143879.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 1143879.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री समर्थ सिंह, प्रधान व श्री हेमन्त कुमार, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-99

ग्राम पंचायत दबौली में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 316211.00, पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 255039.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 27400.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 849990.00, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान मद में व्यय ₹0- 1209528.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 2658168.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 2658168.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री सुनील कुमार, प्रधान व श्री हेमन्त कुमार, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-100

ग्राम पंचायत जाजमऊ गैर अहतमाली में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 803192.00, पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 85427.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 950.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 567383.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1456952.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित

सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 1456952.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री पुष्पा, प्रधान व श्री हेमन्त कुमार, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

विकास खण्ड-बिछिया

प्रस्तर संख्या-101

ग्राम पंचायत सकरन में वर्ष-2020-21 के दौरान प्रमाणक विहीन मद में व्यय ₹0- 130132.00, ₹0- 487606.00 व ₹0- 334000.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 951738.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 951738.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री सुधाकर तिवारी, प्रधान व श्रीमती किरन शुक्ला, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-102

ग्राम पंचायत बदलीखेड़ा में वर्ष-2020-21 के दौरान इन्टरलाकिंग मद में व्यय ₹0- 480530.00, विभिन्न कार्य प्रमाणविहीन विवरणहीन मद में व्यय ₹0- 103620.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 584150.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 584150.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री राम शंकर, प्रधान व श्री अभिषेक शर्मा, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-103

ग्राम पंचायत अतरसा में वर्ष-2020-21 के दौरान प्रमाणक विहीन मद में व्यय ₹0- 30524.00, ₹0- 24001.00 व ₹0- 315521.00, ₹0- 691230.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1061276.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 1061276.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्रीमती मदेयी, प्रधान व श्री अभिशेक वर्मा, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-104

ग्राम पंचायत सिन्धुपुर में वर्ष-2020-21 के दौरान प्रमाणक विहीन मद में व्यय ₹0- 79051.00, ₹0- 522909.00 व ₹0- 230086.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 832046.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन

लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 832046.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्रीमती रामरानी, प्रधान व श्री महेश चन्द्र, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-105

ग्राम पंचायत सैता में वर्ष-2020-21 के दौरान प्रमाणक विहीन मद में व्यय ₹0- 292318.00, ₹0- 1026882.00 व ₹0- 3100.00, ₹0- 809098.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 2131398.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 2131398.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री सुस्मा, प्रधान व श्री महेश चन्द्र, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-106

ग्राम पंचायत सोनिक में वर्ष-2020-21 के दौरान प्रमाणक विहीन मद में व्यय ₹0- 156494.00, ₹0- 909364.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1065858.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 1065858.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-107

ग्राम पंचायत रूपऊ में वर्ष-2020-21 के दौरान प्रमाणक विहीन मद में व्यय ₹0- 461015.00, ₹0- 1393499.00 व ₹0- 291554.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 2146068.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 2146068.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-108

ग्राम पंचायत मुलुक उर्फ गड़ार में वर्ष-2020-21 के दौरान प्रमाणक विहीन मद में व्यय ₹0- 516613.00, ₹0- 2794785.00 व ₹0- 500807.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 3812205.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन

है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 3812205.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-109

ग्राम पंचायत शिवपुर में वर्ष-2020-21 के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय ₹0- 129847.00, नाली निर्माण मद में व्यय ₹0- 143659.00, पंचायत भवन निर्माण मद में व्यय ₹0- 489411.00, ह्यूम पाईप मद में व्यय ₹0- 53927.00, प्राथमिक विद्यालय निर्माण मद में व्यय ₹0- 302200.00, इन्टरलाँकिंग मद में व्यय ₹0- 278896.00, विभिन्न कार्यों पर व्यय ₹0- 70690.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1468630.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लंघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 1468630.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री रघुवीर सिंह, प्रधान व श्री दिलीप शर्मा, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-110

ग्राम पंचायत घूरखेत में वर्ष-2020-21 के दौरान प्रमाणक विहीन मद में व्यय ₹0- 133165.00, ₹0- 926651.00 व ₹0- 330901.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1390717.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लंघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 1390717.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री रामेश्वर, प्रधान व श्री अभिषेक वर्मा, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

विकास खण्ड- सफीपुर

प्रस्तर संख्या-111

ग्राम पंचायत रायपुर में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 385638.00, पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 47175.00, छैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 644326.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान मेव्यय ₹0- 357849.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1434988.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लंघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 1434988.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री जीतेन्द्र, प्रधान व श्री विनीत भारतीय, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-112

ग्राम पंचायत शाहपुर में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 146998.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 86331.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 809120.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 37403.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1079852.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 1079852.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री गुड्डी, प्रधान व श्री महेश भूषण, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-113

ग्राम पंचायत ओसिया में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 175325.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 257470.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 904699.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 2092420.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 3429914.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 3429914.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्रीमती सीमा, प्रधान व श्री विनीत भारतीय, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-114

ग्राम पंचायत रहीमाबाद में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 365320.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 149855.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 26200.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 507516.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1048891.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 1048891.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्रीमती बित्तन देवी, प्रधान व श्री गंगा बक्श भारतीय, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-115

ग्राम पंचायत महमूदपुर में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 247095.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 98000.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 704680.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 855336.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1905111.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त

धनराशि ₹0- 1905111.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्री राजेन्द्र पाल, प्रधान व श्री महेन्द्र भूषण, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-116

ग्राम पंचायत मुण्डा में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 291499.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 138944.00, चौदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 136558.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 518976.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1085977.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लंघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 1085977.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्री अतुल कुमार, प्रधान व श्री गंगा बक्श भारतीय, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-117

ग्राम पंचायत मवाई लाल में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 425458.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 97334.00, चौदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 558039.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 2500.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1083321.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लंघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 1083321.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्रीमती शिवदेवी, प्रधान व श्री विनीत भारतीय, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-118

ग्राम पंचायत मीर नगर में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 85500.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 50420.00, चौदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 344108.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 21703.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 697131.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लंघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 697131.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्रीमती रीना, प्रधान व श्री शिवांक शुक्ला, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-119

ग्राम पंचायत मंसूरपुर में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 141108.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 88119.00, चौदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 1558580.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 499975.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 2287782.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख

आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 2287782.00 को अधिभार योग्य माना जाता है।

प्रस्तर संख्या-120

ग्राम पंचायत मखदूमनगर में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 217755.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 203418.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 222720.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 476954.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1120847.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 1120847.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्री उमेश, प्रधान व श्री शिवांक शुक्ला, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-121

ग्राम पंचायत लहबर में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 138988.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 30820.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 246618.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 483752.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 900178.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 900178.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्री कुल्दीप सिंह, प्रधान व श्री गंगा बक्श भारतीय, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-122

ग्राम पंचायत जमालनगर एहतमाली में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 174060.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 600.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 294700.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 326520.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 795880.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 795880.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्री भगवान दीन, प्रधान व श्री विजय कुमार, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-123

ग्राम पंचायत कुसैला में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 158144.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 185524.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 531298.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 441699.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1316665.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 1316665.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्रीमती रीना सिंह, प्रधान व श्री शिवांक शुक्ला, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-124

ग्राम पंचायत फिरोजपुर कला में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 80275.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 39180.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 935706.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 900.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1056061.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 1056061.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्री कमलेश, प्रधान व श्री विनीत भारतीय, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-125

ग्राम पंचायत गुरधरी में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 55588.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 620.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 314131.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 251963.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 622302.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 622302.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्री जनका, प्रधान व श्री गंगा बक्श भारतीय, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-126

ग्राम पंचायत गौरी में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 348815.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 2429.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 967713.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 452572.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1771529.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0-

1771529.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्री ब्रजेन्द्र, प्रधान व श्री शिवांक शुक्ला, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-127

ग्राम पंचायत गोहली में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 151449.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 27150.00, चौदहवें वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 535261.00, पंद्रहवें वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 560182.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1274042.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लंघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 1274042.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्री जयचंद्र, प्रधान व श्री विजय कुमार, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-128

ग्राम पंचायत फाजिलपुर में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 250924.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 148768.00, चौदहवें वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 8570.00, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज मद में व्यय ₹0- 224421.00, पंद्रहवें वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 565672.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1198355.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लंघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 1198355.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्री कमला गौतम, प्रधान व श्री शिवांक शुक्ला, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

विकास खण्ड-औरास

प्रस्तर संख्या-129

ग्राम पंचायत फैजुल्लानगर में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 52500.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 184518.00, चौदहवें वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 12296.00, पंद्रहवें वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 321427.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 570741.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लंघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 570741.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्री सुनील कुमार, प्रधान व श्री अमरेश कुमार, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-130

ग्राम पंचायत कासिमपुर में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 38709.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 308633.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 119599.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 517040.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 983981.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 983981.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्रीमती कैसरजहां, प्रधान व श्री शिवबरन सिंह, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-131

ग्राम पंचायत अलदौ में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 102643.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 76400.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 893095.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 397222.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1469360.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 1469360.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्री गोपाल वर्मा, प्रधान व श्री शुभम वर्मा, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-132

ग्राम पंचायत अलीपुर मिचलौला में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 44245.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 245290.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 985443.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 666840.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1941818.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 1941818.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्री अवधेश, प्रधान व श्री अनिल शर्मा, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-133

ग्राम पंचायत अरसेना में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 19800.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 231347.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 454529.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 679173.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1384849.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त

धनराशि ₹0- 1384849.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्री निर्मला, प्रधान व श्री अमरेश कुमार, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-134

ग्राम पंचायत बछौली में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 60504.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 387726.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 803456.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 589981.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1841667.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लंघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 1841667.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्री शंकर लाल, प्रधान व श्री जयप्रकाश, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-135

ग्राम पंचायत बधवाकोला में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 99429.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 90644.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 2416254.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 350857.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 2957184.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लंघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 2957184.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्री बसंत, प्रधान व श्री सचिन कुमार, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-136

ग्राम पंचायत बहादुरपुर में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 70000.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 22300.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 173680.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 399988.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 665968.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लंघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 665968.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्री सर्वेश कुमार, प्रधान व श्री शैलेन्द्र कुमार, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-137

ग्राम पंचायत बैरी में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 51900.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 25895.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 447896.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 403798.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 929489.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख

आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 929489.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्री राजपति मौर्य, प्रधान व श्री प्रतीक कुमार, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-138

ग्राम पंचायत भुरकुण्डी में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 57650.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 63929.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 848741.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 524468.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1494788.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 1494788.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्री संगीता, प्रधान व श्री संदीप कुमार, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-139

ग्राम पंचायत बरादेव में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 57041.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 200077.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 483481.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 350864.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1091463.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 1091463.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्री भगवान दीन, प्रधान व श्री अनिल शर्मा, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-140

ग्राम पंचायत ब्यारी गांव में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 44650.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 7000.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 494288.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 359895.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 905833.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 905833.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्री अनुज कुमार, प्रधान व श्री शिवबरन सिंह, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-141

ग्राम पंचायत धमियांनी में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 27550.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 253600.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 1972407.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 526766.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 2780323.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 2780323.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्रीमती गुडडी देवी, प्रधान व श्री मोहित कुमार, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-142

ग्राम पंचायत दिपवल में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 47104.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 73399.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 1823065.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 1181090.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 3124658.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 3124658.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्रीमती सविता सिंह, प्रधान व श्री मोहित कुमार, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-143

ग्राम पंचायत फतेहपुर नरसा में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 17500.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 305414.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 828498.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 272631.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1424043.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 1424043.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्री राम प्रसाद, प्रधान व श्री सचिन कुमार, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-144

ग्राम पंचायत गांगन में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 33250.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 310717.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 373770.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 835542.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1553279.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त

धनराशि ₹0- 1553279.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्रीमती ममता देवी, प्रधान व श्री मोहित कुमार, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-145

ग्राम पंचायत गाढ़ी फतेहाबाद में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 45800.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 17500.00, चौदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 659916.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 523385.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1246601.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लंघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 1246601.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्री राकेश सिंह, प्रधान व श्री प्रतीक कुमार, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-146

ग्राम पंचायत गहरावां में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 266108.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 201366.00, चौदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 243119.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 522778.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1233371.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लंघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 1233371.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्री केशना, प्रधान व श्री प्रवीर दुबे, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-147

ग्राम पंचायत गेरूवा में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 20200.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 106818.00, चौदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 409560.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 323529.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 860107.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लंघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 860107.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्री माखन, प्रधान व श्री संदीप कुमार, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-148

ग्राम पंचायत गोबरा में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 40055.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 91000.00, चौदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 573179.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 293417.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 997651.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख

आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लंघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 905833.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्री सरोजनी देवी, प्रधान व श्री शैलेन्द्र कुमार, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-149

ग्राम पंचायत गोहली में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 24850.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 127016.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 432515.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 486665.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1071046.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लंघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 1071046.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्री चन्द्र प्रकाश, प्रधान व श्री संदीप कुमार, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-150

ग्राम पंचायत हाजीपुर गोशा में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 127170.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 154876.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 542700.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 392156.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1216902.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लंघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 1216902.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्री प्रदीप कुमार, प्रधान व श्री आमरा इलियास, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-151

ग्राम पंचायत हसनपुर पश्चिमवाव में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 184370.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 66515.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 426800.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 978457.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1656142.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लंघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 1656142.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्रीमती शिवकला, प्रधान व श्री शुभम वर्मा, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-152

ग्राम पंचायत इनायतपुर बर्रा में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 17000.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 300247.00,चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 1329250.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान मे व्यय ₹0- 1147564.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 2794061.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 2794061.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्री आशीश रंजन,प्रधान व श्री सचिन कुमार, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-153

ग्राम पंचायत जवन में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 45500.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 12822.00,चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 488335.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान मे व्यय ₹0- 673702.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1220359.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 1220359.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्रीमती ननहकी,प्रधान व श्री जयप्रकाश, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-154

ग्राम पंचायत कबरोई में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 22850.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 21000.00,चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 433455.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान मे व्यय ₹0- 240736.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 718041.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 718041.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्री पुष्पा कनौजिया,प्रधान व श्री मोहित कुमार, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-155

ग्राम पंचायत करौंदी में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 20500.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 3500.00,चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 371852.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान मे व्यय ₹0- 667650.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1063502.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0-

718041.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्री किशन पाल,प्रधान व श्री सीमा कश्यप, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-156

ग्राम पंचायत कटरातरौना में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 66000.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 224924.00,चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 1843776.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 526565.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 2661265.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 2661265.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्री गीता,प्रधान व श्री आशीष कुमार, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-157

ग्राम पंचायत कटरालोधी में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 139350.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 97413.00,चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 103844.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 413153.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 753760.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 753760.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्री राकेश कुमार,प्रधान व श्री शैलेन्द्र कुमार, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-158

ग्राम पंचायत खण्डवल में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 40500.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 194615.00,चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 649128.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 748945.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1633188.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 1633188.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्री रामनरेश,प्रधान व श्री प्रतीक कुमार, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-159

ग्राम पंचायत लहरू में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 88000.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 79108.00,चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 388686.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 560040.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1115834.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख

आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 1115834.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्री दिलीप कुमार, प्रधान व श्री प्रतीक कुमार, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-160

ग्राम पंचायत लोधा टीकुर में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 27500.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 3500.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 474567.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 491987.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 997554.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 997554.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्री जगराना, प्रधान व श्री शुभम वर्मा, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-161

ग्राम पंचायत मैनीभावाखेड़ा में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 119202.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 168602.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 104230.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 493676.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1785710.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 1785710.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्री भगोले, प्रधान व श्री आमरा इलियास, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-162

ग्राम पंचायत कटरा मवई में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 56850.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 206878.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 665796.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 518293.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1447817.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 1447817.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्रीमती मधुमती, प्रधान व श्री आशीष कुमार, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-163

ग्राम पंचायत मिर्जापुर अझिगांव में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 102698.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 93319.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 2048043.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 1378042.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 3622102.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 3622102.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्री हजारी लाल, प्रधान व श्री संदीप कुमार, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-164

ग्राम पंचायत मीठेपुर में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 31840.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 17500.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 122275.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 664719.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 836334.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 836334.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्री हेमनाथ, प्रधान व श्री सीमा कश्यप, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-165

ग्राम पंचायत चकसुनौरा में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 38500.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 144782.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 829941.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 520395.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1533618.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 1533618.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्री रामरानी, प्रधान व श्री अमरेश कुमार, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-166

ग्राम पंचायत मुसलावा में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 32450.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 170064.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 482893.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 632451.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1317858.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त

धनराशि ₹0- 1317858.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्रीमती महजबी, प्रधान व श्री संदीप कुमार, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-167

ग्राम पंचायत नन्दौली में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 125486.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 282396.00, चौदहवें वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 1971564.00, पंद्रहवें वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 742251.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 3121697.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लंघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 3121697.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्रीमती संतोषी देवी, प्रधान व श्री सीमा कश्यप, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-168

ग्राम पंचायत नसीरपुर सामद में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 11500.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 379268.00, चौदहवें वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 800115.00, पंद्रहवें वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 786967.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1977850.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लंघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 1977850.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्री गीता सिंह, प्रधान व श्री अमरेश कुमार, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-169

ग्राम पंचायत परौरी में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 35150.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 101699.00, चौदहवें वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 760178.00, पंद्रहवें वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 586776.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1483803.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लंघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 1483803.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्री अतीक अहमद, प्रधान व श्री आशीष कुमार, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-170

ग्राम पंचायत परसहरा में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 10500.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 42000.00, चौदहवें वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 82636.00, पंद्रहवें वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 542230.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 677366.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन

लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 677366.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्रीमती सुधा, प्रधान व श्री शैलेन्द्र कुमार, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-171

ग्राम पंचायत पूराचांद में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 72100.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 95982.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 794394.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 706439.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1668915.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 1668915.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्रीमती बीना सिंह, प्रधान व श्री प्रवीर दुबे, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-172

ग्राम पंचायत पुरथियावा में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 230450.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 845918.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 2547607.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 3623975.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 3623975.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्रीमती शिवकली, प्रधान व श्री प्रवीर दुबे, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-173

ग्राम पंचायत रामपुर गढ़ौवा में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 532064.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 3000.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 465744.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 614017.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1614825.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 1614825.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्री ओम प्रकाश, प्रधान व श्री जय प्रकाश, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-174

ग्राम पंचायत रामपुर खंजड़ी में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 125500.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 1063202.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 521645.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1710350.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 1710350.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्रीमती किरन देवी, प्रधान व श्री शुभम वर्मा, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-175

ग्राम पंचायत रायपुर राई में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 42000.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 186970.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 152837.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 630067.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1011874.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 1011874.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्रीमती कृष्ण देवी, प्रधान व श्री अनिल शर्मा, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-176

ग्राम पंचायत सैदापुर में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 71683.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 226948.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 173094.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 404824.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 876549.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 876549.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्री सुनील कुमार, प्रधान व श्री सचिन कुमार, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-177

ग्राम पंचायत सरौंद में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 26450.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 10500.00, अन्त्येष्टी अनुदान मद में व्यय ₹0- 2107363.00, चैदहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 523323.00, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान मद में व्यय ₹0- 2267903.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 381783.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 5317322.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0-5317322.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्री रमेश चन्द्रा, प्रधान व श्री मोहित कुमार, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-178

ग्राम पंचायत शीशी में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 81750.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 346929.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 746634.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 566364.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1741677.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लंघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 1741677.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्री कल्लू प्रसाद, प्रधान व श्री शुभम वर्मा, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-179

ग्राम पंचायत शाहपुर तौंदा में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 73370.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 95680.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 858225.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 376317.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1403592.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लंघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 1403592.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्रीमती महेश्वरी कनौजिया, प्रधान व श्री आमरा इलियास, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-180

ग्राम पंचायत शरीफाबाद में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 17400.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 41000.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 252022.00, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अनुदान में व्यय ₹0- 1558688.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 680532.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 2549642.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लंघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 2549642.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्री अजय कुमार, प्रधान व श्री आमरा इलियास, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-181

ग्राम पंचायत सीमऊ में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 188652.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 206122.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 737396.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 674552.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम

पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1806722.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लंघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 1806722.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्रीमती शान्ति देवी, प्रधान व श्री शभम वर्मा, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-182

ग्राम पंचायत सिंधूर नेवाती खेड़ा में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 14710.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 393836.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 456855.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 865401.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लंघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 865401.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्रीमती शीला देवी, प्रधान व श्री सचिन कुमार, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-183

ग्राम पंचायत तालासराय में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 31500.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 498580.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 545851.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 741098.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1817029.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लंघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 1817029.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्री कमलेश, प्रधान व श्री जयप्रकाश सोनकर, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-184

ग्राम पंचायत टिकरा सामद में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 18700.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 177572.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 1023425.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 643763.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1863460.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लंघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 1863460.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्री रामस्वरूप यादव, प्रधान व श्री संदीप कुमार, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-185

ग्राम पंचायत टिकरावां में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 112660.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 287818.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 531351.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 473210.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1405039.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 1405039.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्री राजेन्द्र कुमार, प्रधान व श्री शिवबरन सिंह, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-186

ग्राम पंचायत उतराधुकौली में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 159550.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 3242714.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 654015.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 600880 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 4657159.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 4657159.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्री राजा संग्राम सिंह, प्रधान व श्री शुभम वर्मा, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-187

ग्राम पंचायत विसवल में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 20068.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 332453.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 579426.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 341598.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1273545.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 1273545.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्री रामदुलारी, प्रधान व श्री शैलेन्द्र कुमार, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

विकास खण्ड-नवाबगंज

प्रस्तर संख्या-188

ग्राम पंचायत भौली में वर्ष-2020-21 के दौरान इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 15414965.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन

उपरोक्त धनराशि ₹0-15414965.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्रीमती आरती सिंह, प्रधान व श्री दीपक कुमार मिश्रा, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-189

ग्राम पंचायत आशाखेड़ा में वर्ष-2020-21 के दौरान इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 5063586.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 5063586.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री प्रभुदीन, प्रधान व श्री दीपक कुमार मिश्रा, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-190

ग्राम पंचायत जंसार में वर्ष-2020-21 के दौरान इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 7190221.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 7190221.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्रीमती सुनीता, प्रधान व श्री दीपक कुमार, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-191

ग्राम पंचायत अमरेठा में वर्ष-2020-21 के दौरान इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1315920.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 1315920.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री सूरज प्रसाद, प्रधान व श्री दीपक कुमार, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-192

ग्राम पंचायत कठेहरू में वर्ष-2020-21 के दौरान इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 2409682.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0-2409682.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री शियाराम, प्रधान व श्री दीपक कुमार, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-193

ग्राम पंचायत गौराकठेरूआ में वर्ष-2020-21 के दौरान इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1068100.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लंघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 1068100.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री विनीत सिंह, प्रधान व श्री चन्द्रजीत सिंह, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-194

ग्राम पंचायत हसनापुर में वर्ष-2020-21 के दौरान इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 651840.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लंघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 651840.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री शुशीला, प्रधान व श्री दीपक कुमार, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-195

ग्राम पंचायत बहाउद्दीनपुर में वर्ष-2020-21 के दौरान इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 568576.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लंघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 568576.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्रीमती जुबैदा खातून, प्रधान व श्री मनोज कुमार, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

विकास खण्ड-सिकन्दरपुर सिरोसी

प्रस्तर संख्या-196

ग्राम पंचायत सैयद अब्बासपुर में वर्ष-2020-21 के दौरान इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 3690790.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लंघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 3690790.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री अरविन्द्र कुमार, प्रधान व श्री शुब्रत कुमार, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-197

ग्राम पंचायत दोस्तीनगर में वर्ष-2020-21 के दौरान इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 2069736.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद

उपरोक्त धनराशि ₹0- 1219556.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री राजेन्द्र कुमार, प्रधान व श्री रिशि गुप्ता, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

विकास खण्ड-हसनगंज

प्रस्तर संख्या-202

ग्राम पंचायत सिंघनापुर में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 258673.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 85790.00, चौदहवें वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 417744.00, पंद्रहवें वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 448596.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1210803.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लंघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 1210803.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्री अवधेश कुमार कुमार, प्रधान व श्री जैनेन्द्र कुमार, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-203

ग्राम पंचायत अजमतगढ़ी में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 288160.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 108750.00, चौदहवें वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 313492.00, पंद्रहवें वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 340976.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1051378.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लंघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 1051378.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्री शिवा सिंह, प्रधान व श्री आशीष कुमार यादव, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-204

ग्राम पंचायत अवागोड़ा में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 40700.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 120349.00, चौदहवें वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 392192.00, पंद्रहवें वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 642933.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1196178.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लंघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 1196178.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्री पियारा, प्रधान व श्री जैनेन्द्र कुमार, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-205

ग्राम पंचायत गदनखेड़ा में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 511890.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 113526.00, चौदहवें वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 1040416.00, पंद्रहवें वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 793222.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 2459054.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लंघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 2459054.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्री मुकेश, प्रधान व श्री अमित कुमार, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-206

ग्राम पंचायत निवाजखेड़ा में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 215861.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 22219.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 58312.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 462887.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 759279.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लंघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 759279.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्री मेवा लाल, प्रधान व श्री अमित कुमार, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-207

ग्राम पंचायत कायमपुर नेवरवारा में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 509819.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 258985.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 573038.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 1322180.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 2664022.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लंघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 2664022.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्री सुन्दरलाल, प्रधान व श्री उदय प्रताप, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-208

ग्राम पंचायत बीबीपुर चिरयारी में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 120970.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 67950.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 668839.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 1256856.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 3950841.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लंघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 3950841.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्रीमती सुदेवी, प्रधान व श्री संजीव कुमार, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-209

ग्राम पंचायत भोगला में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 788944.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 3500.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 376437.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 465438.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1634319.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 1634319.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्री विपिन कुमार, प्रधान व श्री संजीव कुमार, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-210

ग्राम पंचायत रसूलपुर बकिया में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 2143300.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 1819815.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 858384.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 4921499.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 4821499.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्रीमती मीना, प्रधान व श्री प्रशान्त शुक्ला, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-211

ग्राम पंचायत सदांना में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 330694.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 1450.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 3024795.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 681342.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 4038281.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 4038281.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्रीमती साइस्ता खान, प्रधान व श्री आशीष कुमार यादव, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-212

ग्राम पंचायत बरौना नियामतपुर में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 1011227.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 384135.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 787503.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 862186.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 3045051.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का

उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 3045051.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्री रामजानकी, प्रधान व श्री मृगांक गौतम, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-213

ग्राम पंचायत अहमदपुर वादे में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 117642.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 82160.00, चौदहवें वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 516567.00, पंद्रहवें वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 454496.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1170865.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 1170865.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्री अजय सिंह, प्रधान व श्री शशांक यादव, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-214

ग्राम पंचायत हसेवा में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 166143.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 9300.00, चौदहवें वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 419208.00, पंद्रहवें वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 74196.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 668847.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 668847.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्री देशराज, प्रधान व श्री प्रशांत शुक्ला, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-215

ग्राम पंचायत घूरामऊ में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 363189.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 139149.00, चौदहवें वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 1261983.00, पंद्रहवें वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 1346151.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 3110472.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 3110472.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्री सितावा, प्रधान व श्री संजीव कुमार, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-216

ग्राम पंचायत खपरा मुस्लिम में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 304537.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 1025518.00, चौदहवें वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 2466528.00, पंद्रहवें वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 930379.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के

अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 4726962.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लंघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 4726962.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्री अलीउल, प्रधान व श्री जग बहादुर, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-217

ग्राम पंचायत भानपुर में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 141732.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 28000.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 326081.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 253345.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 749158.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लंघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 749158.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्री राम श्री, प्रधान व श्री प्रशांत शुक्ला, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-218

ग्राम पंचायत फरहदपुर में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 321770.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 39560.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 1729808.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 406928.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 2503466.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लंघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 2503466.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्री मनीन्द्र बक्श सिंह, प्रधान व श्री प्रशान्त शुक्ला, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-219

ग्राम पंचायत ऊचद्वारा में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 297412.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 282041.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 76781.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 971943.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1628177.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लंघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 1628177.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्रीमती संगीता देवी, प्रधान व श्री साजिद रिजवी, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-220

ग्राम पंचायत खैराबाद में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 129888.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 500.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 267997.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 409712.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 808097.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 808097.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्री शिवबहादुर, प्रधान व श्री आयशा चौधरी, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-221

ग्राम पंचायत लखनापुर में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 125411.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 20960.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 79580.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 504149.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 730100.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 730100.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्री राम खेलावन, प्रधान व श्री प्रशान्त शुक्ला, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-222

ग्राम पंचायत रफीगढ़ी में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 159926.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 500.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 29126.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 141626.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 331178.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 331178.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्री जसवीर सिंह, प्रधान व श्री अजय कुमार सिंह, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-223

ग्राम पंचायत बाराखेड़ा में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 148204.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 248895.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 554998.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 377612.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1329709.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन

है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 1329709.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्री सुनील कुमार, प्रधान व श्री अमित कुमार रावत, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-224

ग्राम पंचायत रामपुर अखौली में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 228829.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 4500.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 874184.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 176034.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 2868147.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 2868147.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्रीमती कमलेश कुमारी, प्रधान व श्री अमित कुमार रावत, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-225

ग्राम पंचायत चंदौली बुजुर्ग में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 190888.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 1450.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 874674.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 760997.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1828009.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 1828009.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्रीमती सीमा , प्रधान व श्री अमित कुमार रावत, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-226

ग्राम पंचायत दयालपुर में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 347237.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय ₹0- 500.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय ₹0- 191687.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय ₹0- 490011.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल ₹0- 1029435.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि ₹0- 1029435.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्री ननहकी, प्रधान व श्री मृगांक गौतम, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-227

ग्राम पंचायत कोरौरा में वर्ष-2020-21 के दौरान प्रधान मानदेय मद में व्यय ₹0- 52500.00, हैण्ड पम्प मरम्मत मद में व्यय ₹0- 126382.00, सीमेंटधमौरंगधबालू मद में व्यय ₹0- 105156.00, प्रिंटिंग एवं अडवाट्रीजमेंट कार्य मद में व्यय ₹0- 64441.00, डस्टिबिन कार्य मद में व्यय ₹0- 81000.00, मैटिनेन्स कार्य मद में व्यय ₹0- 67500.00,

सोलर लाईट कार्य मद मे व्यय रू0- 198000.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल रू0- 694979.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0- 694979.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री ब्रजेश, प्रधान व श्री जगबहादुर, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-228

ग्राम पंचायत पिछवारा में वर्ष-2020-21 के दौरान निर्माण कार्य मद में व्यय रू0- 1269233.00, प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0- 24500.00, प्रशासनिक मद में व्यय रू0- 2900.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल रू0- 1296633.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0- 1296633.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री प्रेम कुमार, प्रधान व श्री साजिद रिजवी, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-229

ग्राम पंचायत हरौनी शमसुद्दीनपुर में वर्ष-2020-21 के दौरान चतुर्थ राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0- 97900.00, पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0- 13816.00, चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय रू0- 589794.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान में व्यय रू0- 422742.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल रू0- 1124252.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0- 1124252.00 को अधिभार योग्य माना जाता है। जिसकी वसूली श्री सुरेश कुमार, प्रधान व श्री जगबहादुर, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-230

ग्राम पंचायत धौरा में वर्ष-2020-21 के दौरान प्रधान मादनेय मद में व्यय रू0- 66500.00, हैण्ड पम्प मद में व्यय रू0- 228750.00, लेबर पेमेंट मद में व्यय रू0- 83356.00, मौरंगधबालू एवं ईट कार्य मद में व्यय रू0- 438583.00, सोलर लाईट एवं टाईल्स कार्य मद में व्यय रू0- 256922.00, अडवार्टीजमेंट मद में व्यय रू0- 2900.00, ग्राम पंचायत जी0एस0टी0 भुगतान मद में व्यय रू0- 3500.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल रू0- 1080511.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0- 1080511.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री शिवपाल, प्रधान व श्री साजिद रिजवी, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-231

ग्राम पंचायत पमेधिया में वर्ष-2020-21 के दौरान प्रधान मादनेय मद में व्यय रू0- 38500.00, प्रशासनिक मद में व्यय रू0- 3000.00 , हैण्ड पम्प एवं वाटर सप्लाई मद में व्यय रू0- 291021.00, ईट कार्यधटाइल्स कार्य मद में व्यय रू0- 145935.00, विज्ञापन मद में व्यय रू0- 2900.00, पंचायत भवन निर्माण कार्य मद में व्यय रू0- 416813.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल रू0- 898169.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0- 898169.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्रीमती राम दुलारी , प्रधान व श्री उदय प्रताप, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-232

ग्राम पंचायत आदमपुर भांसी में वर्ष-2020-21 के दौरान ब्रिक मौरंगधबालू कार्य एवं लेबर पंमेंट मद में व्यय रू0- 451344.00, सोलर लाईट कार्य मद में व्यय रू0-147000.00, हैण्ड पम्प मरम्मत मद में व्यय रू0- 500.00, स्टेशनरी कार्य मद में व्यय रू0- 450.00, प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0- 31500.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 के दौरान कुल रू0- 630794.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना 30प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों में वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0- 630794.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री संतोष कुमार, प्रधान व श्री उदय प्रताप, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षित है।